क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय–1 प्रारंभिक	3
2.	अध्याय – 2 संस्थागत ढांचा	10
3.	अध्याय – 3 मुख्यालय संगठन	26
4.	अध्याय–4 कारागार कार्मिक	35
5.	अध्याय–5 हिरासत संबंधी प्रबंधन	119
6.	अध्याय – 6 कारागारों का रख–रखाव	157
7.	अध्याय –7 चिकित्सा देखभाल	182
8.	अध्याय–8 बाहरी दुनिया से संपर्क	226
9.	अध्याय –9 बंदियों का स्थानांतरण	251
10.	अध्याय – 10 कैदियों का देश प्रत्यावर्तन	269
11.	अध्याय 11 सजा पर अमल	272
12.	अध्याय –12 मौत की सजा प्राप्त बंदी	294
13.	अध्याय –13 आपातकाल	324
14.	अध्याय –14 बंदियों की शिक्षा	362
15.	अध्याय –15 व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य	371
16.	अध्याय –16 कानूनी सहायता	385
17.	अध्याय–17 बंदियों का कल्याण	391
18.	अध्याय–18 छूट	404
19.	अध्याय – 19 पैरोल और फरलो	417
20.	अध्याय – 20 समय–पूर्व रिहाई	436
21.	अध्याय 21 कारागार अनुशासन	447
22.	अध्याय–22 परवर्ती–देखभाल और पुनर्वास	464
23.	अध्याय – 23 अर्ध मुक्त और मुक्त कारागार	472
24.	अध्याय 24 विचाराधीन बंदी	482
25.	अध्याय –25 उच्च जोखिम (High Risk) वाले बंदी एवं नज़रबंदी	499
26.	अध्याय–26 महिला बंदी	510

27.	अध्याय–27 युवा अपराधी	542
28.	अध्याय – 28 कारागारों का निरीक्षण	551
29.	अध्याय –29 आगंतुक बोर्ड	554
30.	अध्याय– 30 कर्मचारी विकास	563
31.	अध्याय–31 कारागार रिकार्ड और कम्प्यूटरीकरण	583
32.	अध्याय–32 बंदियों की रिहाई	591
33.	अध्याय–33 दीवानी बंदी	600
34.	अध्याय–34 दिव्यांग बंदी	603
35.	अध्याय–35 मानसिक स्वास्थ्य और संक्रामकरोग	606
36.	अध्याय–36 अन्य	614

संख्या F.9/87/2018/HG/5980 **दिनांक** 01/10/2018- **दिल्ली कारा़गार अधिनियम, 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 2) की धारा 71 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार ने निम्नांकित नियम बनाए हैं, अर्थात् :–**

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होने की तारीखः–**

(1) इन नियमों को दिल्ली कारा़गार नियम, 2018. कहा जाएगा।

(2) ये नियम, अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी कैदियों के संदर्भ में लागू होंगे

(3) ये नियम 1 **नवम्बर**, 2018 से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएंः**–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :

1) ''**अधिनियम**'' का अर्थ है दिल्ली कारा़गार अधिनियम 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या

2)''**वयस्क बंदी**'' का अभिप्राय है ऐसा बंदी जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो।

3) ''**चक्कर/आंतरिक नियंत्रण कक्ष**'' का अर्थ है वह स्थान जहां कारागार के आंतरिक प्रशासन का नियंत्रण स्थित है।

4) ''**सिविल बंदी**'' का अर्थ है एक बंदी जो आपराधिक बंदी नहीं है।

5) ''**संहिता**'' का अर्थ है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, यथा संशोधित।

6) ''**सक्षम प्राधिकरण**'' का अर्थ है वह अधिकारी जिसके पास इन नियमों के संदर्भ में किसी विशेष मामले में कार्रवाई करने के लिए क्षेत्राधिकार हो और उचित विधिक प्राधिकार हो।

7) **''सिद्ध दोष आपराधिक बंदी''** का अर्थ है न्यायालय या कोर्ट मार्शल की सजा के अधीन आपराधिक बंदी और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) के अध्याय VII के प्रावधानों के अंतर्गत कारा़गार में बंद बंदी।

8) ''**सुधार प्रशासन**'' का अर्थ है अपराधी के सुधार और पुनर्वास के उद्‌देश्य से की गई सेवाओं के लिए प्रशासन।
9) ''**सुधार कार्मिक**'' का अर्थ है कारागार विभाग में सुधार कार्य के लिए लगाए गए कार्मिक।
10) ''**न्यायालय**'' में सम्मिलित है कोई मृत्यु समीक्षक या दीवानी, फौजदारी या राजस्व क्षेत्राधिकार का विधिसम्मत प्रयोग करने वाला अधिकारी।
11) ''**आपराधिक बंदी**'' का अर्थ है किसी न्यायालय अथवा दंडित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण की रिट, वारंट या आदेश के अंतर्गत अथवा किसी कोर्ट मार्शल के आदेश से हिरासत में रखने हेतु लिया गया विधिवत सिद्ध दोष बंदी।
12) ''**निरुद्ध व्यक्ति**'' का अर्थ है संबंधित निवारणकारी कानूनों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर कारागार में रख गया व्यक्ति।
13) ''**दिल्ली**'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
14) ''**ड्योढ़ी**'' का अर्थ है कारागार का मुख्य द्वार/प्रशासनिक ब्लॉक।
15) ''**जिला**'' का अर्थ है दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 (1978 का अधिनियम 34) की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचित पुलिस जिला।
16) ''**अहाता**'' का अर्थ है कारागार में बाड़ या दीवारों से घिरा हुआ क्षेत्र।
17) **''फरला'' (रुखसत)** का अर्थ है एक ऐसे बंदी को दिए गए इनाम के रूप में छुट्टी, जिसे 5 वर्ष या अधिक समय के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई हो और जो उसमें तीन वर्ष की सजा काट चुका हो।
18) ''**सरकार**'' का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 239 एए में उल्लेखित उपराज्यपाल।
19) ''**जराचिकित्सीय बंदी**'' का अर्थ है वह बंदी जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और चिकित्सा की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से बिना सहायता के अपने दैनिक कार्य कर पाने में असमर्थ है।

20) ''**आभ्यासिक अपराधी**'' या ''**आदतन अपराधी''** का अर्थ है –

(i) कोई व्यक्ति जिसे अपराध का दोषी ठहराया गया है, जिसका पिछला सिद्ध दोष अथवा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय XII, XVI, XVII के अंतर्गत सिद्ध दोष अपने आप में या वर्तमान केस के तथ्यों के साथ दर्शाता है कि वह आदतन अपराध अथवा इन अध्यायों में निर्दिष्ट पिछला कोई या पिछले सभी के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है;

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 22 (धारा 110 के साथ पठित) के अंतर्गत कारावास में रखा गया या सुपुर्द किया गया कोई व्यक्ति;

(iii) केस के तथ्यों के आधार पर उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति, भले ही पिछले किसी दोष से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि वह आदत से किसी डकैतों के, चोरों के समूह का सदस्य है या चोरी के माल का व्यापारी है;

(iv) भारत से बाहर कार्यरत न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति जिसे यदि भारत में स्थापित न्यायालय में दोषी सिद्ध किया होता तो उसे **आभ्यासिक** अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया गया होता।

स्पष्टीकरण : इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए ''सिद्ध दोष'' शब्द में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 117, धारा 110 के साथ पठित, के अंतर्गत किया गया आदेश शामिल होगा।

21) ''उच्च जोखिम बंदी'' का अर्थ है जैसा कि उच्च जोखिम बंदी के अध्याय में परिभाषित किया गया है।

22) ''हिस्ट्री टिकट'' का अर्थ है टिकट, जिस पर ऐसी सूचना प्रदर्शित हो, जो अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रत्येक बंदी के संबंध में अपेक्षित है।

23)''**कारावास''** का अर्थ जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में परिभाषित है।

24)''**कारागार महानिरीक्षक**'' का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कारागार महानिरीक्षक।

25) ''**संस्था**'' का अर्थ है वह स्थान जहां बंदी विधिसम्मत ढंग से बंद रखे जाते हैं और इसे कारागार के रूप में भी जाना जाता है।

26) ''**उप राज्यपाल**'' का अर्थ है, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासक।

27) ''**मजिस्ट्रेट**'' का अर्थ है संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की किसी **या** सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति।

28) ''**चिकित्सा अधिकारी**'' का अर्थ है, सरकार का राजपत्रित अधिकारी और वह अर्हताप्राप्त चिकित्सक शामिल, जो सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा चिकित्सा अधिकारी घोषित किया गया हो।

29) ''**मुलाकात/साक्षात्कार**'' का अर्थ है, अपने रिश्तेदारों/परिवार और परिचितों से कैदियों का मिलना।

30) ''**मल्टीपल मर्डर्स**'' का अर्थ है एकल प्राथमिकी या बहु–प्राथमिकियों में एक से अधिक व्यक्तियों की हत्या को अंजाम देने वाला हत्यारा।

31) ''**सैन्य बंदी**'' का अर्थ है, कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराया गया बंदी।

32) ''**चिकित्सा अधीनस्थ**'' का अर्थ है एक अर्हता प्राप्त चिकित्सा सहायक।

33) ''**गैर आभ्यासिक बंदी**'' का अर्थ है, आभ्यासिक अपराधी से भिन्न बंदी।

34) ''**अधिसूचना**'' का अर्थ है, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।

35) ''**अपराध**'' का अर्थ है, इस समय लागू विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया कोई कार्य अथवा चूक।

36 ''**मुक्तकारागारों**'' का अर्थ है कारागार परिसर के भीतर ऐसी जगह, जिसे सरकार ने ऐसे कैदियों को अस्थायी या स्थायी रूप में रखने का स्थान घोषित किया हो, जहां माना जाता है कि बंदी कम से कम निगरानी में सुरक्षा घेरे के भीतर रखे जा सकते हैं। उन्हें सामान्य कारागार में बंद नहीं

किया जाता और सज़ा की अवधि में रोजगार या काम के सिलसिले में वे कारागार परिसर से बाहर भी जा सकेंगे।

37) ''**पैरोल प्रणाली**'' का अर्थ है, नियमों के अनुसार कैदियों की सजा निलम्बित करके उन्हें पैरोल पर कारागार से छोड़ने की प्रणाली।

38) ''**विहित**'' का अर्थ है, जैसा नियमों द्वारा विहित है।

39) ''**कारागार**'' का अर्थ है, कैदियों को रोक रखने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अंतर्गत स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से प्रयोग किया जाने वाला स्थान या कारागार और भूमि, भवन व उसके अनुलग्नक, सभी शामिल हैं तथा निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :—

(i) ऐसे कैदियों को बंद रखने का स्थान, जो केवल पुलिस की हिरासत में हैं।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की 2) की धारा 417 के अंतर्गत सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त स्थान।

(iii) सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के तहत विशेष कारागार के रूप में घोषित किया गया स्थान।

40) ''**बंदी/इन्मेट**'' का अर्थ है, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत कारागार में बंद किया गया व्यक्ति।

41) ''**विशेष जरूरतों वाले बंदी**'' का अर्थ है, वे बंदी जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है, आत्मघाती प्रवृत्ति है और/या जो नशे से परेशान हैं और/या नशीली चीजों का प्रयोग करते हैं, दिव्यांग व्यक्ति या ट्रांसजेंडर।

42) ''**परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी**'' का अर्थ है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या किसी अन्य विधि के अधीन परिवीक्षा कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी।

43) ''**पतिबंधित वस्तु**'' का अर्थ है, वह वस्तु, जिसका कारागार में प्रवेश या कारागार से बाहर ले जाना अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम द्वारा **प्रतिबंधित** है।

44) ''**रिमांड बंदी**'' का अर्थ है, वह व्यक्ति, जिसे पुलिस द्वारा जांच लंबित होने के कारण कारागार हिरासत के लिए न्यायालय द्वारा रिमांड किया गया है।

45) ''**माफी प्रणाली**'' का अर्थ है, कारागार में कैदियों को अंक देने की प्रणाली और परिणाम स्वरूप उनकी सजा को कम करना।

46) ''**नियमावली**'' का अर्थ है, अधिनियम के अंतर्गत या के अनुसरण में बनाए गए इस समय लागू नियम।

47) ''धारा'' का अर्थ है, अधिनियम की धारा।

48) ''**सुरक्षा बंदी**'' का अर्थ है, ऐसा बंदी जिसे किसी व्यक्ति से खतरा है।

49) ''**अर्ध–मुक्तकारागारों**'' का अर्थ भी कारागार परिसर में ऐसी जगह से है, जिसे सरकार ने ऐसे कैदियों को अस्थायी या स्थायी रूप से रखने का स्थान घोषित किया हो, जो कम से कम निगरानी में सुरक्षा दायरे के भीतर रखे जा सकते हैं, उन्हें सामान्यकारागार में बंद नहीं किया जाता और वे सजा की अवधि में कारागार परिसर के भीतर ही समय समय पर दिया जाने वाला काम कर सकते हैं।

50) ''**वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी**'' का अर्थ है, कारागार में तैनात चिकित्सा अधिकारी, जो अन्य चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ है और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में जाना जा सकता है।

51) ''**सेवादार**'' का अर्थ है, कारागार प्रशासन का सहयोग करने के लिए नियोजित किया गया दोषी/विचाराधीन बंदी।

52) ''**अधीनस्थ अधिकारी**'' का अर्थ है, कारागार में सेवारत प्रत्येक गैर–राजपत्रित अधिकारी।

53) ''**अधीक्षक**'' का अर्थ है, वह अधिकारी, जो कारागार के प्रभारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और पदनाम सरकार जो निर्दिष्ट करे।

54) ''**विचाराधीन बंदी**'' (UNDER-TRIAL PRISONERS) का अर्थ है, वह व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या परीक्षण के लंबित रहते न्यायिक हिरासत में सुपुर्द किया गया है।

55) ''**विकिट गेट**'' का अर्थ है, मुख्य दरवाजे की छोटी खिड़की, जहां से सभी स्टाफ और इन्मेट कारागार के बाहर या अंदर लाए जाते हैं।

56) ''**अहाता**'' का अर्थ है, कारागार में वार्ड से लगा हुआ चारों ओर से बंद मैदान, जहां बंदी नियत समय पर कई कार्यकलाप जैसे मनोरंजनकारी खेल, व्यायाम आदि कर सकते हैं।

57) ''युवा अपराधी''का अर्थ है, एक बंदी, जिसकी आयु 21 वर्ष नहीं हुई है और जो इन नियमों में परिभाषित अनुसार वयस्क नहीं है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो परिभाषित नहीं हैं, परंतु दिल्ली में लागू कानूनों में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो उन कानूनों में उन्हें क्रमशः प्रदान किया गया है।

अध्याय – 2
संस्थागत ढांचा

3. **कारागार का ढांचा** : सभी श्रेणियों के बंदियों की हिरासत और सुधार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विविधतापूर्ण कारागार प्रणाली अनिवार्य है। कतिपय स्पष्ट परिभाषित मानदंडों के आधार पर प्रत्येक कारागार का निर्माण और रख–रखाव किया जाना चाहिए। कारागार का ढांचा इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि बंदियों से मानवीय तरीके से व्यवहार करने के लिए उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उनके सुधार के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण हो।

4. **पृथक कारागार**

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यथासंभव पर्याप्त संख्या में कारागारों की स्थापना करेगी और मानव गरिमा के अनुरूप जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम जरूरतें प्रदान करेगी।

(ii) कारागार का प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि बंदियों के मानवाधिकारों का सम्मान हो।

(iii) कारागार प्रशासन निम्नलिखित श्रेणियों के बंदियों (क) महिलाएं, (ख) युवा अपराधी, (ग) परीक्षण अधीन बंदी, (घ) निरुद्ध, (ङ) उच्च–जोखिम बंदी (च) ट्रांसजेंडर (छ) सिद्ध दोष, (ज) सिविल बंदी, (झ) विशेष जरूरतों वाले बंदी के लिए अलग अलग व्यवस्था करेगी।

(iv) कारागार प्रशासन बंदियों को कानून पालन करने वाला आत्म–निर्भर, सुधरा हुआ और सामाजिक रूप से पुनर्वासित जीवन जीने के लिए तैयार करने का प्रयास करेगा।

(v) जरूरत के अनुसार विविधतापूर्ण संस्था स्थापित की जाएगी।

(vi) कारागारों को कुशलतापूर्वक प्रबंध योग्य यूनिटें बनाने की दृष्टि से, सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के कारागारों के लिए अधिकतम बंदी संख्या के संबंध में मानदंड निर्धारित करेगी।

(vii) कारागार कार्मिकों की सेवा शर्तें इस प्रकार होंगी कि श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति लिए जाएं और वे वहां टिकें।

(viii) कारागार कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में सामूहिक सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार हिरासत और सुधार करने की दृष्टि से बंदियों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत संसाधनों के विविधीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगी। जिन बातों को ध्यान में रखना है, उनमें आयु, लिंग, बंदी की विधिक स्थिति, अपराध का स्वरूप, सजा की अवधि, सुरक्षा जरूरतें, स्वास्थ्य की स्थिति और सुधार संबंधी जरूरतें शामिल हैं। ऐसा करने का अर्थ है, विभिन्न श्रेणियों के बंदियों के लिए अलग संस्थागत सुविधाओं की स्थापना, जैसे कि :–

- बंदियों के लिए कारागार/उपभवन/अहाता।
- उच्च जोखिम बंदियों और कठोर या आभ्यासिक अपराधियों के लिए अधिकतम सुरक्षा वाले कारागार/उपभवन/अहाते।
- खुले कारागार, अर्द्ध खुले कारागार और खुली कालोनियां/शिविर।
- महिला बंदियों के लिए कारागार/उपभवन/बाड़ा।
- ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए कारागार/उपभवन/बाड़ा।
- युवा अपराधियों के लिए कारागार/उपभवन/अहाता।
- संक्रामक रोग से पीड़ित बंदियों के लिए कारागार/उपभवन/अहाता।
- नशीले पदार्थ और ड्रग लेने वाले अपराधियों के लिए कारागार/उपभवन/ अहाता।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ऊपर वर्णित अनुसार विभिन्न प्रकार के संस्थानों में रखे जाने के लिए बंदियों के वर्गीकरण की एक व्यवस्था कायम करेगी और इस बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तय करेगी। सरकार अधिकृत

बंदियों और इन नियमों में सुझाए गए अनुसार रखे जाने वाले बंदियों की संख्या भी निर्दिष्ट करेगी। वह शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद, पुस्तकालय और आतंरिक और बाहरी दोनों तरह के मनोरंजन के लिए सुविधाएं शामिल कर सकती है। वह प्रत्येक प्रकार के संस्थान में शामिल किए जाने के लिए कर्मचारियों के बारे में विनिर्देश भी दे सकती है। विभिन्न श्रेणियों के बंदियों के लिए कारागारों के कई तरह के वर्गीकरण के अतिरिक्त, तीन प्रकार के कारागार होंगे अर्थात् केंद्रीय कारागार, जिला कारागार, आपात स्थितियों से निपटने के लिए अस्थायी या विशेष कारागार। सरकार इन नियमों के प्रयोजनों के लिए,समय समय पर अपने विवेकानुसार, किसी कारागार को केंद्रीय कारागार, जिला कारागार, विशेष/अस्थायी कारागार घोषित कर सकती है अथवा किसी स्थान पर विशेष/अस्थायी कारागार स्थापित कर सकती है। किसी कारागार को इन नियमों के आशय के अंतर्गत तब तक विशेष कारागार नहीं समझा जाएगा, जब तक ऐसा घोषित न कर दिया गया हो अथवा प्रावधान के अनुरूप स्थापित न किया गया हो।

कारागार वास्तु–शिल्प

7. यदि महानिरीक्षक (कारागार) की यह राय हो कि ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो कारागारों के वर्तमान ढांचे को इन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए कोई बड़ा ढांचागत परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। भावी कारागार वास्तुशिल्प निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए :–

(i) नई कारागार संस्था के स्थान के बारे में निर्णय निम्नांकित वरीयताओं के आधार पर लिया जायेगा : (क) कारागार में किए जाने वाले कार्य, (ख) प्रशिक्षण व इलाज पर जोर, (ग) कारागार संस्था के कार्यक्रम का स्वरूप।

(ii) नई संस्थाओं का निर्माण जल प्लावित क्षेत्रों और बार बार बाढ़ वाले क्षेत्रों के निकट नहीं किया जाएगा।

(iii) नई संस्थाओं के स्थल का चयन करते समय इन बातों का जैसे परिवहन सुविधाएं, जल आपूर्ति, बिजली, उच्च शक्ति विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से कनेक्शन, नालियां और सीवेज, संचार सुविधाएं (जैसे डाक, दूरभाष और इंटरनेट), जलवायु संबंधी स्थितियां, संस्थागत सामान की खरीद के लिए सुविधाएं, ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही, न्यायालय, सिविल अस्पताल, मनोचिकित्सा केंद्र, कारागार कार्मिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, यथासंभव नजदीक होनी चाहिए।

(iv) केंद्रीय कारागार की दीवार से 150 मीटर के दायरे में और जिला कारागार की दीवार से 100 मीटर के दायरे में किसी भवन, अस्थायी ढांचे या किसी इंस्टालेशन या किसी इलेक्ट्रॉनिक टावर इत्यादि का निर्माण नहीं किया जाएगा।

(v) संस्थाओं का वास्तुशिल्प दो सिद्धांतों पर संचालित होगा :— (क) सुरक्षा स्थितियों की स्थापना के माध्यम से सोसायटी को पर्याप्त संरक्षण और (ख) पर्याप्त संसाधन, जो विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होंगे। संस्थागत डिजाइन और वास्तुशिल्प कार्यात्मक होने चाहिए।

(vi) एक संस्था की प्लान इन्मेट संख्या, आयु समूह, हिरासत संबंधी जरूरत, विविध कार्य, शैक्षिक कार्यक्रम इत्यादि के सतर्क विश्लेषण पर आधारित होगा।

(vii) बंद कारागार दो श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं, जो है केंद्रीय कारागार और जिला। इन कारागारों के लिए अधिकृत संख्या सामान्यतः क्रमशः 1000 और 500 बंदियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) उचित वायु संचार और धूप के आगमन के लिए परिधीय दीवार के अंदर पर्याप्त खुला क्षेत्र रखा जाएगा। कारागार की चारदीवारी के अंदर बंद क्षेत्र 62.70 वर्ग मीटर प्रति बंदी से कम नहीं होगा।

(ix) कारागार संकुल के अंदर कोई भवन परिधीय दीवार से 50 मीटर से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए।

(x) प्रत्येक भवन योजना में श्रेणीकरण के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार इन्मेट समूहों को अलग करने की जरूरतों की व्यवस्था की जाएगी। भवनों की योजना बनाते समय प्रशासन और देखरेख की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(xi) प्रत्येक क्षेत्र/मंडल में स्थानीय जरूरतों के अनुसार महिला बंदियों के लिए एक संस्था होगी। प्रत्येक केंद्रीय और जिला कारागार में महिला बंदियों के लिए एक बाड़ा रहेगा।

(xii) साझा कारागारों में महिलाओं के लिए वर्तमान बाड़ों को यह सुनिश्चित करने के लिए नवीकृत किया जाएगा कि महिला बंदी इन बाड़ों से आते जाते समय पुरुष बंदियों को दिखाई न दें इन बाड़ों में दो ताला प्रणाली अपनायी जाएगी अर्थात् एक ताला बाहर और दूसरा अंदर लगाया जाएगा। अंदर के ताले की चाबियां हमेशा अंदर की महिला गार्ड के पास रहेंगी। महिला बंदियों के लिए संस्थाओं/वार्डों में उनकी विशेष जरूरतों के संदर्भ में अपेक्षित सभी सुविधाएं जैसे कि अलग रहना, संरक्षण, प्रसूति, शिशु जन्म और पारिवारिक देखभाल, स्वास्थ्य की देखभाल, क्रेच, प्ले स्कूल, प्रशिक्षण और पुनर्वास इत्यादि रहेंगी।

(xiii) परीक्षण अधीन और निरुद्ध व्यक्तियों को दोषी बंदियों से दूर अलग बाड़े में रखा जाएगा।

(xiv) बंदियों के उपयोग के लिए विशेषतः सोने के लिए, बनाए गए सभी आवास स्वस्थ जीवनयापन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगे। आवास इस तरह बनाए जाएंगे कि पर्याप्त हवा की क्यूबिक मात्रा, फर्शस्थल, प्रकाश, वायु संचार और जलवायु संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें। कारागार विभाग में समस्त निर्माण के लिए आईएसआई मानकों का पालन किया जाएगा।

(xv) विभाग में सभी निर्माण और मरम्मत कार्यों की योजना, निगरानी और देखरेख करने के लिए कारागार मुख्यालय में पर्याप्त तकनीकी स्टाफ के साथ एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाएगा।

(xvi) सीसीटीवी या ऐसे उपकरण निगरानी रखने के उद्देश्य से वर्क शेड, रसोई, अस्पताल, मुख्य दरवाजे, मुलाकात कक्ष, उच्च सुरक्षा बाड़े में और महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा तय

करने पर किसी अन्य स्थान पर तथा बैरक के परिसर में लगाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, केवल जहां प्राइवेसी अपेक्षित हो, उसे छोड़ कर, कारागार के प्रत्येक स्थान को सीसीटीवी के माध्यम से कवर किया जाएगा। सभी सीसीटीवी फुटेज कम से कम एक महीने की अवधि के लिए डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे तथापि यदि बंदी ने किसी मामले की रिपोर्ट की है अथवा किसी घटना के संबंध में कोई केस लंबित है, जो सीसीटीवी में रिकार्ड हो गई हो तो सीसीटीवी फुटेज केस या मामले का निपटान होने तक अथवा विधि अदालत के आदेश के अनुसार सुरक्षित रखी जाएगी। इसी के साथ सभी बंदियों को यह अवश्य सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें एक ऐसी कारागार में रखा गया है जहां सभी सामान्य क्षेत्र सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत हैं/रखे जा सकते हैं। वीडियो फुटेज तक पहुंच सुरक्षित होगी और कारागार के कम से कम अधीक्षक रैंक के अधिकारी की अनुमति से ही वीडियो फुटेज तक पहुंच कायम की जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरों और फुटेज के रखरखाव की जिम्मेदारी कारागार के अधीक्षक की होगी। उन तक किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की पहुंच नहीं होगी जो उनके लिए अधीकृत न हो।

कारागार भवनों के लिए मानदंड

8. यदि महानिरीक्षक (कारागार) की यह राय हो कि ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो कारागारों के वर्तमान ढांचे को इन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए कोई बड़ा ढांचागत परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। कारागार भवनों के निर्माण में निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए :

मुख्य दरवाजा और कारागार की बाहरी दीवार

9. सभी बंद कारागारों के मुख्य दरवाजे और दूसरे दरवाजे का न्यूनतम आयाम चौड़ाई में 3 मीटर और ऊंचाई में 4 मीटर रहेगा। मुख्य और पिछले दरवाजों का आयाम इतना चौड़ा होना चाहिए कि आग लगने की घटना के समय दमकल गाड़ी, बोरवेल की खुदाई के समय बोरवेल रिग, फैक्टरी और

राशन सामान के लिए गड्ढे/कच्चा माल ढोने के लिए लॉरी इन दरवाजों से गुजर सकें। दरवाजे मजबूत इस्पात फ्रेम के बनाए जाएंगे, फ्रेम में 25 मिलीमीटर व्यास या मोटाई के गोल या वर्गाकार सीधे इस्पात तार लगाए जाएंगे। प्रत्येक दरवाजे में कम से कम 0.6 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर ऊंचाई का विकिट गेट होगा। मुख्य दरवाजे और विकिट दरवाजों में अंदर से मजबूत ताले की व्यवस्था की जाएगी। दोनों दरवाजों पर आसानी से शटर खोलने और बंद करने की व्यवस्था रहेगी। दरवाजे 2.5 मीटर की ऊंचाई तक बाहर से आयरन शीट से कवर किए जाएंगे। विकिट दरवाजे पर झरोखे होंगे, जिन्हें निगाह जाने के स्तर तक ढक्कन से कवर किया जाएगा। मुख्य दरवाजे पर यदि सरकार द्वारा निर्धारित हो तो विभागीय ध्वज के जैसे रंग का रोगन किया जाएगा।

10. दरवाजे खोलना/बंद करना और दमकल गाड़ियों व ढुलाई वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए दो दरवाजों के बीच की जगह लंबाई में 16 मीटर और चौड़ाई में 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी :–

क) एक केबिन

ख) द्वारपाल का बाड़ा

ग) तलाशी कक्ष

घ) तलाशी व सुरक्षा उपकरणों के लिए जगह।

11. कारागारों में प्रवेश केवल एक ही जगह से रहेगा।

12. कारागार की बाहरी दीवारों का निर्माण :

(1) प्रत्येक कारागार की बाहरी दीवारें शीर्ष कोनों पर गोलाई में होंगी। टूटे शीशे या किसी प्रकार के प्रोजेक्शन पर कंबल या कपड़े की भी पकड़ नहीं बननी चाहिए। बाहरी दीवार के साथ विभाजक दीवार के प्रत्येक जंक्शन पर और बाहरी दीवार में प्रत्येक कोने पर, ऊंचाई में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी ताकि इन स्थानों पर बंदी द्वारा दीवार लांघने की संभावना को रोका जा सके।

(2) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ऐसी वस्तु जैसे कि (क) पेड़ की शाखाएं, (ख) लकड़ी के गट्टे, (ग) बनाया जा रहा फर्नीचर सामान और (घ) कोई अन्य वस्तु,

जिसके प्रयोग से बंदी द्वारा बच कर भागने की संभावना हो, खुले अहाते में बिखरी हुई या अनदेखी न रहे।

(3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बाड़े की दीवार, जाली या भवन के किसी अन्य भाग में कोई संरचनागत कमी नहीं होनी चाहिए जो भागने का इरादा रखने वाले बंदी का सहारा बन सकती है।

13. प्रशासनिक ब्लॉक और अन्य यूनिटें

(1) प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कारागार संकुल के अंदर उचित डिजाइन का प्रशासनिक ब्लॉक रहेगा।

(2) कारागार संकुल के अंदर एक न्यायालय कक्ष स्थापित किया जाए।

(3) प्रवेश यूनिट में प्रवेश–संगरोध और अभिमुखीकरण–श्रेणीकरण कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सुविधाएं होगी। भौतिक सुविधाएं प्राप्त होने वाले इन्मेट की संख्या और प्रकार तथा विभिन्न प्रकार के इन्मेट उचित रूप से अलग करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार स्थापित की जाएंगी। यूनिट में एक शयनशाला और एकल कक्ष प्रकार का आवास होगा। निम्नलिखित सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था की जाएगी :– (i) एक भवन, जहां इन्मेट प्रारंभ में प्राप्त किए जाएंगे, (ii) कार्यालय कक्ष, (iii) मुलाकात कक्ष, (iv) भंडार कक्ष, (v) चिकित्सा अधिकारी के लिए परीक्षण कक्ष,(vi) व्यायाम और मनोरंजन क्षेत्र और (vii) परीक्षण पहचान परेड रूम आदि। जिन भवनों, क्षेत्रों में प्रवेश कार्यक्रम किया जाना है, वे अस्पताल के नजदीक ही होंगे।

आवास

14. रहने के लिए आवास नीचे उल्लिखित अनुसार तीन प्रकार के होंगे :

(i) 20 बंदियों तक के लिए जगह के साथ बैरक। तथापि, यदि बड़े बैरक हों, जिसमें 20 बंदियों से अधिक रह सकते हैं, तो इस शर्त पर 20 बंदियों से अधिक रखने की अनुमति दी जाए कि प्रत्येक बंदी के लिए शयन की जगह साढ़े 6 फुट xढाई फुट होनी चाहिए। महानिरीक्षक (कारागार) नवोन्मेषी

और बढ़िया तरीके जैसे कि शयनगृह, बहुमंजिले भवन इत्यादि शुरू कर कारागारों से भीड़ कम करने की संभावना का पता लगाएंगे।

(ii) शिक्षा इत्यादि आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेसी की मांग करने वाले बंदियों के लिए एकल कक्ष आवास निरंतर अच्छा आचरण करने के आधार पर उपमहानिरीक्षक (रेंज) के आदेश से।

(iii) सुरक्षा और संक्रामक रोगों के संबंध में बंदियों को अलग करने के लिए कक्ष।

टिप्पणी :– भविष्य में, सभी कक्ष इस तरह से बनाए जाएं कि एक कमरे में 5 बंदियों से अधिक नहीं रखे जाएं और जिसमें प्रत्येक बंदी को प्राइवेट व चलने फिरने की जगह मिले।

15. यदि महानिरीक्षक (कारागार) की यह राय हो कि ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तो कारागारों के वर्तमान ढांचे को इन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए कोई बड़ा ढांचागत परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। प्रति बंदी, बैरक, कक्ष और अस्पताल की न्यूनतम आवास क्षमता साधारण रूप में निम्नलिखि पैमाने के अनुसार रहेगी :–

शयन के लिए बैरक			**कक्ष**			**अस्पताल**	
भू क्षेत्र का वर्ग मीटर	हवाक्षेत्र का क्यू. मीटर	पार्श्विक वायु संचार का वर्ग मीटर	भू क्षेत्र का वर्ग मीटर	हवाक्षेत्र का क्यू. मीटर	पार्श्विक वायु संचार का वर्ग मीटर	भू क्षेत्र का वर्ग मीटर	हवाक्षेत्र का क्यू. मीटर
3.71	15.83	1.12	8.92	33.98	2.23	5.58	23.75

16. हाउसिंग यूनिट में एक प्लेट लगाई जाएगी, जिस पर अधिकृत आवास का उल्लेख रहेगा। साधारणतः हाउसिंग यूनिट में बंद बंदियों की संख्या अधिकृत आवास से अधिक नहीं होगी।

17. एक अलग सुरक्षित स्टोरेज ख़ाना, जो बंदियों का निजी सामान रखने के लिए पर्याप्त हो, प्रत्येक बंदी को दिया जाएगा।

बैरक और कक्ष

18. यदि बैरक की छत समस्तर हो तो सीलिंग में वायु संचार व्यवस्था रहेगी, दीवार के जंक्शन के निकट अंतरालों पर खुली जगह और सीलिंग 30 x 12.5 मीटर। यदि बैरक की छत त्रिअंकी है तो मगरी पर वायु संचार व्यवस्था रहेगी। छत या सीलिंग की न्यूनतम ऊंचाई फर्श से 11 फुट से कम नहीं होगी।

19. बैरक/कक्ष का फर्श पक्की सामग्री जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट से बनाया जाएगा। सर्दी के मौसम में बैरक में रहने लायक हालात सुनिश्चित करने के लिए उचित फर्श होना चाहिए।

20. सभी बैरक में यदि संभव हो, बरामदा बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 2 मीटरसे कम न हो।

21. प्रत्येक कक्ष से लगा हुआ एक अहाता होगा, जहां बंदी पर्याप्त हवा व प्रकाश का लाभ उठा सकते हैं। बैरक/कक्ष पर्याप्त हवादार होगा और उचित वायु संचार रखा जाएगा। यद्यपि शयन के लिए बैरक का वायु संचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तथापि बंदियों को खिड़कियां या वायु संचार खुली जगह अपनी मर्जी से शटर या पर्दे से बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगीी। नए बैरकों में प्रति व्यक्ति वायु संचार क्षेत्र खिड़की से आधा होगा। एक मानक जालीदार खिड़की 7 फुट x साढ़े तीन फुट आकार की होती है, अतः खिड़की का आधा का अर्थ है 1 वर्ग मीटर। तथापि, जहां भी आवश्यक हो, वायु संचार को मौसम के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, अन्यथा सर्दी और बारिश के मौसम में बैरक बहुत ठंडे और बहुत सीलनभरे होंगे।

22. जहां आवास में बहुत भीड़ हो और निर्धारित मानदंड पूरे न होते हों, तो रात्रि के दौरान सुरक्षित कॉरीडोर/बरामदा और कार्य के लिए शेड्स छोटे व फुटकर अपराधों में शामिल अल्पावधि बंदियों और परीक्षण अधीन के आवास के लिए प्रयोग किए जाएं। यदि किसी कारागार में अधिक भीड़ बने रहने की संभावना हो तो अधिक संख्या के बंदी कारागार महानिरीक्षक के पूर्वानुमोदन से अन्य संस्था या शिविर में, यथास्थिति स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

23. बच कर भागने को रोकने के उद्‌देश्य से बैरक के ताले और फिटिंग व फिक्सचर की संरचनागत व्यवस्था काफी सुरक्षित होगी। दरवाजे, खिड़कियों और वातायनों के मौजूदा लकड़ी के फ्रेम बदल कर लोहे/स्टील के फ्रेम लगाए जाएंगे। दरवाजों, खिड़कियों और वातायनों में लगने वाली लोहे की छड़ें 25 एमएम डायामीटर की होंगी और दो छड़ों के बीच स्पष्ट दूरी 7.5 सेंटीमीटर रहेगी।

24. एक बैरक में 2.2 x 1 मीटर का केवल एक दरवाजा होगा और सिंगल शटर ही रहेगा। बैरक के दरवाजे के लिए 1 मीटर का निर्बाध खुला क्षेत्र होगा। आयरन फ्रेम न्यूनतम 10 एमएम मोटाई के एंगल आयरन के बनाए जाएंगे।

25. बैरक की खिड़कियों और दरवाजों पर मक्खी/मच्छरों से बचाव के लिए तार जाली लगाई जाए। आवश्यक हो तो दरवाजों पर पोलिथिन शीट या चिक पर्दे भी लगाए जाएंगे।

26. पर्याप्त कृत्रिम लाइट की व्यवस्था की जाएगी ताकि संध्याकाल के बाद बंदी अपने बैरक में किसी परेशानी के बिना कार्य कर सकें और पढ़ सकें।

27. प्रत्येक वार्ड में प्रथम चिकित्सा किट रहेगी जो गार्ड कक्ष में गार्ड की अभिरक्षा में रखी जाएगी। प्रत्येक वार्ड को दी गई प्रथम चिकित्सा किट में कोई तेज धार वस्तु, लंबे गेज के रोल/टेप या अन्य ऐसी वस्तुएं नहीं होनी चाहिएं। प्रत्येक वार्ड में एक स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सी रहेगी।

28. बंदियों द्वारा प्रयोग करने के लिए पीवीसी का बनाया गया दर्पण प्रत्येक बैरक के बाहर लगाया जाए।

29. बैरक/कक्षों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली संस्थापित की जाए।

30. बैरक तम्बाकू, धूम्रपान और अत्यधिक शोर–शराबे से मुक्त रखे जाएंगे।

शौचालय

31. प्रत्येक कक्ष/बैरक में एक फ्लॅश शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

32. सोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक बैरक में पर्याप्त संख्या में साथ लगे हुए डब्ल्यूसी, यूरिनल और धुलाई स्थान

रहेंगे। ऐसे डब्ल्यूसी का अनुपात प्रत्येक 5 बंदी एक यूनिट होगा। डब्ल्यूसी, जो दिन में प्रयोग किए जा सकते हैं, का अनुपात प्रति 6 बंदी एक यूनिट रहेगा।

33. शौचालय फ्लशिंग सुविधा के साथ स्वच्छता आधारित होंगे, मानक आकार 5 फुट x 5 फुट (लंबाई और चौड़ाई) होगा। वे एक मजबूत आधार पर रखे जाएंगे जो चारों ओर जमीन से ऊंचे रहेंगे और इस प्रकार बनाए जाएंगे कि धूप आसानी से शौचालय में आ सके और बारिश का पानी बाहर रहे। शौचालयों को अलग करने वाले विभाजक इतने ऊंचे रहेंगे कि उचित प्राइवेसी बनी रहे। शौचालय इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे कि सभी मल मूत्र और धुलाई का पानी इसके लिए बने पात्र में चले जाएंगे और वहां दुर्गंध नहीं फैलाएंगे। प्रत्येक सीट पर पक्के तल के साथ पायदान रहेंगे, जो सही स्थिति में रहेंगे और एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं। जैसा कि हाथ से मैला सफाईकर्मी कार्य का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 में प्रावधान है, बंदियों को सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपेक्षित उपकरण और सामग्री प्रदान किए जाएंगे। जो बंदी सफाई और झाड़ू लगाने के कार्य में लगे हैं, उन्हें अर्द्धकुशल और कुशल बंदियों की तरह मजदूरी दी जाएगी।

34. प्रत्येक बैरक में, जहां दो शौचालय हैं, एक वेस्टर्न टाइप का होना चाहिएं अस्पताल में 50 प्रतिशत शौचालय वेस्टर्न टाइप होने चाहिए। बंदियों के सभी शौचालयों में, जहां तक संभव हो, ऐसे कमोड लगाए जाएं जो भारतीय और वेस्टर्न शौचालय दोनों के लिए उचित रहें।

स्नानघर

35. प्रत्येक कारागार स्नान के लिए प्रति दस बंदियों पर एक की दर पर ढकी हुई जगह की व्यवस्था करेगा और प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंध करेगा। प्रत्येक स्नान घर का मानक आकार 5 x 5 मीटर (लंबाई और चौड़ाई) होना चाहिए। जलवायु स्थितियों के अनुसार प्रत्येक बंदी के लिए यह अपेक्षित होगा कि सामान्य सफाई के लिए प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान करे।

36. यह ध्यान में रखते हुए कि एक व्यक्ति की पानी की दैनिक जरूरत लगभग 135 लीटर है, प्रत्येक कारागार में पानी की पर्याप्त लगातार आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। यदि संभव हो, कम लगात को ध्यान में रखते हुए नए कारागार वर्षा जल भूसंग्रहण और जल रिसाइकलिंग की व्यवस्था करेंगे।

37. प्रत्येक कारागार जल आपूर्ति के लिए एक स्वतंत्र पूरक व्यवस्था करेगा।

38. सभी कारागार भवनों में वर्षा जल भूसंग्रहण प्रणाली और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए।

रसोई

39. आम रसोई सामान्यतः कारागार के अंदर मध्य स्थान पर स्थित होगी ताकि बंदियों में भोजन का वितरण तेजी से पूरा किया जा सके। रसोई सोने के लिए बने बैरक के निकट नहीं बनाई जाएगी। इसमें वायु संचार और प्रकाश व्यवस्था अच्छी रहेगी। इसे हमेशा साफ सुथरा व व्यवस्थित रखा जाए। चूल्हा इस प्रकार का होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाए। गर्माहट बाहर न निकले और धुआं उपयुक्त चिमनी से बाहर निकाल दिया जाए। रसोई के चारों ओर से मक्खियों से बचाने के लिए जाली लगाई जाएगी। पर्याप्त संख्या में एग्जास्ट फैन लगाए जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम वायु संचार की व्यवस्था की जाए। रसोई में फ्लाई प्रूफ स्वतः बंद होने वाले दरवाजे लगाए जाएं। फर्श पक्की सामग्री से बने हुए होंगे। प्रत्येक किचन शेड में पर्याप्त शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाएगी, जो खाना पकाने और धुलाई दोनों कार्यों के लिए प्रयोग किया जएगा। किचन के अंदर नलों से पानी लिया जाएगा। यह वांछनीय है कि किसी एक रसोई में 500 से अधिक बंदियों के लिए खाना न बने। खाना पकाने और खाने के लिए बर्तन स्टेनलेस स्टील के होंगे।

40. रसोई में न्यूनतम जगह प्रति 100 बंदियों के लिए 150 वर्गमीटर होगी। इसमें खाद्य सामग्री, सब्जियां, मसाले और बने बनाए खाद्य डिब्बे और खाना पकाने के बर्तन इत्यादि का भंडारण सुगम रहेगा।

41. कारागारों में भोजन करने के स्थान पर छत की व्यवस्था होगी ताकि बंदी छत के नीचे और प्लेटफार्म पर अपना भोजन ले सकें।
42. रसोई में कामगारों की दो शिफ्ट रहेंगी। कारागारों में जाति और धर्म के आधार पर भोजन पकाने और रसोई का प्रबंध करने की मनाही होगी।
43. रसोई कॉम्प्लेक्स में खाना पकाने इत्यादि के लिए नियोजित इन्मेट के रहने के लिए एक बैरक होगा।
44. किचन की दीवारों पर 2 मीटर की ऊंचाई तक टाइलें/पत्थर लगाए जाएंगे ताकि सरलता से सफाई हो सके।
45. रसोई में कार्य करने वाले बंदियों को उपयुक्त कपड़े जैसे कि अपरॉन, टोपी, ग्लव्ज़ इत्यादि दिए जाएंगे तथा बर्तन धोने व साफ करने के लिए पाक्षिक आधार पर 250 मिलीलीटर तरल साबुन व 250 मिलीलीटर डिटरजेंट भी दिए जाएंगे।
46. कारागार रसोई को एलपीजी/पीएनजी के प्रयोग से आधुनिक बनाई जाए। हॉट प्लेट, स्टीम कुकिंग, गूंधने की मशीन, चपाती बनाने की मशीन, खाना गर्म रखने वाली मशीन, मिक्सर और ग्राइंडर इत्यादि भी प्रयोग किए जाएंगे।
47. रसोई में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंस्टाल किए जाएं।

अस्पताल

48. यदि महानिरीक्षक (कारागार) की यह राय हो कि ऐसा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है तो कारागारों के वर्तमान ढांचे को इन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए कोई बड़ा ढांचागत परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। प्रत्येक कारागार में अंतरंग रोगी के रूप में इलाज के लिए आवश्यक संख्या में बिस्तर सहित अलग अस्पताल होंगे, जिसमें महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड होंगे। सभी केंद्रीय और जिला कारागारों को अधिकृत इन्मेट संख्या के 5 प्रतिशत के लिए अस्पताल की जगह दी जाए। अस्पताल का स्थान बैरक से यथा संभव दूर होगा। प्रत्येक अस्पताल वार्ड का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि पर्याप्त धूप व हवा आ सके। फर्श और दीवारें पक्की सामग्री से बनाए जाएंगे। अस्पतालों में पोलिथिलीन शीट, मक्खियों से बचाव के लिए जाली और

मक्खियों से बचाव के लिए स्वतः बंद होने वाले दरवाजों की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड में साथ लगे हुए शौचालय बनाए जाएं ताकि बीमार बंदियों को उनके प्रयोग के लिए दूर चल कर जाना न पड़े। अस्पतालों में पेयजल की लगातार आपूर्ति की व्यवस्था रहेगी।

49. कारागार अस्पताल कारागार के मुख्य दरवाजे के निकट स्थित होंगे, अस्पताल के लिए जगह में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

क) रोगियों के लिए वार्ड

ख) प्रत्येक पांच रोगियों के लिए एक की दर से शौचालय और स्नानघर की सुविधाएं।

ग) अस्पताल में फर्नीचर और उपकरणों के लिए भंडार कक्ष।

घ) मरहम पट्टी व इंजेक्शन कक्ष।

ङ) छोटी सर्जरी के लिए कक्ष।

च) एक्स–रे प्रयोगशाला के लिए कक्ष।

छ) चिकित्सा अधिकारी के लिए कक्ष।

ज) संक्रामक व छूट के रोगों (जैसे कि टीबी, कुष्ठ रोग और एचआईवी/एड्स) के रोगियों को रखने के लिए पृथक कमरे।

झ) मनोरोगियों को रखने के लिए पृथक कमरे।

ञ) फीजियोथेरेपी के लिए कक्ष।

ट) सेंपल लेने के लिए केंद्र।

ठ) दंत चिकित्सा कक्ष।

50. कारागार अस्पतालों में पर्याप्त अग्नि शमन प्रणालियां लगाई जाएंगी।

कार्यशालाएं

51. जिन क्षेत्रों में बंदी काम करते हैं वहां कारागार में प्रति बंदी न्यूनतम स्थान 500 घन फुट होना चाहिए, और यह स्थान ऐसे ढांचे के अंतर्गत होना चाहिए, जिसका निर्माण कार्यशाला या फैक्टरी भवन के रूप में किया जाएगा; और उसमें सक्षम वायुसंचार के लिए फ्लोर एरिया का 20 प्रतिशत विंडो एरिया होना चाहिए। परन्तु यह उद्योग विशेष अथवा स्थान के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले पविर्तनों के अधीन होगा।

जहां तक संभव हो सके कार्यशालाएं प्रवेश–द्वार नियंत्रण और सुरक्षा के लिए एकल प्रांगण में ही होने चाहिए।

52. कार्यशालाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से बचाव के समुचित ऐहतियाती उपाय होने चाहिए, जिनमें कार्यशाला के भीतर प्रथम चिकित्सा किट का प्रावधान शामिल है जो एक अधिकृत बंदी की अभिरक्षा में रखा जाए।

53. कार्यशाला में समुचित सुरक्षा प्रणालियां लगाई जाएंगी।

मनोरंजनात्मक सुविधाएं

54. समुचित मनोरंजनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे आउटडोर खेलों के लिए ग्राउंड, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ओडिटोरियम, पुस्तकालय की व्यवस्था यथासंभव की जानी चाहिए। इसके अलावा इंडोर गेम्स, योग, संगीत कक्षाएं, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिता, वार्षिक खेल, कारागार ओलिम्पिक्स और एथलेटिक्स, फुटबाल, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसी गतिविधियों का आयोजन यथासंभव किया जाना चाहिए और स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अध्याय – 3
मुख्यालय संगठन

55. कारागार प्रशासन की प्रभावात्मकता अधिकांशतः विभिन्न संस्थाओं में देखरेख और साक्षरता की गुणवत्ता पर और उनमें कार्यक्रम लागू करने पर निर्भर करती है, जो कि विभिन्न पदानुक्रमों पर नियोजित की गई श्रम शक्ति पर निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि संगठनात्मक ढांचे की योजना सावधानीपूर्वक बनाई जाए और निरंतर उसकी समीक्षा की जाए ताकि सेवा प्रदान करने में हुई कमियों की पहचान और समीक्षा की जा सके। इस उद्देश्य के साथ, कारागारों और सुधारात्मक सेवा विभाग का ढांचा और संगठनात्मक पदानुक्रम इस अध्याय में निर्धारित किया गया है।

56. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) का गृह विभाग इस क्षेत्र में सेवाओं के लिए जिम्मेदार विभाग है अतः इसे देखते हुए कारागार और सुधारात्मक सेवाएं इस विभाग के नियंत्रण के अधीन रहेंगी।

57. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किया गया महानिरीक्षक, सरकार के नियंत्रण और सामान्य देखरेख में अपने कार्य करेगा और अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अधिनियम और इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किए गए अन्य सभी अधिकारी महानिरीक्षक के नियंत्रण, निर्देश और देखरेख के अधीन कार्य करेंगे। सरकार के नियंत्रण के आधार पर, महानिरीक्षक सामान्य वित्तीय नियमावली और अन्य नियमावलियों के प्रावधानों तथा इस संबंध में सरकार के अनुदेशों के अनुसार कारागारों की निधि के खातों और व्यय के संबंध में विभाग प्रधान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

58. मुख्यालय स्तर पर दो मुख्य स्कंध होंगे :– (i) कार्यपालक स्कंध, और (ii) सुधारात्मक स्कंध।

59. महानिरीक्षक की समग्र देखरेख के अधीन कार्यपालक स्कंध का प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा, जो अपर महानिरीक्षक और समकक्ष रैंक से नीचे न हो और कारागार विभाग से विभिन्न रैंकों के अधिकारी ऐसे अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

60. महानिरीक्षक की समग्र देखरेख के अधीन सुधारात्मक स्कंध का प्रधान उप महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होगा, जिसके सहयोग के लिए रहेंगे निवासी चिकित्सा अधिकारी, अधीक्षक–मुख्यालय और मुख्य कल्याण अधिकारी। इस स्कंध का सहयोग वे गैर–सरकारी संगठन भी करेंगे, जो बंदियों के पुनर्वास और कौशल प्रशिक्षण देने के कार्य में लगे हुए हैं। सुधारात्मक स्कंध में निवासी चिकित्सा अधिकारी, कल्याण अधिकारी और अन्य अधिकारी अन्य विभाग और संस्था से प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण करके नियुक्त किए जाएंगे।

61. इस अध्याय और अध्याय 4 सहित इन नियमों के प्रावधानों में जहां कहीं नए पदों के सृजन अथवा संवर्ग पुनर्गठन की आवश्यकता होगी और उस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग/सेवाएं विभाग/वित्त विभाग/योजना विभाग की सहमति/परामर्श अपेक्षित होगा, तो उक्त प्रावधान तभी लागू होगा जब अपेक्षित सहमति/परामर्श संबद्ध विभाग से ले लिया जायेगा।

मुख्यालय स्टाफ के घटक

62. कारागार और सुधारात्मक सेवा विभाग के मुख्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार होगा :–

क) कारागारों और सुधारात्मक सेवाओं का महानिरीक्षक

ख) कारागारों और सुधारात्मक सेवाओं का अपर महानिरीक्षक

ग) कारागारों (मुख्यालय/रेंज/सतर्कता/सुधारात्मक सेवा) का उप–महानिरीक्षक।

घ) अधीक्षक (मुख्यालय/प्रशासन/शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/सुधारात्मक सेवा)

ङ) सहायक निदेशक अथवा समकक्ष रैंक (उद्योग)

च) निवासी चिकित्सा अधिकारी

छ) कल्याण अधिकारी (मुख्यालय)

ज) मनोविज्ञानी

झ) विधि अधिकारी

ञ) तथ्यात्मक सूचना और आंकड़े निरंतर प्राप्त करने, व्याख्या और प्रस्तुति करने तथा कम्प्यूटर बैक–अप रखने के लिए सांख्यिकी अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)।
ट) उप लेखा नियंत्रक
ठ) उप अधीक्षक (मुख्यालय)
ड) सहायक अधीक्षक (मुख्यालय)
ढ) कार्यालय अधीक्षक
ण) सिस्टम विश्लेषक / प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर
त) मुख्य लिपिक
थ) उच्च श्रेणी लिपिक
द) निम्न श्रेणी लिपिक
ध) आशुलिपिक
न) डाटा प्रविष्टि परिचालक / कम्प्यूटर परिचालक
प) परिचारक
फ) अन्य सहायक स्टाफ

कारागारों के महानिरीक्षक के प्राधिकार और शक्तियां

63. महानिरीक्षक के समाान्य कार्य इस प्रकार होंगे :–

i. सरकार द्वारा निर्धारित की गई कारागार नीति को लागू करना।
ii. विभिन्न कारागार और सुधारात्मक सेवाओं की योजना बनाना, आयोजन, दिशा–निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण।
iii. कारागार कार्मिक के कार्यों को परिभाषित करना और उनकी कमांड के चैनल और प्राधिकार के स्तर निर्धारित करना।
iv. देखभाल, कल्याण, प्रशिक्षण और इन्मेट का इलाज, स्टाफ प्रशिक्षण, अनुशासन और कल्याण इत्यादि के विशेष संदर्भ में संस्थाओं का निरीक्षण करना।
v. जेलों के सुचारू संचालन की दृष्टि से विभिन्न सरकारी एजेंसियों / अर्द्ध सैन्य बलों से समन्वय करना।
vi. अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य की देखरेख करना ताकि वे दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 के अनुसार और इन नियमों के अधीन अपनी ड्यूटी निभाएं।

vii. यह सुनिश्चित करना कि कारागार के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यादि के निर्देश संबंधित अधिकारी द्वारा पूरी तरह लागू किए जा रहे हैं।

viii. यह सुनिश्चित करना कि स्टाफ के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था है।

ix. यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न जेलों के कार्य संचालन में एकरूपता लाने के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।

x. यह सुनिश्चित करना कि दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 दिल्ली कारागार नियम और अन्य विधानों के प्रावधान सही भावना से लागू किए जाते हैं।

64. विभाग के प्रधान के रूप में, महानिरीक्षक के पास सभी आवश्यक वित्तीय, प्रशासनिक और अनुशासनिक शक्तियां रहेंगी।

65. महानिरीक्षक अपने नियंत्रण के अधीन विभिन्न सेवाओं के लिए बजट तैयार करेंगे। महालेखाकार की उपयुक्त संविधियों के अंतर्गत अपेक्षाओं और सरकार के आदेशों और नियमों के आधार पर, महानिरीक्षक कारागार और सुधारात्मक सेवा विभाग के व्यय का नियंत्रण करेंगे। नियमों के प्रावधानों के आधार पर, विशेष स्वरूप के खर्च पूरे करने के लिए महानिरीक्षक के पास पर्याप्त अनुदान राशि उपलब्ध रहेगी। महानिरीक्षक विभाग में कार्मिकों का प्रबंधन करेंगे और स्टाफ के पुनर्नियोजन की शक्तियों सहित, अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

66. महानिरीक्षक सार्वजनिक अवकाश के दिनों सहित किसी दिन बंदियों से मुलाकात की अनुमति दे सकते हैं अथवा बंदियों के कल्याण के लिए जन समारोह आयोजित कर सकते हैं।

महानिरीक्षक द्वारा कारागारों का निरीक्षण

67. महानिरीक्षक की राय में जिन मामलों को सरकार के नोटिस में अविलम्ब लाना हो, उन मामलों के संबंध में, जैसा कि नियमों में प्रावधान है, निरीक्षण के दौरान महानिरीक्षक द्वारा

बनाए गए निरीक्षण नोट की प्रति वे सरकार को अग्रेषित करेंगे।

68. महानिरीक्षक ऐसे सांख्यिकीय और अन्य विवरणों, विवरणियों और सूचना के साथ, और ऐसे फार्म में, जो सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे, कारागारों के प्रशासन से संबंधित एक रिपोर्ट प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद प्रस्तुत करेंगे।

अपर महानिरीक्षक की शक्तियां और ड्यूटी

69. अपर महानिरीक्षक 'महानिरीक्षक के कार्यालय' के प्रमुख स्टाफ अधिकारी होंगे और महानिरीक्षक की छुट्टी पर होने या दिल्ली से बाहर ड्यूटी पर या अन्यथा अनुपस्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, महानिरीक्षक के रूप में स्थानापन्न होंगे और उनकी सभी ड्यूटी करेंगे।

70. अपर महानिरीक्षक बजट व्यय, खरीद, संविदाओं और कारागारों से संबंधित अन्य ऐसे मामलों के प्रभारी रहेंगे, परंतु वे सरकार की पूर्वानुमति के बिना एक उप–शीर्ष से दूसरे किसी निधि का पुनर्विनियोजन नहीं करेंगे।

71. अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, अपर महानिरीक्षक की निम्नलिखित ड्यूटी होंगी:–

(क) कारागार के वित्तीय कार्य, ऑडिट रिपोर्ट और सभी प्रकार के धनराशि लेनदेनों का निरीक्षण करना;

(ख) बंदियों को दिए गए फर्लो और पैरोल के सभी मामलों की ध्यानपूर्वक जांच और समीक्षा करना;

(ग) कारागार अस्पताल सहित प्रत्येक कारागार का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना और महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(घ) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, सत्र न्यायालयों से संबंधित विधिक मामलों व अन्य विधिक मामलों की देखरेख करना;

(ङ) सभी एनएचआरसी मामलों, संसद और विधान सभा प्रश्नों, सांख्यिकी संकलन और सरकार को विभिन्न आवधिक रिपोर्टें समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में कार्रवाई करना;

(च) सरकार को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(छ) तमिलनाडु विशेष पुलिस, दिल्ली सशस्त्र पुलिस, केंद्रीय अर्द्ध सैन्य बलों तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय करना;
(ज) नीतियां बनाने, प्रस्तावों के लिए प्रारूप तैयार करना;
(झ) प्रेस और मीडिया से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना;
(ञ) श्रेणी–घ कर्मचारियों को छोड़ कर कारागार कर्मचारियों के सतर्कता और अनुशासनिक मामलों पर कार्रवाई करना;
(ट) शस्त्रों का आबंटन और शस्त्रागार का रख–रखाव;
(ठ) स्टाफ के लिए प्रशिक्षण परियोजनाएं तैयार करना;
(ड) कारागारों को कम्प्यूटरीकृत करना;
(ढ) कारागारों के आधुनिकीकरण के लिए उपाय करना;
(ण) चिकित्सा और अर्द्ध–चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति के बारे में कार्रवाई करना;
(त) पीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य, भूमि अधिग्रहण और नए कारागारों के निर्माण की देखरेख करना।

72. अपर महानिरीक्षक और उप–महानिरीक्षक 'महानिरीक्षक' को सहयोग प्रदान करेंगे और जहां आवश्यक हो, सरकार के पूर्वानुमोदन से समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा उन्हें सौंपी गई ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसी सभी ड्यूटी करेंगे।

उप–महानिरीक्षक (मुख्यालय) की शक्तियां और ड्यूटी

73. उप महानिरीक्षक महानिरीक्षक के स्टाफ अधिकारी रहेंगे और समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा उन्हें सौंपी गई ड्यूटी करेंगे।

74. उप–महानिरीक्षक की अन्य ड्यूटी निम्नानुसार होंगी :–
क. अधीक्षक और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य संचालन की देखरेख करना;
ख.महानिरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षणों पर कार्रवाई में प्रगति की निगरानी करना;
ग. अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपे गए सभी कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
घ) वर्ष में कम से कम एक बार अथवा महानिरीक्षक (कारागार) के निर्देश के अनुसार कारागारों का निरीक्षण करना;

ङ. कारागार कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

च. महानिरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई कारवाई नोट करना और यदि अनुपालन न हुआ हो तो उसके कारणों की जांच–पड़ताल करना तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष शामिल करना। अनुपालन न करने के पर्याप्त कारण न होने पर, वह संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करेंगे और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए अग्रसर होंगे या करवाएंगे;

छ. महानिरीक्षक को छमाही रिपोर्ट (अप्रैल से सितंबर और अक्तूबर से मार्च) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कारागार कल्याण निधि से की गई गतिविधियों, उक्त निधि के प्रारंभिक शेष, निधि से संवितरण के ब्यौरे और निधि में अंतिम शेष का उल्लेख होगा;

ज. कारागार मुख्यालय और विभिन्न कारागारों में स्टाफ के नियोजन की देखरेख करना;

झ. आहार संबंधी और आहार से भिन्न मदें, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण और अन्य भंडार मदें प्राप्त करना;

ञ. कारागारों के वाहनों का रख–रखाव;

ट. कारागारों में उचित स्वच्छता और साफ–सफाई सुनिश्चित करना;

ठ. बाहर के अस्पताल के साथ संपर्क सहित कारागार अस्पताल, चिकित्सा निरीक्षण कक्ष और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की देखरेख करना;

ड. बंदियों के कल्याण और स्टाफ के अनुशासन के संबंध में सभी कारागारों से खुफिया जानकारी प्राप्त करना;

ढ. कारागार मुख्यालय की सुरक्षा और रख–रखाव तथा बंदियों का कल्याण;

ण. वर्ग–घ कर्मचारियों के अनुशासनिक मामले और सतर्कता मामले;

त. गैर–सरकारी संगठनों का नियोजन और पर्यवेक्षण;

थ. बंदियों द्वारा भेजी गई याचिकाओं से संबंधित जांच;

द. कारागारों की खरीद समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना;

ध. सामान्य प्रशासन, कारागार मुख्यालय की देखभाल व रख–रखाव, कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन की देखरेख करना और

न. कारागार स्टाफ के सभी स्थापना मामले।

सुधार कार्य संबंधी स्कंध

75. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी कारागारों में परिवीक्षा सेवाओं, कल्याण सेवाओं, शिक्षा संबंधी सेवाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण या कौशल विकास, समय पूर्व विमुक्ति, छुट्टी की सिफारिश, पुनरुद्धार सेवाओं, इत्यादि के लिए उप–महानिरीक्षक (सुधार संबंधी स्कंध) समग्र रूप से जिम्मेदार रहेंगे। सुधार संबंधी स्कंध में सभी अधिकारी संबंधित सभी मामलों में कारागार प्रशासन के प्रधान को सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी शक्तियां और ड्यूटी सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएंगी।

76. उप महानिरीक्षक (सुधाारात्मक सेवा) एकरूप कारागार कैडर से नहीं होंगे। उन्हें महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा समय–समय पर सुधार संबंधी स्कंध में अपेक्षित संख्या में नियोजित किए गए अधिकारी, जैसे वार्डर, मुख्य वार्डर, सहायक अधीक्षक, उप–अधीक्षक, अधीक्षक इत्यादि सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी शक्तियां और ड्यूटी सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएंगी।

रेंज/क्षेत्रीय मुख्यालय संगठन

77. दिल्ली कारागारों को सुविधाजनक रेंज/क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और रेंज में सुधार संबंधी संस्थाएं और वयस्क बंदियों व युवा अपराधियों के लिए कार्यक्रम उप महानिरीक्षक (कारागार) के प्रभार के अधीन रहेंगे। रेंज/क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक (कारागार) को निर्देश, नियंत्रण, निरीक्षण, देखरेख और मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित शक्तियों सहित महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंप कर पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी :–

क. अपने नियंत्रण के अधीन सभी संस्थाओं की विजिट करना और निरीक्षण करना;

ख. अपने अधिकार क्षेत्र में दोषी बंदियों को एक कारगार से दूसरे में स्थानांरित करना;

ग. महानिरीक्षक (कारागार) के पूर्वानुमोदन से धार्मिक और नैतिक ट्यूटरों को अनुमति प्रदान करने की शक्ति

घ. भारतीय शैक्षणिक संस्थान के विभाग प्रमुख की सिफारिश से शैक्षणिक और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए कारागार विजिट करने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीयता के विधि और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों तथा अनुसंधानकर्ताओं को अनुमति देने की शक्ति;

ङ. उप महानिरीक्षक वित्तीय संहिता के संबंधित प्रावधानों में उन्हें प्रदत्त सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

78. रेंज/क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक (कारागार) को अपेक्षित संख्या में स्टाफ और अधिकारी, जैसे वार्डर, मुख्य वार्डर, सहायक अधीक्षक, उप अधीक्षक, अधीक्षक इत्यादि सहयोग प्रदान करेंगे।

दोषियों के लिए कारागार एजेंसियां

79. कारागार विभाग को उप महानिरीक्षक (सुधारात्मक सेवा) के अधीन कारागार के दोषियों के लिए एक प्रशिक्षण और नियोजन कक्ष स्थापित करना चाहिए। ऐसे कक्ष बंदियों के कौशल/प्रतिभा की पहचान करके उन्हें मुक्त होने से छह महीने पहले कैरियर परामर्श देंगे।

अध्याय–4
कारागार कार्मिक

80. प्रत्येक कारागार में कार्मिकवहां की सुरक्षा, अनुशासन एवं कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे। कारागार कार्मिकों की संख्या हर वर्ग के कर्मचारी के लिए प्रतिदिन काम के घंटों के आधार पर निर्धारित होगी। कारागार में कार्यरत कर्मचारियों का ढांचा कारागार के आकार, बंदियों की संख्या, कार्यभार एवं कामकाज के बंटवारे के आधार पर निर्धारित होगा।

81. अभिरक्षा बंदीरक्षक स्टाफ की संख्या सुरक्षा, अनुशासन, कार्यक्रम के महत्व, ड्यूटी पद, कार्यभार एवं कामकाज के बंटवारे के आधार पर निर्धारित होगी। सैद्धांतिक तौर पर प्रत्येक छह बंदियों पर एक बंदीरक्षक होना चाहिए।

82. कारागार/संस्थागत कार्मिकों में निम्नांकित शामिल होने चाहिए :

I. कार्यकारी अधिकारी
क. अधीक्षक
ख. अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक–I
ग. उप अधीक्षक–II
घ. सहायक अधीक्षक

II. प्रहरी स्टाफ
क. प्रधान मुख्य कारापाल/प्रधान मुख्य आर्या
ख. मुख्य कारापाल/मुख्य आर्या
ग. कारापाल/आर्या

III. चिकित्साकर्मी
क. निवासी चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी
ख. मनोचिकित्सक
ग. नर्सिंग स्टाफ
घ. दवासाज

IV. कल्याण एकक
क. कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी

ख. विधि अधिकारी
ग. परामर्शदाता
घ. मनोवैज्ञानिक
V. शिक्षाकर्मी
क. शिक्षक
ख. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक
VI. तकनीकी कार्मिक
क. अनुदे”ाक
ख फोरमैन
ग. विद्युतकर्मी
घ. नलकार
ड. संगतराश
च. ड्राइवर
छ. मोटर मैकेनिक
ज. रसोइया
झ. बावर्ची
ञ. हज्जाम
ट. दर्जी इत्यादि

नोटः वित्तीय कमी के कारण यदि इन तकनीकी पदों का सृजन नहीं होता अथवा सृजन होने के बावजूद उन्हें भरे नहीं जाते तो उपयुक्त प्रहरी कार्मिकों को इन कार्यों के लिए प्र”ाक्षित किया जाना चाहिए एवं उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

VII. कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी
क. प्रशासनिक अधिकारी
ख. कार्यालय अधीक्षक
ग. उप–लेखा नियंत्रक
घ. लेखाकार
ड. स्टोर कीपर
च. रोकड़िया
छ. लेन–देन सहायक
ज. आशुलिपिक
झ. टंकक/डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
ञ. विविध स्टाफ

नोट : यदि वित्तीय संकट के कारण ये तकनीकी पद सृजित नहीं होते हैं और जहां सृजित होते हैं लेकिन भरे नहीं जाते हैं, तो इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

कारागार कार्मिकों की जिम्मेदारियां एवं कार्यः

83. कारागार/संस्थागत कार्मिकों के सांविधिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व कारागार के संचालन हेतु बने कानूनों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। कारागार कार्मिकों की संख्या सुरक्षा, अनुशासन एवं कार्यक्रम की जरूरतों के आधार पर निर्धारित होगी। कारागार/सांस्थानिक ढांचा संस्थान के आकार, बंदियों की संख्या, बंदियों की श्रेणियों, कार्यभार एवं कामकाज के बंटवारे के आधार पर तय किया जाएगा।

84. आपातकाल के दौरान रखवाली, सुरक्षा, अनुशासन एवं निदे"ाात्मक एवं नियंत्रण संबंधी कार्रवाई प्रत्येक स्टाफ सदस्य का मूलभूत कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है।

85. प्रत्येक स्टाफ सदस्य को उनकी आरंभिक नियुक्ति के समय कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं कामकाज की जानकारी लिखित में दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि संस्थान के कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, विनिमयों, एवं निर्दे"ाों की समय–समय पर व्याख्या की जाए।

86. प्रत्येक श्रेणी के कारागार कर्मी के लिए एक सुनियोजित एवं ठीक प्रकार से विनियमित/समय–सारणी तैयार की जानी चाहिए एवं किसी भी स्टाफ सदस्य को सामान्यतः एक दिन में आठ घंटे से अधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आमतौर पर हर कर्मचारी को सप्ताह में एक बार 24 घंटे की ऑफिस ड्यूटी मिले।

87. परन्तु, यदि किसी भी कर्मी (अराजपत्रित) को साप्ताहिक अवकाश के दिन एक वर्ष में **15** बार से अधिक किंतु **30** बार से कम बुलाया जाता है तो उसको **15** दिनों का वेतन प्रदान किया जाएगा एवं यदि एक वर्ष में कर्मचारी (अराजपत्रित) को

30 बार से अधिक बुलाया जाता है तो उन्हें 30 दिन के बराबर वेतन का भुगतान होना चाहिए।

कारागार/संस्थागत कार्मिकों के सामान्य कार्य, प्रकार्य एवं जिम्मेदारियां

I) कार्यकारी अधिकारी

यह सुनिर्"चत करना कि बंदी जिन मानवाधिकारों के हकदार हैं, उनका अतिक्रमण न हो एवं कैद की प्रक्रिया में सन्निहित सीमा तक सीमित रहें एवं यह सुनिश्चित करना कि कारागार के कार्यक्रम बंदियों के सुधार एवं संदर्भ में निहित कारावास के संपूर्ण उद्देश्य की ओर उन्मुख हों।

अधीक्षक

88. अधीक्षक, सरकार अथवा कारागार महानिरीक्षक एवं रेंज डीआईजी (कारागार) द्वारा जारी आदेश के अधीन रहते हुए, सुरक्षा, वित्त, अनुशासन, श्रम, व्यय, दण्ड एवं अन्य चीजों के अतिरिक्त सामान्य नियंत्रण समेत सभी मामलों में कारागार के कार्यकारी प्रबंधन का प्रधान होगा। इस प्रकार अधीक्षक एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कारागार प्रबंधन के प्रत्येक मामले में स्वभावतः सुधारात्मक एवं अनुकूल हो। वह कर्तव्यों, सुझावों, नियोजन, निर्देशन, समन्वय, निगरानी, मार्गदर्शन की देखरेख एवं कारागार की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करेगा।

89. अधीक्षक कारागार का प्रधान होगा एवं अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक–I, उप अधीक्षक–II, सहायक अधीक्षक, प्रधान कारापाल, कारापाल एवं अन्य तकनीकी एवं सहायक स्टाफ सहित अधीनस्थ अधिकारी उनकी सहायता करेंगे। अधीक्षक समय–समय पर प्राप्त आदेशों के अनुरूप एक केंद्रीय कारागार, जिला कारागार, आधी खुली कारागारों/खुली कारागारों एवं अन्य कारागारों की देखरेख कर सकता है।

अधीक्षक के कार्य

90. अधीक्षक को निम्नलिखित कार्य करने होंगेः–

(1) कारागार में बंद सभी बंदियों को किसी भी समय आवास, सहायता, देखभाल एवं अभिरक्षा सुनिश्चित करना एवं उन पर नियंत्रण रखना;

(2) बंदियों के बीच एवं अधीनस्थ कर्मचारियों में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाये रखना;

(3) कारागार से संबंधित समस्त व्यय पर नियंत्रण रखना;

(4) नियमों के अनुरूप बंदियों की कल्याण निधि का प्रबंधन करना;

(5) कारागार में होने वाले अपराधों एवं अनुशासन तोड़ने की घटनाओं की जांच कराना एवं उन सब लोगों को दण्ड देना जिन्हें कारागार में किसी अपराध अथवा अनुशासन भंग करने का दोषी पाया गया हो;

(6) सामान्य तौर पर बंदियों के यथोचित प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक अथवा समयोचित समझे जाने वाले सभी उपायों का ध्यान रखना एवं इस संबंध में सभी अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश एवं निर्देशों के प्रावधानों को लागू एवं कार्यरूप में परिणत करने के लिए कदम उठाना;

(7) यह सुनिश्चित करना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सीसीटीवी, कम्प्यूटर एवं प्रणाली तंत्र समेत सभी उपकरण भलीभांति काम कर रहे हैं एवं उनका सही उपयोग किया जा रहा है;

(8) बंदियों एवं स्टाफ के मनोविनोद, शिक्षा, खेलकूद, ध्यान एवं अन्य सहायक गतिविधियों के लिए उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराना;

(9) कारागार में बंदियों के वर्गीकरण, प्रशिक्षण, उपचार कार्यक्रमों एवं सुधारात्मक गतिविधियों की योजना बनाना एवं सुधारात्मक प्रशासन हेतु नीति का कार्यान्वयन करना;

(10) प्रत्येक कार्यदिवस पर कम से कम एक बार दोपहर से पहले एवं कम से कम एक बार दोपहर बाद कारागार का मुआयना करना और विशेष परिस्थितियों में रविवार व छुट्टीके दिन भी ऐसा करना। यदि किसी दिन कारणवश अधीक्षक दौरा करने में सक्षम न हो अथवा उसे किसी ऐसे दिन दौरा करने से रोका गया हो, जिस दिन उसे इस नियम के अंतर्गत

ऐसा करना था, तो वह इस तथ्य को एवं अपनी अनुपस्थिति के कारण को अपनी दैनिकी में दर्ज करेगा;

(11) सभी बंदियों की सुरक्षा एवं संरक्षा और सुरक्षित कारावास से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए बंदियों से बातचीत करना/मामलों पर ध्यान देना;

(12) सप्ताह में दो बार बंदियों के लिए मुख्य रसोई में, एवं सप्ताह में न्यूनतम तीन बार अस्पताल की रसोई में बने भोजन का परीक्षण करना;

(13) यह सुनिश्चित करना कि कूड़े के डिब्बे प्रतिदिन उठाये जाएं एवं कूड़ा इकट्ठा न हाने पाएं। आरोग्यता बनाये रखने के लिए कीटाणुनाशी का नियमित उपयोग हो;

(14) सप्ताह में कम से कम एक बार बंदियों की कैंटीन का निरीक्षण करना एवं इसके कामकाज को देखना;

(15) सप्ताह में न्यूनतम एक बार रात्रि में कारागार का दौरा करना एवं आश्वस्त होना कि यह ठीक प्रकार से सुरक्षित व संरक्षित है एवं बंदियों, कारापालों एवं कारागार के अधिकारियों से संबंधित अथवा उनसे जुड़े हुए सभी नियमों तथा आदेशों का एवं कारापालों व अधिकारियों द्वारा रात्रि में निभाए जाने वाले कर्तव्यों का भली प्रकार अनुसरण एवं पालन हो रहा है। रात्रि निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अपनी उपस्थिति में मुख्य द्वार पर अंदर आने वाले एवं बाहर जाने वाले कारापाल प्रहरी की तलाशी लेगा एवं परीक्षण करेगा;

(16) प्रत्येक बैरक, यार्ड, सेल, कार्यशाला एवं शौचालय के साथ–साथ शस्त्रागार एवं कारागार के प्रत्येक भाग एवं अहातों एवं इसके साथ में संलग्न अथवा संबंधित अथवा इससे जुड़े हुए अन्य सभी परिसरों का बार–बार दौरा करना एवं आश्वस्त होना कि सभी इमारतें, संरचनाएं, आसपास घिरी दीवारें सुरक्षित हैं एवं मरम्मत की बेहतरीन स्थिति में है और उक्त कारागार के अहातों व परिसरों का हर भाग साफ एवं प्रभावी रूप से निर्मल एवं स्वच्छ है;

(17) कारागार के अस्पताल दवाखाने का बार–बार दौरा करना एवं रोग से पीड़ित अथवा संभावित रूप से पीड़ित या पीड़ित होने का संदेह होने पर बीमारी के आधार पर बंदियों

के विभाजन पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित में दी गई सलाह को लागू करना। वह जब भी आवश्यक हो बगैर देरी किये हर समय ऐसे किसी भी बंदी द्वारा इस्तेमाल स्थान एवं उस स्थान को विसंक्रमित करने के लिए धुलाई, धूमन अथवा अन्य तौर तरीकों से या नष्ट कर, सर्वथा उचित ढंग से, उपयोग किये हुए कपड़े, बिस्तर या अन्य दूषित या संक्रमित अथवा ऐसी सामग्री जिस पर दूषित या संक्रमित होने का संदेह या विश्वास हो, को स्वच्छ एवं विसंक्रमित करने के लिए सभी यथोचित कदम उठाना;

(18) किसी बंदी के स्वास्थ्य के बारे में अदालत द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कराना;

(19)गैर–सरकारी संगठनों को स्वयंसेवा के आधार पर बंदियों के सुधार में भागीदार बनने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना;

(20)बंदियों के लिए पंचायत प्रणाली को प्रोत्साहन देना एवं आयोजित करना जिसमें उनके प्रतिनिधियों को चिकित्सा सहायता के प्रबंधन, शिक्षा, भोजन बनाने, स्वच्छता, अनुशासन एवं अन्य इच्छित क्षेत्रों में सहभागिता की गतिविधियों में हिस्सा लेने की आवश्यकता होती है, बंदियों पर कोई स्वतंत्र पर्यवेक्षी नियंत्रण निर्दिष्ट किये बिना इन गतिविधियों में सहभागिता हेतु उनका प्रोत्साहन करना;

(21)यह सुनिश्चित करना कि गंभीर रूप से बीमार बंदियों के मामले संबंधित निचली अदालत के समक्ष उठाये जाएं ताकि वह अदालत से रिहा हो पाएं;

(22)बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा सुनि"चत करना;

(23)गुप्त एवं गोपनीय दस्तावेजों की रखवाली;

(24)कार्यालय प्रशासन का पर्यवेक्षण;

(25)कार्य, रोजगार एवं उत्पादन कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण;

(26)कार्मिक मामलों, कर्मचारी कल्याण एवं अनुशासन, अधीनस्थ कर्मचारियों को ड्यूटी का आवंटन, कारागार कार्मिकों की सुरक्षा, मानवीय प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की रक्षा

एवं कामकाज का श्रेष्ठ वातावरण उपलब्ध कराना, कारागार कार्मिकों को सुधारात्मक प्रशासन की मौजूदा नीतियों से अवगत कराना एवं कल्याण राज्य में उनकी भूमिका से अवगत कराना कारागार के स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

(27) इस उद्देश्य हेतु महानिरीक्षक एवं अन्य सरकारी एजेंसियों को रिपोर्ट करना;

(28) कारागार में ऐसा वातावरण निर्मित करना जो सुधारात्मक भूमिका के लिए उपयुक्त हो और कारागार प्रबंधन से संबंधित हर पहलू में नेतृत्व प्रदान करना;

(29) बंदी कल्याण निधि, कैंटीन निधि, कर्मचारी कल्याण निधि, बंदियों का सम्पत्ति खाता एवं अन्य सभी निधियों का वर्ष में एक बार लेखा परीक्षण करवाना;

(30) अधीक्षक भंडार के प्रत्येक वस्तु का छह महीने में कम–से–कम एक बार जांच करेंगे एवं अपनी टिप्पणी को भंडार पंजिका में प्रविष्ट करेंगे कि किसी तय तिथि पर जांच की गई धनराशि सही थी अथवा नहीं, एवं यदि कोई विसंगति थी तो वह उसे भी नोट करेगा। इस परीक्षण पर एक नोट भी उसकी दैनिकी में प्रविष्ट होना चाहिए एवं यदि विसंगतियां हैं तो वह उप महानिरीक्षक (रेंज) के संज्ञान में लाई जानी चाहिए;

नोट 1 :सामानों के परीक्षण का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अधीक्षक एक तिमाही में आधा परीक्षण करे एवं यही उप अधीक्षक दूसरी तिमाही में करे एवं विलोमक्रम से यह प्रक्रिया जारी रहे। इस प्रकार हर सामान का अधीक्षक या उप अधीक्षक द्वारा तीन महीने में एक बार परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण का प्रमाणपत्र उप महानिरीक्षक (रेंज) के जरिये हर वर्ष **1** जनवरी एवं **1** जुलाई के तुरंत बाद महानिरीक्षक के पास जमा किया जाएगा। अधीक्षक को पद भार ग्रहण करते समय स्टोर की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी किंतु उसको यह देखने के लिए किताबों को जांचना चाहिए कि आधे वर्ष में किन वस्तुओं को उसके पूर्ववर्ती ने नहीं जांचा एवं

वर्ष की शेष अवधि के दौरान उन सामानों की जांच की जानी चाहिए।

नोट 2:यदि किसी भी स्टोर में जांच के परिणामस्वरूप अथवा महालेखापाल, दिल्ली द्वारा लेखा–परीक्षण रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कमियां पाई जाती हैं तो अधीक्षक कमियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा एवं अपनी अनुशंसाओं के साथ महानिरीक्षक को आदेश जारी करने हेतु रिपोर्ट सौंपेगा।

(31) अधीक्षक हाजिरी एवं निरीक्षण के लिए कारागार में बंदियों की साप्ताहिक परेड आयोजित करवाएगा। परेड आमतौर पर प्रत्येक सोमवार को होगी। ऐसी परेड के समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित होंगे। प्रत्येक परेड में अधीक्षक खुद को आ"वस्त करेंगे कि–

(क) प्रत्येक बंदी नियमों के अनुरूप ठीक प्रकार से वर्गीकृत है;

(ख) प्रत्येक बंदी को नियमों के अनुरूप समुचित वस्त्र, बिस्तर एवं बर्तन मुहैया कराए गए हैं;

(ग) प्रत्येक बंदी व्यक्तिगत रूप से एवं वस्त्रों से स्वच्छ है;

(घ) वॉर्ड में यथोचित स्वच्छता एवं आरोग्यता बनाये रखी गई है;

(ङ) वॉर्ड में कहीं भी ढीले विद्युत कनेक्शन अथवा अन्य फिटिंग नहीं हैं जिनका गैर–कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता हो;

(च) बंदियों के पास प्रतिबंधित सामग्री नहीं रखी है;

(छ) कारागार तोड़ने से बचाव हेतु या बंदियों के भागने या कारागार में अनुशासनहीनता रोकने के लिए सभी रक्षात्मक उपाय मौजूद हैं;

(ज) बंदियों द्वारा छूट संबंधी नियमों के प्रावधान समझ लिये गए हैं एवं हर बंदी स्वयं द्वारा अर्जित छूट, यदि ऐसा हो, की सीमा के बारे में जानता है;

(झ) बंदियों के लिए लागू नियम एवं आदेश सामान्यतया विधिवत कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ञ) बंदियों को प्राप्त कानूनी सहायता सुविधाएं समुचित रूप से दी जा रही हैं एवं उनकी याचिकाओं/ अपील प्रभावी ढंग से तैयार किया जा रहा है एवं भेजा जा रहा है;

(ट) बंदी की यदि कोई शिकायत करने की इच्छा हो तो उसको सुनेगा एवं उपयुक्त समय के भीतर उसकी जांच करेगा एवं तत्पश्चात उस पर आदेश जारी करेगा।

(32) अधीक्षक हर दिन न्यूनतम दो बार बंदियों की जांच एवं गिनती करवाएगा, यानी सुबह वॉर्ड खुलने के समय एवं शाम को बंदियों को बंद किये जाते समय;

(33) अधीक्षक सामान्यतया कारागार से संबंधित सभी कामकाज परिसर में ही पूरे करेगा, एवं आवश्यक एवं आपात मामलों को छोड़कर, उप अधीक्षक या सहायक अधीक्षक की इन परिसरों के परे एवं अतिरिक्त किसी भी स्थान पर उपस्थिति नहीं चाहेगा;

(34) अधीक्षक स्वयं के अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य कामकाज के विभाजन एवं हर अधिकारी को आवंटित कामकाज के प्रकार एवं परिमाण को दर्शाता हुआ आदेश पत्र, लिखित में, प्रविष्ट करेगा अथवा करवाएगाः

परन्तु यह उपबंधित है कि इस नियम के अंतर्गत किसी भी आदेश में किसी भी प्रकार से अधीक्षक के अधीन उप अधीक्षक को कारागार के संपूर्ण प्रबंधन के लिये उसकी सामान्य जिम्मेदारी से मुक्त करने की बात शामिल नहीं मानी गई है, अथवा उप अधीक्षक या किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को वर्तमान में लागू किसी भी कानून या नियम के अंतर्गत उस पर अधिरोपित दायित्व से मुक्त नहीं किया गया है।

नोट1: कारागार कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों के मध्य दायित्वों का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए ताकि अधीक्षक विवाद की कोई संभावना छोड़े बगैर, कारागार के रिकॉर्ड में त्रुटियों की जिम्मेदारी तय करने में समर्थ हो सकें। अधिशासी एवं लिपिक–विषयक कार्य के बंटवारे की एक प्रति कारागार कार्यालय में वि"िाष्ट स्थान पर संभालकर रखी जाएगी।

नोट 2:यह भी अधीक्षक का ही प्रयास होगा कि यदि उन्हें उचित लगे तो समय–समय पर कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों के मध्य दायित्वों के बंटवारे में आवर्तन सिद्धांत का इस्तेमाल करें।

(35) यदि उप अधीक्षक किसी असामान्य घटना, जिसमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो, की जानकारी दे तो अधीक्षक मामले की जांच के लिए कारागार हेतु तत्काल प्रस्थान करेंगे एवं आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाएंगे जो परिस्थितियों के अनुरूप आव"यक प्रतीत हों। अधीक्षक अपनी दैनिकी में मामले की रिपोर्ट प्रविष्ट करेगा।

(36) अधीक्षक ऐसी घटनाएं होते ही बेतार, दूरभाष या शीघ्र संचार के अन्य माध्यमों से उप महानिरीक्षक (रेंज) को रिपोर्ट करेंगे, इसके पश्चात विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे, यानीः–

क. कारागार में अनुशासन भंग करने के सभी गंभीर मामले;

ख. हर मामला जिसमें कोई बंदी भागा या भागने का प्रयास किया या पकड़ा गया या आत्महत्या की या गंभीर चोट लगने से मारा गया या ऐसी चोट लगी हो;

ग. बंदियों या कारागार अधिकारियों के बीच महामारी प्रकोप की सभी घटनाएं, या ऐसी बीमारी जिसके महामारी का रूप धारण करने की संभावना हो, एवं इसको फैलने से रोकने के लिए की गई कार्रवाई;

घ. अतिप्रजन के सभी गंभीर मामले एवं ऐसे अन्य सभी मामले जिन्हें महानिरीक्षक, समय–समय पर अपने विवेक से, सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, अधीक्षक द्वारा उसको रिपोर्ट किये जाने की आवश्यकता समझे;

ङ. कारण समेत कारागार अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु की सभी घटनाएं;

च. अदालतों द्वारा जारी सभी दिशानिर्देश/टिप्पणियां जिनका संबंध कारागार प्रशासन, प्रबंधन एवं कारागार कर्मचारियों से हो;

(37) महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक के कारागार के सभी दौरों में अधीक्षक साथ रहेगा।

(38) अधीक्षक हमे"ाा स्वयं द्वारा अथवा किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अथवा किसी भी समय स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी की देखरेख में, सरकार के या कारागार के लिए या वहां किसी भी समय बंद किसी बंदी के लिए एवं उस समय लागू नियम के अंतर्गत कारागार की देखभाल एवं प्रबंधन एवं वहां उस समय बंद बंदियों की देखभाल हेतु, उसके द्वारा प्राप्त धन एवं सम्पत्ति की चौकन्ना रहकर देखरेख व उस पर नियंत्रण करेगा। साथ ही वह इससे संबंधित हर प्रकार के कुल व्यय या उसके प्रभार में प्राप्त किए हुए किसी भी प्रकार के धन एवं ऐसी सभी रसीदों, खर्चों एवं सम्पत्तियों के खातों एवं दस्तावेजों का, उस समय प्रवृत्त सार्वजनिक खातों के प्रबंधन का नियमन करने वाले नियमों एवं आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप, नियमित रूप से लेखा परीक्षण कराएगा।

(39) अधीक्षक सभी गबन, हानियां या घाटे, जो उसके स्तर पर हुई किसी भी प्रकार की लापरवाही, अवज्ञा अथवा कदाचार के कारण हुए हों अथवा जिनसे उसका संबंध हो, के लिए जवाबदेह होगा।

(40) अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी की सभी लिखित सलाहों को कार्यरूप में परिणत कर सकता है, मसलन अतिरिक्त बिस्तर अथवा कपड़ों का प्रावधान अथवा किसी बंदी के आहार में परिवर्तन या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विचार में किसी ऐसे बंदी के उपचार या अनुशासन में परिवर्तन जिसके दिमाग या शरीर को इस फेरबदल की आवश्यकता हो।

(41) अधीक्षक सप्ताह में न्यूनतम दो बार एवं यदि जरूरी हुआ तो अक्सर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की दैनिकी को देखेगा।

(42) अधीक्षक इस उद्देश्य हेतु निर्धारित दैनिकी में कारागार में अनुशासन एवं प्रबंधन से संबंधित अपने आदेश को प्रविष्ट करेगा और आश्वस्त होगा कि ऐसे प्रत्येक आदेश का प्रभावी तौर पर पालन किया जाता है।

(43) यदि कोई अधिकारी किसी भी कारागार में अधीक्षक कार्यालय का प्रभार संभालने वाला है तो वह ऐसा करने से पहले आश्वस्त होगा कि सभी रिकॉर्ड एवं रजिस्टर सामयिक एवं उचित क्रम में हैं एवं नकद राशि, स्थायी अग्रिम राशि एवं खाते पूर्ण एवं विधिवत हैं। वह प्रभार ग्रहण करते समय या उसके एक माह के भीतर सामने आयीं खामियों, कमियों या अनियमितताओं, यदि को हों, पर एक लिखित नोट तैयार करेगा एवं उप–महानिरीक्षक (रेंज) के माध्यम से महानिरीक्षक को सूचना देगा।

(44) उप–अधीक्षक (I) अतिरिक्त अधीक्षक एवं उप–अधीक्षक (II) की रिपोर्ट बुक/दैनिकी को प्रतिदिन (या आवश्यक हुआ तो अधिक बार) अधीक्षक के सामने रखा जाएगा जो कि हर प्रविष्टि पर उसके आदेशों की पुष्टि करेगा और यदि कोई आदेश या टिप्पणी आवश्यक न हो तो अपना आद्याक्षर संलग्न करेगा।

(45) अधीक्षक, समय–समय पर, नियमित रूप से यथासमय उप–महानिरीक्षक (रेंज) के पास निम्नांकित दस्तावेज जमा करेगाः–

(क) सांख्यिकीय सूचना का विवरण;

(ख) बंदियों की रसीदें, व्यय, सम्पत्ति, कैंटीन निधि, कर्मचारी कल्याण निधि एवं बंदी कल्याण निधि का लेखा–जोखा;

ग) रिपोर्ट एवं अन्य सूचना, जो वह अधिकारी, किसी भी समय, इस बारे में सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से नियत करे अथवा इनमें से किसी भी नियम के प्रावधानों या सरकार के आदेशों के द्वारा आवश्यक हो;

घ) कारागार की कार्यप्रणाली के बारे में हर माह उसका व्यक्तिगत संपूर्ण आकलन।

(46) अधीक्षक हर वर्ष में जब भी सुलभ हो, संभवतः वर्ष की समाप्ति के बाद, किंतु जनवरी के इकत्तीसवें दिन के बाद नहीं, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कारागार के प्रशासन के बारे में उप–महानिरीक्षक (रेंज) को एक रिपोर्ट सौंपेगा। ऐसी हर रिपोर्ट ऐसे सांख्यिकीय एवं अन्य वक्तव्य एवं विवरण समेटे इस

स्वरूप में होगी कि महानिरीक्षक समय समय पर इसके आधार पर आदेश दे सकेः

परन्तु ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान कारागार में हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख और खुलासा हो तथा रिपोर्ट के वर्ष और उससे पूर्ववर्ती वर्ष के बीच वित्तीय एवं अन्य आंकड़ों में सभी प्रमुख अंतरों का ब्योरा भी हो।

(47) अधीक्षक कारागार हेतु स्वयं के नियंत्रण एवं देखरेख में एक आकस्मिक योजना तैयार करेगा जिसमें बंदी के भागने, कारागार में अनुशासन के गंभीर उल्लंघन, आग, भूकम्प, बाहरी हमले, बचाव के प्रयास आदि आकस्मिक स्थितियों में उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख हो।

(48) अधीक्षक अधीनस्थ कर्मचारियों से चर्चा के लिए एक घंटे का समय रखेगा। इस दौरान प्रत्येक कर्मचारी को अपनी व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के लिए अधीक्षक तक बेरोकटोक पहुंच होगी।

(49) अधीक्षक द्वारा एक माह में एक बार अधिकार प्राप्त एवं कार्यकारी स्टाफ की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें हर व्यक्ति की परेशानियां सुनी जाएं एवं समाधान हेतु कदम उठाये जाएं। कार्यालय में सुधार के साथ साथ कारागार की सामान्य कार्यप्रणाली हेतु सुझावों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(50) अधीक्षक द्वारा राजपत्रित स्टाफ एवं चिकित्सा अधिकारियों की एक साप्ताहिक या और अधिक बार बैठक बुलाई जाएगी एवं प्रशासन के कामकाज से संबंधित सुझावों पर चर्चा की जाएगी और कारागार के प्रशासन के प्रभावी संचालन के लिये नीति बनाई जाएगी।

(51) अधीक्षक कारागार में किसी बंदी द्वारा किये गए हर अपराध अथवा बंदी पर अपराध करने का आरोप होने पर संबंधित सभी गवाहों के बयानों को दर्ज करते हुए, अपराधी को अपनी रक्षा हेतु पूरा अवसर प्रदान कर, एक अर्द्ध न्यायिक ढंग से जांच बैठाएगा। अपराधी के अपराध की स्वीकारोक्ति वाले बयानों को भी दो गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। अधीक्षक न्याय संगत तरीके से एवं

कानून के हिसाब से निष्कर्ष एवं दण्ड बंदी के इतिहासवृत्त–पत्रक में स्वयं के हाथ से लिखे जाने चाहिए। जांच की पूरी फाइल, निष्कर्ष एवं दिया गया दण्ड संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास न्यायिक मूल्यांकन के लिये अग्रेषित किया जाएगा। जब इस प्रकार का संदेश आपात स्थिति के कारण तुरंत नहीं दिया गया हो तब यह सूचना पता चलने के दो दिन के भीतर दी जानी चाहिए। अधीक्षक आश्वस्त होगा कि इस प्रकार आदेशित हर सजा कानून के अनुरूप कार्यरूप में परिणत हो। यदि अधीक्षक किसी भी समय शारीरिक विवशता के कारण इस प्रकार की कार्रवाई न लिख पाये तो अपनी उपस्थिति एवं निर्देशों में यह करवाए।

अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक–I

91. कारागार अधीक्षक की अनुपस्थिति में अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक–I अधीक्षक के पदभार से जुड़े सभी कामकाज करेंगे।

92. अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक–I की जिम्मेदारियां

अतिरिक्त अधीक्षक उप अधीक्षक–I अधीक्षक के आसन्न दिशानिर्देश एवं आदेशों के अंतर्गत अपनी निम्न जिम्मेदारियों की तामील करेगाः–

(1) कारागार एवं बंदियों के प्रबंधन से संबंधित एवं कारागार हेतु अथवा वहां बंद किसी बंदी हेतु उस समय प्रयोज्य, सभी कानून, नियम, नियमन, निर्देश एवं आदेशों को कड़ाई से लागू करना अथवा लागू करवाना;

(2) सुपुर्दगी वॉरंट के सत्यापन एवं परीक्षण के बाद बंदियों का प्रवेश एवं रिहाई;

(3) बंदी से हासिल अथवा बंदी की पूरी सम्पत्ति, जो उसके जिम्मे आई हो, की सुरक्षा एवं संरक्षण के कदम उठाना;

(4) यह सुनिश्चित करना कि किसी बंदी के शरीर पर लगी सभी चोटें संलग्न मेडिको लीगल केस (एमएलसी) में प्रतिबिंबित हैं एवं यदि कोई भी असंगति है तो वह तुरंत सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में लाई जानी चाहिए ताकि बंदी को सम्बंधित अस्पताल में दोबारा एमएलसी हेतु भेजा जा सके;

(5) बट्टे, गुजारा भत्ते और रिहा किए गए बंदियों को बस एवं रेलवे किराये आदि का संवितरण, और रोकड़ बही, स्थायी पेशगी पंजिका एवं बंदी की नकदी संपत्ति पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों का साक्ष्यांकन;
(6) बंदियों से संबंधित मामूली पत्र व्यवहार;
(7) अपील पंजिकाओं की जांच;
(8) सभी कानूनसम्मत अधिपत्रों एवं आदेशों का विधिवत आज्ञापालन करवाना एवं कार्यरूप में परिणत करवाना एवं प्रस्तुति पंजिका में सभी विचाराधीन बंदियों के नामों को उस तिथि पर विधिवत प्रविष्ट करवाना जिस पर ऐसे बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने की आवश्यकता है;
(9)किसी दोषसिद्ध बंदी के प्रवेश पर उसका नाम निर्मोचन पंजिका में विधिवत उस तिथि को दर्ज करवाना जिस तिथि पर ऐसा बंदी कानूनी नजरिये से रिहा होने का पात्र है;
(10)जमानत पर रिहाई, अपील, जुर्माने के भुगतान आदि प्रक्रियाओं में भाग लेना;
(11)कानूनसम्मत ढंग से कारावास में पाई गई या प्रदान की गई छूट को कार्यान्वित करना एवं समय समय पर निर्मोचन पंजिका में रिहाई की सही तिथि दर्ज करवाना एवं इसकी समीक्षा करना;
(12)सजा के सुधार में भाग लेना;
(13) बंदियों को न्यायालयों में पेश करना;
(14)आंकड़ों के अनुसार विभिन्न कार्यशालाओं में कच्चे माल के विषय का परीक्षण करना;
(15)कच्चे माल की स्टॉक पुस्तिका एवं तैयार सामग्री का परीक्षण;
(16) अधीक्षक के साथ बंदियों की साप्ताहिक निरीक्षण परेड में भाग लेना;
(17) राशन स्टॉक पुस्तिका का परीक्षण करना;
(18) खरीद के समय राशन के सामान का वजन करवाना जो अधीक्षक के पर्यवेक्षण पर निर्भर हैं;

(19)समय–समय पर अधीक्षक द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य काम;

(20)प्रत्येक कार्यदिवस पर एक बार दोपहर से पहले एवं एक बार दोपहर के बाद कारागार का दौरा करना और रविवार एवं छुट्टियों के दिन वि"ोष परिस्थितियों में;

(21)स्वयं की आश्वस्ति के लिए कि रखवाली यथोचित ढंग से की जा रही है एवं हर चीज सुव्यवस्थित है। सप्ताह में एक बार रात्रि में कारागार का दौरा करना एवं अधीक्षक के पास अनुपालन प्रतिवेदन जमा कराना;

(22) सप्ताह में एक बार ताला खुलते एवं बंद होते समय उपस्थित रहना एवं उन सभी पहलुओं का परीक्षण करना जिनका अन्य दिनों में सामान्यतया उप–अधीक्षक I द्वारा परीक्षण किया जाता है। अधीक्षक के विशिष्ट आदेशों के अंतर्गत उप–अधीक्षक II से बातचीत कर इसका प्रबंध किया जाएगा;

(23)यह जांच करना कि सभी नियम, दिशानिर्देश इत्यादि का ताला लगाते समय पालन किया जा रहा है, सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, एवं उजाले की पर्याप्त व्यवस्था है;

(24) निराकृत अपराधी, नक्सलवादी, आतंकवादी इत्यादि उच्च सुरक्षा वाले बंदियों की कारागार का एक पखवाड़े में एक बार निरीक्षण करना;

(25)ज्ञात खराब चरित्र के बंदी एवं ऐसे बंदी जिनके साथ भाग जाने या अनुशासन संबंधी खतरे जुड़े हों को अलग करना एवं अधीक्षक को इसका प्रतिवेदन देना;

(26)यह देखना कि दीवारें, इमारतें, दरवाजे, शयनकक्ष, सेल, अस्पताल का क्षेत्र एवं कारागार के अन्य स्थान यथायोग्य सुरक्षित हैं एवं यह सुनिश्चित करना कि कारागार के अंदर एवं आसपास उजाले का अच्छा प्रबंध है;

(27)यह सुनिश्चित करना कि संतरी की मौजूदगी उस ब्लॉक में रहे जहां कुख्यात बंदी रखे जाते हैं;

(28)जहां भी बंदीरक्षण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं हैं, अपनी प्रतिवेदन पुस्तिका के माध्यम से अधीक्षक को अवगत कराना;

(29) उन दिनों को छोड़ कर जब अधीक्षक कारागार के अस्पताल का दौरा करते हों, सप्ताह में दो बार अस्पताल का दौरा करना। ड्यूटी के अंतर्गत जिम्मेदारियों के बंटवारे के आधार पर अधीक्षक के साथ चर्चा कर इस प्रकार की व्यवस्था नियत की जाएगी;

(30) कारागार के स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार के गबन को अधीक्षक के संज्ञान में लाना, यदि ऐसा स्टाफ के स्तर पर लापरवाही के कारण दिखे तो;

(31) उसको रसोई हेतु दिए गये राशन की सप्ताह में कम से कम दो बार जांच करना एवं आश्वस्त होना कि राशन की सही मात्रा जारी की गई है;

(32)सप्ताह में न्यूनतम दो बार बेवक्तकारागार का चक्कर लगाना एवं परीक्षण करना चाहिए कि संतरी सही ढंग से तैनात एवं चौकन्ने हैं। वह इसका परीक्षण भी करेगा कि अन्य जांच स्टाफ पर्यवेक्षी अधिकारियों ने इन संतरियों का विधिवत परीक्षण कर लिया है;

(33) किसी भी उद्देश्य हेतु कारागार छोड़ने से पहले, एवं ऐसा हर अवसर जिस पर वह कारागार छोड़ने का इरादा रखता हो, कारागार का प्रभार मौजूदा ओहदे के अगले वरिष्ठ अधिकारी को हस्तानांतरित करेगा एवं यह तथ्य दैनिकी में प्रविष्ट करेगा। तत्पश्चात प्रभार प्राप्त करने वाला अधिकारी दर्ज प्रविष्टि पर अभिस्वीकृति में अपने प्रतिहस्ताक्षर करेगा;

(34)एक प्रतिवेदन पुस्तिका/दैनिकी रखेगा जिसका उपयोग वह निम्न के लिए करेगाः –

क. प्रत्येक दिन स्वयं द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों को प्रविष्ट करेगा एवं अधीक्षक के पास जमा कराएगा;

ख. स्टाफ एवं बंदियों के बीच अनुशासन पर अपने सामान्य मूल्यांकन को अधीक्षक के संज्ञान में लाएगा;

ग. सुरक्षा के प्रबंध में रही किसी भी कमी को दर्ज करेगा एवं जब भी आवश्यक हो उनको ठीक करने के लिये दिशानिर्देश सुझाएगा;

घ. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय अधीक्षक के संज्ञान में लाएगा;

(35) अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा मसलन, उप–अधीक्षक I एवं सहायक अधीक्षक से जुड़े अधिशासी कामकाज, साथ ही उनके द्वारा काम में लायी जा रही सभी पंजिकाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण पूरा करने की पुष्टि करना;

(36)यह सुनिश्चित करना कि किसी बंदी से जुड़े विवरण पर कारागार प्रबंधन प्रणाली/ई–प्रिजन में विधिवत एवं सही प्रविष्टियां की गई हैं;

(37) यह सुनिश्चित करना कि उसके नियंत्रण में प्रत्येक बंदी को कानूनी सहायता मुहैया कराई गई है एवं बंदियों की सभी याचिकाएं एवं अपील अविलम्ब प्रेषित कर दी गई हैं;

(38) अधीक्षक द्वारा आयोजित परेड में भाग लेगा एवं :

i.हर बंदी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करेगा;

ii.हर बंदी के वस्त्रों, बिस्तर एवं बरतनों की जांच करेगा;

iii.हाजिरी रजिस्टर की जांच करेगा एवं आश्वस्त होगा कि प्रत्येक बंदी उपस्थित है एवं सामान्यतया आश्वस्त होगा कि सब कुछ यथायोग्य व्यवस्थित है। वह अपनी दैनिकी में निरीक्षण की रिपोर्ट वस्त्र, स्वच्छता, संख्याबल एवं बंदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय दर्शाते हुए प्रविष्ट करेगा;

(39)अपने स्थानांतरण एवं निष्कासन पर समस्त सरकारी व अन्य संपत्ति एवं स्वयं को सौंपे गए धन का खाता प्रस्तुत करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी भंडार घर साफ सुथरे, करीने से व्यवस्थित एवं जहां तक संभव हो कीड़े–मकोड़ों, पक्षियों, कृमियों एवं मौसमी मार से सुरक्षित हैं।

(40)कच्चा माल, औद्योगिक सामान एवं अन्य सामान सरकारी सम्पत्ति होने के कारण सभी भंडार गृहों, मशीनरी, औजार, यंत्रों की सुरक्षित देखरेख एवं व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी होगा वह विधिवत खाता एवं पंजिका बनाये रखेगा या बनवाएगा। वह जल्दी–जल्दी जांच कर सूची बनाएगा एवं समय–समय पर खातों एवं पंजिकाओं की समीक्षा एवं सत्यापन करेगा।

(41) भंडार के हर सामान का छह महीने में कम से कम एक बार परीक्षण करना चाहिए एवं भंडार पंजिका के टिप्पणी कॉलम में यह प्रविष्ट करना चाहिए कि किसी तिथि विशेष पर परीक्षण किया गया, शेष राशि सही थी अथवा नहीं, यदि विसंगतियां पाई गई तो वह नोट की गई। इस परीक्षण का एक नोट भी उसकी दैनिकी में बनाया जाना चाहिए एवं यदि विसंगतियां हैं तो अधीक्षक को रिपोर्ट की जानी चाहिए। यदि कार्यालय में कोई परिवर्तन है तो उसको कार्यभार संभालने के बाद सभी सामानों की जांच करनी चाहिए एंव जांच का यह कार्य छह माह में एक बार किया जा सकता है।

(42)सामानों के परीक्षण का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अधीक्षक एक तिमाही में आधा परीक्षण करे एवं यही उप अधीक्षक दूसरी तिमाही में करे एवं विलोमक्रम से यह प्रक्रिया जारी रहे। इस प्रकार हर सामान का अधीक्षक या उप–अधीक्षक द्वारा तीन महीने में एक बार परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण का प्रमाण–पत्र हर वर्ष 1जनवरी एवं 1 जुलाई के ठीक बाद महानिरीक्षक को जमा किया जाएगा।

(43)यदि किसी भी भंडार घर में जांच के परिणामस्वरूप अथवा लेखा–विभाग की लेखा–परीक्षण रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कमियां पाई जाती हैं तो अधीक्षक कमियों की जवाबदेही तय करने के लिए संबंधित अधिकारियों के बीच तुरंत कार्रवाई करेगा। वह आवश्यक जांच करेगा एवं लेखा–परीक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट या स्वयं के संज्ञान में आई कमियों की जानकारी मिलने के छह सप्ताह के भीतर अपनी अनुशंसाओं के साथ महानिरीक्षक को आदेश जारी करने हेतु सौंपेगा।

(44)उप–अधीक्षक के कार्यमुक्त होने, निलंबित होने, त्याग पत्र देने, अवकाश पर जाने या स्थानांतरित होने की सूरत में अपने परवर्ती को उत्तरदायित्व सौंपते समय उसको परवर्ती के हाथों में सभी ऋण उधार विक्रय की रसीदों समेत सारी संपत्ति, भंडार घर आदि की विस्तृत–सूची देने की आवश्यकता होगी। यह सूची कारागार के रिकॉर्ड में रखी जाएगी और एक प्रति

उसके परवर्ती को सौंपी जाएगी जबकि दूसरी प्रति महानिरीक्षक को भेजी जाएगी। उप अधीक्षक के कारागार छोड़ कर जाने के पंद्रह दिनों के भीतर सूची की सत्यता के बारे में अधीक्षक स्वयं आश्वस्त होगा एवं परिस्थितियों के अनुसार जरूरी हुआ तो उप अधीक्षक को आवश्यकता होने पर कारागार में उसके विरुद्ध कोई भी मांग एवं देनदारी बकाया न होने का प्रमाण पत्र सौंपेगा।

(45)किसी नये अधीक्षक के कारागार का कार्यभार संभालने पर उप–अधीक्षक I/अतिरिक्त अधीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह लिखित में सभी आदेश, विशेषकर कारागार से संबंधित, अधीक्षक के संज्ञान में लाए। यदि अधीक्षक द्वारा ऐसे किसी आदेश का पालन न होने के परिणामस्वरूप कोई गंभीर अनियमितता होती है तो इसके लिए उप–अधीक्षक I/अतिरिक्त अधीक्षक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, यदि वह यह नहीं दर्शा पाता है कि वह संबंधित आदेश को अधीक्षक के संज्ञान में लाया था।

(46)इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सीसीटीवी प्रणाली, एक्स–रे स्कैनर, दरवाजे हेतु मेटल डिटेक्टर, हस्तगत मेटल डिटेक्टर, टेलीफोन, बेतार प्रणाली, मोबाइल जैमर इत्यादि का ठीक प्रकार से कार्य करना।

उप–अधीक्षक II

93. उप–अधीक्षक II, अधीक्षक एवं उप–अधीक्षक–I/अपर अधीक्षक का अधीनस्थ अधिकारी होता है एवं जब भी आवश्यक हो उनकी सहायता करता है। वह सामान्यतया सभी निर्धारित नियमों एवं आदेशों के पालन के लिये उत्तरदायी होता है।

उप–अधीक्षक–II के दायित्व

94. उप–अधीक्षक II की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सुरक्षा, अभिरक्षा एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण, बंदियों की देखभाल एवं कल्याण संबंधी मामलों का पर्यवेक्षण;

(2) कार्मिक मामलों, कर्मचारी अनुशासन एवं कर्मचारी कल्याण संबंधी मामलों का पर्यवेक्षण, संस्थागत प्रबंधन से संबंधित सभी विषयों में अधीक्षक की सहायता;
(3) रसोई एवं कैंटीन का निरीक्षण, अस्पताल का दौरा;
(4) दाखिले एवं रिहाई कार्य;
(5)बंदियों का वर्गीकरण एवं प्रशिक्षण;
(6) उप–अधीक्षक इसकी देखरेख करेगा कि बंदी वस्त्रों समेत व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ हैं एवं उनके पास कपड़ों एवं बिस्तरों की स्वीकृत मात्रा है, अतिरिक्त नहीं है;
(7) प्रत्येक बंदी एवं समस्त कपड़े, बिस्तर कार्यशालाएं, वॉर्ड एवं सेल की सप्ताह में निश्चित रूप से कम से कम एक बार विस्तृत जांच करवाएगा;
(8) बंदियों के श्रम संबंधी सभी आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। वह हर बंदी को इस उद्देश्य हेतु बनाई गई वर्गीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर उसका कार्य आवंटित करेगा। इस बोर्ड में संबंधित कारागार के अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी एवं उप अधीक्षक शामिल होंगे। वह यह सुनिश्चित करेगा कि सौंपे गये कार्य बंदी द्वारा किये जा रहे हैं;
(9) वह उद्यान में खेती के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा एवं सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा, वह कारागार में खेत एवं अन्य सभी बाहरी कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा;
(10) वह अपने चिकित्सा अधीनस्थ के साथ संयुक्त रूप से बंदियों के लिए विधिवत भोजन बनाने की तैयारी एवं वितरण के लिए उत्तरदायी होगा;
(11) वह भोजन के वितरण की देखरेख करेगा और आश्वस्त होगा कि प्रत्येक बंदी को निर्धारित समय पर भोजन की यथोचित मात्रा मिल रही है;
(12) वह बंदीरक्षकों के कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा। सप्ताह में कम से कम एक बार रात्रि में 10 बजे बाद किसी अनिश्चित समय पर कारागार का दौरा कर आश्वस्त होगा कि

स्थायी बंदीरक्षक उपस्थित हैं, संतरी चौकन्ने हैं एवं निर्धारित चक्कर ठीक तरह से लगाये जा रहे हैं;

(13) उप–अधीक्षक अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना एक भी रात्रि के लिए कारागार परिसर से अनुपस्थित नहीं होगा, किंतु यदि बिना अवकाश लिये एक रात की अनुपस्थिति अनिवार्य है तो वह तुरंत यह बात कारण समेत अधीक्षक को सूचित करेगा;

(14) वह सभी वारंट की रक्षा एवं उनकी शर्तों के कड़ाई से पालन के प्रति उत्तरदायी होगा साथ ही कोई भी बंदी किसी भी सूरत में निर्धारित समय से पूर्व रिहा न हो पाये अथवा दण्ड पूरा होने के बाद कारागर में न बना रहे, इसके लिए उत्तरदायी होगा;

(15) उप–अधीक्षक किसी भी उद्देश्य से कारागार छोड़ने और बाहर जाने के प्रत्येक अवसर पर अपना कार्यभार अपने सेनिचले वरिष्ठ अधिकारी को सौंपेगा एवं यह तथ्य दैनिकी में प्रविष्ट करेगा। कार्यभार संभालने वाला अधिकारी दर्ज प्रविष्टि पर अभिस्वीकृति में अपने प्रतिहस्ताक्षर करेगा;

(16) एक रिपोर्ट पुस्तिका/दैनिकी अपने पास रखकर उसमें दर्ज करना होगाः–

(क) वार्ड खोलने का समय;

(ख) स्टाफ के वह सदस्य जो अनुपस्थित थे, यदि ऐसा हो तो;

(ग) बंदियों के कार्य शुरू करने का समय;

(घ) वह समय जब दोपहर पूर्व कार्य रोका गया एवं जब यह दोबारा प्रारंभ हुआ;

(ङ) वह समय जब कार्य दिन भर के लिए रोक दिया गया;

(च) वह समय जब लॉक–अप का कार्य पूरा हो गया;

(छ) कारागार की सलाखों एवं तालों का परीक्षण किया गया एवं उन्हें यथावत पाया गया;

(ज) बंदियों को अस्पताल एवं अदालतों में ले जाने के लिये सौंपने का समय;

(झ) कारागार में दाखिल सभी बंदियों को भोजन की आपूर्ति;

(ञ) गंभीर रूप से बीमार बंदियों का विवरण;

(ट) कोई भी असामान्य घटना;
(ठ) स्वयं द्वारा किये गये कामकाज की प्रतिदिन प्रविष्टि एवं इसको अधीक्षक के पास जमा करना;
(**ड**) कर्मचारियों एवं बंदियों के मध्य अनुशासन पर स्वयं के सामान्य आकलन को अधीक्षक के संज्ञान में लाना;
(ढ) सुरक्षा की व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की अपर्याप्तता को प्रविष्ट करना एवं जब भी आवश्यक हो स्थितियां ठीक करने के लिए आव"यक दिशानिर्देश जारी करना;
(ण) किसी भी अन्य महत्वपूर्ण विषय को अधीक्षक के संज्ञान में लाना;
(17) सश्रम कारावास पाये हर बंदी को उचित कार्य का आवंटन करना एवं आश्वस्त होना कि श्रम करने में सक्षम हर बंदी को प्रतिदिन यथायोग्य श्रम करवाया जाता है एवं वह आवंटित कार्य को पूरा करता है। आवंटित किये गए कार्य की जांच करना एवं कार्यशालाओं, रसोईघर एवं अन्य स्थान, जहां बंदी काम में लगे हैं का नियत दौरा करना;
(18)यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी बंदी के पास कोई भी प्रतिबंधित सामान या सामग्री मौजूद नहीं है, सभी बंदियों की जांच करना या करवाना;
(19) उप–अधीक्षक प्रतिदिन किसी अनिश्चित समय पर हर बंदी, सारे कपड़ों व बिस्तरों, सभी वार्ड, सेल एवं अन्य कमरों, कार्यशालाओं, शौचालयों एवं बंदियों के आने जाने के अन्य स्थानों की प्रतिबंधित सामानों की तलाशी के लिए विस्तृत जांच करवाएगा। इसके अतिरिक्त वह यह सुनिश्चित करेगा कि रोजाना होने वाली यह खोजबीन अलग अलग वार्ड के अंदर की जाये ताकि बंदियों के पास अनधिकृत सामान न हो सकें। उच्च सुरक्षा वाले बंदियों की खोजबीन प्रतिदिन की जाएगी;
(20) यह सुनिश्चित करना कि खतरनाक, उच्च खतरे वाले, बार–बार अपराध करने वाले व आदतन अपराधी अलग वार्ड में रखे जाएं;
(21)यह सुनिश्चित करना कि गंभीर रोगों, दवा लेने वालों अथवा तपेदिक या अन्य बीमारियों से ग्रस्त बंदियों की

प्रविष्टियां यथायोग्य दर्ज की गई हैं ताकि आवश्यकता होने पर ऐसे बंदियों को फौरन कारागार से बाहर के अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके एवं दवा देने की निरंतरता न टूटने पाए;

(22) किसी भी बंदी को किसी भी समय अनुशासन भंग करने या किसी कायदे या नियमन को तोड़ने या किसी अन्य प्रकार का दुराचरण करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे बंदी को उप–अधीक्षक/अधीक्षक के समक्ष आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा एवं बंदी के इतिहासवृत्त में उसका इल्जाम दर्ज करेगा या करवाएगा;

(23)जब भी आवश्यक हो अधीक्षक, आगंतुकों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के कारागार का दौरा करते समय उनके साथ रहेगा;

(24) अधीक्षक द्वारा आयोजित परेड में भाग लेना और:

(25) सावधानीपूर्वक हर बंदी का निरीक्षण करना;

(क) प्रत्येक बंदी के कपड़ों, बिस्तरों एवं बरतनों इत्यादि की जांच करना;

(ख) उपस्थिति पंजिका की जांच कर आश्वस्त होना कि हरेक बंदी उपस्थित है एवं उसकी गिनती हुई है। साथ ही आश्वस्त होना कि सब कुछ सुव्यवस्थित है। वह निरीक्षण की एक रिपोर्ट अपनी दैनिकी में दर्ज करेगा जिसमें कपड़ों, साफ–सफाई, संख्याबल एवं बंदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया हो;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कारागार में खाद्य आपूर्ति, स्टोर एवं कच्चे माल के वितरण में उपयोग किए जाने वाले तुला बांट एवं मापन सामग्री परिशुद्ध एवं ठीक प्रकार से व्यवस्थित है एवं कारागार में भंडारण के लिये आपूर्ति प्राप्त करने से पहले हर बार उसका वजन, मापन एवं गिनती अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में करवाएगा;

(25) कारागार के भंडार घरों के हालात देखेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि यह स्थान अनाधिकृत व्यक्तियों की पहुंच में नहीं हैं;

(26) स्वयं के कार्यमुक्त होने, निलंबित होने, त्यागपत्र देने, अवकाश पर जाने (आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त) या स्थानांतरित होने की सूरत में अपने परवर्ती को उत्तरदायित्व सौंपते समय उसको परवर्ती के हाथों में सभी ऋण उधार विक्रय की रसीदों समेत सारी संपत्ति, भंडार घर आदि की विस्तृत–सूची देने की आवश्यकता होगी। यह सूची कारागार के रिकॉर्ड में रखी जाएगी, एक प्रति उसके परवर्ती को सौंपी जाएगी एवं दूसरी महानिरीक्षक को भेजी जाएगी। उप अधीक्षक के कारागार छोड़ कर जाने के पंद्रह दिनों के भीतर सूची की सत्यता के बारे में अधीक्षक स्वयं आश्वस्त होगा एवं परिस्थितियों के अनुसार जरूरी हुआ तो उप अधीक्षक को आवश्यकता पड़ने पर कारागार में उसके विरुद्ध कोई भी मांग एवं देनदारी बकाया न होने का प्रमाण पत्र सौंपेगा। उप अधीक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में विस्तृत–सूची अधीक्षक द्वारा या उसके दिशानिर्देशों से बनाई जाएगी एवं प्रमाण पत्र मृतक के उत्तराधिकारियों अथवा परिवार वालों के प्रार्थना पत्र पर प्रदान किया जाएगा;

(28) बंदियों के कल्याण संबंधी उत्तरदायित्व–

(i) वह बंदियों के सुधारात्मक प्रशासन, सुधार एवं कल्याणकारी गतिविधियों संबंधी सरकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बंदियों की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोविनोद सबंधी एवं अन्य सभी कल्याणकारी गतिविधियों के आयोजन एवं संचालन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) वह कारागार में कारागार कर्मियों एवं कल्याण अधिकारी के कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा;

(iii) वह एक पखवाड़े में कम से कम एक बार कैंटीन के सभी सामानों का निरीक्षण करेगा एवं इस बारे में एक प्रमाण पत्र तैयार करेगा और इसके लिए विधिवत खाते एवं पंजिकाएं तैयार करवाएगा।

उप–अधीक्षक (कारखाना)

95 उप–अधीक्षक को कारागार में चलाये जा रहे विनिर्माण विभाग एवं अन्य उत्पादक उद्यमों, का प्रभार प्रदान किया जा सकता है। सहायक अधीक्षक (कारखाना) एक कारागार में, जहां उप अधीक्षक पदस्थापित नहीं है एवं सहायक अधीक्षक को कारखाने का प्रभार प्रदान किया गया है, उप–अधीक्षक के सभी उत्तरदायित्व संभालेगा। उप–अधीक्षक (कारखाना) अथवा सहायक अधीक्षक (कारखाना), जो भी स्थिति हो, कारखाने से संबंधित सभी विषयों में अधीक्षक के आदेशों की पालना करेंगे एवं व्यवस्था व अनुशासन बनाये रखने में व कारागार के सामान्य प्रबंधन में अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करेंगे।

उप–अधीक्षक (कारखाना)

96. उप–अधीक्षक (कारखाना) के निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगेः–

(1)वह विनिर्माण विभाग के प्रभावी प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होंगे एवं कारागार में सामानों के विनिर्माण से जुड़ी समस्त प्रक्रियाओं का सरकार के आधिकाधिक लाभ को ध्यान में रखते हुए संचालित करेंगे;

(2) कारागार के विनिर्माण विभाग के सभी भंडार घर, चाहे कच्चे माल की लागत हो, अथवा माल जो निर्माण की प्रक्रिया में है या निर्मित सामान, मशीनरी, कारखाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण या अन्य सामान उनकी देखरेख एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत होंगे। वह हर समय उचित तरीके से पर्यवेक्षक के प्रति जवाबदेह होंगे;

(3) वह भंडार के लिए की गई खरीद, प्राप्तियां, भंडार में मौजूद वस्तुओं एवं खर्च का उपयुक्त लेखांकन करेगा। साथ ही खुद अथवा अपने आदे"ा के जरिये किसी भी समय किए गए खर्च का उचित ब्यौरा रखेगा।वह निर्माण इकाइयों से संबंधित सभी पंजिकाओं एवं खातों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि वह ठीक से तैयार किया गया है और अद्यतन है। भंडार घरों से संबंधित सभी लेन–देन के लिए उचित रसीद रखे गए हैं और भुगतान प्राप्त किए गए है। उन्हें कागजातों को सुरक्षित रखने एवं

अधीक्षक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उन्हें यह भी सुनिि"चत करना होगा कि उनके सभी खाते उचित प्राधिकारी के अंतर्गत पूरी तरह अंकेक्षित हैं;

(4)वह सभी नकदी, स्टोर, मशीनरी, यंत्र, औजार, कच्चा माल, विनिर्मित सामान अथवा निर्माणाधीन सामानों का आवधिक परीक्षण करेगा एवं आश्वस्त होगा कि नकदी भंडार, सामग्रियां, विनिर्मित सामान, मशीनरी, यंत्र एवं औजार खातों में प्रदर्शित संख्या के अनुरूप हैं;

(5)वह सभी गबन, नुकसान या घाटे, जो उसके स्तर पर हुई किसी भी प्रकार की लापरवाही, अवज्ञा अथवा कदाचार के कारण हुए हों अथवा जिनसे उसका संबंध हो, के लिए जवाबदेह होगा;

(6)वह बंदियों द्वारा किये गए श्रम को सरकार के लिए लाभकारी बनाने हेतु अपनी शक्तियों में निहित समस्त तौर तरीकों का उपयोग करेगा। वह कारखाने में बर्बादी, हेराफेरी एवं चोरी रोकेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि जिस मूल्य पर बना हुआ सामान बेचा जा रहा है वह पूर्णतया लाभकारी है एवं उसका भुगतान तुरंत किया गया है। वह धन की प्राप्ति, यदि होती है तो, के स्थानीय कोषागार में भेजने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

(7) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि बंदियों के बीच श्रम का वर्गीकरण उचित है, जो तीन प्रकार के हैं यथा–कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल। सभी नव–प्रवेशकों को अकुशल श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा एवं तीन माह के अनुभव के पश्चात उनके मामले अर्द्धकुशल श्रेणी में स्थानांतरित किये जाने चाहिए। नव–प्रवेशक ने कुछ हुनर सीख लिया है, इसकी अनुशंसा भी पर्यवेक्षक से प्राप्त कर ली जानी चाहिए। इसी प्रकार एक अर्द्धकुशल कार्यकर्ता को कुशल कार्यकर्ता में वर्गीकृत किया जाएगा। एक नव–प्रवेशक को कुशल कार्यकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने के लिए उक्त शर्त के पालन के पश्चात छह माह से अधिक के अनुभव की आवश्यकता होगी। हालांकि यह मानदण्ड उन स्थितियों में मान्य नहीं होंगे जब

एक बंदी ने अपने कार्य के बाह्य अनुभव के आधार पर कुशल अथवा अर्द्धकुशल का दर्जा प्राप्त कर लिया हो;

(8) वह कारागार के कारखाने में काम करने वाले बंदियों को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए उचित खातों का रखरखाव करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि बंदी समय पर पारिश्रमिक पा रहे हैं एवं पीड़ित कल्याण कोष के लिए धन की कटौती हो रही है;

(9) कारखाने की रसीदों व व्यय एवं किसी भी प्रकार की सारी सम्पत्ति पर निरंतर दृष्टि बनाये रखेगा। वह कारखाने में होने वाले किसी भी गबन के लिए उत्तरदायी होगा;

(10) एक दैनिकी रखेगा एवं ऐसे सभी विषयों जिनमें अधीक्षक के आदेशों की आवश्यकता है, जैसे बंदियों के लिए मांग–पत्र, साजोसामान, मशीनरी, औजार, यंत्र एवं इस प्रकार के सामान्य सामानों की बिक्री एवं रवानगी एवं निर्माण विभाग से संबंधित हर प्रकार की सिफारि"।, उनकी प्रविष्टियां दर्ज करेगा;

(11) वह कच्चे माल, मशीनरी एवं औजार की सम्मिलित मांग रखेगा एवं अधीक्षक से समयपूर्व क्रियान्वित करवाएगा ताकि सक्षम प्राधिकारी इनकी खरीद की व्यवस्था कर पाए;

(12)अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करेगा कि विनिर्मित वस्तुओं जिससे निर्मित सामानों की गुणवत्ता में सुधार हो पाए। वह स्वयं समय समय पर आश्वस्त होगा कि उद्योग की हर शाखा में कामकाज कार्यरत श्रमबल एवं इसमें प्रयुक्त कच्चे माल के अनुरूप है;

(13) जहां तक संभव हो अपने अधीन कार्यरत प्रत्येक बंदी के चरित्र एवं उद्यमिता के प्रति स्वयं जानकारी रखेगा एवं अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्ति एवं छूट के आवंटन में अधीक्षक की सहायता करेगा। वह आवंटित कार्य को पूरा करने में नाकाम रहने वाले एवं घटिया कार्य करने वाले बंदियों को दंड देने के लिए अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा और साथ ही कारागार अनुशासन से संबंधित स्वयं के संज्ञान में आने वाली सभी शाखाओं की रिपोर्ट सौंपेगा;और

(14)कामकाज के बंटवारे की देखरेख करने, नियत कार्य की सूची का परीक्षण करने एवं प्रत्येक श्रमिक द्वारा तयशुदा कार्य का सत्यापन करने के लिए कारागार कारखाने में प्रतिदिन सुबह शीघ्र प्रवेश करेगा एवं सामान्य रूप से दिन भर कारागार के भीतर रहेगा;

(15) लेखा अधिकारी (कारखाना) के साथ चर्चा एवं समन्वय से सारी सरकारी जिम्मेदारियां, कर, उपकर आदि समय पर संबंधित सरकारी विभाग में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा;

सहायक अधीक्षक

97. सहायक अधीक्षक उप–अधीक्षकों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का अधीनस्थ होगा एवं वह कारागार के रखरखाव में उनकी निम्न प्रकार से सहायता करेगाः–

(1)संस्थागत प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में उप–अधीक्षक की सहायता करना।

(2)बंदियों की मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक स्थिति के अध्ययन में उप अधीक्षक की सहायता करना एवं उनके सुधार हेतु कदम उठाना।

(3) जब उप–अधीक्षक II अवकाश पर हो अथवा अदालत या ऐसे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो तब उप अधीक्षक की जिम्मेदारियां सहायक अधीक्षक निभाएंगे।

(4) सहायक अधीक्षक उप–अधीक्षक की किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होंगे जो अधीक्षक के आदेश पर एवं अधिनियम व इन नियमों के अंतर्गत उप अधीक्षक की समस्त जिम्मेदारियों पर निर्भर करेगा।

(5) सहायक अधीक्षक को जिम्मेदारियां सौंपते समय अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि हर अधिकारी कामकाज के एक विशेष समूह के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हो ताकि उस अधिकारी पर जवाबदेही तय की जा सके।

सहायक अधीक्षक के दायित्व

98. सहायक अधीक्षक को सामान्यतया निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, हालांकि ये केवल सांकेतिक हैं, न कि वि”ोष या परिपूर्णः—

(1) उप—अधीक्षक द्वारा बंदियों के 'लॉक—अप' एवं 'लॉक—आउट' समय का एलान होने पर कारागार में उपस्थित रहना;

(2) अपने वॉर्ड में ठीक साफ सफाई एवं अपने अंतर्गत सरकारी सम्पत्ति के रखरखाव के लिए उत्तरदायी रहना;

(3) उप—अधीक्षक को अपने कार्यभार से सम्बंधित रिपोर्ट एवं विवरणियां समय पर जमा सुनिश्चित करना;

(4) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विधिसम्मत आदेशों का पालन करना;

(5)एक दैनिकी रखना जिसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाएं प्रविष्ट की जाती हों;

(6)बंदियों को पोस्टकार्ड जारी करना ताकि वे अपने संबंधियों एवं दोस्तों से संवाद कर सके;

(7)अपनी प्रभार के तहत बंदियों की सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार रहना।अपने प्रभार के तहत बंदियों के बीच भोजन के वितरण के समय उपस्थित रहना;

(8) यह सुनिश्चित करना कि बंदी एवं उनकी बैरक सेल की जांच की जाती है ताकि वार्ड में कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न हो;

(9) यह सुनिश्चित करना कि सभी बंदी तय तिथि एवं समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएं एवं किसी को भी गैर—कानूनी ढंग से हिरासत में न रखा जाए ;

(11) यह सुनिश्चित करना कि उनके नियंत्रण में आने वाले सभी सेवादार कारागार अनुशासन के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(12) वार्ड में स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था से संबंधित एवं अन्य उपकरणों के यथोचित कार्य करने के प्रति उत्तरदायी होना;

(13) यह सुनिश्चित करना कि उसके प्रभार के अंतर्गत सीसीटीवी प्रणाली एवं सभी अन्य उपकरण जैसे वीडियो

कॉफ्रेंसिंग, बंदियों की दूरभाष प्रणालियां इत्यादि प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं;

(14) यह सुनिश्चित करना कि कैंटीन में भोजन सामग्री गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है एवं उन्हें निर्धारित मूल्य में बेची जा रही है;

(15) अपने नियंत्रण के सभी बंदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति उत्तरदायी रहना एवं यह देखना कि कोई भी रोगग्रस्त बंदी चिकित्सा सहायता पाने से वंचित न रह जाए;

(16) यह सुनिश्चित करना की अपने अधीन प्रत्येक बंदी को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है एवं बंदियों की सभी अपील एवं याचिकाएं अविलम्ब प्रेषित की जाती हैं;

(17) अवसादग्रस्त दिखने वाले बंदियों की पहचान करना एवं उनके लिए उचित परामर्श की व्यवस्था करना;

(18) बंदियों में वस्त्र, बिस्तर एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना;

(19) अपने अधीन वार्ड में यथोचित अनुशासन सुनिश्चित करना;

(20)बंदियों की शिकायतें सुनना एवं तत्पश्चात समाधान सुनिश्चित करना;

(21)अपने वार्ड से सम्बंधित सरकारी संपत्ति एवं अन्य सामानों का यथोचित लेखांकन करवाना;

(22) अपने वार्ड की बैरक बंदी पंजिका पर हस्ताक्षर करना एवं लॉक–अप के बाद कारागार छोड़ने से पहले प्रतिदिन जांच करना;

(23) तालों, सलाखों, चेन एवं अन्य सुरक्षा संबंधी साजोसामान की मजबूती सुनिश्चित करना;

(24) यह सुनिश्चित करना कि उसके वार्ड में कल्याणकारी गतिविधियां निर्देशों के अनुरूप संतोषजनक ढंग से चलाई जा रही हैं;

(25) काम के घंटों के दौरान अपने वार्ड में उपस्थित रहना;

(26) यह सुनिश्चित करना कि वार्ड के दरवाजे पर पंजिकाओं का उचित रखरखाव हो रहा है एवं सभी 'आगमन' एवं 'निर्गमन' उक्त पंजिका में यथोचित प्रविष्ट किये जा रहे हैं;

(27) कारागार में ड्यूटी के दौरान हमेशा वर्दी में उपस्थित रहना;

(28) कारागर में बंदीरक्षक कारापालों के कामकाज की देखरेख करने में उप अधीक्षक की सहायता करना;

(29) ऐसा हर उत्तरदायित्व निभाना जो अधीक्षक, उप अधीक्षकों अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसके लिए नियत किये जा सकते हैं।

99.अधीक्षक निम्न क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट जिम्मेदारियां सहायक अधीक्षकों को सौंपेगा, यथाः–

क. लाइन;
ख. जनसम्पर्क;
ग. विचाराधीन बंदी अनुभाग;
घ. दोषसिद्ध अनुभाग;
ड. बंदी कल्याण कैन्टीन;
च. ड्योढी ड्यूटी ऑफिसर;
छ. चक्कर ड्यूटी;
ज. रसोई;
झ. विधि;
ञ. चिकित्सा;
ट. वार्ड; और
ठ. भंडार घर।

100. लाइनः लाइन के प्रभारी सहायक अधीक्षक होंगे और वह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगेः–

(1) वर्दी का सामान एवं वर्दी से संबंधित सभी पंजिकाओं का रखरखाव;

(2) शस्त्रागार;

(3) सहायक अधीक्षक, प्रधान कारापाल, कारापाल एवं सफाईकर्मी आदि से संबंधित प्रशासनिक विषय;

(4) परेड एवं अनुशासन;

(5) अवकाश रिकॉर्ड का रख–रखाव, कर्मचारियों में वेतन वितरण एवं स्टे"ानरी;
(6) वाहन की मरम्मत एवं रखरखाव, लॉग–बुक, पीओएल का लेखांकन एवं कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना;
(7) टारगेट प्रैक्टिस के लिए संबंधित पंजिका का रखरखाव, दिन में कारापालों की ड्यूटी, रात्रि पंजिका, डायरी, प्रेषण पंजिका एवं वर्दी पंजिका का यथोचित रखरखाव;
(8) यह सुनि"चत करना कि सीसीटीवी प्रणाली, एक्स–रे स्कैनर, दरवाजे हेतु मेटल डिटेक्टर, हस्तगत मेटल डिटेक्टर, टेलीफोन, बेतार नेटवर्क, मोबाइल जैमर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक से कार्य करें;
(9) यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ स्टाफ अपनी ड्यूटी हेतु समय पर हाजिर हों एवं प्रस्थान करें एवं उचित वर्दी में रहें;
(10) ड्योढी एवं इसके आसपास स्वच्छता सुनिश्चित करना; और
(11) यह सुनिश्चित करना कि कारागार में तैनात कर्मचारी सतर्क रहें और अपनी तैनाती के स्थान पर कु"ालता से कार्य करें।

101. **जनसम्पर्क** : सहायक अधीक्षक, जनसम्पर्क के प्रभारी होंगे और निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे:
(1)मुलाकातियों एवं उनके सामानों की जांच करने के साथ–साथ मुलाकात का बाधारहित एवं यथोचित संचालन सुनिश्चित करना;
(2) अधीक्षक के निर्दे"ा पर बंदियों से मुलाकात के लिए आने वाले सभी भेंटकर्ताओं के लिए जरूरी जानकारियों का उल्लेख सूचना पट्ट पर किया जाए;
(3) भेंटकर्ताओं के बैठने के स्थान पर जनसुविधाओं, बिजली, पेयजल आदि की उचित व्यवस्था सुनि"चत की जाए;
(4) मुलाकातियों की धनराशि को बंदियों के खातों में नियमानुसार जमा कराना;
(5) मुलाकाती पंजिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का समुचित रखरखाव;

(6) बंदियों के रिश्तेदारों की शिकायतों का निस्तारण;
(7) ऐसे बंदियों की सूची का प्रका"ान, जिन्हें रिहा किया जाना है;
(8) बंदियों की रिहाई से संबंधित उचित जानकारियों का प्रकाशन;
(9) जनसम्पर्क कार्यालय में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, वेब कैमरा, सीसीटीवी प्रणाली, एक्स–रे स्कैनर, दरवाजे हेतु मेटल डिटेक्टर, हाथों से इस्तेमाल होने वाला मेटल डिटेक्टर, टेलीफोन, बेतार प्रणाली इत्यादि का ठीक प्रकार से कार्य सुनि"चत करना;
(10) प्रत्येक आगंतुक की जांच सुनि"चत करना ताकि वह किसी प्रतिबंधित सामान को कारागार परिसर के अंदर न ले जाने पाए;
(11) कारागार परिसर में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन के गैर–कानूनी प्रवेश पर रोक;
(12) संबंधित रजिस्टर में आगंतुकों और बंदियों के नाम दर्ज करना; और
(13) अधीक्षक के आदेश के अंतर्गत बंदियों द्वारा लिखित एवं उनको प्राप्त चिट्ठियों की काटछांट एवं उनका निस्तारण।

102. **विचाराधीन बंदी अनुभागः** सहायक अधीक्षक विचाराधीन बंदी अनुभाग के प्रभारी होंगे और वे निम्नलिखित के लिए जिम्मदार होंगेः–
(1) विचाराधीन बंदियों से संबंधित सूचनाओं का रखरखाव;
(2)न्यायालय की रिहाई से संबंधित आदेशों का समयबद्ध एवं समुचित पालन;
(3) वारंट की सुरक्षित निगरानी;
(4) विभिन्न विभागों की रिपोर्ट का समय से जमा होना;
(5) विचाराधीन बंदियों की मृत्यु संबंधी सूचनाओं की पंजिका का रखरखाव;
(6) न्यायालय से जुड़े मामलों की देखरेख;
(7) विचाराधीन बंदियों के आगमन अथवा रिहाई से जुड़ी जानकारियां;

(8) न्यायालय के आदेशों के क्रम में विचाराधीन बंदियों को समय से न्यायालय में पेश करना;
(9) 'परीक्षण पहचान परेड' का आयोजन;
(10) विचाराधीन बंदियों से संबंधित चालान पंजिकाओं का उचित रखरखाव;
(11) विचाराधीन बंदियों की सूची तैयार करना;
(12) अदालत से जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश के बावजूद तीन माह तक जमानत जुटाने में नाकाम रहने वाले बंदियों की सूची तैयार करना एवं जमा कराना। विचाराधीन बंदी की हिरासत के तीन माह समाप्त होने के तुरंत बाद इस सूची को जमा कर दिया जाएगा;
(13) आरटीआई, संसद/विधानसभा के प्रश्नों एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए उत्तर तैयार करना;
(14) यह सुनिश्चित करना कि कारागार प्रबंधन प्रणाली में बंदी से संबंधित जानकारी के बारे में समुचित एवं सही प्रविष्टियां दर्ज हों;
(15) सुनि"चत किया जाए कि वारंट और कारागार प्रबंधन प्रणाली/ई–कारागार में भारी सुरक्षा वाले बंदी/सुरक्षा के प्रति जोखिम वाले बंदी के बारे में सही प्रविष्टि दर्ज हों, जिससे अदालत में पे"ाी के दौरान पूरी सतर्कता बरती जा सके;
(16) यह सुनिश्चित करना कि वि"ोष अदालतों में अपना अपराध स्वीकार करने के इच्छुक बंदियों की सूची तैयार की जाए और ऐसी अदालतों के आयोजन के लिए इस सूची को कारागार मुख्यालयों में जमा कराया जाए;
(17) ऐसे बंदियों का उचित हस्तांतरण सुनि"चत करना, जिन्हें पे"ाी के लिए या स्थानांतरण के तौर पर दिल्ली राज्य के बाहर भेजा जा रहा है;
(18) समय–समय पर ऐसे बंदियों की सूची जमा करना जो वारंट में किसी त्रुटि के कारण रिहा नहीं किये जा सके;
(19) यदि किसी कारणवश किसी वारंट की तामील नहीं हो सकी है तो संबंधित अदालत को इन कारणों के बारे में सूचना

दी जानी चाहिए एवं बंदी को पेश करने के लिए एक नया वारंट एवं तारीख लेनी चाहिए;

(20) यह सुनिश्चित करना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली/बायोमीट्रिक फिंगर आइडेंटिफिकेशन प्रणाली चालू हालत में रहे, जिससे रिमांड बढ़ाने की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके;

(21) विचाराधीन बंदी पुस्तिका के सभी कॉलम को उचित तरीके से भरना; और

(22) दाखिला एवं रिहाई पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियां एवं इस अध्याय में नियत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सहायक अधीक्षक इन पंजिकाओं एवं नव–प्रवेशित बंदियों को उनके वारंट समेत उप अधीक्षक एवं अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें उनको आश्वस्त करना होगा कि प्रविष्टियां सही हैं एवं वह प्रतीक रूप में इनका सत्यापन करेंगे। यह प्रत्येक मामले में लागू होगा।

103. दोषसिद्ध अनुभागः सहायक अधीक्षक दोषी सिद्ध अनुभाग के प्रभारी होंगे और निम्न के लिए उत्तरदायी होंगेः–

(1) सजा का यथोचित कार्यान्वयन;

(2) कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अदालतों या हिरासत–प्राधिकरण द्वारा दोषसिद्ध एवं नजरबंदियों से संबंधित वारंट तामील कराना और आदेश जारी करना;

(3) दोिषयों से संबंधित पंजिकाओं का समुचित रखरखाव;

(4) सभी बंदियों के 'निजी सम्पत्ति' खातों का रखरखाव;

(5) रिपोर्ट/विवरणियों को समय से जमा कराना;

(6) हिस्ट्री टिकट/छूट पत्रक को समय से पूरा करना;

(7) दोषियों/नजरबंदियों को अदालतों/उपयुक्त प्राधिकारणों के समक्ष समय से पेश करना।

(8) यह सुनिश्चित करना कि दोषसिद्ध के कारागार से बाहर स्थानांतरण अथवा बाहर से कारागार आगमन पर मामले/मामलों से जुड़े विवरण एवं दोषी की सम्पत्तियों का वारंट में ठीक प्रकार से उल्लेख किया गया हो;

(9) ऐसे दोषियों की पूरी जानकारी रखना, जो पैरोल/थोड़े दिन के अवकाश/अंतरिम जमानत आदि की अवधि समाप्त

होने के पश्चात कारागार में आत्मसमर्पण करने में नाकाम रहे हैं। साथ ही ऐसे बंदियों के बारे में अधीक्षक को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपना;

(10)सजा पुनरीक्षण बोर्ड (एस.आर.बी.) के समक्ष पुनर्विचार के इच्छुक दोषियों से जुड़े मामलों को समयबद्ध तरीकों से निपटाना;

(11) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी दोषसिद्ध अवैध रूप से हिरासत में नहीं रहे;

(12) किसी दोषी के पैरोल/अंतरिम जमानत संबंधी रिकॉर्ड का ठीक प्रकार से रखरखाव और दोषी द्वारा पैरोल/अंतरिम जमानत की अवधि के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों को सूचना देने हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना;

(13) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक दोषसिद्ध बंदी को नियमानुसार काम सौंपा गया हो;

(14) यह सुनिश्चित करना कि दोषसिद्ध के विरुद्ध लम्बित मामलों की हर प्रविष्टि यथोचित पंजिका में दर्ज है;

(15) दोषसिद्ध पंजिका के कॉलम समुचित ढंग से भरना एवं यदि कोई बंदी कारागार की कानूनी सहायता इकाई के माध्यम से अपील करना चाहे तो इसको यथोचित दर्ज किया जाना चाहिए;

(16) किसी दोषसिद्ध की अपील आगे बढ़ाए जाने पर अदालत के समक्ष नॉमिनल–रोल जमा कराना;

(17) दिल्ली से बाहर की अदालत द्वारा हिरासत में भेजे गये बंदी/दोषसिद्ध की समुचित प्राप्ति;

(18) पैरोल/कम अवधि के अवकाश वाले मामलों की समुचित एवं समयबद्ध प्रस्तुति;

(19) सिविल देनदारों द्वारा अतिरिक्त सामानों की खरीद के खातों की देखरेख सुनि"चत करना;

(20) दाखिला एवं रिहाई पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियां और इस अध्याय में उल्लेखित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सहायक अधीक्षक इन पंजिकाओं एवं नए बंदियों को उनके वारंट समेत उप–अधीक्षक एवं अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो

प्रविष्टियों के सही होने के प्रति आश्वस्त होने के बाद इनका सत्यापन करेंगे। ऐसा हर मामले में लागू हो सकता है;

(21) नए दोषसिद्ध के आगमन पर अधीक्षक को उससे पूछना चाहिए कि क्या वह दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करना चाहता है, यदि हां तो आगे प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या वह यह अपील कारागार से ही करना चाहता है अथवा बाहर निजी अधिवक्ता के माध्यम से करना चाहता है। यदि बंदीकारागार से अपील करना चाहता है तो उसको सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए;

(22) दोषसिद्ध को कानूनी सहायता या अन्य माध्यम से अपील करने की अपनी इच्छा लिखित में प्रकट करनी चाहिए;

104. बंदियों के कल्याण हेतु कैंटीनः— सहायक अधीक्षक या उससे ऊपर की रैंक वाला अधिकारी बंदियों के कल्याण के लिए बनी कैंटीन का प्रभारी होगा एवं वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः—

(1) बंदी कल्याण कैंटीन का समुचित रखरखाव;

(2) कैंटीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड का रखरखाव;

(3) निर्धारित कामकाज से इतर रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन;

(4) उपयोग में लाये जा चुके कूपनों को नष्ट करना/स्मार्ट कार्ड इत्यादि का रखरखाव;

(5) कैंटीन के खातों का समुचित रखरखाव एवं उनका वार्षिक लेखा परीक्षण;

(6) कैंटीन में होने वाले व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी से समुचित अनुमति हासिल करना; और

(7) कैंटीन में उत्पादों की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करना;

105. प्रशासनिक ब्लॉक के ड्यूटी अधिकारी के उत्तरदायित्वः—

एक सहायक अधीक्षक ड्योढ़ी में ड्यूटी पर चौबीस घंटे तैनात रहेगा। आठ—आठ घंटों की तीन पालियां होंगी। ड्यूटी पूरी करने के बाद कोई भी सहायक अधीक्षक तब तक ड्यूटी नहीं छोड़ेगा जब तक उसके बदले अन्य ड्यूटी अधिकारी न आ जाए एवं ड्यूटी अधिकारी उसको प्रभार न सौंप दे।

106. सहायक अधीक्षक ड्योढी निम्नलिखित जिम्मेदारियां निभाएगाः

(1) यह सुनिश्चित करना कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की ड्योढ़ी तक पहुंच नहीं हो;

(2) किसी बंदी को भागने से रोकने के लिये सुरक्षा संबंधी कदमों का अनुपालन;

(3) कारागार में प्रवेश से पूर्व बंदियों की समुचित जांच, बंदियों के पास से प्राप्त अवैध/अनाधिकृत सामानों को उप अधीक्षक/अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा;

(4) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक आगंतुक एवं स्टाफ सदस्य ड्योढ़ी में आगमन एवं प्रस्थान से पूर्व निर्धारित पंजिका में अपने आगमन एवं प्रस्थान का विवरण दर्ज करे;

(5) ड्योढ़ी में प्रवेश के समय आगंतुकों की समुचित जांच;

(6) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी मुलाकाती को बिना अनुमति के बंदी से नहीं मिलने दिया जाए;

(7) अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बाद ही बंदियों को उनके योग्य अधिवक्ताओं से मिलने दिया जाना चाहिए;

(8) यह सुनिश्चित करना कि ड्योढ़ी में प्रवेश एवं प्रस्थान करते समय सभी अधिकारियों की ठीक से जांच हो;

(9) यह सुनिश्चित करना कि ड्योढ़ी को उनके निर्देशों पर ही प्रवेश एवं प्रस्थान के लिए खोला जाए;

(10) यह सुनिश्चित करना कि कारागार के अंदर लाये जाने वाले एवं बाहर ले जाए जाने वाले सभी सामानों के लिए समुचित प्रविष्टियां की गई हों;

(11) बाहर के अस्पतालों में स्थानांतरित किये जाने वाले बंदियों के लिए समुचित परिवहन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना;

(12) हर कारागार की ड्योढी में प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की प्रविष्टि करना एवं इसको अधीक्षक के सम्मुख आवश्यक आदेशों एवं अध्ययन के लिए रखना;

(13) ड्योढ़ी में लगाये गये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एक्स–रे स्कैनर, दरवाजे हेतु मेटल डिटेक्टर, हस्तगत मेटल डिटेक्टर इत्यादि का रखरखाव। उन्हें यह भी सुनिश्चित

करना चाहिए कि ड्योढ़ी से बाहर जाने वाले सभी वाहन सावधानीपूर्वक जांच लिये गये हैं ताकि नियम–विरुद्ध कोई भी सामान बाहर न ले जाया जा सके; और

(14) कोई प्रतिकूल घटना उनके संज्ञान में आने पर कारागार के अधीक्षक एवं उप अधीक्षक के संज्ञान में लायी जाएगी।

107. चक्कर ड्यूटीः–आंतरिक नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारियों का प्रभारी एक सहायक अधीक्षक होगा जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः–

(1) यह सुनिश्चित करना कि सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी बंदी को वार्ड से बाहर नहीं जाने दिया जाए;

(2) सभी वार्ड में समस्त शैक्षणिक, सुधारात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का समन्वय;

(3) बैरक बंदी पंजिका समेत आंतरिक नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारियों से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेजों का समुचित रखरखाव;

(4) बंदियों का समयबद्ध 'लॉक–इन' एवं 'लॉक–आउट';

(5) निर्माण एवं रखरखाव संबंधी कामकाज एक साप्ताहिक रिपोर्ट अधीक्षक को सौंपना;

(6) बंदियों के बीच अनुशासन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना;

(7) कारागार में समुचित स्वच्छता सुनि"चत करना एवं हरियाली/उद्यान का रखरखाव;

(8) यह सुनिश्चित करना कि वार्ड से केवल वही बंदी बाहर निकलें जिन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है और मुलाकात के लिए भेजे जाने वालों का समुचित विवरण तैयार किया गया है;

(9) यह सुनिश्चित करना कि वार्ड में सामान्य एवं पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता है;

(10) यह सुनिश्चित करना कि अपने–अपने वार्ड में तैनात कारापाल ड्यूटी के दौरान सतर्क रहें और ड्यूटी पूरी होने एवं अपना स्थानापन्न आने पर ही वार्ड से प्रस्थान करें;

(11) यह सुनिश्चित करना कि कारागार अधिकारी समेत कोई भी चक्कर में अनावश्यक प्रवेश न करे जब तक कि कोई जायज कार्य न हो;

(12) यह सुनिश्चित करना कि सीसीटीवी, वीडियो कॉफ्रेंसिंग उपकरण, कम्प्यूटर, संचार नेटवर्क, मोबाइल जैमर, आर.ओ. सिस्टम, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ऊर्जा तापन प्रणाली इत्यादि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(13) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी हिंसा से मुकाबले के लिए दंगा नियंत्रण उपकरण एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कार्यशील अवस्था में हैं;

108.रसोई कार्यः सहायक अधीक्षक रसोईघर के प्रभारी होंगे एवं निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगेः—

(1) भोजन, चाय एवं खान—पान की सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा का रखरखाव;

(2) यह सुनिश्चित करना कि भोजन समुचित समय पर वितरित किया गया है;

(3) रसोई घर में गैस एवं ईंधन की समयबद्ध आपूर्ति एवं सौर तापन प्रणाली का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करना;

(4) रसोईघर में तैनात बंदियों के लिए पारिश्रमिक की तैयारी;

(5) रसोईघर के भंडार की चोरी से रक्षा करना;

(6) रसोई वार्ड में बंद बंदियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना;

(7) रसोईघर के लिए समयबद्ध तैयारी और आवश्यक सामग्री को भेजना;

(8) रसोईघर के सभी उपकरणों का सुरक्षित रखरखाव;

(9) रसोईघर में भोजन की बर्बादी रोकना एवं मितव्ययता सुनिश्चित करना;

(10) यह सुनिश्चित करना कि दोपहर एवं शाम के भोजन में अलग—अलग प्रकार की सब्जियां दी जाएं एवं भोजन की साप्ताहिक सूची समयपूर्व तैयार व प्रदर्शित की जाए और समय से आपूर्ति के लिए उप अधीक्षक (स्टोर) को सौंप दी जाए;

(11) यह सुनिश्चित करना कि भोजन के वितरण के लिए बर्तन समुचित स्थिति में हैं; और

(12) यह सुनिश्चित करना कि बंदियों ने भोजन बनाते समय निर्धारित कपड़े, दस्ताने एवं सिर पर टोपी पहनी है। रसोईघर में समुचित आरोग्यता एवं स्वच्छता बनाये रखना।

सहायक अधीक्षक (विधि):

109. सहायक अधीक्षक (विधि) कानूनी विषयों का प्रभारी होगा एवं:—

(1) 'मुफ्त कानूनी सहायता प्रकोष्ठ' से संबंधित कामकाज का समन्वय करेगा;

(2) दोषसिद्ध या बंदियों द्वारा दायर याचिका/याचिकाओं पर अदालतों में परिच्छेद आधारित टिप्पणियां तैयार करेगा, दोषसिद्ध बंदियों की अपील की समयबद्ध तैयारी करेगा;

(3) अदालतों में दायर याचिकाओं का उत्तर देने के लिए कारागार के कानून अधिकारी के साथ समन्वय करेगा;

(4) विधिसम्मत पंचायतों के प्रस्ताव को देखेगा;

(5) मंत्रणा की सुविधा के लिए कानूनी पुस्तकों, पत्र—पत्रिकाओं एवं अदालत के महत्वपूर्ण निर्णयों के पुस्तकालय का रखरखाव करेगा;

(6) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक अर्हताप्राप्त बंदी को कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए;

(7) यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक बंदी को लेखन—सामग्री, टाइपिंग, फोटोस्टेट, निचली अदालत के रिकॉर्ड आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएं;

(8) बंदियों द्वारा जमा याचिकाओं की प्राप्ति एवं प्रेषण का समुचित विवरण रखेगा एवं याचिकाओं की समय से प्राप्ति एवं प्रेषण भी सुनिश्चित करेगा;

(9) अधिवक्ताओं के दौरों एवं कानूनी सहायता एजेंसी में जमा होने से पूर्व बिलों के सत्यापन का विवरण रखेगा; और

(10) बंदियों की कानूनी सहायता प्रकोष्ठ से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा।

सहायक अधीक्षक (चिकित्सा):—

110. सहायक अधीक्षक (चिकित्सा) चिकित्सा संबंधी विषयों का प्रभारी होगा एवं निम्नलिखित जिम्मेदारियां निभाएगाः–

(1) चिकित्सा अधिकारी, निवासी चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय करना;

(2) नशेड़ियों समेत रोगियों की शिकायतों पर ध्यान देना;

(3) रोगियो की फाइलों का रखरखाव सुनिश्चित करना;

(4) कारागार में समुचित स्वच्छता एवं निर्मलता सुनिश्चित करना;

(5) कारागार परिसर से नियमित कचरा हटाने के लिए उत्तरदायी रहना एवं कारागार अधीक्षक को सप्ताह में दो बार रिपोर्ट करना;

(6) बाहर अस्पतालों में भेजे गए बंदियों के साथ लगातार सम्पर्क में रहना एवं सुनिश्चित करना कि अस्पतालों में समुचित तवज्जो एवं उपचार मिलने समेत उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है;

(7) यह सुनिश्चित करना कि बीमार बंदियों को समय पर दवाएं दी जा रही हैं एवं चिकित्सा/कारागार स्टाफ की उपस्थिति में उनका सेवन किया जा रहा है;

(8) कारागार अस्पताल में नियुक्त चिकित्सा कर्मचारियों की समुचित सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना।

(9) बाहरी अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों की यथायोग्य देखभाल एवं उपचार सुनिश्चित करना;

(10) किसी बंदी के गंभीर रूप से बीमार होने पर कारागार अधीक्षक को सूचना देना ताकि उसका मामला संबंधित अदालत के समक्ष उठाया जा सके;

(11) गंभीर रूप से बीमार बंदी की सहायता के लिए उनके बाहरी परिजनों से संपर्क कर अस्पताल में एक परिचारक की व्यवस्था करना;

(12) रसोई की पर्चियों, अस्पताल मांगपत्रों एवं स्वयं के समक्ष चिकित्सकीय आधार पर राशन एवं अनेक प्रकार का सामान जारी करने हेतु प्रस्तुत अन्य मांगपत्रों की सत्यता का परीक्षण करना।

111. वार्ड ड्यूटीः—वार्ड प्रभारी सहायक अधीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा किः—

(1) किसी भी वार्ड में कोई भी बंदी अनाधिकृत रूप से बिना किसी कानूनी दस्तावेज यथा वारंट आदि के बंद नहीं है;

(2) वार्ड में निवास पूरी तरह से नियमों के अनुसार है;

(3) बीमार बंदियों को समय से उपचार एवं उचित देखरेख मिल पा रही है;

(4) शौचालय एवं स्नानागार समेत पूरे वार्ड की स्वच्छता एवं निर्मलता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है;

(5) वस्त्र, बिस्तर आदि समुचित ढंग से उपलब्ध कराये गये हैं;

(6) प्रत्येक बंदी के पास सोने के लिए पर्याप्त एवं उचित स्थान है;

(7) पीने एवं अन्य उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति पर्याप्त है;

(8) वार्ड में शैक्षणिक, सुधारात्मक एवं मनोविनोद संबंधी गतिविधियां नीति एवं अनुसूची के मुताबिक हैं;

(9) बंदियों को समय पर 'लॉक—इन' व 'लॉक—आउट' किया जाता है;

(10) अदालत भेजे जाने या मुलाकात हेतु अनुमति मिलने अथवा रिहा होने से पूर्व किसी बंदी की पहचान पूर्णतया स्थापित है;

(11) वार्ड मे बंदियों के बीच अनुशासन बना हुआ है;

(12) वार्ड में कारागार की सम्पत्तियों की पर्याप्त देखरेख एवं समुचित गणना की गई है;

(13) उपकरण जैसे खेलकूद के आइटम, टीवी, किताबें, समाचार—पत्र इत्यादि उपयोग के लिए तैयार स्थिति में रखे हैं;

(14) यह सुनिश्चित करना कि बंदियों को सरकारी मूल्य पर पर्याप्त कपड़ों की आपूर्ति की जा रही है;

(15) यह सुनिश्चित करना कि हर बंदी को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है;

(16) यह सुनिश्चित करना की वार्ड मे बंदियों उचित प्रकार से अलग–अलग किया गया है;

(17) यह सुनिश्चित करना कि नियमित एवं आकस्मिक दोनों प्रकार की जांच नियमित तौर पर की जा रही हैं ताकि बंदियों की पहुंच प्रतिबंधित अनाधिकृत सामानों तक न हो पाए;

(18) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल जैमर, डीएफएमडी/एचएचएमडी/सर्चलाइट, विद्युत उपकरण आदि का यथोचित रखरखाव;

(19) मौत की सजा पा चुके बंदियों को भोजन दिये जाते समय उप अधीक्षक की सहायता करना एवं उसके साथ उपस्थित रहना;

(20) मौत की सजा पा चुके बंदियों की जांच में उप अधीक्षक की सहायता करना और उस सेल की जांच करना, जहां ऐसे बंदी बंद हैं;

(21) मौत की सजा पाए बंदियों से मुलाकात संबंधी कामकाज;

112. सहायक अधीक्षक (स्टोर)

सहायक अधीक्षक (स्टोर) के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगेः–

(1) सभी भंडार घरों अर्थात अनाज, खानपान सामग्री, आपूर्ति, कच्चा माल, सहायक सामग्री, निर्मित सामान, बंदियों से संबंधित उपकरण, कर्मचारियों के उपकरण, बेकार माल, विविध सामग्री भंडार इत्यादि का प्रभारी होना;

(2) राशन भंडार का प्रभारी होना जैसा आमतौर पर कहा जाता है;

(3) राशन एवं खरीदी गई अन्य सामग्री के भंडारण और रखवाली एवं उनके वितरण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होना;

(4) मांगपत्र देना एवं बंदियों के लिए खानपान के सभी सामानों की आपूर्ति प्राप्त करना;

(5) भंडार पंजिकाएं एवं संबंधित अन्य विवरण के साथ भंडार के प्रतिदिन समुचित रखरखाव पर ध्यान देना;

(6) अलग–अलग खातों का रखरखाव एवं प्राप्त किये जाने वाले एवं उपयोग के बाद फेंक दिये जाने वाले खाली टाट के

बोरों एवं अन्य संदूकों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होना;

(7) उपभोग के लिए राशन एवं अन्य सामानों की तुलाई एवं वितरण करना;

(8) अनाज, सब्जियों एवं आहार की अन्य सामग्री की साफ–सफाई एवं उनकी पिसाई का पर्यवेक्षण करना;

(9) राशन भंडार में रखी जाने वाली सिविल स्टोर सामग्री का संरक्षक होना;

(10) बंदियों के निजी कपड़ों एवं कारागार वाले कपड़ों के भंडार का संरक्षण एवं बंदियों को नये कपड़े प्रदान करना;

(11) कपड़ों एवं पंजिकाओं का निर्धारित स्वरूप में रखरखाव;

II.प्रहरी कार्मिक

113. प्रहरी कार्मिकों में प्रधान मुख्य कारापाल, प्रधान मुख्य आर्या, मुख्य कारापाल, मुख्य कारापाल, कारापाल एवं आर्या होंगे। हर छह बंदियों पर न्यूनतम एक प्रहरी होना चाहिए एवं तीनों पालियों में इसी अनुपात का पालन किया जाना चाहिए। (नोटः अनुपात की गणना करते समय उद्योगों एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों से जुड़े स्टाफ को सम्मिलित नहीं किया जाएगा)। विभिन्न अनुभागों/बिंदुओं पर प्रहरी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को अधीक्षक द्वारा आवर्ती आधार पर कैडर के अंतर्गत उसके ओहदे को ध्यान में रखते हुए निम्न क्षेत्रों में विि"ाष्ट कार्य प्रदान किया जाएगा;

(i) सुरक्षा, अभिरक्षा, अनुशासन;

(ii)बंदियों की जांच एवं गिनती;

(iii)कारागार खोलना एवं ताला लगाने की प्रक्रिया;

(iv)कारागार की इमारतों, दीवारों, तालों, उजाले की व्यवस्था, चिटखनी में क्षति एवं कमी के बारे में सूचित करना, इन कमियों को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाना एवं तालों व चाबियों, हथकड़ियों एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव का ध्यान रखना;

(v) बंदियों का कल्याण एवं ख्याल रखना;

(vi)संस्थागत परिसरों, प्रवेश द्वारों, पृथक स्थानों, बैरक, शयनकक्षों, सेल, कार्य शाला, सजा स्थल, अलगाव यार्ड, अस्पताल, रसोईघर, कृषि क्षेत्र एवं संस्थान के हर भाग में अनुशासन बनाये रखना;

(vii)स्वयं के प्रभार में आने वाले क्षेत्रों में स्वच्छता एवं निर्मलता;

(viii)रखवाली एवं संतरी ड्यूटी;

(ix)बंदियों को कामकाज के लिए ले जाना, उनके कार्य की देखरेख करना, औजारों, सम्पत्ति, उपकरण, बेकार माल एवं पशुधन की देखभाल एवं रखरखाव;

(x)भोजन, कैंटीन के सामानों एवं बंदियों के उपकरणों के वितरण का पर्यवेक्षण;

(xi)तकनीकी कार्मिकों के वर्कशेड में, प्रबंधन एवं अनुशासन में सहायता करना, संबंधित सभी कार्यों में कृषि संबंधी कार्मिकों की सहायता करना;

(xii)जहां शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं मनोविनोद संबंधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां अनुशासन बनाये रखना;

(xiii)उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करने के लिए अनुशासनहीनता भंग की घटनाओं की सूचना देना;

(xiv)बंदियों की आदतों एवं व्यवहार की प्रवृत्ति का अवलोकन करना एवं संबंधित प्राधिकारियों को इसकी सूचना देना, आदतों एवं रवैये में सुधार के लिए बंदियों की सहायता करना;

(xv)सभी आपात स्थितियों में सुरक्षात्मक एवं नियंत्रित करने वाले कदम उठाना;

(xvi)कर्मचारी आवासों में अनुशासन;

(xvii)पीटी ड्रिल, परेड एवं आपात अभ्यास;

(xviii)महानिरीक्षक की राय में प्रधान मुख्य कारापाल, प्रधान मुख्य आर्या, मुख्य कारापाल, मुख्य आर्या, कारापाल एवं आर्या सभी उस अनुशासन के दायरे में आएंगे, जो सुरक्षा एवं प्रबंधन से संबंधित सभी कर्तव्यों एवं कार्यों के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

प्रधान मुख्य कारापाल/प्रधान मुख्य आर्या

114. यह प्रत्येक प्रधान मुख्य कारापाल/प्रधान मुख्य आर्या का उत्तरदायित्व होगा कि:

(1) उसके अधीनस्थ कारापालों एवं मुख्य कारापालों के ड्यूटी पालन की देखरेख करना;

(2) कारागार के प्रबंधन में हर संभव तरीके से योगदान देना, कारागार से भागने की रोकथाम करना एवं आमतौर पर अधीनस्थ अधिकारियों एवं बंदियों के बीच व्यवस्था एवं अनुशासन की देखरेख करना;

(3) उस समय प्रभावी समस्त कानूनों, नियमों, नियमनों, निर्देशों एवं आदेशों में उल्लिखित आकांक्षाओं का पालन करना, स्वयं द्वारा निभाये जाने वाले उत्तरदायित्व एवं उनको निभाने के निर्धारित तरीकों का पालन करना;

(4) ओहदे मे अपने से वरिष्ठ सभी अधिकारियों के आदेशों का आज्ञापालन करना;

(5) नित्य निभाई जाने वाली सभी जिम्मेदारियों में उप अधीक्षक की सहायता करना;

(6) यह सुनिश्चित करना कि शौचालय एवं स्नानागार कीटाणुनाशकों द्वारा साफ किये गए हैं एवं भोजन सुव्यवस्थित ढंग से वितरित किया गया है;

(7) सभी लोहे की सलाखों, दरवाजों एवं मिलती जुलती चीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं समय–समय पर आश्वस्त होना कि वह सुरक्षित हैं;

(8) मुख्य कारापाल, कारापाल की वर्दी का परीक्षण करना एवं उनको प्रतिदिन आधे घंटे की ड्रिल देना;

(9) स्वयं संतुष्ट होना कि सभी बंदी जिनको अदालत या अस्पतालों में जाने की आवश्यकता है, वार्ड से समयपूर्वक भेज दिये गए हैं;

(10) यह सुनिश्चित करना कि वार्ड के अंदर बंदियों की कोई अनाधिकृत हरकत नहीं हो रही है;

(11) स्वयं संतुष्ट होना कि वार्ड में सभी सुधारात्मक गतिविधियां कार्यसूची के अनुरूप चलाई जा रही हैं;

(12) यह सुनिश्चित करना कि वार्ड के प्रवेश द्वार पर सभी 'प्रवेश' एवं 'प्रस्थान' दर्ज करने के लिए रखी वार्ड पंजिका समेत वार्ड में सभी दस्तावेजों एवं पंजिकाओं का रखरखाव ठीक प्रकार से किया गया है;

(13) बंदियों द्वारा किसी भी अप्रिय घटना या नियमों की अवहेलना की रिपोर्ट तुरंत प्रभारी सहायक अधीक्षक (वार्ड) उप अधीक्षक को करना;

(14) महानिरीक्षक के निर्दे"ाों के क्रम में पाठ्यक्रम, ड्रिल एवं परेड में शामिल होना होगा और समय–समय पर होने वाली हथियार एवं गोलाबारूद के उपयोग के प्र"ाक्षण में भाग लेना होगा;

(15) ड्रिल हेतु उत्तरदायी प्रधान मुख्य कारापाल/आर्या के कर्तव्य इस प्रकार होंगेः–

(i) प्रत्येक मुख्य कारापाल/कारापाल (उनको छोड़कर जिनको छूट प्राप्त है) से प्रतिदिन आधे घंटे की ड्रिल करवाना एवं ड्रिल प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रत्येक कारापाल एवं मुख्य कारापाल के नाम सहायक अधीक्षक को रिपोर्ट करना;

(ii) अधीक्षक द्वारा आदेशित की गई किसी भी दण्डात्मक ड्रिल को कार्यरूप में परिणत करना;

(iii) सभी हथियारों एवं वर्दी की साजसज्जा का प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं यह देखना कि वह स्वच्छ एवं तुरंत उपयोग के लिए तैयार हैं;

(iv) शस्त्रागार, गोलाबारूद एवं वर्दी की अतिरिक्त साजसज्जा का प्रभार लेना, अधीक्षक के आदेशों के अनुसार शस्त्रागार की चाबी अपने पास रखना। यह देखना कि गोलाबारूद सूखा एवं व्यवस्थित रखा है एवं हर राइफल के लिए दस राउण्ड छर्रा उपयोग के लिए हमेशा तैयार हैं;

(v) आ"वस्त होना कि हर संतरी अपने पद के लिए नियत निर्देशों को जानता एवं समझता हो;

(vi) भंडार में प्राप्त एवं खर्च किये गए गोलाबारूद की मात्रा का लेखाजोखा रखना;

(16) प्रधान मुख्य कारापाल प्रतिदिन अधीक्षक के आगमन पर यह रिपोर्ट करेगा कि लाठियां, रक्षात्मक उपकरण, आंसू गैस आदि समेत हथियार एवं गोलाबारूद आपात स्थिति में उपयोग के लिए तैयार हैं या नहीं। साथ ही जानकारी में आने वाले किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में अवगत कराएगा।

नोटः– यदि प्रधान मुख्य कारापाल/प्रधान मुख्य आर्या नियुक्त नहीं हैं तो वरिष्ठतम मुख्य कारापाल/मुख्य आर्या को प्रधान मुख्य कारापाल/प्रधान मुख्य आर्या की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी।

मुख्य कारापाल/मुख्य आर्या

115. मुख्य कारापाल/मुख्य आर्या के उत्तरदायित्वः मुख्य कारापाल/मुख्य आर्या के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगेः

(1) स्वयं के अधीनस्थ कारापालों की ड्यूटी के निर्वहन की देखरेख करना;

(2) कारागार के प्रबंधन में हर संभव तरीके से योगदान देना, कारागार से भागने की रोकथाम करना एवं आमतौर पर अधीनस्थ अधिकारियों एवं बंदियों के बीच व्यवस्था एवं अनुशासन की देखरेख करना;

(3) उस समय प्रभावी समस्त कानूनों, नियमों, नियमनों, निर्देशों एवं आदेशों में उल्लिखित आकांक्षाओं का पालन करना स्वयं द्वारा निभाये जाने वाले उत्तरदायित्व एवं उनको निभाने के निर्धारित तरीकों का पालन करना;

(4)ओहदे में खुद से वरिष्ठ सभी अधिकारियों के आदेशों का आज्ञापालन करना।

(5)नित्य निभाई जाने वाली सभी जिम्मेदारियों में उप अधीक्षक की सहायता करना;

(6)शयनकक्षों, सेल एवं अन्य कमरों को उप अधीक्षक सहायक अधीक्षक की उपस्थिति में रोज सुबह खोलना एवं बंदियों की गिनती करना;

(7)कामकाज सौंपे जाने वाले बंदियों का प्रतिदिन सुबह उनके यथायोग्य स्थान पर वितरण करना;

(8)दिन भर कामकाज हेतु आवश्यक औजार, सामग्रियां, कच्चा माल एवं अन्य सामान जारी करना एवं जारी किये गए सभी सामानों का विवरण दर्ज करना;

(9)हर शाम को कार्य की नियत अवधि पूरी होने के पश्चात बंदियों के श्रम से प्राप्त उपलब्धि के साथ–साथ सभी सामानों का संग्रह करना;

(10)आ"वस्त होना कि जारी किये गए सभी सामान यथायोग्य वापस कर दिये गए हैं अथवा उसका लेखांकन किया गया है;

(11)यह सुनिश्चित करना कि शौचालय एवं स्नानागार कीटाणुनाशकों द्वारा साफ किये गए हैं एवं भोजन सुव्यवस्थित ढंग से वितरित किया गया है;

(12)स्टाफ की हर बार बदली होने पर बंदियों की जांच करना;

(13) सभी लोहे की सलाखों, दरवाजों एवं मिलती–जुलती चीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं समय–समय पर आश्वस्त होना कि वह सुरक्षित हैं;

(14)सभी बांस, लकड़ी डंडे, सीढ़ियां, रस्सियां, वेल गियर एवं अन्य सामान, जिनका उपयोग बंदियों के भागने में अथवा भागने को आसान बनाने में हो सकता है, को हटवाना एवं बंदियों की पहुंच से परे उन स्थानों पर रखवाना जो इन वस्तुओं के भंडारण हेतु निर्धारित हैं;

(15)दिन की सेवा के दौरान लगातार गश्त पर रहें, बंदियों के बीच रहें, कारागार के काम और अनुशासन पर निगरानी रखें तथा कारापाल और ऐसे बंदियों, जिन्हें निगरानी का जिम्मा सौंपा गया हो, उन्हें सतर्क रखें;

(16) उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक की उपस्थिति में गिनती के समय बंदियों की तलाशी लें और प्रत्येक शाम को उन्हें उनकी कोठरियों और दूसरे कक्षों में बंद करें;

(17) कारापालों की वर्दी की जांच करें और उन्हें प्रतिदिन आधे घंटे की गश्त कराएं;

(18) सुनिश्चित करें कि बिजली का प्रत्येक उपकरण और फिटिंग ठीक है और ठीक काम कर रहा है ताकि किसी दुर्घटना या दुरुपयोग की संभावना न रहे।

(19) सुनिश्चित करें कि जिन भी बंदियों को अस्पताल या न्यायालय भेजा जाना है वे अपनी कोठरियों से तय समय पर निकल चुके हैं;

(20) सुनिश्चित करें कि वार्ड में बंदियों का कोई अनधिकृत आना जाना न हो;

(21) सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वार्ड में सुधार संबंधी सभी गतिविधियां तय समय पर की जा रही हैं;

(22)सुनिश्चित करें कि किसी बंदी के पास या उसकी पहुंच में कोई प्रतिबंधित वस्तु न हो;

(23) अधीक्षक द्वारा बंदियों के लिए तय दिनचर्या का ठीक से अनुपालन सुनिश्चित करें;

(24)सुनिश्चित करें कि वार्ड के दरवाजे पर सभी रिकॉर्ड और रजिस्टर, जिसमें रजिस्टर संख्या 16(ए) भी

शामिल है, ठीक से रखे जा रहे हैं ताकि वार्ड से आने–जाने का पूरा रिकार्ड रखा जा सके;

(25)वार्ड की तलाशी लें ताकि किसी के पास कोई भी प्रतिबंधित या निषिद्ध वस्तु न हो;

(26)किसी भी घटना या नियम के उल्लंघन की सूचना तुरंत सहायक अधीक्षक प्रभारी (वार्ड)/और उपाधीक्षक को दें;

(27) मुख्य कारापाल उसके अधीन वार्ड की सभी सरकारी संपत्तियों और बंदियों को दिये गये बिस्तर, वस्त्र, बर्तन, बिजली के उपकरण और फर्नीचर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और इनका अद्यतन रिकॉर्ड तैयार करेगा।प्रत्येक मुख्य कारापाल संतरियों की ड्यूटी बदलने के लिये तय घंटे से 10 मिनट पहले ड्यूटी संभालने जा रहे सभी संतरियों को कारागार के मुख्य दरवाजे पर इकट्ठा करेगा। और नियत समय पर वह ड्यूटी संभालने जा रहे सभी संतरियों को उनके तय स्थान पर गश्त कराते हुए ले जाएगा और जिन कारापालों की ड्यूटी खत्म हो रही वे दोहरी लाइन में गश्त करते हुए वापस आएंगे;

(28) प्रत्येक वार्ड में एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें कार्यमुक्त हो रहा और कार्यभार संभाल रहा कारापाल दोनों ड्यूटी बदलने के समय हस्ताक्षर करेंगे। जिम्मा संभालने से पहले ड्यूटी संभालने जा रहा कारापाल स्वयं को आ"वस्त करेगा कि वार्ड में प्रत्येक चीज ठीक है और वह इस बात को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(29)जब कारागार की चाभियां किसी अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में न हों तब उन्हें इस काम के लिये कारागार के मुख्य द्वार पर रखे गये एक तालाबंद संदूक में रखा जाएगा, और इस संदूक की चाभी दिन में मुख्य कारापाल के पास रहेगी और रात्रि में ड्यूटी पर तैनात गश्त अधिकारी के पास रहेगी; और

(30) कारागार की चाबियां, यदि इस्तेमाल में नहीं हैं या कारागार के किसी अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में नहीं हैं तो इन्हें मुख्य गेट के उद्दे"य के लिए एक तालाबंद संदूक में रखा जाएगा। इन चाबियों को दिन में मुख्य कारापाल की अभिरक्षा में तथा रात्रि में ड्यूटी पर आए निरीक्षण अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा;

कारापाल

116. कारापालों के पास एक सुनिश्चित दायित्व होना चाहिए। अधीक्षक या उपाधीक्षक द्वारा प्रत्येक कारापाल को एक निश्चित दायित्व दिया जाएगा जैसे किसी वार्ड या वार्डों का जिम्मा, एक या कई कार्य"ाालाओं का जिम्मा या कारागार के अंदर बंदियों के किसी समूह का जिम्मा। कारापालों का स्थान और उनकी जिम्मेदारियों को बराबर बदला जाएगा ताकि वे किसी बंदी से कोई गैर–कानूनी संबंध न विकसित कर पाएं।

कारापालों के सामान्य दायित्व

117. कारापाल का यह दायित्व होगा कि वह सदैवः–

(क) कारागार प्रबंधन, बंदियों में अनुशासन एवं व्यवस्था और कारागार एवं सभी व्यक्तियों, वहां की समस्त संपत्ति की सुरक्षा एवं निगरानी में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक बल के प्रयोग को रोकने में यथाशक्ति मदद करेगा;

(ख) अपने से वरिष्ठ सभी अधिकारियों के सभी वैधानिक आदेशों का पालन करेगा;
(ग) वह समस्त कानूनों, नियमों, उप–नियमों, निर्देशों एवं आदेशों, जो कि उस समय लागू हों, का पालन करेगा और अपने दायित्वों का उसी तरह निर्वाह करेगा जैसा कि उससे अपेक्षित है;
(घ) उसकी अभिरक्षा में दी गयी सभी संपत्तियों की देखभाल करेगा और जब कहा जाएगा तब उनका विवरण देगा;
(ङ) सदैव तैयार रहेगा और जब शस्त्र धारण करने के लिए सायरन बजेगा या कहा जाएगा तो तुरंत वैसा करेगा और वे सभी वैधानिक कार्य करेगा जो कि व्यवस्था बनाये रखने, उपद्रव के शमन या कारागार से भागने या कारागार तोड़ने के किसी सामूहिक प्रयास को रोकने या कारागार या उसकी समस्त संपत्ति की सुरक्षा के लिए कारागार के अंदर या बाहर से किये गये किसी हमले को रोकने के लिये जरूरी होंगे;
(च) कारागार परिसर में चौबीसों घंटे मौजूद रहेगा, यदि रहने का स्थान कारागार परिसर में उपलब्ध करवाया गया है, और बिना अधीक्षक या ड्यूटी अधीक्षक की अनुमति के बाहर नहीं जाएगा;
(छ) सुधार कार्यों के संचालन में कारागार प्रशासन की पूर्ण मदद करेगा;
(ज) सुरक्षा उपकरणों के संचालन से खुद को परिचित कराएगा ताकि उनका समुचित ढंग से प्रयोग किया जा सके;
(झ) ड्यूटी पर सदैव सतर्क रहेगा;
(ण) ड्यूटी पर हमेशा वर्दी में रहेगा सिवाय उस समय के जब अधीक्षक द्वारा लिखित आदेश से इस आदेश से मुक्त किया गया हो;
(ट) उसकी अभिरक्षा में मौजूद बंदियों की संख्या का पता रखेगा। वह बार–बार उनकी गिनती करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसकी अभिरक्षा में मौजूद बंदी, जिनके लिए वह जिम्मेदार है, संख्या और विवरण दोनों के मुताबिक सही हैं;

(ठ) जो बंदी उसे सौंपे जाएंगे या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिनका जिम्मा दिया जाएगा उन्हें प्राप्त करते समय या उनका जिम्मा लेते समय उनकी तलाशी लेगा;
(ड) जो बंदी उसके जिम्मे होंगे उनमें से जो निठल्ले बैठेंगे या दिया गया काम नहीं करेंगे या जो कारागार का कोई अन्य नियम तोड़ेंगे उनकी सूचना देगा;
(ढ) जो बंदी बीमार प्रतीत होगा या अस्वस्थ होने की सूचना देगा उसके बारे में मुख्य कारापाल को जानकारी देगा ताकि समय पर उपचार की व्यवस्था की जा सके;
(ण) कारागार से भागने या किसी हमले के षडयंत्र या किसी प्रतिबंधित वस्तु को हासिल किए जाने से संबंधी कोई जानकारी तुरंत देगा;
(त) बंदियों को एकत्रित करने या परेड के लिए तैयार करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसा बंदी ड्यूटी के नियत स्थान पर ठीक वर्दी में है और ठीक से व्यवहार कर रहा है;
(थ) यदि कोई बंदी लापता है तो तुरंत प्रक्रियानुसार कार्यवाही करेगा;
(द) अपने शस्त्र और उपकरणों को त्वरित प्रयोग के लिए सुव्यवस्थित और साफ रखेगा;
(ध) किसी भी प्रकार की शैक्षिक, सुधारात्मक, मनोरंजक और शारीरिक गतिविधि में मुख्य कारापालों और अपने वरिष्ठों की यथाशक्ति मदद करेगा;
(न) सुनिश्चित करेगा कि वार्ड में बंदियों का कोई अनधिकृत आवागमन न हो;
(प) सुनिश्चित करेगा कि उसके जिम्मे के किसी भी बंदी के पास कोई प्रतिबंधित वस्तु न हो;
(फ) सुनिश्चित करेगा कि बंदियों के मानवाधिकारों का पूरा सम्मान हो और किसी तरह का उल्लंघन न हो;
(ब) यह सुनिश्चित करेगा कि अधीक्षक द्वारा बंदियों के लिए जारी दिनचर्या का पूरा पालन हो और उसकी अभिरक्षा में मौजूद बंदी पूरी तरह अनुशासित हों;
(भ) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अभिरक्षा में मौजूद बंदियों में कोई भी गैरकानूनी रूप से हिरासत में तो नहीं है;

(म) कोई भी कारापाल जिस समय वह ड्यूटी पर है, किसी भी हाल में और किसी भी समय, किसी भी बहाने से अपनी तैनाती की जगह को नहीं छोड़ेगा या अनुपस्थित नहीं होगा जब तक कि उसे नियमानुसार दायित्व से मुक्त न किया जाए या उसकी छुट्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर न की जाएं। वह किसी को भागने से रोकने या उसकी निगाह में होने वाले किसी उपद्रव के शमन के लिए या जब कि उसके पास बंदियों का जिम्मा हो और उसकी अभिरक्षा में मौजूद बंदियों को कोई गंभीर खतरा नहीं हो, तो वह अपनी तैनाती की जगह से हट सकता है। यह उस कारापाल की ही जिम्मेदारी होगी कि वह यह प्रमाणित करे कि परिस्थितियां इतनी असाधारण थी कि उसके लिए ऐसा करना उचित था;

(य) कारापाल अपनी ड्यूटी का स्थान ड्यूटी खत्म होने के बाद भी तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी जगह तैनात दूसरा कारापाल वहां आ नहीं जाए और उसे जिम्मा सौंप न दिया जाए।

118. संतरी

119. कारागार के दरवाजे के बाहर चौबीसों घंटे संतरियों की तैनातीः

(1) किसी भी गैरकानूनी तरीके से प्रवेश या निकास रोकने के लिए दरवाजे के बाहर एक संतरी चौबीसों घंटे तैनात रहेगा।

(2) दरवाजे पर तैनात संतरी बाहर वाले दरवाजे के ठीक आगे खड़ा होगा और अपनी रायफल को ठीक ढंग से लेकर इस तरह पूरी तरह तैयार होकर खड़ा होगा कि किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके।

संतरी के दायित्व

120. संतरी के दायित्व इस प्रकार हैं:–

(1) अपनी ड्यूटी पर सतर्क और सजग रहे;

(2) किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा रही पूछताछ को छोड़कर अन्य किसी से बातचीत न करे;

(3) अनावश्यक तौर पर किसी बंदी या कारागार अधिकारी के कार्य में हस्तक्षेप न करे;

(4) किसी भी वजह से किसी भी हाल में अपनी तैनाती की जगह को दूसरे संतरी के आये बिना न छोड़े;
(5) किसी भी व्यक्ति को अपनी तैनाती की जगह तक बिना चुनौती दिये नहीं आने दे;
(6) यदि उत्तर संतोषजनक ना हो तो आगंतुक को चेतावनी दे और जब तक कि पिकेट का जिम्मेदार अधिकारी वहां ना आ जाये तब तक अपनी रायफल को स्पष्ट तौर पर तान कर रखे;
(7) सुनिश्चित करे कि मुख्य दरवाजा और जंगले पूरी तरह से बंद हैं;
(8) लोगों को अपने पास भीड़ न लगाने दे;
(9) यदि वह किसी बंदी को भागते हुये देखे तो उसे रुकने के लिए बोले और वह ऐसा न करे और कोई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित न हो और यदि उस बंदी को किसी और तरीके से भागने से रोकना संभव न हो तो बंदी पर बल प्रयोग करे;
(10) यदि उसे प्रहरीको सतर्क करना हो लेकिन वह उसकी आवाज की पहुंच से दूर हो तो वह सतर्क करने के लिए हवा में एक गोली चलाए;
(11) यदि वह कारागार में या कारागार के पास कोई ऐसी वस्तु देखे जो भागने में मदद कर सकती हो या कोई असामान्य घटना उसकी निगाह में आती है तो वह फौरन पिकेट अधिकारी को सूचित करे;
(12) जब वह रात में मुख्य दरवाजे पर तैनात हो तो किसी भी व्यक्ति को कारागार के अंदर या बाहर न जाने दे सिवाय उनके जो कि आधिकारिक तौर पर ड्यूटी पर अंदर–बाहर आ–जा सकते हों और न ही किसी भी कारापाल को अंदर–बाहर आने जाने दे सिवाय उस समय के जबकि वे गश्ती अधिकारी या अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ हों; और
(13) जब वह ड्यूटी पर हो तब वह अपने शस्त्र और गोली–बारूद को पूरी तरह से सुरक्षित रखे।
(14) अपनी ड्यूटी को बिना किसी अपवाद के पूरी सख्ती से निभाये।

121. आगंतुकों के लिए पहरेदार

किसी सरकारी, गैर–सरकारी या निजी आगंतुक के लिए पहरेदार लाठी रखने वाला कारापाल होगा जो अंगरक्षक कारापाल में से होंगे।

122. संतरी द्वारा अधिकारियों के प्रति आदर

दरवाजे पर तैनात संतरी अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सलामी देगा और उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को बट सलामी देगा। कारागार में आने–जाने वाले सभी अधिकारियों के प्रति वह विनम्र व्यवहार रखेगा।

द्वारपाल

123. प्रत्येक कारागार के मुख्य द्वार पर सुबह दरवाजा खुलने से लेकर रात को दरवाजा बंद होने तक द्वारपाल के रूप में एक मुख्य कारापाल सदैव तैनात रहेगा। प्रत्येक द्वारपाल के ड्यूटी छोड़ते समय ड्यूटी छोड़ने वाले और ड्यूटी संभालने वाले दोनों व्यक्तियों द्वारा एक दस्तावेज पर इसे दर्ज किया जाएगा और दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

द्वारपाल के दायित्व

124. द्वारपाल के दायित्व निम्नलिखित हैंः– कारागार

(1) वह कारागार के अंदर या बाहर ले जायी जाने वाली किसी वस्तु की जांच कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को जिस पर उसे कारागार के अंदर या बाहर किसी प्रतिबंधित वस्तु को लाने या कारागार की किसी संपत्ति को बाहर ले जाने का संदेह हो तो उसे रोक सकता है या उसकी तलाशी ले सकता है या करवा सकता है। यदि उसके पास ऐसी कोई वस्तु या संपत्ति मिलती है तो वह तत्काल उसकी सूचना उपाधीक्षक को देगा;

(2) कारागार के अंदर किसी भी समय आने–जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और समय (घंटे और मिनट और प्रवेश अथवा निकास की सूचना के साथ) एक तय रजिस्टर में दर्ज करेगा और जहां तक संभव हो कारागार के अंदर आने–जाने वाले सभी सामानों का नाम और ब्योरा दर्ज करेगा;

(3) सभी बंदियों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी लिखे होंगे;

(4) वह समस्त कानूनों, नियमों, उप–नियमों, निर्देशों एवं आदेशों, जो कि उस समय किन्ही भी व्यक्तियों जिन्हें आवागमन की अनुमति हो और जो भी वस्तुयें कारागार में या इससे बाहर ले जायी जा सकती हों, के नियमन से संबंधित हों का पालन करेगा और अपने दायित्वों का उसी तरह निर्वाह करेगा जैसा उससे अपेक्षित है;

(5) सभी वस्तुओं, उपकरणों और अन्य सभी ऐसे सामान जो कारागार से अंदर–बाहर ले जाये जाते हों उनका पर्याप्त विवरण जैसे नाम, संख्या या भार जो भी लागू हो या कोई अन्य विवरण जो आवश्यक हो, दर्ज करेगा;

(6) उस अधिकारी का नाम जिसकी जिम्मेदारी के तहत अधिकृत वस्तुएं कारागार से अंदर या बाहर ले जायी जा रही हों उनके जाने का समय (घंटे और मिनट के साथ) दर्ज किया जाना चाहिए। व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही का विवरण क्रमबद्ध ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए;

(7) पिकेट पर मौजूद द्वारपाल एक समय में केवल एक ही दरवाजे को खोलेगा और सुनिश्चित करेगा की आवाजाही के अन्य रास्ते पूरी तरह से बंद और सुरक्षित हैं। सामान्य तौर पर आवागमन केवल जंगले वाले दरवाजों से ही होगा। अंदर वाले दरवाजे में आंख के लिए एक छेद होगा ताकि द्वारपाल बिना अंदर का दरवाजा या जंगले वाला दरवाजा खोले ही कारागार के अंदर देख सके। मुख्य दरवाजा सहायक अधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की देख–रेख में सामान लाने के लिए खोला जाएगा और किसी भी अन्य कार्य के लिए अधीक्षक के आदेश पर खोला जाएगा;

(8) कारागार के अंदर बंदी दोहरे दरवाजे से अंदर–बाहर आएंगे–जाएंगे। द्वारपाल इस मामले में निम्न प्रक्रियाओं का पालन करेगा :

(क) बंदियों को बाहर निकालते समय द्वारपाल पहले उन्हें विकेट से बाहर निकालकर उसे ताला लगायेगा, इसके बाद इस उद्देश्य से दिये गये एक रजिस्टर में सभी बंदियों के नाम, मुख्य कारापाल/कारापाल जो कि उनका इन–चार्ज हो और उसकी मदद कर रहे सहायक कारापाल का नाम दर्ज करेगा।

इसके बाद वह विकेट को बाहरी दरवाजे में खोलेगा जब बंदी बाहर निकल रहे होंगे तो उनकी गिनती करेगा और कुल संख्या की पुष्टि करेगा;

(ख) जिस गैंग की सूची गैंग रजिस्टर में एक बार दर्ज की जा चुकी होगी उनके हर बार मुख्य दरवाजे से निकलने पर दर्ज करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन गैंग में हर बदलाव को दर्ज करना और प्रभारी कारापाल और द्वारपाल के हस्ताक्षर या मोहर से इसे प्रमाणित करना अनिवार्य होगा जो उपाधीक्षक को हालात के बारे में तत्काल सूचित करेगा;

(ग) कारागार के बंदी जो बाहर से प्रवेश द्वार पर लौट रहे होंगे उनके लिए द्वारपाल विकेट को खोलेगा (अंदर वाले को पहले ही ताला लगा दिया जाएगा) और बंदियों को दरवाजों के बीच में आने देगा। उसके बाद वह बाहर वाले विकेट में ताला लगा देगा उसके बाद वह प्रत्येक बंदी का नाम जो कि रजिस्टर में दर्ज है उसके अनुसार पुकारेगा। दरवाजों के बीच प्रत्येक बंदी की व्यक्तिगत तलाशी ली जाएगी। इसके बाद वह अंदर वाले विकेट को खोलेगा और जब बंदी दरवाजे से गुजर रहे होंगे तो उनकी कुल संख्या की पुष्टि के लिए गिनती करेगा;

(घ) द्वारपाल किसी भी ऐसे बंदी को कारागार से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा जो कि किसी पर्याप्त संख्या वाले ऐसे संतरियों की अभिरक्षा में नहीं होगा जो कि उसे बाहर ले जाने के लिए विधि के अनुसार अधिकृत हों;

(9) द्वारपाल मुख्य दरवाजे के सामने वाले हिस्से और दरवाजों के बीच वाले रास्ते और वहां उसकी अभिरक्षा में दिये गये सभी सामानों की स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होगा। वह इसके लिए भी जिम्मेदार होगा कि रात्रि में अलार्म बजने की हालत में उपयोग की जाने वाले टॉर्च एवं अन्य सामान वहां पर चालू हालत में हों;

(10) द्वारपालों को उन सभी आगंतुकों एवं अधिकारियों की सूची दी जाएगी जिनके पास कारागार में आने की अनुमति होगी और वे उन्हें अंदर आने के लिए वहां पहुंचने पर अंदर आने देंगे। वह कारागार के उन अधिकारियों के सिवाय जो

कि अंदर आने के लिए अधिकृत हैं किसी को अंदर नहीं आने देगा या उस हालत में आने देगा जबकि वे अधीक्षक या अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ हों या फिर उनके पास लिखित आदेश हो;

(11) द्वारपाल बिना तलाशी लिये किसी को तब तक अंदर नहीं आने देगा जब तक अधीक्षक उसे ऐसा करने का आदेश न दे;

(12) तलाशी में मिली सभी निषिद्ध वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाएगा और आगंतुकों को लौटते समय वापस किया जाएगा सिवाय उस स्थिति के जबकि ऐसे सामान को रखना कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो;

(13) द्वारपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या हिरासत में लिये जाने का प्रबंध कर सकता है जो कि उसकी उपस्थिति, निगाह या उसकी जानकारी में कोई अपराध करे या किसी कारागार नियम का उल्लंघन करे और तुरंत इसकी सूचना उपाधीक्षक या अधीक्षक को देगा;

(14) प्रत्येक कारागार के दरवाजे और दरवाजे के जंगले की चाबियां द्वारपाल अपने ही पास रखेगा सिवाय उसके कि जब किसी व्यक्ति या सामान को कारागार के अंदर या बाहर कानूनी तौर पर ले जाये जाने में सहायता करने के लिये दूसरे को देना जरूरी हो;

(15) कोई द्वारपाल या अधिकारी जिसे कभी भी कोई चाबी दी गयी हो किसी भी परिस्थिति या किसी भी कारण सेः—

क. किसी भी इस्तेमाल किये जा रहे ताले या किसी बंदी की अभिरक्षा में प्रयोग होने वाली कोई भी कुंजी कारागार के बाहर नहीं ले जाएगा;

ख. चाबी को किसी स्थान पर नहीं छोड़ेगा।

ग. ऐसी किसी भी चाबी को किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा सिवाय कारागार के उस विधिवत अधिकृत अधिकारी के जो कि उसे लेने या अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए अधिकृत हो।

घ. अपनी तैनाती या ड्यूटी की जगह या कारागार को बिना किसी ऐसे अधिकारी को चाबी दिये हुए नहीं छोड़ेगा जो कि उससे कुंजी लेने के लिए अधिकृत हो।

ड. किसी भी कमरे, कोठरी, कक्ष, गोदाम, मुख्य दरवाजे, या मुख्य दरवाजे के जंगले की चाबी किसी भी परिस्थिति या किसी भी कारण से किसी भी बंदी को कभी भी नहीं देगा।

(16) यदि किसी बंदी को रात भर के लिए बंद रखना होगा तो अंदर के दरवाजे के जंगले में एक दूसरा पैडलॉक लगाया जाएगा और इसके बाद द्वारपाल अंदर व बाहर के दरवाजों की चाबियां ड्यूटी पर मौजूद उपाधीक्षक को इसके लिए उपलब्ध कराये गये संदूक में रखने के लिए देगा। साथ ही उनकी उपस्थिति में अंदर के जंगले में लगे एक ताले की चाबी ड्यूटी पर कारागार के अंदर मौजूद गश्त अधिकारी को सौंपेगा और अंदर के जंगले पर लगे दूसरे ताले की चाबी बाहर के जंगले की चाबी के साथ दरवाजे पर मौजूद संतरी को सौंपेगा।

(17) ऊपरलिखित नियम के अनुसार गश्ती अधिकारी के पास रखी गयी चाबियों की एक डुप्लीकेट चाबी दरवाजे पर तैनात पिकेट के अधिकारी के पास या जहां पर कोई गेट पिकेट न हो वहां पर रात में संतरी के पास रखी जाएगी ताकि कारागार के अंदर तैनात अधिकारियों की जानकारी में आये बिना रात में कारागार का दौरा किया जा सके।

(18) द्वारपाल मुख्य दरवाजों और जंगलों की चाबियों को अपनी कमर के पट्टे से एक जंजीर के जरिये बांध कर कुछ अन्य चाबियों के साथ एक गुच्छे में रखेगा ताकि गुच्छा किसी बंदी के अधिकार में आ जाए तो उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल हो कि कौन सी चाबी किस खास ताले की है।

(19) रात में दरवाजों के बीच एक तीव्र प्रकाश वाली रोशनी सदैव जलनी चाहिए और यदि किसी भी वजह से पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध नहीं हो तो द्वारपाल ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को मामले की जानकारी देगा। आपात स्थिति में प्रयोग किये जाने वाले बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

(20) निम्नलिखित उपकरणों की व्यवस्था अधीक्षक द्वारा की जाएगी और आम तौर पर इन्हें द्वारपाल द्वारा मुख्य दरवाजे और पिछले दरवाजे के बीच के रास्ते में रखा जाएगाः

I. अतिरिक्त ताले।

II.भार तौलने वाली एक मशीन।

III. नापने के लिए एक उपकरण।

IV. ताले और चाबी के साथ अतिरिक्त बेड़ियां एवं हथकड़ियां जिन्हें एक छड़ी से बांधा गया हो।

V. द्वारपाल की किताबें और लिखने का सामान रखने के लिए ताले और चाबी वाली एक खड़ी मेज।

VI. चाबियां रखने के लिए दीवार पर लगी एक अलमारी या बक्सा।

VII. टॉर्च और अन्य उपकरण रखने के लिए एक संदूक।

VIII. एक अग्निशामक उपकरण।

IX. नोटिस बोर्ड।

X. रजिस्टर।

XI. एक दीवार घड़ी।

XII. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एक्स–रे स्कैनर, डीएफएमडी, एचएचएमडी इत्यादि।

XIII. तह किये जाने वाले पर्दे (तलाशी लेने के लिए)।

कारागार के सेवादार

125. बंदियों की स्वतंत्र तौर पर निगरानी को छोड़कर कारागार के कुशल प्रबंधन के लिए अधीक्षक दोषसिद्ध बंदियों और विचाराधीन बंदियों की सेवाओं का उपयोग इन नियमों के तहत कर सकता है। विभिन्न गतिविधियों के आसान प्रबंधन से संबंधित कार्यों के सुगम निष्पादन में कारागार कर्मियों की मदद के लिए अधीक्षक सुयोग्य, व्यवहार कुशल, स्वस्थ, अनुशासित और समर्पित दोषसिद्ध बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों की कारागार के सेवादार के रूप में नियुक्ति करेगा। ऐसे सभी बंदी सेवादारों के नाम एक अलग रजिस्टर में दर्ज किये जाएंगे।

बंदी सेवादारों के दायित्व

126. बंदी सेवादारों को निम्नलिखित कामों में प्रयोग किया जा सकता है:

क. नियमित कामों और अनुशासन बनाये रखने में कारागार कर्मियों की मदद करना।
ख. रात्रि में बैरक या कोठरी पर नजर बनाये रखना।
ग. शिक्षा, मनोरंजन, संस्कृति, ध्यान एवं कैंटीन से संबंधित गतिविधियों इत्यादि में सहायता करना।
घ. साथी बंदियों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने और बंदियों की निगरानी के काम में कारागार प्रशासन की मदद करना।
ड. कारागार की रसोई में समय से भोजन तैयार करने एवं उसके वितरण में मदद करना।
च. पंचायत से संबंधित विविध गतिविधियों के प्रबंधन में सहायता करना।

III) चिकित्सा कर्मी

127. बंदियों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के लिए चिकित्सा कर्मी सीधे तौर पर उत्तरदायी होगा। वे कारागार परिसर में स्वच्छता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने के लिए परामर्श भी देंगे। केंद्रीय कारागारों में कम से कम एक चिकित्सक सदैव उपलब्ध होना चाहिए। कारागार अधिकारियों द्वारा प्रत्येक चिकित्साकर्मी की स्पष्ट ड्यटी निम्नलिखित क्षेत्रों में तय की जाएगीः

क. बचाव संबंधी सेवाएं

कारागार में लाये जाने के समय सभी बंदियों का परीक्षण और समय–समय पर दोबारा परीक्षण, जिस उपचार की आवश्यकता है उसकी तुरंत व्यवस्था करना, टीकाकरण, जो बंदी छूत या संक्रमण वाले रोग से ग्रस्त हों उन्हें अलग करना एवं उनका उपचार करना, भोजन, वस्त्र, उपकरणों, औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण, वातावरण एवं संस्थागत साफ–सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, और कर्मियों एवं बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना।

ख. उपचार संबंधी सेवाएं

रोगों का उपचार, दांतों की देखभाल, त्वचा रोगों का उपचार, दृष्टिदोष, दृश्य–श्रव्य संबंधी दोषों एवं अंग–विन्यास संबंधी

दोषों का उपचार, कृत्रिम हाथ–पैर, कांच की आंखें, बैशाखी एवं अन्य सहायक उपकरण, विशेष भोजन, व्यायाम एवं शारीरिक चिकित्सा के लिये परामर्श, मद्य पदार्थों और व्यसन वाले रोगों और मनोरोगों का उपचार।

ग. सामान्य

अस्पताल प्रशासन, अस्पताल अनुशासन, बंदियों का वर्गीकरण, बंदियों की कार्य और रोजगार परक क्षमता का मूल्यांकन, कुछ विशिष्ट प्रकार के बंदियों के प्रति बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में परामर्श, जिन बंदियों को दण्डित किया गया है या मृत्युदण्ड दिया गया है प्रतिदिन उनका दौरा करना, रसोई और कैंटीन की वस्तुओं एवं आपूर्ति का निरीक्षण, कर्मियों का चिकित्सकीय उपचार, संस्थागत मामलों के प्रबंधन में अधीक्षक की सहायता करना और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल।

IV) कल्याण इकाई

128. कल्याणकर्मी मुख्य तौर पर बंदियों के समुचित सुख के लिए उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से उन बंदियों की देखभाल करेंगे जिन्हें सुधार कार्यक्रम के तहत संस्थागत तालमेल बैठाने और अनुकूलन में मुश्किलें आ रही हों। प्रत्येक 200बंदियों पर एक कल्याण अधिकारी होना चाहिए और प्रति 500बंदियों पर एक मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता होना चाहिए। कल्याण अधिकारियों के सुस्पष्ट कर्तव्य निम्न क्षेत्रों में होंगेः

कल्याण अधिकारी (मुख्यालय)

129. वह इस इकाई का मुख्य अधिकारी होगा और इस इकाई के सभी अधिकारी उसके अधीन होंगे। वह कारागार मुख्यालय में सीधे उप–महानिरीक्षक कारागार के प्रति उत्तरदायी होगा।

कल्याण अधिकारी (कारागार)

130. प्रत्येक केंद्रीय एवं जिला कारागार में एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो बंदियों के कल्याण और मुख्यधारा में उनकी वापसी के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की निगरानी करेगा। कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैंः

क) नये बंदियों को परामर्श देना।
ख) बंदियों की शिकायतों को सुनना और उनका निवारण।
ग) कारागार में सामान्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन।
घ) कल्याण इकाई के कार्यों में समन्वय।
ङ) संस्थागत तालमेल बैठाने में बंदियों को आ रही समस्याओं में बंदियों की सहायता।
च) बंदियों के परिजनों एवं उनके आश्रितों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों के समाधान में बंदियों की मदद करना।
छ) सुधार के लिए बंदियों की जरूरतों का कारागार में और कारागार के बाहर मौजूद संसाधनों के साथ तालमेल बैठाना।
ज) श्रेणीकरण, पुनः श्रेणीकरण और रुझान बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी।
झ) बंदियों और कारागार प्रशासन में आपसी समझ को बढ़ावा देना।
ञ) कारागार में अनुशासन एवं सुरक्षा बनाये रखने में कारागार अधिकारियों की मदद करना।
ट) रिहाई से पहले के कार्यक्रमों में भाग लेना और बंदियों को बाहर ऐसे संपर्क विकसित करने में मदद करना जो कि रिहाई के बाद उनके लिए उपयोगी साबित हों।
ठ) बंदियों के पुनर्वास के लिए संसाधनों की पहचान करना।

131.बंदियों की शिकायत प्राप्त करने और उनके समाधान के लिए कल्याण अधिकारी कानून की धारा 57 के तहत नियुक्त शिकायत निवारण समिति का सदस्य होगा और निम्न कार्य करेगाः—

(1) बंदियों के कल्याण के लिए कारागार में आयोजित शैक्षिक, रोजगारपरक एवं मनोरंजक गतिविधियों में अधीक्षक की सहायता करना।
(2) रिहा किये गये बंदियों के पुनर्वास, देखभाल और रिहाई के बाद सहायता के लिए सरकारी एवं गैर—सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
(3) कारागार में सामान्य कल्याण कार्यक्रमों के संचालन में समर्थन के लिए गैर—सरकारी संस्थाओं की मदद जुटाना।

(4) बंदियों के कल्याण और पुनर्वास से संबंधित ऐसे सभी कार्य जो कि उसे अधीक्षक द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं।

कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले विवरणः

132. कल्याण अधिकारी निम्नलिखित सूचना दर्ज करेगाः–

क) सांख्यिकीय ब्योरा और समय–समय पर तैयार रिपोर्ट।

ख) बंदियों के कल्याण कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों का गतिविधिवार विवरण।

ग) दैनिक पंजिका या रिपोर्ट बुक।

घ) सामाजिक कल्याण विभाग एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ पत्राचार।

ङ) ऐसा कोई अन्य विवरण जिसके लिए अधीक्षक द्वारा निर्देश दिया जाए।

विधि अधिकारी

133. विधि अधिकारी उप–महानिरीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देश में काम करेगा। वह कारागार प्रशासन के कानून संबंधी कार्यों का अधिकारी होगा। उसके उत्तरदायित्व निम्नवत हैंः–

(i) महानिरीक्षक एवं अधीक्षकों को ऐसे सभी मामलों में परामर्श देना जिनका कानून से संबंध हो।

(ii) कारागार मुख्यालय एवं अन्य कारागारों के न्यायालय से संबंधित सभी मामलों से जुड़े सभी काम देखना। इसके लिए वह सरकार के वकीलों से तालमेल करेगा और तय समय पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए सरकार से लगातार संपर्क में रहेगा।

(iii) सुनिश्चित करेगा कि न्यायालयों एवं प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मुकदमों में समुचित ढंग से पैरवी की जा रही है।

(iv) सरकारी वकीलों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सरकार एवं महानिरीक्षक के संज्ञान में लाएगा।

(v) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं अन्य अभिकरणों से ऐसे मामलों के संबंध में पत्राचार करने में उप–महानिरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों की मदद करना जिनका वैधानिक महत्व हो।

(vi) विभिन्न कारागारों के कानूनी मामलों में समन्वय और सभी कानूनी मामलों में अधीक्षकों को सहायता प्रदान करना।

(vii) उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सभी मामलों एवं निचली अदालतों में लंबित अहम मामलों की प्रगति की निगरानी करेगा।

(viii) कारागार प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले सभी निर्णयों को महानिरीक्षक एवं उप–महानिरीक्षक के संज्ञान में लाना एवं मुख्य बिंदुओं को सभी अधीक्षकों को उपलब्ध कराना।

(ix) सरकार के वकीलों के साथ समन्वय ताकि न्यायालय एवं अधिकरणों के समक्ष कारागारों से संबंधित मामलों की समुचित पैरवी की जा सके।

(x) सुनिश्चित करना कि न्यायालयों में सभी दस्तावेज और उत्तर समय से दाखिल किये जाएं।

(xi) सभी महत्वपूर्ण मामलों में समय–समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना।

(xii) सुनिश्चित करना कि विधिक सहायता इकाई कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है और कागज–पत्र, उपकरण, पुस्तकें कंप्यूटर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा नियुक्त वकील बराबर विधिक सहायता इकाई का दौरा करें।

(xiii) कानूनी पुस्तकों, कानूनी पत्रिकाओं और महत्वपूर्ण अदालती निर्णयों का पुस्तकालय तैयार करना।

(xiv) बंदियों के वैधानिक एवं प्रक्रिया संबंधी अधिकारों की व्याख्या करना।

(xv) अहम मामलों में याचिका और अपील तैयार करना।

(xvi) विशेष अदालतों, लोक अदालत एवं वीडियो कॉन्फ्रेन्स के आयोजन में कारागार अधिकारियों की मदद करना।

(xvii) कानूनी प्रभाव रखने वाले सभी समझौतों, अनुबंधों, शपथ पत्रों, न्यायालय के अभिलेखों के मामले में कारागार प्रशासन को परामर्श देना और कारागार अधिकारियों को कारागार से जुड़े सभी न्यायिक आदेशों एवं निर्देशों से अवगत रखना।

(xviii) कोई अन्य ऐसा दायित्व जिसे महानिरीक्षक कारागार द्वारा समय–समय पर उसे सौंपा जाएं।

सलाहकार

134. सलाहकार निम्न दायित्वों का निर्वहन करेगाः–

Iबंदियों की भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान।

II उन बंदियों के साथ परामर्श जिन्हें कारागार में कारागार से बाहर उनके परिवार के संबंध में सामंजस्य बैठाने में कोई मुश्किल आ रही हो।

IIIसुधारात्मक उपचार के लिए बंदियों को स्व–छवि, आत्मविश्वास और प्रेरणा देने में मदद करना।

IVबंदियों की समस्याओं को समझने में कर्मियों की मदद करना।

V संबंधित मामलों में मनोचिकित्सक की मदद करना।

V) **शिक्षा कर्मी**

135. कारागारों में शिक्षा को सुधारात्मक उपचार के एक अहम माध्यम के रूप में लागू किया जाना है। इसका मतलब केवल साक्षर मात्र बनाना ही नहीं है बल्कि बंदियों में उन मूल्यों का भी विकास करना है जो उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस आने में मदद करें। अतः जरूरत है कि शिक्षाकर्मी बंदियों को शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध करायें जिसमें विभिन्न शिक्षा कर्मी निम्नवत क्षेत्रों में अपने सुस्पष्ट कर्तव्यों का निर्वाह करेंगेः–

(i) स्वास्थ्य, अकादमिक, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए विविध शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन।

(ii) कारागार शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना।

(iii) नये बंदियों की शैक्षिक क्षमता, योग्यता और रुचियों को जानने के लिए उनकी जांच करना।

(iv) श्रेणीकरण समिति के कार्य में भागीदारी।

(v) साक्षरता, सामाजिक–सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास के कार्यक्रमों का आयोजन।

(vi) जांच और परीक्षाओं का आयोजन; समय–समय पर बंदियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन और आवश्यकतानुसार शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करना।

(vii) पठन–पाठन के लिये समुचित सामग्री के साथ पुस्तकालय तैयार करना।

(viii) दृश्य–श्रृव्य सुविधाएं।

VI) **तकनीकी कर्मी**

136. तकनीकी कर्मी सुधारात्मक प्रक्रिया के एक अहम अंग के रूप में विविध रोजगार परक प्रशिक्षण, जो कि उत्पादक हों, के विकास के लिये उत्तरदायी होंगे। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मी आर्थिक पुनर्वास के लिए ज्ञान एवं कौशल प्रदान करेंगे जबकि अन्य तकनीकी कर्मियों को कारागार की बुनियादी सुविधाओं का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। कारागार प्रबंधन सॉफ्टवेयर, दस्तावेज, सूचना के डिजिटलीकरण और अन्य संबंधित कामों के लिए आवश्यकतानुसार कर्मी लगाए जा सकते हैं। विशिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं:

प्रशिक्षक

137. प्रशिक्षकों के दायित्व इस प्रकार होंगेः–

I रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए बंदियों का परीक्षण, बंदियों का साक्षात्कार एवं उनके संबंध में आंकड़े एकत्रित करना, उसके रोजगार का पूर्ववृत्त, कुशलता, योग्यता और अभिरुचि।

IIबंदियों को काम और रोजगारपरक प्रशिक्षण के संबंध में सलाह देना।

III रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए योजना तैयार करना।

IVबंदियों को अप्रैन्टिसशिप और ऑन–द–जॉब और रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना।

Vसेवा एवं प्रबंधन इकाई के संसाधनों का प्रशिक्षण देने में इस्तेमाल करना।

VI कला एवं दस्तकारी से जुड़े कामों की व्यवस्था करना।

VIIबंदियों के रोजगारपरक कार्यक्रमों की परीक्षा के लिए व्यवस्था करना।
VIII नये बंदियों को प्रशिक्षण देना।
IXबंदियों के प्रशिक्षण में प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना।
X काम करने के तरीकों में सुधार के लिए परामर्श देना।
XI कार्यशाला में उपकरणों और मशीनरी को अच्छी स्थिति में रखना, दुकानों और कारखानों की अभिरक्षा।
XII कार्यशालाओं एवं कारखानों में सुरक्षात्मक उपायों को सुनिश्चित करना।
XIII अपने दायित्व के क्षेत्रों में अनुशासन बनाये रखना और आपात स्थितियों को संभालना।
XIVबंदियों को काम देना।
XV विभिन्न इकाइयों में बंदियों की उपस्थिति पंजिका तैयार करना।
XVIबंदियों को उत्पादन के लिए सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराना।
XVII उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा की निगरानी।
XVIII वर्कशीट तैयार करना।
XIX काम का आकलन और पारिश्रमिक का भुगतान।
XX भण्डारगृह से कच्चा माल मंगाना, कच्चे माल को अपनी निगरानी में सुरक्षित रखवाना, अपनी जिम्मेदारी वाले कच्चे माल और उत्पादित वस्तुओं का विवरण रखना, उत्पादित वस्तुओं को भंडारगृह पहुंचवाना, अपने जिम्मे के भंडारगृह की मासिक जांच और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना।
XXI अपने अधीन आने वाली कार्यशाला के लिए कार्य योजना तैयार करना और उसे संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करवाना।

रखरखाव कर्मी

138. रखरखाव कर्मियों के दायित्व निम्नवत होंगेः–
क. कारागार भवनों का रख–रखाव और मरम्मत।
ख. मशीनरी, औजारों, उपकरणों और परिवहन वाहनों का रख–रखाव और मरम्मत।

ग. बिजली की लाइनों, जल–निकासी सुविधाओं, जलापूर्ति प्रणाली और बिजली के कारखाने का रख–रखाव और मरम्मत।

घ. समय–समय पर आपात स्थिति में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों जैसे अग्निशमन उपकरण एवं दुर्घटना से बचाव करने वाली प्रणालियों का परीक्षण।

VII) **दफ्तर के कर्मी**

139. दफ्तर के कर्मियों को इस तरह व्यवस्थित किया जाएगा ताकि उनके दायित्व और बंदियों को दी गयी जिम्मेदारियां किसी भी तरह से आपस में मिले नहीं। इन कर्मियों की ड्यूटी अधीक्षक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कर्मी के पद और आवश्यकता के अनुसार तय की जाएगी।

सामान्य नियम जो सभी श्रेणियों के कारागार कर्मियों पर लागू होंगेः–

140. कारागारों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें सरकारी कर्मियों पर लागू केंद्रीय प्रशासनिक सेवा नियम और इसके तहत समय–समय पर जारी नियमों के अधीन होंगी। इन नियमों के प्रावधान जो कि कर्मियों के आचरण पर लागू होंगे, वे प्रावधान कारागार कर्मियों पर लागू होने वाले केंद्रीय प्रशासनिक सेवा नियमों के अतिरिक्त होंगे।

141. कारागार के सभी अधिकारी अधीक्षक के निर्देशों का पालन करेंगे। उपाधीक्षक–1 के अधीनस्थ सभी अधिकारी उपाधीक्षक–1 द्वारा दिये गये दायित्वों, जिसकी मंजूरी कारागार के अधीक्षक से ली गयी होगी, का या इन नियमों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करेंगे।

142. कारागार का कोई भी अधिकारी और न ही कोई उसके भरोसे का व्यक्ति या उसके द्वारा रखा गया कोई व्यक्ति किसी भी बंदी को न कोई वस्तु बेचेगा और न ही किराये पर देगा। वह न ही किसी व्यक्ति को कोई वस्तु किराये पर देने या बेचने से कोई लाभ उठाएगा और न ही किसी भी बंदी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक या व्यावसयिक लेन–देन रखेगा।

143. किसी भी कारागार का कोई अधिकारी किसी भी बंदी, उसके परिजन या मित्रों या कारागार प्रशासन से लेन–देन करने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा।

144. किसी कारागार का कोई अधिकारी या उसके भरोसे का या उसके द्वारा रखा गया कोई व्यक्ति कारागार को की जा रही किसी आपूर्ति के अनुबंध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं रखेगा। न ही वह कारागार या किसी बंदी से संबंधित किसी वस्तु के क्रय–विक्रय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई लाभ उठाएगा।

145. अधीक्षक को छोड़कर, या अधीक्षक का वैधानिक आदेश जो विधिसम्मत हो, इनकी अनुपस्थिति में किसी भी कारागार का कोई भी अधिकारी किसी भी बंदी को किसी भी हाल में दण्डित नहीं करेगा।

146. किसी भी कारागार का कोई भी अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए किसी भी हाल में उससे ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करेगा जितना कि उसके दायित्वों के सम्यक निर्वहन और कानून को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो।

147. किसी को हिरासत में लेने के लिए किसी भी उपाय को अपनाना विधि सम्मत है। किसी भी बंदी को किसी भी ऐसे कारागार अधिकारी के विरुद्ध निजी सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है जो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा हो। किसी भी अधिकारी को कानूनी प्राधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का बल प्रयोग कर रहे बंदियों को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने की अनुमति है।

148. कोई भी अधिकारी किसी भी बंदी को अपने किसी भी निजी कार्य या लाभ के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करेगा। न ही कोई अधिकारी किसी भी हाल में किसी भी बंदी को किसी भी काम में लगाएगा सिवाय उस समय के जबकि इससे सरकार को फायदा या लाभ हो और जो कि स्पष्ट रूप से इस कानून के प्रावधानों के और उन नियमों के अनुरूप हो जो कि बंदियों को काम पर लगाने से संबंधित हैं।

149. यह प्रत्येक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह किसी अन्य अधिकारी या बंदी द्वारा किसी भी प्रकार के गलत कार्य, या

जानबूझ कर अनुशासनहीनता या किसी भी कानून या उसके नियमों व निर्देशों, जो उस समय लागू हों, के उल्लंघन को तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। यदि ऐसी घटना उसकी जानकारी में आती है या उसकी उपस्थिति या उसकी निगाह में घटती है या उसके सुनने में आती है तो वह तत्काल ऐसा करेगा।

150. कोई भी अधिकारी किसी भी हाल में किसी भी कोठरी, बैरक या बंदियों के रहने के किसी अन्य कक्ष में उस कक्ष या कोठरी को रात्रि के लिए बंद कर दिये जाने के बाद उसके सुबह खुलने तक उसमें प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि कम से कम एक और अधिकारी उसके साथ न हो। इस तरह से प्रवेश आकस्मिक स्थितियों में ही किया जा सकता है। जैसे कोई बंदी बीमार हो या आग लगी हो या फिर उपद्रव हो रहा हो या किसी बंदी द्वारा किसी नियम का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा हो।

151. किसी भी कारागार के प्रत्येक अधिकारी की हर समय यह जिम्मेदारी होगी कि वह हर समय सारे कानूनी दायित्व पूरा करे जो कि करने जरूरी हों और किसी भी बंदी को कारागार से भागने या कारागार तोड़ने या कारागार से भागने या कारागार तोड़ने का प्रयास करने या किसी प्रकार उपद्रव करने या बलवा करने या ऐसा करने का प्रयास करने या अन्य कोई हिंसक या अनुशासनहीनता का कार्य रोकने के लिए पूर्ण रूप से सतर्क रहे।

152. किसी कारागार के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आव"यक है कि:–

क. कारागार संबंधी किसी भी अपराध को रोकने के लिए सभी संभव कानूनी उपाय करे।

ख. दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 के सभी प्रावधान, नियम, उप–नियम, निर्देश एवं आदेश जो उस समय लागू हों या बंदियों के आचरण या अनुशासन या कारागार के प्रशासन के संबंध में किसी अन्य प्रकार से कारागार पर लागू होते हों, उनका पालन करें।

ग. किसी कानून के किसी भी प्रावधान, नियम, उप–नियम, निर्देश या आदेश जो उस समय लागू हों या कारागार या बंदियों पर किसी भी तरह से लागू होते हों, का उल्लंघन होने पर सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें।

153. ऐसे में यदि जरूरत हुई तो सरकार उन अधिकारियों को शस्त्र और गोली–बारूद उपलब्ध करवा सकती है।

154. सभी शस्त्र और गोली–बारूद, जब प्रयोग में न हों तो एक शस्त्रागार में सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रत्येक अधिकारी को शस्त्रों के प्रयोग का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

155. अपराध संहिता की धारा 197 का उपखण्ड (2) सभी कारागार अधिकारियों पर लागू होगा। यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कारागारों में तैनात अन्य बलों के उन कर्मियों पर भी लागू होगा जो कि सशस्त्र निगरानी ड्यूटी करेंगे। साथ ही यह उन अधिकारियों पर भी लागू होगा जो कमान श्रृंखला में इन सशस्त्र संतरियों के ठीक ऊपर होंगे और जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कारागारों और आसपास की जगहों पर बंदियों की समुचित सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सशस्त्र संतरी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा।

156. वर्दी पहनने और स्वच्छता से संबंधित विषयः

(1) प्रत्येक अधिकारी उसके पद के अनुरूप, जिसके लिए किसी भी समय कोई वर्दी तय की गयी है, ड्यूटी पर होने के समय उस वर्दी को धारण करेगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी हर समय और सभी अवसरों पर एक स्वच्छ और साफ वर्दी पहनेगा।

157. अधिकारियों के लिए संयुक्त कार्रवाई जैसे हड़ताल इत्यादि प्रतिबंधित है। सभी अधिकारियों पर किसी शिकायत के निवारण या उनके द्वारा अनुचित माने जाने वाले किसी विषय या किसी भी अन्य कारण से किसी संयुक्त कार्यवाही जैसे हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, विरोध प्रकट करने वाले बिल्ले पहनना इत्यादि निषेध हैं।

158. ड्यूटी के समय सोने एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम

कोई भी कनिष्ठ अधिकारी किसी भी समय :

क. नशे की स्थिति में नहीं होगा;
ख. ड्यूटी पर सोएगा नहीं;
ग. किसी भी व्यक्ति को किसी महिला के लिए आरक्षित या आवंटित या किसी महिला द्वारा प्रयुक्त या उपयोग किये जा रहे किसी भी कक्ष, कोठरी, कमरे, स्थान, या कारागार के किसी भी हिस्से में न तो प्रवेश करने देगा और न ही इसकी अनुमति देगा सिवाय उस समय के जब किसी सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो;
घ. बंदियों के भोजन, वस्त्र या बंदियों को किसी अन्य वस्तु की आपूर्ति में न तो किसी तरह की अनियमितता बरतेगा और न ही इसे बढ़ावा देगा या इसकी अनुमति देगा;
ड. न ही अपने पद के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार की कायरता का प्रदर्शन करेगा;
च. न ही किसी भी प्रकार से आदेशों का उल्लंघन करेगा और न ही अनुशासनहीनता या दायित्वों का उल्लंघन करेगा;
छ. किसी भी तरह अपने दायित्व या उनमें से किसी एक के भी निर्वाह के लिए न तो खुद को अयोग्य या अनिष्टकर बनाएगा और न ही ड्यूटी पर देरी से आएगा; और
ज. ड्यूटी के घंटे समाप्त होने से पहले या उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी के आये बिना तैनाती की जगह नहीं छोड़ेगा;

159. प्रत्येक कनिष्ठ अधिकारी जब वह ड्यूटी पर होगा और जब तक कि कोई वरिष्ठ अधिकारी अन्यत्र जाने को ना कहे अपनी तैनाती के स्थान या बीट से बाहर नहीं जाएगा। काहिली और कारागार परिसर में बिना किसी वजह के घूमना सदैव निषिद्ध है।

160. कोई भी कनिष्ठ अधिकारी, जब वह ड्यूटी पर हो, न तो मदिरापान या धूम्रपान करेगा और न ही कोई अनुचित आचरण करेगा।

161. कारागार अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद प्रतिबंधित है। कनिष्ठ अधिकारियों के बीच उनकी ड्यूटी से संबंधित कोई मतभेद तुरंत ही अधीक्षक या उपाधीक्षक के सामने लाया जाएगा।

162. सभी कारागार अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे कारागार परिसर साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दें।

163. किसी भी कारागार में किसी भी व्यक्ति की कनिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्ति के समय, चाहें नियुक्ति स्थायी हो या अस्थायी, इस अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान पढ़कर सुनाये और समझाये जाएंगे और उस व्यक्ति को एक निशान या हस्ताक्षर के जरिये इसकी पुष्टि करनी होगी कि उसे इस कानून के प्रावधान पूरी तरह से समझ में आ गए हैं।

164. बिना महानिरीक्षक की पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी हाल में किसी भी ऐसे कारागार में कनिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जहां पर कि उसका कोई परिजन बंदी हो या फिर कनिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त हो।

165. सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएगा। उपाधीक्षक के अधीन आने वाले अधिकारी अधीक्षक या उपाधीक्षक से अवकाश की अनुमति लिए बिना कार्य से अनुपस्थित नहीं होंगे।

166. अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारणों से लिए जाने वाले अवकाश। जब भी कोई अधीनस्थ अधिकारी किसी बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारण से कारागार आने या ड्यूटी करने में असमर्थ हो तो वह तुरंत इसकी सूचना अधीक्षक/उपाधीक्षक को देगा या देने की व्यवस्था करेगा और उस अधिकारी को उसकी अनुपस्थिति या ड्यूटी ना कर सकने के कारणों की भी जानकारी देगा। इसके पश्चात अधीक्षक/उपाधीक्षक उस अधिकारी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी उचित और आवश्यक प्रबंध करेंगे।

167. किसी भी अधिकारी को किसी भी हाल में कारागार परिसर में किसी आगंतुक को बुलाने की अनुमति नहीं होगी।

168. जब तक कि कोई बिंदु किसी अधिकारी या किसी श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित नियमों से असंगत ना हो या फिर किसी विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, तब तक कनिष्ठ

अधिकारियों से संबंधित निम्नवत नियम चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य कर्मियों पर भी लागू माने जाएंगे।

169. पुरस्कार— महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक और उप—महानिरीक्षक कारागार प्रशासन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित तरीके से कारागार कर्मियों या अन्य व्यक्तियों को पुरस्कृत किए जाने की अनुमति दे सकते हैंः—

क्रम संख्या	**अनुमति देने वाला अधिकारी**	**प्रकार**	**विवरण**
1	महानिरीक्षक	विशिष्ट प्रशस्ति पत्र	असाधारण योग्यता के कार्यों के लिए 20 हजार रु. तक के नकद पुरस्कार
2	अतिरिक्त महानिरीक्षक	प्रशस्ति पत्र	ऐसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिन्हें उच्च—स्तरीय मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है, इनके लिये 10 हजार रुपये तक के नकद पुरस्कार
3	उप—महानिरीक्षक	प्रशस्ति पत्र	ऐसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिन्हें उच्च—स्तरीय मान्यता दिये जाने की आवश्यकता है, इनके लिए 5 हजार रुपये तक के नकद पुरस्कार

170ये पुरस्कार विशिष्ट उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही होंगे। पुरस्कार समुचित ढंग से ड्यूटी करने और समय पर आने इत्यादि जैसे सामान्य कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए नहीं दिये जाएंगे।

171. अन्य सशस्त्र बलों के ऊपर लागू सरकार के नियमों के अनुसार कारागार अधिकारियों और अन्य कनिष्ठ अधिकारियों को विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के प्रदर्शन के लिए पदक दिए जाएंगे।

172 **कुछ सीमाओं के अधीन कारापालों को अवकाश** : कारापालों को अवकाश की अनुमति देते समय इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी समय स्वीकृत क्षमता के 10 प्रति”ात से अधिक कारापाल अवकाश पर न हों।

173. उपरोक्त नियम के प्रयोजन के लिए कारापालों को जिस तारीख से वे अवकाश लेना चाहते हैं उस तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी।

174. **सभी अवकाशों को रद्द करना या अवकाश से वापस बुलाना** : अधीक्षक सभी अवकाशों को रद्द कर सकता है या किसी अधिकारी को जो अवकाश पर हो उसे अवकाश से वापस बुला सकता है यदि कारागार में ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हों जिसकी वजह से उस अधिकारी की उपस्थिति की आवश्यकता हो (सिवाय उस समय के जब अवकाश चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया हो)।

175. **अधिकारियों की वर्दी** –कारागार कर्मियों को पुलिस की तर्ज पर निःशुल्क वर्दी उपलब्ध करायी जाएगी या इसके बदले समय–समय पर स्वीकृत धनराशि दी जाएगी, जो निम्न मानकों के अनुसार होगी और वर्दी की हरेक वस्तु को इस प्रकार बदला जाएगाः

क्रम	**आपूर्ति की जाने वाली वस्तु**	**संख्या/मात्रा**	**वस्तु की कालावधि**
1.	खाकी पैंट	2	2 वर्ष

2.	खाकी शर्ट	2	2वर्ष
3.	मोजे	2 जोड़ी	1 वर्ष
4.	ग्रेट कोट/जैकेट खाकी और मिले–जुले रंग के कपड़े का बना हुआ, महीन बुना हुआ और जलरोधी, डबल ब्रेस्ट का जो घुटनों तक पहुंचता हो	1	5 वर्ष
5.	बरसाती	1	5 वर्ष

नोटः – महिला कर्मी शर्ट–पैंट के स्थान पर खाकी सलवार कुर्ता भी पहन सकती हैं।

176. पद के अनुसार पहनी जानी वाली विशिष्ट वस्तुएं इस प्रकार होंगीः–

क्रम संख्या	**वस्तु का विवरण**	**उपाधीक्षक–II एवं ऊपर**	**सहायक अधीक्षक**	**वरिष्ठ मुख्य कारापाल**	**मुख्य कारापाल एवं कारापाल**
1	टोपी	बेरेट कैप (नेवी ब्लू)/ पीक कैप जिसमें सिल्वर मेटल का गाबर्डीन बैज सामने की ओर पहने जाने वाले बैण्ड के मध्य में लगा हो	पीक कैप एवं बेरेट कैप (खाकी)	बेरेट कैप (नेवी ब्लू)/ पीक कैप जिसमें सिल्वर मेटल का गाबर्डीन बैज सामने की ओर पहने जाने वाले बैण्ड के मध्य में लगा हो	पीक कैप एवं बेरेट कैप (खाकी)
2	डोरी	पुलिस की तर्ज सीटी रखी जाएगी जो गहरी नीली राउंड–प्लेटेड डोरी से बंधी होगी जिसे सीने की जेब में रखा जाएगा	व्हिसिल कॉर्ड (खाकी) के साथ व्हिसिल	व्हिसिल कॉर्ड (खाकी) के साथ व्हिसिल	व्हिसिल कॉर्ड (खाकी) के साथ व्हिसिल

3	विभागीय प्रतीक चिन्ह		सबके बाजुओं पर		
4	बेल्ट	भूरी बेल्ट (चमड़े की बनी हुई जिसमें बंद करने वाले कड़े स्टील के होंगे और जिन पर 'डी. जे.' अंकित होगा	भूरी बेल्ट (चमड़े की बनी हुई जिसमें बंद करने वाले कड़े स्टील के होंगे और जिन पर 'डी जे' अंकित होगा	चमड़े की बनी हुई काली बेल्ट जिसमें बंद करने वालेकड़े स्टील या पीतल के होंगे और जिन पर 'डी. जे.' और वरिष्ठ मुख्य कारापाल या मुख्य कारापाल और उनकी स्थायी संख्या अंकितहोगी	चमड़े की बनी हुई काली बेल्ट जिसमें बंद करने वाले कड़े स्टील या पीतल के होंगे और जिन पर'डी. जे.' और मुख्य कारापाल या कारापाल और उनकी स्थायी संख्या अंकित होगी
5	जूते	फीतों वाले भूरे रंग के जूते	फीतों वाले भूरे रंग के जूते	फीतों वाले काले रंग के जूते	फीतों वाले काले रंग के जूते

177. पद का बिल्ला पुलिस की तर्ज पर और सिल्वर मेटल का बना हुआ होगा। अधिकारी उनके पद के अनुसार कंधों के फीतों पर बिल्ले निम्नवत ढंग से पहनेंगे:

क. कारागार महानिरीक्षक– एक दूसरे को काटती तलवारें और राज्य का चिन्ह

ख. अतिरिक्त महानिरीक्षक – एक दूसरे को काटती तलवारें और छड़ी

ग. उप–महानिरीक्षक – राज्य का चिन्ह और तीन सितारे

घ. अधीक्षक – राज्य का चिन्ह और एक सितारा

ड. उपाधीक्षक– राज्य का चिन्ह

च. उपाधीक्षक– तीन सितारे

छ. सहायक अधीक्षक– दो सितारे

ज. वरिष्ठ मुख्य कारापाल या वरिष्ठ मुख्य आर्या एक सितारा

झ. मुख्य कारापाल या मुख्य आर्या– दाहिनी कोहनी के ऊपर तीन फीतियां

ञ. मैट्रन/कारापाल – बायीं बाजू पर विभागीय चिन्ह (लाल रंग की पृष्ठभूमि पर भूरे रंग का फीता)

नोट 1:– गैर–सिक्ख कारापाल बेरेट पहनेंगे और सिक्ख कारापाल खाकी रंग का मुस्लिन कपड़ा पहनेंगे।

नोट 2:–यदि महानिदेशक स्तर के आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति कारागार महानिरीक्षक के तौर पर होती है तो वे अपने पद के अनुसार बिल्ले पहनेंगे।

178. नयी भर्तियों को यदि वे तीन या अधिक महीने के प्रशिक्षण पर आते हैं तो सेवा शुरू करने के समय निम्न वस्तुएं अतिरिक्त दी जाएंगीः–

1.	खेल वाले जूते	1 जोड़ी
2.	खेल वाले मोजे	2 जोड़ी
3.	अंतःवस्त्र	2 जोड़ी
4.	वेब बेल्ट	1 जोड़ी
5.	सफेद रूमाल	2 नग
6.	खाकी व्यायाम के लिए जूते	1 जोड़ी
7.	भूमि पर बिछाने वाली चादर	1 नग
8.	बारूद वाले जूते	1जोड़ी

नोटः **1** अप्रैल से 1 सितंबर के बीच नियुक्त किये गये कारापालों को ऊनी जर्सी और बड़ा कोट नहीं जारी किया जाएगा।

निःशुल्क वर्दी आदि वस्तुएं जारी करने के नियमः

179. जूतों सहित वर्दी की कोई वस्तु जिसे सरकार द्वारा किसी पद को जारी किया गया है या जिसके बदले में भुगतान किया गया है वह वस्तु उस निर्धारित समयावधि के दौरान एक सरकारी संपत्ति है और उसका सही हिसाब रखा जाएगा। लेकिन यदि अधिकारी का स्थानांतरण होता है तो वह उसे अपने साथ ले जा सकता है। ऐसी हरेक वस्तु निर्धारित समयावधि की समाप्त के बाद उस अधिकारी की निर्विवाद

संपत्ति बन जाएगी जिसके अधिकार में वह कालावधि समाप्त होने के समय थी।

180. शस्त्र और उपकरण जैसेः बेल्ट, बिल्ले, तलवार लटकाने वाली डोरियां, छुरी रखने के थैले, गोली–बारूद रखने की थैलियां, छड़ियां आदि उसी कारागार में रहेंगी जहां से उनकी आपूर्ति की गयी थी। यदि कोई अधिकारी इन वस्तुओं को खोता है या उन्हें नुकसान पहुंचता है, सिवाय समुचित उपयोग के, तो उस अधिकारी को खरीदने का या मरम्मत का मूल्य चुकाना होगा।

181. **नियुक्ति के समय अथवा तय समय पर वर्दी जारी करना**–अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के समय वर्दी जारी की जाएगी। अन्य सभी वस्तुएं उनको तय समय पर उपलब्ध करायी जाएंगी। वर्दी की प्रत्येक वस्तु को जारी करने की तारीख एक पंजिका में दर्ज की जाएगी।

182. **वर्दी की धुलाई एवं रफू** –प्रत्येक अधिकारी अपनी वर्दी और वर्दी की प्रत्येक वस्तु की साफ–सफाई और उसे संभालने के लिए व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा।

183. **अन्य अधिकारियों की वर्दी**–सरकार अन्य श्रेणी के कर्मियों को वर्दी उपलब्ध कराने की सीमा भी तय कर सकती है विशेषकर चपरासी, सफाई कर्मचारी, नर्सिंग मुलाजिम, वाहन चालक, बागबान, चौकीदार, नाई इत्यादि।

अध्याय–5
हिरासत संबंधी प्रबंधन

184 हिरासत में बंदियों की सुरक्षा कारागार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। सुधार और पुनर्वास का समग्र उद्दे"य हिरासत की कार्य प्रणाली के तहत हासिल किया जाना चाहिए। बंदियों के मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं क्योंकि कारागार में कैद की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा करना जरूरी है।

सुरक्षा और हिरासत

185 कारागार में सुरक्षा और हिरासत के संबंध में मानदंड निम्न प्रकार हैं:–

1. प्रत्येक कारागार की वि"ाष्ट आव"यकताओं के अनुसार सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक कारागार परिसर के चारों ओर निषिद्ध इलाके के रूप में एक **आउट ऑफ बाउंड** क्षेत्र चिन्हित करना। केंद्रीय कारागार में इसकी सीमा 150 मीटर, जिला कारागार में 100 मीटर और वि"ाेष कारागार में 50 मीटर होनी चाहिए।
3. कारागार भवन और परिसर में सुरक्षित दीवारें, फाटक, बैरक, कोठरी, अस्पताल क्षेत्र तथा अन्य स्थल और इनका दैनिक निरीक्षण तथा रखरखाव।
4. कारागार के अंदर और बाहर अच्छी रो"ानी।
5. कारागार के अंदर आने तथा बाहर जाने वाले बंदियों, वस्तुओं और वाहनों की प्रतिदिन जांच और कारागार के सभी भागों तथा उपकरणों की एक नि"िचत अवधि में जांच की पूरी व्यवस्था।
6. बंदियों की हलचल पर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय बिंदु से निगरानी।
7. प्रतिबंधित वस्तुओं पर नियंत्रण की पक्की व्यवस्था।
8. बंदियों की गिनती की पक्की व्यवस्था।
9. तालों, चाबियों, हथकड़ियों तथा अन्य सुरक्षा उपकरणो की जांच, नियंत्रण तथा कब्ज़े और सभी सुरक्षा सेवाओं की सर्विस तथा रखरखाव की व्यवस्थां।

10. उपकरणों तथा यंत्रों की गिनती, जांच, नियंत्रण और कब्जे की व्यवस्था।

11. दुर्घटनाओं से बचने और बंदियों के भागने, दंगे, हमले और आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था।

12. गोली चलाने वाले हथयार, क्वार्टर गार्ड, मैगज़ीन और हथियार अभ्यास की प्रणाली की व्यवस्था।

13. कर्मचारियों तथा उपकरणों के लिए समुचित मानदंडों को अपनाते हुए और अधि"ाासी कर्मियों की तैनाती कर सावधिक जांच तथा निरीक्षण कर रक्षा और सुरक्षा के समुचित उपाय करना।

14. बंदियों की डाक के निरीक्षण और मुलाकात की जांच की प्रभावी व्यवस्था।

15. जहां कहीं भी आव"यक हो स्थानीय खुफिया शाखाओं का इस्तेमाल और कारागार के अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए एक आसूचना प्रणाली बनाना।

16. अगर उपलब्ध हो तो नाइट विजन तथा श्रव्य सुविधा के साथ क्लोज़ सर्कट टेलीविजन प्रणाली की स्थापना और बिजली के अन्य उपकरणों की व्यवस्था ताकि कारागार के भीतर सुरक्षा में किसी प्रकार की सेंध पर असरदार तरीके से नजर रखी जा सके।

17. कारागार के अंदर तथा बाहर बंदियों पर नजर रखने के लिए जहां कहीं भी आव"यक हो वाच टावर बनाए जाएं और सर्च लाइटें तथा दूरबीन उपलब्ध कराई जाएं।

18. बंदियों को भागने से रोकने और उनके जीवन की रक्षा के लिए जहां कहीं भी जरूरी हो कारागार की दीवारों पर पावर फेंसिंग की जाए।

19. बंदियों के पास विस्फोटकों और मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए तला"ाी की पक्की व्यवस्था।

20. कारागार के अंदर और एक कारागार से दूसरी कारागार तक प्रभावी बेतार संचार तथा इंटरकॉम की व्यवस्था।

21. कारागार की इमारत को जहां तक संभव हो आम लोगों की पहुंच से दूर रखने और अनाधिकार प्रवे"ा को रोकने के लिए कारागार में एक दूसरी सुरक्षा दीवार का निर्माण।
22. बेहतर ग"त के लिए कारागार की मुख्य दीवारों के अंदर और बाहर अच्छी सड़क।
23. सुरक्षा की अवहेलना किए बिना एक आधुनिक मुलाकात कक्ष बनाया जाए जिसमें आवाज का विलयन हो सके और सुचारू रूप से तथा मानव गरिमा के साथ संवाद हो सके।
24. सुरक्षा आव"यकताओं के आधार पर बंदियों का प्रभावी अलगाव।
25. किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा होने पर कारागार स्टाफ, लोगों और निकटतम थाने को सतर्क करने के लिए उंची आवाज़ के भोंपू।
26. पहरेदारी के लिए कारागार के अंदर और परिसर में किसी भी स्थिति में अप्र"िाक्षित कर्मियों की नियुक्ति न की जाए।
27. चौकसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रतिश्ठान अनुरक्षण

186 प्रत्येक कारागार में बंदियों, कारागार परिसर, फाटक पर पहरेदारी और सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों के लिए एक अनुरक्षण प्रतिष्ठान होगा। इस प्रतिष्ठान में बारी–बारी से ड्यूटी करने वाले वार्डरभी शामिल होंगे।

187 हर बंदी दिन–रात पूरा समय किसी अधिकारी की हिरासत में होगा, इस तरह किसी प्रकार की लापरवाही के कारण कैदी के भागने या कोई अन्य चूक की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सकती है। दिन के दौरान प्रत्येक अधिकारी को सौंपने वाले बंदियों के नाम का रिकार्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा और उसके बाद के किसी भी परिवर्तन को उस अधिकारी के प्राधिकार और हस्ताक्षर के तहत दर्ज किया जाएगा जो हैड वार्डर के पद से कम की हैसियत का नहीं होगा। वह हर बार गार्ड के बदलने पर राहत अधिकारी को सौंपे गए बंदियों की

संख्या की गवाही और सत्यापित करने के लिए उपस्थित होगा।

188 अधीक्षक बंदियों को ि"ाक्षा, संस्कृति, मादक पदार्थों की लत छुड़वाने, प्रणायाम, पहरेदारी, खाना पकाने, कैंटीन, पुस्तकालय, मुलाकात, अस्पताल इत्यादि कार्यों में संलग्न रखते हुए उनकी सुरक्षित हिरासत सुनि"िचत करेगा। इन गतिविधियों के लिए बंदियों के आने जाने पर पूरी तरह नजर रखी जाएगी ताकि ये किसी अवांछित गतिविधि में न लग जाएं।

त्वरित कार्रवाई बल

189 सभी कारागार परिसरों में एक त्वरित कार्रवाई बल होगा। रणनीतिक रूप से तैनात इस बल में आठ से बीस वार्डर/कांस्टेबल/गार्ड होंगे। इन्हें कमांडो ट्रेनिंग मिली होगी जिसमें आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल और बिना हथियारों के सामना करने का प्रि"ाक्षण शामिल है। त्वरित कार्रवाई बल उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक या इनके समान रैंक के अधिकारी के अधीन होगा। यह किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमे"ाा गार्ड के कमरे में मौजूद रहेगा। त्वरित कार्रवाई बल के पुलिस अधीक्षक प्रत्येक कारागार में तैनात होने चाहिएं।

190 त्वरित कार्रवाई बल को दो भागों में बांटा जाएगा और इन्हें कारागार में किसी आपातस्थिति से निपटने के लिए एक–एक दिन बारी बारी से तैनात किया जाएगा। इन्हें तेजी से कार्यरत होने के लिए सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस बल का इस्तेमाल केवल इनकी निर्दिष्ट ड्यूटी के लिए ही किया जाएगा। जहां तक संभव हो त्वरित कार्रवाई बल का चयन युवा वार्डरों/कांस्टेबलों/गार्डों में से किया जाना चाहिए।

191 त्वरित कार्रवाई बल, रात–दिन हमे"ाा एक अधिकारी के नियंत्रण में होगा। इसकी कार्रवाई की देखरेख के लिए दो अधिकारी होंगे जो उपाधीक्षक/सहायक उपाधीक्षक या इनके समान रैंक के होंगे। बल के कर्मियों के पास बंदूक, कार्बाइन, एस.एल.आर., पम्प एक"ान गन जैसे आधुनिक हथियार और रबड़ बुलेट, प्लास्टिक बुलेट तथा गोला–बारूद की अधिकृत

मात्रा होगी ताकि आपात स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके।

192 उप महानिरीक्षक व्यक्तिगत रूप से सुनि"चत करेंगे कि त्वरित कार्रवाई बल को समुचित प्र"ाक्षण दिया जाए, उसके पास पर्याप्त हथियार तथा आव"यक सामग्री हो और वह हमे"ाा सतर्क हो। त्वरित कार्रवाई बल की जब तैनाती की जाएगी तो प्रत्येक जवान को अधिकृत गोला–बारूद दिया जाएगा।

193 जब गार्ड के एक दल की पारी खत्म होगी तो सभी हथियार और गोला–बारूद अगली पारी के गार्डों को सौंपे जाएंगे। यह कार्य उचित तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी उपाधीक्षक या उसके समान रैंक के कमान अधिकारी की होगी।

पुलिस गार्ड

194 कारागार प्र"ाासन रक्षण के लिए किसी अन्य राज्य की पुलिस और/या अर्द्धसैन्य बल की सेवाएं भी प्रतिनियुक्ति पर या या सक्षम अधिकरण द्वारा तय नियमों के आधार पर ले सकता है।

195 अगर बंदियों को कारागार की दीवारों के बाहर किसी जगह पर रखने की जरूरत पड़े तो ऐसी स्थिति में अधीक्षक, पुलिस की मदद महानिरीक्षक की पूर्व अनुमति से ले सकता है तथा पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आयुक्त से अनुरोध कर सकता है और आयुक्त इसके लिए गार्ड उपलब्ध कराएंगे।

किसी कारागार के अस्थाई तौर पर असुरक्षित होने की स्थिति में कार्यवाही

196 अगर कभी किसी कारणव"ा कोई कारागार अस्थाई रूप से असुरक्षित हो जाए तो अधीक्षक, कारागार के सुरक्षित होने तक बंदियों की सुरक्षा के लिए महानिरीक्षक की पूर्व अनुमति से पुलिस की मदद मांग सकता हे और पुलिस आयुक्त से आव"यकतानुसार पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने को कह सकता है।

कुछ मामलों में बंदियों की सुरक्षित हिरासत के लिए पुलिस सहायता

197 बड़ी संख्या में बंदियों के आने से मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों पर खतरा मंडराने की स्थिति से निपटने या भागने की आ"ांका

वाले किसी कैदी या बंदियों की सुरक्षित हिरासत सुनि"चत करने के लिए अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक की पूर्व अनुमति से मदद मांग सकता हे और पुलिस आयुक्त से आव"यकतानुसार अनुरोध कर सकता है कि समय समय पर तय किए गए स्थानों और अवधि के अनुसार कारागार के अंदर तैनाती के लिए हथियारों से लैस, बिना हथियारों के या वि"ोष आरक्षी पुलिस गार्ड और पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए जाएं।

स्शस्त्र संतरी

198 वाच टावर और मुख्य फाटक का रक्षण स"ास्त्र संतरी करेंगे और कारागार के बाकि हिस्से की चौकीदारी वार्डर/कांस्टेबल/गार्ड बिना हथियारों के करेंगे। वार्डर/कांस्टेबल/गार्ड प्रतिष्ठान सभी आंतरिक और बाहरी चौकियों पर तैनाती के लिए संतरी और गार्ड की आपूर्ति करेगा। ये सभी गार्ड और संतरी बारी–बारी से ड्यूटी करेंगे।

199 स"ास्त्र संतरी घंटों के हिसाब से दो शिफ्टों में ड्यूटी देंगे। संतरी की यह ड्यूटी होगी कि वह दिन–रात अपनी बीट के निकट आने वाले सभी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्तियों को ललकारे और उन्हें तब तक नजदीक न आने दे जब तक वह संतोषजनक रूप से अपने बारे में जानकारी ना दे या रात के समय अपना पासवर्ड न बता दें। किसी भी दोषी ठहराए गए व्यक्ति को किसी संतरी के आसपास के पांच मीटर के दायरे में आने की अनुमति नहीं होगी। संतरी की यह ड्यूटी होगी कि वह कारागार तोड़ने या भाग निकलने या बंदियों के साथ किसी भी गैर कानूनी संपर्क की कोि"ा को रोके। रात के समय अगर किसी संतरी को कुछ संदिग्ध या असामान्य घटित होने की जानकारी मिलती है तो वह ग"ती अधिकारी को इसकी जानकारी देगा। ग"ती अधिकारी वहां से जब भी गुजरेगा हर बार वह उसे आ"वस्त करेगा कि सब कुछ ठीक–ठाक है।

200 ड्यूटी पर तैनात संतरी अपने साथ हथियार और गोलाबारूद रखेगा, जिसे बाद में ड्यूटी पर आने वाले संतरी/गार्ड को सौंपा जाएगा।

संतरियों को राहत और उनका निरीक्षण

201 नियम के अनुसार संतरियों को हर दो घंटे बाद राहत दी जाएगी। दिन के दौरान सहायक अधीक्षक या उसके समान रैंक का अधिकारी उन्हें राहत देगा और इसके साथ ही जांच करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि संतरी चौकस हैं और सही तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रात में इन कार्यों के लिए सीनियर हैड वार्डर या उसके समान रैंक के अधिकारियों में से दो ग"ती अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक ग"ती अधिकारी उचित साधनों के द्वारा अपने दौरों के घंटों का रिकार्ड रखेगा।

202 कारा़गार और उसमें कैद बंदियों के रक्षण के लिए निम्न प्रकिया अपनाई जाएगीः—

(क) छुट्टी, बीमारी, तबादले इत्यादि की अनुमति के बाद वार्डर गार्ड को जहां तक संभव हो बराबर—बराबर तीन दस्तों— क, ख, ग में विभाजित किया जाएगा। पहले **क** दस्ता ड्यूटी पर आएगा। इसे **ख** दस्ता राहत देगा और उसे रात का **ग** दस्ता राहत देगा। वार्डों में रात के गार्ड की स्थिति हर दो घंटे बाद बदली जाएगी।

(ख) वार्ड सुबह खुलेंगे और हैड वार्डर, ड्यूटी खत्म करने वाले और दिन की पहली पारी में ड्यूटी शुरु करने वाले वार्डर की उपस्थिति में बंदियों की गिनती करेंगे। उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक और हैड वार्डर प्रत्येक वार्ड में गिने गए बंदियों की पुष्टि लॉक अप रजिस्टर में की गई एंट्री के साथ मिलान कर करेंगे। अधीक्षक बंदियों की गिनती के लिए मौजूदा व्यवस्था के अलावा बायोमीट्रिक प्रणाली या अन्य टैक्नालॉजी का इस्तेमाल शुरु करेंगे।

(ग) अधीक्षक दीवारों के भीतर और बाहर बल तैनात करेंगे। इसके लिए वे अलग से स्थाई आदे"ा जारी करेंगे।

(घ) अधीक्षक यह सुनि"चत करेगा कि सवेरे का भोजन खत्म होने के बाद बंदियों को समुचित निरीक्षण में समूहों में एकत्र कर कारा़गार में उन्हें दिए गए कार्य में लगाया जाए। यदि बंदियों को अस्पताल/अदालत में पे"ी के लिए कारा़गार से बाहर

ले जाना हो तो उपाधीक्षक दिल्ली स”ास्त्र पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा सुनि”चत करेंगे।

(च) सवेरे वार्ड के खुलने पर ड्यूटी पर आने वाले वार्डरों को **ख** दस्ता राहत देगा जिसे सहायक अधीक्षक (चक्कर) कारागार के अंदर लाएगा और यह सुनि”चत करेगा कि सभी वार्डरों ने अपने–अपने वार्ड का प्रभार संभाल लिया है। वह वार्डरों की अपनी ड्यूटी की जगह पर सही तरीके से तैनाती को प्रमाणित करते हुए इसकी ड्यूटी बुक में एंट्री करेगा। वे तब तक कार्यभार संभालेंगे जब तक अगली पारी की ड्यूटी वाला दस्ता नहीं आ जाता।

(छ) सवेरे जब विभिन्न गैंग के लिए हैड वार्डर या वार्डर और कारागार कर्मियों की तैनाती की जाती है तब प्रत्येक समूह के बंदियों के नाम ड्यूटी बुक से पुकारे जाते हैं। यह कार्यभार संभालने वाले अधिकारी की उपस्थिति में किया जाता है जो गिनती कर संख्या की पुष्टि करता हैं। इसके बाद अधिकारी का नाम गैंग बुक में लिखा जाता है और इसकी रसीद ली जाती है। कार्यभार संभालने वाले वार्ड को, लंबी अवधि और अत्यधिक जोखिम वाले बंदियों के बारे में वि”ोष रूप से बताया जाता है ताकि उन पर पूरी नजर रखी जा सकें। हर बार गार्ड के बदलने पर प्रत्येक गैंग को गिना जाएगा।

(ज) शाम को काम से छुट्टी होने पर गैंग को इकट्ठा किया जाता है और प्रत्येक गैंग के बंदियों की गिनती की जाती है और पुष्टि की जाती है।

(झ) गैंग का प्रभारी हैड वार्डर या वार्डर अपनी गैंग के बंदियों पर पूरी चौकसी रखेगा और उन्हें किसी भी बहाने से अपनी नजरों से दूर होने या इधर उधर घूमने की अनुमति नहीं देगा। वह अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षित हिरासत के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार गैंग के प्रभारी वरिष्ठ वार्डर या हैड वार्डर के सहायक वार्डर भी सुरक्षित हिरासत के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, लेकिन इसके साथ वे किसी भी प्रकार से प्रभारी हैड वार्डर या सीनियर वार्डर के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते।

भाम की गिनती और लॉक अप

203 बंदियों को दिन भर की गतिविधियां खत्म करने के बाद बंदी बनाने के लिए उनके वार्ड में लाया जाता है तबउपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक और हैड वार्डर उनक बैरकों, कोठरियों या अन्य जगहों पर बंदियों की गिनती करेंगे। जब सभी बंदियों को लॉक अप में डाल दिया जाएगा तब उनकी कुल संख्या की पुष्टि की जाएगी। प्रत्येक वार्ड या अन्य भवनों में रखे गए और कारागार में बंद बंदियों की कुल संख्या को लॉक अप रजिस्टर में दिखाया जाएगा। इनके सही होने की पुष्टि के रूप में इस पर उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक और हैड वार्डर के हस्ताक्षर होंगे।

रात्रि पहरेदार की ड्यूटी

204 कारागार में रात के दौरान ड्यूटी पर तैनात कोई भी अधिकारी अपनी बीट नहीं छोड़ेगा और बैठेगा नहीं। ग"त ड्यूटी पर हैड वार्डर या सीनियर वार्डर अपनी बीट की जगहों का बार–बार दौरा करेंगे और यह सुनि"चत करेंगे कि ड्यूटी पर तैनात सभी वार्डर सतर्क हैं, मुख्य दीवार पर ग"त लगाने वाले अधिकारी मुख्य फाटक के आसपास रहें और यह सुनि"चत करें कि ड्यूटी पर तैनात सभी वार्डर सतर्क और जवाबदेह हैं।

205 ग"त अधिकारी रात भर हर घंटे बैरकों का दौरा करेंगे। वे तालों, जालियों और दरवाजों की जांच करेंगे और उनकी सुरक्षा के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।

206 रात्रि में सभी मुख्य दीवारों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर पर्याप्त रो"ानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जेनरेटर या इनवर्टर का वैकल्पिक इंतजाम होना चाहिए ताकि बिजली फेल होने की स्थिति में तुरंत पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की जा सके।

207 वाच टावरों पर सर्च/फ्लड लाइटें लगाई जानी चाहिएं। इनके लिए प्र"ाक्षित और अनुभवी स्टाफ को तैनात किया जाना चाहिए। इनके पास महानिरीक्षक के पराम"ा से अधीक्षक द्वारा निर्धारित हथियारों होने चाहिएं। इन सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी जल्दी–जल्दी बदली जानी चाहिए।

208 रात्रि ड्यूटी पर तैनात अधीक्षक और उपाधीक्षक कारागार का दौरा कर यह सुनि"चत करेंगे कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं। वे समय–समय पर जारी निर्दे"ाों के अनुसार इन दौरों के बारे में महानिरीक्षक को रिपोर्ट सौंपेंगे।

रात्रि में जेल के अंदर निगरानी की व्यवस्था

209 कारागार कर्मी जेल के अंदर बंदियों के प्रत्येक बैरेक और भाग में ग"त लगाएंगे। इन कर्मियों के नाम द"ाने वाली सूची बनाई जाएगी।

210 कारागार कर्मी ड्यूटी के दौरान अपने वार्ड में ग"त करेंगे और अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार जहां तक संभव हो स्वयं कारागार सुरक्षा और अनु"ाासन के उल्लंघन को रोकेंगे। इसके लिए वे बार–बार गिनती कर बंदियों की उपस्थिति सुनि"चत करेंगे और बाहरी ग"त की ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इस बारे में सूचित करेंगे। कुछ असामान्य घटित होने की स्थिति में वे तुरंत आव"यकतानुसार कार्रवाई के लिए ग"त अधिकारी को बताएंगे।

212 बैरकों, कोठरियों, खुली जगहों और अन्य ढांचों के अंदर वार्डों में अच्छी रो"ानी होगी ताकि ग"त अधिकारी कारागार परिसर के अंदर की हलचल पर नज़र रख सकें।

213 रात्रि में बंदियों की असामान्य हलचल के बारे में कारागार कर्मी ड्यूटी पर तैनात वार्डर को बताएंगे।

212 यदि कारागार कर्मी को लगता है कि कोई कैदी बीमार है तो वह इस बारे में ड्यूटी पर तैनात वार्डर को बताएगा ।

रात्रि में गश्त ड्यूटी पर अधिकारी के कर्त्तव्य

214 रात में ग"त ड्यूटी पर तैनात हैड वार्डर या सीनियर वार्डर ड्यूटी पर वार्डरों और कारागार कर्मियों के पास आते रहेंगे। कार्यभार संभालने के बाद वे स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि हिरासत में बंदियों की संख्या प्राप्त जानकारी के अनुरूप है और पूरी सुरक्षा है। बंदियों के बीमार होने की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात वार्डर चिकित्सा अधिकारी और ड्यूटी पर अधिकारी को सूचित करेगा जो अगर जरूरी हुआ तो बीमार बंदियों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करेगा और रात्रि

ड्यूटी अधीक्षक/उपाधीक्षक को इसकी जानकारी देगा। अगर वार्डर या कैदी की ओर से किसी गड़बडी की जानकारी मिलती है तो इस बारे में अगली सुबह अधीक्षक को लिखित में बताया जाए। कारागार से भागने, भागने की कोि"ा"ा, दंगे, आग या गंभीर बीमारी जैसी त्वरित कार्यवाही की स्थिति में तुरंत अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचित किया जाए। वह देखेगा कि मुख्य द्वार का संतरी फाटकों के बीच अपनी पोस्ट पर है और चौकस है। प्रत्येक ग"त अधिकारी हरेक दौरे के समय और अवलोकन के बारे में वार्ड में रखे रजिस्टर में लिखेगा। वह रात्रि के दौरान ड्यूटी अधिकारी के निरीक्षण में कारागार में आने–जाने वाले सभी वार्डरों/सुरक्षा कर्मियों की छानबीन करेगा। अधीक्षक/उपाधीक्षक सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत रूप से यह छानबीन करेंगे।

बंदियों की हिरासत

215 प्रत्येक कैदी को एक नि"चत स्लीपिंग बर्थ आबंटित की जानी चाहिए। इसकी संख्या उसकी हिस्ट्री टिकट में नोट की जानी चाहिए। किसी भी समय स्लीपिंग बर्थ के आसपास मंडराने की सख्त मनाही है। यदि कैदी बिना किसी कारण के बार–बार अपनी स्लीपिंग बर्थ छोड़ता है तो ड्यूटी पर कारागार कर्मी वार्डर को इसकी जानकारी देगा और वह अगर जरूरी समझेगा तो अपने से उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

216 बंदियों को बिना किसी जरूरत के जालियों के पास जाने की अनुमति नहीं है।

तड़के ही रसोइए को सवेरे का भोजन पकाने के काम में लगाना

217 सवेरे का भोजन अगर भोर होने से पहले पकाना जरूरी हो तो ग"त अधिकारी निर्दे"ाानुसार नि"चत समय पर आव"यक संख्या में रसोइयों को वार्डर के प्रभार में देगा।

वार्डरों की नियुक्ति केंद्रीय टावर पर की जा सकती है

218 कारागार में जहां केंद्रीय टावर है, वहां निगरानी तथा ग"त अधिकारी के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य करने औरआव"यकता पड़ने पर अलार्म बजाने के लिए चौबीसों घंटे

काम करने के वास्ते सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की जानी चाहिए ।

रात्रि में अधिकारियों के दौरों की रिर्पोट बनाई जाए

219 रात्रि ड्यूटी पर तैनात अधीक्षक/उप–अधीक्षक रात में सामान्य रूप से कारागार के सभी भागों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि ड्यूटी पर अधिकारी सतर्क हैं तथा अपनी बीट के इलाके का दौरा कर रहे हैं और इन इलाकों में रो"ानी की पूरी व्यवस्था है। दौरे के समय के बारे में पहले से नहीं बताया जाएगा। दौरे की तिथि, कारागार में प्रवे"ा तथा बाहर आने के समय और निरीक्षण में किसी असामान्य घटना की जानकारी मिलने की रिर्पोट एक पुस्तिका में लिखी जाएगी, जो इस कार्य के लिए मुख्य द्वार पर उपलब्ध होगी। यह पुस्तिका दिन के समय द्वारपाल और मुख्य द्वार के प्रभारी संतरी के कब्ज़े में रहेगी। द्वारपाल को इसे सवेरे अधीक्षक के कारागार पहुंचने पर उनके सामने पे"ा करना चाहिए। रात्रि के अधीक्षक और उपाधीक्षक अपने निरीक्षण के बारे में रिपोर्ट समय–समय पर दिए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप कारागार मुख्यालय को देंगे।

रात्रि में वार्डो को खोलना, एहतिआती उपाय करना

220 आमतौर पर कारागार का ताला बंद होने के बाद वार्ड तब तक नहीं खोले जाने चाहिएं जब तक उपाधीक्षक या सहायक अधीक्षक या रात्रि ड्यूटी अधिकारी तथा ड्यूटी पर एक अन्य अधिकारी उपस्थित न हो और दंगे तथा आग की घटना ,कारागार नियमों के गंभीर उलंघन और बैरेक या कोठरी इत्यादि के चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैदी की जांच के बाद उसकी सलाह पर बीमार बंदियों को बाहर लाने की स्थिति न आए। वार्ड को खोलने से पहले सभी प्रकार की एहतिआत बरतना जरूरी है ताकि कोई कैदी भाग न सके या कोई अन्य दुर्घटना न हो।

सवेरे और भााम रिजर्व गार्ड की हाजिरी

221 त्वरित कार्रवाई बल और जिन वार्डर की ड्यूटी दिन के लिए निर्धारित नहीं है सवेरे कारागार का ताला खुलने से पहले मुख्य द्वार के बाहर उनकी अंडर आर्म्स हाजिरी ली जाएगी

और सहायक अधीक्षक दिन के संतरियों की तैनाती करेगा। गार्ड की ड्रिल कराई जाएगी और इसके बाद वह तब तक अंडर आर्म्स रहेगा जब तक पूरी टीम मार्च आउट नहीं हो जाती और गार्ड रूम को डिसमिस नहीं कर देती । जब तक रात के लिए बंदियों को लॉक अप नहीं कर दिया जाता त्वरित कार्रवाई बल कार्य शुरू करने के लिए निर्धारित समय पर फिर से अंडर आर्म्स होगी।

सशस्त्र गार्डों द्वारा सलाम

222 गार्ड और संतरी नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ (1) में दिए गए अधिकारियों को स्तंभ (2) में दिए गए तरीके के अनुसार अनिवार्य रूप से सलाम करेंगेः–

सरिणी

व्यक्ति	**सलाम का तरीका**
(1)	(2)
न्यायिक अधिकारी, महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक, कारागार के उप महानिरीक्षक, आगंतुक वरिष्ठ अधिकारी और अधीक्षक, अपर अधीक्षक सहित गण्यमान्य व्यक्ति	शस्त्र झुका कर
सभी अन्य राजपत्रित अधिकारी, गैर–सरकारी आगंतुक और उपाधीक्षक	शस्त्र झुका कर और दायना हाथ चुस्ती से बट पर रखते हुए उंगलियां फैला कर सलाम करना
सहायक अधीक्षक, सामाजिक कार्यकता, कल्याण अधिकारी, मंत्रालय का स्टाफ	व्यवस्थित हथियार के साथ सावधान अवस्था में आना

स्पश्टीकरणः गार्ड अधिकारी, इस नियम का अनुपालन करने के लिए संतरी की ओर से किसी तरह की चूक होने पर हमे"ाा इसे उपाधीक्षक के ध्यान में लाएगा।

223 नियम के तौर पर गार्ड सूरज ढलने के बाद सलाम के लिए हथियार उल्टे नहीं करेगा।

सामान्य रक्षण ड्यूटी

224 सामान्य रक्षण वार्डर प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है। वे श्रम समय के दौरान वार्डों, ब्लॉकों, वर्क"ॉप, यंत्रों तथा संयंत्रों और अन्य सरकारी परिसंपतियों, चौकियों और टावर के रक्षण और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कारागार का आंतरिक और बाहरी रक्षण करेंगे, बंदियों का निरीक्षण करेंगे।

रक्षण आवश्यकताएं

225 रक्षण कर्मियों के कामकाज का चार्टर

1. संतरी या गार्ड अपनी ड्यूटी पूरी होने से पहले चाहे कोई भी वजह हो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। अगर अचानक बीमारी या किसी अन्य वजह से स्वयं को ड्यूटी करने में अक्षम पाता है तो वह प्रभारी अधिकारी को इसकी जानकारी देगा जो इसके लिए आव"यक इंतज़ाम करेगा।
2. प्रत्यक संतरी या गार्ड ड्यूटी के दौरान वर्दी में ही होगा।
3. गार्ड और संतरी को उनकी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी के बारे में समझाया जाएगा।
4. गार्ड और अधिकारियों को किसी भी कैदी के लिए कारागार के बाहर से कुछ लाने और बंदियों से कुछ लेकर उसे बाहर पहुंचाने की सख्त मनाही होगी।
5. यदि कोई कैदी भाग निकलने की कोि"ा"ा करता है तो गार्ड एक बार सतर्क करेगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा।
6. सभी रक्षणकर्मी आव"यक सेवाओं के तहत होने के कारण चौबीसों घंटे ड्यूटी पर माने जाएंगे और उन्हें सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
7. सहायक अधीक्षक और हैड वार्डर दैनिक रिर्पोट बुक बनाएंगे जिसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और समुचित कार्यवाही के लिए रखी या निपटाई जाने वाली रिर्पोटें दर्ज की जाएंगी।

ड्यूटी रोस्टर बनाना

226 प्रत्येक कैदी का ड्यूटी रोस्टर बनाया जाएगा। इस रजिस्टर के समुचित रखरखाव की ज़िम्मेदारी अधिकृत अधिकारी की होगी। इस रजिस्टर में ड्यूटी पर तैनात सभी गार्डों के नाम, तथा उनकी ड्यूटी के घंटे और इस बारे में उन्हें दी गई जानकारी के लिए उनके हस्ताक्षर होंगे। यह रजिस्टर हर रोज जांच और हस्ताक्षर के लिए उचित माध्यम से अधीक्षक के पास भेजा जाएगा।

रात्रि में बीट ड्यूटी के लिए अधिकारियों का रोस्टर

227 प्रत्येक वार्डर की दिन की ड्यूटी की बारी द"र्गाने वाला साप्ताहिक रोस्टर अधीक्षक द्वारा या उसके आदे"ा से पहले से तैयार किया जाएगा। अधिकारियों की ड्यूटी में बाद में किए गए सभी बदलाव भी इसमें नोट किए जाएंगे।

228 किसी भी अधिकारी को दो रात एक ही बीट पर तैनात नहीं किया जाएगा और उसे बीट के बारे में तभी बताया जाएगा जब उसकी ड्यूटी शुरू होने वाली होगी।

229 सहायक अधीक्षक और उपाधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनि"चत करें कि वार्डर ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करें और इसमें किसी भी प्रकार का उलंघन पाया गया तो इसे अधीक्षक के ध्यान में लाया जाएगा। अधीक्षक भी दिन–रात विभिन्न भागों के औचक दौरों के दौरान इसकी पुष्टि करेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सबको बारी–बारी से रात्रि ड्यूटी दी जाए।

हथियारों की रक्षा

230 संबंधित सहायक अधीक्षक की ज़िम्मेदारी होगी कि वे यह सुनि"चत करें कि कभी भी बंदियों की पहुंच हथियारों तक न हो सके। सभी आव"यक हथियार जब इस्तेमाल में न हों उन्हें गार्ड कक्ष में रखा जाए। इस कक्ष में मुख्य द्वार के बाहर से प्रवे"ा हो सकेगा।

भाग निकलने में सहायक वस्तुओं की रक्षा

231 उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक और गार्ड की ज़िम्मेदारी होगी कि वे यह सुनि"चत करें कि कारागार से भाग निकलने में मददगार हो सकने वाली सीढ़ी, पटरा, बांस, रस्सी जैसी वस्तुएं आसपास न हों। यदि ऐसी वस्तुओं को इस्तेमाल के

लिए अंदर ले जाना पड़े तो इनका पूरा ख्याल रखा जाए और उपयोग के बाद इन्हें कारागार के बाहर कर दिया जाए। वर्क”ॉप के प्रत्येक प्रभारी वार्डर का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी सभी वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हों और काम खत्म होने के बाद इन्हें हटा दिया जाए और इस बारे में लॉकअप रजिस्टर में एक प्रमाण पत्र दे।

बंदियों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल

232 कारागार के रक्षण स्टाफ का कोई अधिकारी या सदस्य किसी कैदी के खिलाफ बेनट (संगीन) या किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल निम्न स्थिति में कर सकता है:

1) कैदी के भागने या भागने की कोि”ा”ा करने की स्थिति में यदि अधिकारी या रक्षण स्टाफ के पास इस बात को मानने का तर्कसंगत आधार है कि हथियार का इस्तेमाल किए बिना वे कैदी को भागने से नहीं रोक सकते।

2) बंदियों के व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कारागार तोड़ने या इसकी कोि”ा”ा करने या कारागार के बाहरी फाटक या उससे जुड़ी दीवार को तोड़ने या ऐसी कोि”ा”ों केवल जारी रखने की स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3) कारागार के अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब यह मानने का न्यायसंगत आधार हो कि कारागार का अधिकारी या अन्य व्यक्ति के जीवन या उसके शरीर के किसी भाग को खतरा है या वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है।

233 कैदी पर गोली चलाने वाले हथियार का इस्तेमाल करने से पहले अधिकारी या रक्षण स्टाफ का सदस्य ऊंची और स्पष्ट आवाज में चेतावनी देगा कि वह उस पर गोली चलाने वाला है।

234 कारागार का कोई भी अधिकारी किसी भी कैदी के खिलाफ अपने उच्च अधिकारी की उपस्थिति में तब तक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि उसके उच्च अधिकारी ने ऐसा करने का आदे”ा न दिया हो या फिर वह आत्मरक्षा में ऐसा कर सकता है।

235 बल प्रयोग की आव"यकता वाले मामलों में केवल न्यूनतम बल प्रयोग निम्न हालात में किया जाएगा।

हथियारों और गोला–बारूद की ढुलाई

236 किसी भी वाहन से ले जाई जा रही हथियारों और **गोला**–बारूद की खेप सील किए गए डिब्बों में रखी जाएगी और स"ास्त्र गार्ड इसकी रखवाली करेंगे। मार्ग रक्षकों की यह ड्यूटी है कि वे हथियारों और गोली–बारूद की रक्षा करें ताकि अनि"चय की स्थिति पैदा न हो सके।

237 कारागार विभाग के हथियारों को जब मरम्मत के लिए राज्य के बाहर भेजा जाता है तो इन्हे पुलिस विभाग के सुपुर्द किया जाता है। पुलिस दल, इनके साथ– साथ पुलिस विभाग के भी अगर कोई हथियारों हों तो उनका भी रक्षण करता है। रक्षण के लिए अगर पुलिस विभाग के हथियार नहीं होते और पुलिस दल, केवल कारागार विभाग के हथियारों के रक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो मार्ग रक्षण पर होने वाला खर्च कारागार विभाग द्वार वहन किया जाएगा।

तालों और सलाखों की सुरक्षा

238 सभी तालों, सलाखों और अन्य बंधनों की जांच नियमित रूप से प्रभारी वार्डर द्वारा की जानी चाहिए और इस बारे में रिर्पोट सहायक/उपाधीक्षक को दी जानी चाहिए।

239 सभी तालों की डुप्लीकेट चाबियां सीलबंद डिब्बे में संबंधित उपाधीक्षक के कब्जे में रखी जानी चाहिएं। गिनती में कोई भी चाबी छूटनी नहीं चाहिए और किसी भी कैदी की पहुंच कारागार की चाबियों तक नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक की सभी चाबियां जब इस्तेमाल न की जा रही हों तो इन्हें स्थिति के अनुरूप टावर के मुख्य हैड वार्डर या द्वारपाल की हिरासत में द्वार या टावर पर रखे चाबी बक्से या अलमारी में रखा जा सकता है।

240 लॉक अप पूरा होने के बाद वार्ड, कोठरी और अन्य जगहों जहां बंदियों को रखा जाता है वहां की चाबियां इकट्ठी कर चक्कर प्रभारी सहायक अधीक्षक और उपाधीक्षक की उपस्थिति में गिनी जाएंगी, जो इनकी संख्या लॉक अप रजिस्टर में दर्ज करेंगे। चक्कर प्रभारी और सहायक अधीक्षक इन चाबियों

को मुख्य द्वार पर इनके लिए रखे पात्र में ताले में बद करेंगे जिसकी चाबी ग"त अधिकारी को देंगे। प्रत्येक ग"त अधिकारी इसे उपाधीक्षक को सवेरे काराग़ार आने पर सौंपेंगें। वे वार्ड और रसोईघर जहां रात्रि ड्यूटी के रसोइए होते हैं उनकी चाबी भी ग"त अधिकारी के कब्ज़े में होगी।

241 सभी स्लीपिंग वार्ड और कोठरियों के दरवाजों की चाबियों के लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा कि कोई कैदी उन तक नहीं पहुंच पाएगा।

242 प्रत्येक काराग़ार में एक जेनरेटर होगा जिसमें स्वचालित स्विच होगा ताकि अगर बिजली गुल हो जाए तो जेनरेटर अपने आप चल पड़े और सभी सुरक्षा उपकरण बिना किसी रुकावट के काम करते रहें।

सक्रिय सुरक्षा

243 काराग़ारों का संचालन सक्रिय सुरक्षा के आधार पर किया जाएगा। सक्रिय सुरक्षा वैकल्पिक पद्धतियों के इस्तेमाल पर निर्भर करती है जिसके लिए बंदियो से बातचीत करना आव"यक है जिससे उन्हें जानकारी रहे कि क्या हो रहा है और उन्हें आ"वस्त किया जा सके कि उन्हें सुरक्षित और मानवीय वातावरण में रखा जा रहा है। ऐसा करना बंदियों को भागने से रोकने के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाने के लिए भी जरूरी है। काराग़ार कर्मियों को यह भी समझाया जाएगा कि सुरक्षा का मतलब न केवल दीवारें, बाड़ और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी है बल्कि यह परस्पर वि"वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली कार्रवाई है।

बंदियों का प्रवेश

244 किसी भी व्यक्ति को कैदी के रूप में काराग़ार में प्रवे"ा नहीं दिया जाएगा जब तक इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आयु ज्ञापन, रिट, वारंट, आदे"ा एमएलसी नहीं होगा। इस प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर और तिथि होनी चाहिए। प्रत्येक कैदी के लिए अलग–अलग रिट, वारंट या आदे"ा होना चाहिएं चाहे दो या अधिक लोगों पर संयुक्त रूप से आरोप हों। काराग़ार में भर्ती के बाद अध्याय –7 में वर्णित

चिकित्सा देखभाल संबंधी प्रावधानों के अनुसार कैदी की चिकित्सा जांच की जाएगी।

245 यदि किसी कैदी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय–8 के तहत हिरासत के लिए भेजा जाता है और हिरासत के आधार के साथ वारंट नहीं है तो कारागार का प्रभारी अधिकारी उसे स्वीकार नहीं करेगा।

246 कैदी को कारागार में डालने से पहले सहायक/उपाधीक्षक वारंट की जांच करेगा। इसके लिए वे कैदी का नाम तथा अन्य विवरण और उसकी पहचान के नि"ाान के बारे में वारंट में दिए गए विवरण से पुष्टि करेगा। यदि कैदी सहायक/उपाधीक्षक को ये बताने से इंकार करता है या वारंट में दर्ज बातों से अलग विवरण देता है तो ड्यूटी पर अधिकारी, सैन्य रक्षण या पुलिस के प्रभारी अधिकारी से अनुरोध करेगा कि वह कैदी की पहचान का मिलान वारंट में वर्णित व्यक्ति से करे। नए बंदियों के आगमन/प्रवे"ा के समय की द्वारपाल पूरी जांच करेगा कि ऐसे सभी मामले जिनमें कैदी पर आरोप लगाए गए हैं, उनकी घोषणा रक्षण दल ने की है और रक्षण दल का प्रभारी इस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा।

रात्रि में किसी भी कैदी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा

247 लॉक–अप के बाद और लॉक–आउट से पहले किसी भी कैदी को कारागार में भर्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन आपात मामलों में महानिरीक्षक (कारागार) की मंजूरी से ऐसा किया जा सकता है।

248 महिला बंदियों के मामले में उपरोक्त नियम में दिए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे और पुलिस महिला बंदियों को किसी भी दिन और किसी भी समय कारागार में दाखिल करने के लिए ला सकती है।

249 प्रतिबद्ध अदालतके वि"ोष लिखित आदे"ा पर अधीक्षक किसी भी कैदी को किसी भी समय प्रवे"ा दे सकता है।

250 मुकदमे का सामना कर रहे पुरुष कैदी जिन्हें पुलिस ने रैड इंक प्रविष्टि द्वारा वारंट पर रिर्पोट किया है जिसमें कहा गया है कि कैदी की पहचान एक पहचान परेड में कराई जानी

चाहिए। उसे रविवार और कारागार अवका"ा सहित प्रतिदिन हर वक्त कारागार में भर्ती किया जा सकता है।

बंदियों का विवरण

251 कैदी के प्रवे"ा के समय उपाधीक्षक कैदी से पूछताछ कर सुनि"चत करेगा कि उसका नाम तथा अन्य विवरण वारंट में दिए गए विवरण के अनुरूप है।

252 बंदियों की पुष्टि के लिए उपाधीक्षक प्रविष्टि रजिस्टर में सभी बंदियों की व्यक्तिगत जानकारी का पूरा रिकार्ड रखेंगे जिसमें किसी वि"ोष चिन्ह को भी नोट किया जाएगा।

253 कैदी की फोटो के साथ उसके व्यक्तिगत और मुकदमे का ब्यौरा रखने के लिए उसका पूरा विवरण कम्प्यूटर में होना चाहिए। कैदी के अंगूठे के नि"ाान को भी बायोमीट्रिक फिंगर आईडेंटिफिके"ान सिस्टम या अन्य उपकरण में रखा जाना चाहिए ताकि अदालत में पे"ी और रिहाई के लिए उसकी सही पहचान की जा सके।

254 बंदियों की पहचान के लिए कानून या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप प्रवे"ा के समय सभी बंदियों की फोटो ली जानी चाहिए।

255 पहचान परेड के लिए आव"यक कैदी का फोटो तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक परेड खत्म नहीं हो जाती।

स्पशटीकरणः व्यक्तिगत विवरण में शामिल हैं–उंगलियों के नि"ाान, पैरों के नि"ाान, हथेली के नि"ाान, चेहरे की पहचान, आंख की पुतली की पहचान, रेटिना की पहचान, आवाज की पहचान, हंसी की पहचान, आयु की पहचान, चाल की पहचान और फोटो या जेल महानिरीक्षक के आदे"ा द्वारा कोई अन्य मापदंड विर्निदिष्ट किया गया हो ।

दोशपूर्ण वारंट वाले कैदी

256 यदि किसी कैदी को भर्ती के लिए जेल में लाया जाता है, लेकिन वारंट में दिया गया विवरण आरोपी द्वारा दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता या वारंट में उल्लिखित ब्यौरा संदिग्ध है तो अधीक्षक कैदी की हिस्ट्री टिकट, वारंट और भर्ती रजिस्टर में लाल स्याही से प्रमुखता से दर्ज करेगा– **नहीं पहचाना गया**। ऐसे कैदी की फोटो, जेल प्रबंधन

प्रणाली के व्यक्तिगत विवरण में तब तक शामिल नहीं की जाएगी जब तक उसकी पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

प्रबंधन और वारंट की कस्टडी

257 कैदी के कारागार में भर्ती होने की तिथि और उसे दिये गये रजिस्टर नंबर का उसके वारंट पर पृष्ठांकन किया जाएगा और उस पर उपाधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

258 दोषियों के मामले में कैदी का वारंट रिहाई की तिथि के अनुसार मासिक बंडल में रखा जाएगा और किसी एक महीने में रिहा होने वाले बंदियों के वारंट एक ही बंडल में रखे जाएंगे। प्रत्येक बंडल के बाहर महीने और वर्ष की चेप्पी लगाई जाएगी। इन्हें तालाबंद ड्रार या अलमारी में रखा जाएगा जिसकी चाबी सहायक/उपाधीक्षक के पास होगी। फैसले की प्रतियां, अपीलीय अदालत के आदे"ा, सरकार के आदे"ा, बंदियों की याचिकाओं के निपटारे और दंड के भुगतान संबंधी पत्राचार, वर्गीकरण तथा अन्य संबंधित रिकार्ड फाइल में लगाकर संबंधित कैदी के वारंट के साथ रखे जाएंगे। वारंट का अंतिम निपटान निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

259 जेल प्राधिकरण निरंतर अपना रिकार्ड अद्यतन करता रहेगा और विचाराधीन बंदियों के हिरासत वारंट के ब्यौरे में किए गए बदलाव के अनुसार अपने रिकार्ड का नवीकरण करता रहेगा।

260. विचाराधीन कैदी जब संहिता की धारा 436 क के लाभ पाने के योग्य हो जाएगा तो जेल प्राधिकरण, विचाराधीन कैदी और संबद्ध अदालत को इस बारे में सूचित करेगा। अदालत द्वारा कैदी पर जिस धारा के तहत आरोप तय किए गये हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव किए जाने पर, जेल प्राधिकरण को इसे बारे में कैदी को जानकारी देनी होगी।

261विचाराधीन बंदियों के वारंट अदालत में पे"ी के अनुसार लगाए जाएंगे। इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाया जाएगा।

262उपाधीक्षक की यह ड्यूटी होगी कि वह सुनि"चत करे कि हर कैदी को कस्टडी/पे"ी वारंट पर दी गई तिथि और समय

पर पे"ा किया जाए। अगर किसी कारण वि"ोष से वह कैदी को अदालत में पे"ा करने में असमर्थ है तो यह बात वायरलैस संदे"ा/वि"ोष संदे"ावाहक के जरिए संबंधित अधिकारी के ध्यान में लानी चाहिए ताकि पे"ाी के लिए अगली तारीख ली जा सके।

263ऐसे मामलों के लिए जिनके लिए पे"ाी वारंट दिल्ली से बाहर की अदालत से प्राप्त हुआ हो तो अगर दिल्ली की अदालत की तारीख पर कोई असर न पड़ता हो तो कैदी को दिल्ली से बाहर की अदालत में पे"ा किया जाएगा।

264संलग्नक –1 में दिए गए बंदियों के अधिकार और कर्त्तव्यों के बारे में पुस्तक/पुस्तिका कैदी को भर्ती के समय दी जाएगी।

265 **अवैध या दोशपूर्ण वारंट की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रकिया** : कारागार में भर्ती किए गए किसी कैदी के मामले में अगर अधीक्षक को किसी वारंट की वैधता या वचनबद्धता आदे"ा की वैधता या उस पर लगी मोहर तथा हस्ताक्षरकर्ता की सक्षमता पर संदेह हो तो वह सजा के फैसले को आगे बढ़ाने और ऐसा वारंट या आदे"ा जारी करने के लिए वह ये मामला संबंधित अदालत को भेजेगा ताकि भविष्य में बंदियों के बारे में फैसला करने के लिए सलाह ली जा सके। अधीक्षक यह पराम"र्ा प्राप्त होने तक बंदियों को हिरासत में उसी तरह रखेगा जिस तरह उन्हें वारंट या आदे"ा सही होने की स्थिति में रखा जाता।

266 यदि किसी वारंट या वचनबद्धता आदे"ा में कोई ऐसी त्रुटि या चूक पाई जाती है जो अधीक्षक की नजर में किसी गलती की वजह से हुई है या अगर अदालत या अधिकारी सामर्थ्य के साथ सजा या आदे"ा पारित करता है जो कि किसी भी तरह से दोषपूर्ण है या अन्यथा अनियमित है, वह आदे"ा के लिए, जैसा भी मामला हो, इस तरह के न्यायालय या प्राधिकारी के संदर्भ के आधार पर कैदी को प्राप्त कर सकता है।

267 यदि भर्ती के समय कोई कैदी जो विवरण देता है वह कस्टडी वारंट में दिए गए ब्यौरे से मेल नहीं खाता तो अधीक्षक इसे तुरंत आगे के निर्दे"ा के लिए संबंद्ध अदालत को भेजेगा।

वारंट की जांच

268 सभी वारंटों की जांच यह सुनिि”चत करने के लिए की जाएगी कि ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदे”ाों के अनुरूप हैं।

नोट 1: कैद का ऐसा आदे”ा जिसमें यह निर्दिष्ट न हो कि सज़ा साधारण है या कठोर है या उस पर तारीख, हस्ताक्षर या मोहर न हो तो वारंट को सही करने के लिए लौटा दिया जाएगा।

नोट 2: वारंट पर दिए गए आदे”ा में कालकोठरी में कैद की अवधि, सजा की अवधि पर निर्भर करती है। यह भारतीय दंडसंहिता, 1860 की धारा 73 के तहत दी जाने वाली सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 3: कारागार अधीक्षक द्वारा ऐसे वारंट पर कैदी को लेने या रखने से मना करने को न्यायसंगत माना जाएगा जिस पर हस्ताक्षर या मोहर ना हो।

नोट 4: सभी वारंट पर इसे जारी करने वाले जज या मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर (इनीि”ायल नहीं) होने चाहिएं और अदालत की मोहर होनी चाहिए।

नोट 5: जिन बंदियों को अलग–अलग सजाएं सुनाई गई हैं उनके मामले में वचनबद्धता के वारंट में प्रत्येक सजा की तारीख का उल्लेख बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए।

नोट 6: विचाराधीन बंदियों के मामले में मध्यवर्ती हिरासत के लिए वचनबद्धता वारंट उक्त निर्दे”ाों के अनुरूप बड़े ध्यानपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए।

नोट 7: कारागार अधीक्षक को उपरोक्त निर्दे”ाों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में किसी व्यक्ति को भर्ती करने से इंकार नहीं करना चाहिए बल्कि उसे तुरंत संबद्ध मजिस्ट्रेट का ध्यान इन खामियों की ओर दिलाना चाहिए और इनमें एक बार में सुधार करने को कहना चाहिए। उन्हें इन खामियों के बारे में सम्बद्ध मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर एक बार में इन्हें सुधारने के लिए कहना चाहिए। अधीक्षक को इसकी जानकारी जिले के मुख्य मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट को देने के लिए इस पत्र की एक प्रति भेजनी चाहिए।

नोट 8: कारागार में बंद बंदियो की रिहाई या सजा मे कमी तथा जमानत पर बंदियों की रिहाई के वारंट और कारागार प्राधिकरण को किए गए दंड के भुगतान की सूचना, हमे"ाा आदे"ा जारी करने वाले अधिकारी की दे"ाी भाषा में तैयार की जानी चाहिए और इस पर उस अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होने चाहिएं और उसकी अदालत की सील के साथ सीलबंद किया जाना चाहिए। इन्हें अदालत के अधिकृत संदे"ावाहक या डाक एजेंसी के जरिए कारागार प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए न कि बंदियों के मित्रों या संबंधियों के जरिए।

नोट 9: प्रत्येक कैदी के लिए अलग–अलग वारंट होना चाहिए चाहे दो या उससे अधिक बंदियों को संयुक्त रूप से आरोपित किया गया हो।

प्रतिवेदन पर कार्यवाही न होने की स्थिति में प्रक्रिया

269 अधीक्षक अदालत को भेजे गए अपने प्रतिवेदनों पर कार्रवाही न होने की स्थिति में इस बारे में अदालत से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी तैनात करेंगे।

गलती सुधार के लिए लौटाए गए वारंट की प्रति रखना

270 वारंट को जब गलती सुधार के लिए वापस लौटाया जाता है तो उसकी एक प्रति तब तक वारंट अलमारी मे उचित स्थान पर रखी जाएगी जब तक उसकी मूल प्रति वापस नहीं मिल जाती। इसके लिए वारंट के रिक्त प्रपत्र रखे जाएंगे।

रिहाई की तारीख, भाुद्धता की जिम्मेदारी

271 जिस तारीख को कैदी को रिहा किया जाना है उसे उपाधीक्षक द्वारा प्रसारित किया जाएगा और इसे रिहाई रजिस्टर में कैदी के नाम, क्रम संख्या और तारीख इत्यादि के साथ दर्ज किया जाएगा।

272 सजा में किसी तरह की कमी किए जाने या सजा बढ़ाए जाने या जमानत पर छूटने या भाग निकलने के बादरिहाई की तारीख यदि बदल गई है तो रिहाई की नई तारीख निर्िचत की जाएगी और रिहाई रजिस्टर में पिछली तारीख के नीचे नई तारीख दर्ज की जाएगी। पुरानी प्रविष्टि पर लाल स्याही लगा दी जानी चाहिए और इसके सामनेनई तारीख दर्ज की जाए।

273 उपाधीक्षक रिहाई रजिस्टर और भर्ती रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्टि की स्वयं जांच करेंगे। वे उसकी शुद्धता के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

274 दोषी करार दिए गए कैदी का वारंट संबंधित अदालत को वापस भेज दिया जाना चाहिए, साथ में यह बताया जाना चाहिए कि अदालत के निर्दे"ा के अनुरूप उसने किस तरह की सजा काटी है।

275 तामील के बाद प्रत्येक विचाराधीन कैदी का निजी मुचलका संबंधित अदालत को वापस भेज दिया जाना चाहिए।

भर्ती के बाद बंदियों की तलाशी

276 बॉडी स्कैनर इत्यादि जैसे बिजली के उपकरण इस्तेमाल करने वाला अधिकारी ही बंदियों की पूरी तला"ाी लेगा। महिला बंदियों की तला"ाी महिला कर्मी लेंगी। बंदियों की तला"ाी यार्ड या संबंधित कोठरी में ली जाएगी। यह काम अन्य बंदियों की मौजूदगी में नहीं किया जाएगा। तला"ाी शोभनीय तरीके से और निजता को ध्यान में रखते हुए ली जाएगी। निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए बंदियों के कपड़े उतारकर जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कारागार अधीक्षक की अनुमति नहीं होगी।

बंदियों से उनकी सब वस्तुएं रखवाना

277 नियमों के अनुसार जिन बंदियों को कपड़े और बिस्तर दिया जाएगा तला"ाी के दौरान उनकी सभी वस्तुएं –कपड़े, आभूषण, बिस्तर, पैसे, दस्तावेज या अन्य वस्तुएं ले ली जाएंगी। बिस्तर जैसी जीवन की अन्य आव"यकताओं की अनुमति कारागार महानिरीक्षक देंगे।

बंदियों की परिसंपत्ति

278 कारागार में भर्ती के समय प्रत्येक कैदी से लिए गए धन, कपड़े और अन्य वस्तुओं की सूची, उनसे संबंधित भर्ती रजिस्टर और कैदी संपत्ति खाता रजिस्टर में उचित स्थान पर दर्ज की जाएगी।

279 किसी कैदी की संपत्ति की सूची में अगर कुछ जोड़ा जाता है, कम किया जाता है या उसमें बदलाव किया जाता है तो

उपाधीक्षक इसे प्रमाणित करेंगे और इस पर अधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

280 कैदी के मित्र या संबंधी अधीक्षक के पास न्यायसंगत धनराशि जमा करा सकते हैं ताकि वह अदालत में मुकदमा लड़ने के लिए वकील का खर्चा दे सके या रिहाई पर घर जाने के लिए यात्रा कर सके या कारागार अधिकारियों की अनुमति के अनुरूप कैंटीन से सामान खरीद सके।

संपत्ति की सूची को पढ़ कर सुनाना और प्रत्येक प्रविशिट को प्रमाणित करना

281 कारागार में भर्ती किए जाने के बाद, ऐसी सभी वस्तुओं की एक सूचीयथाशीघ्र, उप–अधीक्षक की मौजूदगी में कैदी को पढ़ कर सुनायी जाएगी, जिनमें कैदी के शरीर से हटाई गई या, भर्ती के समय से उससे प्राप्त की कोई भी वस्तु शामिल हो सकती है।

282 यदि कैदी सूची को स्वीकार करता है **तो उसकी तथ्यपरकता सिद्ध हो जाती है, परन्तु** यदि कैदी सूची में किसी वस्तु के दर्ज होने पर या सूची में किसी वस्तु के न होने पर आपत्ति करता है तो उसकी आपत्ति के बारे में सूची में टिप्पणी की जाएगी और इस आपत्ति को अधीक्षक के ध्यान में लाया जाएगा।

283 कैदी अगर साक्षर है तो वह सूची की शुद्धता के बारे में अपनी सहमति अथवा की गई आपत्ति के संकेत के रूप में सूची पर हस्ताक्षर करेगा।

284 उपाधीक्षक सूची में प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर कर इसे प्रमाणित करेगा।

285 कैदी से प्राप्त की गई पूरी संपत्ति की प्राप्ति रसीद कैदी को जारी की जाएगी।

286 अगर ऐसी संपत्ति, प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाती है तो परवर्ती अधिकारी, जो भी लागू हो, संबद्ध रजिस्टर में उसकी प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर कराएगा। कपड़ों को छोड़कर सभी वस्तुएं उपाधीक्षक के प्रभार में रखी जाएंगी।

छूट गई संपत्ति को प्राप्त करना

287 ऐसी सभी संपत्ति जो कैदी की भर्ती के समय उससे ली गई हो या उसके पास पाई गई हो या जो बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी ओर से भेजी गई हो, उपाधीक्षक द्वारा प्राप्त की जाएगी।

288 किसी कैदी की भर्ती के समय या बाद में उसके मित्रों या संबंधियों द्वार उसकी ओर से दी गई संपत्ति उपाधीक्षक द्वारा प्राप्त की जा सकती है या अधीक्षक के विवेकानुसार इन्कार किया जा सकता है।

भर्ती के बाद प्राप्त संपत्ति सूची में दर्ज की जाएगी

289 किसी कैदी की भर्ती के बाद अगर उसके पक्ष में कोई संपत्ति अधीक्षक द्वारा प्राप्त की जाती है तो इसे उस कैदी की संपत्ति की सूची में दर्ज किया जाएगा।

290 यदि कोई कैदी अपने खाते से पैसा निकालना चाहता है तो अधीक्षक की मंजूरी के बाद उससे एक आवेदन लिया जाएगा और एक रसीद लेकर उसे पैसा दे दिया जाएगा।

291 कैदी के संपत्ति खाते की जांच उपाधीक्षक और अधीक्षक द्वारा प्रविष्टि की शुद्धता के प्रमाण के रूप में की जाएगी।

292 महानिरीक्षक, कैदी के संपत्ति खाते में रखने के लिए, संपत्ति की अनुमति की सीमा समय–समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

बंदियों की संपत्ति के साथ बरताव

293 कैदी की संपत्ति के साथ निम्न प्रकार बरताव किया जाएगाः–

1) किसी कैदी का कोई कपड़ा या बिस्तर या कोई और वस्तु उपाधीक्षक की नजर में क्षतिग्रस्त या खस्ता हालत में है और रखने लायक नहीं है तो वह इन्हें तुरंत नष्ट कराएंगे और उस कैदी की संपत्ति की सूची में इसे दर्ज करेंगे तथा इस बारे में नोट को सत्यापित करेंगे।

2) प्रत्येक कैदी की वह संपत्ति जिसे कारागार के अंदर रखने की अनुमति नहीं है उसे अच्छे से पैक कर स्टोर में रखा जाएगा।

3) कैदी के आभूषण, प्रतिभूतियां और अन्य कीमती वस्तुएं अलग पैकेट में रखी जाएंगी और उस पर कैदी का रजिस्टर नंबर,

नाम और भर्ती या सजा की तारीख लिखी जाएगी। ऐसे सभी पैकेट कारागार कै”ा–चैस्ट में रखे जाएंगे।

4) धनराि”ा, जो कि कैदी की संपत्ति है(बेची गई किसी वस्तु की सेल प्रोसीड सहित) समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा दिए गए निर्दे”ाों के अनुरूप कारागार कै”ा–चैस्ट में रखी जाएगी या उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

5) प्रत्येक कैदी को कारागार में इस्तेमाल के लिए एक जोड़ी जूते और चप्पल, तीन जोड़ी अंडर गारमेंट्स और तीन जोड़ी निजी कपड़े रखने की अनुमति होगी।

6) कै”ा–चैस्ट में नकद में कैदी की संपत्ति की सीमा समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा तय की जाएगी और शेष राि”ा राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी।

कैदी की धनराशि और परिसंपत्ति का प्रबंधन

294 कैदी की नकद संपत्ति जो उसे रिहाई के समय लौटाई जानी है या अन्य कारण से निपटाई जानी है उसका भुगतान किसी भी महीने के दौरान उपाधीक्षक द्वारा उसी महीने प्राप्त कैदी की नकद संपत्ति से किया जाएगा। कैदी को नकदी का भुगतान उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर किया जाएगा जिस पर अधीक्षक और उनकी कारागार में गैर मौजूदगी में उपाधीक्षक के लिखित आदे”ा पर किया जाएगा।

295. कैदी के धन के निपटान की रसीद की उपाधीक्षक द्वारा कै”ा बुक में प्रविष्टि की जाएगी। कैदी की वस्तुएं कब बेची गई और इससे जो राि”ा मिली उसे भी कैदी के वारंट के साथ संलग्न संपत्ति ज्ञापन में दर्ज किया जाएगा।

296 अधीक्षक अपने को संतुष्ट करेगा कि कारागार के कै”ा–चैस्ट या बैंक में कैदी के खाते में जमा की गई राि”ा, उपाधीक्षक की कै”ा बुक में उसी मद के तहत द”ााई गई राि”ा के अनुरूप है।

297 बंदियों के संपत्ति खाते से नकदी के लेन–देन की पुष्टि के लिए छमाही आंतरिक लेखा परीक्षण किया जाएगा।

कैदी के स्थानांतरण पर संपत्ति का प्रबंधन

298 कैदी के एक कारागार से दूसरी में स्थानांतरण की स्थिति में उसकी पूरी धनराि”ा और अन्य संपत्ति उस कारागार में भेज

दी जाएगी जहां उसे स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए बकायदा रसीद ली जाएगी।

कुछ निश्चित बंदियों के लिए दी गई संपत्ति प्राप्त नहीं की जाएगी

299 किसी कैदी की ओर से दी गई संपत्ति जो पहले से अन्य कारागार को स्थानांतरित की जा चुकी है, स्वीकार नहीं की जाएगी। संपत्ति देने वाले व्यक्ति को उस कारागार की जानकारी दी जाएगी जिसमें कैदी को स्थानांतरित किया गया है ताकि उसे वहां उसकी संपति भेजी जा सके।

संपत्ति मित्र या संबंधी को दी जा सकती है।

300 अधीक्षक, किसी कैदी के लिखित अनुरोध या मंजूरी से उसकी समूची धनराशि या उसका एक हिस्सा या अन्य संपत्ति जो अधीक्षक के कब्जे में है उसे कैदी द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति (जो कैदी न हो) को , बकायदा रसीद लेकर दे सकता है:
परंतु अधीक्षक इन बंदियों की इतनी धनराशि या अन्य संपत्ति अपने पास रोके रखे जितनी उसे लगता है कि रिहाई के समय अपने पास रखने और पर्याप्त कपड़े उपलब्ध कराने के लिए जरूरी होगी।

बंदियों के पास मिलने वाली निशिद्ध वस्तुओं का निपटारा

301 कारागार में भर्ती होने के बाद कैदी के पास पाई जाने वाली निषिद्ध वस्तुओं को जब्त कर लिया जाएगा और उनकी बिक्री से मिलने वाली धनराशि समुचित मद के तहत सरकार के पास जमा करा दी जाएगी:
परंतु अधीक्षक, जब्त की गई किसी संपत्ति या इसकी बिक्री से प्राप्त राशि की आधी तक उपमहानिरीक्षक की मंजूरी से, ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जिसके माध्यम से इसका पता लगा हो।

कारागार से भाग निकले बंदियों की संपत्ति का निपटारा

302 कारागार से भाग गए प्रत्येक कैदी की संपत्ति और धनराशि को कारागार में एक वर्ष तक यथावत् रखा जाएगा। अगर इस दौरान उसे फिर से पकड़ा नहीं जाता तो उसके धन और संपत्ति को समुचित मद के तहत सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा।

मृतक बंदियों की संपत्ति

303 मृतक कैदी की धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए अगर कोई दावेदार उत्तराधिकारी के प्रमाण–पत्र या सत्यापित इच्छा–पत्र इत्यादि के साथ नहीं आता तो इसे कैदी की मृत्यु के एक साल बाद समुचित मद के तहत सरकार के पास जमा करवा दिया जाएगा।

मरणासन अवस्था में कैदी की संपत्ति सौंपने की प्रकिया

304 मृत्यु के निकट पहुंच चुके किसी कैदी की संपत्ति निपटाने के बारे में अगर उसकी कोई इच्छा हो तो पुलिस को यह जानकारी दी जाएगी कि संपत्ति किसे सौंपी जानी है। इसके साथ मृतक कैदी की विवरणात्मक सूची और इस संपत्ति के ब्यौरे की प्रमाणित प्रति भी होनी चाहिए।

305 पुलिस को दी गई समूची संपत्ति की रसीद ली जानी चाहिए।

बंदियों का स्नान और कपड़ों की धुलाई

306 कारागार में किसी भी कैदी के भर्ती किए जाने पर उसे अपने को अच्छी तरह साफ–सुथरा करना और अपने कपड़ों की धुलाई करनी होती है। वह जहां से आया है वहां या आसपास किसी तरह की महामारी फैली है तो उसके कपड़ों को कीटाणुरहित किया जाएगा। ऐसे मामलों में कैदी सी साफ–सफाई पर वि"ोष ध्यान दिया जाएगा ।

स्वागत वार्ड

307 कैदी को कारागार में भर्ती किए जाने पर तब तक स्वागत वार्ड में रखा जाएगा जब तक उसे उसकी जगह दिए जाने की शुरुआती औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं। भर्ती पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगीः

1) बाल कटाना तथा दाढ़ी बनाना, टॉयलेटरीज का मुद्दा और कीटाणु"ोधन लो"ान

2) कैदी के कपड़े और अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं को कीटाणुरहित करना और रखना

3) कैदी के कपड़े, बिस्तर और बर्तनों को कीटाणुरहित करने का मुद्दा

4) अधिकृत व्यक्तिगत वस्तुओं का मुद्दा

5) अलगाव के मूल सिद्धांतों के अनुरूप आवास

6) 24 घंटे के भीतर पूरी चिकित्सा जांच

7) पत्र, मुलाकात, परिवार कल्याण, तात्कालिक व्यक्तिगत समस्याओं जैसी कैदी की आव"यक जरूरतों को तुरंत पूरा करना

8) सिपुर्दगी पत्रों, पहचान चिन्ह, रजिस्टरों में प्रविष्टियों, कैदी की नकद संपत्ति, अपील और अन्य कानूनी मुद्दों इत्यादि के प्रभारी उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक द्वारा पुष्टि

9) नियमों के अनुसार फिंगर प्रिंटिंग और फोटोग्राफ और बायोमीट्रिक कोओर्डिनेट कैपचरिंग

10) बंदियों में मादक पदार्थों की लत के कारण समस्याओं का सामना कर रही कारागार ों की पहचान

अभिविन्यास

308 नए भर्ती प्रत्येक कैदी को अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेगा ताकि उसे नियमों और विनियमों की जानकारी हो सके। कैदी के रूप में उसके अधिकार और कर्त्तव्यों को कारागार के प्रत्येक हिस्से में हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से प्रद"ित किया जाएगा और उसे उसकी अपनी भाषा में समझाया जाएगा। कैदी के लिए कारागार में समुचित स्थान का फैसला करने के लिए अधिकाररियों द्वारा पृष्ठभूमि और आव"यकताओं का सामान्य आंकलन किया जाएगा।

हिस्ट्री टिकट की तैयारी और रखरखाव

309 कारागार में प्रवे"ा करते ही तुरंत कैदी की हिस्ट्री टिकट तैयार कर उसे दी जाएगी। इसे इस तरह तैयार किया जाएगा कि जब तक वह कारागार में बंद रहे पूरी अवधि का उसमें रिकार्ड हो। यह रिकार्ड कारागार के डिजिटल डाटाबेस में भी दर्ज किया जाएगा।

310 प्रत्येक हिस्ट्री टिकट में निम्न विवरण होगाः

1) नाम, कैदी नंबर और कैदी की पहचान के लिए अन्य आव"यक विवरण

2) कैदी के बारे में दिया गया हर आदे"ा तथा निर्दे"ा और दी गई सजा का संक्षिप्त रिकार्ड

3) कैदी को प्रभावित करने वाली प्रत्येक अन्य घटना का संक्षिप्त रिकार्ड

4) कैदी के उस अपराध का प्रकार जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है और उस पर लागू होने वाले कानूनी प्रावधान
5) सजा की तारीख, प्रकार, और अवधि

311 हिस्ट्री टिकट में की जाने वाली हर प्रविष्टि घटना घटित होते ही या उसके बाद जितनी जल्दी संभव हो की जाएगी और इसे दर्ज करने वाला अधिकारी तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा।

312 मूल हिस्ट्री टिकट खो जाने पर डुप्लीकेट हिस्ट्री टिकट जारी की जाएगी और इस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। इसमें पहले की सभी प्रविष्टियां दर्ज कर इसे फिर से तैयार किया जाएगा।

चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रविश्टियां दर्ज करना

313 चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उनकी निगरानी में प्रत्येक कैदी की हिस्ट्री टिकट के शीर्षक में निम्न बातें दर्ज की जाएंगी:

1) भर्ती के समय कैदी का वज़न
2) कैदी के स्वास्थ्य की स्थिति
3) अगर श्रम की सजा मिली है तो उसके करने लायक श्रम का वर्ग
4) क्या उसे चेचक से बचाव का टीका लगा है या नहीं

314 चिकित्सा अधिकारी निम्न विवरण मेडिकल हिस्ट्री शीट में दर्ज करेगा। इसमें कैदी की दिन प्रति दिन की स्वास्थ्य स्थिति और कारागार अस्पताल में उसके इलाज के बारे में जानकारी होगी:

1.लगाए गए टीके और उसके नतीजे का ब्यौरा;
2.हर बार अस्पताल में दाखिल किए जाने तथा छुट्टी दिए जाने और रोग का ब्यौरा;
3.भर्ती और स्वास्थ्य लाभ समूह से छुट्टी;
4.कैदी द्वारा बीमारी की f"kकायत या उसकी बीमारी के बारे में जानकारी मिलना
5.चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा सहायक की सलाह या निर्दे"k पर की गई कार्यवाही
6.साप्ताहिक या पाक्षिक तौर पर वजन तोलना

दर्ज किया जाने वाला ब्यौरा और दर्ज करने वाला अधिकारी

315 प्रत्येक कैदी की हिस्ट्री टिकट पर निम्न प्रविष्टियां दर्ज करनी चाहिए:

1 कारागार में भर्ती की तारीख;

2 भर्ती के समय और बाद में जारी किए जाने वाले हर कपड़े और उपकरण की संख्या और नाम;

3 कैदी को दिए गए कार्य वि"ोष के संबंध में वनज, संख्या या माप;

5 चिकित्सा को छोड़कर अन्य कारणों से, कार्य में किया गया हर बदलाव;

5 अगर कैदी अपील का इच्छुक है तो फैसले की प्रति के लिए उसकी अर्जी;

6 फैसले की प्रति की रसीद;

7.अपील का प्रेषण;

8.अपीलीय अदालत के आदे"ा का सार;

9.अपील के लिए जितने समय की अनुमति है उसके समाप्त होने से पहले अपील का तथ्य नहीं बनाया जाना;

10. तिमाही रूप से दी गई माफी की अवधि;

11. प्रत्यक तिमाही के अंत तक अर्जित दिनों की कुल छूट;

12. प्रत्येक कारागार अपराध का आरोप;

13. प्रत्येक मुलाकात जिसकी अनुमति दी गई और निजी पत्रों की प्राप्ति और प्रेषण

14. अदालत में भेजना, या स्थानांतरण, रिहाई, बच निकलना या मृत्यु

15. फैक्ट्री प्रबंधक या उपाधीक्षक की कोई सिफारि"ा

16. अधीक्षक द्वारा दर्ज किसी आदे"ा पर की गई कार्यवाही

17. कारावास वारंट के कारण उन कोठरियों की संख्या जिनमें रखा गया

18. हटाने इत्यादि के हर मौके पर वारंट पर कुल एकांत कारावास

316 उपरोक्त बिंदुओं 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 से संबंधित प्रविष्टियां सहायक अधीक्षक द्वारा दर्ज की जाएंगी। बिंदु 11 से संबंधित प्रविष्टियां सहायक अधीक्षक या माफी के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा और बिंदु

3 से संबंधित प्रविष्टियां चिकित्सा सहायक या सहायक अधीक्षक या सहायता के लिए नियुक्त किए जाने पर डिसपेंसर द्वारा दर्ज की जाएंगी। बिंदु 15 से संबंधित प्रविष्टियां फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा दर्ज की जाएंगी, अगर इस स्तर का कोई अधिकारी नहीं है तो इसे उपाधीक्षक द्वारा दर्ज किया जाएगा, लेकिन बड़ी काराग़ारों में अधीक्षक के आदे"ा के तहत ड्यूटी के कुछ कार्य सहायक अधीक्षक द्वारा किए जाएंगे। बिंदु 4 और 16 के बारे में प्रविष्टियां दर्ज करने की ड्यूटी, उपाधीक्षक के किसी अधीनस्थ अधिकारी को नहीं दी जाएगी।

317अधीक्षक द्वारा की जाने वाली प्रविश्टियां: प्रत्येक दोशी की हिस्ट्री टिकट पर अधीक्षक निम्न रिकॉर्ड रखेगा

1 किसी कैदी के बारे में वह कोई वि"ोष आदे"ा दे सकता है, जैसे बेड़ियां हटाना, मुलाकात करने या पत्र लिखने की इजाज़त, रात तक निवास पृथक्करण।

2 हर प्रकार की सज़ा देना।

3 एक्स्ट्रा मुराल वर्क पर रोजगार की मंजूरी।

4 सहायक के रूप में दी गई ड्यूटी ।

5 वि"ोष माफी देना।

नोट: सहायक को समय –समय पर अधीक्षक या अतिरिक्त अधीक्षक/उपाधीक्षक द्वारा ड्यूटी दी जाएगी।

हिस्ट्री टिकट का कब्ज़ा और प्रबंधन:

318 प्रत्येक कैदी की हिस्ट्री टिकट को प्रभारी काराग़ार अधिकारी के कब्जे में सुरक्षित रखा जाएगा और जब भी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी आव"यकता होगी तब इसे पे"ा किया जाएगा। कैदी को जब भी किसी समूह से अन्य समूह में स्थांतरित किया जाएगा या किसी काम से हटाकर दूसरे काम में लगाया जाएगा या अस्पताल भेजा जाएगा तो उसके साथ हिस्ट्री टिकट को भी भेजा जाएगा।

319 साप्ताहिक परेड के दौरान जांच के लिए प्रत्येक कैदी के हाथ में उसकी टिकट होगी। जब भी किसी कैदी के अपराध करने की रिपोर्ट मिलती है या किसी कारण से उसे अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी के सामने लाया जाता है तो उसके साथ उसकी हिस्ट्री टिकट भी पे"ा की जाती है।

रिहाई या मौत के बाद हिस्ट्री टिकट रखनाः

320 प्रत्येक कैदी की हिस्ट्री टिकट सुरक्षित रखी जाएगी

1 उसके भाग जाने की स्थिति में, एक साल तक,

2 रिहाई की स्थिति में, एक साल तक,

3 मौत की स्थिति में, दो साल बाद तक,

4 ज़मानत पर छोड़े जाने की स्थिति में, अपील के नतीजे की जानकारी मिलने के बाद, एक साल तक।

भर्ती रजिस्टर

321 कारागार में भर्ती किए गए सभी बंदियों के लिए एक प्रवे"ा रजिस्टर होगा। जहां संभव हो यह इलेक्ट्रानिक प्रारूप में होगा। इस प्रवे"ा रजिस्टर में कैदी के बारे में मूल बातों का विवरण होगा। इनमें नाम, माता–पिता, आवास का पता , कानूनी दर्जा, प्रवे"ा की तिथि और सिपुर्दगी अदालतों का ब्यौरा शामिल है। यह रजिस्टर सहायक अधीक्षक या उसके समान हैसियत वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बनाया जाएगा। इस रजिस्टर में क्रम संख्या से प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी।

व्यक्तिगत सूचना प्रणाली

322 बंदियों की व्यक्तिगत वस्तुओं और संपत्ति सहित उसका व्यक्तिगत ब्यौरा रखने के लिए व्यक्तिगत सूचना प्रणाली के रूप में आधुनिक टेक्नालॉजी/सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।

323 कारागार विभाग को सूचना प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए । इससे प्रत्येक कैदी की जानकारी रखी जा सकेगी, जिसमें शामिल है– कारागार से गृह विभाग को प्राप्त हुई नामावली तथा हिस्ट्री टिकट और प्रत्येक कैदी के पते की पुष्टि तथा पूर्ववर्ती रिपोर्ट को अद्यतन करने के तरीकों को सभी थानों के एसएचओ को उसी सिस्टम पर उपलब्ध कराना जो सरकार के गृह विभाग के पास उपलब्ध है।

रजिस्टर नंबर का इस्तेमाल

324 दिए गए रजिस्टर नंबर का मतलब होगा, कैदी की पहचान करना– हर बार किसी अन्य कारागार में स्थानांतरण पर नया नंबर दिया जाता है। आजीवन कड़ी कैद की सजा पाए

बंदियों के सभी कपड़ों और बिस्तर की हर वस्तु पर यह नंबर लिखा होगा और सभी प्रकार के सरकारी पत्र–व्यवहार में इसे नाम के साथ लिखा जाएगा, जैसे दोषी नं0 1736, अ"ाोक। अगर कैदी को अलग–अलग वारंट के तहत दो या अधिक सज़ा काटनी है तो यह जरूरी नहीं है कि एक सज़ा पूरी होने के बाद दोषी वाले रजिस्टर में उसकी पुनः प्रविष्टि की जाए या उसे दूसरा नंबर दिया जाए। प्रत्येक कैदी को उसके नाम से पुकारा जाएगा न कि रजिस्टर में दर्ज नंबर से ।

रिहाई इत्यादि की तारीख का रिकार्ड

325 दोषियों के मामले में, सज़ा पूरी होने की तारीख दोषियों के रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। अगर दोषी को तीन महीने से कम सजा मिली है तो उसके नंबर की प्रविष्टि रिहाई डायरी में रिहाई की तारीख के नीचे की जाएगी । अगर सज़ा तीन महीने या इससे अधिक है तो सजा पूरी होने की तारीख उसकी माफी शीट पर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कैदी का रजिस्टर नंबर, नाम , सज़ा की तारीख और रिहाई की तारीख उसके वारंट पर पृष्ठांकित की जाएगी जिस पर सक्षम अधिकारी, जांच करने और दोषियों के लिए रजिस्टर में प्रविष्टियों तथा वारंट के मुख्य भाग के साथ तुलना करने के बाद हस्ताक्षर करता है। दंड का भुगतान करने में चूक के कारण हुई कैद के मामलों में रिहाई की वैकल्पिक तिथियां वारंट, दोषियों के रजिस्टर, रिहाई डायरी और माफी शीट पर पृष्ठांकित की जाएंगी।

बंदियों की चिकित्सा जांच

326 भर्ती के समय चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में कैदी का वज़न किया जाएगा और उसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। अगर भर्ती के समय चिकित्सा अधिकारी मौजूद न हो और संभव हो तो उस समय ड्यूटी पर तैनात उसका अधीनस्थ अधिकारी कैदी का वज़न करेगा। हर हालत में अगली सुबह तक यह काम निपटा लिया जाना चाहिए। कैदी का वजन उसी समय मुख्य द्वार पर रखी पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा जिसकी बाद में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच के दौरान पुष्टि की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी भर्ती के

समय कैदी की पूरी जांच करेगा और जांच के लिए निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक–2 देखें) में स्वयं जांच के नतीजे दर्ज करेगा। चिकित्सा अधिकारी कैदी की पहचान के नि"ाान की प्रविष्टि का भी निरीक्षण करेगा जिसे अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी दर्ज कर सकता है। बंदियों की चिकित्सा जांच में मर्यादा और निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

भर्ती पर बंदियों की जांच

327 भर्ती के समय प्रत्येक कैदी की जांच कानून की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। अगर भर्ती के समय कैदी के शरीर पर कोई घावहै तो चिकित्सा अधिकारी तुरंत उसकी जांच करेगा। जांच में यदि यह पाया जाता है कि कैदी के साथ आई चिकित्सा–कानूरी रिर्पोट में स्पष्ट न किए गए घाव को पहले से रिकार्ड नहीं किया गया है तो चिकित्सा अधिकारी मामले को फिर से चिकित्सा जांच के लिए नजदीक के सरकारी अस्पताल को भेज सकता है।

328 मादक पदार्थों की लत वाले कैदी की पहचान भर्ती के पहले ही दिन हो जानी चाहिए और उसे तुरंत कारागार के न"ाा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे बंदियों को पहले प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक नि"चत अवधि तक डीटाक्सीफाई किया जाएगा और फिर न"ाा सुधार केंद्र में भेजा जाएगा ताकि उसे इस लत से छुटकारा दिलाया जा सके। डीटाक्सीफाई किए गए बंदियों के कल्याण के लिए पराम"ा सह सुधार केंद्र होने चाहिएं। इनके संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है।

329 अगर कैदी कि"ाोर दिखता हो तो उसकी आयु के निर्धारण के लिए समुचित चिकित्सा जांच के बाद, दि"ाानिर्दे"ा प्राप्त करने के लिए मामला संबंधित अदालत को भेज दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी कि"ाोर को किसी भी मामले में कारागार में नहीं रखा जाएगा। उन्हें कि"ाोर न्याय कानून के तहत कि"ाोरों के लिए संस्थान में भेजा जाता है।

श्रम की समुचित श्रेणी का प्रमाणीकरण

330 दोषियों को कैद की कड़ी सज़ा या उम्रकैद के मामले में चिकित्सा अधिकारी श्रम की श्रेणी दर्ज करेगा, उसी के

अनुसार दोषियों के रजिस्टर के समुचित कॉलम में प्रविष्टि की जाएगी। इसी के अनुरूप दोषी की हिस्ट्री टिकट में भी प्रविष्टि की जाएगी।

अध्याय – 6
कारागारों का रख–रखाव

भोजन

331 कारागार विभाग को बंदियों के लिए आहार योजनाएं इस तरीके से निर्धारित करनी चाहिए कि नीचे दिए गए अनुसार ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकें :

भारतीयों की ऊर्जा जरूरतें

	श्रेणी	शरीर का भार कि.ग्रा. में	निवल ऊर्जा	कैलरी/दिन
पुरुष	गतिहीन कार्य	60 किलोग्राम	2320	
	मध्यम कार्य		2720	
महिला	गतिहीन कार्य	55 किलोग्राम	1900	
	सामान्य कार्य		2230	
	गर्भवती महिलाएं		+350	
	बच्चों को दूध पिलाने वाली 0–6 महीने		+600 +520	
	6–12 महीने			

भोजन ग्रहण कार्य/गतिविधि स्तर से न जोड़ा जाए, अपितु संभावित मानव जीवन के लिए कैलोरी जरूरत के अनुसार होना चाहिए।

गभवर्ती और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए जरूरत

332 अन्य समय की तुलना में गर्भावस्था और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान एक महिला को अधिक प्रोटीन और खनिजों की

जरूरत होती है। आहार में शामिल अन्न के एक हिस्से के स्थान पर दूध और दूध के उत्पाद इत्यादि शामिल कर अतिरिक्त प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। इससे खनिजों की आवश्यक अतिरिक्त पूर्ति भी सुनिश्चित होगी। जब भी भारतीय संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आहार के लिए कोई सिफारिश प्राप्त होती है तो उस पर सरकार द्वारा आहार चार्ट की समीक्षा के लिए विचार किया जाएगा।

अपेक्षित पौष्टिकता

	पोषक तत्व	अपेक्षा	स्रोत
1	प्रोटीन	प्रति किलो शरीर भार का एक ग्राम	दालें, चावल, गेहूं, दूध इत्यादि
2	फैट	50 ग्राम	तेल, मक्खन, दूध, घी इत्यादि
3	कार्बोहाइड्रेट	300 ग्राम	अन्न, चीनी, गुड़, दूध, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू इत्यादि
4	मिनरल क) कैल्शियम	वयस्क के लिए 0.60 ग्राम बच्चे के लिए 1 ग्राम	दूध, दूध के उत्पाद, हरी सब्जियां, भूसीरहित अन्न और चला/मूंग/अरहर इत्यादि
	आयरन	12.15 मिलीग्राम	सब्जियां और फल इत्यादि
5	विटामिन क. विटामिन ए	3000 से 4000 आईयू	पत्तेदार सब्जियां, दूध, लीवर तेल, पीली सब्जियां, गाजर, शकरकंद इत्यादि
	ख. विटामिन सी	50 मिलीग्राम	इमली, आंवला, अमरूद सभी खट्टे फल, नींबू, संतरा इत्यादि
	ग. विटामिन डी	400 आईयू	लीवर तेल, दूध इत्यादि
	घ. विटामिन समूह		
	i- थायामिन	1 से 2	मशीन कुटे अन्न व दालें,

		मिलिग्राम	सेला चावल, गेहूं
	ii- रिबोफ्लेविन	1.8 से 3.0 मिलिग्राम	पत्तेदार सब्जियां, दूध, दूध के उत्पाद आदि
	iii- निकोटिनिक एसिड	10 से 15 मिलिग्राम	मशीन कुटे अन्न, दालें, सेला चावल इत्यादि

333 एक व्यक्ति के दैनिक आहार में पोषक तत्व, उनकी मात्रा और पौष्टिकता के सामान्य स्रोत नीचे सारणी में दिए गए हैं :–

आहार के पैमाने

334 नीचे निर्धारित किए गए पैमानों का अनुसरण करते हुए सरकार द्वारा बंदी के लिए आहार के पैमाने निर्धारित किए जाएं। स्थानीय रीति–रिवाजों और आहार संबंधी आदतों के अनुसार पैमाने भिन्न हो सकते हैं, जहां तक संभव हो, निर्धारित मानकों का पालन हो। बंदियों के लिए आहार का पैमाना निर्धारित करते समय ऊपर वर्णित सिद्धांतों, बंदियों की वर्गीकृत जरूरतें, आदतें और जीवन पद्धति तथा दिल्ली की जलवायु संबंधी स्थितियों को उचित ध्यान दिया जाए। सरकार किसी समय यह उचित समझे तो पैमानों में किंचित परिवर्तन कर सकती है।

335 अनुसरण करने के लिए प्रति बंदी प्रति दिन आहार अनुसूची के पैमाने :

(क) सभी बंदियों के लिए

क्र सं	आहार की मदें	मात्रा
1	अन्न (बाजरा सहित)	600 ग्राम
2	दालें	100 ग्राम
3	सब्जियां क. हरी पत्तेदार ख. कंद मूल ग. अन्य	270 ग्राम
4	अंडा या सोयाबीन या सोया के उत्पाद या समकक्ष मदें दूध घी	100 ग्राम सप्ताह में दो बार 500 मिलि लीटर सप्ताह में दो बार

	मूंगफली	15 ग्राम 100 ग्राम
5	चने (भुने हुए)/बिस्कुट या समकक्ष	60 ग्राम
6	गुड़	20 ग्राम
7	तेल	30 ग्राम
8	नमक	30 ग्राम
9	इमली/अमचूर	15 ग्राम/3 ग्राम
10	जीरा और/या तेजपत्ता	3 ग्राम/2 ग्राम
11	हल्दी	2 ग्राम
12	धनिया	5 ग्राम
13	मिर्च	5 ग्राम
14	प्याज	25 ग्राम
15	चायपत्ती	3 ग्राम
16	दूध	50 मिलिलीटर
17	चीनी	50 ग्राम
18	काली मिर्च/गर्म मसाला	3 ग्राम
19	सरसों	2 ग्राम
20	लहसुन	2 ग्राम
21	टमाटर	25 ग्राम
22	नींबू	20 ग्राम प्रति बंदी (अप्रैल से जून तक)

नोट : सभी बंदियों को नींबू, अचार, चटनी आदि विटामिन सी युक्त चीजें दी जानी चाहिए।

(ख) गर्भवती और बच्चों का पालन–पोषण करने वाली महिला बंदियों के लिए उपर्युक्त आहार में निम्नलिखित विशेष आहार जोड़ें :

क्र सं	आहार की मदें	मात्रा
1	दूध	250 मिलिलीटर
2	चीनी	60 ग्राम
3	सब्जियां	100 ग्राम
4	फल या अंडे या दही	300 ग्राम या 200 ग्राम या 50 ग्राम

नोट (1) चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ताजा फल भी गर्भवती और बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं को दिए जाएं।

नोट(2) : दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पानी/दूध गर्म करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

(ग) तीन और छह साल के बीच के बच्चों के लिए :

क्र सं	आहार की मदें	मात्रा
1	अनाज	300 ग्राम
2	दालें	60 ग्राम
3	सब्जियां 1. पत्तेदार 2. कंदमूल 3. अन्य	125 ग्राम
4	पनीर/सोयाबीन/अंडे दही	100 ग्राम/25 ग्राम/100 ग्राम 50 मिलिलीटर
5	दूध	150 मिलि लीटर
6	नमक	20 ग्राम
7	तेल	30 मिलिलीटर
8	गुड़	30 ग्राम
9	इमली	10 ग्राम
10	चीनी	50 ग्राम

नोटः चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार 3 से 6 साल के बीच की आयु के बच्चों को ताजा फल भी दिए जाएं।

(घ) तीन वर्ष की आयु से कम के बच्चों को ऐसा आहार दिया जाए जो चिकित्सा अधिकारी उनके लिए आदेश करे।

336 विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर महानिरीक्षक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना निर्धारित आहार और पैमाने में कोई कमी या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि चिकित्सा अधिकारी की

सिफारिश पर अधीक्षक यह विचार करता है कि किसी बंदी के स्वास्थ्य या उसकी विशेष तरह की जीवन शैली होने के कारण उसके लिए निर्धारित आहार अनुपयुक्त है या अपर्याप्त है तो वह महानिरीक्षक के औपचारिक अनुमोदन के आधार पर ऐसे बंदी के लिए विशेष आहार, या उसके आहार में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाने का आदेश, लिखित में दे सकता है।

भोजन राशन

337 प्रत्येक बंदी को निर्धारित पैमाने के अनुसार एक दिन में तीन बार खाना मिलेगा। ये इस प्रकार होंगे :–

i- कार्य समय से पहले सुबह हल्का खाना।

ii- दोपहर के समय भोजन और

iii- रात के लिए बंदियों को बंद करने से पहले शाम का भोजन।

338 प्रत्येक खाने के लिए जारी किए जाने वाले राशन की मात्रा महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी। दोपहर और शाम के भोजन के लिए दिए गए आहार की चीजें दोनों खाानों में उचित रूप से बांट ली जाएं।

339 आहार स्थानीय रीति–रिवाजों के अनुसार निर्धारित किया जाए, परंतु निर्धारित पौष्टिकता जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। सप्ताह के विभिन्न दिनों को या विभिन्न खाने के लिए भिन्न प्रकार की दालें, सब्जियां और एंटीस्कोरब्यूटिक्स (नींबू/अचार/चटनी इत्यादि) के जारी करके आहार में विविधता लाई जाए। सप्ताह के विभिन्न दिनों के लिए मेन्यू अधीक्षक निर्धारित करेंगे।

340 त्योहारों के अवसर पर, सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बंदी को आहार में अतिरिक्त चीजें दी जाएं।

341 जो बंदी धार्मिक उपवास रखते हैं वे स्थानीय प्रचलन के अनुसार ऐसे उपवास के लिए उपयुक्त भोजन की अतिरिक्त चीजें (जैसे कि आलू, फल इत्यादि) प्राप्त कर सकते हैं, या उनके द्वारा सही रूप में उपवास का पालन करने के लिए किसी स्थान और दिन के समय पर, जैसी सरकार के आदेश द्वारा अनुमति दी जाए, अपना पूरा खाना या उसका एक हिस्सा ले सकते हैं।

अस्पताल में आहार

342 महानिरीक्षक द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर स्थानीय रूप से प्रचलित भोजन के अनुसार उपयुक्त अस्पताल आहार निर्धारित किया जा सकता है।

खाने की चीजों की साफ–सफाई, भंडारण और जारी करना

343 यह ध्यान रखा जाए कि सभी अनाज पीसाई हेतु चक्की पर भेजने से पहले सही ढंग से साफ हो और यह कि आटे को सावधानीपूर्वक छाना जाता है और बंद डिब्बों में रखा जाता है।

344 चावल को पकाने के लिए, निर्गम से पहले उसमें से भूसी, धूल और अन्य कण निकाल देने चाहिए। चावल की गुणवत्ता और पकाना इस प्रकार होना चाहिए कि पके चावल का भार कच्चे चावल के रूप में भार से लगभग तीन गुणा हो जाए। तोल कर इस बात की समय समय पर जांच की जाए।

345 एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जो सहायक अधीक्षक के रैंक से कम न हो, और विशेष रूप से इस कार्य के लिए अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया हो, रसोइयों को जारी करते समय आहार की सभी चीजों, साथ ही भोजन पकाने के लिए ईंधन का भार भी प्रतिदिन देखेगा। ये सब पूरी तरह तैयार स्थिति में जारी किए जाएंगे या यदि यह संभव न हो, तो तैयार होने के दौरान संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति के प्रावधान के साथ जारी किए जाएंगे। तथापि, अधीक्षक यह देखने के लिए जिम्मेदार होंगे कि राशन सही वजन और सही गुणवत्ता में जारी हो। चिकित्सा अधिकारी द्वारा इन चीजों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जाए।

346 जहां बंदियों को चपाती/ब्रेड दी जाए, उन्हें विभिन्न श्रेणियों के बंदियों के लिए निर्धारित वजन में तैयार किया जाए और रसोइये को निर्धारित वजन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाए।

347 दाल की भूसी निकाली जाए और भूसी रहित अनाज को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाए।

348 जारी की गई सब्जियों में डंठल व पत्ते नहीं होंगे और वजन करने तथा रसोइये को देने से पहले पकाने की दृष्टि से

काटी जाएंगी। आलू और कंद वाली सब्जियां कुल सब्जी मात्रा का कम से कम एक तिहाई रहेंगी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या उसके अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सभी सब्जियों की जांच परख की जाएगी।

349 सभी बंदियों को दोपहर व शाम के भोजन के समय प्रतिदिन ''नींबू, चटनी, अचार'' (एंटीस्क्रोब्यूटिक्स) जारी किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के चटनी, अचार आदि जो सामान्य रूप से उपलब्ध हों, तैयार करने और जारी करने के स्थायी आदेश होने चाहिए।

350 दूध का भंडारण अच्छी तरह साफ और उचित हवादार स्थान पर किया जाएगा। दूध उबालने के बाद केवल विशेष चिकित्सा आहार पर चल रहे बंदियों को जारी किया जाएगा। दूध उबालने का कार्य अस्पताल बाड़े में एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में होना चाहिए, जो दूध के प्राप्त होने से इसके अंतिम वितरण तक उचित प्रयोग के संबंध में जिम्मेदार होगा।

351 दही बनाने में दूध उबालने से पहले उसमें पानी न मिलाया जाए।

भोजन पकाना

352 भोजन पकाने का कार्य स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में किया जाए। भोजन पकाने के सभी बर्तन साफ व चमकदार रखे जाएं और रसोई व भोजन करने की जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए।

353 यह सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, कि सभी बर्तन, जिनमें दूध रखा जाता है, पूरी तरह साफ हों। सभी बर्तन प्रयोग करने के तुरंत बाद उबले हुए पानी से धोकर साफ किए जाएं। इन्हें गंदा न छोड़ा जाए।

354 पका हुआ पूरा भोजन वितरण होने तक ढक कर रखा जाए, और जल्दी खराब होने वाली चीजों को रखने के लिए उचित व्यवस्था, (फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि के रूप में) की जाएगी।

355 अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी खाद्य आपूर्ति की देखरेख में अत्यधिक सतर्कता रखेंगे और जब भोजन पकाया जाता है और बंदियों को वितरण के लिए तैयार होता है, वे रूटीन

निरीक्षणों के साथ साथ सप्ताह में कम से कम एक बार आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इन निरीक्षणों में, वितरित किए जा रहे भोजन के वजन और स्वाद की भी जांच की जाएगी।

356 मिल को राशन जारी करने के लिए प्रयोग में लाये जा रहे मापतोल उपकरणों और जो रसोई में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की जांच यदि बार बार नहीं तो महीने में कम से कम एक बार अधीक्षक द्वारा की जाएगी। ड्यूटी अधिकारियों द्वारा मापतोल उपकरण की आकस्मिक जांच महीने में कम से कम चार से पांच बार की जाएगी।

357 भोजन या पैमानों में हेरफेर करते पाए गए रसोइयों को कठोर दंड दिया जाएगा।

रसोइये

358 रसोइये दैनिक आपूर्ति जारी होने के बाद आवश्यक सभी तैयारी और कार्य करेंगे तथा उचित देखरेख व ध्यान से भोजन तैयार करेंगे

359 रसोइयों को भोजन तैयार करते/रखते/बांटते समय साफ–सुथरा अपरॉन पहनना चाहिए।

भोजन का वितरण और परोसना

360 महानिरीक्षक (कारागार) कारागारों में सुबह, दोपहर तथा शाम को भोजन परोसने का समय निर्धारित करेंगे। ऐसे समय विभिन्न ऋतुओं में तापमान के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

361 खाना ताजा व गर्म परोसा जाए। सर्दी के मौसम के दौरान, भोजन को गर्म रखने और खाने को उपयुक्त बनाए रखने के लिए खाना गर्म करने की उचित पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा। भोजन ले जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पात्र सही फिट होने वाले ढक्कन के साथ दिए जाएंगे। पूरे भोजन को मक्खियों व अन्य कीटों से सावधानीपूर्वक बचाया जाएं

362 प्रत्येक भोजन वितरण से पंद्रह मिनट पहले एक घोषणा की जाए। बंदी तब कार्य बंद कर दें, अपने हाथ व चेहरा धोएं और भोजन वितरण के लिए एक पक्ति बना लें, जिसके बाद पका हुआ भोजन रसोइयों द्वारा एक जिम्मेदार कारागार

अधिकारी, जो सहायक अधीक्षक के रैंक से नीचे न हो, की उपस्थिति में वितरित किया जाएगा। वे यह देखेंगे कि किसी बंदी को दिया गया भोजन कोई दूसरा न छीने या अन्यथा बेकार न करे।

363 भोजन परोसने के बाद भोजन करने के लिए बंदी को कम से कम 20 मिनट का समय दिया जाएगा।

364 देखरेख कर रहे अधिकारी की अनुमति को छोड़ कर, किसी बंदी द्वारा भोजन करने के क्षेत्र से कहीं और खाने के लिए भोजन नहीं ले जाया जाएगा।

365 जब खाना पूरा हो जाए, बंदी धुलाई प्लेटफार्म के पास जाएंगे जहां दो टब रखे जाएंगे। बंदी अपनी प्लेट से जूठे बचे खाने से चावल व चपाती अलग करके सालन इन टबों में डालेंगे। फिर वे अपने हाथ व मुंह धोएंगे तथा साथ ही बर्तन भी धोएंगे।

366 बंदियों द्वारा खाना खा लेने के तुरंत बाद फर्श और प्लेटफार्म की सफाई की जाएगी।

खाने–पीने के बर्तन

367 प्रत्येक बंदी को खाने–पीने के बर्तनों का एक सेट दिया जाएगा। बर्तन भोजन श्रेणी की नॉन–मैटेलिक सामग्री के होंगे और एक समान सामग्री व बनावट के होंगे।

भोजन के बारे में शिकायत

368 खाने से संबंधित शिकायत की जांच तुरंत वहीं पर देखरेख करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी जो सहायक अधीक्षक के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। वह यह निर्णय करेंगे कि शिकायत का ठोस आधार है या नहीं, और फिर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

भोजन से संबंधित प्रत्येक शिकायत अधीक्षक को रिपोर्ट की जाएगी। यदि शिकायत मान्य है और किसी कारागार अधिकारी की गलती के कारण है, तो अधीक्षक जो उचित समझें, वह कार्रवाई करेंगे और अपने आदेश दर्ज करेंगे। झूठी या दुर्भावनावश शिकायत करने वाले बंदी को दंडित किया जाएगा।

भोजन का दैनिक निरीक्षण

369 अधीक्षक और निवासी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) खाद्य आपूर्ति की देखरेख में अत्यधिक सतर्कता रखेंगे और चिकित्सा अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में उनका चिकित्सा अधीनस्थ उपभोग के लिए जारी की गई सभी सामग्री का निरीक्षण प्रतिदिन करेंगे। निरीक्षण अधिकारी विशेष रूप से यह देखेंगे कि जारी की गई सब्जियां अच्छी गुणवत्ता की हैं। वह ऐसे निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों के बारे में कारागार अधीक्षक को अवगत कराएंगे।

पकाए गए भोजन का निरीक्षण

370 यह बहुत जरूरी है कि खाना अच्छी तरह पकाया जाए और वह पूरी मात्रा में बंदियों तक पहुंचे। कारागार अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में एक बार बिना पूर्व सूचना के, खाना पकाये जाने और परोसे जाने के समय, उसका निरीक्षण करेंगे और उसकी गुणवत्ता एवं वजन की जांच करेंगे। वे अपनी दैनिकी में अपने निरीक्षण के परिणाम दर्ज करेंगे।

भोजन सामग्री की मापतोल

371 उपभोग के लिए जारी की गई सभी खाद्य सामग्री का वजन प्रतिदिन आहार के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो सहायक अधीक्षक के स्तर से नीचे नहीं होगा। वह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बंदी के लिए भोजन की उचित मात्रा जारी की जाती है। समय–समय पर अधीक्षक स्वयं राशन जारी किए जाने की जांच करेगा। मापीय भार और मापतोल राशन व भोजन का वजन मापने के लिए प्रयोग किए जाएंगे और पैमानों, भार एवं मापतोल का एक सही सेट प्रत्येक कारागार में रखा जाएगा। अधीक्षक द्वारा इनकी सत्यता के लिए इनकी बार–बार जांच की जाएगी।

बंदी द्वारा की गई शिकायत का निपटान

372 वार्ड का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि बंदियों को परोसे जा रहे भोजन की मात्रा, गुणवत्ता या तैयार करने के संबंध में उनकी फीडबैक दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर (जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है) अवश्य रखा गया है। यदि भोजन के संबंध में बंदी द्वारा कोई शिकायत की जाती है, तो सहायक अधीक्षक द्वारा तुरंत जांच–पड़ताल की जाएगी। यदि

शिकायत प्राप्त किए गए भोजन की मात्रा से संबंधित है, तो ऐसी शिकायत करने वाले बंदी के सामने तुरंत राशन का वजन किया जाएगा।

आहार में परिवर्तन की मंजूरी देने का अधिकार

373 किसी विशेष बंदी के मामले में दोषी ठहराने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया हो तो महानिरीक्षक (कारागार) आहार में परिवर्तन का निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित आहार में परिवर्तन केवल ऐसी अपरिहार्य स्थितियों में किया जाएगा, जब निर्धारित भोजन की चीजें उपलब्ध न हों। ऐसी स्थितियों में निर्धारित आहार में किए गए सभी परिवर्तनों की सूचना महानिरीक्षक (कारागार) को दी जाएगी

374 जब कोई बंदी अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश से अधीक्षक द्वारा उसके आहार में परिवर्तन या हल्का परिवर्तन किया जा सकता है। यदि आहार में यह परिवर्तन एक महीने से अधिक के लिए जारी रखना है तो अधीक्षक द्वारा महानिरीक्षक (कारागार) की सहमति प्राप्त की जाएगी।

अस्पताल में आहार का नियंत्रण

375 अस्पताल में किसी बंदी के आहार के नियंत्रण की जिम्मेदारी निवासी चिकित्सा अधिकारी पर होगी और वह जो आवश्यक समझे ऐसे अतिरिक्त आहार के लिए आदेश दे सकता है, ऐसा करते समय वह इसमें होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखेंगे, जो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।

बाल काटना

376 बाल काटने के बारे में नियम निम्नानुसार होंगे :–

(क) बंदियों के बाल केवल इतने तक और ऐसे समय काटे जाएंगे, जो स्वास्थ्य लाभ और स्वच्छता की दृष्टि से आवश्यक हो।

(ख) जो बंदी कारागार में आने से पहले दाढ़ी बनाने के आदी रहे, उन्हें कारागार में दाढ़ी बनाने की सुविधा की अनुमति दी जाए।

(ग) बंदी को अपना दिखाव–बनाव, दाढ़ी, बाल इत्यादि बना कर रखने की अनुमति दी जाए।

(घ) जिन बंदियों को दाढ़ी, लंबे बाल इत्यादि रखने की अनुमति दी गई, वे अपने लिखित रूप में अनुरोध पर अधीक्षक की अनुमति से उन्हें कटवा सकते हैं।

(ङ) सभी बंदियों को अधीक्षक द्वारा सरकारी खर्च पर सफाई के लिए साबुन व तेल तथा अन्य प्रसाधन सामग्री की अनुमति दी जाएगी।

महानिरीक्षक (कारागार) दी जाने वाली प्रसाधन सामग्री की आवृति और मात्रा निर्धारित करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

कपड़े और बिस्तर

380 प्रत्येक सिद्ध दोष बंदी कि लिए इन नियमों में निर्धारित अनुसार कारागार के कपड़े पहनना अनिवार्य होगा और अन्य बंदी, जैसे विचाराधीन, नज़रबंद, यदि इसके लिए कारागार अधीक्षक को आवेदन करते हैं तो कपड़े दिए जाएंगे। ऐसे कपड़ों का रंग सिद्ध दोष बंदियों को जारी किए गए कपड़ों के रंग से भिन्न होगा ताकि सिद्ध दोष बंदी और अन्य बंदियों में स्पष्ट अंतर किया जा सके। सभी बंदियों को भले ही वे सिद्ध दोष बंदी हों या विचाराधीन, कारागार के बिस्तर दिए जाएंगे।

कपड़ों और बिस्तर का मापक्रम

380 महानिरीक्षक, सरकार की पूर्व स्वीकृति से, प्रत्येक श्रेणी के बंदियों के संबंध में दिए जाने वाले कपड़ों व बिस्तर और अन्य आवश्यक चीजों का मापक्रम निर्धारित कर सकता है और समय–समय पर उसी प्रकार की स्वीकृति से –

(क) सामान्य रूप से, या वह जो श्रेणी के बंदी के संबंधों में निर्धारित की गई है, कपड़े और बिस्तर की मापक्रम बदल सकता है;

(ख) किसी अवधि या अवधियों के संबंध में या वर्ष के किसी मौसम के दौरान विशेष मापक्रम विनिर्दिष्ट कर सकता है; और

(ग) किसी मापक्रम के कपड़े या बिस्तर में किसी वस्तु के रूप, आकार, सामग्री या गुणवत्ता में बदलाव कर सकता है।

379 चिकित्सा अधिकारी वर्ष के किसी मौसम के दौरान, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए चिकित्सा आधार पर किसी बंदी या श्रेणी के बंदियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए ऐसे किसी बंदी या श्रेणी के बंदियों को अतिरिक्त कपड़े निर्धारित कर सकते हैं।

380 बंदियों के लिए कपड़े, बिस्तर और उपकरण की अन्य जरूरतों का मापक्रम निम्नानुसार होगा, अर्थात् :–

क. सभी के लिए बिस्तर			**ख. सभी के लिए बर्तन**		
(क)	चादर/खेस	2	क	थाली (उसमें कटोरी बनी हो)	1
(ख)	दरी/बिस्तर	1	ख	गिलास	1
(ग)	कम्बल (सर्दी के दौरान)	4	ग	चम्मच	1
(घ)	पलंग पर बिछाने की चादरें	2			
(ङ)	हवा भरने वाला तकिया	1			

ग. दोषियों के लिए कपड़े

पुरुष			**महिलाएं**		
(क)	पाजामा/लोअर	3	(क)	ब्लाउज सहित साड़ी	3
(ख)	कमीज	3	(ख)	पेटिकोट	2
(ग)	बनियान	4	(ग)	कच्छे	4
(घ)	कच्छे	4	(घ)	तौलिये	2
(ङ)	टोपी या पगड़ी	2	(ङ)	कंघे	2
(च)	तौलिये	2	(च)	जूते	एक

					जोड़ी
(छ)	जूते	एक जोड़ी	(छ)	जुराबें	2 जोड़ी
(ज)	जुराबें	दो जोड़ी	(ज)	चप्पल (स्लीपर)	2 जोड़ी
(झ)	चप्पल (स्लीपर)	दो जोड़ी	(झ)	सेनेटरी नैपकिन	10 प्रति माह

सर्दी ऋतु के लिए

	पुरुष			महिला	
(क)	जैकेट	1	(क)	जैकेट	1
(ख)	स्वेटर (पूरी बाजू)	1	(ख)	स्वेटर पूरी बाजू	1
(ग)	जुराबें	2 जोड़ी	(ग)	जुराबें	2 जोड़ी

381 कपड़े, बिस्तर और उपकरण के रूप में सभी सामान महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित मानक स्वरूप के होगे। दोषी बंदियों को उपलब्ध कपड़ों की सुविधाएं महानिरीक्षक (कारागार) के आदेश से गरीब व जरूरतमंद अभियोगाधीन बंदियों को भी दी जाएंगी।

382 कपड़े और बिस्तर के सामान पर एक स्पष्ट चिन्ह लगाया जाएगा, जिससे यह संकेत मिले कि सामान कारागार प्रशासन से संबंधित है।

383 बंदी के लिए प्रत्येक मापक्रम में निर्धारित सूती कपड़े की अनुमति एक वर्ष के लिए रहेगी, परंतु यह सूती चादर के मामले में दो वर्ष के लिए रहेगी। दरी, बिस्तर, जैकेट, स्वेटर और कम्बल तीन वर्ष के लिए रहेंगे।

384 प्रवेश के समय एक साफ–सुथरी किट जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, धोने का साबुन, साबुन, शैम्पू, तेल, 2 जोड़ी अंदर के कपड़े, कपड़ों का एक सेट, एक जोड़ी चप्पल, एक तौलिया, और एक कंघा होंगे, सभी बंदियों को भले ही दोषी हो या अभियोगाधीन, दी जाएंगी और ऊपर वर्णित मापक्रम से कम कर दिए जाएंगे।

नोट : यह बंदियों को केवल एक बार दी जीएगी।

दोषी बंदियों के कपड़े

385 बंदियों को उनके शरीर के माप के अनुसार वेशभूषा दी जाएगी।

इन नियमों के अंतर्गत नहीं आने वाले बंदियों की श्रेणी के लिए कपड़े

386 इन नियमों के दायरे में न आने वाले, किसी अन्य श्रेणी के बंदियों, के कपड़ों का निर्णय महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा, परन्तु इस पर होने वाला व्यय उस लागत से अधिकनहीं होगा, जो इन बंदियों की श्रेणियों पर नियमों के दायरे में आने की स्थिति में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं पर आती।

न्यायालय में पेश होने वाले दोषियों के कपड़े

387 हिरासत में रखे गए दोषियों को जब एक गवाह के रूप में अथवा एक अपराधी के रूप में न्यायालय भेजा जाता है, तो वे साधारण निजी कपड़े पहनेंगे। इस प्रयोजन के लिए कारागार में दोषियों के जमा किए गए निजी कपड़े, या दोस्तो या रिश्तेदारों द्वारा उन्हें दिए गए कपड़े उन्हें न्यायालय ले जाने से पहले जारी कर दिए जाएंगे, ऐसे कपड़े न्यायालय में पेशी से उनके लौटने पर वापस ले लिए जाएंगे।

388 अन्य मामलों में, अधीक्षक उचित कपड़ों की व्यवस्था करेंगे।

कपड़ों के भंडार के प्रभारी

389 सहायक अधीक्षक कपड़ों के भंडार का प्रभारी होगा और सभी कपड़ों व बिस्तरों के रख–रखाव और अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। सहायक अधीक्षक को कपड़े साफ रखने और नियमित रूप से धूप व हवा लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में बंदियों की मदद लेने की अनुमति होगी। भंडार में लौटाने से

पहले, कपड़ों की पूरी तरह धुलाई करवाने की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : बंदियों को जारी करने से पहले, प्रयोग किए/पहने हुए कपड़े पूरी तरह फ्यूमिगेट किए जाएंगे और कीट, पिस्सू इत्यादि हटाने के लिए गर्म पानी में धोए जाएंगे।

कपड़े और बिस्तरों को सुधारना, रख–रखाव और निरीक्षण

390 कपड़ों के साप्ताहिक रख–रखाव और निरीक्षण के लिए एक दिन निर्धारित किया जाएगा। बंदियों की साप्ताहिक परेड में अधीक्षक या उप अधीक्षक उनके कपड़ों व बिस्तर की ओर विशेष ध्यान देंगे और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की किट पूरी है और सही स्थिति में है। बंदियों के कपड़ों व बिस्तर की प्रत्येक वस्तु की धुलाई व सफाई के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

बंदियों द्वारा अपने कपड़ों की धुलाई

391 प्रत्येक बंदी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने कपड़े सामान्यतः दैनिक आधार पर और अधीक्षक के निर्देशानुसार किसी अन्य समय पर धोए, परन्तु यह इस तथ्य के अधीन होगा कि बंदियों को धुलाई–घर के माध्यम से कपड़ों की धुलाई का विकल्प दिया जाएगा तथापि यदि कोई बंदी धुलाई–घर के माध्यम से कपड़े धुलवाने की इच्छा नहीं रखता है तो बंदी स्वयं अपने कपड़े धो सकता है। अधीक्षक इस कार्य के लिए आवश्यक धुलाई सामग्री जारी करने की मंजूरी प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण : अपने हाथ से कपड़े धोने वाले बंदियों को अपने कपड़े धोने के लिए प्रति माह प्रत्येक बंदी को लगभग एक किलो भार की कपड़े धोने के साबुन की बट्टी और प्रति सप्ताह 50 ग्राम धुलाई पाउडर दिया जाएगा। जिन बंदियों के साथ बच्चे हों, और जो हाथ से अपने कपड़े धोते हों, उन्हें अपने बच्चों के कपड़े धोने के लिए लगभग 500 ग्राम भार की धोने के साबुन की अतिरिक्त बट्टी और 50 ग्राम धुलाई पाउडर प्रति सप्ताह दिया जाएगा।

कारागार धुलाईघर

392 सभी कारागारों के कपड़ा भंडार में कपड़ों और बिस्तरों की वापसी के समय उनकी धुलाई के लिए स्वयं का मशीनी धुलाई घर रहेगा।

सुधार न किए जा सकने वाले कपड़ों का निपटान

393 जो कपड़े सुधार करने योग्य नहीं रहे, उन्हें महीने में एक बार अधीक्षक के हस्ताक्षर के अधीन रजिस्टर से काट कर हटा दिया जाएगा और रसोई साफ करने के लिए या वर्कशॉप में मशीनरी साफ करने के लिए टुकड़ों के रूप में काम में लाया जा सकता है। यदि ऐसे कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएं तो इन्हें छोटे–छोटे टुकड़ों में फाड़ने के बाद खादी की कागज बनाने वाली यूनिटों या अन्य ऐसी एजेंसियों को बेच दिया जाएगा अथवा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाए।

394 फटे–पुराने कपड़ों को अलग से इकट्ठा किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए एक उचित स्टॉक रजिस्टर रखा जाएगा।

रिहा किए गए बंदियों के कपड़े का निपटान

395 कारागार से संबंधित कपड़े रिहा किए गए बंदियों को नहीं दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि बंदी अपनी रिहाई के समय अपनी पूरी किट वापस सौंप देंगे। यदि आगे प्रयोग के लिए उपयुक्त हो तो ऐसे कपड़ों की पूरी तरह धुलाई की जाएगी और मरम्मत की जाएगी और स्टॉक में रखे जाएंगे। फटे पुराने खराब कपड़े ऐसे कपड़ों के स्टॉक रजिस्टर में विधिवत दर्ज किए जाएंगे और पिछले पैराग्राफ में निर्धारित तरीके से इनका निपटान किया जाएगा

कपड़ों व बिस्तरों से संबंधित मांग–पत्र प्रस्तुत करना

396 अगले छह, नौ या बारह महीने के दौरान होने वाली जरूरतों के कपड़ों और बिस्तर के लिए मांग–पत्र दो प्रतियों में तैयार किये जाएंगे और स्वीकृति के लिए उप–महानिरीक्षक (कारागार) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

397 जब तक मांग–पत्र उप–महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा अनुमोदित न हो, किसी कारागार के विनिर्माण विभाग से कोई कपड़े या बिस्तर जारी नहीं किए जाएंगे और बहुत ही विशेष

परिस्थितियों को छोड़ कर और महानिरीक्षक (कारागार) की स्वीकृति की स्थिति को छोड़ कर स्थानीय मार्केट से कोई कपड़े या बिस्तर नहीं खरीदे जाएंगे।

आवास और वायु संचार व्यवस्था

दरवाजों के निकट वार्ड की क्षमता अंकित करना

398 प्रत्येक वार्ड के दरवाजे के निकट कमरे का आकार और उन बंदियों की संख्या, जिन्हें इसमें रखा जा सकता है, वार्ड की बाहरी दीवार पर लगी पट्टी पर दर्ज किया जाएगा। किसी वार्ड में निर्धारित क्षमता से अधिक बंदी न रखे जाएं।

399 उन पर ब्लॉक व अन्य महत्वपूर्ण भवनों और बाड़े के नाम व संख्या सुस्पष्ट और उचित जगह पर प्रदर्शित किए जाएं। सफेदी करने की तारीख भी स्पष्ट अंकों में दर्शायी जाएगी।

वार्ड और कारखानों में वायु–संचार व्यवस्था

400 अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी वार्डों के हवादार होने की ओर विशेष ध्यान देंगे। सभी मामलों में यह ध्यान रखा जाएगा कि पार्श्व स्तर पर और छत की ओर पर्याप्त वायु संचार व्यवस्था हो। चूंकि बंदी जिस हवा में सांस ले रहे हैं और उस स्थिति को बंदियों को अंदर बंद करने के कुछ घंटे बाद वार्ड में निरीक्षण कर ही समझा जा सकता है, अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि वायु संचार पर्याप्त है और यह कि बंदियों ने वायु संचार को किसी तरीके से अवरुद्ध नहीं किया है, सभी मौसम में और अनियमित अंतरालों पर रात्रि के समय कारागार का निरीक्षण करेंगे। वे ऐसे निरीक्षण के परिणाम अपनी दैनिकी में दर्ज करेंगे। उप–अधीक्षक को भी इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

401 दिन के दौरान कई घंटों के लिए वार्ड को पूरी तरह हवादार बनाए रखने के लिए हर संभव व्यवस्था की जाएगी। यह दीवारों से जैव पदार्थ हटाने के लिए आवश्यक है, जिसका धीरे–धीरे ऑक्सीकरण हो जाता है।

दीवारों पर रंग या सफेदी होना

402 कारागार भवनों की बाहरी दीवारों पर रंग–रोगन किया जाएगा और अंदर की दीवारों पर समय–समय पर सफेदी की

जाएगी। बैरक, वार्ड कक्ष में अंदर की ओर, जिनमें बंदियों को बंद रखा जाता है, वर्ष में कम से कम एक बार सफेदी की जाएगी।

पेड़ लगाना

403 कारागार में और कारागार के निकट जहां भी संभव हो, घास लगाई जाएगी और पेड़ लगाए जाएंगे तथा उनकी अच्छी तरह कटाई–छंटाई का ध्यान रखा जाएगा। बंदियों के मन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए प्रत्येक कारागार में बागों का भी रख–रखाव किया जाएगा।

404 बारिश के मौसम के बाद, कारागार की अंदर व बाहर की परिधि दीवार तथा वार्ड की दीवार को रगड़ कर साफ किया जाएगा। कारागार परिसर के अंदर रास्तों को साफ किया जाएगा और फिर से बनाया जाएगा। जहां कहीं रास्ते तारकोली रोड़ी से बनाए गए हैं, वहां असमतल जगहों को अच्छी तरह समतल बनाया जाएगा।

सभी अधिकारियों के सफाई–व्यवस्था संबंधी दायित्व

405 कारागार अधिकारियों की यह ड्यूटी है कि सफाई–व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें और आधिकारिक व गैर–आधिकारिक विजिटरों से अपेक्षा है कि स्वयं को इस बात से संतुष्ट करें कि सफाई कार्य अच्छी तरह किया जाता है।

स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्व

406 नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी या निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, यथास्थिति, अपने अधिकार क्षेत्र में माह में एक बार सभी कारागारों की विजिट करेंगे और साफ–सफाई व स्वच्छता के बारे में सुझाव देंगे।

कारागार क्षेत्र को साफ रखना

407 कारागार क्षेत्र प्रतिदिन साफ किया जाएगा और सभी अनावश्यक पौधों, झाड़ियों, टूटी ईंटों के ढेर, विनिर्माण संबंधी बेकार सामान इत्यादि से मुक्त रखा जाएगा। रसोई का कचरा मैदान पर डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, न ही किसी प्रकार का कूड़ा कारागार में या कारागार के निकट ढेर लगाने की अनुमति होगी।

हौदी या खुली नालियों की मनाही

408 कारागार में या कारागार के निकट गंदे पानी को इकट्ठा करने व निपटान के लिए हौदी और खुली नालियों की मनाही है।

मलेरिया के विरुद्ध सतर्कता

409 कारागार के निकट ठहरे हुए पानी के सभी गड्ढे और पोखर ढक दिए जाएंगे या भर दिए जाएंगे। कारागार के चारों ओर यदि खुली नालियां हों तो उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और पानी निकासी के स्थान को जहां आवश्यक हो, साफ किया जाएगा ताकि पानी जमा होने से रोका जा सके।

चिकित्सा अधिकारी द्वारा नालियों का अनुमोदन

410 चिकित्सा अधिकारी कारागार के अंदर और आसपास नालियों में देखी कमियों से कारागार अधीक्षक को अवगत कराएगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वह पानी निकासी व्यवस्था से संतुष्ट है। कारागार में सभी नालियां जमीन के नीचे होनी चाहिए जो सीधे पब्लिक निकासी सिस्टम से जुड़ी हों।

कारागार के पड़ोस में हानिकर स्थितियां

411 यदि कारागार के पड़ोस में कुछ घटित होता है या घटने की संभावना है, जो बंदियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो महानिरीक्षक (कारागार) को इसकी रिपोर्ट की जाएगी। कारागार के निकट पब्लिक शौचालय और सीवेज नालियों का निर्माण आपत्तिजनक है और ऐसा निर्माण रोकने के उपाय किए जाएंगे।

412 किसी कारागार के निकट ऐसी मल–प्रवाह पद्धति अथवा मिल व फैक्टरियों और अन्य सार्वजनिक स्रोतों सेगंदे पानी की निकासीके नालियों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो बंदियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

शौचालयों की सफाई

413 शौचालयों की पूरी सफाई रोगाणुनाशक के साथ दिन में दो बार या आवश्यक हो तो अधिक बार की जाए।

रसोई

414 खाना पकाने में लगे बंदियों की नियमित जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि उन्हें कोई संक्रमण नहीं है।

खाना बनाना आरंभ करने से पहले, रसोइयों के लिए साबुन और पानी के साथ अपने हाथ धोने के संबंध में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। रसोइयों को खाना बनाने और परोसने की अनुमति से पहले साफ वर्दी पहन लेनी चाहिए। खाने में हाथ लगाना अवांछनीय है और इससे बचा जाए।

भंडार

415 भंडार या गोदाम साफ, सुव्यवस्थित और पूरी तरह हवादार रखे जाएं। उनमें रखे सामान को यथासंभव हवा लगाते रहना चाहिए। गोदाम या अन्न भंडार में घुन बनना रोकने के लिए उचित कीटनाशक का प्रयोग किया जाए।

स्नान करना

416 सभी बंदियों से अपेक्षित है कि जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार स्नान करें। शीतोष्ण जलवायु में उन्हें प्रतिदिन स्नान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जब तक कि उन्हें चिकित्सा की दृष्टि से ऐसा करने की छूट न हो। ग्रीष्म ऋृतु में बंदियों को अपराह्न में भी स्नान करने की सुविधाएं दी जाएं।

जल आपूर्ति

जल आपूर्ति के स्रोत का चयन

417 जहां कहीं निगम, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली छावनी बोर्ड इत्यादि की जल आपूर्ति है, कारागार को एक पाइपलाइन द्वारा इससे जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।

418 यदि कारागार में कोई कुआं या ट्यूबवैल प्रयोग में है तो उन्हें सतह के पानी से प्रदूषित होने से अच्छी तरह बचाया जाए।

419 प्रत्येक पेय जल कुएं को ऊपर से पूरी तरह ढक दिया जाएगा और पानी पम्प से निकाला जाएगा। कुएं के मुहाने के चारों ओर की सतह पर एक ढालू सीमेंट प्लेटफार्म बनाया जाए जिसके चारों ओर छिटका हुआ पानी निकालने के लिए एक नाली हो। कुएं को काफी गहराई तक पक्का बना कर ट्यूब को मजबूत बनाया जाएगा।

420 प्रत्येक जल भंडार टैंक को नियमित रूप से साफ किया जाए और जिस तारीख को इसे साफ किया जाए वह तारीख दर्ज की जाए। इसका रख–रखाव सीपीडब्ल्यूडी द्वारा समय–समय

पर जारी 'रख–रखाव मैनुअल' में दिए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

421. सप्ताह में एक बार, प्रत्येक पेयजल कुएं में पानी की गहराई की जांच की जाएगी और परिणाम का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

पानी को फिल्टर करना

422 पेयजल को चिकित्सा प्राधिकारी/जलापूर्ति एजेंसियों की सलाह पर, महानिरीक्षक के निर्देशों के अनुसार फिल्टर किया जाएगा।

423 किसी कुएं या ट्यूबवैल के 15 मीटर के घेरे में कोई कूड़े का ढेर या कूड़ा–कर्कट नहीं रहेगा।

पानी निकालना

424 स्वच्छ जल का वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पीने का पानी भरने के लिए और रसोई में प्रयोग के लिए बाल्टियां किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं ली जाएंगी। पानी रखने के बर्तनों, बैरल, टैंक और रिज़र्वायर को समय–समय पर साफ किया जाएगा। पानी भर कर रखने के प्रत्येक पात्र को ढका जाएगा और पानी भरने के बाद ढक्कन को कसा जाएगा। इनमें से पानी निकालने के लिए इनमें नल भी लगाया जाएगा।

पेय जल की आपूर्ति

425 वार्ड और कक्ष के प्रत्येक बंदी को दिन और रात्रि के दौरान नलों के माध्यम से ताजा पेय जल की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। यह देखना वार्डर का दायित्व होगा कि बंदियों को तालाबंद करने से पहले पर्याप्त पेय जल उपलब्ध है।

426 कार्य पर लगे बंदियों को पर्याप्त जल की आपूर्ति की जाएगी। यदि पानी भर कर रखना है तो ढके हुए पात्र में रखा जाएगा, जिसे प्रतिदिन अच्छी तरह साफ किया जाए।

जल का विश्लेषण

427 प्रत्येक कारागार में घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले जल के सैम्पल रासायनिक और जीवाणु संबंधी दोनों जांच करने के लिए सामान्यतः स्थानीय जल विश्लेषण

प्राधिकरण/दिल्ली जल बोर्ड को एक वर्ष में दो बार प्रस्तुत किए जाएंगे।

428 किसी कारागार में महामारी फैलने की स्थिति में, जो पेयजल दूषित होने के कारण हो सकती है, और जिसके लिए पेयजल की तत्काल जांच की जरूरत है, तो चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक या किसी अन्य सक्षम एजेंसी को तत्काल लिखित रूप में अनुरोध करे, जो विश्लेषण के लिए आवश्यक नमूने प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी। साथ ही ऐसे कारागारों में वैकल्पिक स्रोत से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

429 स्थानीय जल विश्लेषण प्राधिकरण, यथासमय, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के माध्यम से विश्लेषण की अपनी रिपोर्ट की एक प्रति कारागार के अधीक्षक को और दूसरी प्रति महानिरीक्षक को अग्रेषित करेगा।

कुएं रोगाणुमुक्त करना

430 जहां भी यह मानने का कारण हो कि जिस कुएं से पेयजल प्राप्त किया जाता है, वह दूषण का स्रोत बन गया है तो इसे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श से तीन दिन के अंतरालों पर पोटाशियम परमैगनेट/क्लोरीन टेबलेट और अन्य रोगाणुनाशक के, जो आवश्यक समझा जाए, प्रयोग से संसाधित किया जाएगा।

स्टाफ क्वार्टरों में जल की व्यवस्था

431 कारागार स्टाफ के आवासीय क्वार्टरों में भी पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जल साफ करने के संबंध में ऊपर वर्णित शर्तें यहां भी लागू होंगी। स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि उनका परिसर साफ–सुथरा रहे। सामान्य सफाई की स्थिति की जांच करने के लिए अधीक्षक/राज्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी आवधिक आधार पर सरकारी आवासों का निरीक्षण करेंगे।

432 कारागार प्रशासन और सरकार पानी, बिजली या वैकल्पिक ईंधन बचाने या बनाने के उद्देश्य से वर्षा जल भूसंग्रहण,

बायो गैस, बायो मास या सोलर प्लांट या कोई अन्य पद्धति आरंभ करने के प्रयास करेंगे।

विद्युत का प्रावधान

433 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सभी संबद्ध विभागों द्वारा कारागारों और सरकारी आवास में निरंतर विद्युत आपूर्ति करने के प्रयास किए जाएंगे।

अध्याय –7
चिकित्सा देखभाल

चिकित्सा प्रशासन

434 चिकित्सा प्रशासन कारागार प्रबंधन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरोकारों में से एक है। किसी कारागार के चिकित्सा अधिकारी को न केवल बीमार बंदियों के उपचार पर गंभीर ध्यान देना होता है, बल्कि बंदियों के स्वास्थ्य और कारागार की समग्र स्वच्छता से संबंधित प्रत्येक मामले की देखरेख करनी होती है। कारागाारों के चिकित्सा अधिकारियों को इस बात का सबसे अधिक श्रेय मिलता है कि वे अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाले कारागारों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य मानक किस हद तक बनाए रखने में सफल होते हैं।

435 कारागार चिकित्सा प्रशासन को कारागार प्रशासन की बजाए राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं/चिकित्सा विभाग का हिस्सा बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

436 सभी केंद्रीय और जिला कारागारों की अधिकृत क्षमता का 5 प्रतिशत स्थान अस्पताल के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। कारागार अस्पताल टाइप 'ए' और टाइप 'बी' हो सकते हैं। 50 बिस्तर और उससे अधिक क्षमता वाले बड़े अस्पताल टाइप 'ए' अस्पताल कहलाएंगे। 50 बिस्तर से कम क्षमता वाले अन्य अस्पताल टाइप 'बी' कहलाएंगे। चिकित्सा कार्मिक स्टाफ की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे तथा अपेक्षित उपकरण कारागार अधिकारियों द्वारा खरीदे जाएंगे।

प्रत्येक अस्पताल में फिजियोथरेपी सुविधा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। कारागार परिसर के टाइप 'ए' अस्पताल में दो अडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) वाहन होंगे जबकि टाइप 'बी' अस्पताल में एक अडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) वाहन और एक रोगी परिवहन एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी।

नोट :– ओपीडी के लिए रोगी परिवहन एम्बुलेंस का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि उसमें बंदी और सुरक्षा गार्ड पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रूप में कारागार से अस्पताल तक यात्रा कर सकें।

रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति

437 सरकार एक से अधिक कारागार वाले प्रत्येक कारागार परिसर के लिए एक रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी और उसकी सहायता के लिए समय समय पर उपयुक्त समझी गई संख्या में अपर रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी उक्त परिसर के चिकित्सा विभाग का समग्र प्रभारी होगा और वह महानिरीक्षक (कारागार) की प्रशासनिक देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन होगा। तिहाड़ कारागार परिसर में तैनात रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय के रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करेगा और साथ ही वह दिल्ली कारागार के चिकित्सा विभाग का समग्र अध्यक्ष भी होगा।

438 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक कारागार अस्पताल का प्रभार एक चिकित्सा अधिकारी को सौंपा जाएगा जिसे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कहा जाएगा। उसकी सहायता के लिए रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझी गई संख्या में चिकित्सा अधिकारी होंगे। मेडिकल/क्लिनिकल कार्यों के प्रयोजन के सिवाय, जहां वे रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ होंगे, ये चिकित्सा अधिकारी कारागार अधीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होंगे।

439 किसी कारागार अस्पताल में तैनात रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी 'निशुल्क स्टाफ क्वार्टर' पाने का हकदार होगा।

संचार चैनल

440 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी कारागार परिसर के सभी चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सीय स्टाफ का तकनीकी प्रमुख होगा। वह अपने अधीनस्थों के साथ संयुक्त रूप से बंदियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का पत्राचार बंदियों की स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में कारागार के अधीक्षक के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

441 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दवाओं के लिए मांग–पत्र रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को सौंपेगा। सभी प्रशासनिक मामलों में वह अधीक्षक और डीआईजी (रेंज) के माध्यम से महानिरीक्षक

के साथ पत्राचार करेगा, परंतु, वह स्वच्छता, बीमार बंदी के भोजन और कपड़े तथा कारागार अस्पताल में अनुशासन से संबंधित मामलों में डीआईजी (रेंज) के जरिए महानिरीक्षक (कारागार) के साथ पत्राचार कर सकेगा। कारागार कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से किसी बंदी को क्षति पहुंचाए जाने के मामले में भी वह इसी तरह पत्राचार कर सकता है। वह कारागार के निरीक्षण के दौरान कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रहेगा।

सामान्य ड्यूटी

442 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के सामान्य दायित्वों में बंदियों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामले, बीमार होने पर उनका उपचार और कारागार की स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था शामिल है।

रोजमर्रा कारागार के दौरे

443 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हर रोज़ कारागार का दौरा करेगा और बीमार बंदियों की जांच करेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह रविवार और छुट्टी के दिन भी कारागार का दौरा करेगा।

444 वह कारागार के प्रत्येक भाग का निरीक्षण करेगा और सप्ताह में कम से कम एक बार सभी बंदियों की जांच करेगा और उससे संबंधित ब्यौरा अधीक्षक, डीआईजी (रेंज), रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी और कारागार महानिरीक्षक को समय समय पर उपलब्ध कराएगा।

445 वह महीने में एक बार सभी बंदियों की चिकित्सा जांच भी करेगा।

446 यदि कोई महामारी या असामान्य बीमारी फैलती है, अथवा बीमारी का कोई गंभीर मामला सामने आता है, तो वह आवश्यकता अनुसार जितनी बार चाहे कारागार का दौरा करेगा।

447 यदि किसी कारणवश वह इन निरीक्षणों को कर पाने में असमर्थ हो, तो वह इसकी लिखित जानकारी देगा और अपने जर्नल में तत्संबंधी कारण लिखेगा, साथ ही वह ऐसे निरीक्षणों को अंजाम देने के लिए एक चिकित्सा अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

वयोवृद्ध बंदियों की विशेष जरूरतें

448 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वयोवृद्ध बंदियों के मामले में यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतें मेडिकल और संबद्ध स्थितियों के अनुसार उचित ढंग से पूरी की जाएं। परंतु, वह चिकित्सा सुविधाओं को छोड़ कर किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा। वरिष्ठ नागरिक और विकलांगजन बंदियों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चिकित्सा जरूरत के मामले में डॉक्टर बीमार बंदियों के लिए बिस्तर सुविधाएं प्रदान करने की अनुशंसा कर सकता है।

मादक पदार्थों के आदी बंदियों का उपचार

449 मादक पदार्थों के आदी बंदियों की पहचान कारागार में प्रवेश के समय की जाएगी और उन्हें अन्य बंदियों से पृथक करने के बाद नशामुक्ति वार्डों में उनका उपचार किया जाएगा। मादक पदार्थों का सेवन करने वालों का पहले चिकित्सीय देखरेख में निर्धारित अवधि के लिए मादक पदार्थों की विषाक्तता समाप्त करने के लिए उपचार किया जाएगा। ऐसे बंदियों को नशा मुक्ति विशेषज्ञ द्वारा सुझाई गई व्यवस्था/कार्यक्रम के अनुसार रखा जाएगा।

साप्ताहिक निरीक्षण के दौरान उपस्थिति

450 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक के साप्ताहिक निरीक्षण के दौरान मौजूद रहेगा और कारागार में प्रचलित सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थितियों की देखरेख करेगा। वह रक्त की कमी या कुपोषण के किसी प्रकार के मामलों और स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने तथा त्वचा रोगों पर विशेष ध्यान देगा। वह बंदियों के वस्त्रों और बिस्तर आदि की भी जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे पर्याप्त और साफ हैं। वह कारागार के जल निकासी, वायुसंचार, पेयजल और सफाई प्रबंधों की भी जांच करेगा।

451 इसके साथ ही वह बंदियों के वज़न के रिकॉर्ड की भी जांच करेगा ताकि स्वयं इस बात से संतुष्ट हो सके कि भार का परीक्षण समुचित ढंग से किया जा रहा है। वह ऐसे सभी बंदियों की पूरी जांच करेगा, जिनके वजन में काफी हद तक कमी आई हो। वह ऐसे मामलों में कारागार के चिकित्सा

अधिकारी को उपयुक्त कार्रवाई करने के बारे में आवश्यक निर्देश देगा।

कारागार अधिकारियों की चिकित्सा जरूरतें पूरी करना

452 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) अपनी आपात ड्यूटी के समय कारागार के सभी कार्मिकों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करेगा।

453 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) ऐसे तथ्यों (अधिकारियों और कारागार के अधीनस्थ कर्मचारियों की बीमारी के कारणों संबंधी) की जानकारी अधीक्षक को प्रदान करेगा, जो महत्वपूर्ण हों और जिनके आधार पर वह कारागार में तैनाती जारी रखने के लिए कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्धारण कर सके।

454 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) एक कार्यवृत्त पुस्तिका रखेगा, जिसमें वह अपने अधीन चिकित्सा स्टाफ और अस्पताल के प्रबंधन के दायित्वों के बारे में उन्हें दिए गए सभी दिशा–निर्देशों और रोगियों के उपचार अथवा किसी अन्य मामले में दिए गए अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश प्रविष्ट करेगा।

रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी

455 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी कारागार परिसर के समूचे मेडिकल विभाग का प्रभारी होगा। तिहाड़ कारागार परिसर का रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय के रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी काम करेगा और वह दिल्ली कारागारों के चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष भी होगा।

456 चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) चिकित्सा अधीक्षक के तहत और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों और नियंत्रण के अधीन काम करेगा। परंतु वह कारगार के प्रशासन संबंधी कानूनों, वैधानिक नियमों में किए गए प्रावधानों और अधिशासी आदेशों के अधीन कार्य करेगा। कारागार प्रशासन के सभी चिकित्सा कार्मिक उसके अधीन होंगे और चिकित्सा कार्मिकों के तकनीकी कार्य निष्पादन के बारे में उसका मूल्यांकन अंतिम होगा। वह प्रत्येक कारागार में चिकित्सा स्टाफ की आवश्यकता के बारे में महानिरीक्षक को सलाह देगा। वह

प्रत्येक कारागार में प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की कार्य प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा और उन्हें सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगा।

457 **रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के दायित्व**

क. दवाओं और दवा भंडारों के लिए वार्षिक मांग–पत्र प्रस्ताव महानिरीक्षक की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना;

ख. दवाओं, औजारों और उपकरणों का समुचित रिकॉर्ड रखना अथवा तत्संबंधी व्यवस्था करना;

ग. स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि साइकोट्रोपिक दवाएं अन्य औषधियों से पृथक रखी गई हैं, उन पर समुचित नामपत्र लगाए गए हैं और उन्हें तालाबंद रूप में रखा गया है। ऐसी दवाएं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में रखी जाएंगी;

घ. औषधियों की स्थानीय खरीद की नियमित रूप से जांच करना और उनका हिसाब रखना;

ङ. जिम्मेदारीपूर्वक यह सुनिश्चित करना कि सभी औषधियां, उपकरण, स्थानीय रूप में खरीदी गई सभी दवाइयां और कारागार के मेडिकल स्टोर का समुचित इस्तेमाल कारागार की सेवा में किया जा रहा हैं;

च. भारी कमी/आकस्मिक स्थिति/आपदा से निपटने के लिए वह महानिरीक्षक की सलाह से विश्वसनीय प्राइवेट चिकित्सकों/अर्ध–चिकित्सीय का पैनल तैयार कर सकता है, जिसमें सरकारी सेवा से निवृत्त व्यक्तियों, कारागार के निकटवर्ती गैर–सरकारी संगठनों आदि को वरीयता दी जा सकती है;

छ. वह स्टोर में रखी गई दवाओं का हर छह महीने में एक बार निरीक्षण करेगा और स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करेगा कि उनके भार और मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में सही–सही दर्ज किया गया है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि औषधियों का इस्तेमाल उनकी समापन तारीख से पहले किया जाए। वह औजारों और उपकरणों का भी निरीक्षण करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका रख–रखाव

ठीक ढंग से किया जा रहा है और उनका समुचित स्टॉक रिजर्व रखा गया है;

ज. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए सभी मांग–पत्र की रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा पड़ताल की जाएगी और उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। वह चिकित्सा आधार पर जारी किए गए सभी मामलों की जांच करेगा;

झ. जब कभी किसी महीने कारागार में मृत्यु दर एक प्रतिशत वार्षिक से अधिक होगी, तो वह मासिक विवरण में अधिक मृत्यु दर के कारणों के बारे में एक स्पष्टीकरण दर्ज करेगा। असामान्य मृत्यु की स्थिति में वह महानिरीक्षक के जरिए सरकार को भेजे जाने के लिए तत्संबंधी एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेगा;

ञ. रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, कारागार में चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी निष्पादित किए जाने की स्थिति में दिन के घंटों का लिखित आदेश में उल्लेख करेगा। वह चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ के किन्हीं अन्य सदस्यों द्वारा अस्पताल में सौंपे गए दायित्व पूरे करने की स्थिति में तत्संबंधी दिन के घंटों का भी लिखित आदेश में उल्लेख करेगा। परंतु, कम से कम एक चिकित्सा अधिकारी कारागार में ड्यूटी पर उपलब्ध होगा;

ट. वह कारागार के प्रशासन में चिकित्सा और स्वच्छता के बारे में जनवरी और जुलाई में एक छमाही रिपोर्ट महानिरीक्षक को सौंपेगा।

रोज़नामचा रखना

458 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी एक रोज़नामचा रखेगा, जिसमें वह कारागार के अपने प्रत्येक दौरे, कारागार में प्रवेश के समय और कारागार से बाहर जाने के समय, दौरा किए गए कारागार के हिस्सों अथवा वर्गों, कारागार में बीमार व्यक्तियों की संख्या तथा कोई अन्य बिंदु जो वह अधीक्षक के संज्ञान में लाना चाहता हो, आदि का उल्लेख करेगा। ऐसा करते समय वह निम्नांकित के बारे में विशेष टिप्पणी करेगा :–

i. बंदियों के भोजन, वस्त्र और बिस्तर आदि में कोई खराबी अथवा स्वच्छता, जल निकासी, वेंटिलेशन, जलापूर्ति या कारागार के अन्य प्रबंधों का ब्यौरा, जिसे रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी बंदियों के स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक समझता हो और साथ ही ऐसी कमियों को दूर करने के सुझाव भी दर्ज किए जाएं;

ii. अस्पताल प्रशासन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना;

iii. अस्पताल में भर्ती और बाहरी रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी और उसके स्पष्ट कारण।

प्रत्येक दौरे के बाद रोजनामचा तत्काल अधीक्षक के अनुशीलन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अधीक्षक कोई ऐसा आदेश जारी कर सकता है, जो वह उचित समझे।

459 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कारागार के चिकित्सा अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा रखे गए रिकॉर्डों की शुद्धता सत्यापित करेंगे।

460 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के सामान्य दायित्व

क. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक कारागार में की जाएगी और वह कारागार अधीक्षक के निर्देशन और नियंत्रण के तहत काम करेगा। कारागार की स्वच्छता और चिकित्सा प्रशासन उसके प्रभार में शामिल होंगे, परंतु, चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए वह रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के साथ सलाह–मशविरा करते हुए काम करेगा;

ख. प्रत्येक कारागार में तैनात समूचा चिकित्सा और पैरा–मेडिकल स्टाफ सम्बद्ध प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण में काम करेगा;

ग. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य के संदर्भ में कारागार अधीक्षक और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा अथवा कराएगा;

घ. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उस समय अधीक्षक, रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, उप–महानिरीक्षक

(कारागार) और महानिरीक्षक (कारागार) के साथ रहेगा, जब वे निरीक्षण के प्रयोजन के लिए कारागार का दौरा कर रहे हों तथा अपने कार्यों के संदर्भ में उनके द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा या कराएगा;

ङ. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की सहायता के लिए उपयुक्त समझी गई संख्या में चिकित्सा स्टाफ लगाया जाएगा;

च. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ऐसे सभी मामले कारागार अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा, जो बंदियों अथवा स्टाफ के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने का अंदेशा हो। यह जानकारी रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को भी भेजी जाएगी;

छ. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के सभी रिकार्डों को अद्यतन रखेगा और वह सभी मासिक तथा अन्य विवरण तैयार करेगा और अधीक्षक एवं रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को उचित समय पर भेजेगा;

ज. वह सभी सर्जिकल औजारों और उपकरणों को बेहतर ढंग से रखेगा अथवा रखने की व्यवस्था करेगा तथा निर्धारित तरीके से वस्त्र और बिस्तर आदि का रख–रखाव करेगा;

झ. वह बंदियों के स्वास्थ्य के बारे में अदालत की सभी टिप्पणियों का यथाशीघ्र अनुपालन करेगा। वह किसी मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आगे कार्रवाई के लिए अधीक्षक को भेजेगा। वह संवेदनशील मामलों की जानकारी रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, आईजी (पी) और विधि अधिकारी को दे सकता है और उनसे सलाह–मशविरा कर सकता है;

ञ. वह गंभीर रूप से बीमार बंदियों के नाम उनकी चिकित्सा रिपोर्ट के साथ यथाशीघ्र अधीक्षक को भेजेगा, ताकि उनके मामले आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध अदालत के साथ उठाए जा सकें;

ट. वह यह देखेगा कि बंदियों को दिया जा रहा भोजन रुचिकर है और उसमें उचित गुणवत्ता और मात्रा का ध्यान रखा जा रहा है।

संचार के चैनल

461 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक मामलों में सामान्यतः अधीक्षक और डीआईजी (रेंज) को सूचना देते हुए रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के साथ पत्राचार करेगा।

462 **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कारागार का हर रोज दौरा करेगा और बंदियों के स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय करेगा।**

क. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह रविवारों को छोड़ कर कम से कम एक बार हर रोज और आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कारागार का दौरा करेगा। वह कारागार के प्रत्येक भाग और उसकी परिसीमाओ और उसके परिसरों का बार–बार दौरा करेगा तथा प्रत्येक दौरे के बाद अपने रोजनामचे में कारागार की स्वच्छता स्थितियों के बारे में एक नोट दर्ज करेगा;

ख. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कारागार में बंदियों के स्वास्थ्य के अनुकूल एवं समुचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अनिवार्य उपाय करेगा;

ग. वह एड्स, क्षय रोग, मादक पदार्थों की लत से ग्रस्त और कैंसर, डिप्रेशन/मनोरोग से पीड़ित सभी बंदियों के पास नियमित रूप से जाएगा।

463 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कारागार का निरीक्षण

क. कारागार का दौरा करते समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने आपको इस बात से संतुष्ट करेगा कि वहां कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे बंदियों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचने की आशंका हो। वह सुनिश्चित करेगा कि निकासी प्रणाली संतोषजनक है और बेहतर चालू हालत में है तथा जलापूर्ति शुद्ध और प्रदूषण मुक्त है, और किसी भी स्रोत से उसके प्रदूषित होने की आशंका नहीं है। वह बैरकों, कोठरियों और

अन्य भागों में भीड़ कम करने के समुचित उपायों की जांच करेगा और यह देखेगा कि बैरकों, कोठरियों और अन्य भागों, कार्यशालाओं, शौचालयों और ऐसे ही अन्य स्थानों में वायु प्रवेश और स्वच्छता का समुचित प्रावधान किया गया है और उन पर ध्यान दिया जा रहा है। वह रसोई घरों का बार–बार निरीक्षण करेगा और खाना पकाने से पहले और बाद में राशन के भार और गुणवत्ता की जांच करेगा। वह अधीक्षक को किसी ऐसे मामले की जानकारी देगा, जो उसकी राय में ध्यान देने की अपेक्षा रखता हो, परंतु, यदि किसी मामले में अधीक्षक उसकी सिफारिश को स्वीकार करने की दृष्टि से अनुपयुक्त समझेगा तो अधीक्षक की आपत्तियां अंतिम आदेश के लिए महानिरीक्षक और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को अग्रसारित की जानी चाहिए;

ख. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इस बात की जांच करेगा कि बीमार व्यक्तियों के लिए भोजन ठीक ढंग से पकाया और वितरित किया जाए।

464 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कुछ मामलों में भोजन में कुछ जोड़ सकता है अथवा बदलाव ला सकता है।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारीरेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के साथ बीमार व्यक्तियों, पुनः स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों, वृद्धों, कठिन श्रम पर लगाए गए बंदियों के भोजन के मामले में परिवर्धन या परिवर्तन कर सकता है, जो वह चिकित्सा आधार पर अनिवार्य समझता हो। उसे इसके लिए बंदियों की हिस्ट्रीशीट में संक्षिप्त कारण दर्ज करने होंगे।

इस बारे में, आईजी (पी) द्वारा रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) से परामर्श करते हुए समुचित दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

465 संक्रामक रोग फैलने की स्थिति में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दायित्व

क. बंदियों या कारागार के कार्मिकों के बीच कोई संक्रामक रोग फैलने की स्थिति में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

सभी उपायों और सावधानियों के लिए जिम्मेदार होगा, जो आपात स्थिति से निपटने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अनिवार्य या लाभदायक हों। वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उपाय तत्काल किए जाएं और ऐसे मामलों से संबंधित नियमों और आदेशों का पूरी तरह अनुपालन किया जाए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने द्वारा उठाए गए कदमों से अधीक्षक और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराएगा।

ख. कोई संक्रामक रोग फैलने अथवा किसी रोग के संक्रामक बीमारी में परिवर्तित होने की आशंका को देखते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तत्काल तथ्यों की रिपोर्ट अधीक्षक और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को भेजेगा ताकि उसे आगे महानिरीक्षक को अग्रसारित किया जा सके। वह रिपोर्ट के साथ ऐसी सिफारिश भी कर सकता है, जो वह बीमारी का प्रसार रोकने और उससे निपटने में अन्यथा आवश्यक समझी गई हो।

466 संचारी रोगों के मामले में कार्रवाई

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सभी संचारी रोगों का निर्धारित प्रारूप में विशेष रिकॉर्ड रखेगा, चाहे वे छिटपुट हों या महामारी हों और उनके बारे में तत्समय प्रवृत्त निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक रिपोर्ट भी भेजेगा। वह ऐसी रिपोर्ट अधीक्षक और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को भेजेगा, जिसमें आपात स्थिति से निपटने और बीमारी का प्रसार रोकने के उपायों और सावधानियों का उल्लेख होगा। रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी इस बारे में महानिरीक्षक को सूचित करेगा।

467 बंदी की मृत्यु के मामले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दायित्व

किसी बंदी की मृत्यु के मामले में ड्यूटी पर तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तत्काल एक रजिस्टर में अपेक्षित ब्यौरा दर्ज करेगा, जिसका प्रावधान इस अध्याय में किया गया है।

468 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्वों का अनुपालन करते समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दायित्व

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कारागार अधीक्षक और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं के दायित्वों को पूरा करने और उन्हें पूरा करने के ढंग के बारे में दिए गए निर्देशों का अनुपालन और कार्यान्वयन करेगा। वह बंदियों की बीमारी और मृत्यु, कारागार की स्वच्छता और उसके दायित्वों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी की ओर से तथा उसके द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार सावधिक सांख्यिकीय तथा अन्य जानकारी और रिपोर्टें भेजेगा।

469 औषधियों, मेडिकल स्टोरों और इंडेंट्स के बारे में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के दायित्व

क.दवाओं और मेडिकल स्टोरों के लिए वार्षिक इंडेंट हेतु प्रस्ताव रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को भेजना;

ख. दवाओं, औजारों और उपकरणों का समुचित रिकॉर्ड रखना अथवा तत्संबंधी व्यवस्था करना;

ग. स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि साइकोट्रोपिक दवाएं अन्य औषधियों से पृथक रखी गई हैं, उन पर समुचित नामपत्र लगाए गए हैं और उन्हें तालाबंद रूप में रखा गया है;

घ. स्टोर में उपलब्ध औषधियां की समय समय पर जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इस्तेमाल के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं;

ङ. औषधियों की स्थानीय खरीद की नियमित रूप से जांच करना और उनका हिसाब रखना;

च. कारागार खाते में प्रभारित दवाओं और मेडिकल स्टोरों के समुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होना;

छ. अपने प्रभार के अंतर्गत चिकित्सा और स्वच्छता प्रशासन के बारे में वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजना।

470 बंदियों की चिकित्सा जांच

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक तिमाही पर हर एक बंदी की चिकित्सा जांच करनी होगी और उसके स्वास्थ्य की स्थिति हिस्ट्री टिकट में दर्ज करनी होगी।

चिकित्सा अधिकारी

471 चिकित्सा अधिकारी के सामान्य दायित्व

i. बीमार होने की शिकायत करने वाले अथवा बीमार दिखने वाले किसी भी बंदी के उपचार के लिए उपलब्ध रहना और उसे अस्पताल अथवा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच के लिए निर्धारित स्थान, जो भी लागू हो, पर भेजना।

ii. अस्पताल आने वाले बीमार बंदियों और बहिरंग रोगियों का उपचार करना और उपचार की तैयारी की देखरेख करना तथा औषधियां, भोजन और अतिरिक्त खुराक जारी करना। उसे स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि बंदियों के संदर्भ में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के आदेशों का समुचित अनुपालन किया गया है।

iii. कारागार की कोठरियों का हर रोज दौरा करना और कारागार की स्थितियों के बारे में कारागार अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट भेजना, जिसमें बंदियों के स्वास्थ्य की स्थिति और इस संबंध में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत का उल्लेख किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना कि अस्पताल/औषधालय के लिए इंडेंट कराई गई सभी औषधियां उचित रूप में जुटाई गई हैं, उन पर लेबल लगाए गए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्टोर किया गया है।

v. अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं, उपकरणों और औजारों की उचित देखभाल करना।

vi. इस बात की जांच करना कि बीमार बंदी स्वच्छ और स्वस्थ हैं।

vii. इस बात का ध्यान रखना कि अस्पताल के कपड़े और बिस्तर खास तरीके से चिन्हित किए गए हैं।

viii. इस बात पर ध्यान रहेगा कि अस्पताल में प्रयुक्त सभी वस्तुएं सुरक्षित ढंग से स्टोर में रखी गई हैं और उन्हें साफ रखा गया है।

ix. अपने प्रभार में आने वाली किसी भी वस्तु/सम्पत्ति को कारागार परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति न देना।

x. किसी बंदी के अनुचर को ऐसे उपकरणों के परिचालन अथवा औषधियों के वितरण की अनुमति न देना, जिनका गलत ढंग से इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है।

xi. यह सुनिश्चित करना कि अस्पताल से सम्बद्ध फार्मासिस्ट लिपिकीय कार्य पूरा करना है, जैसे रजिस्टरों का रख–रखाव, रिटर्न तैयार करना और इंडेंट समय पर जमा कराना।

xii. अपने को इस बात के लिए संतुष्ट करना कि बीमारों के लिए भोजन ठीक ढंग से तैयार और वितरित किया गया है।

xiii. यह सुनिश्चित करना कि अस्पताल के भीतर और इर्द–गिर्द व्यवस्था, स्वच्छता और अनुशाासन बनाए रखा गया है।

xiv. यह सुनिश्चित करना कि स्टाफ नर्सें और अन्य कर्मचारी अपने दायित्वों का अनुपालन ठीक ढंग से कर रहे हैं।

xv. यह सुनिश्चित करना कि अनुचरों की अधिकता या कमी की जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दी गई है।

xvi. कारागार की रसोई का हर रोज दौरा करना, आपूर्ति किए गए, कच्चे और पके पकाए भोजन का निरीक्षण (बल्क और वितरण के बाद दोनों में) करना और यह देखना कि नमक, तेल और मसाले डाले गए हैं और भलीभांति मिश्रित किए गए हैं। स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि भोजन अच्छी गुणवत्ता का है और प्रत्येक वस्तु की मात्रा मंजूर किए गए पैमाने के अनुरूप है। वह यह भी देखेगा कि किचन और आसपास स्वच्छता बनाए रखी गई है, नालियां साफ की गई हैं और उनमें कोई कूड़ा करकट नहीं जमा है,

खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए टंकियों में स्टोर किया गया पानी नियमित रूप से बदला जाता है और यह भी कि इस्तेमाल किए जा रहे बर्तन स्वच्छ और बेहतर हालत में हैं।

xvii. अस्पताल में की जा रही दूध की आपूर्ति की देखरेख करना, निर्धारित तरीके से दूध की जांच करना, और यह देखना कि वितरण करने से पहले दूध को भलीभांति उबाला गया है।

xviii. रोग का बहाना करने वाले बंदियों की जांच करना और अपने निष्कर्षों के नतीजे रिपोर्ट करना।

xix. विभिन्न परेडों के समय उपस्थित रहना और ऐसे बंदियों को जांच और उपचार के लिए अलग करना, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो अथवा जिनके बारे में यह पता या संदेह हो कि वे अपने भोजन का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं।

xx. किसी महिला बंदी के गर्भवती होने के संदेह की जानकारी कारागार अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देना।

xxi. त्वचा संक्रमण से ग्रस्त बंदियों द्वारा नहाना सुनिश्चित करना।

xxii. सभी नए बंदियों की जांच करना और उनके स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार किसी प्रकार का श्रम करने की उनकी क्षमता के बारे में ब्यौरा प्रवेश रजिस्टर और चिकित्सा शीटों में दर्ज करना।

xxiii. स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना कि नए बंदी स्वच्छ हों और उनके निजी वस्त्र भलीभांति साफ किए गए हों तथा आवश्यक हो तो उनके कपड़ों को स्टोर रूम में रखने से पहले विसंक्रमित किया जाए।

xxiv. नए बंदियों और माताओं के साथ रखे गए (यदि ऐसा निर्देश मिला हो, तो) अथवा कारागार में पैदा हुए शिशुओं को बीमारियों से बचाव के टीके लगाना।

xxv. कारागार के स्टाफ या बंदियों में हैजा अथवा अन्य संक्रामक अथवा संचारी रोग फैलने की आशंका होने

पर उसकी जानकारी तत्काल कारागार अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देना।

xxvi. कुओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों की जांच करना, आपूर्ति किए गए जल की मात्रा या गुणवत्ता में खामी होने की जानकारी देना, सभी टंकियों और पानी स्टोर करने या ढो कर लाने वाले बर्तनों की हर रोज जांच करना।

xxvii. सप्ताह में कम से कम एक बार कारागार के आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना। वह इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि कूड़ा–करकट गडढों में दबाया गया है या अन्यथा उसका निपटान किया गया है।

xxviii. मौसम का ध्यान रखते हुए अस्पताल, स्लीपिंग वार्डों और कार्यशालाओं के लिए हवा आने–जाने की व्यवस्था करना और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि बंदियों को सूखे या बारिश का अनावश्यक सामना न करना पड़े।

xxix. चिकित्सा अधिकारी बंदियों के पाक्षिक भार तोले जाने के समय उपस्थित रहेगा। वह प्रत्येक बंदी का वजन उसके भार चार्ट में दर्ज करेगा और ऐसे सभी बंदियों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा, जिनके वजन में महत्वपूर्ण कमी दिखाई दी हो।

xxx. ऐसे मामलों में जहां अधीनस्थ चिकित्सा प्रतिष्ठान बंदियों की संख्या के लिए छोटा हो, अथवा ऐसे मामलों में, जहां चिकित्सा कार्य बहुत अधिक हो, कारागार अधीक्षक द्वारा बंदियों का वजन दर्ज करने के काम को पूरा करने के लिए चिकित्सा अधिकारी की मदद हेतु कारागार के अधिशासी स्टाफ के किसी अधिकारी को तैनात किया जा सकता है।

472 भोजन और उसके वितरण से संबंधित दायित्व

क. गोदाम, रसोई और खाना पकाने एवं वितरित करने के सभी बर्तनों का हर रोज निरीक्षण करना और यह देखना कि वे स्वच्छ हैं।

ख. हर रोज वास्तव में परीक्षण करके भोजन की जांच करना और देखना कि वह अच्छी गुणवत्ता का है, समुचित रूप में तैयार किया गया और पकाया गया है और कच्ची सामग्री तथा तैयार भोजन, दोनों ही स्थितियों में वह निर्धारित मात्रा में है; वह किसी भी ऐसी वस्तु के नमूने एकत्र करेगा, जिसे वह अस्वास्थ्यकर समझे और उन्हें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की जांच के लिए पेश करेगा। वह यह देखेगा कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले भलीभांति उबाला गया है।

473 जलापूर्ति, स्वच्छता और हवा आने–जाने संबंधी दायित्व

क. समय समय पर जलापूर्ति के स्रोत की जांच करना और गुणवत्ता अथवा मात्रा में कोई कमी पाए जाने की स्थिति में उसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देना। उन सभी बर्तनों की हर रोज जांच करना, जिनमें पेयजल भंडारित किया जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह भी देखना कि बर्तन साफ रखे गए हैं।

ख. सभी शौचालयों और मूत्रालयों का हर रोज निरीक्षण करना और यह देखना कि उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखा गया है।

474 स्वास्थ्य के अनुसार बंदियों का वर्गीकरण

प्रत्येक बंदी के स्वास्थ्य का वर्गीकरण 'अच्छा', 'सामान्य' या 'खराब' के रूप में किया जाएगा। कारागार में प्रवेश के समय ऐसे बंदियों के स्वास्थ्य को 'खराब स्वास्थ्य' के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, जिन्हें चिकित्सा उपचार की तत्काल आवश्यकता हो, बशर्ते वे मामूली और अस्थायी रूप से बीमार हों; ऐसे बंदी जो कठिन कार्य करने के लिए उपयुक्त न हों, परंतु जिन्हें अस्पताल उपचार की जरूरत न हो, के स्वास्थ्य को ''सामान्य स्वास्थ्य'' के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

नोट :– यदि कोई बंदी बिस्तर पर हो या उसका स्वास्थ्य सामान्य हो, तो चिकित्सा अधिकारी को उसकी विकलांगता

का उल्लेख हिस्ट्री टिकट और प्रवेश रजिस्टर में करना चाहिए और तत्संबंधी तथ्यों की जानकारी कारागार अधीक्षक को दी जानी चाहिए।

475 बंदियों का भार करते समय वस्त्र आदि का भार घटाना

भार करते समय पुरुष बंदी केवल अपना पायजामा पहनेंगे; महिला बंदी पूरे वस्त्र धारण करेंगी और उनके कपड़ों का वजन भार में से घटाया जाएगा। भार के परिणाम का सारांश चिकित्सा अधिकारी द्वारा भार करने के अगले दिन निम्नांकित अनुसार तैयार किया जाएगा।

i- अधिक भार ग्रहण करने वाले बंदियों की संख्या;

ii- संतोषजनक भार वाले बंदियों की संख्या;

iii- मानक भार से 1.5 किग्रा से 2.5 किग्रा तक नीचे भार रखने वाले बंदियों की संख्या;

iv- मानक भार से 2.5 किग्रा तक अधिक भार रखने वाले बंदियों की संख्या;

v- मानक भार से 3.5 किग्रा तक अधिक भार रखने वाले बंदियों की संख्या; और

vi- वजन किए गए बंदियों की कुल संख्या में भार बढ़ने वाले और भार कम होने वाले बंदियों का क्रमशः प्रतिशत।

चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक साप्ताहिक निरीक्षण के दौरानस्वयं 'भार जांच' के लिए बंदियों की संख्या का चयन करना चाहिए।

ऐसे सभी बंदियों को, जिन्होंने भार गंवाया हो, अलग से चिकित्सा अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

476 किसी बंदी की मृत्यु की सूचना देना

किसी बंदी की मृत्यु होने पर, ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी मामले की रिपोर्ट तत्काल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक को करेगा।

477 चिकित्सा अधिकारी के अनुदेशों और अनुशंसाओं को रिकॉर्ड करने का ढंग

सभी निर्देश, जो चिकित्सा अधिकारी किसी बंदी के उपचार के संदर्भ में उपयुक्त समझे, सम्बद्ध बंदी के हिस्ट्री टिकट/ओपीडी टिकट में दर्ज किए जाएंगे। (परंतु चिकित्सा अधिकारी अथवा उसकी व्यक्तिगत देखरेख में अनुपालन किए जाने वाले निर्देश इनमें शामिल नहीं होंगे)।

478 चिकित्सा अधिकारी द्वारा बंदियों की भर्ती और डिस्चार्ज का रिकॉर्ड रखना

क. हिरासत प्रबंधन अध्याय के प्रावधानों का अनुपालन करने के अतिरिक्त, बंदियों की भर्ती, उन्हें हटाए जाने या डिस्चार्ज किए जाने के बारे में, चिकित्सा अधिकारी अपनी देखरेख में निम्नांकित बातें रिकॉर्ड करेगा या रिकॉर्ड कराने की व्यवस्था करेगा –

I- प्रत्येक बंदी के कारागार में प्रवेश के समय प्रवेश रजिस्टर और हिस्ट्री टिकट में निम्नांकित बातें दर्ज होंगी :–

क. बंदी के स्वास्थ्य की स्थिति

ख. बंदी की आयु और भार

ग. क्या वह मादक पदार्थों का आदि है, क्षय रोग, एचआईवी/एड्स, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है

घ. अगर उसे सश्रम कारावास की सजा दी गई है, तो श्रम का वर्ग (यदि कोई हो), इसके लिए चिकित्सा अधिकारी की राय में बंदी उपयुक्त हो; और

ङ. कोई अन्य जानकारी, जो बंदी के निरीक्षण के दौरान पता चली हो और जो चिकित्सा अधिकारी की राय में दी जानी चाहिए;

II- उपरोक्त का रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा ताकि भविष्य में बंदी की किसी बीमारी की हिस्ट्री आसानी से देखी जा सके।

ख. वह अपने को इस बात से संतुष्ट करेगा कि एक बंदी के प्राइवेट कपड़े साफ हों और यदि जरूरी हों, तो विसंक्रमित किए जाएं।

ग. यदि चिकित्सा अधिकारी के पास यह मानने का स्पष्ट आधार हो कि कोई महिला बंदी गर्भवती है, तो वह उसकी रिपोर्ट अधीक्षक को करेगा।

घ. जब पुलिस हिरासत से कैद में भेजे गए किसी बंदी के शरीर पर घाव हो तो उसकी चिकित्सा जांच निर्धारित तरीके से कराई जानी चाहिए।

ङ. यदि चिकित्सा अधिकारी को ऐसे अतिरिक्त घावों का पता चले, जिनका उल्लेख बंदी की एमएलसी में न किया गया हो अथवा एमएलसी में कोई विसंगति हो, तो वह उस बंदी को कारागार में भर्ती करने से पहले पुनः एमएलसी के लिए निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में भेजेगा।

479 बीमार बंदियों और बीमारी का बहाना करने वाले बंदियों के बारे में दायित्व

क. चिकित्सा अधिकारी अस्पताल में बीमार बंदियों को देखने के लिए हर रोज अस्पताल जाएगा और प्रत्येक ऐसे बंदी की जांच करेगा, जिन्होंने किसी बीमारी की शिकायत की हो, और यदि वह आवश्यक समझेगा, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन के साथ ऐसे बंदी का अस्पताल में उपचार करने के निर्देश देगा।

ख. यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि कोई बंदी बीमारी का बहाना कर रहा है, तो वह तथ्य की जानकारी तत्काल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक को देगा।

ग. अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की लिखित सलाह पर ऐसे बंदी के साथ उसके परिवार के एक सदस्य को देखरेख करने की अनुमति दे सकते हैं, जिसे उपचार के लिए बाहरी अस्पताल में भर्ती कराया गया हो।

480 चिकित्सा अधिकारी निम्नांकित मामलों में रिपोर्ट करेगा :

यदि चिकित्सा अधिकारी के पास यह मानने का स्पष्ट आधार हो कि किसी बंदी को दिए गए अनुशासन और उपचार का उसके मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की आशंका है, तो वह ऐसे मामले की रिपोर्ट उचित टिप्पणियों के साथ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भेजेगा। चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा के साथ यह रिपोर्ट सूचनार्थ एवं समुचित निर्णय करने के लिए अधीक्षक के पास भेजी जाएगी।

481 बंदियों और कारागार स्टाफ के लिए चिकित्सा उपस्थिति

चिकित्सा अधिकारी ऐसे सभी बंदियों और कारागार कार्मिकों की चिकित्सा जांच करेगा, जिन्हें चिकित्सा आपात सेवाओं की आवश्यकता हो।

482 मद्यपान करने वालों के बारे में परीक्षण और रिपोर्ट

यदि ऐसे किसी अधिकारी का पता चलता है कि उसने कारागार में ड्यूटी पर शराब पी रखी है, तो उसे ड्यूटी आफिसर द्वारा तत्काल ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, जो अविलंब उसकी जांच करेगा और कारागार अधीक्षक को रिपोर्ट देगा। ऐसे अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

483 अस्पताल वार्ड की चाबियां चिकित्सा अधिकारी के पास रहेंगी

लॉकअप के समय अस्पताल वार्ड की चाबियां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी के पास रहेंगी, ताकि वह किसी आपात स्थिति में अविलंब सहायता कर सके।

484 रजिस्टरों का रख–रखाव

चिकित्सा रजिस्टर और फार्म चिकित्सा अधिकारियों के आदेश के अधीन रखे जाएंगे, जो उनकी शुद्धता के लिए जिम्मेदार होंगे। महानिरीक्षक के निरीक्षण के समय चिकित्सा अधिकारी कारागार के चिकित्सा विभाग से संबंधित प्रत्येक रजिस्टर और रिकॉर्ड उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

कारागार विभाग के लिए क्लिनिक और प्रयोगशालाएं

485 कारागार अस्पताल के लिए निम्नांकितउपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए :

- I- सभी उपकरणों के साथ डेंटल क्लिनिक
- II- सभी उपकरणों के साथ नेत्र चिकित्सा क्लिनिक
- III- सभी सर्जिकल उपकरणों के साथ लघु ऑपरेशन थिएटर
- IV- अपेक्षित उपकरणों के साथ क्लिनिकल प्रयोगशाला
- V- डार्क रूम और उपकरणों के साथ एक्स–रे लैब
- VI- उपकरणों सहित फिजियोथिरेपी यूनिट
- VII- डी–टाक्सिफिकेशन यूनिट
- VIII- उपकरणों सहित मनोचिकित्सा यूनिट

चिकित्सा और अर्द्ध–चिकित्सीय स्टाफ की भर्ती

486 कारागारों में सभी चिकित्सीय और अर्द्ध–चिकित्सीय स्टाफ की नियुक्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।

नियुक्ति की शर्ते

487 चिकित्सीय और अर्द्ध–चिकित्सीय स्टाफ की नियुक्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी और उनकी तैनाती और स्थानांतरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। परंतु, चिकित्सीय और अर्द्ध–चिकित्सीय स्टाफ की आंतरिक तैनाती और स्थानांतरण कारगार महानिरीक्षक के आदेशों के जरिए किए जाएंगे।

सेवा शर्ते

488 किसी भी कारागार में तैनात समस्त चिकित्सीय और अर्द्ध–चिकित्सीय स्टाफ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी छोड़ कर नहीं जाएगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बिना अपना ड्यूटी स्टेशन नहीं छोड़ेगा।

वर्दी

489 कारागार अस्पतालों में तैनात चिकित्सा स्टाफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी पहनेगा।

अवकाश

490 कारागार अस्पतालों में तैनात चिकित्सा स्टाफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अवकाश नियमों द्वारा अधिशासित होगा।

रिपोर्ट बुक का रख–रखाव

491 प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा रखी गई रिपोर्ट बुक में सभी महत्वपूर्ण मामले लिख कर रिपोर्ट करेगा।

492 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उसकी रिपोर्ट बुक पर हर रोज हस्ताक्षर करेगा और इस बारे में समुचित कार्रवाई करेगा।

कार्य के घंटे

493 कारागारों में जहां 01 से अधिक चिकित्सा अधिकारी हैं :

I- दिन के दौरान कार्य के घंटे उनके बीच प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बराबर बराबर वितरित किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक चिकित्सा अधिकारी हर समय कारागार में उपस्थित रहे।

II- बंदियों को किसी आपात स्थिति में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा अधिकारी बारी–बारी से रात्रि ड्यूटी करेगा।

494 जिन कारागारों में केवल एक चिकित्सा अधिकारी है, वह पूरा दिन कारागार के भीतर रहेगा। परंतु, खाना खाने या किसी अन्य वैध कारण से उसे अनुपस्थित रहने की अनुमति होगी। वह कभी कभी रात्रि के समय अस्पताल जाएगा और यदि उसके उपचार के अंतर्गत ऐसे मरीज होंगे, जिनके लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक होगी, तो रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के आदेशों के अंतर्गत उसे ड्यूटी पर रहना होगा।

ताले–चाबियों की अभिरक्षा

495 रात्रि के समय चिकित्सा वार्डों में जिम्मेदारीपूर्ण क्षमता में तैनात चिकित्सा अधिकारी अस्पताल और अन्य स्थान, जहां बंदी चिकित्सा उपचार के लिए रखे गए हों, के ताले और चाबियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। परंतु, वह सहायक अधीक्षक की मौजूदगी को छोड़ कर किसी दरवाजे का ताला नहीं खोलेगा। केवल ऐसे मामले में जबकि

अस्पताल वार्ड को तत्काल खोलने की आवश्यकता हो, वह ड्यूटी पर तैनात पेट्रोलिंग अधिकारी की उपस्थिति में वह दरवाजों के ताले खोल सकता है।

496 रात्रि के समय चिकित्सा वार्डों में जिम्मेदारीपूर्ण क्षमता में तैनात चिकित्सा अधिकारी, जिसे ताले और चाबियों की अभिरक्षा सौंपी गई हो, वह यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ताले चाबियां उसके व्यक्तिगत कब्जे में रहें और उनका इस्तेमाल अनुचित ढंग से न हो। वह रात को अपनी ड्यूटी के समय बंदियों के किसी कम्पार्टमेंट के दरवाजे खोले जाने की प्रत्येक घटना की जानकारी यथाशीघ्र उप–अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रदान करेगा।

बीमारी की शिकायत करने वाले बंदियों की जांच

497 बीमारी की शिकायत करने वाले या बीमार दिखने वाले प्रत्येक बंदी को तत्काल जांच और चिकित्सा अधिकारी अथवा उसकी अनुपस्थिति में चिकित्सा अधीनस्थ द्वारा आगे उपचार के लिए कारागार अस्पताल भेजा जाएगा। लॉकअप के बाद रात के समय, चिकित्सा कॉल आने पर, डॉक्टर वार्ड बंदी के लॉजिंग स्थान अर्थात् बैरक या कोठरी में जाकर बंदी की जांच करेगा और केवल आपात स्थिति में बंदी को चिकित्सा अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में चिकित्सा अधीक्षक की मौजूदगी में शिफ्ट करेगा। आवश्यक होने पर चिकित्सा अधिकारी से फोन पर परामर्श लेने की सुविधा को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

498 रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर अधीक्षक किसी बीमार बंदी को स्थानीय सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर सकता है। कारागार के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विशेषज्ञतापूर्ण सरकारी अस्पताल में चिकित्सा आधार पर अपेक्षित स्थानांतरण के लिए, महानिरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि कारागार महानिरीक्षक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में समय लगेगा, और इस दौरान बीमार बंदी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बीमार बंदी का

स्थानांतरण कारागार महानिरीक्षक की मंजूरी की प्रत्याशा में किया जा सकता है। परम आवश्यक चिकित्सा जरूरत के आधार को छोड़ कर किसी बंदी को अस्पताल से बाहर ठहरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जरूरतमंद मामलों में चिकित्सा आधार पर कारागार से बाहर बंदियों को भेजते समय जिले के रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की राय प्राप्त की जाएगी।

.नोट :— इसके अतिरिक्त, सरकार उपयुक्त ढांचा उपलब्ध कराएगी और ऐसे बंदियों/रोगियों के उपचार की शीघ्र व्यवस्था करेगी, जिन्हें अन्य सरकारी अस्पतलों में विशेषज्ञतापूर्ण चिकित्सा की आवश्यकता होगी। उक्त प्रयोजन के लिए अस्पतालों की पहचान की जा सकती है और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपयुक्त इंतजाम किए जा सकते हैं।

बंदी का भोजन/अस्पताल भोजन पर नियंत्रण

499 अस्पताल में बंदियों के भोजन पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का पूर्ण नियंत्रण रहेगा, जो किसी बंदी को सामान्य कारागार भोजन पर रख सकता है अथवा अस्पताल के नियमित भोजन की अनुमति दे सकता है अथवा कारागार या अस्पताल के भोजन में परिवर्तन का आदेश दे सकता है, अथवा यदि वह आवश्यक समझे, तो नियमों के अंतर्गत निर्धारित भोजन मानदंड के अनुसार अतिरिक्त भोजन निर्धारित कर सकता है। रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा साप्ताहिक आधार पर इस तरह तय किए गए भोजन की संरक्षा की जाएगी।

अस्पताल भोजन तैयार करना

500 अस्पताल का भोजन जो विशेष तैयारी की अपेक्षा रखता हो, वह जहां कहीं उपलब्ध हो, अस्पताल रसोई में पकाया जाएगा और यदि अस्पताल में रसोई उपलब्ध न हो, तो कारागार के लंगर में बनाया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बार—बार भोजन की जांच करेगा और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि निर्धारित सामग्री की पूरी मात्रा मौजूद है और उसे भलीभांति पकाया गया है।

दूध के बारे में सावधानी

501 दूध से बनी वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि दूध एक ऐसा पदार्थ है, जिसमें आसानी से मिलावट की जा सकती है या उसे चुराया जा सकता है। जहां कहीं प्राप्त किया जा सकता है, वहां ताजा दूध का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पैकेट बंद दूध को वरीयता दी जाएगी। शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए दूध की बार–बार जांच की जाएगी। यदि आपूर्ति किए गए दूध की विशेष ग्रेविटी 1025 से नीचे होगी, तो ऐसा दूध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अस्पताल से बाहर बंदियों के लिए चिकित्सा भोजन

502 नियमित भोजन के अतिरिक्त, चिकित्सा अधिकारी रुग्ण समूह के किसी बंदी के लिए चिकित्सीय भोजन की अनुशंसा कर सकता है। ऐसा करते समय उसे अनुशंसा के कारण अपने रजिस्टर में दर्ज करने होंगे। ऐसी अनुशंसा रोजमर्रा के मामलों में नहीं की जाएगी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की ओर से तैनात चिकित्सा अधिकारी किसी बंदी को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में चिकित्सीय भोजन प्रदान करने की अनुशंसा कर सकता है। परंतु, उसे इसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी और उनकी मंजूरी प्राप्त करनी होगी। चिकित्सीय भोजन हमेशा ऐसे नियमित भोजन के बदले प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए कोई बंदी अन्यथा पात्र हो। अगर यह भोजन एक पखवाड़े से अधिक जारी रहता है, तो उसकी जानकारी अधीक्षक द्वारा डीआईजी (रेंज) के माध्यम से महानिरीक्षक और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस मद पर खर्च में किफायत बरते और बंदियों को चिकित्सीय भोजन की अनुशंसा करने में अत्यंत ध्यान रखे। बंदियों को प्रदान किए जा रहे चिकित्सीय भोजन के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी और डीआईजी (रेंज) को मासिक आधार पर भेजी जाएगी।

अस्पताल भोजन के लिए मांग(इंडेंट्स)

503 अनुमानित भोजन और अपेक्षित अतिरिक्त संख्या में भोजन के लिए मांग (इंडेंट) राशन के प्रभारी अधिकारी के पास हर रोज प्रातः 9.00 बजे तक भेजी जाएगी और यह ध्यान रखा जाएगा

कि अपेक्षित संख्या में भोजन और अतिरिक्त भोजन शीघ्र बंदियों के पास पहुंचे। तात्कालिकता के मामले में आपात मांग दिन के किसी भी समय भेजी जा सकती है। अत्यंत आवश्यक मामले को छोड़ कर सामान्यतः आपात मांग से बचना चाहिए।

पर्यवेक्षण के लिए किसी बंदी को अस्पताल में रखना

504 किसी बंदी को पर्यवेक्षण के लिए अस्पताल में अधिकतम केवल 6 घंटे की अवधि के लिए रखा जा सकता है, 6 घंटे से अधिक अवधि बढ़ाने के लिए कारागार अधीक्षक/रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को यह लगता है कि कोई बंदी बीमार होने का बहाना कर रहा है, तो वह इस तथ्य की रिपोर्ट तत्काल अधीक्षक को देगा, ताकि ऐसे बंदी को दंडित किया जा सके।

505 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले बंदियों की अधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट द्वारा जांच की जानी चाहिए।

बीमार बंदियों का चिकित्सा उपचार

506 किसी सक्रिय बीमारी से पीड़ित प्रत्येक बंदी को चिकित्सा उपचार के अंतर्गत पुराने रोगी अथवा अंतरंग रोगी के रूप में अस्पताल लाया जाएगा और उसका नाम एक निर्धारित प्रपत्र में बहिरंग रोगियों के रजिस्टर में अथवा निर्धारित प्रपत्र में अतरंग रोगियों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

507 यदि कोई बंदी निर्धारित उपचारलेने से इनकार करता है, तो उसके परिवार की सहमति से उसका इलाज किया जाएगा। कारागार का अधीक्षक संरक्षक होने के नाते आपात स्थिति में और जीवन को खतरा होने की स्थितियों में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा के साथ उपचार के लिए सहमति प्रदान कर सकता है।

केस बुक का रख–रखाव

508 अस्पताल में बीमारों की संख्या एक निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–V) में अस्पताल की बीमार व्यक्तियों की सूची में हर रोज दर्ज की जाएगी। उपचार और खुराक का ब्यौरा एक

निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–VI) में केस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा।

509 इन रिकॉर्डों के अतिरिक्त प्रत्येक अस्पताल में एक निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–VII) में एक केस बुक रखी जाएगी, जिसमें अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले प्रत्येक मरीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

510 केस बुक का लक्ष्य प्रत्येक बंदी के लक्षणो, उपचार और खुराक का सम–सामयिक रिकॉर्ड रखना अथवा उसे डायरीबद्ध रखना है। अतःकेस बुक में सभी प्रविष्टियां तत्काल और प्रत्यक्ष की जाएंगी।

नोटः रखने और उन्हें बाद में केस बुक में नकल करने की पद्धति स्वीकार्य नहीं होगी।

511 केस बुक में प्रविष्टियां आमतौर पर चिकित्सा अधीनस्थ द्वारा की जाएंगी, जो प्रकट लक्षणों अथवा लागू किए गए उपचार से संबंधित होंगी। चिकित्सा अधिकारी रोगी की जांच करते समय स्वयं के विचार और आदेश उसमें नोट करेगा। चिकित्सा अधिकारी केस बुक को हर रोज देखेगा और प्रत्येक मामले को देखे जाने के प्रतीक के रूप में आद्य हस्ताक्षर करेगा।

512 एक सामान्य नियम के रूप में केस बुक में प्रविष्टियां प्रतिदिन की जाएंगी, परंतु पुराने मामलों में, जहां एक दिन से अगले दिन में मामूली बदलाव होने अथवा कोई बदलाव न होने की स्थिति में चिकित्सा अधिकारी स्वयं अपने हाथ से केस बुक में ब्यौरा दर्ज करेगा, परंतु दैनिक प्रविष्टियां अनिवार्य नहीं होंगी।

रोगियों का स्नान

513 जो बंदी बहुत अधिक बीमार नहीं होंगे, उन्हें हर रोज अथवा चिकित्सा अधिकारी के निर्देश अनुसार नहलाया जाएगा।

कपड़े धोने का उचित स्थान

514 मैले कपड़े धोने और गंदे कपड़ों तथा चादरों को उबलते पानी में धोने के लिए पृथक और कीटाणुरहित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। कम्बलों और काम के समय पहने जाने वाले वस्त्रों को भी बार–बार उबले पानी में धोया जाएगा।

अस्पताल की स्वच्छता

515 प्रत्येक अस्पताल/औषधालय को स्वच्छ और भलीभांति हवादार रखा जाएगा। अस्पताल/औषधालय की दीवारों को हर छठे महीने अथवा जब कभी आवश्यक हो, खुरचा जाएगा और उन पर सफेदी की जाएगी।

वार्डों को कीटाणुरहित बनाना

516 किसी वार्ड या कोठरी में संक्रामक रोग का मामला सामने आने अथवा उपचारित किए जाने की स्थिति में उसकी तत्काल अद्योपांत धुलाई की जाएगी, जिसमें निर्धारित कीटाणु नाशकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : कीटाणु नाशकों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित किसी चिकित्सा अधिकारी के व्यक्तिगत निर्देशन के तहत इस्तेमाल किया जाएगा।

चिकित्सा राय पर श्रम का आवंटन

517 चिकित्सा अधिकारी की यह राय होने पर कि रोगी बंदी को किसी प्रकार के काम पर लगाने अथवा किसी वर्ग का श्रम कराने से नुकसान हो सकता है, वह अपनी राय बंदी के पत्रक में रिकॉर्ड करेगा और तदनुसार बंदी को उक्त श्रम पर नहीं लगाया जाएगा। परंतु उसे अन्य किसी प्रकार या वर्ग के श्रम पर लगाया जा सकता है, जो उसके लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा गया हो।

कारागार अधिकारियों को चिकित्सा सहायता

518 चिकित्सा अधिकारी रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के निर्देश के तहत कारागार प्रशासन के सभी सदस्यों और कारागार परिसर में रहने वाले अन्य लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकता है।

चिकित्सा अधिकारी की सहायता करना

519 चिकित्सा अधीनस्थ स्वास्थ्य पर असर डालने वाले सभी मामलों की जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निम्नांकित अनुसार सहायता प्रदान करेगा :–

(क) अधिक भीड़ के समय

(ख) अनुपयुक्त, फटे–पुराने या गंदे कपड़े पहने होने पर

(ग) व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा की स्थिति में

(घ) मौसम का अधिक प्रभाव होने की स्थिति में
(ङ) भोजन में अनियमितता
(च) कपड़ों और बिस्तरों को हवा में सुखाने या धोने में उपेक्षा बरतना
(छ) अनुपयुक्त कार्य

स्टाफ नर्सों और फार्मासिस्ट की नियुक्ति

520 स्टाफ नर्सों और फार्मासिस्ट की नियुक्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

स्टाफ नर्सों और फार्मासिस्टों के दायित्व

521 स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट बंदी के चिकित्सा उपचार से संबंधित सभी मामलों में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के विधिसम्मत आदेशों का और अन्य मामलों में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के वैध अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

522 उनका दायित्व स्टाफ और बंदियों के स्वास्थ्य के रख–रखाव में चिकित्सा अधिकारी की सहायता करना है। उनके कार्यों में औषधियों का मिश्रण और वितरण करना, टीके लगाना और बंदियों का वजन करना, लिपिकीय कार्य, अस्पताल में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना और अन्य ऐसे कार्य, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित किए गए हों, शामिल हैं।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बहिरंग रोगियों के उपचार की देखरख

523 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हर रोज बहिरंग रोगी रजिस्टर का निरीक्षण करेगा, और अगर उसकी राय में किसी रोगी की चिकित्सीय स्थिति के लिए अस्पताल उपचार जरूरी होगा, तो वह उसे कारागार अस्पताल में भर्ती करने का आदेश देगा। चिकित्सा अधिकारी हफ्ते में कम से कम एक बार सभी बहिरंग रोगियों की जांच करेगा।

524 मामूली बीमारियों से पीड़ित बंदी का उपचार बहिरंग रोगी के रूप में किया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इस बात के

लिए जिम्मेदार होगा कि अन्य सभी रोगी कारागार अस्पताल में भर्ती किए जाएं।

चिकित्सा अधिकारी द्वारा बहिरंग रोगियों का उपचार

525 उपरोक्त प्रावधानों के अधीन बहिरंग रोगियों की जांच और उपचार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा उसकी ओर से तैनात किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा।

अस्पताल में बीमार बंदियों का उपचार

526 कारागार अस्पताल में बीमार बंदियों का उपचार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की समग्र देखरेख में किया जाएगा। यदि, उसकी अनुपस्थिति में, चिकित्सा अधिकारी बंदियों के उपचार के लिए कोई निर्णय करता है, तो वह इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यालय रिकॉर्ड बुक में अपने निर्णय दर्ज करेगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के वापस आने पर वह अपने निर्णय की जानकारी उसे प्रदान करेगा।

चिकित्सा अधिकारी का दैनिक ब्यौरा

527 चिकित्सा अधिकारी अस्पताल में पर्यवेक्षण के लिए रखे गए सभी बंदियों के पास हर रोज जाएगा और किसी बंदी को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बारे में निर्णय करेगा।

अस्पताल के वस्त्रों और बिस्तरों की आपूर्ति

528 प्रत्येक बंदी को अस्पताल के कपड़े और बिस्तर दाखिले के समय उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके कारावास के कपड़े और बिस्तर ले लिए जाएंगे। बाद में अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर वे उसे वापस लौटा दिए जाएंगे। स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह ध्यान रखा जाएगा कि कपड़े और बिस्तर नियमित रूप से बदले जाएं और संक्रामक रोग होने की स्थिति में कपड़ों और बिस्तर को भलीभांति डी–संक्रमित किया जाएगा

529 अस्पताल में प्रत्येक रोगी को एक मैट्रेस, एक तकिया और सफेद चादरें दी जाएंगी।

530 यदि मिर्गी से ग्रस्त कोई व्यक्ति कोठरी में रखा गया हो, तो उसे एक मोटा गद्दा दिया जाएगा और फर्श पर सुलाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ऊंची शैया पर सोने की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

संक्रामक रोगियों का पृथक्करण

531 संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल पृथक किया जाएगा और उसे पूरी कड़ाई के साथ उस समय तक अलग रखा जाएगा, जब तक कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इस ऐहतियाती उपाय को समाप्त करना उचित न समझे। चिकित्सा अधिकारी किसी संक्रमित कपड़े या बिस्तर को धोने–विसंक्रमित करने या नष्ट करने के बारे में लिखित आदेश देगा, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि आदेश पर अमल किया गया है।

कारागार अस्पताल मं बंदियों का पृथक्करण

532 यौन रोगों से ग्रस्त बंदियों को पृथक रखा जाएगा।

533 पेचिस और अतिसार के रोगियों का यथा संभव अलग वार्ड में उपचार किया जाएगा। ऐसे रोगियों के लूज़ स्टूल को विसंक्रमित और अग्नि द्वारा नष्ट किया जाएगा। ऐसे रोगियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी वार्डों, बिस्तरों, कपड़ों और शौचालय से संबंधित उपकरणों को भलीभांति विसंक्रमित किया जाएगा।

534 फेफड़ों संबंधी क्षय रोग के सभी मामलों को विशेष वार्डों में अलग रखा जाएगा। अन्य बंदियों में संक्रमण न फैले, इसके लिए आवश्यक ऐहतियात बरती जाएगी।

535 असामान्य रूप से तिल्ली (स्पलीन) के बढ़ जाने से संबंधित सभी मामलों में त्वचा पर सीमाएं अंकित की जाएंगी और उनके लिए विशिष्ट वस्त्र प्रदान किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि स्पलीन को चोट न पहुंचे।

536 स्कैबीज़, मम्प्स, खसरा आदि मामूली संक्रमण वाली बीमारियों की भी किसी भी तरह से उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। समूची अवधि के लिए पृथक्करण लागू किया जाना चहिए। स्कैबीज़ के मामलों में नियमानुसर अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसे रोगी को अन्य बंदियों से अलग रखा जाना आवश्यक है।

537 उन्माद के लक्षणों वाले बंदियों को, यदि वे खतरनाक, शोर गुल करने वाले या अश्लील हों, तो उन्हें अस्पताल में नहीं रखा जाएगा। परंतु, उन्हें अलग सेल में रखा जाएगा।

538 कुछ मामलों में अस्पतालों में बंदियों के लिए कुछ रोजगार प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। अतः उन्हें हल्का फुल्का काम दिया जाना चाहिए।

539 ऐसे मामलों में जहां, रोगी बंदी को कारागार अस्पताल में व्यवस्थित करना संभव न हो, तो ऐसे बंदियों को अस्पताल के बाहर प्रबंधन के लिए प्रथम रैफरल के रूप में निर्दिष्ट अस्पताल में भेजा जाएगा। किसी रोगी के गंभीर या अचेतन होने की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी कारागार से अस्पताल तक रोगी के साथ रहेगा।

540 जहां कहीं आवश्यक हो, बंदियों के मामले विशेषज्ञतापूर्ण सरकारी चिकित्सा संस्थान को रैफर किए जाने चाहिएं और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए।

छद्म रोगी बंदियों का उपचार

541 यदि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि कोई बंदी बीमार होने का बहाना कर रहा है, तो वह इस तथ्य की रिपोर्ट तत्काल अधीक्षक को करेगा। रोग का बहाना करने वाले बंदियों को कोई उपचार नहीं दिया जाएगा।

अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए बंदियों का उपचार

542 अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए प्रत्येक बंदी को या तो श्रम पर रखा जाएगा या रुग्ण समूह में रखा जाएगा, परंतु इस बारे में निर्णय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी करेगा।

रुग्ण समूहका संघटन

543 रुग्ण समूह में निम्नांकित शामिल होंगे :

I. ऐसे बंदी जो आयु अथवा शारीरिक कमजोरी के कारण कठोर या मध्यम श्रम करने में स्थायी रूप से अक्षम हों।

II. जिन्हें पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया हो, लेकिन जो अस्थायी रूप में कठिन अथवा मध्यम दर्जे का श्रम करने के लिए अनुपयुक्त हों।

III. सामान्यतः अस्वस्थ बंदी, भले ही वे उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से किसी में न आते हों। इस श्रेणी में ऐसे

बंदी आएंगे, जो हल्के श्रम के लिए उपयुक्त हों, स्कोरब्यूटिक (रक्तस्राव संबंधी) या मैलेरिक स्कोरब्यूटिक मसूढ़ों वाले बंदी, ऐसे बंदी जिनका वजन निरंतर कम हो रहा हो और रक्त की कमी वाले बंदी।

रुग्ण समूहके बंदियों के साथ व्यवहार

544 इस ग्रुप में आने वाले बंदियों को उनकी क्षमता के अनुकूल हल्का काम करने को दिया जाएगा और यथासंभव दिन और रात दोनों समय भोजन और पर्यवेक्षण के प्रयोजन से एक साथ रखा जाएगा। ऐसे बंदियों का एक रजिस्टर रखा जाएगा और इस ग्रुप में/से किसी बंदी को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बिना रखा/हटाया नहीं जाएगा। चिकित्सा अधीनस्थ द्वारा उसकी हर रोज जांच की जाएगी और सप्ताह में एक बार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी उसे देखेगा।

किसी बंदी की मृत्यु उपरांत प्रक्रिया

545 किसी बंदी की मृत्यु, जिसे हिरासत में मृत्यु कहा जाता है, के बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

546 जब कभी किसी कारागार में किसी एक महीने में बंदियों के मरने की दर एक प्रतिशत वार्षिक से अधिक हो जाए, तो रजिडेंट चिकित्सा अधिकारी मासिक रिटर्न में अधिक संख्या में हुई मौतों के बारे में एक स्पष्टीकरण दर्ज करेगा। असामान्य मौत के मामलों में वह इस विषय में महानिरीक्षक के माध्यम से सरकार को विशेष रिपोर्ट भेजेगा।

547 बंदी की मृत्यु के बाद प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, कारागार में ड्यूटी पर तैनात किसी अधिकारी की मृत्यु के मामले में भी लागू होंगे।

548 अधिनियम की धारा 15 के जरिए अपेक्षित रिकॉर्ड रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा केस बुक में दर्ज किया जाएगा।

549 **बंदी की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट** —(1) बंदी की मृत्यु होने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तत्काल एक रजिस्टर में

निम्नांकित ब्यौरा दर्ज करेगा, ताकि उसका पता लगाया जा सके :

(क) वह तारीख, जब मृतक बंदी ने पहली बार बीमारी अथवा घायल होने की शिकयत दर्ज कराई अथवा जिस दिन उसे बीमार या घायल देखा गया हो;

(ख) श्रम, यदि कोई हो, जिस पर उसे मृत्यु के दिन लगाया गया हो;

(ग) उस दिन के उसके भोजन का ब्यौरा;

(घ) उसे अस्पताल में भर्ती कराए जाने की तारीख;

(ङ) वह तारीख जिस दिन उसने पहली दफा चिकित्सा अधिकारी को बीमारी या घायल होने की सूचना दी जो;

(च) बीमारी और/अथवा क्षति का स्वरूप;

(छ) वह तारीख जब मृतक व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधीनस्थ द्वारा मृत्यु से पूर्व पहली बार देखा गया हो;

(ज) मृत्यु का संभावित कारण;

(2) मृत्यु की रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा तत्काल अधीक्षक और महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।

(3) महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की मृत्यु सहित सभी मौतों की सूचना चाहे वह कारागार में किसी भी कारण से हुई हो, अधीक्षक द्वारा निम्नांकित को भेजी जाएगी :—

(क) सचिव, गृह विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार;

(ख) महा पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (यदि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील बकाया हो);

(ग) सम्बद्ध अदालत;

(घ) सम्बद्ध अदालत परिसर के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट;

(ङ) सम्बद्ध जिला, दिल्ली के पुलिस उपायुक्त;

(च) सम्बद्ध पुलिस स्टेशन, दिल्ली के एसएचओ;

(छ) मृतक के आवासीय पते से सम्बद्ध पुलिस स्टेशन के एसएचओ;

(ज) सम्बद्ध एसएचओ;

(झ) दिल्ली क्षेत्र के सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट।

(4) निम्नांकित को भी जानकारी भेजी जाएगी, अर्थात् :

(क) महापंजीयक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग;

(ख) दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिव;

(ग) कारागार के प्रभारी मंत्री के सचिव;

(घ) कारागार महानिरीक्षक, कारागार मुख्यालय, नई दिल्ली; और

(ङ) तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी।

(5) अधीक्षक मामले की रिपोर्ट तत्काल स्थानीय पुलिस और सम्बद्ध अदालत परिसर के मुख्य मेट्रो पोलिटिन मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट, जिसके अधिकार क्षेत्र में मृत्यु घटित हुई हो, को करेगा, ताकि संहिता के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार जांच संचालित की जा सके।

कारागार में जन्म/मृत्यु का पंजीकरण

550 कारागार उप–अधीक्षक कारागार में होने वाले प्रत्येक जन्म और घटित होने वाली मृत्यु की लिखित सूचना जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1969 का 18वां केंद्रीय अधिनियम) के तहत इस प्रयोजन के लिए स्थानीय रूप में नियुक्त रजिस्ट्रार को भेजेगा।

हिरासत में मौत

551 ऐसे सभी बंदियों, जिनकी उंगलियों के निशान लिए गए हों, और यदि वे कारागार में ज्ञात हों, की मृत्यु की सूचना तत्काल फिंगर प्रिंट ब्यूरो को दी जाएगी।

552 किसी सैन्य बंदी की कारागार में मृत्यु होने की स्थिति में उसकी सूचना तत्काल उसे कैद में भेजने वाले कमांडिंग आफिसर को दी जाएगी।

553 किसी विदेशी बंदी की कारागार में मृत्यु होने की स्थिति में उसकी सूचना तत्काल महानिरीक्षक (कारागार) को दी जाएगी ताकि आगे सरकार को भेजी जा सके। सरकार मृत्यु के बारे में दूतावास को अथवा समुचित प्राधिकारी को भेजेगी।

554 किसी ऐसी महिला बंदी, जो अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गई है, की कारागार में मृत्यु होने पर उसकी सूचना सरकार को भेजी जाएगी, जो बच्चे की देखभाल के लिए उपयुक्त समझी गई व्यवस्था करेगी।

555 किसी दोषी बंदी की कारागार में मृत्यु होने की स्थिति में उसका वारंट उस अदालत को वापस किया जाएगा, जिससे वह जारी किया गया था। वारंट पर मृत्यु के कारण और तारीख की प्रमाणित प्रविष्टि की जाएगी। किसी रिमांड अथवा अभियोगाधीन बंदी की कारागार में मृत्यु होने पर इस तथ्य की लिखित जानकारी तत्काल अदालत/अदालतों को भेजी जाएगी, जहां मृतक के खिलाफ मामला/मामले बकाया हो/हों।

अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट

556 यदि किसी बंदी की मृत्यु घटित होती है, तो अधीक्षक मामले से संबंधित परिस्थितियों की विस्तृत जांच करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी अधिकारी द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में कोई ढिलाई या लापरवाही तो नही हुई, अथवा कारागार प्रशासन की कार्य प्रणाली में कोई कमी या त्रुटि तो नहीं रही, जिसकी वजह से मृत्यु हुई हो। यह रिपोर्ट तत्काल महानिरीक्षक को अग्रसारित की जाएगी और ऐसा करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के नतीजों का इंतजार नहीं किया जाएगा। महानिरीक्षक, जहां उचित समझे, वहां दोषी अधिकारी/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा अथवा स्थिति अनुसार कमी या त्रुटि को दूर करेगा।

557 मृतक बंदी अथवा महिला बंदी के मृतक बच्चे का शव जांच करने वाले अधिकारी के निरीक्षण और आदेश के लिए रखा जाएगा।

पोस्टमार्टम

558 जांचकर्ता मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुसार पोस्टमार्टम या शव परीक्षण ऐसे सरकारी अस्पताल में किया जाएगा, जहां पर ऐसी सुविधाएं हों।

बंदियों की मौत पर रिपोर्ट

559 किसी बंदी की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट अधीक्षक द्वारा अविलंब कारगार महानिरीक्षक को भेजी जाएगी ताकि उसे आगे सरकार को भेजा जा सके। इस रिपोर्ट के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिपोर्टें, नामित दस्तावेज, निर्णयों की प्रतियां, दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 15 के तहत अपेक्षित रिपोर्टें और गवाहों के बयान संलग्न किए जाएंगे। एनएचआरसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार पोस्टमार्टम परीक्षा का वीडियोग्राफ तैयार किया जाएगा।

560 **मजिस्ट्रेट की जांच पर कार्रवाई** : यदि मजिस्ट्रेट की जांच से प्रकट होता है कि मृत्यु अस्वाभाविक कारणों से या नियम विरुद्ध कार्य से या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, तो अधीक्षक तत्काल जांच रिपोर्ट की एक प्रति इलाके की पुलिस को भेजेगा, ताकि दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ समुचित मामला दर्ज हो सके।

561**मजिस्ट्रेट की जांच के परिणामों से असहमति होने पर कार्रवाई**: यदि कारागार प्रशासन मजिस्ट्रेट की जांच के निष्कर्षों से अलग राय रखता है, तो महानिरीक्षक मजिस्ट्रेट की जांच के निष्कर्षों से अलग राय के बारे में व्यापक कारणों का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई का निर्णय सरकार करेगी।

562 **बीमारी के कारण मृत्यु** : यदि किसी बंदी की मृत्यु का संभावित कारण कोई ऐसी बीमारी हो, जिसके महामारी का रूप लेने की आशंका हो, तो अधीक्षक द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ सलाह–मशविरा करके तत्काल उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि ऐसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी ऐहतियाती कदम उठाए जा सकें।

563**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट** : प्रत्येक मृत्यु का रिकॉर्ड अधीक्षक और कारगार मुख्यालयों द्वारा समुचित रूप में रखा जाना चाहिए। मृत्यु के बारे में सूचना निर्धारित प्रपत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सरकार को मौत के 24 घंटे के भीतर भेजी जानी चाहिए।

564 यदि मृतक बंदी के संबंधी निर्धन हैं, तो ऐसे बंदी का शव उसके पैतृक स्थान तक पहुंचाने अथवा उसकी अंत्येष्टि के लिए, उन्हें एक उपयुक्त राशि अदा की जानी चाहिए, जिसकी अधिकतम सीमा समय–समय पर महानिरीक्षक (कारावास) द्वारा निर्धारित की जाएगी।

मृत्यु का रिकॉर्ड रखना

565 किसी बंदी की मृत्यु से संबंधित प्रविष्टियां सम्बद्ध रजिस्टरों, हिस्ट्री टिकट और अस्पताल के रिकॉर्ड में तफसीलवार दर्ज की जाएंगी। किसी बंदी की मौत से संबंधित रिकॉर्ड कम से कम दो वर्ष के लिए संरक्षित रखा जाएगा।

बंदियों के शवों का निपटान

566 किसी बंदी के शव, महिला बंदी के साथ रह रहे बच्चे के शव सहित, जिसकी मृत्यु कारागार में अथवा सिविल अस्पताल में या शरणस्थल में हुई हो, की अंत्येष्टि निम्नांकित तरीके से की जाएगी :–

I. अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों, यदि वे उपलब्ध हों, को सौंपा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए उसे अस्पताल के शवगृह में रखा जा सकता है।

II. महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा तय की गई उपयुक्त समयावधि, परंतु जो 48 घंटे से अधिक नहीं होगी, के भीतर यदि किसी संबंधी या मित्र के, पहुंचने की संभावना न हो, तो कारागार प्राधिकारी अस्पताल नियमों के अनुसार शव का निपटान करेंगे।

III. संबंधी या मित्रों को शव की सुपुर्दगी इस शर्त पर की जाएगी कि उसे लेने के बाद किसी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन न हो।

IV. कारागार अधीक्षक प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए पहचान परीक्षण करेगा कि शव बंदी विशेष का है और इस बात की भलीभांति पड़ताल करेगा कि कारागार रजिस्टर में उल्लिखित पहचान के चिह्न शव पर अंकित चिह्नों से मेल खाते हैं। वह इस आशय का प्रमाणपत्र रजिस्टर में दर्ज करेगा।

कपड़ों और बिस्तर के लिए इंडेंट

567 अस्पताल में इस्तेमाल के लिए अपेक्षित कपड़े और बिस्तर की जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कारागार अधीक्षक को तय समय के भीतर दी जाएगी, जो उसे महानिरीक्षक की मंजूरी के लिए भेजी जाने वाली कारागार वस्त्रों की सामान्य इंडेंट सूची में शामिल करेगा।

वस्तुआं और दवाओं के लिए मांग–पत्र

568 दवाओं, उपभोगीय वस्तुओं और उपकरणों की खरीद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

569 चिकित्सा वस्तुओं का निपटान जैसे क्लिनिकल कचरा, अवधि समाप्त दवाओं आदि का निपटान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्टॉक की जांच

570 चिकित्सा उपकरणों की स्टॉक जांच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रविधि के अनुसार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

अनुचरों की नियुक्ति और नर्सिंग अर्दलियों का प्रशिक्षण

571 बीमार बंदियों की तीमारदारी के प्रयोजन से अच्छे आचरण वाले कुछ शिक्षित दोषी बंदियों, जिनकी सजा की अवधि लंबी हो, का चयन अधीक्षक द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की सलाह से अनुचरों के रूप में किया जाएगा और उन्हें नर्सिंग अर्दलियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।उनके प्रशिक्षण के लिए संक्षिप्त सिलेबस चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए तैयार किया जाएगा, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन के तहत ऐसे प्रशिक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। नर्सिंग अर्दलियो के रूप में नियोजित दोषी बंदियों की संख्या सामान्यतः प्रत्येक दस रोगियों के लिए एक के अनुपात में होगी। महामारियों और अन्य आपात स्थितियों के समय यह अनुपात बढ़ सकता है और अत्यंत गंभीर रोगियों या बिस्तर से न उठ पाने वाले रोगियों के लिए विशेष अर्दलियों की अनुमति ली जा सकती है। ड्यूटी का संतोषजनक निष्पादन

करने वाले दोषी नर्सिंग अर्दलियों को नियमानुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

अस्पताल में कार्यों के निष्पादन के लिए बंदियों की नियुक्ति

572 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की सलाह से अधीक्षक पर्याप्त संख्या में दोषी बंदियों को अस्पताल में अकुशल कार्यों के निष्पादन के लिए तैनात कर सकता है। ऐसे दोषी बंदी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के आदेशों के अंतर्गत रहेंगे। केवल लंबी अवधि की सजा काट रहे बंदियों और जिनका आचरण अच्छा रहा हो, को ही ऐसी ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा।

केस शीट

573 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार केस शीट और टैम्प्रेचर चार्ट तैयार किया जाएगा।

कारागार में प्रवेश पर बंदियों का टीकाकरण

574 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार कारागार में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बंदी का प्रवेश के समय अथवा बाद में यथाशीघ्र टीकाकरण किया जाएगा।

टीकाकरण रजिस्टर

575 टीकाकरण के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार टीकाकृत बंदियों का ब्यौरा उसमें दर्ज किया जाएगा।

स्टाफ को चिकित्सा सहायता प्रदान करना

576 स्टाफ के सदस्यों की चिकित्सा जांच कारागार के अधीक्षक की सलाह के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य की जाएगी। ऐसे चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट अधीक्षक के कार्यालय में रखी जाएगी।

हर पखवाड़े पर वज़न करना

577 इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बंदियों का पाक्षिक भार मापन दिन में लगभग एक ही समय किया जाए ताकि दिनभर आने वाले स्वाभाविक अंतरालों से यथासंभव बचा जा सके।

स्पष्टीकरण : सामान्य स्थितियों में शरीर का वजन समय–समय पर घटता–बढ़ता रहता है। इसलिए भार में एक

किलोग्राम तक का मामूली अंतर यह नहीं दर्शाता कि वजन लापरवाही से किया गया है।

578 रविवारों के दिन चूंकि कोई श्रम नहीं करना होता है, इसलिए वजन करने के लिए रविवार का दिन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। श्रम करने वाले बंदियों की संख्या अधिक हो तो उन्हें दो समूहों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक समूह के बंदियों का वजन वैकल्पिक रविवार को किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए अधीक्षक द्वारा तैनात किए गए अधिशासी स्टाफ के सदस्य की सहायता ली जा सकती है।

भार का रिकॉर्ड

579 कारागार में प्रवेश के समय प्रारंभिक भार और रिहा किए जाने से पहले अंतिम भार का उल्लेख दोषी रजिस्टर में किया जाएगा और इसे तथा समय–समय पर किए गए पाक्षिक वजन का रिकॉर्ड बंदी की मेडिकल हिस्ट्री शीट और भार चार्ट में दर्ज किया जाएगा।

580 बंदी का भार दर्ज करने से पहले इस बात की जांच की जाएगी कि भार करने वाली मशीनें सही हैं।

भार गंवाने वाले बंदियों का उपचार

581 कारागार में प्रवेश के समय कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले दुर्बल शरीर के ऐसे बंदियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिनके भार में मामूली गिरावट भी गंभीर चिंता का विषय हो सकती है।

582 पाक्षिक भार जांच के बाद यथाशीघ्र प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बेतरतीब आधार पर चुने गए एक दर्जन या उससे अधिक बंदियों के भार का मापन स्वयं करेगा ताकि भार मापन में परिशुद्धता से स्वयं को संतुष्ट कर सके और वह अपने जर्नल में आवश्यक समझी गई टिप्पणी दर्ज करेगा।

चिकित्सा रिकॉर्ड विभाग (एमआरडी)

583 प्रत्येक कारागार में एक प्रतिबद्ध चिकित्सा रिकॉर्ड विभाग होगा, जो मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी के तत्काल प्रभार के अंतर्गत रखा जाएगा। चिकित्सा रिकॉर्ड अधिकारी सीधे रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। वह रिकॉर्डों की सुरक्षित अभिरक्षा

और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार होगा। चिकित्सा रिकॉर्ड अधिकारी एमआरडी से संबंधित सभी अन्य मामलों में रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी को सहायता एवं सलाह भी प्रदान करेगा।

जैव चिकित्सा कचरे का निपटान (बीएमडब्ल्यू)

584 अस्पताल के जैव चिकित्सा कचरे का निपटान डीपीसीसी/एसपीसीबी/सीपीसीबी के स्थायी नियमों/विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय–8
बाहरी दुनिया से संपर्क

पत्र लिखने तथा मिलने और बातचीत के लिए दी जाने वाली उचित सुविधाएं :

सुविधाएं

585 प्रत्येक बंदी की अपील या ज़मानत की तैयारी या अपनी संपत्ति और पारिवारिक मामलों की देखरेख की व्यवस्था के लिए अपने परिवार के सदस्यों, संबधियों, मित्रों और कानूनी सलाहकारों से मिलने या बातचीत करने की अनुमति होगी। उसे अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों और कानूनी परामर्शदाताओं से सप्ताह में दो बार बातचीत की अनुमति दी जाएगी। बंदी अपने खर्च पर, जितने चाहे पत्र लिख सकेगा लेकिन सरकार, उसकी जरूरत पर एक महीने में केवल चार पोस्टकार्ड ही उपलब्ध कराएगी।

586 ऐसी ही सुविधाएं जुर्माने का भुगतान न करने पर कारागार में रखे गए बंदियों को भी मिलेंगी ताकि वे जुर्माने के भुगतान या प्रतिभूति देने की व्यवस्था कर सकें और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय VIII के तहत प्रतिभूति जमा कर सकें।

587 कारागार में आने पर प्रत्येक बंदी को उन व्यक्तियों की सूची सौंप देनी चाहिए, जो उनसे मिलने आ सकते हैं। उसे इन्हीं पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और संबंधियों से मिलने की अनुमति होगी। इन मुलाकातों में बातचीत सिर्फ निजी और घरेलू मामलों तक सीमित होनी चाहिए और इसमें कारागार प्रशासन, अनुशासन और अन्य बंदियों या राजनीति का जिक्र नहीं होना चाहिए। एक समय में किसी बंदी से मुलाकात करने वालों की संख्या सामान्य रूप से तीन तक सीमित होगी। कारागार अधीक्षक किसी भी मुलाकाती को किसी भी बंदी से मिलने से उचित कारणों से रोक सकते हैं।

अच्छे आचरण पर निर्भर सुविधाएं

588 सभी पत्र अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत विषयों के बारे में ही हों। विदेशों में रह रहे संबंधियों को भेजे जा रहे पत्रों पर डाक टिकट बंदी को अपने पैसों से खरीदने होंगे। यदि बंदी की जमा राशि में नकद न बची हो तो, विशेष मामलों में सरकारी

खर्च पर डाक टिकट दिए जा सकते हैं लेकिन ऐसा उचित अंतराल पर और कारागार अधीक्षक के निर्णय पर ही होगा। बंदियों को किसी भी हाल में इन सुविधाओं के दुरुपयोग की अनुमति नहीं होगी। एक महीने के लिए निर्धारित पत्रों के अतिरिक्त बंदियों को उनकी इच्छा व्यक्त करने पर, एक कारागार से दूसरी कारागार में भेजे जाने के बारे में अपने मित्रों और संबंधियों को सूचित करने के लिए एक विशेष पत्र की भी अनुमति दी जाएगी। पूर्व बंदियों और बार–बार कानून तोड़ने वालों को कारागार में बंद अपने मित्रों से मिलने की अनुमति जेल–अधीक्षक से तब तक नहीं मिलेगी, जब तक उस मुलाकात के लिए कोई ठोस और तर्कसंगत कारण न हो।

589 मुलाकातियों से मिलने और पत्र लिखने की ये सुविधाएं अच्छे आचरण पर ही निर्भर करती हैं। कारागार अधीक्षक बंदियों के बुरे आचरण के आधार पर ये सुविधाएं खारिज कर सकता है या वापस ले सकता है।

स्पष्टीकरण–1 प्रत्येक बंदी को कारागार में सुपुर्दगी के तुरंत बाद अपने परिवार को सूचित करने का विकल्प दिया जाएगा, उसे इसके लिए एक पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र/इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

स्पष्टीकरण–2केवल एक मुलाकात की व्यवस्था के लिए लिखे गए पत्र को इस नियम के तहत पत्र नहीं गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण–3 बंदी कारागार अधीक्षक की अनुमति से मुलाकात के लिए जवाब को या फिर मुलाकात के लिए अनुरोध को एक पत्र की जगह रख सकता है।

स्पष्टीकरण–4 बंदियों को अन्य कारागारों में बंद बंदियों से पत्र व्यवहार की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी बंदी के रिश्तेदार किसी अन्य कारागार में हैं तो उसे इस बारे में नियमों में निहित पाबंदियों के तहत पत्र लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

लघु अंतरालों पर सुविधाओं की मंजूरी के लिए कारागार अधीक्षक का विवेक सम्मत निर्णय :

590 यदि कारागार अधीक्षक को लगता है कि ऐसी रियायत के लिए विशेष या अत्यावश्यक कारण हैं तो वे बंदी के खराब आचरण के बावजूद छोटे अंतराल पर मुलाकात की मंजूरी दे सकते हैं या पत्र लिखने और प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसा बंदी के गंभीर रूप से बीमार होने, या किसी निकट संबंधी के निधन या काफी दूर से किसी मित्र या रिश्तेदार के मिलने आने और मुलाकात की अनुमति न मिलने पर उनके काफी मुश्किल में पड़ने या बंदी की रिहाई नजदीक आने और कोई रोजगार सुनिश्चित करने की उसकी इच्छा को देखते हुए या फिर कोई अन्य समुचित कारण से हो सकता है। महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे किसी निकट संबंधी के निधन की खबर, किसी भी समय कारागार अधीक्षक को दी जा सकेगी, जो जरूरी समझने पर इसे बंदी तक पहुंचाएंगे।

591 **बंदियों को पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर की अनुमति**

दोषी ठहराए गए प्रत्येक बंदी को अधीक्षक के निर्णय को अपनी संपति से संबंधित पॉवर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) या अन्य बयान/हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर करने या उसे अभिप्रमाण्ति करने की अनुमति होगी। यदि उसे कारागार अधीक्षक के फैसले पर आपत्ति है तो वह महानिरीक्षक, कारागार या कारागार का दौरा करने वाले न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है।

592 **बंदी से कारागार में या कारागार से बाहर अस्पताल में मुलाकात**

इन नियमों के प्रावधानों के तहत अधीक्षक विवाहित या खून के रिश्ते से जुड़े पुरुष और महिला बंदियों के बीच भी सप्ताह में कम से कम एक बार मुलाकात की अनुमति देंगे, यदि ये एक ही कारागार में या एक केंद्रीय कारागार में और दूसरा महिला कारागार में रखे गए हों। यदि किसी बंदी को ऐसी मुलाकातों के लिए कारागार से बाहर भेजा जाना हो तो उसे पर्याप्त सुरक्षा के साथ भेजा जाएगा।

593 कारागार अधीक्षक एक कंडेम्ड बंदी को छोड़कर अन्य बंदी को कारागार से बाहर अस्पताल में दाखिल बंदी से मिलने की अनुमति इन परिस्थितियों में ही देंगे :

I. अस्पताल में दाखिल बंदी उसके खून के रिश्ते में हो या पति या पत्नी हो और गंभीर रूप से बीमार हो;
II. अस्पताल उसी शहर में हो;
III. मुलाकाती बंदी कारागार अधीक्षक के निर्णय के अनुरूप कड़ी सुरक्षा में भेजा गया हो;
IV. बंदी को अस्पताल में भर्ती बंदी से मिलने के तुरंत बाद कारागार में लौटना होगा।

594 परन्तु, यह उपबंधित है कि इस नियम का कोई भी अंश निवारक गिरफ्तारी कानून के तहत हिरासत में रखे गए लोगों या भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 224, 376, 396 से 400, 402, 467, 471, 472, 474, 489, 489–ए, 489–बी और 489–डी के तहत दंडनीय अपराधो को आदतन अंजाम देने वाले बंदियों पर और भारतीय दंड संहिता, 1860 की उक्त धाराओं के तहत दंडित अभियुक्तों पर लागू नहीं होगा।

मुलाकात के लिए अधीक्षक की अनुमति आवश्यक

595 कारागार अधीक्षक की अनुमति के बिना किसी भी बंदी को किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

596 बंदियों से मुलाकात के लिए आवेदन या तो मौखिक, या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए किया जा सकता है। यदि बंदी को मुलाकात की अनुमति नहीं है, तो आवेदक को तुरंत सूचित किया जाना है।

मुलाकात के लिए सुविधाएं

597 प्रत्येक कारागार में समुचित 'प्रतीक्षा गृह' उपलब्ध कराया जाता है ताकि आगंतुक मुलाकाती बंदियों से मिलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकें। उन्हें अपनी बारी आने की प्रतीक्षा के लिए एक 'टोकन' दिया जा सकता है। कारागार अधीक्षक को उन बंदियो की सूची महानिरीक्षक, कारागार को सौंपनी होगी, जिनसे मिलने एक कैलेंडर वर्ष में कोई भी नहीं आया। महानिरीक्षक, कारागार इसके अभिप्रमाणित कारणों को लिखित प्राप्त करेंगे।

598 कारागार अधीक्षक मुलाकातियों के लिए पानी, बैठने की व्यवस्था, पंखा और शौचालय जैसी सुविधाओं का प्रबंध करेंगे। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन मुलाकातियों या दिव्यांगजन

बंदियों के लिए आवश्यकतानुसार समुचित सुविधाएं/ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। कारागार के प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुलाकात के लिए निर्धारित क्षेत्र दिव्यांगजनों के लिए सुगम हो। .....

599 अधीक्षक को कारागार परिसर से बाहर नोटिस बोर्ड पर ये सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी :

I. मुलाकातियों के पंजीकरण का समय
II. मुलाकात का समय
III. मुलाकात की अवधि
IV. मुलाकात कराए जाने वाले बंदियों की अनुक्रम सूची
V. उन वस्तुओं की सूची, जिन्हें बंदियों को दिया जाना निषेध है। तथा
VI. अन्य जरूरी उल्लेख।

कारागार अवकाश दिवसों पर भेंट

600 आमतौर पर रविवार और अन्य सरकारी अवकाश दिवसों पर मुलाकात की अनुमति नहीं है। हालांकि कारागार अधीक्षक बहुत ही अपवाद स्थिति में इन दिनों मे भी मिलने की अनुमति दे सकते हैं। रविवार या छुट्टियों के दिन मुलाकात की अनुमति देने का कारण अधीक्षक को दैनिकी (जर्नल या डायरी) में दर्ज करना होगा।

मुलाकात के लिए समय

601 अधीक्षक मुलाकात के लिए दिन और समय निश्चित करेंगे। अधीक्षक की विशेष अनुमति के बिना किसी अन्य समय पर मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। मुलाकात के समय और अवधि की जानकारी देने का नोटिस कारागार के बाहर लगा होना चाहिए।

मुलाकात का स्थान

602 प्रत्येक मुलाकात कारागार में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विशेष स्थान पर ही होगी। यदि संभव हो तो यह स्थान मुख्य द्वार पर या इसके निकट हो ताकि बंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भेंट कक्ष में फाइबर ग्लास का पार्टिशन तथा इंटरकॉम या अन्य नवीनतम प्रौद्योगिक सुविधाएं होनी चाहिए ताकि बंदियों को मुलाकात और बातचीत को शांत

सुविधाजनक माहौल मिल सके। मुलाकात का कमरा छोटे छोटे केबिन में बंटा होना चाहिए, और इसकी दीवारें तथा छत साउंड प्रूफ सामग्री से बनी होनी चाहिए। कारागार अधीक्षक को सुरक्षा और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आमने सामने की मुलाकात के लिए अच्छे आचरण वाले बंदियों को अनुमति देनी चाहिए।

603 महिला बंदियों से मुलाकात, यदि संभव हो, तो महिला वार्ड में ही होनी चाहिए।

604 यदि कोई बंदी गंभीर रूप से बीमार है तो अधीक्षक उसके साथ मुलाकात की व्यवस्था कारागार अस्पताल में या कारागार से बाहर के अस्पताल में किए जाने की अनुमति देंगे।

605 हालांकि अधीक्षक विशेष कारणों से, जिन्हें लिखित दर्ज किया जाना होगा, कारागार के किसी अन्य भाग में मुलाकात की अनुमति दे सकते हैं।

606 एक बंदी को सप्ताह में दो बार मुलाकात की अनुमति दी जा सकती है।

मुलाकात के दौरान निषिद्ध वस्तुओं के कारागार में प्रवेश पर रोक

607 बंदी और मुलाकाती के बीच बातचीत के दौरान कोई निषिद्ध वस्तु हस्तांतरित करने या आदान–प्रदान रोकने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, तो पर्दे या तार की जाली की दीवार लगाई जाएगी।

मुलाकात एक कारागार अधिकारी की उपस्थिति में होगी

608 बंदी के साथ प्रत्येक मुलाकात कारागार अधिकारी की उपस्थिति में होगी। मुलाकात के दौरान अधिकारी ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां से वह बंदी और मुलाकाती को देख के और उनके बीच होने वाली बातचीत सुन सके और साथ ही उनके बीच किसी चीज के आदान–प्रदान को भी रोक सके। महिला बंदियों से मुलाकात के दौरान एक महिला कारागार अधिकारी उपस्थित रहेगी।

609 मुलाकात की प्रक्रिया इस प्रकार होगी :

I. अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बंदी से मिलने की अनुमति देने से पहले मुलाकाती का पूरा विवरण,

महानिरीक्षक से जारी निर्देशों के अनुरूप, इस उद्देश्य से रखी पंजिका में पूरी तरह दर्ज किया जाए।

II. अधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मुलाकाती की पहचान समुचित रूप से हो गई हो।

III. अधीक्षक मुलाकातियों का पंजीकरण समय और मुलाकात की अवधि निर्धारित करेंगे।

IV. अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उच्च सुरक्षा और जोखिम वाले बंदियों से मुलाकात आम मुलाकातों से अलग समय पर रखी जाए।

V. एक आतंकवादी या उग्रवादी से मुलाकात, चाहे वह सज़ा काट रहा हो या विचाराधीन बंदी के रूप में रखा गया हो या निवारक गिरफ्तारी कानून के तहत हिरासत में हो, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में होगी, जिसका पद सहायक अधीक्षक से कम न हो।

VI. कारागार अधीक्षक उच्च सुरक्षा वाले बंदियों के उन मुलाकातियों के बारे में, जिनके नाम बंदी ने दिए हों, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जांच अभिकरण या किसी अन्य अभिकरण से, जैसा भी मामला हो, पूरी पुष्टि कर लेंगे। इसमें उच्च सुरक्षा वाले बंदियों से मिलने के लिए मुलाकातियों का नियमन होगा।

VII. ऐसे बंदियों से मिलने आने वाले उनके संबंधियों या मित्रों को राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या सरकार से जारी पहचान पत्र जैसे प्रामाणिक दस्तावेज देना होगा।

VIII. प्रत्येक मुलाकाती को एक फोटो पहचान पर्ची जारी की जाएगी, जिसमें उसकी पहचान और साथ के लोगों का ब्यौरा होगा।

IX. प्रत्येक कारागार/कारागार परिसर में आगंतुक पंजीकरण केंद्र होगा जिसमें मुलाकातियों को भेंट के लिए पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी।

X. मुलाकात के पंजीकरण के लिए टेली बुकिंग या ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी होनी चाहिए ताकि

मुलाकाती एक सप्ताह तक पहले ही भेंट पंजीकृत करा सकें। भेंट पंजीकृत करने वाले ऑपरेटर मुलाकाती को एक विशिष्ट पहचान संख्या देंगे और उसे भेंट की तिथि और समय बताएंगे।

XI. आगंतुक पंजीकरण केंद्र पर नियुक्त कर्मचारियों को अत्यन्त शालीन, व्यवहार कुशल और मददगार होना चाहिए।

XII. पंजीकरण केंद्र को ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस होना चाहिए, जिससे यहां से निषिद्ध वस्तुओं का प्रवेश संभव न हो।

XIII. प्रत्येक पंजीकरण केंद्र पर मुलाकातियों की मदद के लिए एक पूछताछ कार्यालय भी होना चाहिए। यह कार्यालय मुख्य रूप से आगंतुकों की सुविधाजनक पहुंच के लिए होना चाहिए। कार्यालय में आने वालों के लिए बैठने की जगह, वॉटर कूलर और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

610 नए दोष सिद्ध बंदियों को मुलाकात की अनुमति

क. प्रत्येक दोष सिद्ध नए बंदी को ज़मानत लेने या अपील की तैयारी के लिए अपने परिजनों या मित्रों से संपर्क करने की समुचित सुविधाएं मिलेंगी और यदि कारागार अधीक्षक जरूरी समझते हों तो संपत्ति या अन्य पारिवारिक मामलों की व्यवस्था के लिए बातचीत की भी अनुमति दी जा सकती है।

ख. अधीक्षक द्वारा ऐसी ही रियायत किसी विचाराधीन बंदी के निकट परिजन से मुलाकात के मामले में भी दी जा सकती है।

611 विदेशी नागरिकों से संपर्क या मुलाकात

क. किसी बंदी या हिरासती का वाणिज्य दूतावास को संबोधित कोई भी संदेश बिना किसी आवश्यक विलंब के उचित माध्यम द्वारा विदेश मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। ऐसे संदेशों की नियमानुसार जांच और सेंसर होगी। विदेशी नागरिको के आने–जाने वाले पत्रों में

यदि कोई आपत्तिजनक पाया जाता है तो उन्हें सेंसर किया जाएगा और सरकार के सामने भी रखा जाएगा।

ख. किसी बाहरी देश के वाणिज्य दूतावास अधिकारियों द्वारा किसी बंदी की अपील की कानूनी प्रक्रिया की तैयारी या किसी अन्य उद्देश्य से उससे मिलने की अनुमति मांगने पर कारागार अधीक्षक गृह विभाग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दूतावास के इस अनुराध से अवगत कराएंगे। समुचित सरकारी आदेश मिलने पर ही कारागार अधीक्षक वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को बंदी से मिलने की अनुमति देंगे।

स्पष्टीकरण : कारागार में किसी विदेशी नागरिक से भेंट के अधिकार का अर्थ निजी बातचीत नहीं है और इससे बंदी या हिरासती के रहने के कमरों के निरीक्षण का अधिकार भी नहीं मिलता। कारागार में मुलाकात संबंधी आम नियम इस पर भी लागू होते हैं।

मुलाकात समाप्त किया जाना

612 कोई भी मुलाकात किसी भी क्षण समाप्त की जा सकती है, यदि वहां उपस्थित कारागार अधिकारी इसे रोकने का पर्याप्त कारण पाता है। ऐसे किसी भी मामले में, कारागार में उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी को भेंट समाप्त करने का कारण तुरंत बताना होगा।

मुलाकात की अवधि

613 आमतौर पर मुलाकात के लिए दिया गया समय आधे घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कारागार अधिकारी विशेष या अपवाद परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ा सकते हैं।

मुलाकात से पहले और बाद में तलाशी

614 भेंट से पहले और बाद में प्रत्येक बंदी और मुलाकाती की सर्तकतापूर्वक तलाशी ली जाएगी।

615 यदि कोई मुलाकाती तलाशी लिए जाने से मना करता है तो कारागार अधीक्षक उसे मुलाकात से रोक सकते

हैं और इंकार का कारण, जानकारी के साथ जर्नल में दर्ज करना होगा।

मुलाकात से मना किए जाने का अधिकार

616 कारागा़र अधीक्षक, किसी भी बंदी के लिए इन नियमों के तहत सामान्य रूप से स्वीकृत मुलाकात की अनुमति देने से मना कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को बंदी से मुलाकात की अनुमति देना जनहित में नहीं है, या यदि मुलाकात से इंकार करने के अन्य पर्याप्त कारण हों, ऐसे प्रत्येक मामले में कारागा़र अधीक्षक को इंकार के कारणों को अपने जर्नल में दर्ज करना होगा।

617 अधीक्षक और उपाधीक्षक मुलाकात स्थलों का अक्सर दौरा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित कियाजा सके कि भेंट समुचित ढंग से हो रही है तथा मुलाकाती या बंदी को कोई परेशानी नहीं हो रही है।

618 मुलाकातियो की शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए कारागा़र अधीक्षक को कारागार के मुख्य द्वार के बाहर एक सहायक अधीक्षक की नियुक्ति भी करनी चाहिए।

मुलाकात के समय बंदियो को दी जा सकने वाली वस्तुएं

619 मुलाकाती, कारागा़र महानिरीक्षक द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप, बंदियों को अंतर्वस्त्र सहित कपड़े दे सकते हैं। किसी भी बंदी को अपने मुलाकाती से खाने–पीने की चीजें लेने की अनुमति नहीं होगी।

पत्र रोका जाना और उनके बारे में निर्णय लिया जाना

620 बंदियों के पत्र रोके जाने के आधार :

(i) बंदियों को केवल अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों और नज़दीकी मित्रों को पत्र लिखने की अनुमति होगी। उन्हें अपने मुकदमे को देख रहे वकीलों को भी पत्र लिखने की अनुमति दी जा सकती है। यदि बंदी किसी अवांछित व्यक्ति को पत्र भेजते या लेते हुए पाया जाता है या यदि पत्र व्यवहार बंदी के पुनर्वासन

के लिए अहितकर पाया जाता है तो ऐसे पत्र, भेजे जाने वाले और आने वाले, दोनों रोक लिए जाएंगे। बंदी को आए हुए पत्र में निहित बातें बताए बिना पत्र रोके जाने की जानकारी दे दी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे में चेतावनी भी दी जाएगी।

(ii)एक बंदी को आने वाले पत्रों की कोई सीमा तय नहीं होगी।

(iii) बंदियों को अन्य जेलों के बंदियों से पत्र व्यवहार की अनुमति नहीं होगी। लेकिन यदि किसी बंदी का रिश्तेदार किसी अन्य कारागार में बंद हो तो बंदी को उसे अपना हालचाल बताने के लिए पत्र भेजने की अनुमति दी जा सकती है।

(iv) कारागार अधीक्षक को सुरक्षा और अनुशासन के कारणों से या आपात स्थितियों के दौरान यदि वे जरूरी समझते हों तो बंदियों के पत्र रोकने की अनुमति होगी।

(v) इन नियमों के उद्देश्य के तहत, बंदियों द्वारा भेजे गए आवेदनों को पत्र नहीं माना जाना चाहिए।

(vi) एक बंदी को कोई भी पत्र तब तक न तो दिया जा सकता है, न उसके द्वारा भेजा जा सकता है, जब तक अधीक्षक इसके आपत्तिजनक न होने के बारे में संतुष्ट न हो जाएं। गोपनीय भाषा में लिखे गए किसी पत्र की अनुमति नहीं होगी। अधीक्षक किसी भी ऐसे पत्र को रोक सकते हैं, जो उन्हें किसी भी तरह से अनुचित या आपत्तिजनक लगता हो। वे पत्रों के ऐसे अंशों को हटा भी सकते हैं। यदि कोई भी पत्र स्थानीय भाषा में लिखा गया हो, और संबंधित कारागार में उसका संतोषजनक अनुवाद संभव न हो तो इसे अनुवाद के लिए किसी अन्य अधिकारी को भेजा जाएगा। कारागार महानिरीक्षक की अनुमति से ऐसे पत्र अनुवाद के लिए अन्य सरकारी विभागों को भी भेजे जा सकते हैं। यदि पत्र किसी ऐसी भाषा में है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आमतौर पर उपयोग में नहीं लाई जाती, तो

उसे अनुवाद के लिए आपराधिक अन्वेषण विभाग या किसी अन्य समुचित विभाग को भेजा जाएगा। अनुवाद के लिए बाहर भेजे जाने वाले पत्र पर "अर्जेंट/अत्यावश्यक" लिखी पर्ची लगी हो ताकि उनके अनुवाद और जांच में अनावश्यक विलंब न हो।

(vii) यदि किसी बंदी के लिए आया पत्र अनुचित और आपत्तिजनक है तो बंदी को बता कर उसे रोका जा सकता है और कारागार अधीक्षक की अभिरक्षा में रखा जा सकता है या बंदी की जानकारी में उसे प्रेषक को वापस भेजा जा सकता है। यदि कारागार अधीक्षक जरूरी समझते हैं तो ऐसे पत्र की विषयवस्तु बंदी को बतला सकते हैं।

पत्रों के निस्तारण संबंधो प्रक्रिया

621 कारागार अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि पत्रों को दिए जाने और भेजे जाने में अनावश्यक विलंब न हो।

बंदी पत्र अपने पास रख सकते हैं।

622 बंदी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी पत्र को अपने पास रख सकते हैं।

पत्रों का रिकॉर्ड रखा जाना

623 अधीक्षक बंदी द्वारा भेजे गए और प्राप्त किए गए सभी पत्रों का रिकॉर्ड रखेंगे।

लेखन सामग्री और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना

624 किसी भी बंदी को जिसे पत्र लिखने की अनुमति है, पोस्टकार्ड सहित लिखने की सामग्री उचित मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। बंदी सभी पत्र अधीक्षक द्वारा तय समय और स्थान पर ही लिखेंगे। सप्ताह में एक निश्चित दिन, आमतौर पर रविवार पत्र लिखने के लिए रखा जाएगा। बंदियों को डाक टिकट भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

625 बंदियों को अपने खर्च पर लेखन सामग्री खरीदने की अनुमति होगी। उन्हें दी जाने वाली सभी नोटबुक के पृष्ठों पर संख्या लिखी होगी ताकि उनके दुरुपयोग और गुप्त पत्र व्यवहार पर रोक लगाई जासके।

सुविधाओं से वंचित किया जाना

626 यदि कोई भी बंदी मुलाकात या पत्र लिखने या कारागार से बाहर के लोगों से संपर्क की सुविधाओं का अपमान करता है तो उसे इन सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है और कारागार अधीक्षक के जरूरी समझने पर अन्य प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

विचाराधीन या दीवानी बंदियों को सुविधाएं

627 विचाराधीन और दीवानी बंदियों को ये सुविधाएं दी जा सकती हैं :

(i) विचाराधीन और दीवानी बंदियों को मुलाकात या अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और कानूनी सलाहकारों को पत्र लिखने की सभी उचित सुविधाएं दी जाएंगी।

(ii) एक विचाराधीन बंदी और उसके कानूनी सलाहकार के बीच प्रत्येक मुलाकात एक कारागार अधिकारी की नजर के सामने लेकिन सुनने से परे होगी। विचाराधीन बंदी के निकट संबंधी के साथ मुलाकात में भी कारागार अधीक्षक द्वारा समान रियायत उपलब्ध होगी।

(iii) बंदियों के साथ मुलाकात प्रक्रिया का निरादर करने वाले किसी भी वकील को कारागार महानिरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट समय तक मुलाकात की मनाही रहेगी।

(iv) कारागार महानिरीक्षक कानून के तहत समुचित कार्रवाई के लिए, उस वकील के आचरण के बारे में संबंधित बार–काउंसिल को सूचित करेंगे।

(v) यदि कोई व्यक्ति विचाराधीन बंदी से उसके कानूनी सलाहकार के रूप में मिलना चाहता है तो उसे अपना नाम और पता तथा मुलाकात का उद्देश्य बताते हुए लिखित आवेदन करना होगा। उसे कारागार अधीक्षक को संतुष्ट करनाहोगा कि वह उस बंदी का वास्तविक कानूनी सलाहकार है, जिससे वह मिलना चाहता है और मुलाकात विधिसम्मत आवश्यकता के तहत है।

(vi) एक विचाराधीन बंदी का कानूनी सलाहकार को निर्देशों के रूप में लिखित संदेश उस कानूनी सलाहकार (अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अर्थ के अनुरूप एक अधिवक्ता) को या उसके अधिकृत नामित व्यक्ति को कारागार अधीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाएगा।

(vii) यदि ऐसा संदेश गोपनीय है तो इसे किसी पूर्व जांच के बिना सौंपा जाएगा। लेकिन संदेह होने की स्थिति में कारागार अधीक्षक अपने जर्नल में कारणों को दर्ज करने के बाद सौंपे जाने से पहले संदेश खोल सकते हैं और जांच कर सकते हैं।

(viii) दीवानी बंदी कारागार अधीक्षक के निर्णय के अनुसार तय समय और पाबंदियों के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों और कानूनी सलाहकारों से मिल सकते हैं और इस दौरान किसी कारागार अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। हालांकि ऐसे किसी भी मुलाकाती को अपने साथ खाने–पीने की चीजें कारागार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

एसे बंदी का संदेश जो राज्य विधानसभा या संसद का सदस्य हो

628 ऐसे बंदी के सभी संदेश जो राज्य विधानसभा या संसद का सदस्य हो, और संदेशउसके सदन के अध्यक्ष या सभापति, और सदन की समिति के अध्यक्ष (विशेषाधिकार समितिसहित), या राज्य विधानसभा या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समितियों के अध्यक्षों को संबोधित हों, तुरंत कारागार अधीक्षक द्वारा सरकार को भेजे जाएंगे ताकि उन पर सदन के सदस्य के रूप में बंदी के अधिकारों और विशेषाधिकारों के अनुरूप कार्रवाई हो सके।

टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश

629 कारागार अधीक्षक ''कारागार महानिरीक्षक'' द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एक

बंदी को अपने परिवार, मित्र और वकीलों से संपर्क के लिए टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के उपयोग की अनुमति, भुगतान करने पर दे सकते हैं। बंदी इस सुविधा का उपयोग अधीक्षक द्वारा नियुक्त कारागार अधिकारी की निगरानी में कर सकता है। एक बंदी को इन सुविधाओं के उपयोग की अनुमति देते समय अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुशासनहीन व्यवहार और खराब आचरण वाले बंदियों को ऐसी अनुमति न दी जाए।

630 बंदियो के लिए टेलीफोन कॉल प्रणाली सभी जेलों में लागू होगी ताकि बंदी महानिरीक्षक द्वारा समय समय पर जारी आदेशो के अनुरूप अपने परिवार के सदस्यों से टेलीफोन के ज़रिए बातचीत कर सकें। यह टेलीफोन सुविधा कारागार में सभी बंदियों के लिए उपलब्ध होगी और बंदी के अच्छे आचरण पर निर्भर करेगी। कारावास के दौरान बंदी द्वारा कारागार में किसी अपराध को अंजाम देने पर या टेलीफोन सेवा के अन्यथा दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में यह सुविधा अस्थायी या स्थायी रूप से हटाई जा सकती है।

631 सरकार के खिलाफ अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, मकोका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जन सुरक्षा कानून के तहत अपराधी और लूटपाट, डकैती, हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे घृणित अपराधों में शामिल तथा कारागार नियम तोड़ने वाले आदतन अपराधी और कारागार में साथ के बंदियों पर अक्सर हमला करने वाले बंदी जन सुरक्षा और व्यवस्था के हित में इस सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि कारागार अधीक्षक को उप महानिरीसक्षक (क्षेत्रीय) की पूर्व अनुमति से अलग–अलग मामलो के आधार पर समुचित निर्णय लेने का अधिकार होगा।

632 बंदी फोन कॉल सिस्टम में उंगलियों के निशान की बायोमैट्रिक मशीन या समुचित और उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी होनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। साथ ही बातचीत की शत–प्रतिशत रिकॉर्डिंग की सुविधा भी हो। टेलीफोन कॉल का खर्च बंदी द्वारा वहन किया जाएगा।

633. कारागार अधीक्षक एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें निम्नांकित कॉलम होंगे :

क. क्रम संख्या और तिथि

ख. बंदी का नाम और पिता का नाम

ग. अपराध

घ. टेलीफोन संख्या और जहां टेलीफोन किया जा रहा है, वह स्थान

ङ. टेलीफोन करने का कारण

च. कॉल की अविध

छ. अधीक्षक की टिप्पणी अनुरोध नामंजूर कर दिए जाने पर

ज. उपरोक्त का कारण

बंदियों से संबंधित अन्य सुविधाएं

634 बंदियों से संबंधित नियमों की एक प्रति प्रत्येक वार्ड के साझा क्षेत्र में लगाई जाएगी और बंदियों से वांछित और अवांछित क्रिया कलापों की एक एक प्रति उन्हें दी जाएगी। नियमों का सारांश कारागार के प्रवेश द्वार पर अंदर की तरफ और कारागार भवन की मुख्य दीवारों पर भी लगाया जाएगा।

635 किसी भी बंदी को मिलने आने वालों से खाने पीने की चीजें और प्रसाधन सामग्री लेने की अनुमति नहीं होगी।

अपील संबंधी सुविधाएं स्पष्ट समझनी हांगी

636 बंदियों को कारागार में प्रवेश के समय ही कल्याण अधिकारी/कारागार अधिकारी अपीलों के संदर्भ में सभी नियम तथा अपील तैयार करने और भेजने के

लिए कारागार में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से समझाएंगे।

कल्याण अधिकारी/सहायक अधीक्षक (बंदो) अपील के लिए बंदी की इच्छा को दर्ज करेंगे।

637 दोषी ठहराए जाने के बाद सहायक अधीक्षक (बदीं)/कल्याण अधिकारी यह पक्का करेंगे कि बंदी अपील दायर करना चाहता है या नहीं और इसे बंदी पंजिका और बंदी के विवरण पत्र (हिस्ट्री टिकट) पर दर्ज करेंगे। इस पर बंदी का हस्ताक्षर होगा या बाएं अंगूठे का निशान लगेगा। उपाधीक्षक या अधीक्षक बंदी की शारीरिक जांच के समय इसका सत्यापन और पुष्टि करेगे और इस बारे में रिपोर्ट जिला और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली को भेजी जाएगी।

कारागार अधीक्षक अपील याचिकाएं अग्रसारित करेंगे

638 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 383 के तहत कारागार में बंद अपीलकर्ता अपनी याचिका/अपील और इसके साथजरूरी दस्तावेज कारागार अधीक्षक को सौंपेगा, जो बाद में इस पर हस्ताक्षर कर, सरकारी खर्च पर इसे समुचित अपील अदालत को अग्रसारित करेंगे। ऐसी सभी अपील याचिकाएं हमेशा रजिस्टर्ड डाक से या निर्दिष्ट नोडल एजेंसी जैसे डीएसएलएसए के जरिए भेजी जाएंगी।

टिप्पणी–1 : अधीक्षक किसी भी बंदी की अपील अग्रसारित करने से इंकार नहीं कर सकते, चाहे उस पर कोई पाबंदी लगाई गई हो या नहीं।

टिप्पणी–2 : बंदी की ओर से तैयार की गई अपील भेजे जाने से पहले अधीक्षक की उपस्थिति में बंदी को पढ़ कर सुनाई जानी चाहिए। बंदी के इसे अनुमोदित करने पर अधीक्षक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे और इस पर कारागार की सरकारी मुहर लगवाएंगे।

टिप्पणी–3 : बंदी की कोई भी अपील किसी भी कारण से अधीक्षक द्वारा रोकी नहीं जा सकती।

639 **उच्च या उच्चतम न्यायालय को सजा स्थगन की प्रार्थना करने वाली याचिकाएंअग्रसारित करने की प्रक्रिया** : सज़ा निलंबन करने के अनुरोध वाली याचिकाएं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अग्रसारित करते समय अधीक्षक इसके साथ बंदी का सामान्य विवरण (2 प्रतियां) संलग्न करेंगे। अधीक्षक याचिका में रखे गए बिंदुओं पर तथ्यपूर्ण वास्तविक जानकारी भी देंगे ताकि न्यायालय को याचिका शीघ्र निपटाने में सुविधा हो।

फैसले की प्रति के लिए आवेदन

640 यदि फैसले की प्रति बंदी को नहीं मिलती है तो अधीक्षक उसकी तरफ से अदालत से तुरंत उसे भेजने का अनुरोध करेंगे। यदि अपील, पुनरीक्षण या अन्य अदालत द्वारा बंदी को फैसले की प्रति भेजी जाती है तो संबंधित अधिकारी इसे बंदी को सौंप देंगे और इससे लिखित पावती लेंगे। यदि फैसले की प्रति पाने से पहले बंदी को दूसरी कारागार में भेज दिया गया हो या किसी अन्य अधिकारी की हिरासत में दिया गया हो तो फैसले की प्रति बिना विलंब के उस कारागार के अधीक्षक या उस अधिकारी को अग्रसारित कर दी जाएगी। जब तक बंदी को फैसले की प्रति/प्रतिलिपि नहीं मिल जाती, कारागार अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित न्यायालय को प्रति भेजने के लिए अनुरोध पत्र प्रत्येक सप्ताह भेजा जाए। यदि संबंधित अदालत को आवेदन भेजने के एक महीने के अंदर प्रति नहीं मिलती है तो अधीक्षक एक कारागार अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत जाकर फैसले की प्रति लेने और बंदी को सौंपने का जिम्मा देगा।

बंदियों को अपील दायर करने में सहयोग करना

641 अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर करने में बंदी के मदद मांगने पर उसे इस अधिकार के उपयोग के लिए कारागार अधीक्षक द्वारा प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करायी जानी होगी। यदि बंदी अपील दायर करना चाहता है

और यह घोषित कर देता है कि उसका कोई मित्र, संबंधी या एजेंट नहीं है जो उसकी ओर से अपील कर सके तो उसे लिखने की सामग्री उपलब्ध करानी होगी और खुद अपनी याचिका या अपील लिखने देना होगा।

642 यदि बंदी लिख नहीं सकता है तो कारागार से संबद्ध कानूनी सहायता प्रकोष्ठ उसकी अपील याचिका तैयार करेगा। अधीक्षक अपील तैयार करने में बंदियों की मदद करेंगे ताकि मियाद की अवधि पूरी होने से पहले अपील की जा सके। एक बंदी को जिसकी अपील या याचिका उसकी ओर से किसी अन्य ने लिखी है, खुद को अभिव्यक्त करने का पूरा मौका दिया जाएगातथा उसका मुकदमा, जहां तक संभव हो, उसके अपने शब्दों में रिकॉर्ड किया जाएगा। अपील याचिकाओं का प्रिंटेड फार्म इस्तेमाल नहीं होगा।

दया याचिका

643 प्रत्येक बंदी को सरकार से दया के लिए याचिका दाखिल करने की अनुमति होगी। उसे ऐसी याचिका तैयार करने और दाखिल करने के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। मृत्युदंड के खिलाफ याचिकाओं को छोड़ कर ऐसी सभी यचिकाओं के साथ अभियोजन अदालत और किसी ऊपरी अदालत, जिन्होंने अपील की सुनवाई की हो, के फैसले की प्रतियां लगी होनी चाहिए।

644 **बंदियों द्वारा उच्चगणमान्य व्यक्तियों को दिए गए अभिवेदन/ज्ञापन के निस्तारण की प्रक्रिया**

बंदी सरकार और भारत सरकार के किसी प्राधिकरण को अभिवेतन या ज्ञापन दे सकते हैं। कुछ भी आपत्तिजनक न पाए जाने और व्यवस्थित होने पर अधीक्षक इसे संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण को अग्रसारित करेंगे। यदि अधीक्षक को कोई भी अभिवेतन आपत्तिजनक लगता है तो वह इसे अपनी टिप्पणियों के साथ समुचित कार्रवाई के लिए सरकार को भेजेंगे।

अपील के लिए विशेष अनुमति

645 अपील के लिए विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल किए जाने की संचालन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय की 1950 की नियमावली के आदेश क्रम XIII के नियम 1, 2, 3 और4 तथा XVIII के नियम 1 और 4 तथा XVI के नियम2 में निहित है। ये नियम व्यवस्था देते हैं कि अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका एक समुचित प्रपत्र में होनी चाहिए और साथ ही ये दस्तावेज भी होने चाहिए।

I. अदालत के फैसले की अभिप्रमाणित प्रति

II. इस आशय का हलफनामा कि विशेष अनुमति याचिका का नोटिस प्रतिवादियों को भेज दिया गया है।

III. उच्चतम न्यायालय नियमावली, 1950 के आदेश XVII के नियम 4 के अनुसार याचिका के समर्थन में हलफनामा।

IV. यदि याचिका आदेश XIII के नियम 1 और आदेश XXI के नियम 2 से निर्धारित मीयाद अवधि खत्म होने के बाद दाखिल की गई हो, तो देरी की माफी के लिए आवेदन।

V. निचली अदालत के फैसलों की अभिप्रमाणित प्रतियां

646 कारागार अधीक्षक बंदियों को कानूनी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन श्रेणियों के बंदियों की सूची ड्यूटी अधिवक्ता,उच्च न्यायालय के सरकारी/राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय के विधि सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय के विधि सेवा अधिकरण तक पहुचाएंगे और साथ ही जिला कानूनी सेवा अधिकार से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेंगे।

1. गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं सहित ऐसे विचाराधीन बंदी, जो वृद्ध और अशक्त हों,
2. ऐसे विचाराधीन बंदी, जो तीन महीने से अधिक कारागार में गुजार चुके हों और जिनके पास वकील कर सकने लायक कोई साधन न हो।

3. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 के तहत संदेह के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति, जो कारागार में 15 दिन से अधिक गुजार चुके हों।
4. ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके लिए अधीक्षक का मानना हो कि उनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है और उन्हें वयस्क बंदियों से अलग रखा जाना चाहिए।
5. ऐसे दोष–सिद्ध बंदी, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अनुरूप अपील दायर कर चुके हैं और जिन्होंने निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए जाने की इच्छा लिखित सौंपी है। कारागार अधीक्षक ऐसी अपील के बारे में, उसके ज्ञापन की एक प्रति के साथ, यदि उपलब्ध हो, तो ड्यूटी अधिवक्ता को जानकारी देंगे।

647 कानूनी सहायता मांगे जाने के बारे में जानकारी अधीक्षक द्वारा ड्यूटी अधिवक्ता/कानूनी सहायता अधिवक्ता को दी जाएगी, यदि ड्यूटी अधिवक्ता चाहता है तो वह इस बारे में बंदी से बातचीत कर सकता है।

648 कंडेम्ड बंदियों की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका पर लागू होने वाले प्रावधान अन्य अभियुक्तों की ओर से दाखिल की जाने वाली ऐसी याचिकाओं पर भी लागू होंगे।

फैसले की प्रति हासिल करने में लगा समय

649 बंदियों के हिस्ट्री टिकट में समुचित स्थान पर अनुमति याचिका के लिए इच्छा व्यक्त करने की तिथि भी डाली जानी चाहिए। यह तिथि तथा बंदी को फैसले की प्रति सौंपे जाने की तिथि के बीच के समय को, परिसीमा अधिनियम (लिमिटेशन एक्ट), 1963 (1963 के केंद्रीय अधिनियम 36) की धारा 12 के अनुसार आदेश की प्रति हासिल करने या सज़ा के खिलाफ अपील में लगने वाला समय माना जाएगा।

650 परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 के केंद्रीय अधिनियम 36) के तहत विभिन्न अदालतों में अपील दाखिल करने के लिए स्वीकृत अवधि इस प्रकार है :–

अपील का विवरण	सीमा अवधि	अवधि की

		शुरुआत
(1)	(2)	(3)
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क. किसी सत्र न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने मूल आपराधिक न्याय क्षेत्र के तहत दी गई मृत्यु दंड की सजा से।	30 दिन	सजा की तिथि
ख. किसी अन्य सज़ा या किसी आदेश, जो बरी किए जाने संबंधी आदेश न हो, से।	60 दिन	सज़ा या आदेश की तिथि
I. उच्च न्यायालय के लिए II. किसी अन्य अदालत के लिए	30 दिन	सज़ा या आदेश की तिथि

651 अपीलीय अदालत में परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 का केंद्रीय अधिनियम 36) के तहत आपराधिक अपील के लिए निर्धारित अवधि सीमा की गणना के लिए प्रत्येक अपील याचिका में कारागार अधीक्षक से हस्ताक्षरित यह नोटिस होना चाहिए।

''परिसीमाअधिनियम 1963 (1963 का 36वां केंद्रीय अधिनियम) की धारा 12 के तहत अपील किए गए आदेश की प्रति हासिल करने के लिए अपेक्षित समय, जिसे परिसीमा अवधि से बाहर रखा जाना है, ...दिन था''।

याचिका तैयार करने में हुए विलंब को दर्ज करना

652 फैसले की प्रति प्राप्त होने के बाद यदि अपील या समीक्षा याचिका की तैयारी में विलंब होता है, तो इस बारे में अपील या समीक्षा याचिका पर टिप्पणी साथ होनी चाहिए।

कल्याण अधिकारी/कारागार अधिकारी द्वारा पंजीकृत अपीलों की व्यवस्था

653 कल्याण अधिकारी/कारागार अधिकारी एक अपील रजिस्टर रखेगा। वे आवश्यकता पड़ने पर कारागार अधीक्षक या उपाधीक्षक के समक्ष यह रजिस्टर पेश करेंगे। बंदी ने जिस दिन अपील दाखिल करने की इच्छा व्यक्त की है, उस तिथि से लेकर अपीलीय अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि तक पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्रवाई की सभी तिथियों को अपील पंजिका में देना होगा और इन्हें कारागार अधीक्षक या उपाधीक्षक से अभिप्रमाणित किया जाना होगा। इसमें वे तिथियां भी शामिल करनी होंगी, जिस पर फैसले की प्रति के लिए अनुरोध भेजा गया, फैसले की प्रति ली गई, बंदी या अन्य नामित पक्ष को प्रति सौंपी गई, और जिस तिथि पर बंदी से अपील प्राप्त की गई।

654 कारागार अधीक्षक या अपर अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील–याचिकाओं को निपटाने की प्रक्रिया में कोई विलंब न हो। कल्याण अधिकारी अधीक्षक या अपर अधीक्षक/उपाधीक्षक के प्रति इन मामलों में सीधे जिम्मेदार होंगे। अपील/याचिकाओं को अग्रसारित करने के बाद अधीक्षक अपील अदालत के लिपिक/रजिस्ट्रार को निम्नांकित अनुसार अनुस्मारक भेजेंगे

क. सत्र अदालत –15 दिन में एक बार

ख. उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय –महीने में एक बार

सुनवाई की तिथि के बारे में नोटिस बंदियों को भेजा जाना होगा

655 किसी अपील या याचिका की सुनवाई तिथि के बारे में नोटिस मिल जाने के बाद इसे अभियुक्त को दिया जाना होगा, जो नोटिस प्राप्ति के सबूत के रूप में इस पर अपना हस्ताक्षर

करेंगे या अंगूठे का निशान लगाएंगे। ये नोटिस अधीक्षक या उपाधीक्षक से अभिप्रमाणित कराने के बाद संबंधित अदालत को वापस भेजा जाएगा।

अपीलीय अदालत में बंदी की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति

656 अपील अदालत से इस आशय का कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद कि बंदी की सज़ा क्यों न बढ़ाई जाए? बंदी से पूछा जाएगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से संबंधित अदालत में पेश होकर अपील की अनुमति मांगना चाहता है। यदि वह ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, तो अधीक्षक उसकी याचिका आदेश के लिए अदालत को अग्रसारित करेंगे। यदि अनुमति मिल जाती है, तो अदालत में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए व्यवस्था करनी होगी।

कोर्टमार्शल से दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए अपील प्रक्रिया

657 सेना अधिनियम (1950 का केंद्रीय अधिनियम 46) के तहत कोर्ट मार्शल से मिली सजा के लिए किसी अपील की अनुमति नहीं है। बंदी को फैसले या सजा के खिलाफ उस सर्वोच्च प्राधिकरण को, जिसमें आवेदन के लिए वह अधिकृत है, केवल एक याचिका दिए जाने का अधिकार है। सजा की घोषणा के समय प्रत्येक अभियुक्त को याचिका देने के उसके कानूनी अधिकार और उस प्राधिकरण के बारे में स्पष्ट कर दिया जाएगा, जिसको उसकी याचिका संबोधित की जानी है। ऐसी याचिका उसी प्राधिकरण को अग्रसारित की जाएगी, जिससे वह संबोधित की गई है। भारत सरकार या किसी नागरिक प्राधिकरण को संबोधित अपील या याचिकाएं निपटान के लिए संबंधित सशस्त्र सेना के केंद्रीय मुख्यालय को अग्रसारित की जाएंगी।

अपील पर फैसले का रिकॉर्ड

658 अपील पर किसी सज़ा में संशोधन या सजा का फैसला पलट दिए जाने के प्रत्येक मामले में संबंधित कारागार अधीक्षक अपील अदालत पर तैयार वॉरंट मिलने पर बंदी को फैसले से अवगत कराएंगे और उसके हिस्ट्री टिकट और अन्य संबंधित रिकॉड्र्स में इस बारे में टिप्पणी करेंगे। इसके अनुरूप सजा में संशोधन किया जाएगा और रिहाई की संशोधित तिथियां

डाली जाएंगी तथा इसे कारागार अधीक्षक या उपाधीक्षक से अभिप्रमाणित कराया जाएगा।

अदालत द्वारा एक बंदी के मामले की फिर सुनवाई पर निर्देश के बाद की प्रक्रिया

659 यदि अपील अदालत निर्देश देती है कि एक बंदी के मामले की फिर सुनवाई होगी, और जमानत पर उसकी रिहाई या सुनवाई तक उसकी हिरासत के बारे में वारंट उस समय तक प्राप्त नहीं होता है, तो बंदी विचाराधीन बंदियों के कारागार में हिरासत में रखा जाएगा और कारागार अधीक्षक सुनवाई तक उसकी हिरासत के लिए अदालत से वॉरंट का अनुरोध करेंगे।

660 अपील पर सजा की पुष्टि के प्रत्येक मामले में कारागार अधीक्षक को अपीलीय अदालत से इस बारे में सूचना प्राप्त करनी होगी। सजाया अपील की पुष्टि हिस्ट्री टिकट और अन्य संबंधित रिकॉर्ड में डाली जाएगी तथा कारागार उपाधीक्षक या अधीक्षक से अभिप्रमाणित कराई जाएगी।

अदालत से अन्य आपराधिक मामलों में आरोपी अभियुक्त को बरी किए जाने का निर्देश मिलने पर

661. यदि अपीलीय अदालत हिरासत में रखे गए ऐसे अभियुक्त को बरी किए जाने का निर्देश देती है, जिस पर अन्य आपराधिक मामले भी हैं, तो उसे अदालत के निर्देश के आधार पर विचाराधीन फौजदारी बंदियों के वार्ड में भेजा जाएगा।

अपीलीय अदालत के आदेश पहुंचाया जाना

662 अपील पर फैसला मिलने पर उसे कारागार अधीक्षक या उपाधीक्षक की उपस्थिति में संबंधित बंदी तक पहुंचाना होगा। अधीक्षक या उपाधीक्षक इस आदेश पर नोट लगाएंगे कि इसे बंदी तक पहुंचा दिया गया है। यदि अपनी अपील पर आदेश प्राप्त होने से पहले बंदी को दूसरी कारागार में भेज दिया जाता है, तो यह आदेश बिना किसी विलंब के उस कारागार के अधीक्षक को अग्रसारित किया जाएगा, जिसमें बंदी को रखा गया है।

अपीलीय अदालत के आदेश का रिकॉर्ड रखा जाना

663 अपीलीय अदालत के आदेश और फैसले, मूल फैसले की प्रति और अन्य संबंधित रिकॉर्ड बंदी के वारंट के साथ रखे जाएंगे।

अध्याय –9

बंदियों का स्थानांतरण

स्थानांतरण के कारण और परिस्थितियां

664 बंदियों को एक कारागार से दूसरे में निम्नलिखित कारणों से भेजा जा सकता है:

1) हिरासत में रखने के लिए और वर्गीकरण प्रक्रिया/अस्थायी आवास नीति के अनुसार उपयुक्त संस्था में उपचार के लिए
2) मुकदमा चलाने या गवाही के लिए अदालत में हाजिर करने
3) चिकित्सा संबंधी कारणों से
4) मानवीय आधार पर उनके पुनर्वास के लिए
5) रिहाई के बाद पुलिस द्वारा सतर्कता संबंधी कारणों से
6) आव"यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए
7) सुरक्षा, सुविधा जैसे कारणों से
8) उसके गृह जिले के पास रखने के लिए
9) कारागारों में भीड़–भाड़ कम करने के उद्दे"य से
10)अन्य वि"ोष कारणों से, अगर ऐसे कारण हों तो।

गृह राज्य

665 ऐसे बंदी के मामले में जिसका लंबे समय से अपने जन्म के राज्य के साथ कोई संपर्क नहीं रहा है और जो जिस राज्य में बंदी बनाया गया है उसी में रहने लगा है तथा जहां उसके निकट संबंधी रहते हैं, इसी राज्य को स्थानांतरण के लिहाज से उसका गृह राज्य माना जाएगा। इसकी पुष्टि, ऐसे बंदी के स्थानांतरण के बारे में फैसला करने से पहले उसके पूर्ववृत्तांत से, या उसके संबंधियों के बारे में पूछताछ से की जाएगी।

महा निरीक्षक की भाक्तियां

666 कारागार महानिरीक्षक की शक्तियां इस प्रकार हैं:

(क)सरकार के आदे"ा और नियंत्रण के अंतर्गत महानिरीक्षक दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत बंदियों के एक कारागार से दूसरे में स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) लेकिन निम्नलिखित मामलों में बंदियों के स्थानांतरण के लिए पुलिस महानिरीक्षक की स्वीकृति की आव"यकता नहीं होगी, जहां मामलों में क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक और कारागार अधीक्षक इस तरह के स्थानांतरण की स्वीकृति देने के लिए सक्षम होंगे:

I जहां बंदियों का स्थानांतरण किसी अन्य राज्य में किये गये अपराध के सिलसिले में गवाही देने या मुकदमा चलाने के लिए आव"यक हो।

II रास्ते में बंदियों का स्थानांतरण

III इस संबंध में जारी किये गये स्थायी आदे"ा के अनुसार किसी वर्गीकृत संस्था में बंदी का स्थानांतरण,

व्याख्या : उपर्युक्त तीन स्थितियों में बंदी के स्थानांतरण संबंधी सूचना पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल भेज दी जानी चाहिए।

IV कारागार उप–महानिरीक्षक/कारागार अधीक्षक द्वारा प्र"ाासनिक आधार पर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बंदियों का स्थानांतरण।

बीमार बंदियों का स्थानांतरण

667बंदियों को निम्नलिखित कारणों से एक कारागार से दूरे में स्थानांतरित किया जा सकता है:

(क)किसी भी बीमार बंदी को उसके स्वास्थ्य लाभ के अलावा और किसी कारण से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(ख)जब चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि बीमार कैदी को दूसरे कारागार में भेजने से वह स्वस्थ हो सकता है या इससे उसके दीर्घ जीवन में मद मिलेगी, तो वह ऐसे मामलों के बारे में संक्षित वक्तव्य अधीक्षक को भेजेगा जिसमें उसे बताना होगा कि किस जेल में स्थानांतरा वांछनीय होगा। इसके बाद अधीक्षक मामले को महा निरीक्षक के पास उनके आदे"ा के लिए भेजना होगा।

(ग) चिकित्सा अधिकारी से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर अधीक्षक यात्रा के लिए बंदी को अतिरिक्त भोजन, कपड़े और

बिस्तर उपलब्ध कराएगा। अगर जरूरी हुआ तो बंदी के साथ जाने वाले अधिकारी को दवाएं, उनके उपयोग के निर्दे"ा के साथ उपलब्ध करायी जाएंगी।

(घ) चिकित्सा अधिकारी यह सुनि"चत करने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि स्थानांतरण के समय बंदी की मेडिकल केस शीट अद्यतन हो।

(ङ)कोई भी बंदी की, जो उम्र, बीमारी या दुर्बलता की वजह से सामान्य कठोर श्रम करने में असमर्थ हो उसकेस्थानांतरण की सिफारि"ा वि"ोष परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य हालत में नहीं की जाएगी।

एक ही मामले में दोशी बंदी

668 एक ही मामले में दोषी ठहराए गये कैदियों को अलग—अलग कारागारों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, अगर अधीक्षक की राय में, कारागार में अनु"ाासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना बहुत ही जरूरी न हो।

आदतन अपराधियों का स्थानांतरण

669 अधीक्षक आदतन अपराधी को दूसरे कारागार में स्थानांतरण के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि बंदी इससे पहले भी इस कारागार में बंदी रहने या अन्य कारणों से कारागार और उसके आस—पास से परिचित है। लेकिन महानिरीक्षक को वि"ोष मामलो में ही इस तरह के बंदियों के स्थानांतरण का आदे"ा देना चाहिए और इस तरह के प्रत्येक आवेदन पर गुण—दोष के आधार पर विचार करना चाहिए और यह सुनि"चत कर लेना चाहिए कि बंद के स्थानांतरण का पर्याप्त आधार है।

नौजवान अपराधियों का स्थानांतरण

670 कारागार में रखे गये नौजवान अपराधियों (18 से 21 वर्ष के आयु समूह में) का युवा अपराधियों के लिए उपयुक्त संस्थाओं में स्थानांतरण महानिरीक्षक के आदे"ा से होगा। अगर 21 साल के हो जाने तक उनकी सजा पूरी नहीं होती तो उन्हें वापस उनके प्रारंभ के कारावास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

सक्षम दीवानी अदालतों द्वारा दोशी करार दिये गये बंदियों का पारस्परिक स्थानांतरण

671 किसी राज्य में सक्षम दीवानी अदालत द्वारा दोषसिद्ध प्रत्येक अपराधी को उसके अपने राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, ब"ार्ते स्थानांतरण के समय उसकी बकाया सजा तीन माह से कम न हो। उसे अपने जिले के कारागार में या उसके जन्म स्थान के पास के किसी कारागार में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस तरह के किसी बंदी को उसके राज्य को भेजने के लिए जिले के प्रोबे"ान अधिकारी/ कल्याण अधिकारी/पुनर्वास अधिकारी को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि बंदी राज्य के उसी जिले का निवासी है।

अन्य राज्यों के बंदियों का स्थानांतरण

672 एक राज्य से दूसरे राज्य को बंदियों का स्थानांतरण बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार इस नियम या इस अध्याय के किसी अन्य नियम के तहत होगा। अन्य राज्य के बंदी के स्थानांतरण के प्रस्ताव की पहल अधीक्षक द्वारा स्वयं की जा सकती है या बंदी भी इसके लिए बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 में वर्णित किसी कारण के आधार पर अनुरोध कर सकता है। इसके लिए जहां कारागार स्थित है वहां का कारागार अधीक्षक बंदी से इस आ"ाय की लिखित घोषणा प्राप्त करेगा जिसमें उसके पते के साथ–साथ उसके जन्म के राज्य में रह रहे रि"तेदारों के पतों का भी उल्लेख होगा। इसे नॉमिनल रॉल और अन्य दस्तावेज के साथ राज्य के कारागार महानिरीक्षक को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के साथ भेजा जाएगा। महानिरीक्षक जिस राज्य में बंदी को भेजा जाना है वहां के महानिरीक्षक से राज्य के कारागार के नाम का भी पता लगाएंगे और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बंदी के स्थानांतरण का आदे"ा जारी करेंगे।

व्याख्या (1): बंदी को उसके गृह राज्य को स्थानांतरित करते समय उसकी इच्छा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ब"ार्ते ऐसा करने के खिलाफ पर्याप्त कारण न हों।

व्याख्या (2): स्थानांतरित करने वाला राज्य बंदी के स्थानांतरण का खर्च उठाएगा। बंदी के स्थानांतरित होने की तारीख से उसके भरण–पोषण का खर्च गृह राज्य द्वारा उठाया जाएगा।

व्याख्या (3): बंदी की संपत्तियां और कारागार में उसके द्वारा स्थानांतरण की तारीख तक कमाई गयी मजदूरी उसके साथ–साथ उस कारागार को भेज दी जाएंगी जहां उसे भेजा जा रहा है।

व्याख्या (4) : दिल्ली राज्य के जिन मुजरिमों को उनकी सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों को भेजा जाएगा, उनपर राज्य की ओर से सजा मेंछूट, पैरोल, फरलो और समय पूर्व रिहाई आदि के लिए दिल्ली कारागार नियमावली लागू होगी।

विदेश में या भारत में कोर्ट मार्शल द्वारा दोशसिद्ध बंदियों का पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण

673 कोर्ट मा"ील द्वारा विदे"ा में या भारत में मुज़रिम करार दिये गये ऐसे प्रत्येक पूर्व सैनिक को जो अपने गृह राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य के कारागार में बंदी है, उसके गृहराज्य के कारागार में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसा बंदी जिस कारागार में बंद है उसका अधीक्षक बंदी के कारागार में दाखिला होने के तुरंत बाद नॉमिनल रॉल और पूर्व सैनिक बंदी के लिखित वक्तव्य की दो प्रतियों के साथ महानिरीक्षक को प्रेषित करेगा जो बंदी के गृह राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के पराम"ा और राज्य सरकार की सहमति से बंदी के स्थानांतरण का फैसला करेगा और इस आ"ाय के आदे"ा निर्गत करेगा। पुलिस महानिरीक्षक दूसरे राज्यों के कारागारों में बंद अपने राज्य के बंदियों के अनुरोधों को भी स्वीकार करेगा बंदी जिस जिले का रहने वाला है वहां के पुलिस अधीक्षक से समुचित तरीके से जांच के बाद संबंधित महानिरीक्षक को इस बात की जानकारी देगा कि उक्त बंदी को किस कारागार में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

व्याख्या (1) : पूर्व–सैन्य बंदियों को उनके गृह राज्य को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए चाहे उनकी बची हुई सजा कितनी ही क्यों न हो।

व्याख्या (2) : पूर्व–सैन्य बंदियों के गुजारे की लागत उसके गृह राज्य द्वारा अपने यहां दाखिल होने की तिथि से उठायी जाएगी और उनके स्थानांतरण का खर्च केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा सेवाओं के बजट से वहन किया जाएगा।

अपील के लंबित होने की स्थिति में बंदियों का स्थानांतरण

674 आम तौर पर दोषी ठहराए जाने के खिलाफ किसी बंदी की अपील न्यायालय में लंबित होने या अपील दायर करने की अवधि पूरी न होने की स्थिति में उसे राज्य से बाहर नहीं भेजा जाएगा। केवल विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसे बंदी का सरकार की मंजूरी से स्थानांतरण किया जा सकेगा।

675 अगर बंदी को उपर्युक्त नियम के तहत स्थानांतरित किया जा रहा हो तो उसे जिस कारागार में भेजा जा रहा है उसकी जानकारी अपीलीय अदालत को दी जाएगी।

676 जिस बंदी की अपील दिल्ली की अदालतों में लंबित हो जा जिसने अपील दायर न की हो अथवा उसकी अपील पर पहले ही फैसला हो चुका हो, उसे दिल्ली से बाहर की सक्षम अधिकार–क्षेत्र वाली अदालत के सामने पे"ा करने का आदे"ा प्राप्त होने परअधीक्षक द्वारा अदालत में पे"ा किया जाएगा।

677 अगर किसी स्थानांतरित बंदी की अपील से संबंधित कोई संदे"ा प्राप्त होता है तो उस संदे"ा को बिना विलंब किये उस कारागार अधीक्षक को अग्रसारित कर दिया जाएगा जहां बंदी को रखा गया है और जहां से उसे स्थानांतरित किया गया है, उस कारागार के उपयुक्त रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी।

678 अन्य राज्यों के बंदियों को निम्नलिखित आधारों पर स्थानांतरित किया जा सकता है:

(1) समान्य नियम के रूप में पुलिस में पंजीकृत अपराधी, जो उस राज्य के निवासी नहीं है जिसमें वे सजा काट रहे हैं, उन्हें बिना उनकी इच्छा का ध्यान रखे और किसी भी वक्त वहां से हटा दिया जाएगा ब"ार्ते उन्हें तीन महीने या इससे कम की कैद की सजा मिली हो; और अगर उन्हें तीन महीने से अधिक की सजा हुई हो तो रिहाई के दो महीने शेष रहते या तो

उनके निवास के जिले के कारागार में या उनके जन्म स्थान से सबसे पास के कारागार में भेज दिया जाएगा, मगर इसके साथ शर्त यह है कि संबंधित राज्य ने इस कारागार को राज्य से हटाये गये बंदियों के लिए 'रिसीविंग डिपो'घोषित किया हो। तीन महीने से अधिक की काररावास की सजा वाले बंदी को, उसके राजी होने पर उसके गृह जनपद के कारागार में सजा के खत्म होने से दो महीने पहले स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर स्थानांतरण के लिए पर्याप्त कारण हों तो भी उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे तमाम मामलों की सूचना, जैसा पहले बताया जा चुका है, पुलिस द्वारा कारागार अधीक्षक को पुलिस रजिस्टर्ड स्लिम के जरिए दी जाएगी। पुलिस रजिस्टर्ड स्लिप प्राप्त होने पर कारागार में दर्ज किया जाने वाला ब्यौरा भरा जाएगा और बंदी के वारंट के साथ पर्ची को नत्थी करके उसे उस कारागार को भेज दिया जाएगा जहां बंदी को भेजा जाना है। इसके साथ ही मुजरिम रजिस्टर और रिहा किये जाने वाले बंदियों के रजिस्टर में लाल स्याही से ''पी.आर.टी.'' अक्षर लिख दिये जाएंगे जिनका मतलब है पुलिस रजिस्टर्ड प्रिजनर्स फॉर ट्रांसफर यानी स्थानांतरण के लिए पुलिस में पंजीकृत बंदी। अधीक्षक नियमानुसार ऐसे बंदियों का नॉमिनल रॉल अर्थात् सामान्य विवरण स्थानांतरण के आवेदन के साथ स्थानांतरण की निर्धारित तारीख से एक महीने पहले महानिरीक्षक को भेजेगा। महानिरीक्षक को ऐसे बंदी को हटाने का अधिकार है और वह जिस राज्य में बंदी को स्थानांतरित किया जाना है उसके महानिरीक्षक के पराम"ा तथा सरकार की सहमति से तबादले का औपचारिक आदे"ा जारी करेंगे। पुलिस में पंजीकृत किसी बंदी की मौत हो जाने या उसके फरार हो जाने पर वारंट के साथ नत्थी पुलिस रजिस्टर्ड फार्म को बंदी की मौत अथवा फरार होने की तारीख के पृष्ठांकन के साथ उसके जिले के पुलिस अधीक्षक को लौटा दिया जाएगा। इसी तरह बंदी जिस राज्य के कारागार में सजा काट रहा है वहां उसके कारावास को उचित न पाये जाने पर उसे राज्य के महानिरीक्षक और राज्य सरकार की सहमति से

उस राज्य के कारागार में भेजा जा सकता है जहां उसे भेजा जाना प्रस्तावित है।

(2) स्थानांतरण के लिए पुलिस में पंजीकृत बंदी (या पीआरटी बंदी) जो नेपाल, भूटान और अन्य पड़ोसी दे"ों के है, उन्हें अपने मूल निवास स्थान के सबसे नजदीक के कारागार में तभी स्थानांतरित किया जाएगा जब उनके बरी होने के लिए दो महीने से ज्यादा बचे हुए हों। उन्हें किस कारागार में भेजा जाएगा इसका फैसला संबंधित राज्य के पुलिस महानिरीक्षक से सलाह–म"वरा करके तथा तथ्यों की जांच के बाद किया जाएगा। भूटान, नेपाल या अन्य दे"ों के पी.आर.टी. बंदियों के मामले में इस तरह की सूचना इन दे"ों की सरकारों को भारत के राजनीतिक अधिकारियों या भारतीय दूतावास के माध्यम से भेजी जाएगी।

679. आम तौर पर किसी दोषसिद्ध बंदी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, अगर उसनेः

क) अपील की हो और अपील का निपटान न हुआ हो;

ख) अपील नहीं की हो और अपील करने की अवधि पूरी न हुई हो;

ग) जमानत न दिये जाने की वजह से हिरासत में हो; या

घ) जुर्माने का भुगतान न किये जाने के लिए हिरासत में हो।

1) बंदी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अगर कारागार के चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि बंदी इतना बीमार है कि यात्रा पूरी करने में असमर्थ है।

2) दुर्बल मुजरिमों को आम तौर पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

3) अधीक्षक उपर्युक्त धारा क, ख और ग की परिस्थितियों को तत्काल महानिरीक्षक की जानकारी में लाएगा।

महामारी के दौरान स्थानांतरण

680 अगर हैजा या कोई अन्य महामारी स्थानांतरण करने वाले अथवा प्राप्त करने वाले कारागार में फैली हुई हो तो बंदियों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। अगर यात्रा मार्ग में हैजा या कोई अन्य महामारी हो तो ऐसे रास्ते से होकर बंदियों के स्थानांतरण से जहां तक संभव हो बचना चाहिए।

राज्य को फिर से स्थानांतरित करने के आधार

681. अगर कोई बंदी पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किसी वि"ोष कारण से राज्य की स्वीकृति से स्थानांतरित किया गया हो तो ऐसे बंदी के फिर से स्थानांतरण का प्रस्ताव करते समय अधीक्षक उन वि"ोष कारणों का खुलासा करेगा जिनकी वजह से मूल स्थानांतरण हुआ था।

पुलिस बंदियों को एस्कोर्ट करेगी

682. बंदियों को पुलिस एस्कोर्ट निम्नलिखित आधार पर प्रदान की जाती है:

(1) बंदियों को एस्कोर्ट करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। कारागार अधीक्षक बंदियों को समूहों में स्थानांतरित कर पुलिस के काम को यथासंभव कम से कम करने का प्रयास करेगा। बंदियों को आम तौर पर भेजते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वे कारागार के अवका"ा के दिन वहां न पहुंचें। लेकिन अगर अपरिहार्य कारणों से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो स्थानांतरण करने वाले कारागार का अधीक्षक एक लिखित अनुरोध प्राप्त करने वाले कारागार के अधीक्षक को लिखेगा। प्राप्त करने वाले कारागार का अधीक्षक अवका"ा के दिन दाखिला कराने कालिखित अनुरोध न होने पर भी बंदियों का दाखिला कराएंगे, मगर इस तरह की अनियमितता को कारागार महानिरीक्षक के ध्यान में लाया जाएगा।

(2) स्थानांतरण करने वाले कारागार के अधिकारी जहां तक संभव हो यह कोि"ा"ा करेंगे कि विभिन्न श्रेणियों के बंदियों को एक ही समूह स्थानांतरित न किया जाए। लेकिन अगर परिस्थितिव"ा ऐसा करना अपरिहार्य हो जाए तो वे एस्कोर्ट के प्रभारी अधिकारी को इस आ"ाय के स्पष्ट निर्दे"ा देंगे कि ऐसे बंदियों के बीच कोई बातचीत न हो।

एस्कोर्ट के लिए आवेदन

683 जब बंदियों का स्थानांतरण होना हो तो अधीक्षक स्थानीय पुलिस से पर्याप्त समय रहते वांछित गार्ड उपलब्ध के बारे में आवेदन करेगा। आवेदन में यह भी बताना होगा कि बंदियों की संख्या कितनी है और उन्हें किस तारीख को और कितने बजे किसी जगह को स्थानांतरित किया जाना है।

684 पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बंदियों की हिफाजत के लिए एस्कोर्ट उपलब्ध कराए। अगर पुलिस की राय में किसी बंदी को सुरक्षा की दृष्टि से हथकड़ी लगाना जरूरी है तो हथकड़ियां पहनाने से पहले उसे अदालत से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

एहतियात के उपाय

685 एहतियात के उपायों के मानदंड इस प्रकार हैं:

(क) स्थानांतरित करने वाले कारागार के अधीक्षक को बंदी को पुलिस के सुपुर्द करने से पहले एस्कोटिंग पार्टी को निम्नलिखित प्रकार के बंदियों के बारे में पूरा ब्यौरा अव"य उपलब्ध कराया जाना चाहिए:

1) पांच साल और इससे अधिक की सजा वाले बंदी

2) ऐसे बंदी जिनका कारागार में व्यवहार खराब रहा है याा जो खतरनाक पाये गये हैं।

3) जघन्य अपराधों में लिप्त रहे बंदी

4) धारा 224 (भारतीय दंड संहिता, 1860) के तहत सजायाफ्ता बंदी और जिनके बारे में यह पता है कि वे इससे पहले कारागार से भागे हैं या भागने का प्रयास कर चुके हैं

5) आपराधिक गिरोहों के सदस्य रहे बंदी; और

6) दे"ाद्रोह, विस्फोटक अधिनियम या इसी तरह के कानूनों के आरोपों का सामना कर रहे बंदी

7) कोई भी अन्य महत्वपूर्ण सूचना।

(ख) जब बंदियों की वजह से जनता का ध्यान आकृष्ट हाने और उनके स्थानांतरण को लेकर हंगामा होने की आ"ांका हो तो जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को पहले से सूचित कर दिया जाना चाहिए।

महिला पुलिस कान्स्टेबल की व्यवस्था

686 जब किसी महिला बंदी का स्थानांतरण किया जाना हो तो उसके साथ एक महिला कान्स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन उसकी मौजूदगी से पुलिस यात्रा के दौरान बंदी की हिफाजत की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती।

स्थानांतरित बंदियों के बारे में सूचना दी जाए

687 अधीक्षक एस्कोर्ट के प्रभारी अधिकारी को एक ज्ञापन देगा जिसमें भेजे जाने वाले बंदियों की संख्या, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उन्हें भेजे जाने के यात्रा–मार्ग और भेजे जाने की तारीख का उल्लेख होगा। वह ये सारा ब्यौरा तथा उनके पहुंचने की संभावित तारीख का विवरण प्राप्त करने वाले कारागार के अधीक्षक को समय रहते भेज देगा।

राज्य से बाहर कार्यवाही का सामना कर रहे अपराधी–

688 ऐसा बंदी जिसके खिलाफ दिल्ली से बाहर अदालती मामले में कार्यवाही चल रही है उसी राज्य की उस जिला कारागार में भेज दिया जाएगा जहां उसके खिलाफ अदालती मामला चल रहा है। बंदियों का स्थानांतरण करते समय अधीक्षक पत्र में खास तौर पर लिखेगा कि मुजरिम को बाहर के मामले/मामलों के निपटने के बाद बाकी सजा काटने के लिए दिल्ली की जेल में वापस भेज दिया जाए।

अदालत को भेजे जाने वाले बंदियों के मामले में अधीक्षक के कर्तव्य

689 किसी ऐसे अभियुक्त को, जिसके खिलाफ दिल्ली में मामला/मामले की जांच या सुनवाई चल रही हो, दिल्ली से बाहर की अदालत में पे"ा किये जाने का वारंट मिलने पर अधीक्षक, दिल्ली के संबंधित चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसे दिल्ली से बाहर की अदालत में पे"ा कर सकता है ब"ार्ते इस दौरान दिल्ली में चल रहे मामलों की सुनवाई की तारीख न पड़ रही हो। अगर अभियुक्त दिल्ली से बाहर की अदालत में पे"ा नहीं किया जा सकता तो संबंधित अदालत को पे"ा न किये जाने के कारणों की जानकारी तत्काल अगली सुनवाई की तरीख बताने के अनुरोध के साथ दे दी जानी चाहिए। यह भी अगवत करा दिया जाना चाहिए कि उसे अभी भी हिरासत में रखने की आव"यकता है या उसे जमानत पर छोड़ा जा चुका है।

अगर कोई बंदी दिल्ली के बाहर के राज्य की अदालत से यहां लाया जाता है तो ऐसे बंदी को दिल्ली के कारागार में न्यायिक हिरासत में रखने से पहले संबंधित चीफ मैट्रोपोलिटन

मैजिस्ट्रेट के सामने पे”ा करने के बाद ही कारागार में दाखिल किया जाना चाहिए।

690 दिल्ली में बंदी के खिलाफ मामले/मामलों के निपटने के बाद या उसके जमानत पर रिहा होने या दिल्ली से संबंधि तमामले में दोषसिद्ध होने के बाद अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उसे तत्काल उस इलाके के कारागार अधीक्षक के पास स्थानांतरित कर दे जहां उसे अपराध के आरोप में मुकदमे का सामाना करना है या फिर उसे बंदी को संबंधित अदालत में पे”ा करना होगा। बंदी को स्थानांतरित करते समय अधीक्षक संबंधित अदालत को यह भी सूचित करेगा कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराया जा चुका है, बरी किया जा चुका है या जमानत पर छोड़ा जा चुका है। संबंधित अदालत से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि अदालत में मामले के निपटान के बाद क्या दिल्ली की अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये बंदी को सजा काटने के लिए दिल्ली वापस भेजा जाना है।

स्थानांतरण से पहले की प्रकिया

691 अधीक्षक, बंदी को स्थानांतरित करने से पहले उससे संबंधित सभी प्रविष्टियों की जांच करेगा और वारंट के पीछे स्थानांतरण आदे”ा की संख्या और स्थानांतरण की तारीख को प्रमाणित करेगा।

बंदी की संपत्ति का प्रेशण

692 बंदी की संपत्ति का स्थानांतरण किया जाता हैः बंदी का स्थानांतरण होने पर प्रेषक कारागार का उपाधीक्षक मुजरिम रजिस्टर में दर्ज बंदी की संपत्तियों की सूची तीन प्रतियों में तैयार कराएगा और सामान एस्कोर्ट के प्रभारी अधिकारी को सौंपने के प्रमाण के रूप में प्रतिपर्णी पर उसके दस्तखत ले लेगा। दूसरी और तीसरी प्रति और प्रेषक कारागार के उपाधीक्षक के हस्ताक्षर वाले फार्म समेत बंदी की संपत्ति प्राप्त करने वाले कारागार को सौंप दी जाएगी जहां दूसरी प्रति रख ली जाएगी और फाइल में दर्ज कर दी जाएगी। तीसरी प्रति पर प्राप्तकर्ता कारागार के उपाधीक्षक/अधीक्षक के दस्तखत लेकर एस्कोर्ट के प्रभारी अधिकारी को सौंप दी जाएगी।

693 अगर यह पाया गया कि नकदी, आभूषण या संपत्ति में कोई कमी है तो इसे तत्काल प्रेषक कारागार के अधीक्षक के ध्यान में लाया जाएगा जो इसकी जांच शुरू करेगा और इसके परिणाम की जानकारी प्राप्तकर्ता कारागार के अधिकारियों को आगे बंदी को सूचित करने के लिए दे दी जाएगी।

स्थानांतरण से पहले बंदी की जांच

694 दूसरे कारागार में भेजने से पहले सभी बंदियों की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। किसी भी बंदी को एक कारागार से दूसरे में तबतक नहीं भेजा जाएगा जबतक कि चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणपत्र न दे कि बंदी को कोई बीमारी नहीं है और वह स्थानांतरण के लिए उपयुक्त है।

बंदियों के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज

695 प्रत्येक स्थानांतरित बंदी से संसबंधित निम्नलिखित दस्तावेज एस्कोर्ट टीम के प्रभारी अधिकारी को प्राप्तकर्ता कारागार के अधीक्षक को देने के लिए उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

1) विधिवत पृष्ठांकित/किये गये मूल वारंट

2) अगर उपलब्ध हो तो, न्यायालय के फैसले की प्रति, बंदी की किसी याचिका पर अपील अदालत और सरकार का आदे"ा

3) नॉमिनल रॉल

4) हिस्ट्री टिकट

5) अगर कोई माफीनामा हो तो रिमि"ान शीट

6) मेडिकल केस शीट

7) बंदी की तमाम निजी संपत्तियों और सामान की सूची की दूसरी और तीसरी प्रति

8) बंदी के साथ प्रेषित कपड़ों, बिस्तर और अन्य सरकारी सामान की सूची

696 प्रत्येक वारंट के पीछे, जिसमें सजा के तौर पर जुर्माने का जिक्र होता है, यह भी प्रष्ठांकित कर दिया जाना चाहिए कि क्या जुर्माने या जुर्माने के किसी हिस्से का भुगतान कर दिया गया है और इस तरह के भुगतान के फलस्वरूप आनुपातिक रूप में कितनी सजा पूरी हो चुकी है।

697 प्रत्येक स्थानांतरित बंदी द्वारा पिछले महीने की आखिरी तारीख तक हासिल की गयी छूट के कुल परिमाण को उसके हिस्ट्री टिकट, माफीनामे और वारंट में दर्ज किया जाएगा और इस आ"ाय की प्रविष्टियों पर अधीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे। स्थानांतरित कर रहे कारागार का अधीक्षक इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि ये सूचनाएं विधिवत और सही–सही उपलब्ध करायी जाएं और बंदियों के साथ भेजे जाने वाले तमाम दस्तावेज सही–सही प्रेषित किये जाएं। ये दस्तावेज स्थानांतरण किये जाने वाले राज्य के अधीक्षक के नाम से एक पत्र के जरिए भेजे जाएंगे और इन्हें ऊपर बताए गये तरीके से क्रमांकित और तरतीबवार होना चाहिए। बंदी और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति की ऊपर बताए गये दस्तावेज समेत विधिवत प्राप्ति स्वीकार की जानी चाहिए। बंदी को जिस कारागार में स्थानांतरित किया गया है उसके अधीक्षक को इन्हें मंगाकर अपने रिकार्ड में रखना चाहिए।

भेजे जाने से पहले बंदियों की तलाशी

698 प्रत्येक बंदी की उसे भेजने से पहले उपाधीक्षक और एस्कोर्ट पार्टी की मौजूदगी में तला"ी ली जाएगी।

यात्रा तके भोजन और कपड़ों की आपूर्ति

699 यात्रा के दौरान प्रत्येक बंदी को अपने निजी कपड़े पहनने की इजाजत होगी। अगर उसकी निजी पो"ाक फट जाए या खराब हो जाए तो उसे स्थानांतरण हो जाने पर सरकारी खर्च पर सामान्य नागरिक के कपड़े मुहैया कराए जाएं।

कारागार से ले जाये जा रहे बंदियों की खुराक

700 महानिरीक्षक इन नियमों के तहत लाए–लेजाये जाने वाले बंदियों के लिए समय–समय पर खुराक की मात्रा तय करेगा और एस्कोर्ट का प्रभारी अधिकारी यह सुनि"चत करेगा कि बंदी को जो खुराक मिले वह निर्धारित मात्रा के अधिक से अधिक अनुरूप हो। कारागार से बंदी को गवाही के लिए जिस अदालत में ले जाया जा रहा है अगर वह उसी स्थान पर हो जहां कारागार है तो कारागार का प्रभारी अधिकारी बंदी के भोजन की आपूर्ति करेगा।

701 अगर उक्त अदालत दिल्ली के बाहर हो तो बंदी की खुराक की अनुमानित लागत का भुगतान पुलिस महानिरीक्षक के निर्दे”ाानुसार कारागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस एस्कोर्ट के प्रभारी अधिकारी को किया जाएगा।

एस्कोर्टिंग अधिकारी का दायित्व

702 एस्कोर्ट टीम का प्रभारी अधिकारी इस बात का ध्यान रखेगा कि बंदी बाहर के लोगों से बातचीत न करें और उन्हें यात्रा के दौरान अपने मित्रों और संबंधियों से नकदी समेत वर्जित वस्तुएं प्राप्त करने का मौका न मिले। यात्रा अवधि के दौरान बंदियों को अपने निजी वस्त्रों को छोड़कर किसी भी तरह की नकदी, आभूषण या अन्य निजी संपत्तियों के लेन–देन की इजाजत नहीं होगी।

703 अगर एस्कोर्टिंग टीम के प्रभारी अधिकारी की ड्यूटी में किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही देखी गयी तो प्रापक कारागार का अधीक्षक जेल महानिरीक्षक को एक रिपोर्ट भेजेगा।

रास्ते में केन्द्रीय कारागार में दाखिल न कराया जाए

704 पारगमन के दौरान बंदियों को केन्द्रीय कारागारों में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर केन्द्रीय कारागार में इसके लिए ट्रांजिट यार्ड सुविधा हो तो उन्हें उसमें रखा जा सकता है।

स्त्री और युवा अपराधियों की अभिरक्षा

705यात्रा के दौरान महिला और नौजवान अपराधियों को वयस्क पुरुष अपराधियों से अलग रखा जाएगा।

पारगमन के दौरान तलाशी

706पारगमन के दौरान एस्कोर्ट टीम का प्रभारी अधिकारी रोजाना बंदियों की तला”ाी लेगा। महिला बंदियों की तला”ाी महिला कर्मचारियों द्वारा ही ली जाएगी।

रेल या पानी से स्थानांतरण

707 जहां रेल से यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो वहां बंदियों को आम तौर पर रेलगाड़ी से स्थानांतरित किया जाएगा। बंदियों

और उनके साथ जा रही एस्कोर्टिंग टीम का यात्रा भाड़ा कारागार विभाग द्वारा बनाए गये रेलवे वारंट में शामिल होगा।

708 जब बंदियों को रेल से स्थानांतरित किया जाना हो तो पुलिस को यात्रा की तारीख और समय के बारे में समय पर नोटिस देना होगा ताकि रेलवे अधिकारियों के सहायोग से सफर के दौरान उनकी सुरक्षा और ठहरने की आव"यक व्यवस्था की जा सके।

सड़क के जरिए स्थानांतरण

709 पुलिस की एस्कोर्टिंग पार्टी जो बंदियों को सड़क के जरिए ले जा रही है, कम दूरी के लिए भी आव"यक परिवहन वाहन उपलब्ध कराएगी। बंदियों की सुरक्षा और कु"ालता को ध्यान में रखते हुए पुलिस यात्रा मार्ग और उसमें रुकने के स्थानों का पहले से निर्धारण करेगी। रास्ते में किसी भी तरह की दुर्घटना की जानकारी तत्काल उस कारागार अधीक्षक को दी जानी चाहिए जहां से बंदी को भेजा जा रहा है।

बेहद खतरनाक किस्म के बंदियों का स्थानांतरण

710 बेहद खतरनाक किस्म के बंदी जिनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता की आव"यकता होती है, 'कारागार की वैन' से ही भेजे जाएंगे। अगर कारागार की वैन उपलबध न हो तो पुलिस उपायुक्त द्वारा परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है और कारागार की वैन में मानीटर लगाया जाएगा।

बंदी के बीमार पड़ जने पर प्रकिया

711 अगर सड़क से इस तरह के स्थानांतरण के दौरान कोई बंदी इतना बीमार हो जाता है कि यात्रा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे सबसे पास के अस्पताल, या किसी ऐसे स्थान में ले जाया जाएगा जहां चिकित्सा अधिकारी से इलाज कराने के लिए सरकारी दवाखाना हो। एस्कोर्ट कर रही टीम का प्रभारी अधिकारी प्रेषक कारागार और बंदी को प्राप्त करने वाले कारागार के अधीक्षकों के लिए हालात के बारे में तत्काल एक रिपोर्ट बनाएगा।

व्यय का समायोजन

712 पुलिस अभिरक्षा व्यय को छोड़कर बंदी के स्थानांतरण से संबंधित तमाम खर्च कारागार प्र"ाासन द्वारा वहन किया जाएगा।

713 अधीक्षक, जेल के प्रभारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार,बंदी और अगर साथ में कोई पुलिस अधिकारी भी जा रहा हो तो उसके लिए रेलवे पास, क्रेडिट नोट प्रणाली के आधार पर उपलब्ध कराएगा।

पारगमन के दौरान बंदी की मौत के मामले में प्रक्रिया

714 पारगमन के दौरान बंदी की मौत हो जाने पर उसके साथ जा रहा प्रभारी अनुरक्षा अधिकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाने में घटना के बारे में जानकारी देगा जो अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सीधे महानिरीक्षक को देगा और शव के निपटान के लिए व्यवस्था करेगा। बंदी को साथ ले जा रहा अनुरक्षा प्रभारी मौत के बारे में उस कारागार के अधीक्षक को भी सूचित करेगा जहां बंदी को ले जाया जा रहा था और जिस कारागार से उसे लाया गया था वहां भी फौरन जानकारी भेजेगा जो बंदी के रि"तेदारों, सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बंदी की मौत के बारे में सूचित करेगा।

बंदियों के भागने की दशा में कार्रवाई

715 अगर पारगमन के दोरान कोई बंदी भाग जाता है तो अनुरक्षक प्रभारी अधिकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाने को सूचित करेगा ताकि वे बंदी को फिर से पकड़ने के लिए कदम उठा सकें। जिस कारागार को बंदी ले जाया जा रहा था और स्थानांतरण करने वाले कारागार के अधीक्षकों को भी बंदी के भागने के बारे में सूचना देनी होगी और जिस कारागार से बंदी भागा है उसका अधीक्षक बंदी की फिर से गिरफ्तारी के लिए निर्धारित उपाय करेगा। फिर से पकड़े जाने पर ऐसे कैदी को उसे उसी कारागार में वापस भेज दिया जाएगा जहां से उसे स्थानांतरित किया जा रहा था। बंदी के फिर से पकड़

लिये जाने के बारे में एक रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक और जिस कारागार में बंदी को ले जाया जा रहा था उसके अधीक्षक को दी जाएगी।

स्थानांतरित बंदियों का दाखिला

716 प्रापक कारागार में बंदी के पहुंचने पर उसके दाखिले के लिए सामान्य प्रकिया अपनायी जाएगी। अधीक्षक को इस बात के लिए आ"वस्त होना होगा कि सही संख्या में बंदी प्राप्त हो गये हैं और पारगमन के दौरान उनके खाने–पीने आदि का पूरा ध्यान रखा गया।

बदियों के साथ भेजी जाने वाली सूचियों का सत्यापन

717 प्राप्तकर्ता जेल के प्राधिकृत कारागार अधिकारी के बंदी के दस्तावेज और संपत्ति के सही तरीके से प्राप्त हो जाने के बारे में आ"वस्त हो जाने के बाद एक ज्ञापन और तीन प्रतियों में संपत्ति की सूची पर प्रतिहस्ताक्षर करने होंगे और उन्हें स्थानांतरित करने वाले कारागार को लौटाना होगा।

पत्र लिखने की सुविधा

718 कारागार के अधीक्षक को अपने विवेक से बंदी के स्थानांतरण से पहले और बाद में परिवार को पत्र लिखने की वि"ोष सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए कारागार अधिकारियों को स्टे"ानरी उपलब्ध करानी चाहिए।

स्थानांतरण आदेश पर अमल न होने पर कार्रवाई

719 अगर किसी अपरोधी के स्थानांतरण के आदे"ा पर बीमारी, अपील पर रिहाई या किसी अन्य कारण से अमल न हो सके तो अधीक्षक महानिरीक्षक को उन कारणों के कारे में लिखित में सूचना देगा जिनकी वजह से आदे"ा पर अमल नहीं हो सका।

कारागार परिवहन

720 कारागार की परिवहन व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा और बंदियों को सुरक्षित, स्वच्छ, सकु"ाल और समुचित तरीके से लाने–लेजाने के लिए आधुनिकतम वाहनों की खरीद की जाएगी।

अध्याय – 10
कैदियों का देश प्रत्यावर्तन

721. बड़ी संख्या में भारतीय कैदी विभिन्न देशों के कारागारों में बंद हैं, जो वहां की सज़ा काट रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में विदेशी कैदी भारतीय कारागारों में बंद हैं। ये कैदी लंबी दूरी के कारण अपने परिवारों से मिलने में असमर्थ हैं और परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क टूट जाने से उनके पुनर्वास और सुधार में रुकावटें आती हैं। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय समझौतों और कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 तथा कैदियों का प्रत्यावर्तन नियम 2004 के तहत प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के जरिए ऐसे कैदियों को उनकी शेष सज़ा की अवधि पूरी करने के लिए स्वदेश लाया जा सकता है।

722. भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल कारागार नियमावली, 2016 के अनुसार भारत ने 27 देशों (सूची नीचे दी गई है) के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं और एक बहु–पक्षीय संधि अर्थात् विदेश में सज़ा काट रहे अपराधियों के बारे में इंटर–अमरीकन कन्वेंशन (आईएसी) में भारत शामिल है, जिस पर अमरीकी राष्ट्रों के संगठन (ओएएफ) के सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, परंतु गैर–ओएएस सदेशों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल कारागार नियमावली, 2016 के अनुसार भारत ने 36 देशों (20 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और 16 देशों के साथ इंटर–अमरीकन कन्वेंशन के जरिए) के साथ विदेश में आपराधिक सज़ा काट रहे व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए व्यावहारिक व्यवस्था की है। ये देश हैं – ब्रिटेन, मॉरिशस, फ्रांस, बल्गारिया, मिस्र, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका, कम्बोडिया, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इटली, मालदीव, तुर्की, थाईलैंड, रूसी परिसंघ, कुवैत, हांगकांग, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और अर्जेंटीना, बेलिजे, कनाडा, चेक गणराज्य, चिली, कोस्टारिका, एक्वाडोर, अल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पराग्वे, अमरीका, वेनेजुएला। भारत सरकार द्वारा

प्रसारित मॉडल कारागार नियमावली, 2016 के अनुसार इन देशों में से निम्नांकित 20 देशों के साथ भारत ने व्यावहारिक समझौते किए हैं : ब्रिटेन, मॉरिशस, बलगारिया, फ्रांस, मिस्र, श्रीलंका, कम्बोडिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, तुर्की, मालदीव, थाईलैंड, रूसी परिसंघ, कुवैत और हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इन देशों के कारागारों में सज़ा काट रहे भारतीय कैदी उक्त समझौतों की शर्तों के अनुसार भारत लाए जा सकते हैं और अन्य देशों के नागरिक समझौतों के अनुसार अपने–अपने देश में प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं।

723. भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल कारागार नियमावली, 2016 के अनुसार भारत ने अमरीकी राष्ट्रों के संगठन (35 सदस्य राष्ट्रों का क्षेत्रीय संगठन) के बहुपक्षीय कन्वेंशन पर भी सहमति व्यक्त की है। विदेश में आपराधिक सज़ा काट रहे कैदियों के बारे में इंटर–अमरीकन कन्वेंशन पर 9 जून 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता 12 अप्रैल, 1996 से प्रवृत्त हुआ। यह एक बहु–पक्षीय संधि है, जो अमरीकी राष्ट्रों के संगठन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करती है। भारत सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण के बारे में काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन में शामिल होने की भी प्रक्रिया में है। सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबंधित काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन की स्थापना 12 अप्रैल, 1983 को की गई और यह 1 जुलाई, 1985 से काम करने लगी। इस कन्वेंशन की पुष्टि अभी तक कुल 64 देशों ने की है। इनमें से 45 देश काउंसिल ऑफ यूरोप के सदस्य राष्ट्र हैं। ये हैं – अल्बानिया, एंडोरा, अर्मीनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बोस्निया और हर्जेगोविना, बलगारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लात्विया, लिचटेंस्टेन, लिथुआनिया, लग्जम्बर्ग, माल्टा, मोल्डोआ, मोनाको, मोंटेनिग्रो, नीदरलैंड्स, नार्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सैन मैरीनो, सर्बिया, स्लोवॉकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विटज़रलैंड, पूर्ववर्ती यूगोस्लॉव रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया,

तुर्की, यूक्रेन और ब्रिटेन। शेष 19 देश काउंसिल ऑफ यूरोप के सदस्य राष्ट्र नहीं हैं, ये हैं – ऑस्ट्रेलिया, बहमास, बोलीविया, कनाडा, चिली, कोस्टिका, एक्वाडोर, होंडूरस, इस्राइल, जापान, कोरिया, मॉरिशस, मैक्सिको, पनामा, फिलिपीन्स, टोंगा, ट्रिनीडाड और टोबेगो तथा संयुक्त राज्य अमरीका, वेनेजुएला।

724. देश प्रत्यावर्तन अनुरोधों को प्रोसेस करने की प्रक्रिया परिशिष्ट–8 में नीचे दी गई है।

अध्याय 11
सजा पर अमल

सजा अवधि की गणना का तरीका

725. सजा की अवधि की गणना कैलेण्डर वर्ष, महीने, पक्ष, सप्ताह या दिन में की जाएगी। 'वर्ष' शब्द का मतलब ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार एक वर्ष, एक पक्ष का मतलब 14 दिन और एक सप्ताह का मतलब 7 दिन।

726. जब किसी बंदी की सजा की अवधि की गणना में महीने का खण्ड शामिल होगा तो रिहाई की तारीख की गणना उस खण्ड को दिनों में परिवर्तित करके तय की जाएगी। इसके लिए महीने को 30 दिनों का माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी बंदी को 2 फरवरी को डेढ़ महीने की सजा सुनायी गई है तो उसकी रिहाई की तारीख 10 मार्च होगी।

सजा काटना

727. सजा किसी भी क्रम में काटी जाए लेकिन किसी भी बंदी को सभी सजाओं की सम्मिलित अवधि तक जेल में रहना होगा। हालांकि किसी भी द"ाा में बंदी को जेल में वारंट ऑफ कमिटमेंट में दर्ज अवधि से अधिक समय तक कैद में नहीं रखा जाएगा।

728. सजा किस क्रम में काटी जाएगी, यदि इस विषय पर कोई संशय हो तो उस अदालत से निर्देश लिया जाएगा जिसने अंतिम सजा सुनायी होगी।

सजा का आरंभ और इसमें अंतराल की गणना का तरीका

729. किसी आपराधिक मामले में सजा अवधि की समाप्ति की तारीख की गणना करते समय जिस दिन सजा सुनायी गई थी और जिस दिन रिहाई होनी है दोनों ही दिनों को सजा की अवधि में गिना जाएगा। कोई बंदी जिसे कोर्ट उठने तक की ही सजा सुनायी गई हो तो उसे कोर्ट से ही रिहा किया जाएगा और उसे जेल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी मामले में बंदी को अदालत के उठने तक की सजा सुनायी गई हो और जिसे कोई अन्य सजा उसी दिन सुनायी गई हो तो दूसरी सजा उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन उसे सुनायी गई है। यदि किसी बंदी को 24 घंटे की सजा सुनाई

गई है तो उसे ठीक 24 घंटे ही जेल में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में सजा के घंटे की शुरुआत वारंट में इंगित समय से मानी जाएगी। जिन बंदियों को एक दिन की सजा सुनायी गई होगी उन्हें जेल में भर्ती किया जाएगा और उसी दिन रिहा कर दिया जाएगा।

उदाहरण 1: किसी बंदी को जिसे 1 जनवरी को एक महीने के कैद की सजा सुनायी गई होगी उसे 31 जनवरी को रिहा किया जाएगा, 1 फरवरी को नहीं। उदाहरण 2: यदि किसी बंदी को 28 फरवरी को एक महीने की सजा सुनायी गई होगी उसे 27 मार्च को रिहा किया जाएगा क्योंकि सजा फरवरी के महीने में सुनायी गई थी जिसमें 28 दिन होते हैं। उदाहरण 3: यदि किसी बंदी को 1 जनवरी को एक दिन की सजा सुनायी गई होगी तो उसे उसी दिन रिहा किया जाएगा। लेकिन यदि उसे 24 घंटे की कैद की सजा दी गई होगी तो उसे 24 घंटे की अवधि के लिए कैद में रखा जाएगा उसे 2 जनवरी को उपयुक्त घंटे के पूरा होने से पहले नहीं छोड़ा जाएगा।

730. सजा काटी जाने की अवधि की गणना उस तारीख से की जायेगी जिस दिन सजा सुनायी गई है सिवाय उन मामलों ने जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 31, 426 और 427 के तहत आते हैं और इन मामलों में कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

व्याख्या: जुर्माने की राशि भर पाने में असमर्थ रहने पर यदि कैद की सजा काटी जानी है तो सजा की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन जुर्माना नहीं भर पाने की वजह से उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया होगा।

731. यदि किसी महीने, जिसमें बंदी की सजा समाप्त हो रही हो, यदि उसमें कोई ऐसी तारीख नहीं है जो कि सजा सुनाये जाने वाले महीने में थी तो ऐसे महीने की अंतिम तारीख को सजा पूरी होने की तारीख माना जाएगा। यही सिद्धान्त उस समय भी लागू होगा जब सजा की अवधि जुर्माने के भुगतान या माफी की वजह से घटा दी गई हो।

732. यदि किसी बंदी को दो या इससे अधिक कैद की सजा सुनायी गई हों जिन्हें एक के बाद एक चलना हो तो रिहाई की तारीख दोनों सजाओं को एक मानकर तय की जाएगी।

उदाहरण 1: ऐसे बंदी जिसे 21 नवंबर 2000 को एक.एक वर्ष की कैद की दो सजायें सुनायी गई होंगी तो उसे 19 नवंबर 2002 के बजाय 20 नवंबर 2002 को रिहा किया जाएगा।

उदाहरण 2: किसी बंदी को 1 जनवरी को दो महीने की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई होगी जिसका भुगतान न होने पर एक महीने की सजा और बढ़ाई गई हो तो जुर्माना न भरने पर उसे 31 मार्च को रिहा किया जाएगा लेकिन यदि जुर्माना भर दिया गया हो तो उसे फरवरी की अंतिम तारीख को रिहा किया जाएगा।

आजीवन कारावास की सजा पाये बंदियों के मामले में रिहाई की तारीख

733. आजीवन कारावास की सजा का तकनीकी रूप से अभिप्राय पूरे जीवन की कैद है। जिन बंदियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है या जिन्हें कुल मिलाकर 20 वर्ष से अधिक की कैद की सजा दी गई है तो प्रशासनिक तौर पर उनकी रिहाई की तारीख की गणना करने के लिए यह माना जाएगा कि उन्हें 20 वर्ष की कैद की सजा दी गई है।

734. यदि मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास या फिर किसी निश्चित अवधि की कैद की सजा में परिवर्तित किया गया है तो उस आजीवन कारावास या निश्चित अवधि की कैद की सजा की शुरुआत उस तारीख से मानी जाएगी जिस दिन कि वह मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई थी।

फरार अपराधी की बची हुई सजा

735. किसी फरार बंदी के मामले में जिसे किसी अन्य मामले में बाद में गिरफ्तार किया गया हो उस मामले में पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत समय या विचाराधीन बंदी के रूप में व्यतीत समय को पुराने मामले में कैद की सजा में व्यतीत समय के रूप में नहीं माना जाएगा।

736. ऐसे सभी बंदियों के मामले में बंदी पुस्तिका में उनकी रिहाई की पुरानी तारीख के स्थान पर आवश्यक टिप्पणी दर्ज की जाएगी।

फरार होने के मामले में सजा पाये बंदी की रिहाई की तारीख

737. यदि किसी बंदी को जेल से फरार होने के मामले में सजा सुनायी जाती है तो ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 426 के अनुसार रिहाई की नयी तारीख की गणना की जाएगी और उसे बंदियों के रजिस्टर में पुरानी तारीख के स्थान पर दर्ज किया जाएगा।

ऐसी अवधि जिसकी गणना कारावास की अवधि के तौर पर नहीं की जाएगी

738. निम्नलिखित मामलों में, बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत समय को जिसे कैद से बाहर रहने की अवधि के तौर पर जाना जाता है, उसकी गणना कैद की अवधि के रूप में नहीं की जाएगी:

(i) फरारी

(ii) जमानत

(iii) पैरोल और फर्लो से संबंधित नियमों के अनुसार स्थगित की गई कैद की अवधि

(iv) अस्थायी रिहाई को गैरकानूनी रूप से बढ़ाना

(v) अदालत द्वारा निर्देशित सजा के निलंबन की अवधि

(vi) सशर्त रिहाई की शर्तों का उल्लंघन

739. यदि बंदी को सजा सुनाये जाने की तारीख के दिन ही बिना जेल भेजे अदालत द्वारा जमानत दे दी जाती है तो ऐसे मामलों में माना जाएगा कि उसने अपनी कैद की अवधि की सजा का कोई भी हिस्सा नहीं काटा है।

740. बंदियों का स्थानान्तरण अधिनियम, 1950 (1950 का XXIXकेंद्रीय अधिनियम) के अधीन जिन बंदियों को एक राज्य की जेल से हटाकर दूसरे राज्य की जेल में भेजा जाता है तो माना जाएगा कि वह अपनी मूल सजा उस जेल में काट रहे हैं जहां पर कि उन्हें स्थानान्तरित किया गया है।

741. यदि किसी बंदी को सशर्त रिहा किया गया था और यदि उसे उन शर्तों के उल्लंघन की वजह से दोबारा जेल भेजा जाता है जिनके आधार पर रिहा किया गया था, तो सरकार के आदेश की प्रतीक्षा किये बिना, जिसकी मांग महानिरीक्षक द्वारा उस बंदी को दोबारा जेल लाये जाने की स्थिति में तुरंत ही की जाएगी, उसकी सजा की शेष अवधि को अमल में लाया जाएगा। ऐसे मामलों में कैद की शेष अवधि का आरंभ उस दिन से माना जाएगा जिस दिन उस बंदी को दोबारा जेल लाया गया होगा।

742.यदि किसी बंदी को जिस दिन जेल में भर्ती किया गया था और उसके बाद किसी दिन रिहा किया गया है लेकिन उसे उसी मामले में दोबारा कैद की सजा दी जाती है तो ऐसे मामले में जेल में भर्ती और जेल से रिहाई के प्रत्येक दिन को सजा की अवधि की गणना करते समय गिना जाएगा।

743. ऐसे मामले जिनमें एक से ज्यादा रिहाई की अवधियां शामिल होंगी तो ऐसी अवधियों के कुल समय की दिनों में गणना की जाएगी और उसे मुख्य सजा में जोड़ दिया जाएगा। ऐसी तारीख जिस तारीख को ऐसी अवधियों का कुल योग पूरा हो रहा होगा, उस तारीख को, इसे दोष सिद्धि की तारीख से गिना जाएगा, सजा की अवधि पूरा होने की तारीख माना जाएगा।

744. ऐसे दोष सिद्ध बंदी जिसे ठीक उसके रिहा होने की तारीख को न्यायालय में ऐसे मामले के लिए उपस्थित होना हो जिसके लिए वह जमानत पर न हो तो ऐसी हालत में उसे सुबह जेल से रिहा हुआ माना जाएगा और उसे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बंदी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि बंदी को उसी दिन कैद की और सजा सुनायी जाती है तो सजा की अवधि की गणना अगले दिन से की जाएगी।

जब किसी विदेशी को कैद की सजा सुनाई जाए

745. यदि किसी विदेशी को जिसे विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31वां केंद्रीय कानून) की धारा 14 के तहत हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल की सजा भुगतनी है तो विदेशियों विषयक अधिनियम के

तहत उसकी हिरासत की अवधि कैद की सजा की अवधि के अतिरिक्त और उससे अलग होगी जो कि उसे सुनायी जाए।

विशेष:किसी विदेशी बंदी के द्वारा जेल की सजा भुगतने के उपरांत उसे एफआरआरओ की अभिरक्षा में सौंप दिया जाएगा ताकि उसे उसके देश वापस भेजा जा सके यदि वह भारत में किसी और मामले में वांछित नहीं है तो।

किसी बंदी की पुनः गिरफ्तारी या उसके दोबारा पकड़े जाने पर रिहाई की तिथि कीगणना

746. किसी ऐसे बंदी की रिहाई की तिथि की गणना करते समय जिसे दोषसिद्धि के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया हो लेकिन जिसे दोबारा जेल लाया गया हो या जो फरार हो गया हो लेकिन बाद में पकड़ा गया हो ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

747. उन दिनों की संख्या को कैद की अवधि में जोड़ा जायेगा जब वह जमानत पर था या फरार था और इसमें रिहाई और पुनः गिरफ्तारी के दिनों और फरारी और दोबारा गिरफ्तारी के दिनों को नहीं जोड़ा जाएगा। दोष सिद्धि की तारीख से गणना करने पर वह तारीख जिसमें इन अवधियों का योग पूरा हो रहा होगा वह तारीख उस बंदी की सजा समाप्त होने की तारीख होगी।

उदाहरणः एक बंदी जिसे एक जनवरी को एक महीने की कैद की सजा सुनायी गयी और जो 15 जनवरी को फरार हो गया लेकिन 16 जनवरी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में वह अपने असली वारंट पर 2 फरवरी को रिहा होने का अधिकारी होगा।

748. यदि एक दोष.सिद्ध बंदी को जिसे जमानत पर रिहा किया गया है यदि वह जमानत की अवधि के दौरान कोई अपराध करता है और उसे दोबारा जेल में बंद किया जाता है तब कैद से बाहर रहने की अवधि को उस तिथि तक गिना जाएगा जिस दिन संबंधित न्यायालय के आदेश पर जमानत रद्द कर उसे दोबारा हिरासत में लिया जाए।

बंदी जिन्हें साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी हो

749. वे शर्तें जिनके अधीन बंदी श्रमिक का कार्य कर सकते हैं :

(1) कोई बंदी जिसे साधारण कारावास की सजा दी गयी हो यदि काम करना चाहे तो उसे ऐसा काम करने की अनुमति दी जा सकती है जो कि अधीक्षक की तरफ से दिया गया हो।

(2) ऐसे बंदियों को कार्य की उपेक्षा के लिए दण्डित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि वह लगातार काम की उपेक्षा करे तो उपनियम (1) के तहत दी गयी अनुमति को वापस लिया जा सकता है।

(3) यदि वह किसी भी समय काम नहीं करने की लिखित इच्छा व्यक्त करे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) यदि वह श्रम का कार्य करने का चयन करता है तो उसे जेल के कपड़े पहनने होंगे।

750. सामान्य अनुशासन

(1) जिन बंदियों को साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी हो उन पर वही अनुशासनात्मक प्रतिबंध लागू होंगे जो कि अन्य बंदियों पर लागू होते हैं।

(2) उन्हें अपने कक्ष स्वयं साफ करने होंगे, वस्त्र स्वयं धोने होंगे और अपने वस्त्रों और बिस्तर को साफ तरीके से तह करके रखना होगा।

(3) वे जेल के उसी हिस्से में रहेंगे जहां उन्हें रखा जाएगा और जेल में इधर.उधर नहीं घूमेंगे और न ही कार्यशालाओं और श्रमशालाओं में प्रवेश करेंगे।

751. बंदी जिन्हें साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी होः.

(1) ऐसे बंदी जिन्हें साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी हो जहां तक संभव हो उन्हें अन्य बंदियों से अलग रखा जाएगा।

(2) उन्हें जेल की प्रत्येक सांस्कृतिक और सुधारात्मक गतिविधियों में भाग लेना होगा जैसे शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा, नैतिक उपदेश, खेल और मनोरंजन इत्यादि।

(3) सैन्य बंदी जिन्हें साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी हो उन्हें जेल में रहने के दौरान सेना की वर्दी धारण करने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसे किसी बंदी के पास सैन्य वर्दी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र नहीं होंगे तो उसे सरकार के खर्च पर उसके स्तर के अनुरूप वस्त्र उपलब्ध कराये जाएंगे।

बंदी जिन पर जुर्माना लगाया गया हो

752. वे बंदी जिन्हें केवल जुर्माना का भुगतान नहीं करने की वजह से कैद हुई हो उन्हें सीआरपीसी की धारा 428 के तहत लाभ नहीं मिलेंगे।

753. जुर्माना का रजिस्टर : जेल में जुर्माना का एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें बंदियों द्वारा दिये गये जुर्माने का विवरण दर्ज किया जाएगा।

754. जुर्माना वसूलने का अधिकारः.

(1) जेल में अधीक्षक या उपाधीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं और ऐसी राशि को नकदी की किताब में दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित बंदी को एक रसीद जारी की जाएगी।

(2) अधीक्षक जुर्माना की राशि को अगले 24 घंटे में या अगले कार्यदिवस में खजांची के पास जमा करेगा। यहा खजांची का दायित्व होगा कि जेल में वसूले गये जुर्माना का ठीकठीक हिसाब रखा जाए और उसे राजकोष में तय समय पर जमा किया जाए। अधीक्षक इस संबंध में खजांची के पास जमा जुर्माने की राशि के लिए नियत तरीके से मुद्रित फार्म में रसीद प्राप्त करेगा। और इस रसीद को दोषसिद्ध बंदियों के रजिस्टर में चिपकाया जाएगा।

(3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा या उपाधीक्षक द्वारा वसूली गयी जुर्माना की पूरी राशि तय समय पर खजांची के पास जमा कर दी गयी है। अधीक्षक उसके द्वारा या उपाधीक्षक द्वारा वसूले गये जुर्माना और खजांची के पास जमा राशि का मिलान सुनिश्चित करेगा।

(4) अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि खजांची के पास जमा सकल राशि तय समय पर राजकोष में जमा की जाए।

755. सामान्य अनुशासनःजुर्माना की भरपाई नहीं कर पाने की वजह से सजा भुगत रहे बंदियों पर अनुशासन के वही नियम लागू होंगे जो कि अन्य दोष.सिद्ध बंदियों पर लागू होते हैं।

जुर्माना का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर सजा की अवधि की गणना करना

756. जुर्माना का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर सजा की अवधि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः

(i) जुर्माना का भुगतान करने में असमर्थ रहने की वजह से दी गयी कैद की सजाएं एक साथ नहीं चल सकती हैं।

(ii) यदि कोई बंदी जिसे कि जुर्माना का भुगतान करने में असमर्थ रहने की वजह से पहली सजा काटने की अवधि के दौरान दूसरी सजा सुनायी जाती है तो दूसरी कैद की सजा उस तारीख को आरंभ होगी जिस दिन पहली सजा समाप्त होगी या फिर उस दिन जिस दिन जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

उदाहरणः एक बंदी जिसे 31 जनवरी को 300 रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी गयी हो और भुगतान करने में असमर्थ रहने की स्थिति में 2 महीने के सश्रम कारावास और उसी वर्ष 12 फरवरी को किसी अन्य अपराध में 4 महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी हो। यदि वह 28 फरवरी को जुर्माना का पूरा भुगतान कर देता है तो चार महीने की कैद 28 फरवरी से आरंभ होगी ना कि 31 जनवरी से।

(iii) यदि एक बंदी जो जुर्माना के भुगतान में असफल रहने पर जेल की सजा भुगत रहा है यदि उसे उसी दौरान या बाद में कैद की कोई अन्य सजा या एक से अधिक सजायें सुनायी जाती हैं तो आरंभिक कैद को कैद की सभी मौलिक सजाओं के पूर्ण होने तक स्थगित रखा जाएगा। इसे उस अवधि के पूरा होने के पहले अथवा जब तक कि कैद की सजा की अवधि है जुर्माना का पूर्ण या आंशिक भुगतान होने पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

व्याख्याः यह नियम उन बंदियों पर लागू होता है जिनकी पहली कैद की सजा ही जुर्माना के भुगतान में असफल रहने की वजह से है। बाद में सुनायी गयी कैद की सजायें पहली सजा की तारीख से शुरू होंगी और जुर्माना के भुगतान में असफल रहने की वजह से मिली कैद की सजा सबसे बाद में आरंभ होगी। यद्यपि यह हो सकता है कि जब कैद की मूल सजा सुनायी गयी हो तो जुर्माना के भुगतान में असफल रहने की वजह से सुनायी गयी कैद की सजा का एक हिस्सा पूरा हो चुका हो हालांकि यह उस समय लागू नहीं होगा जब कैद

की सजा मौलिक सजाओं से भिन्न प्रकृति की होगी। ऐसे मामलों में जुर्माना के भुगतान में असफल रहने की सजा को अन्य मौलिक सजाओं को लागू करने से पहले लागू किया जाएगा।

(iv) ऐसी कैद की सजा जो कि जुर्माना के भुगतान में असफल रहने की वजह से दी गयी है उस समय समाप्त हो जाएगी जब या तो जुर्माना का भुगतान कर दिया गया हो या उसे वैधानिक प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया गया हो।

(v) यदि किसी बंदी को कैद की ऐसी सजा दी गयी है जो पूर्ण या आंशिक रूप से किसी जुर्माने का भुगतान करने में असफल रहने की वजह से दी गयी है और उस जुर्माने का पूर्ण या आंशिक रूप से तुरंत भुगतान नहीं कर दिया गया है तो रिहाई की तारीख की गणना की जायेगी और इसे बंदी के वारंट और हिस्ट्री टिकट में और रजिस्टरों में इस प्रकार दर्ज किया जाएगा जो कि जुर्माने के भुगतान और गैरभुगतान दोनों को दर्शाये।

(vi) यदि किसी बंदी को जुर्माना की सजा सुनायी गयी है और भुगतान नहीं होने पर जेल की सजा। यदि वह जुर्माने का आंशिक भुगतान करता है तो रिहाई की तारीख को आनुपातिक रूप से बदला जाएगा। यदि जुर्माना के भुगतान में असफल रहने पर कैद की सजा को कैलेण्डर के महीनों में सुनाया गया है तो जुर्माने के भुगतान की स्थिति में सजा में कमी की अवधि की गणना भी महीनों में ही की जाएगी दिनों में नहीं। किसी भी भुगतान की गणना महीनों में ही की जाएगी दिनों में नहीं। ऐसी गणना से प्राप्त किसी महीने के अंश को दिनों में परिवर्तित किया जाएगा। यदि ऐसी गणना से प्राप्त अवधि को दिनों में ठीक.ठीक विभक्त नहीं किया जा सकता हो या यह एक दिन से भी कम हो तो उस आंशिक दिन को एक पूरे दिन के समान माना और गिना जाएगा।

उदाहरणः यदि किसी बंदी को एक जनवरी को 300 रु. के जुर्माना की सजा दी गयी और भुगतान में असमर्थ होने पर 6 महीनों का कारावास। और यदि 75 पैसे को छोड़ कर जुर्माने

की राशि का कोई भी अंश वसूला नहीं जा सका तो उसे 29 जून को रिहा कर दिया जाएगा यद्यपि वसूला गया जुर्माना एक दिन की भी सजा कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

(vii) यदि किसी बंदी को जुर्माना की सजा सुनायी गयी है और इसका भुगतान क़िस्तों में किया जाना है तो कैद की सजा में कमी की गणना व्यक्तिगत भुगतानों के आधार पर नहीं की जाएगी बल्कि पिछले कई भुगतानों के सकल योग के आधार पर की जाएगी।

उदाहरणः यदि किसी बंदी को एक जनवरी को 6 महीने के कारावास की सजा सुनायी गयी और 300 रुपये का जुर्माना और आदेश दिया गया कि यदि जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया तो उसे 6 और महीनों की कैद की सजा मिलेगी तो यदि दोष सिद्ध होते ही वह बंदी 100 रुपये का तुरंत भुगतान कर दे तो उस बंदी की रिहाई की तारीख 31 अक्टूबर तय की जाएगी (6 महीने और जुर्माने की बकाया राशि के अनुसार 4 महीने और)। यदि वह बाद में 100 रुपये का भुगतान और कर देता है तो रिहाई की तारीख बदल कर 31 अगस्त हो जाएगी और उसके पूरा भुगतान करने की स्थिति में रिहाई की तारीख 30 जून हो जाएगी।

(viii) यदि किसी बंदी को जुर्माने की सजा दी गयी है और भुगतान में असमर्थ रहने पर कुछ वर्ष, महीनों और दिनों की कैद की सजा। और वह जुर्माने के एक अंश का भुगतान करता है तो कैद की अवधि में कमी की गणना वर्षों और महीनों में की जाएगी दिनों में नहीं और ऐसी गणना किसी महीने के अंश में निकलती है तो उसे दिनों में परिवर्तित किया जाएगा। और यदि महीने का ऐसा अंश ठीक.ठीक दिनों में नहीं विभक्त होता है या फिर एक दिन से कम निकलता है तो उस आंशिक दिन को बंदी के पक्ष में एक पूर्ण दिवस के रूप में माना और गिना जाएगा।

(ix) किसी बंदी को जुर्माना के बदले में सीआरपीसी की धारा 428 का लाभ नहीं दिया जाएगा। जुर्माना के भुगतान में असफल

रहने पर मिली कैद की सजा जुर्माने के भुगतान में असफल रहने पर मिली अन्य सजाओं के साथ नहीं चलेगी।

जेल को जुर्माना का भुगतान

757. यदि किसी न्यायाधीश द्वारा किसी बंदी पर सजा के एक हिस्से के रूप में लगाये गये जुर्माने या जुर्माना की सजा के परिणामस्वरूप जुर्माने को जेल में जमा किया जाता है तो इसे जेल के संबंधित अधिकारियों द्वारा रविवार और जेल में छुट्टी के दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में काम के घंटों के दौरान जमा किया जाएगा बशर्ते कि बंदी की तुरंत रिहाई होनी हो। अधीक्षक इस प्रकार प्राप्त राशि को तुरंत ही न्यायालय या कोषागार में जमा करेगा और भुगतान की सूचना संबंधित न्यायालय को देगा।

बंदी का भुगतान दायित्व

758. यदि किसी अपराधी ने जुर्माना का भुगतान नहीं करने की वजह से दी गयी कैद की सजा पूरी भी कर ली है तो भी वह जब्ती और वसूली के जरिये जुर्माने को भुगतने के लिए उत्तरदायी रहेगा। यदि भुगतान में असमर्थ रहने के बदले मिली सजा का एक हिस्सा पूरा भी हो गया है तो यदि अधीक्षक को पूरे जुर्माने का भुगतान किया जाता है तो वह उसे स्वीकार करेगा।

जुर्माना के भुगतान की सूचना

759. जब बंदियों पर लगाये गये जुर्माने की वसूली किसी कोर्ट द्वारा की जाती है तो उस कोर्ट द्वारा भेजी गयी जानकारी को अधीक्षक प्राप्त करेगा। यदि दोषसिद्ध बंदी को किसी अन्य जेल भेजा जाता है तो अधीक्षक रजिस्टर्ड डाक द्वारा उस जेल को सूचना भेजेगा जहां कि उक्त बंदी बंद है। जुर्माने से संबंधित सभी पत्राचार की पावती दी जाएगी।

760. जुर्माना की किसी भी ऐसी सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जिस पर कोर्ट की मोहर नहीं लगी होगी। ऐसी सूचना को उस कोर्ट को समुचित ढंग से पुष्टि करने और कोर्ट की मोहर लगाने के लिए वापस भेजा जाएगा। जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी बंदी द्वारा किये गये भुगतान की

जानकारी मिलेगी तो यह उसी अधिकारी को इस आग्रह के साथ वापस भेज दी जाएगी कि इसे संबंधित कोर्ट के जरिये अग्रेषित करवाया जाए।

बंदियों को सूचना दी जाएगी

761. जब जुर्माना का भुगतान कर दिया गया हो तो संबंधित बंदी को इसकी सूचना दी जाएगी और इसे संबंधित बंदी के पूर्ववृत्तांत के टिकट और वारंट रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। वारंट के रजिस्टर और पूर्ववृत्तांत के टिकट पर पर अधीक्षक या उपाधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे। भुगतान संबंधी सूचना को दर्ज करने के लिए एक अलग प्राप्ति सूचना रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

जमानत राशि के भुगतान में असफल रहने पर कैद और मूल सजा

762. यदि किसी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 106 या 117 के तहत जमानत राशि प्रस्तुत करनी है और यदि आदेश दिये जाने के समय उस व्यक्ति को कैद की सजा सुनायी जाती है या यदि वह कारागार में हो तो वह अवधि जिसमें उस जमानत राशि की आवश्यकता होगी वह अवधि कैद की सजा पूरी होने के बाद आरंभ होगी। अन्य मामलों में जमानत राशि की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन वह आदेश जारी किया गया है सिवाय उस मामले के जिसमें न्यायाधीश समुचित कारण से कोई बाद की तारीख तय करता है। यदि ऐसा व्यक्ति उसकी मूल सजा समाप्त होने के दिन या उससे पहले ऐसा जमानत राशि देने में असफल रहता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए जेल में ही बंद रखा जायेगा जिसके लिए कि जमानत राशि की आवश्यकता है या उस तारीख तक बंद रखा जाएगा जब की मांगी गयी जमानत राशि को प्रस्तुत ना कर दिया जाए। ऐसे मामलों में मूल सजा पूरी होने के बाद व्यक्ति को जेल में रखने के लिए न्यायाधीश के औपचारिक वारंट की आवश्यकता नहीं होगी।

व्याख्याः

763. कोई बंदी जो तीन महीने की सजा काट रहा है उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा

106 के अन्तर्गत दिये गये आदेश के अनुसार 6 महीने के लिए शांति बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए 25 रुपये की जमानत राशि जमा करनी है और इतनी ही धनराशि का जमानतदार उपलब्ध कराया जाना है तो यदि वह तीन महीने की मूल सजा पूरी होने की अवधि की तारीख को या उससे पहले जमानत राशि उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो उसे जेल में तब तक बंद रखा जाएगा जब तक वह जमानत राशि जमा न कर दे या फिर वह अवधि पूरी ना हो जाये जिसके लिए जमानत राशि की आवश्यकता है लेकिन इस तरह से कैद में रखने के लिए किसी औपचारिक आज्ञापत्र की आवश्यकता नहीं है।

764. यदि कोई व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 के तहत जमानत राशि जमा करने में असफल रहने पर कैद की सजा भुगत रहा है और वह ऐसे आदेश के जारी किये जाने से पहले ही दोष.सिद्ध साबित हो चुका था और उसे जेल की सजा सुनायी गयी है तो जेल की ऐसी सजा उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन उसका आदेश दिया गया है और यदि ऐसी सजा उस व्यक्ति की जमानत राशि जमा नहीं कर पाने की वजह से मिली सजा की तारीख से पहले समाप्त होती है तो उस व्यक्ति को जमानत राशि जमा नहीं कर पाने की वजह से मिली सजा की शेष अवधि के लिए जेल में रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो जमानत राशि प्रस्तुत नहीं कर पाने की वजह से जेल की सजा भुगत रहा है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973की धारा 122 के तहत दिये गये आदेश के बाद उसे किसी अपराध का दोषी पाया गया और उसे जेल की सजा दी गयी तो ऐसी कैद की सजा उस सजा के बाद आरंभ होगी जो कि उसे जमानत राशि प्रस्तुत करने में असफल रहने पर मिली है जब तक कि संबंधित न्यायालय आदेश ना दे कि उक्त सजा और जमानत राशि प्रस्तुत कर पाने में असफल रहने की वजह से मिली सजायें एक साथ चलेंगी।

765. यदि कोई बंदी जो पहले ही किसी मूल सजा की वजह से जेल में है यदि उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के आठवें

अध्याय के तहत अच्छे व्यवहार और शांति बनाये रखने के लिए मांगे गये जमानत राशि को प्रस्तुत करने में असफल रहने पर कैद की नयी सजा सुनायी गयी है तो ऐसे आदेश को उस सत्र न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जाएगा जिसके अधीन आदेश पारित करने वाला न्यायाधीश होगा।

766. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 (2) में वर्णित अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन उसे सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाएगा सिवाय उसके कि जब आदेश पारित करने वाले न्यायालय ने किसी अन्य तारीख से इसकी गणना करने के लिए स्पष्ट रूप से अपने आज्ञापत्र में आदेश दिया हो। ऐसे मामलों में वरिष्ठ न्यायालय का आदेश मान्य होगा।

767. जमानत राशि प्रस्तुत करने में असफल रहने की वजह से मिली कैद की सजा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 427 में वर्णित मूल सजा के समान नहीं है।

व्याख्या

1. जब किसी बंदी की सजा, जिसमें जुर्माना की सजा भी है, अपीलीय न्यायालय द्वारा घटा दी जाती है या संशोधित कर दी जाती है तब जुर्माना के भुगतान में असफल रहने की वजह से मिलने वाली सजा संशोधित मूल सजा के तुरंत बाद आरंभ होगी न कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय की तारीख से।

उदाहरणः-

1. न्यायालय ने 1 जनवरी 2017 को एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना के भुगतान में असफल रहने पर 2 और महीनों की साधारण कारावास की सजा दी और अपीलीय न्यायालय 1.8.2017 को मूल सजा को 6 महीने की सजा में परिवर्तित कर देता है और जुर्माना को बनाये रखता है तो रिहाई की तारीख इस प्रकार होगीः-

सजा सुनाये जाने की तारीख	: 01.01.2017
कैद की अवधि	: 01 वर्ष
रिहाई की तारीख	: 31.12.2017
जुर्माना न भरने पर सजा	: 02 महीने

रिहाई की तारीख : 28.02.2018

अपीलीय न्यायालय इसको निम्न प्रकार से संशोधित करता है:

सजा सुनाये जाने की तारीख : 01.01.2017
संशोधित सजा : 06 महीने
रिहाई की तारीख : 30.06.2017
जुर्माने की सजा : 02 महीने
रिहाई की तारीख : 30.08.2017

2. एक से अधिक (एक के बाद एक चलने वाली कई सजा होने पर) सजाओं के मामले में यह सजा दी जाने वाली तारीख के अनुसार चलेंगी।

उदाहरणः. किसी बंदी को 2 सजा सुनायी गई हों : पहली सजा 1.1.2017 को एक वर्ष की कैद सुनायी गयी और 1.3. 2017 को दूसरी सजा 10 वर्ष की कैद की सुनायी गयी तो 10 वर्ष की कैद की सजा पहली सजा पूरी होने के बाद आरंभ होगी।

3. किसी मामले में किसी बंदी को एक ही दिन दो अलग मामलों में एक जैसी कैद की सजा सुनायी गयीं जो एक साथ नहीं चलेंगी तो ये कैद की सजायें अपराध के वर्ष और तारीख के आधार पर चलेंगी अर्थात् प्राथमिकी संख्या/वर्षानुसार।

उदाहरणः यदि एक बंदी को दो मामलों में 1.1.18 को एफआईआर संख्या 70/15 और 50/16 में प्रत्येक में दो वर्ष की कैद की सजा सुनायी गयी तो एफआईआर संख्या 70/15 के मामले में सुनायी गयी सजा पहले चलेगी।

4. यदि किसी बंदी की सजा अपीलीय न्यायालय द्वारा घटाकर/परिवर्तित करके उतनी कर दी जाती है जितनी की वह बंदी पहले ही काट चुका है तो माना जाएगा कि बंदी की जुर्माना के भुगतान में असफल रहने वाली सजा भी भुगत ली गयी है सिवाय उस समय के जब जुर्माने की सजा के लिए अलग से कोई आदेश न दिया गया हो।

5. यदि बंदी को 3.12.2013 को आजीवन कारावास की सजा दी गयी हो और जो किसी अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहा हो और उसे 7.8.2015 को अपीलीय न्यायालय द्वारा

जमानत दे दी गयी। दूसरे मामले में उसे 11.12.2015 को जमानत मिल गयी। तो दोष.सिद्ध बंदी द्वारा 7.8.2015 से 11. 12.2015 तक जेल में रहने की अवधि की गणना को पहले मामले में काटी गयी जेल की सजा नहीं माना जाएगा।

सजा निलंबित होने के बाद की प्रक्रिया

768. यदि कोई अपीलीय न्यायालय सजा को निलंबित करने का या निलंबित करने के निर्णय के विरुद्ध की गयी अपील को निलंबित करने का आदेश देता है, तो अपील करने वाले व्यक्ति को ऐसे न्यायालयों के अगले आदेशों की प्रतीक्षा में जेल में रखा गया है तो उसे हर तरह से विचाराधीन बंदी माना जायेगा।

769. यदि अपीलकर्ता को अंततः कैद की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनायी जाती है तो वह अवधि जिसमें मूल सजा को निलंबित रखा गया था तोः

क. यदि बंदी के जेल में रहने के दौरान सजा सुनायी गयी थी तो उसे कैद की अवधि की गणना में शामिल किया जायेगा।

ख. यदि आदेश उस समय पारित किया गया था जब बंदी जेल से बाहर था तो अपीलीय न्यायालय द्वारा सुनायी गयी कैद की सजा की अवधि की गणना करने में इस अवधि को नहीं गिना जाएगा।

जब दोबारा सुनवाई का आदेश दिया गया

770. जब कोई न्यायालय मुकदमे की दोबारा सुनवाई के बाद सजा सुनाता है या फिर अपील की वजह से पहली सजा को उलट दिया जाता है और दोबारा मुकदमे (नये मुकदमे) का आदेश दिया जाता है तो पहले की सजा या उसका कोई अंश जो कि बंदी नया मुकदमा शुरू होने से पहले ही भुगत चुका हो उसे नये मुकदमे के बाद सुनायी गयी सजा की गणना करने में सम्मिलित किया जाना चाहिए सिवाय उस समय के जबकि वह जेल के बाहर था या तब जब इस संबंध में कोई अन्य सुस्पष्ट आदेश दिया गया हो।

771. यदि किसी दोषसिद्ध बंदी को किसी विवेचना के लिए पुलिस को सौंपा जाना है तो न्यायालय का आदेश आवश्यक है।

सजा को अपील के बाद संशोधित करने अथवा पलट दिए जाने के बाद की प्रक्रिया

772. जब किसी बंदी की सजा अपील के बाद किसी न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय को छोड़कर, संशोधित कर दी गयी हो या पलट दी गयी हो तो अपीलीय न्यायालय द्वारा जेल के सक्षम अधिकारी के लिये नया आज्ञापत्र जारी किया जाएगा और इसकी सूचना निचले न्यायालय को भी दी जाएगी।

773. बशर्ते दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के तहत अपीलीय न्यायालय ने किसी बंदी के मामले में मुकदमे की नयी सुनवायी या दोबारा सुनवाई के आदेश दिये हों तो उक्त न्यायालय उस संबंधित न्यायालय को अपने आदेश की सूचना देगा जिसका कि आदेश उलटा गया है और वह निचला न्यायालय ऐसा आदेश पारित करेगा जो कि अपीलीय न्यायालय के आदेश से सुसंगत होगा।

774. जब किसी मुकदमे में निर्णय उच्च न्यायालय में अपील या उसके आदेश से हुआ है तो जिस न्यायालय या न्यायाधीश को उच्च न्यायालय ने अपना आदेश भेजा है तो आवश्यक होने पर वह न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 388 या 405 के तहत संबंधित जेल अधिकारी को नया आदेश या आज्ञापत्र जारी करेगा।

775. ऐसे सभी मामलों में जहां अपील अथवा पुनर्विचार के जरिये सजा अथवा आदेश को संशोधित कर दिया गया हो अथवा उसे पलट दिया गया हो तो सभी संबंधित बंदियों को अलगअलग वारंट जारी किया जाएगा।

दण्ड की पुष्टि के बाद की प्रक्रिया

776. जब अपील को अस्वीकार कर दी गयी है या उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य अपीलीय न्यायालय से सजा की पुष्टि कर दी गयी है तो इस संबंध में जेल के सक्षम प्राधिकारी को उक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा सूचना भेजी जाएगी और ऐसे किसी आदेश की सूचना निचले न्यायालय को उसके अभिलेख में दर्ज करने के लिए भी भेजी जाएगी।

777. जब किसी बंदी की अपील या पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने की सूचना उस न्यायालय को दी जाती है जिसने उक्त बंदी को सजा सुनायी थी तो उक्त न्यायालय तुरंत इस निर्णय की सूचना बंदी को दिये जाने की व्यवस्था करेगा।

778. सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की सजा की पुष्टि के लिए जो मामले उच्च न्यायालय को भेजे गये हैं ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय अपने आदेश की एक प्रति सत्र न्यायालय को भेजेगा और सत्र न्यायालय इसके लिए जेल के सक्षम प्राधिकारी के लिए एक आज्ञापत्र जारी करेगा।

बंदी को उसकी याचिका या प्रार्थनापत्र के संबंध में आये निर्णय की सूचना दी जाएगी

779. सभी मामलों में जेल का अधीक्षक एक पत्र के द्वारा किसी आज्ञापत्र, आदेश या सूचना प्राप्त होने की पुष्टि करेगा और संबंधित बंदी को उसकी याचिका या प्रार्थनापत्र पर लिये गये निर्णय की सूचना देगा।

अपील क बाद सजा में संशोधन की गणना

780. जब कोई अपीलीय न्यायालय निचले न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को धाराओं में परिवर्तित किये बिना बदलता है या जब कोई अपीलीय न्यायालय दोष.सिद्ध करने वाली धाराओं या सजा की धाराओं या कोई अन्य परिवर्तन कर नया दण्ड सुनाता है तो नयी सजा की गणना पहले दी गयी सजा में हुई कैद के पहले दिन से की जाएगी सिवाय उस समय के जब कि कोई अन्य आदेश अलग से दिया गया हो।

दो सजाओं में से पहली सजा को निरस्त किये जाने का प्रभाव

781.जब किसी बंदी को एक मुकदमे में दो अलग.अलग आज्ञापत्रों के जरिये जेल भेजा गया हो और एक आज्ञापत्र में दर्ज सजा दूसरे आज्ञापत्र में दर्ज सजा के पूरी होने के बाद आरंभ हो तो ऐसे मामले में यदि पहले आज्ञापत्र के जरिये सुनायी गयी सजा अपील में निरस्त हो जाती है तो दूसरे आज्ञापत्र में दर्ज सजा का आरंभ उस तारीख से माना जाएगा जिस दिन उसे पहले मामले में जेल भेजा गया था।

782. जब अलग.अलग मामलों में अलग.अलग सजा सुनायी गयी हों और 1973 की आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 427 के तहत कैद की सजा एक के बाद एक चल रही हों तब पहली सजा के अपील में निरस्त होने की स्थिति में दूसरे मामले में सजा का आरंभ उस मामले में दोषी.सिद्ध होने की तारीख से होगा।

व्याख्या:

किसी बंदी को 1 जुलाई को दो अलग मामलों में 6.6 महीने की कैद की दो सजा सुनायी गयीं। अपील करने पर पहली सजा को 31 अगस्त को निरस्त कर दिया गया तो बंदी 31 दिसंबर को रिहाई का अधिकारी होगा।

किसी बंदी को 1 जुलाई को 6 महीने की कैद की सजा सुनायी गयी और 1 अगस्त को 6 महीने की कैद की एक और सजा सुनायी गयी। अपील करने पर 31 अगस्त को पहली सजा निरस्त कर दी गयी तो बंदी 31 जनवरी को रिहाई का अधिकारी होगा।

783. यदि दूसरे मामले में भी अपील दाखिल की गयी है तो यह उक्त अपील पर विचार कर रहे न्यायालय के अधिकार में होगा कि दूसरी दोष.सिद्धि की तारीख और पहली अपील स्वीकार किये जाने की तारीख की बीच की कैद की अवधि का लाभ देने का आदेश दे सके।

784. यद्यपि दूसरे मामले में उस स्थिति में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा जबकि बंदी ने दूसरे मामले में संबंधित न्यायालय से दोष.सिद्धि से पूर्व पहले मामले में जो सजा जेल में काटी होगी।

जब कोई अपीलीय न्यायालय सजा को निरस्त कर दे और मुकदमे की दूसरी सुनवाई का आदेश दे

785. जब कोई अपीलीय न्यायालय किसी दण्ड को निरस्त कर दे और बंदी पर दोबारा मुकदमा चलाने का आदेश दे और बंदी की रिहाई के लिए कोई आज्ञापत्र प्राप्त न हुआ हो तो उक्त बंदी को विचाराधीन बंदियों के कक्ष में स्थानान्तरित किया जाएगा (बशर्ते वह किसी अन्य मामले में सजा न भुगत रहा हो) और मुकदमा शुरू होने से पहले अधीक्षक संबंधित न्यायालय से उसे अभिरक्षा में लेने के लिए आज्ञापत्र प्राप्त

करने के लिए आवेदन करेगा यदि उस समय आज्ञापत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो। इस आज्ञापत्र में उस न्यायालय का नाम होना चाहिए जिसमें बंदी पर मुकदमा चलेगा और वह तारीख जिसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

न्यायिक एकाकी कैद की सजा

786. एकाकी कैद की सजा को लागू किये जाते समय पालन किये जाने वाले नियम

(1) (क) जब किसी बंदी को एक कोठरी में रखा गया है तो कोठरी संख्या को पूर्ववृत्त के टिकट की प्रविष्टि करते समय दर्ज किया जाना चाहिए।

(ख) जितनी भी बार बंदी को एकाकी कारावास से बाहर लाया जाएगा प्रत्येक बार उस बंदी द्वारा एकाकी कारावास में व्यतीत सकल अवधि को उसके पूर्ववृत्त के टिकट में एक अलग प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(ग) जेल से बंदी की रिहाई के समय बंदी द्वारा आज्ञापत्र के अनुसार एकाकी कारावास में व्यतीत कुल समय की प्रविष्टि रजिस्टर संख्या 2 में की जाएगी।

(2) किसी भी बंदी को उस समय तक एकाकी कारावास में नहीं भेजा जाएगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने पूर्ववृत्तांत के टिकट पर इस बात की पुष्टि न कर दी हो कि बंदी इसके लिए स्वस्थ है।

(3) जिन बंदियों को एकाकी कारावास में रखा जाना है सामान्य तौर पर उन्हें चार समूहों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक समूह को एक बार में एक सप्ताह के लिए एकाकी कारावास में रखा जाना चाहिए ताकि कोठरियों का अधिकतम संभव प्रयोग किया जा सके और साथ ही 1860 की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एवं 74 में दर्ज नियमों का पालन किया जा सके।

(4) यदि कोई बंदी जिसे एकाकी कारावास में रखा जाना है यदि वह उस समय अस्वस्थ है तो उसे भविष्य में किसी तारीख को कोठरी में भेजा जाएगा यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 74 में वर्णित नियम इसकी अनुमति देते हों।

(5) एकाकी कारावास में रखने के आदेश को उस समय स्थगित कर दिया जाएगा जबकि इसके विरुद्ध कोई अपील दर्ज कर दी गयी हो।

(6) चिकित्सा अधिकारी एकाकी कारावास में रखे गये प्रत्येक बंदी का प्रति दिन निरीक्षण करेगा।

(7) कोई बंदी जिसे एकाकी कारावास में रखा गया है उसे वहां से चिकित्सा अधिकारी के इस आधार पर दिये गये आदेश पर उस कोठरी या स्थान से हटा लिया जाएगा कि उसे एकाकी कारावास में रखना उस बंदी के दिमाग और शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उक्त चिकित्सा अधिकारी इसके लिए अपनी पंजिका में एक प्रविष्टि दर्ज करेगा।

(8) किसी बंदी को जिसे एकाकी कारावास में रखा जाना है यदि चिकित्सा अधिकारी उक्त बंदी को इसके लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दे तो इस मामले की जानकारी उस न्यायालय को दी जाएगी जिसने इसकी सजा सुनायी थी।

(9) इस निर्णय को पूर्ववृत्तांत के टिकट और आज्ञापत्र में दर्ज किया जाना चाहिए।

787. **किस समय एकाकी कारावास में रखा जाना है** : यदि किसी बंदी को दो या दो से अधिक अलग–अलग आज्ञापत्रों के जरिये कैद की सजा दी गयी है तो एकाकी कारावास को उसी समय लागू किया जा सकता है जबकि वह उक्त सजा का हिस्सा हो जिसके तहत एकाकी कारावास की सजा को अमल में लाया जा रहा है।

788. **एकाकी कारावास भुगतने को आज्ञापत्र में दर्ज किया जाना** : कैद की प्रत्येक सजा के पूरी होने पर जिसमें एकाकी कारावास शामिल था जेल अधीक्षक बंदी द्वारा एकाकी कारावास में व्यतीत सकल अवधि को आज्ञापत्र में दर्ज कर प्रमाणित करेगा और यदि इसके किसी अंश को लागू नहीं किया गया है तो इसके कारण दर्ज करेगा और संबंधित न्यायालय को इसकी सूचना देगा।

अध्याय –12

मौत की सजा प्राप्त बंदी

789. इस अध्याय के लिएः–

1. 'बंदी' का अर्थ ऐसे बंदी से है जिसे मौत की सजा मिली हो।
2. बंदी के 'परिजन' का अर्थ है–पति/पत्नी, बच्चे, पोता–पोती, भाई–बहन, माता–पिता, दादा–दादी, पिता के भाई अथवा बहन, सास–ससुर, सास–ससुर के माता–पिता, पति/पत्नी के भाई या बहन, भाइयों या बहनों के बच्चे और पति/पत्नी के भाइयों या बहनों के बच्चे।

प्रवेश पर मौत की सजा प्राप्त बंदियों का प्रबंधन

790. मौत की सजा प्राप्त बंदी के कारागार में प्रवेश पर अधीक्षक सरकार को उसके प्रवेश की सूचना देंगे। अधीक्षक सरकार को यह भी सूचित करेगा कि उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के बाद सत्र न्यायालय द्वारा उसकी फांसी के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई है। यदि उसकी फांसी को स्थगित करने के संबंध में सरकार का कोई आदेश हो तो वह उसकी भी मांग करेगा।

791. मौत की सजा प्राप्त बंदी के प्रवेश पर अधीक्षक द्वारा अथवा अधीक्षक के आदेश पर उसकी पूरी तरह तलाशी ली जाएगी जैसा कि दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 30 में वर्णित है। मौत की सजा प्राप्त महिला बंदी की तला"ाी महिला अधीक्षक द्वारा अथवा उनके आदे"ा पर किसी मैट्रन द्वारा तला"ाी ली जाएगी। महिला अधीक्षक अथवा मैट्रन की अनुपस्थिति में इस प्रकार की तलाशी अधीक्षक के आदे"ाानुसार किसी अन्य उपयुक्त महिला अथवा महिला प्रहरी द्वारा ली जा सकती है। अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों

के अनुसार मौत की सजा प्राप्त बंदी से उसकी सभी निजी संपत्तियों को हटा दिया जाएगा।

792. मौत की सजा प्राप्त बंदी के प्रवेश पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारीः

क. कद, वजन आदि नोट करेंगे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बंदी की चिकित्सकीय जांच की जाएगी जो अपनी टिप्पणी मेडिकल रिकॉर्ड बुक में दर्ज करेंगे।

ख. मौत की सजा प्राप्त महिला बंदी से यह भी पूछताछ की जाएगी कि क्या वह गर्भवती है अथवा नहीं और उसका बयान दर्ज कर किया जाएगा एवं उसका हस्ताक्षर लिया जाएगा।

प्रवेश पर जारी की जाने वाली वस्तुएं

793. उप–अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि मौत की सजा प्राप्त बंदी के प्रवेश पर उसे निम्नलिखित वस्तुएं जारी की गईः–

i) 2 पैन्ट/पजामा बिना डोरी के
ii) 2 कमीज/कुर्ता
iii) दो सेट अन्तःवस्त्र
iv) 1 तौलिया
v) प्रसाधन सामग्री जैसा सभी बंदियों पर लागू है
vi) दो ऊनी कंबल अथवा दो सूती–ऊनी कंबल, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए
vii) 1 कटोरा, थाली और मग
viii) पारसी बंदी को 1 छोटी क़स्ती भी जारी की जा सकती है।

794. मौत की सजा प्राप्त प्रत्येक बंदी के लिए अधीक्षक द्वारा परिशिष्ट–8 में दिए गए प्रारूप में एक पत्र तैयार किया जाएगा।

विशेष यार्ड के सेल में कारावास

795. मौत की सजा प्राप्त प्रत्येक बंदी, जो फांसी दिए जाने के ऐसे अतिम चरण में हो जहां सभी कानूनी विकल्प समाप्तहो जाते हैं, के कारागार में प्रवेश पर उसे दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 30 के अनुसार अन्य बंदियों से अलग एक विशेष यार्ड की कोठरी में रखा जाएगा। परन्तु, कारा़गार को इस बारे में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

क. मौत की सजा प्राप्त बंदी तब तक अन्य बंदियों के साथ रह सकता है जब तक सभी कानूनी विकल्प खत्म न हो गए हों। इस दौरान वह शिक्षा, कानूनी, खेल, कैंटीन, साक्षात्कार, श्रम, छूट आदि उन सभी अधिकारों एवं सुविधाओं का उपभोग कर सकेगा जो अन्य बंदियों को उपलब्ध हैं।

ख. यदि मौत की सजा प्राप्त बंदी अनुरोध करता है तो उसे उसका कारागार रिकॉर्ड और चिकित्सा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

796. मौत की सजा प्राप्त बंदी को दिन–रात निगरानी के तहत अन्य बंदियों से अलग कोठरी में रखा जाएगा। लेकिन यहां भी, यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो तो, उसे अन्य बंदियों के देखने और सुनने के दायरे में अवश्य रखा जाएगा ताकि वह उनके साथ भोजन कर सके।

797. यदि किसी विशेष यार्ड में ऐसे एक से अधिक सेल हों तो मौत की सजा प्राप्त बंदी को रोजाना एक सेल से दूसरे सेल में बदला जाएगा।

सेल का निरीक्षण

798. प्रत्येक सेल जिसमें मौत की सजा प्राप्त बंदी को रखा जाएगा, उसका निरीक्षण बंदी को रखे जाने से पहले उप–अधीक्षक अथवा उनके बदले नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया

जाएगा। वह स्वयं को आश्वस्त करेंगे कि यह सुरक्षित है और यहां ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका इस्तेमाल बंदी किसी भी तरह हथियार के रूप में अथवा आत्महत्या करने में कर सके अथवा उस अधिकारी की राय में ऐसे सेल में उस वस्तु का रहना वांछनीय नहीं है।

799. जब किसी कारागार में एक ही समय दो अथवा अधिक सिद्ध दोष बंदियों को आसपास के सेल में रखा जाता है तो प्रत्येक सेल के लिए अलग प्रहरी नियुक्त किया जाएगा। यदि ऐसे सेल आपस में सटे हुए हों तो अधिकतम चार बंदियों की निगरानी के लिए एक कारापाल को नियुक्त किया जाएगा। चार से अधिक सेल होने पर एक अतिरिक्त प्रहरी को तैनात किया जाएगा, भले ही सेल आसपास क्यों न हों।

800. यदि सेल आमने–सामने की दो पंक्तियों में हों और उनके बीच की दूरी अधिक न हो तो एक ओर के चार और दूसरी ओर के चार सेल तक की जिम्मेदारी एक संतरी को दी जा सकती है।

801. जब बंदियों को दो अथवा अधिक सेल में रखा गया हो तो संतरी टहलते हुए बंदियों की निगरानी करेगा ताकि उनके द्वारा संरक्षित प्रत्येक बंदी पर उनकी नजर बनी रहे।

802. इन सेलों की निगरानी पर तैनात संतरी को प्रत्येक दो घंटे में अवकाश दिया जाएगा। दोषसिद्ध बंदी को रखे जाने वाले प्रत्येक सेल के जालीदार दरवाजे के सामने सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की जाएगी ताकि बंदी हर समय करीबी निगरानी में रह सके।

पहरेदारी

803. मौत की सजा प्राप्त प्रत्येक बंदी को 24 घंटे के आधार पर सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में रखा जाएगा।

804. प्रहरी को किसी भी सूरत में लगातार दो घंटे से अधिक की ड्यूटी नहीं दी जाएगी।

805. प्रत्येक प्रहरी को एक डंडा दिया जाएगा और उसे इस प्रकार तैनात किया जाएगा ताकि मौत की सजा प्राप्त बंदी हमेशा उसकी निगरानी में रहे। उसे बंदूक, तलवार अथवा किसी धारदार हथियार से लैस नहीं किया जाना चाहिए। संतरी को सेल के जालीदार दरवाजे के सामने तैनात किया जाएगा। सेल के ताले की चाबी ड्यूटी पर मौजूद संतरी/कारागार प्रहरी के पास रखी जाएगी ताकि आपातस्थिति में वह तुरंत उपलब्ध हो सके। ताला ऐसा होना चाहिए कि वह कारागार में इस्तेमाल होने वाली किसी अन्य चाबी से न खुले। मौत की सजा प्राप्त बंदी को उसके सेल से तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक उचित संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद न हों।

806. यदि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी को लगता है कि कोई बंदी आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है तो वह उसे रोकने में अपनी सहायता के लिए अलार्म बजाएगा और सेल के भीतर प्रवेश करेगा।

807. मौत की सजा प्राप्त बंदियों को जिस विशेष प्रहरी की निगरानी में रखा गया हो वह किसी भी स्थिति में कारागार अधीक्षक अथवा उनके बदले अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के अलावा किसी अन्य को सेल तक पहुंचने अथवा बंदियों से बातचीत करने की इजाजत नहीं देगा।

808. मौत की सजा प्राप्त बंदी को तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी अथवा उसे किसी अन्य तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक वह सुरक्षाकर्मी या स्वयं के लिए अत्यधिक हिंसक या खतरनाक न हो जाए। यदि हथकड़ी लगाना

आवश्यक हो जाए तो ऐसी कार्रवाई के कारणों की जानकारी महानिरीक्षक और उप–महानिरीक्षक (रेंज) को भेजनी होगी।

निरीक्षण

809. प्रभारी कारागार अधिकारी को मौत की सजा प्राप्त बंदी की मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उसके वर्ताव का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए।

810. मनोवैज्ञानिक निरीक्षण संबंधी उप–अधीक्षक की टिप्पणियों को अधीक्षक द्वारा रोजाना जांच करनी चाहिए ताकि वह आश्वस्त हो सकें कि उप–अधीक्षक द्वारा टिप्पणी के संकलन के लिए आवश्यक आंकड़ों का संग्रह बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किया गया है और वह तथ्यों पर आधारित है। मुकदमे के अंतिम निपटान के तुरंत बाद अधीक्षक द्वारा टिप्पणी के साथ बंदी के मुकदमे के इतिहास की दो प्रति महानिरीक्षक को भेजी जाएंगी।

811. मनोवैज्ञानिक टिप्पणी के साथ मुकदमे के ब्यौरे की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद महानिरीक्षक उसे अपनी टिप्पणी के साथ सरकार को भेजेंगे। ऐसे रिकॉर्ड मनोवैज्ञानिक अध्ययन और शोध संबंधी कार्यों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

तलाशी

812. उप–अधीक्षक की उपस्थिति में मौत की सजा प्राप्त बंदी की पूरी तलाशी उस समय ली जाएगी जब :–

i) सुबह में सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी बदलने के समय सेल को खोलने के तुरंत बाद और उसे बंद करने के पहले।

ii) सेल से बंदी को बाहर निकालने और वापस लाने के प्रत्येक अवसर पर।

बाहर निकालने पर पाबंदी

813. मौत की सजा प्राप्त बंदियों को कारागार उप–महानिरीक्षक (रेंज) की वि"ोष अनुमति के बिना इलाज के लिए कारावास–अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा।

परन्तु यह उपबंधित है कि यदि कारागार के चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करते हैं कि बंदी को मृत्यु का खतरा है और उसे कारागार अस्पताल में शीघ्र इलाज की जरूरत है तो अधीक्षक उक्त मंजूरी की प्रतीक्षा लेने से पूर्व बंदी को कारावास अस्पताल ले जाने की अनुमति दे सकते हैं। यदि मौत की सजा प्राप्त किसी बंदी को इलाज के लिए कारागार अस्पताल लाया जाता है तो उसे अस्पताल में अन्य बंदियों से अलग रखा जाएगा और जरूरत के मुताबिक एक वि"ोष प्रहरी को तैनात किया जायेगा।

विशेश उपचार

814. चिकित्सा अधिकारी से सलाह–म"ाविरे के पश्चात अधीक्षक मौत की सजा प्राप्त बंदियों को उपयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत है।

815. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनु"ांसा पर प्रहरी की देख–रेख में बंदी को कारागृर के अंदर ही खुली हवा में सुबह–"ाम व्यायाम करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि अधीक्षक को यह उचित प्रतीत होता है, तो मौत की सजा प्राप्त बंदी को व्यायाम करने के दौरान हथकड़ी लगाई जा सकती है।

मुलाकात की अनुमति

816. अधीक्षक मृत्युदंड की सजा प्राप्त बंदियों को अपने परिजनों, मित्रों या कानूनी सलाहकारों से सप्ताह में दो बार मुलाकात की अनुमति दे सकते हैं। यह संख्या बढ़ाई जा सकती है,

बशर्ते कि अधीक्षक को इस तरह की मुलाकात तर्कसंगत प्रतीत हो।

817. उप–अधीक्षक मुलाकात की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी एहतियाती और सुरक्षा उपाय पहले ही कर लिये गये हैं।

818. बंदी को सेल से मुलाकाती कक्ष तक सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में लाया जाएगा और इस दौरान मुलाकात करने वालों व बंदी को एक–दूसरे से अलग रखा जाएगा।

819. यदि बंदी इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए सरकारी खर्च पर किसी धार्मिक पुरोहित या धर्माधिकारी (बंदी जिस धर्म/मत को मानता है) को सप्ताह में एक बार बुलाया जा सकता है। धार्मिक पुरोहित को एक से अधिक बार भी बुलाया जा सकता है, बशर्ते कि इसके तर्कसंगत कारण हों। इन कारणों को मौत की सजा प्राप्त बंदी से जुड़े ऐतिहासिक अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

सुविधाएं

820. कारागार अधीक्षक से मंजूरी मिलने पर मौत की सजा प्राप्त बंदी को निम्नलिखित सुविधाएं दी जा सकती हैं:–

i) धार्मिक पुस्तकें

ii) धार्मिक चित्र

iii) माला और आवश्यक धार्मिक प्रतीक जिनकी जांच सुरक्षा दृष्टि से जरूरी होगी

iv) समाचार पत्र और पुस्तकें

821. कारागर अधीक्षक किसी मामले में उचित समझने पर बंदी की संतुष्टि के लिए महानिरीक्षक द्वारा तय की गई रकम को खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फांसी से पहले बंदी के निकटतम संबंधियों की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

822. उप–महानिरीक्षक अत्यावश्यक, उचित और सहानुभूतिपूर्ण मामलों में मौत की सजा प्राप्त बंदी के संबंध में खर्च की जाने वाली राशि को बढ़ाने की भी अनुमति दे सकते हैं।

अवलोकन

823. मौत की सजा प्राप्त प्रत्येक बंदी के संबंध में एक केस हिस्ट्री को परिशिष्ट–10 में दिए गए प्रारूप में संकलित किया जाएगा।

विक्षिप्त

824. यदि मौत की सजा का इंतजार कर रहे किसी बंदी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जो चिकित्सा अधिकारी के विचार में ढोंग नहीं है अथवा यह जानने की जरूरत है कि संबंधित बंदी द्वारा ढोंग किया जा रहा है या नहीं, तो उस संबंध में आवश्यक आदेश पाने के लिए उप–महानिरीक्षक (रेंज) को सूचना देते हुए कारागार महानिरीक्षक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सरकार को तत्काल सूचित किया जाएगा :

i) बंदीका सामान्य विवरण
ii) वारंट की एक प्रति जिसके तहत उसे कारागार में रखा गया है (प्रतिलिपि)
iii) निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र
iv) अब तक किए गए उपचार का दस्तावेज (प्रतिलिपि)

नोट– फैसले की एक प्रति भी जल्द से जल्द भेजी जानी चाहिए।

825. यदि मौत की सजा प्राप्त बंदी की मानसिक हालत जानने के उद्देश्य से किसी विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश सरकार देती है तो उसे कारागार में दस दिनों की अवधि तक

कारागार अस्पताल के प्रभारी मनोचिकित्सक अथवा आसपास के किसी मनोचिकित्सक अथवा इसी तरह के किसी संस्थान या सिविल सर्जन की निगरानी में रखा जाएगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच किए जाने से पहले आवश्यकता पड़ने पर बंदी को इससे अधिक समय तक भी उनकी निगरानी में रखा जा सकता है।

826. मौत की सजा प्राप्त बंदी को जिस कारागार में रखा जा सकता है वहां के अधीक्षक या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उस बंदी की शारीरिक जांच के लिए सिविल सर्जन या मनोचिकित्सक को समस्त सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिनमें रक्तजनित बीमारियों से जुड़ी जांच भी शामिल है। इस दौरान यह भी ध्यान में रखना होगा कि मौत की सजा प्राप्त बंदी को इस संबंध में किसी तरह की जानकारी न हो।

827. मेडिकल बोर्ड के गठन और मौत की सजा प्राप्त बंदी की निगरानी शुरू होने के तुरंत बाद ही कारागार अधीक्षक जल्द से जल्द पुलिस या दूसरे स्रोतों के जरिए उस बंदी के बारे में सूचना हासिल करेंगे और फिर मनोचिकित्सक या सिविल सर्जन को इन जानकारियों से अवगत कराएंगे।

828. जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार मौत की सजा प्राप्त बंदी की मानसिक हालत को जांचने के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन करती है, तब कारागार अधीक्षक उन संस्थानों या लोगों से जानकारी हासिल करते हैं जिनके संपर्क में बंदी रह चुका है। विशेष मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच किए जाने से पहले जिस मनोचिकित्सक की निगरानी में बंदी को रखा जाता है, वह आवश्यक जानकारी हासिल करने के लिए कारागार अधीक्षक को प्रश्नावली भेजेंगे। मौत की सजा प्राप्त बंदी के बारे में तथ्यात्मक जानकारी या तो उससे संबंधित दस्तावेजों के जरिए हासिल की जाएगी या उन गवाहों या उस अधिकारी से प्राप्त की जाएगी जिसने उस बंदी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, किए गए अपराध से ठीक

पहले, अपराध के दौरान और इसके तुरंत बाद मौत की सजा प्राप्त बंदी की मानसिक हालत का आकलन करने के लिए बंदी के सगे–संबंधियों सहित गवाहों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी।

नोटः अदालत में सुनवाई विशेषकर जिरह के दौरान बंदी के व्यवहार के बारे में जानकारी अदालत की कार्यवाही से प्राप्त की जाएगी, जिनमें साक्ष्य, सार और फैसला शामिल हैं। मौत की सजा प्राप्त बंदी के व्यवहार के बारे में उन लोगों से भी जानकारी प्राप्त की जाएगी जो रिमांड के दौरान और फिर कारागर के अंदर उसके संपर्क में रहे थे। इस तरह की जानकारी एकत्रित करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वह सार्वजनिक न होने पाए। इसके साथ ही इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि मौत की सजा प्राप्त बंदी के परिजनों की विशेष दिलचस्पी होने की संभावना रहती है, अतः उनसे प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया जाएगा।

829. मेडिकल या सिविल सर्जन की रिपोर्ट तैयार होने के तुरंत बाद वह विशेष मेडिकल बोर्ड की बैठक के लिए तारीख निर्धारित करने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक से आग्रह करेंगे।

830. चिकित्सा विशेषज्ञ या सिविल सर्जन सभी साक्ष्यों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष अपनी राय के साथ मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही को कारागार महानिरीक्षक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक के माध्यम से गृह विभाग के सचिव को अग्रेषित करेंगे।

गर्भावस्था

831. जब मौत की सजा प्राप्त महिला बंदी के गर्भवती होने की बात को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित कर देते हैं, तो चिकित्सा अधिकारी इस संबंध में कारागार अधीक्षक को

जानकारी देंगे। कारागार अधीक्षक वारंट पर अपनी टिप्पणी लिखकर इसे सत्र न्यायाधीश को वापस भेजेंगे जिसमें मौत की सजा को निलंबित करने का आदेश जारी करने का अनुरोध होगा जब तक कि इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 416 के तहत माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश निर्गत न हो जाए।

832. जब मौत की सजा प्राप्त महिला बंदी खुद के गर्भवती होने की बात कहती है और चिकित्सा अधिकारी उसके दावों को तत्काल प्रमाणित करने में सक्षम न हों तो वह खुद को इस बारे में संतुष्ट करने के लिए कुछ समय मांगेंगे, ताकि वह उसके दावों को परख सकें। वैसी स्थिति में सजा पर अमल को रोकने के लिए कारागार अधीक्षक को तुरंत महानिरीक्षक के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को जानकारी देनी चाहिए। यदि चिकित्सा अधिकारी महिला बंदी के गर्भवती होने की पुष्टि कर देते हैं तो उस स्थिति में संबंधित परिच्छेद के उपबंध लागू होंगे।

833. यदि ऊपर वर्णित स्थितियों में किसी महिला बंदी को मौत की सजा पर अमल को निलंबित कर दिया जाता है, तो इसके बाद सरकार के स्पष्ट आदेश के बगैर मौत की सजा पर अमल नहीं किया जाएगा जिसके लिए अधीक्षक तत्काल महानिरीक्षक के माध्यम से दरख्वास्त करेंगे।

अपील की सुविधा

834. मौत की सजा पर उच्च न्यायालय द्वारा भी मुहर लगा देने के बाद मौत की सजा देने वाले न्यायालय का वारंट प्राप्त होने पर अधीक्षक तत्काल ही मौत की सजा प्राप्त बंदी को इस बात की जानकारी देंगे कि यदि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है अथवा भारतीय संविधान के किसी प्रासंगिक उपबंध के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति हेतु अर्जी लगाना चाहता है (अब से इसे क्रमशः

अपील और अर्जी के तौर पर जाना जाएगा), तो वह सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर अपील कर सकता ळें

835. यदि मौत की सजा प्राप्त बंदी इस तरह की इच्छा व्यक्त करता है तो उप–अधीक्षक तुरंत ही बंदी की अपील को नोडल एजेंसी यानी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण(डी. एस.एल.एस.ए.) के माध्यम से तैयार करवाएंगे और इसे तदनुसार उपयुक्त न्यायालय में दाखिल किया जाएगा।

836. जब भी किसी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है तो उस सजा पर तब तक अमल नहीं किया जाता है जब तक कि बंदी की अपील या उसकी अर्जी को खारिज न कर दिया जाए, अथवा अपील या अर्जी के लिए निर्धारित अवधि समाप्त होने तक इस तरह की कोई अपील न की गई हो या इस तरह की अर्जी न लगाई गई हो :

परन्तु यह उपबंधित है कि मौत की सजा प्राप्त बंदी या उसकी तरफ से दया याचिका लगाई गई हो। दरअसल, वैसी स्थिति में आगे भी मौत की सजा पर अमल को राष्ट्रपति का फैसला आने तक स्थगित रखा जाएगा :

परन्तु यह उपबंधित है कि एक ही मामले में मौत की सजा एक से ज्यादा लोगों को सुनाई गई हो और उनमें से किसी एक अथवा अधिक लोगों ने अथवा उनकी तरफ से सजा के खिलाफ अपील की गई हो या अर्जी लगाई गई हो, लेकिन सभी लोगों ने अर्जी नहीं लगाई हो, तो ऐसे में केवल अपील करने वाले या अर्जी लगाने वाले व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि इस तरह के सभी लोगों (मौत की सजा पाने वाले बंदी) की मौत की सजा पर अमल को निलंबित कर दिया जाएगा।

दया के लिए अर्जी–कारागर प्राधिकारी की भूमिका

837. उच्च न्यायालय द्वारा किसी बंदी को मौत की सजा की पुष्टि करने के संबंध में जानकारी मिलने या बंदी अथवा उसकी तरफ से अपील के लिए दाखिल की गई विशेष अनुमति अर्जी को उच्चतम न्यायालय द्वारा ठुकराए जाने के तत्काल बाद कारागार अधीक्षक मौत की सजा प्राप्त बंदी को यह सूचित करेगा कि यदि वह चाहे तो इस बारे में जानकारी मिलने के सात दिनों के भीतर लिखित में दया याचिका दाखिल कर सकता है, बशर्ते कि बंदी ने दया के लिए पहले कोई अर्जी नहीं लगाई हो।

838. मौत की सजा प्राप्त बंदी को दया याचिका की अनुमति दी जाएगी अगर उसने पहले दया याचिका की अर्जी नहीं लगाई हो। इस संबंध में दया याचिका के संबंध में सभी तरह जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सात दिन के बाद उस तिथि को छोड़कर जब कारागर अधीक्षक ने बंदी को मौत की सजा के क्रियान्वयन की जानकारी दो जिसमें ये जिक्र हो कि सुप्रीम कोर्ट मे उसकी अर्जी या याचिका को ठुकरा दिया हो।

नोट— यदि बंदी या उसके संबंधियों की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष छुट्टी के लिए न तो कोई अर्जी या न ही कोई प्रार्थना पत्र दी गई हो तो सात दिन की तारीख की गणना उस दिन के बाद से होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अगर इस समय सीमा की समाप्ति के बाद अगर बंदी ने दया याचिका के लिए अर्जी नहीं लगाई हो तो यह कारागार अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह मौत की सजा पाए जाने वाले बंदी को ये बताए कि क्या वह दया के लिए याचिका दाखिल करना चाहता है। इसके लिए बंदी को सजा की घोषणा के सात दिन के अंदर दया याचिका की अर्जी लिखित रुप से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे।

839. यदि मौत की सजा प्राप्त बंदी दिए गए प्रारूप में सात दिन के अंदर अपनी अर्जी दायर करता है तो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित होनी चाहिए। कारागर अधीक्षक बंदी की अर्जी को गृह सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजेंगे। बंदी की अर्जी के साथ एक पत्र भी भेजा जाएगा जिसमें बंदी को फांसी देने की तिथि का उल्लेख होगा। इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र होगा कि सरकार के अगले आदेश तक मौत की सजा पाए गए शख्स की सजा लंबित रहेगी। अगर बंदी की अर्जी को भेजने के 15 दिनों के अंदर किसी तरह का जवाब नहीं आता है तो कारागर अधीक्षक अभिव्यक्ति पत्र (फैक्स/ईमेल/स्पेशल मैसेंजर के जरिये) गृह सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित करेगा। पत्र के माध्यम सेकारागार अधीक्षक तथ्यों की जानकारी देंगे। लेकिन किसी भी सूरत में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के जवाब से पहले फांसी की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

840. यदि मौत की सजा प्राप्त बंदी तय समय सीमा के बाद अर्जी दायर करता है तो कारागर अधीक्षक को बिना किसी विलंब के सरकार को फैक्स, पत्र या ई–मेल या किसी विशेष संदेशवाहक के जरिये सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि बंदी की मौत की कार्रवाई रोक देनी चाहिए। यदि इस तरह की याचिका कारागर अधीक्षक को फांसी वाले दिन से ठीक एक दिन पहले दोपहर के बाद प्राप्त होती हो तो वो इसकी जानकारी अविलंब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को देगा। इसके साथ ही वह फैक्स या ई–मेल या किसी विशेष संदेशवाहक पत्र के जरिये जानकारी देगा जिसमें वो फांसी की तारीख का जिक्र करते हुए लिखेगा कि सजा को संपन्न कराए जाने की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि फांसी की कार्रवाई रोकने के संबंध में किसी तरह का आदेश न आ जाए।

नोट– यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल के जरिये मौत की सजा सुनाई गई हो तो उसकी ऐसी याचिका राष्ट्रपति के नाम संबोधित होनी चाहिए और उसे रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा भारत सरकार को अग्रसारित किया गया हो।

841. मौत की सजा प्राप्त बंदी को फांसी देने से पहले यदि किसी भी समय कारागर अधीक्षक को ये जानकारी मिलती है कि अपरिहार्य परिस्थितयां पैदा होने की वजह से बंदी की मांग पर विचार करने की जरूरत है तो उसे इस बात की आजादी है कि तमाम उपबंधों को दरकिनार करते हएु वह फैक्स, पत्र या ई–मेल या किसी विशेष संदेशवाहक के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को जानकारी देगा और इसके साथ ही कहेगा कि जब तक उस संबंध में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तब तक के लिए फांसी की सजा की कार्रवाई टाल दी जाए। ऐसे हालात में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मदद लेनी चाहिए।

842. कारागर अधीक्षक बिना देरी किए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गृह सचिव को सूचित करेगा। कारागर अधीक्षक सजायाफ्ता बंदी से संबंधित सभी पत्राचार, दया याचिका और सजा को टाले जाने के संबंध में लिखे गए पत्रों की पावती भी देगा।

843. मौत की सजा प्राप्त बंदी को प्रत्येक चरण में कानूनी मदद मुहैया करायी जानी चाहिए भले ही बंदी की दया याचिका खारिज हो चुकी हो। लिहाजा ये कारागर अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि वो निकट के कानूनी सहायता केंद्र और मौत की सजा प्राप्त बंदी को उसकी दया याचिका के खारिज होने के बारे में बताएगा।

844. मौत की सजा प्राप्त बंदी को राष्ट्रपति द्वारा ठुकराई गई दया याचिका की एक प्रति पाने का अधिकार है।

845. मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण : यह संभव है कि मौत की सजा प्राप्त कुछ बंदी अपने मानसिक संतुलन को खो दें। ऐसे हालात में उस बंदी की लगातार मानसिक हालात की पड़ताल होने के साथ जरूरत पड़ने पर उसे चिकित्सीय मदद मिलनी चाहिए।

846. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टः जब मौत की सजा प्राप्त बंदी के लिए एक्जीक्यूशन वारंट जारी की जाती है तो कारागर के अधीक्षक को आरएमओ या मनोचिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए फांसी की कार्रवाई को संपन्न कराने के समय तक शारीरिक और मानसिक तौर पर बंदी स्वस्थ है। यदि कारागर अधीक्षक को ऐसा लगता है कि बंदी स्वस्थ नहीं उसे बंदी को फांसी की सजा देने से पहले मेडिकल बोर्ड के सामने पूरी जांच के लिए पेश करना चाहिए। और इस संबध में अगली कार्रवाई के संबंध में पूरी जानकारी सरकार को देनी चाहिए।

847. मौत की सजा प्राप्त बंदी के दस्तावेजों को पूरा करने के संबंध में : मौत की सजा प्राप्त बंदी को कारागर प्रशासन द्वारा समस्त प्रासंगिक दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बंदी अपने बचाव के संबंध में अदालत के सामने दया याचिका दायर कर सके।

848. मौत की सजा प्राप्त बंदी और उसके परिजनों के साथ अंतिम मुलाकातः कारागर प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि फांसी की कार्रवाई से पहले बंदी अपने परिजनों और दोस्तों से मिल सके।

849. पोस्टमार्टम रिपोर्टः मौत की सजा के क्रियान्वयन के बाद पोस्टमार्टम कराया जाना अनिवार्य है ताकि मौत की वजह की सटीक जानकारी हासिल हो।

दया के लिए याचिका– सरकार के द्वारा कार्रवाई

850. यदि मौत की सजा प्राप्त बंदी तय समय–सीमा के भीतर अपनी याचिका दायर करता है तो सरकार के जरिए उसे राष्ट्रपति को संबोधित की जाएगी। फांसी की सजा पर कार्रवाई आदेश की प्राप्ति तक टाल दी जाएगी।

851. फांसी की सजा के तहत मौत की सजा प्राप्त बंदी की याचिका एनसीटी दिल्ली सरकार के जरिए सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी। इस संबंध में काराग़र अधीक्षक सभी अभिलेखों और परीक्षणों के साथ अविलंब आधार पर याचिका के क्रियान्वयन में तेजी से निस्तारण करेंगे।

852. राष्ट्रपति द्वारा आदेश की प्रति मिलने के बाद सचिव, गृहमंत्रालय भारत सरकार को पावती भेजी जाएगी। यदि बंदी की याचिका खारिज हो जाती है तो उस संबंध में एक्सप्रेस लेटर के जरिए जानकारी भेजी जाएगी और उसकी रिसिट भी एक्सप्रेस लेटर के जरिए भेजा जाएगा। मौत की सजा के संबंध में आदेश को एक्सप्रेस लेटर के जरिए जानकारी दी जाएगी।

853. मौत की सजा प्राप्त बंदी की तरफ से दायर की गई अर्जी परयथोचित बदलाव (mutatis mutandis) के आधार पर सुनवाई होगी। मौत की सजा प्राप्त बंदी की तरफ से याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। यदि याचिका पर एक से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर हों तो पहले हस्ताक्षरकर्ता को जानकारी देना पर्याप्त होगा। मौत की सजा प्राप्त बंदी को भी याचिका के संबंध में पारित किसी भी आदेश के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।

854. जब कभी मौत की सजा किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई हो तो फांसी की सजा पर कार्रवाई तब तक के लिए रोक दी जाएगी, जब तक उस संबंध में या तो सुप्रीम कोर्ट बंदी की अर्जी को ठुकरा दे या इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बंदी की अर्जी को स्वीकार कर ले। अगर इस संबंध में किसी तरह की अर्जी बंदी की तरफ से न की गई तब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना होगा। यदि बंदी की तरफ से दया याचिका लगाई गई हो तो उस संबंध में जब

तक किसी तरह का अग्रिम आदेश नहीं मिलता है तो फांस की कार्रवाई टाल दी जाएगी।

नोट– यदि एक ही मामले में मौत की सजा एक से ज्यादा लोगों को मिली हो और उस संबंध में किसी एक भी शख्स की तरफ से याचिका दायर की गई हो तो उस मामले में हर एक संबंधित बंदी की सजा को अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया जाएगा।

855. अगर बंदी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका या ऐसी अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका या इस तरह की इच्छा व्यक्त की गई हो तो उस संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार फैक्स/पत्र/ई मेल या स्पेशल मैसेंजर के जरिए केन्द्रीयविधि मंत्रालय के वकील और सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निम्नांकित जानकारी देगी:

i) फांसी की सजा प्राप्त बंदी का नाम, और
ii) प्रार्थनापत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेज

856. यदि ऐसा लगता है कि अपील या प्रार्थनापत्र पर विरोध करना अपेक्षित है तो पेपर बुक तीन प्रतियों और हाईकोर्ट या ज्यूडिशियल कमिश्नर या ट्रिब्यूनल जैसा भी मामला हो (हर एक की प्रमाणित प्रति), सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और प्रारूप में यदि कोई जिसमें अर्जी का विरोध करने का मकसद हो तो उसे सरकारी वकील को भेजा जाएगा। इस संबंध में इसी तरह से पूरी जानकारी मौत की सजा प्राप्च बंदी को भी अविलंब दी जाएगी। अगर अपील या अर्जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत नहीं होता है तो सरकारी वकील इस संबंध में एक्सप्रेस लेटर के जरिए एनसीटी दिल्ली सरकार को भेजेगा। फांसी की सजा पर कार्रवाई करने पर तब तक रोक नहीं लगाई जाएगी जब तक इस संबंध में मौत की सजा प्राप्त बंदी की तरफ से मौत की सजा के खिलाफ अर्जी न दायर की गई हो।

857. यदि मृत्युदंड की सजा प्राप्त बंदी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के लिए अपील अथवा आवेदन याचिका दायर की जाती है तो विधि मंत्रालय के सरकारी वकील इस तथ्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराएंगे। सरकारी वकील उपरोक्त प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय में इन असामान्य मामलों की सभी गतिविधियों से अवगत कराएंगे। हालांकि सभी मामलों में वह विशेष अवकाश आवेदन अथवा याचिका के परिणामों से दिल्ली सरकार को पत्र के जरिए अवगत कराएंगे और सूचना की एक प्रति सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार ऐसे सभी मामलों में सरकारी वकील से तुरंत सूचना की पावती हासिल करेगी। मृत्यु दंड की सजा पर पहल तब तक नहीं की जाएगी जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुमोदित प्रति प्राप्त नहीं हो जाती जिसमें विशेष अनुमति याचिका के लिए आवेदन अथवा याचिका को खारिज कर दी गई हो और राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज होने के संबंध में गृह मंत्रालय से कोई सूचना न मिली हो।

858. मृत्युदंड देने की न्यूनतम अवधिः सर्वोच्च न्यायालय ने दया याचिका निरस्त होने की सूचना प्राप्त होने तथा मृत्युदंड देने के बीच 14 दिनों की न्यूनतम अवधि निर्धारित की है। इस अवधि में मृत्युदंड की सजा पाया बंदी अपने आपको तैयार करेगा, अपने कामों को पूरा करेगा और अंतिम बार अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेगा या किसी न्यायिक उपाय का उपयोग करेगा। इसलिए मृत्युदंड की सजा पायेबंदी को अपने आपको तैयार करने, अपने कामों को पूरा करने और अंतिम बार अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने या किसी न्यायिक उपाय का उपयोग करने के लिए 14 दिनों का समय दिया जाएगा।

पत्राचार में विशेश उल्लेख

859. मृत्युदंड से संबंधित पत्राचार के पते में मृत्युदंड शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए।

860. याचिकाओं के निरस्त होने के सभी मामलों में पत्राचार पंजीकृत पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा सजा को स्थगित करने संबंधी सूचना फैक्स/पत्र/ईमेल/वि"ोष संदेशवाहक के द्वारा तुरंत दी जानी चाहिए।

861. मृत्युदंड से संबंधित मामले में एक विशेष लाल रंग के लिफाफे में 'मृत्युदंड' और 'तत्काल' शब्द लिफाफे के क्रमशः उपर बायीं तरफ और दायीं तरफ लिखे जाने चाहिए। सभी अधीक्षक विशेष व्यवस्था से यह सुनिश्चित करेंगे कि इन विशेष लिफाफों में होने वाले पत्राचार को उप–अधीक्षक या उनकी अनुपस्थिति में कारागर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी प्राप्त करेंगे, जो –

i) पावती रजिस्टर में पत्र प्राप्ति के दिनांक और समय का उल्लेख करेंगे।

ii) तत्काल पत्र को अधीक्षक या उनकी अनुपस्थिति में उनकी श्रेणी से नीचे के सबसे वरिष्ठ अधिकारी के सामने आदेश प्राप्ति के लिए रखेंगे।

862. अधीक्षक देखेंगे कि जवाब और पावती उपयुक्त तरीके से रखे गये है, जहां इनकी आवश्यकता है, जिन मामलों में सजा को स्थगित किया गया है, वहां यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार को पावती विशेष संदे"ावाहक के जरिये सजा की निर्धारित तारीख से बहुत पहले ही भेज दी गई है।

मृत्युदंड की अंतिम पुष्टि पर कार्रवाई

863 यदि दया याचिका निरस्त हो गई हो, तो निचली अदालत मृत्युदंड की सजा पाये बंदी को सजा देने की तारीख निर्धारित करेगी।

864. निचली अदालत द्वारामृत्युदंड की सजा पाये बंदी को सजा की तारीख निर्धारित करने के बादः–

i) यदि मृत्युदंड की सजा पाया बंदी इच्छा जाहिर करता है, तो अधीक्षक निर्धारित सजा की तारीख से पर्याप्त समय पहले बंदी के परिजनों को सजा की तारीख की जानकारी देंगे।

ii) यदि मृत्युदंड की सजा पाये बंदी और उसके परिजन इच्छा जाहिर करते है, तो कारागृर प्रबंधन उनके अंतिम मुलाकात की व्यवस्था करेगा।

iii) यदि मृत्युदंड की सजा पाया बंदी वसीयत बनाने की इच्छा जाहिर करता है, तो उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए और इस संबंध में उसके वक्तव्य को उप–अधीक्षक/अधीक्षक रिकॉर्ड करेंगे।

मृत्युदंड सजा की तामील

865. मृत्युदंड सजा की तामील उस कारागृर में होनी चाहिए, जिसे वारंट में निर्देशित किया गया है। यदि वारंट में उल्लेख किया गया है, तो इसमें बदलाव हो सकता है। सजा देने की कार्रवाई कारागृर से जुड़े विशेष कक्ष में या कारागृर की दीवारों के भीतर होनी चाहिए। सार्वजनिक अवकाश के दिन मृत्युदंड प्राप्त किसी भी बंदी को फांसी नहीं दी जाएगी।

चिकित्सा आधार पर सजा का स्थगन

866. यदि दोषी शारीरिक रूप से सजा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है, तो उसे फांसी की सजा तय की गई तारीख को नहीं दी जाएगी। शारीरिक अयोग्यता के स्तर को निर्धारित करने के लिए बीमारी, गंभीर और घातक (दीर्घकालिक नहीं) होनी

चाहिए, तभी फांसी की सजा के स्थगन पर विचार किया जा सकता है और इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

867. अधीक्षक, महानिदेशक को ऐसे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तथा बंदी की शारीरिक अक्षमता के स्तर से संबंधित चिकित्सा अभिमत एवं ऐसी कोई संभावित तारीख जब बंदी शारीरिक रूप से योग्य हो जाएगा, से तुरंत अवगत कराएंगे।

मृत्युदंड देने में विलंब

868. अपील या आवेदन के अलावा मृत्युदंड की सजा देने में असाधारण या अपरिहार्य विलंब होता है, जो अधीक्षक इन परिस्थितियों से सत्र न्यायाधीश को तुरंत अवगत कराएंगे और मूल वारंट को जमा करेंगे, ताकि सजा देने की नई तारीख आधारित नया वारंट जारी हो सके या मूल वारंट में ही सजा की नई तारीख का अनुमोदन किया जा सके।

869. यदि सजा देने की अंतिम तारीख से संबंधित सरकार की रिपोर्ट सत्र न्यायाधीश के पास सजा देने की तारीख के बाद पहुंचती है, तो अधीक्षक जिला व सत्र न्यायाधीश से संशोधित तारीख प्राप्त करेगा, जो पहले की तारीख से एक सप्ताह से ज्यादा नहीं होगी, ताकि वह औपचारिकताओं जैसे परिजनों व मित्रों को अंतिम मुलाकात के लिए बुलाना, वसीयत तैयार करना आदि को पूरा कर सके। मृत्युदंड की सजा का आदेश प्राप्त करने के बाद नई तारीख की सूचना सरकार को दी जाएगी।

870. जब अधीक्षक जिला व सत्र न्यायाधीश से फांसी देने की सजा का अंतिम आदेश प्राप्त करेगा, तो अधीक्षक आदेशानुसार कार्य करेगा। बशर्ते अंतिम आदेश प्राप्त करने से पहले ही तारीख बीत नहीं गई हो, यदि तारीख बीत गई हो, तो अधीक्षक उपरोक्त धारा के अनुरूप कार्य करेगा।

फांसी की सजा के समय मौजूदगी

871. फांसी की सजा देते समय अन्य बंदियों को उपस्थित नहीं रहने दिया जाएगा।

फांसी की सजा के लिए व्यवस्था

872. बंदी के फांसी देने की तारीख की पावती पर अधीक्षक सजा का समय निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत हैं। सजा देने के समय से संबंधित रिपोर्ट महानिदेशक, सत्र न्यायाधीश और सरकार को दी जाएगी।

नोट :– फांसी सुबह में उजाला होने से पूर्व दी जाएगी। विभिन्न ऋतुओं में सरकार द्वारा पारित आदेशानुसार समय का निर्धारण किया जाएगा।

873. कार्यकारी इंजीनियर (पीडब्ल्यूडी) प्रत्येक तिमाही में और अधीक्षक द्वारा सूचना देने के बाद फांसी की तारीख से पहले फांसी के तख्ते के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा। फांसी के दिन की पूर्व संध्या पर अधीक्षक की उपस्थिति में फांसी के तख्ते और रस्से के परीक्षण और जांच का कार्य पूरा किया जाएगा। इनकी उचित व्यवस्था के लिए वह व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी है। प्रत्येक फांसी के लिए नई रस्सी की जरूरत नहीं है, लेकिन अधीक्षक यह देखेंगे कि रस्से की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। नियम के अनुसार रस्सी की सुरक्षित जांच के लिए एक नमूना या रेत की बोरी, जिसका वजन बंदी के वजन से डेढ़ गुना होगा, को 1.830 तथा 2.440 मीटर की ऊंचाई से लटकाया जाएगा और गिराया जाएगा। यह रस्से की सुरक्षित जांच है। मृत्युदंड की सजा पाये प्रत्येक बंदी के लिए दुर्घटना की स्थिति में मचान पर दो अतिरिक्त रस्से रखे जाएंगे।

874. चिकित्सा अधिकारी अपने रिपोर्ट में यह जानकारी देगा कि बंदी को फांसी के लिए किस ऊंचाई से गिराना है। यह रिपोर्ट फांसी देने के चार दिन पहले दी जाएगी। चिकित्सा अधिकारी निम्न सिद्धांतों के आधार पर गिराने की ऊंचाई निर्धारित करेंगे।

i) यदि बंदी का वजन 45.360 किलोग्राम से कम है, तो उसे 2. 4440 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा।
ii) यदि बंदी का वजन 45.330 से 60.330 किलोग्राम है, तो उसे 2.290 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा।
iii) यदि बंदी का वजन 60.330 किलोग्राम से अधिक है और 75. 330 से अधिक नहीं है, तो उसे 2.130 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा।
iv) यदि बंदी का वजन 75.330 किलोग्राम से अधिक है और 90. 720 किलोग्राम से अधिक नहीं है, तो उसे 1.980 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा।
v) यदि बंदी का वजन 90.720 किलोग्राम से अधिक है, तो उसे 1.830 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा।

875. 1.830 मीटर और 2.440 मीटर की सीमा निर्धारित होने के बावजूद यदि बंदी में शारीरिक विलक्षणता है और चिकित्सा अधिकारी के विचार में गिराने की ऊंचाई को बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए, तो इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

नोट :– उपरोक्त गणना इस अवधारणा पर आधारित है कि फांसी का रस्सा 2.59 से लेकर 3.81 सेंटीमीटर व्यास वाले सूती धागे/मनीला से बना हुआ है।

876. अपेक्षित ऊंचाई से गिराने के लिए रस्सी की लंबाई तय करने हेतु निम्न तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए :–

i) बंदी की सटीक ऊंचाई, बांए कान के नीचे के जबड़े तक मापी जानी चाहिए।

ii) ड्रॉप शटर की ऊंचाई और बीम में छल्ले के निचले हिस्से, जिसमें रस्सी को बांधा जाना है, की माप की जानी चाहिए।

877. ये दो माप तख्त पर बंदी के खड़े होते समय उसके जबड़े से लेकर बीम में छल्ले के निचले हिस्से से दूरी का निर्धारण करेंगे। मृत्युदंड की सजा सुनाये जाने के शीघ्र बाद ही बंदी की गर्दन की माप और बंदी की सटीक ऊंचाई, बायें कान के नीचे के जबड़े तक की माप को भी ध्यानपूर्वक लिया जाना चाहिए। किसी भी दी गई तख्त के लिए रस्सी की लंबाई को बंदी के जबड़े से बीम के छल्ले तक की दूरी की लंबाई तक मापा जाएगा।

878. इसका अभिप्राय है कि जबड़े और लोहे के छल्ले के बीच की दूरी अनुमानतः 1.220 मीटर और वांछित तख्त 2.130 मीटर की होनी चाहिए, छल्ले में बिना किसी बाधा के लटकाने के लिए बंदी की गर्दन की मोटाई के बराबर रेत से भरे कपड़े के एक तकिये पर रस्सी की स्थिति को जानने के लिए छल्ले से चमड़े के एक वॉ"ार तक की दूरी 3.350 मीटर होगी।

879. रस्सी के फंदे पर मोम अथवा मक्खन लगाया जाएगा। परीक्षण के बाद रस्सी एवं अन्य उपकरणों को स्टील के एक बक्से में सुरक्षित रूप से बंद करके सील कर दिया जाएगा और इसे उप–अधीक्षक की निगरानी में रखा जाएगा।

बंदी की फांसी के समय अधिकारियों की उपस्थिति

880. फांसी दिए जाने के समय अधीक्षक, उप–अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण से उनकी अनुपस्थिति होने पर, अपर जिला मजिस्ट्रेट फांसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे और वारंट पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

यदि बंदी इच्छा जताता है, तो अधीक्षक के विवेकाधिकार के अनुसार सुरक्षा और काराग़ार अनु"ासन की आव"यकताओं के

अधीन फांसी स्थल पर बंदी के धर्म से संबंधित एक पुजारी को उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है।

881. बंदी के रि"तेदारों एवं अन्य बंदियों को फांसी देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अधीक्षक सरकार की पूर्व अनुमति के साथ उन समाज वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों को फांसी स्थल पर उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है, जो इस विषय में अनुसंधान कर रहे हों। फांसी की गवाही से संबंधित मामलों में अनुमति देने के लिए अधीक्षक का विवेक मान्य होगा। सामान्य नीति के अन्तर्गत ऐसे मामलों में अन्य व्यक्तियों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

882. फांसी दिए जाने के समयगार्ड के रूप में कम से कम 10कांस्टेबल/कारापाल और दो हेड कांस्टेबल/प्रमुख कारापालअथवा इतनी ही संख्या में कारागार स"ास्त्र गार्डमौजूद रहेंगे। कारागार के स"ास्त्र गार्ड मौजूद न होने की स्थिति में पुलिस उपायुक्तलिखित आवेदन पर गार्डउपलब्ध कराएंगे।

883. सभी श्रेणियों के बंदियों को फांसी की कार्रवाई पूरी होने तक कोठरी में बंद रखा जाएगा और इसके बाद ही उनके शव को कारागर से हटाया जाएगा।

मृत्युदंड की सजा

884. मृत्युदंड वाले दिवस की सुबह, कारागार अधीक्षक अभियुक्त बंदी की कोठरी में जाने से पूर्व अपने कार्यालय जाकर यह सुनि"चत करेगा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से मृत्युदंड से संबंधित कोई अन्य सम्प्रेषण तो शेष नहीं है। इसके प"चात कारागार अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट/अपरजिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधिकारी और उप–कारागार अधीक्षक मृत्युदंड के लिए निर्धारित समय से पूर्व बंदी की कोठरी में जाएंगे। बंदी के द्वारा सांक्ष्यांकन से संबंधित दस्तावेज जैसे उसकी वसीयत आदि पर हस्ताक्षर किये जाएंगे और अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इन्हें प्रमाणित किया जाएगा।

885. अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट और चिकित्सा अधिकारी बंदी को उप–अधीक्षक की निगरानी में कोठरी में ही छोड़कर फांसी के तख्ते वाले स्थल की ओर जाएंगे। इसके प"चात मृत्युदंड की सजा प्राप्त बंदी के हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया जाएगा और यदि उसने कोई भी आभूषण आदि पहने हैं, तो उन्हें उतार दिया जाएगा।

886. बंदी को इसके प"चात उप–अधीक्षक की निगरानी में फांसी के तख्ते के पास ले जाया जाएगा और उसके साथ छह कारापाल, दो उसके आगे, दो उसके पीछे और दो हथियारबंध कारापाल चलेंगे।

887. बंदी के फांसी के तख्ते के निकट पहुंचने पर जहां अधीक्षक, मजिस्ट्रेट और चिकित्सा अधिकारी पहले से ही उपस्थित होंगे, अधीक्षक, मजिस्ट्रेट को जानकारी देगा कि उसने बंदी की पहचान कर ली है और बंदी के समक्ष वारंट को मातृभाषा अथवा बंदी की समझ में आने वाली भाषा में पढ़ेगा।

888. फांसी के तख्ते पर जाने से ठीक पहले बंदी के चेहरे को सूती कपड़े से ढ़का जाएगा। बंदी को फांसी देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बंदी को अब फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा और उसे बीम के ठीक नीचे खड़ा किया जाएगा, जिस पर रस्सी बंधी है। कारापाल उस समय तक उसकी बाजुओं को पकड़े रखेंगे।

889. इसके प"चात बंदी को जल्लाद को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद जल्लाद बंदी के पैरों को कसकर बांधेगा और उसकी गर्दन में रस्सी को ठीक से कस देगा, लेकिन बंदी की नाक को मध्य लाइन से दांये या बांये से मुंह पर ढ़के कपड़े से 1–1/2 इंच दूर रखा जाएगा।

890. अधीक्षक यह भी जांच करेगा कि बंदी की गर्दन में फंदा उचित तरीके से लगाया गया है और इसकी गांठ सही स्थिति में है।

891. बंदी की बाजुओं को थामने वाले कारापाल अब उसकी बाजुओं को छोड़ देंगे और अधीक्षक के इ"ाारा करने पर जल्लाद बंदी के नीचे लगे तख्ते को खींच देगा।

892. उपरोक्त वर्णित परिचालनों को एक साथ और जहां तक संभव हो सके शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। इन सभी परिचालनों के पूर्ण होने पर, अधीक्षक एक संकेत देगा, जिसे देखकर जल्लाद ट्रैप–डोर को छोड़ने के लिए लीवर को दबाएगा।

893. बंदी के शव को नीचे उतारने से पहले आधे घंटे के लिए अथवा जब तक रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी यह पुष्टि न कर दें कि अब बंदी में जीवन शेष नहीं है, फांसी के तख्ते पर ही रखा जाएगा।

जल्लाद की फीस

894. मृत्युदंड की सजा प्राप्त प्रत्येक बंदी को फांसी देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाएगा।

भाव का निपटान

895. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन, फांसी दिये गये बंदी के शव का अंतिम संस्कार फांसी दिये गये बंदी के धर्म के अनुसार किया जाएगा।

896. यदि फांसी दिये गये बंदी के रि”तेदार उसके अंतिम संस्कार के लिए एक लिखित आवेदन देते हैं, तो सरकार अपने विवेकाधिकार से रि”तेदारों से एक लिखित वचनबद्धता लेकर ऐसे आवेदन पर अपनी स्वीकृति दे सकती है कि फांसी दिये गये बंदी के शव के दाह संस्कार अथवा दफन में किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रद”र्ान को अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां सरकार का ये मानना है कि इसका सार्वजनिक प्रद”र्ान होने की संभावना हो सकती है, तो ऐसे आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है। फांसी दिये गये बंदी के शव के संस्कार के समय सार्वजनिक प्रद”र्ान होने की संभावना के मामले में, अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त से विचार–विम”र् करेगा और स्थिति की आव”यकताओं के अनुरूप शव के संस्कार के लिए प्रबंध किये जाएगे।

897. इस अध्याय में दिये गये प्रावधानों के अलावा फांसी दिये गये बंदी के शव को पूर्ण गंभीरता के साथ कारावास के बाहर ले

जाया जाएगा। श्म”ाान अथवा कब्रिस्तान तक शव को ले जाने के लिए नगर–पालिका के वाहन अथवा एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाएगा। मृत शरीर के संस्कार और इसके परिवहन से जुड़े सभी आव”यक उचित व्ययों को वहन करने के लिए अधीक्षक अधिकृत हैं।

फांसी के बाद की रिपोर्ट

898. अधीक्षक प्रत्येक मृत्युदंड के तुरंत बाद इसकी एक रिपोर्ट परिशि”ाष्ट–11 में पुलिस महानिदे”ाक को भेजेगा और वह इससे समर्थित वारंट को इसे जारी करने वाली अदालत को वापिस भेजेगा।

अध्याय —13

आपातकाल

आपातकाल के तौर पर निपटायी जाने वाली परिस्थितियां

899. निम्न परिस्थितियों को आपातकाल के तौर पर निपटाया जाएगा :—

i. कारागार से पलायन
ii. प्रकोप
iii. दंगे
iv. हमले
v. भूख हड़ताल (व्यक्तिगत अथवा सामूहिक)
vi. मारपीट
vii. आत्महत्या
viii. दुर्घटनाएं
ix. आग
x. महामारी
xi. विषाक्त भोजन का सेवन
xii. अत्यधिक भीड़भाड़ (निर्धारित से अधिक संख्या में मौजूदगी)
xiii. जलापूर्ति, विद्युतीय रोशनी संबंधी इंतज़ाम एवं अन्य आवश्यक कारागार संबंधी सेवाओं जैसे वातावरण संरक्षण एवं नलसाज़ी में बड़ी ख़राबी
xiv. भोजन अथवा कच्चे माल की अनापूर्ति जिससे कारागार के नित्यकर्म में अवरोध पैदा हो
xv. बाढ़
xvi. भूकंप
xvii. आतंकी हमला
xviii. बम विस्फोट
xix. युद्ध / बम धमाके
xx. नाभिकीय, जैविक एवं रासायनिक आपदाएं
xxi. अन्य मानव—निर्मित / प्राकृतिक आपदाएं

आपातकालीन परिस्थितियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय

900. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी अन्य सभी निर्देशों/आदेशों के आपात स्थितियों से निपटने एवं नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का दायित्व अधीक्षक का होगा। ये उपाय इस प्रकार हो सके हैं:–

i. कारागार की परिधि वाली दीवार के आसपास निषिद्ध क्षेत्र का सीमांकन,
ii. पर्याप्त चौकसी एवं सुरक्षा के कदम एवं आवधिक निरीक्षण,
iii. संपूर्ण तलाशी का तंत्र,
iv. कारागार की इमारत एवं परिसर का विधिवत रखरखाव,
v. औजारों एवं उपकरणों का यथायोग्य संरक्षण,
vi. बंदियों की आवाजाही पर यथोचित नियंत्रण;
vii. भड़काने वाले या खराब चरित्र के एवं ऐसे बंदी जो कारागार अनुशासन के लिए संभावित रूप से ख़तरनाक हों, का समयोचित विभाजन,
viii. सभी अनुशासन संबंधी समस्याओं पर जल्द एवं ठोस किंतु परिणामदर्शी नियंत्रण,
ix. बंदियों की देखभाल एवं कल्याण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना,
x. श्रेष्ठ अनुशासन प्रणाली,
xi. यंत्रों एवं औजारों का सावधानीपूर्वक उपयोग,
xii. उपकरणों का आवधिक निरीक्षण एवं आपातकालीन परिचालन,
xiii. दुर्घटना रोकथाम के उपाय,
xiv. आग रोकथाम के उपाय,
xv. सभी दुर्घटना संभाव्य स्थानों पर अग्निशामक उपकरण,
xvi. श्रेष्ठ पर्यावरणीय एवं संस्थागत साफ–सफाई एवं स्वच्छता,
xvii. नये बंदियों को अलग रखने की समुचित प्रक्रिया,
xviii. संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त बंदियों का पृथक्करण,
xix. खाद्य पदार्थों का समुचित भंडारण एवं निरीक्षण,

xx. रसोई और कैण्टीन की कार्यप्रणाली, भोजन वितरण एवं खाद्य सामग्री में आवश्यक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना,

xxi. बंदियों को भागने से हतोत्साहित करने के लिए पेड़ों पर तारबंदी की व्यवस्था,

xxii. जलभंडारण, विद्युत सयंत्र, एवं आपात स्थिति में रोशनी हेतु अतिरिक्त व्यवस्था,

xxiii. इमारतों में जलनिकासी एवं पानी के सभी पाइपों को छिपाना,

xxiv. अप्रत्याशित स्थितियों में कारागार अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत बल प्रयोग।

आपातकाल के लिए उपकरण

901. विभिन्न प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक कारागार को निम्नलिखित नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली उन्नत प्रणालियों से पूरी तरह सुसज्जित किया जाएगाः

i. अग्निशामक उपकरण

ii. आपात स्थितियों में रोशनी की व्यवस्था करने वाले उपकरण जैसे जेनेरेटर, इन्वर्टर, टॉर्च, गैस लाइट, केरोसीन लैम्प एवं तेल से डालने वाली टॉर्च

iii. सर्चलाइट

iv. हेलमेट

v. कैन

vi. आधुनिक सुरक्षित भीड़ नियंत्रण प्रणाली

vii. पानी के पाइप

viii. टेलीफोन

ix. हथियार एवं गोलाबारूद

x. सीढ़ियां, कुल्हाड़ियां, चाकू, रस्सियां, चेन, हथकड़ियां, अलार्म एवं सायरन

xi. प्राथमिक उपचार पेटी

xii. वीडियो कैमरा/डिजिटल कैमरा/फोटोग्राफी के लिए कोई अन्य उपयुक्त उपकरण/आधुनिक उपकरण जो उपरोक्त आपात स्थितियों से निपटने में कारगर हो

902. यह सुनिश्चित करना कारागार अधीक्षक का उत्तरदायित्व होगा कि यह सभी उपकरण आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए हमेशा बेहतर स्थिति में रखे जाएं। सभी उपकरणों की सूचियों का वर्ष में एक बार लेखा–परीक्षण किया जाएगा एवं इन उपकरणों के उपयोग के लिए समय–समय पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित कराया जाएगा।

आपातकाल के लिए तैयारी

903. कारागार जहां ख़तरनाक बंदी रखे जाते हैंअथवा जहां किसी भी गंभीर गड़बड़ी की संभावना है,उनको हर दृष्टिकोण से पूर्ण सुसज्जित रहना चाहिए। ऐसे संस्थानों में सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी होनी चाहिए।

904. प्रत्येक कारागार में एक क्विक रिएक्शन टीम होनी चाहिए जैसा अभिरक्षा प्रबंधन के अध्याय में दिया गया है। इस दल के कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की आपातिक एवं अनपेक्षित स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं इसको समुचित रूप से सुसज्जित एवं कार्रवाई के लिये तैयार होना चाहिए।

905. निर्धारित अंतरालों पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए एवं निर्धारित स्वरूप में कारागार महानिरीक्षक के पास एक रिपोर्ट जमा कराई जानी चाहिए।

आपातकाल से निपटने के लिए सामान्य निर्देश

906 आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सामान्य निर्देश हैं:

i. घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराना,
ii. प्रभावित स्थान में प्रवेश से रोक,
iii. समस्या का अन्य स्थानों में फैलाव रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई,
iv. समस्त संबंधित प्राधिकारियों को फौरन इत्तिला,

v. मदद के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सूचना, यदि आवश्यक हो,

vi. समस्या आने पर कारागार में अधीक्षक के उपस्थित न होने पर आपात स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होते ही वह अविलम्ब पहुंचेगा एवं स्थिति नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। अतिरिक्त अथवा उप अधीक्षक को भी सूचना भेजी जानी चाहिए, जो तुरंत कारागार में पहुंचेंगे एवं या तो अधीक्षक की सहायता करेंगे या स्थिति का नियंत्रण स्वयं अपने हाथ में लेंगे।

आकस्मिक योजना

907. **पलायन एवं अशांति के मामलों से निपटने के लिए तैयारी एवं प्रक्रियाः**—कारागार से भागने की घटनाओं एवं गड़बड़ियों से निपटने के लिए प्रक्रियाएं एवं तैयारियांकृ महानिरीक्षक एक आकस्मिक योजना तैयार करेगा जिसमें कारागार में भागने, प्रकोप, दंगे, अग्नि अथवा अन्य प्रकार की गड़बड़ियों पर स्पष्ट रूप से बरती जाने वाली सावधानियां एवं अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख होगा।

(i) प्रत्येक कारागार के मुख्य द्वार पर तैनात संतरी को एक सायरन या अलार्म हेतु कोई अन्य तरीक़ा मुहैया करवाया जाएगा। जब बंदी कारागार के अंदर किसी स्थान पर बड़ी संख्या में काम कर रहे होते हैं, जहां कारापाल द्वारा बजायी गई सीटी को मुख्य द्वार पर तैनात संतरी या दूसरे संतरी द्वारा नहीं सुना जा सके, किसी भी प्रतिकूल घटना को तेज़ी से बताने हेतु सूचना देने का ज़रिया उपलब्ध कराया जाएगा । जब एक बंदी को अनुपस्थित पाया जाता है अथवा कारागार तोड़ने का कोई प्रयास होने या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी होने पर या ऐसा लगने पर कि ऐसा हो रहा है, तो अलार्म फौरन बजाया जाएगा एवं यह कारागार परिसर में मौजूद हर कार्मिक का, ड्यूटी पर न होने पर भी, उत्तरदायित्व

होगा कि कारागर में जिस ओर से अलार्म बजा है उस ओर जाकर देखें एवं इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी भी कारागार के मुख्य द्वार पर रिपोर्ट करेंगे। यह उपस्थित अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वह अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को संचार के सबसे तीव्र साधनों का उपयोग कर ऐसी घटना की सूचना दें।

(ii) वह अधिकारी जो पहली बार ऐसी घटना को देखता है, जो कुछ भी हो, लगातार सीटी बजाएगा एवं कारागर के सभी अधिकारी सुनने पर इसको तब तक दोहराएंगे जब तक कारागार के मुख्य द्वार पर बजा अलार्म यह न दर्शा दे कि वहां सूचना पहुंच चुकी है। एक संतरी कारागार या इसके समीप वाले किसी भी हिस्से में बजती हुई सीटी सुनने पर उस अलार्म/सायरन को तब तक दोहराएगा जब तक समूचा प्रतिष्ठान पूर्णतया जाग्रत न हो जाए। अलार्म बजाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सायरन अलग अलग कारागारों के लिए अलग–अलग आवाज़ों वाला हो सकता है ताकि कर्मचारी इसकी पहचान कर पाएं। मुख्य कारापाल अथवा ड्यूटी पर तैनात कारापाल, जहां से अलार्म बजना शुरू हुआ है, कारागार के द्वार पर तैनात ड्यूटी अधिकारी को हो चुकी अथवा होने जा रही घटना के स्वरूप की तुरंत सूचना देगा ताकि उपअधीक्षक या अन्य अधिकारी कार्यवाही का संचालन करने की स्थिति में आ सकें।
उदाहरण के लिए, कारागार से भागने की घटना होने की स्थिति में बंदी का नाम, वह स्थान जहां उसको अंतिम बार देखा गया, उसे संभावित रूप से प्राप्त निर्देश एवं कारागार का वह हिस्सा जहां से वह ग़ायब हुआ है, उसको दोबारा पकड़ने में यह सभी जानकारियां काफी महत्वपूर्ण होंगी। किसी गड़बड़ी की स्थिति में वह स्थान जहां ऐसी घटना घटी है एवं इसमें सम्मिलित हुए बंदियों की अनुमानित संख्या जैसी जानकारियां स्थिति नियंत्रित करने में अपनी शक्ति का प्रभावी

उपयोग करने में संबंधित उत्तरदायी अधिकारी को समर्थ बनाएंगी।

(iii) अलार्म बजाने में बरती जाने वाली तत्परता सबसे महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक ड्यूटी है। जब एक बंदी के ग़ायब होने या किसी गड़बड़ी के होने की या शुरू होने के कगार पर पहुंचने की बात पता चलती है, बंदी को ढूंढने या गड़बड़ी नियंत्रित करने, जैसी भी स्थिति हो, के कदम अवश्य तुरंत उठाये जाने चाहिए एवं इसको दबाये जाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। स्टाफ को चौकन्ना करने के लिए अलार्म तुरंत बजाया जाना चाहिए। अलार्म बजाए बग़ैर ग़ायब होने वाले आदमी का दोबारा मिलना या गड़बड़ी नियंत्रित होना संबंधित अधिकारी की लापरवाही को किसी भी रूप में कम कर देगा, यह स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) अलार्म की आवाज़ सुनने पर दल का प्रभारी कारापाल अपने बंदियों को इकट्ठा कर सुरक्षित स्थान पर बंद कर देगा एवं उनको भागने से रोकने के लिये आवश्यक एहतियात बरतेगा।

नोटः किसी भी समय एक अलार्म परेड का आदेश दिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि बंदी यह न समझे कि कोई परेड केवल अभ्यास के लिए है अथवा नहीं, सभी अवसरों पर विस्तृत ध्यान दिया जाना चाहिए । बंदियों के किसी समूह द्वारा मुख्य द्वार से भाग निकलने का कोई प्रयास होने पर, द्वार या छोटे फाटक को खोलना बुद्धिमानी नहीं होगी।

(v) अलार्म बजने के समय कारागार के अंदर कारागार कर्मियों को छोड़करसभी बंदियोंको निकटतम या सबसे सुविधाजनक वॉर्ड, कार्यशाला या अन्य इमारत में बंद कर दिया जाएगा । ड्यूटी पर तैनात कारापाल बंदियों को बंद करने के स्थान पर क़रीबी निगाह रखेंगे। बंदियों में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने

में कारागार कर्मियों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) अलार्म की ध्वनि होने परः

क. कारागार परिसर में ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कारागार अधिकारी अपने ड्यूटी स्थल पर बना रहेगा जब तक उसे वरिष्ठ अधिकारी इससे अलग आदेश न दें।

ख. कारागार परिसर में उपस्थित प्रत्येक कारागार कर्मचारी एवं कारागार परिसर में निवास करने वाला कर्मचारी भले ही कहीं और कितना भी व्यस्त हो अथवा समुचित वर्दी में हो अथवा नहीं कारागर के मुख्य द्वार, जहां वह पदस्थापित है, के लिये तुरंत प्रस्थान करेगा।

ग. इसके बाद वह नियमानुसार अधीक्षक अथवा अन्य उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य करेगा।

घ. प्रभारी अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनिवार्यतः घटित हुई उस घटना के स्वरूप पर निर्भर करनी चाहिए जिससे उसको निपटना है।

ङ. हालांकि सभी स्थितियों में एक संतरी मुख्य द्वार की छत पर या अन्य उपयुक्त स्थान पर, जहां से वह कारागर के भीतर निगाह रख सके, तैनात रहेगा एवं समय–समय पर कारागर के अंदर की स्थिति की सारी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देता रहेगा।

च. बंदियों द्वारा दीवार फांदने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए वॉच टॉवर पर एवं दीवार की निगरानी में तैनात स्टाफ को सतर्क कर दिया जाएगा।

छ. कुछ आदमी किसी भी समय सहायता प्राप्त करने हेतु, जब विशेष रूप से उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, दिशानिर्देशों के साथ घटनास्थल पर रवाना होने के लिए, बतौर रिज़र्व स्टाफ बचा कर रखे जाएंगे।

ज. जब बंदी कारागार के अंदर सुरक्षित हों, यह भी आवश्यक होगा कि उन पर एक छोटा पहरा तैनात कर दिया जाए

। बचे हुए कार्मिकों का व्यवस्थापन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(vii) यदि यह कारागार के बाहर भागने अथवा गड़बड़ी का मामला है तो यह ड्यूटी पर तैनात प्रभारी रक्षी अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह उत्पन्न परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अपनी शक्तियों का उपयोग कर न्यूनतम बल प्रयोग से ग़ायब हुए बंदी की खोजबीन या ग़ड़बड़ी की रोकथाम, जैसा भी मामला हो, के कदम उठाये।

(viii) यदि यह मामला कारागार के भीतर दंगे या गड़बड़ी का हुआ तो प्रभारी अधिकारी अपने अधीन कार्यरत स्टाफ को नेतृत्व प्रदान कर इसकी समाप्ति करेगा। ऐसा कदम उठाने से पहले यद्यपि वह पहले प्रवेशद्वार की छत से आश्वस्त होगा कि द्वार के समीप प्रांगण में कोई बंदी मौजूद नहीं हैं। यदि उपस्थित है तो भीड़ के तितर–बितर होने तक द्वार नहीं खोला जाएगा, एवं यह कार्य प्रवेश द्वार की छत से प्रभावी रूप से किया जा सकता है। इसके बाद वह अपने स्टाफ को द्वार के बीच ले जाएगा। जब बाहरी दरवाजा पूर्णतया बंद कर दिया जाए, अंदरूनी दरवाजा खोला जा सकता है एवं कर्मचारी गड़बड़ी वाली जगह कूच कर सकते हैं एवं प्रभारी अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर सकते हैं।

(ix) दंगे की किसी घटना का नियंत्रण करने के लिए कारागार का कोई भी अधिकारी इतने न्यूनतम बल का प्रयोग करेगा जितना व्यवस्था दोबारा क़ायम करने एवं संबंधित व्यक्ति को कम से कम चोट पहुंचाकर पुनः हिरासत में लिये जाने के लिए आवश्यक हो।

(x) भले ही अलार्म सच हो या झूठ, कारापाल द्वारा बजायी गई आरम्भिक सीटी से लेकर ग़ायब हुए बंदी की खोजबीन का अंजाम निकलने तक अथवा गड़बड़ी की रोकथाम होने तक, जैसा भी मामला हो, निर्धारित सभी नियत कार्य संपन्न किये जाने जाने चाहिए।

(xi) कारापालों को उन सभी स्थितियों के प्रति, जिनसे निपटने में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, अभ्यस्त बनाने एवं कम समयांतराल में हाजिर होने की उनकी तैयारी की परख के लिए एक माह में दो बार दिन अथवा रात्रि के किसी भी घंटे में किसी पूर्व चेतावनी के बिना अलार्म परेड आयोजित की जानी चाहिए, एवं इसको वहां से शुरू किया जाना चाहिए जहां आमतौर पर बंदी इकट्ठे होते हैं।

(xii) रात्रि के समय किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है।

(xiii) ग़ायब हुए बंदी के मामले में कारागार परिसर में ही उसको ढूंढने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। यदि अधीक्षक इस वाजिब समझ पर पहुंच जाए कि बंदी कारागार की दीवारें पार कर चुका हैतो वह तुरंत मामले की रिपोर्ट पुलिस को देगा, एवं साथ–साथ भगोड़े बंदी को पकड़ने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा क्योंकि कारागार का स्टाफ भगोड़े की पहचान करने की बेहतर स्थिति में होता है।

(xiv) अलार्म बजते समय यह द्वार पर तैनात संतरी की ड्यूटी होती है कि वह द्वार का बचाव करे एवं कारागार के किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे।

(xv) अलार्म परेड के दौरान पूर्ण शांति बरती जानी चाहिए एवं सारी प्रक्रिया क्रमानुसार एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न की जानी चाहिए। उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य कारापाल, कारापाल एवं प्रभार संभालने वाले किसी भी अन्य स्टाफ को समयपूर्व उनके कर्तव्यों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि प्रभारी अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा किये बिना उनको यह पता चल सके कि अलार्म बजने पर क्या करना है एवं कहां जाना है।

(xvi) अधीक्षक कारागार परिसर में गड़बड़ी, दंगा, भागने एवं हिंसा की सूचना तुरंत पुलिस को देगा।

(xvii) अलार्म परेड का समापन अधीक्षक (कारागार) के निर्देशानुसार होगा एवं परेड में भाग लेने वाले अधिकारी कारागर के द्वार

पर लौटेंगे, आदेश का पालन करेंगे एवं यथास्थान प्रस्थान करेंगे।

(xviii) अलार्म परेड की समाप्ति के तुंरत बाद अधीक्षक उपमहानिरीक्षक (रेंज) को मौखिक रूप से घटना एवं की गई कार्यवाही की जानकारी देगा । इसके बाद यह जानकारी जल्द से जल्द विस्तृत रूप से लिखित में प्रदान की जाएगी।

(xix) अधीक्षक एवं उप अधीक्षक अपनी अपनी दैनिकी में परेड आयोजित होने की तिथि एवं घंटे, कारापालों द्वारा निर्देशों का पालन करने एवं स्वयं को तैयार करने में लगाए गए समय, उन अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम जो देरी से आये या अनुपस्थित रहे, एवं पाई गई कमियों को प्रविष्ट करेंगे।

(xx) चूककर्ताओं के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई, यदि की जानी हो, के विवरण समेत अधीक्षक द्वारा ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति अलार्म परेड के आयोजन के फौरन बाद महानिरीक्षक (रेंज) के पास जमा की जानी चाहिए।

आकस्मिक कार्ययोजना– किसी भी आपातिक स्थिति जैसे कारागार से भागना, गड़बड़ी, आग, प्राकृतिक आपदा आदि से निपटने के लिए अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त के पास एवं कारागार एवं पुलिस प्रशासन दोनों में अगले निचले वरिष्ठ अधिकारियों के पास आकस्मिक कार्ययोजना की प्रति उपलब्ध होगी ।

पलायन

अलार्म बजाना

908. एक सायरन या अलार्म घंटी, (जो इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतीय अथवा हस्तचालित हो सकती है) जिसको अधीनस्थ कर्मचारियों के आवासों तक आसानी से सुना जा सके, को प्रत्येक कारागार के मुख्य द्वार के निकट, उन स्थानों पर जहां बंदी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, रखा जाएगा। जहां बंदी बड़ी संख्या में कार्यरत

हैं वहां अलार्म की ध्वनि इतनी तेज़ होनी चाहिए कि उसे मुख्य द्वार पर सुना जा सके।

i. नियंत्रण में लेने के उपाय जैसे हथकड़ी, बंदियों को बंद करना, परेशानी पैदा करने वालों का पृथक्करण एवं भीड़ को तितर–बितर करना।
ii. परिस्थिति के अनुरूप सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना।
iii. आपात स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए हरसंभव सहायता की व्यवस्था करना।
iv. ज़िला मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं अग्निशमन विभाग से आवश्यक सभी सहायता प्राप्त करना।

909. सीटी बजने से शुरू होकर अलार्म बजने का सिलसिला, फिर तुरही बजने की ध्वनि एवं तत्पश्चात ज़ोर से अलार्म घड़ियाल का बजना, कारागार से पलायन अथवा उसके लिए कोशिश किए जाने की स्थिति में त्वरित सहायता की दरकार के संकेत होंगे।

पलायन के प्रयास

910. किसीबंदीद्वारा भागने की कोशिश करने की स्थिति में प्रहरी या संतरी, यदि बंदी को भागने से रोकने के लिए अन्य प्रहरियों की मदद की आवश्यकता हो, अलार्म बजाएंगे। साथ ही वह बंदी को भागने से रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।
911. कारागार से भागने की किसी समूह की कोशिश को रोकने के हथियारबंद प्रहरी क्षणभर में अपने को तैयार करेगा।

यदि कार्य हेतु बाहर गए बंदियों से कोई समूह भागने का प्रयास करे

912. कारागार के बाहर किसी कार्यस्थल से भागने की घटना के कारण बजे अलार्म पर मुख्य द्वार पर तैनात प्रभारी अधिकारी सहायता हेतु जितने संभव हों उतने कारापाल भेजेगा। शेष कारापाल उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे।

913. बाहरी समूह, जहां से बंदी भागा है, का प्रभारी कारापाल अलार्म बजाये जाने के बाद बंदी को पकड़ने के लिए अपने रक्षक को भेजेगा एवं शेष बंदियों को इकट्ठा कर कारागार के मुख्य द्वार पर लाएगा जहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को भागने की सूचना देगा।

उप–अधीक्षक का दायित्व

914. जैसे ही भागने की सूचना प्राप्त हो, उप–अधीक्षक अथवा ड्यूटी पर तैनात अन्य वरिष्ठ अधिकारी:

(क) जिस स्थान पर भागने की घटना हुई है वहां के लिए पर्याप्त संख्या में बल रवाना करेगा, एवं

(ख) भागने की सूचना अधीक्षक को प्रदान करेगा जो उसे देखते हुए भागने वाले बंदी/बंदियों को पकड़ने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

रात्रि के दौरान पलायन

915 यदि बंदी के भागने की घटना रात्रि में हुई हो एवं यदि उसके अब भी कारागार के अंदर ही मौजूद होने की संभावना हो तो कारागर के भीतर टॉर्च लाइट्स की मदद से खोजबीन की जाएगी।

अधीक्षक का दायित्व

916. अधीक्षक शीघ्र ही कारागार से भागने की घटना का नोटिस निकटतम पुलिस स्टेशन, क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं ज़िला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, साथ में यह सूचना भगोड़े बंदी के संक्षिप्त विवरण समेत होगी। वह बंदी के घर के निकट पुलिस स्टेशन को भी तीव्रतम माध्यम से सूचित करेगा। यदि बंदी कारागार वाले ज़िले से अलग ज़िले का है तो यह सूचना उसके ज़िला मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र के पुलिस आयुक्त को दी जाएगी।

917. यह सूचना पुलिस उपायुक्त (अपराध एवं रेलवे) एवं रेलवे पुलिस महानिदेशक अथवा यदि बंदी के रेलवे अथवा आवागमन के अन्य साधनों का उपयोग करने की संभावना हो तो परिवहन प्रणाली के प्रधान को दी जाएगी। यदि आवश्यक समझा जाए तो संचार के तीव्रतम साधनों का प्रयोग कर अन्य ज़िलों को भी सूचना दी जाएगी।

महानिरीक्षक एवं सरकार को रिपोर्ट

918. यदि कोई बंदी भाग जाता है तो अधीक्षक या उसकी अनुपस्थिति में उप–अधीक्षक फोन से तुरंत महानिरीक्षक एवं उसकी अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपलब्ध अगले वरिष्ठ अधिकारी को संदेश भेजेंगे, तत्पश्चात भागने के 24 घंटे के भीतर बंदी के संक्षिप्त विवरण, फैसले की प्रति एवं अन्य जानकारी समेत विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे। दस्तावेज़ों समेत इस रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को भी भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में भागने के समय एवं परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी, वह व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से भागना संभव हो पाया है, क्या बंदी पुनः पकड़ा जा चुका है एवं यदि नहीं तो उसको दोबारा पकड़ने के लिए उठाये जाने वाले कदमों से संबंधित जानकारी शामिल होगी। यदि भागना केवल मिलीभगत अथवा लापरवाही के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, किंतु अंशतः इमारत में ख़राबी या बंदीरक्षण के ढंग में कमी या किसी प्रक्रिया की नाकामी के कारण हुआ है, तो उसे स्प"ट तौर पर उल्लेख करना होगा।

बंदी के पकड़े जाने पर एक और रिपोर्ट कारागार महानिरीक्षक एवं सरकार को भेजी जाएगी।

भागने के प्रयास की सूचना निम्नांकित को दी जाएगी :

919. भागने की कोशिश के हरेक मामले की जानकारी, प्रत्येक मामले से संबंधित जानकारी समेत, बंदी के विवरणात्मक चिट्ठे के साथ महानिरीक्षक को दी जाएगी।

920. क़ानून के मुताबिक आवश्यक कार्यवाई के लिए उस क्षेत्र के थानाधिकारी को भी भागने की कोशिश के हरेक मामले की जानकारी दी जाएगी।

भागने की कोशिश के लिए दंड

921. कारागार के हर अधिकारी पर, जिसकी सहायता, मिलीभगत अथवा लापरवाही से भागने की घटना घटी है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 222, 223 एवं 225ए के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। महानिरीक्षक (कारागार) के आदेश से एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कारागार अधीक्षक के ओहदे से नीचे न हो एवं उस कारागार से नहीं होना चाहिए जहां घटना घटी है, के माध्यम से तुरंत एक स्वतंत्र जांच करवाई जाएगी।

भागने की घटना का प्रकाशन

922. बंदियों के भागने का नोटिस एवं उनके दोबारा पकड़े जाने पर प्रस्तावित इनाम प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में एवं यदि महानिरीक्षक आदेश दे तो राजपत्र में भी प्रकाशित किये जाएंगे।

पुरस्कार देने के अधिकार

923. ऐसे मामलों में पुरस्कार दिए जाने के संबंध में निर्णय कारगार महानिरीक्षक द्वारा लिया जा सकता है।

पलायन रोकने वाले बंदियों को इनाम

924. वह सभी मामले जिनमें बंदी अधिकारियों को ऐसी कार्ययोजना या तैयारी की चेतावनी देकर अथवा भागने की कोशिश कर रहे बंदी को पकड़ कर या किसी अन्य माध्यम से भागना विफल कर देते हैं, उपयुक्त इनाम देने के विचार से महानिरीक्षक के संज्ञान में लाये जाएंगे।

दोबारा गिरफ्तारी होने पर प्रक्रिया

925. बंदी के दोबारा गिरफ्तार होने की सूचना उन सभी को दी जाएगी जिनको आरंभ में उसके भागने की जानकारी दी गई थी।

926. दोबारा पकड़ा गया बंदी कारागार में मूल वॉरंट के आदेशानुसार हिरासत में रखा जाएगा; भागने के बाद बाहर बिताया गये समय की बतौर सज़ा गिनती नहीं होगी।

927. दोबारा पकड़े गये बंदी पर यदि मुकदमा चल रहा है तो संबंधित न्यायालय में अग्रिम निर्देशों हेतु पेश किया जाएगा।

पलायन अथवा पलायन के प्रयास पर विशेषाधिकार में कमी

928. हर बंदी जो किसी भी समय हिरासत से भागा है अथवा उसने भागने की कोशिश की है, हाई रिस्क बंदी कहलाएगा एवं उसकी सुगम पहचान के लिए उसको विशेष कपड़े दिये जाएंगे।

दोबारा गिरफ्तार न होने वाले बंदियों के नाम रिहाई पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

929. अधीक्षक अपने पास एक पंजिका रखेगा जिसमें वह भागने की तिथि, नाम, एवं भागने वाले एवं दोबारा नहीं पकड़े जाने वाले प्रत्येक बंदी का पंजीकृत अंक दर्ज करेगा। दोबारा पकड़े जाने पर उसका नाम पंजिका से हटा दिया जाएगा एवं दोबारा पकड़े जाने की तिथि नोट कर ली जाएगी।

930. हर बंदी जो पैरोल या थोड़े दिन के अवकाश या अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद कारागार प्राधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करता है, कारागार से भागे हुए बंदी के रूप में कहलाया जाएगा एवं समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

फरार बंदियों के वारंट की व्यवस्था

931. कारागार से भागने वाले बंदी का वारंट भागने की तिथि से दस वर्ष तक कारागार में रखा जाएगा। यदि वह इस अवधि के अंदर दोबारा नहीं पकड़ा गया तो वारंट को संबंधित न्यायालय को सबूत एवं कारण बताते हुए सौंप दिया जाएगा।

बलवा

बलवा होने पर अलार्म बजाया जाएगा

932. जब भी कारागार तोड़े जाने की घटना होती है या/एवं कारागार के भीतर आंदोलन होता है, संबंधित कारागार अधीक्षक को पुलिस को सूचना देनी चाहिए जो स्थिति नियंत्रित करने एवं कारागार के अंदर व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। यद्यपि पुलिस के आगमन तक कारागार के प्रहरी एवं सुरक्षाकर्मी स्थिति नियंत्रित करने के कदम उठाएंगे एवं आगे अप्रिय घटनाएं होने से रोकेंगे।

933. किसी बलवे या गड़बड़ी के होने पर घटनास्थल पर उपस्थित कारागार कर्मचारी अपनी सीटी बजाकर अलार्म देगा जिसको

सुनकर कारापाल स्टाफ अपनी सीटियां बजाएंगे। तत्पश्चात मुख्य द्वार पर सायरन या घड़ियाल बजाए जाएंगे। कारागार से बाहर हर कारागार कर्मी प्रहरी कक्ष के लिए प्रस्थान करेगा एवं साथ में लाठी रखेगा। उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, अधीक्षक एवं उप–अधीक्षक को एक संदेश भेजेंगे, उप–अधीक्षक हर उपलब्ध कर्मचारी को उपस्थित होने का आदेश देगा।

जब अलार्म बजेगा

934. अलार्म बजने पर बचाकर रखे गये प्रहरी अपने हथियार उठाएंगे एवं कारागार के बाहर सतर्क होकर उपस्थित रहेंगे। अन्य कारापालों के साथ मुख्य द्वार का संतरी दरवाजों के बीच में मौजूद रहेगा एवं यदि बंदी मुख्य द्वार के लिए वास्तव में ख़तरा न बन रहे हों, शेष सुरक्षाकर्मी कारागार में लाठियों समेत प्रवेश करेंगे और गड़बड़ी वाले स्थान पर तेज़ी से प्रस्थान करेंगे। किंतु यदि बंदी मुख्य द्वार के लिए ख़तरा बन रहे हों तो इसका रक्षण अवश्य किया जाना है जब तक कि प्रहरी प्रवेश करने लायक मज़बूत न हो एवं बंदियों को वापस न धकेल दे। बचाकर रखा गया हथियारबंद प्रहरी कारागार में या गड़बड़ी वाले स्थान पर तब तक नहीं आएगा जब तक प्रभारी अधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से न भेजा जाए।

अलार्म सुनने पर बंदी का कर्तव्य

935. जब अलार्म बजाया जाता है यह प्रत्येक बंदी का कर्तव्य होगा कि वह पूर्वनिर्धारित सुरक्षित स्थानों, आमतौर पर सबसे क़रीब स्थित शयन बैरक की तरफ दौड़े, जहां कारागार के अंदर मौजूद कारापाल उनको बंद कर देंगे। बंदियों को पहले ही यह चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि इस नियम का उल्लंघन करने पर वह बलवे में सम्मिलित बंदियों में गिने जा सकते हैं।

अव्यवस्था नियंत्रित करने के तरीके

936. गड़बड़ी वाले स्थान पर पहुंचने पर प्रहरी यदि उपलब्ध हैं तो लाठियों अथवा आंसू गैस का प्रयोग कर, प्रभारी अधिकारी के निर्णय के अनुसार, गड़बड़ी नियंत्रित करेगा। सबसे पहले ज़ोर फरार होने से रोकने, दंगाइयों को अन्य बंदियों से अलग करने एवं ख़तरे में पड़े कारागार के अधिकारी के बचाव की कार्रवाई करने पर रहेगा। यदि अव्यवस्था में कारागार के किसी कर्मचारी पर हमला या फरार होने का सामूहिक प्रयास भी शामिल है तो प्रभारी अधिकारी बंदियों को यह चेतावनी देगा कि वह नहीं माने तो उन पर गोली चलायी जा सकती है। यदि परिस्थितियां इजाज़त दें तो इस चेतावनी को तीन बार दोहराया जाएगा। यदि बंदी आज्ञापालन नहीं करते हैं या बलवा शांत नहीं किया जा सकता है या व्यवस्था क़ायम नहीं की जा सकती है तो प्रभारी अधिकारी बचाकर रखे गये प्रहरी को बुलाकर इन बंदियों पर फायरिंग करवा सकता है। जैसे ही बंदियों का प्रतिरोध थम जाता है या वह बात मान लेते हैं तो वह फायरिंग बंद कर देगा। सभी परिस्थितियों में आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग किया जाएगा।

937. अधीक्षक के आगमन पर उनका आदेश प्राप्त किया जाएगा उप–अधीक्षक एवं इस ओहदे से निचले स्तर के सभी अधिकारी उनके आदेश के अनुरूप कार्य करेंगे।

938. कारागार के कर्मचारी, जब तक स्टाफ को धमकी न दी गयी हो, काराग़ार के बाहर बंदियों को तितर बितर करने का प्रयास नहीं करेंगे।

939. कारागार के कर्मचारियों से मारपीट जैसी घटनाओं की जांच अधीक्षक द्वारा या उस अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति का निर्देश महानिरीक्षक ने दिया हो।

मुख्य द्वार की रक्षा

940. मुख्य द्वार का संतरी एवं दरवाज़ों के बीच तैनात अतिरिक्त कारापाल मुख्य द्वार की रक्षा करेंगे। यदि बंदियों को किसी अन्य तरीकै से वापस नहीं भेजा जा सकता है तो आवश्यक चेतावनी देकर फायरिंग की जाएगी। जैसे ही बंदी वापस भेज दिया जाता है फायरिंग रोक दी जाएगी।

विभिन्न वॉर्ड के बीच अव्यवस्था

941. यदि वॉर्ड के बीच में अव्यवस्था होती है तो उपलब्ध सुरक्षाकर्मी कारागार में लाठियां लेकर प्रवेश करेंगे एवं तेज़ी से यार्ड के दरवाजे की ओर बढ़ेंगे। वॉर्ड में प्रवेश के लिए एक दल अलग होगा और व्यवस्था क़ायम करेगा जबकि शेष सुरक्षाकर्मी यार्ड के दरवाज़े पर इंतज़ार करेंगे।

बाहरी समूहों के प्रति व्यवहार

942. अलार्म बजते समय कारागार से बाहर रहे समूह तुरंत एकत्रित किये जाएंगे एवं अव्यवस्था दूर होने तक अपने रक्षक के निर्देशानुसार पास पास बैठा दिये जाएंगे। यदि स्थिति अनुमति दे तो यह समूह एक वॉर्ड में ले जाकर बंद रखा जाएगा ताकि समूह के प्रभारी कारापाल अन्य ड्यूटी के लिए ख़ाली हो पाएं।

अलार्म की प्रक्रिया का रिहर्सल

943. यह महत्वपूर्ण है कि जब बलवा हो तो हर व्यक्ति को भली प्रकार से यह पता हो कि उसको क्या करना है। इस प्रक्रिया में प्रावीण्य लाने के लिए हर कारागार में बारम्बार एक अलार्म परेड आयोजित की जाएगी। जहां तक संभव हो नियमों में उल्लिखित सभी कदमों का परिशुद्धता एवं शीघ्रता से रिहर्सल किया जाएगा। दोषसिद्ध बंदियों को भी अलार्म बजाए जाने पर फौरन निर्धारित सुरक्षित स्थान पर चले जाने का प्रशिक्षण

दिया जाएगा। अभ्यासवश आयोजित अलार्म परेड के दौरान कारागार के भीतर कोई हथियार नहीं ले जाए जाएंगे। अधीक्षक हर अभ्यास सत्र का रिकॉर्ड एवं इसका परिणाम अपनी पंजिका में प्रविष्ट करेगा।

अधीक्षक का कर्तव्य

944. कारागार में एक गंभीर दंगे में परिवर्तित होने की संभावना वाला किसी तरह का बलवा होने की सूरत में अधीक्षक क्षेत्र में स्थित पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष और क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त को, एवं इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में थाने में मौजूद अगले वरिष्ठ अधिकारी को, टेलीफोन या किसी तीव्र संदेशवाहक के माध्यम से स्थिति की जानकारी देता हुआ संदेश भेजेगा। यदि अधीक्षक यह महसूस करता है कि पुलिस उपायुक्त या उसकी अनुपस्थिति में अगले अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त की मौजूदगी आवश्यक है तो वह साथ ही उनसे कारागार में आने का अनुरोध भी करेगा। इस आशय का संदेश प्राप्त होने पर उक्त अधिकारी तुरंत कारागार के लिए प्रस्थान करेंगे एवं अधीक्षक से मशविरा कर व्यवस्था कायम करने के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जो मामले की विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र आवश्यक हों। उठाये गए समस्त कदम वह शीघ्रतापूर्वक उच्चाधिकारियों को बताएगा। कारागार का नियंत्रण कक्ष तेज़ी से संदेश भेजने के लिए उपरोक्त अधिकारियों के सभी टेलीफोन नंबर एवं संचार के अन्य साधन आसानी से उपलब्ध रखेगा।

दुर्घटनाएं एवं आत्महत्याएं

असामान्य मृत्यु होने पर प्रक्रिया

945. जब भी कारागार में अचानक या हिंसा या आत्महत्या के परिणामस्वरूप कोई मृत्यु होती है तो तुरंत अधीक्षक एवं चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस भेजा जाएगा। अन्य अधिकारियों

के परीक्षण के लिए छुए बगैर मृत शरीर ठीक उसी अवस्था में छोड़ दिया जाएगा जिस अवस्था में पाया गया था।

946. हालांकि यदि व्यक्ति के अब भी जीवित होने की वाजिब समझ/आशा है तो बंदी की प्राथमिक चिकित्सा व उपचार एवं पुनरुज्जीवन के कदम उठाये जाएंगे।

947. यदि बंदी को आत्महत्या करने के प्रयास में रस्सी से लटका हुआ पाया जाता है एवं उसके अब भी जीवित होने के कारण मौजूद हैं तो दबाव कम करने के लिए शरीर को फौरन ऊपर उठाया जाएगा एवं सावधानीपूर्वक ज़मीन पर लिटा दिया जाएगा। किसी सहायता की प्रतीक्षा किये बग़ैर बंदी को होश में लाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे, हालांकि सहायता का इंतज़ाम भी देरी किये बिना किया जाएगा। मृत्यु की सभी घटनाओं में किसी बंदी की मृत्यु से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

आत्महत्या में इस्तेमाल की गई वस्तुओं की अभिरक्षा

948. कामकाज के स्थान पर इस्तेमाल चाकू एवं औजार तथा हज्जाम या दर्जी के उपकरण कारापालों द्वारा प्रतिदिन गिनती कर तालाबंद कर दिए जाएंगे। कुंओं की रस्सियां विधिवत संरक्षित और तालाबंद कर दी जानी चाहिए एवं लोगों के गिरने या कूदने की रोकथाम के लिए स्वयं कुंओं को भी सुरक्षित बना दिया जाना चाहिए। इसका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि कारागार में ऐसा कुछ न रहे जिसका इस्तेमाल खुदकुशी जैसे कदमों के लिए किया जा सके।

आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले बंदियों के प्रति सावधानियां

949. आत्महत्या के स्पष्ट रुझान वाले बंदियों की सावधानीपूर्वक देखरेख की जाएगी एवं उनको अपनी सेल में अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे बंदियों को परामर्शदाताओं एवं

मनोवैज्ञानिकों के पास भी भेजा जाना चाहिए एवं उनकी निकटता से देखरेख की जानी चाहिए।

खतरनाक कार्यों में सिद्ध दोष बंदियों का रोजगार

950. जब बंदी विस्फोट, उत्खनन या अन्य प्रकार के ख़तरनाक कार्य में रत हों तो दुर्घटनाओं से रक्षा के लिए हर उचित सावधानी बरतने की ज़िम्मेदारी कार्य करवा रहे अधिकारी पर होगी। किसी भी सिद्ध दोष बंदी को विस्फोटन संबंधी प्रचालनों में चार्ज में आग लगाने के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उत्खनन में दीवारें रोक कर रखी जाएंगी या चरणबद्ध तरीके से काटी जाएंगी।

विष की अभिरक्षा

951. विषैली दवाएं एवं निद्राकारी दवाएं, सर्जिकल उपकरण एवं इस प्रकार की अन्य चीजें बंदियों की पहुंच में नहीं छोड़ी जाएंगी। किसी विषैली दवा के हर डिब्बे पर बड़े अक्षरों में 'विष' लिख कर चिपकाया जाएगा। इन सभी को ताले चाबी में रखा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में यह चाबी किसी बंदी को नहीं सौंपी जाएगी।

डूबने के प्रति एहतियात

952. कुंओं में दुर्घटनाएं होने की स्थिति में तैयार मिलने के लिए एक मजबूत रस्सी एवं अनेक कांटों वाला लंगर हर कारागार के प्रहरी कक्ष में रखे जाएंगे।

आग

आग की रोकथाम

953. किसी भी ऑफिस या भंडार घर में कैरोसीन या गैस लाइटों का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरती जाएगी। यहां तक कि बिजली की लाइटों के रखरखाव में किसी भी तरह का रिसाव तुरंत उप अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा एवं देरी किये बग़ैर ठीक किया जाएगा।

954. कार्यालय, रसोई एवं भंडार घरों के सभी प्रभारी कर्मचारी रात्रि में अपना कार्य समाप्त करने से पहले कार्यालयों एवं भंडार घरों का निरीक्षण करेंगे एवं आश्वस्त होंगे कि सब सुरक्षित है।

955. कार्यशालाओं में विधिवत निर्मित अग्निस्थलों में आग का प्रयोग होगा एवं कारागार में ताला लगाने वाला वरिष्ठ अधिकारी लौटने से पूर्व आश्वस्त होगा कि यह अग्नि ठीक प्रकार से बुझा दी गई हैं। प्रभाग का संबंधित वरिष्ठ स्टाफ भी इस बारे में उत्तरदायी होगा।

956. रसोई में इस्तेमाल होने वाले किसी जलते हुए कोयले, लकड़ी या अन्य ईंधन को बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी उल्लंघन के लिए रसोई के प्रभारी उत्तरदायी होंगे। यदि रसोई में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का उपयोग होता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एलपीजी के सिलिंडरों के भंडारण से संबंधित सुरक्षा नियमों के अनुरूप गैस सिलिंडर एक सुरक्षित कमरे में भंडारित किये जाएं एवं किसी बंदीकी ऐसे स्थान तक पहुंच न हो। यदि कोई आग लगती है तो जब तक आग पर पूरा नियंत्रण न पा लिया जाए किसी को भी गैस के कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

957. कारागार के सभी स्थानों में आग बुझाने के नल एवं अग्निशामक उपकरण (रेत एवं पानी की बाल्टियां) मौजूद होंगे, एवं विशेषकर अग्निशमन विभाग के साथ चर्चा में निर्धारित सभी संवेदनशील स्थानों पर मौजूद होंगे।

958. कारागार में बिजली के प्रतिष्ठानों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाएगा।

959. बाहरी कैम्पों एवं खुले संस्थानों में सावधानियां बरती जाएंगी–जैसे बड़ी मात्रा में जलापूर्ति का प्रावधान एवं अग्निशामक उपकरण हाथों हाथ तैयार रखे जाएंगे।

960. हर अधीक्षक अग्नि सुरक्षा एवं उसके कारागार में इसके अभ्यास के लिए की जाने वाली ड्रिल पर दिशानिर्देश तैयार करेगा जिनमें फायर अलार्म बजाये जाने पर कारागार प्रशासन के सभी सदस्यों के अपने अपने कर्तव्य दर्शाए गए होंगे। वह अपने स्टाफ को छह महीने में न्यूनतम एक बार फायर ड्रिल का अभ्यास कराएगा। इसमें अग्निशमन से संबंधित सुरक्षा उपाय एवं निकासी की तकनीकें शामिल होंगी।

961. आग लगने पर तुरंत अग्निशमन विभाग को भी सूचना भेजी जाएगी। फायर ब्रिगेड से सहायता प्राप्त होने तक आग बुझाने का हर कदम उठाया जाएगा। यदि कारागार में अग्नि दिन या रात में शुरू होती है तो अलार्म बजाया जाएगा।

962. यह सुनिश्चित करने के कदम उठाये जाएंगे कि आग कारागार के अन्य स्थानों पर न फैले एवं बंदियों व स्टाफ के सदस्यों के जीवन ख़तरे में न पड़ें। आग के कारण किसी बंदी या स्टाफ के किसी सदस्य के घायल होने की सूरत में (क) घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं (ख) फौरन एक जांच कराई जाएगी एवं घायल बंदी या स्टाफ के सदस्य के बयान व अन्य गवाहों के बयान दर्ज किये जाएंगे।

महामारी

महामारी एवं सावधानियां

963. वह महामारी जिनके कारागार में फैलने की संभावना है– हैजा, आंत्रज्वर, जठरांत्रकोप, छोटी चेचक, चेचक, गलगण्ड, प्रतिश्याय, मस्तिष्क मेरु ज्वर, निमोनिया, प्लेग, बेरीबेरी, स्कर्वी एवं जलोदर हैं।

964. जब कारागार के निकट एक महामारी मौजूद हो तो जहां तक संभव हो संक्रमित स्थान एवं कर्मचारियों के मध्य संपर्क रोका जाना चाहिए एवं विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रकोप से निपटने की पूरी व्यवस्था की गयी है।

पृथक्करण शेड को हटाना

965. हर कारागार में एक स्थायी पृथक्करण शेड की व्यवस्था की जाएगी। हैजे या किसी अन्य संक्रामक बीमारी का कोई मामला या संदेहास्पद मामला सामने आने पर रोगी को अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा बल्कि तुरंत इनमें से किसी शेड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि मामले में कार्यरत सभी अर्दली एवं सफाई कर्मियों को पूरी तरह अन्य शेड में पृथक कर दिया जाएगा। संक्रमण का ख़तरा समाप्त होने तक किसी भी बहाने से उनको कारागार के कॉमन एरिया में प्रवेश की या अन्य बंदियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि संभव हो तो संक्रमित बंदीकाराग़ार के बाहर संक्रामक रोगों के अस्पताल में भेज दिये जाएंगे।

संक्रमण की स्थिति में बंदियों का उपचार

966. जिस वॉर्ड में संक्रमण का संदेहास्पद मामला हुआ हो उस वॉर्ड की सफाई में कार्यरत सभी बंदियों, या वह बंदी जो रोगी के संपर्क में रहे हैं, को चिकित्सीय देखरेख में एक अलग इमारत में रखा जाएगा ताकि उनका अन्य बंदियों से

मिलना–जुलना रोका जा सके। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वेस्नान और भोजन ग्रहण अलग करें।

यदि संक्रमित हो तो कारागार अधिकारी के वस्त्र

967. यदि दिमाग़ में यह बात आने का कोई भी कारण मौजूद है कि किसी कारापाल या अन्य कारागार अधिकारी के कपड़े हैजे के स्राव से प्रदूषित हुए हो सकते हैं तो उन कपड़ों को फौरन अलग कर विसंक्रमित किया जाएगा।

संक्रमित बैरक का उपचार

968. वह बैरक जिसमें कोई मामला सामने आया है तुरंत ख़ाली कराई जाएगी एवं बंदियों को साथ में रखा जाएगा एवं उन्हें अन्य बंदियों के समीप जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ख़ाली की गई बैरक को पूरी तरह विसंक्रमित किया जाएगा।

टीकाकरण या प्रतिरक्षण

969. जब भी किसी महामारी का मामला सामने आएगा तो चिकित्सा अधिकारी तुरंत सभी बंदियों, कारागार कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के टीकाकरण या प्रतिरक्षण, जैसा भी मामला हो, की व्यवस्था करेगा।

रोगी को रखने की जगह

970. अस्पताल एवं हर वॉर्ड के सेल में भीड़–भाड़ से अवश्य बचा जाना चाहिए। यदि महामारी गंभीर है तो यह संभव है कि इससे जुड़े रोगियों के उपचार के लिए सभी अन्य रोगियों को एक अस्थायी अस्पताल, जिसको एक वॉर्ड या कार्य स्थल पर बनाया जा सकता है (यदि कोई अन्य बेहतर स्थान उपलब्ध नहीं है), में स्थानांतरित कर समूचे अस्पताल की ज़रूरत पड़े । उदरशूल या सामान्य अतिसार के साधारण मामलों का

उपचार भी अलग से किया जाएगा एवं इनके रोगियों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक हैजे और अतिसार के विशिष्ट लक्षण मिट न जाएं।

पीने के पानी का रोगाणुनाशन

971. चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर पीने के पानी को पूर्णतया उबाला जाएगा। इसके लिए कारागार महानिरीक्षक के निर्णयानुसार आवश्यक न्यूनतम सीमा तक गैस या जलाने वाली लकड़ी मुहैया कराई जाएगी। यह सुनिश्चित करने का भी ध्यान रखा जाएगा कि पानी उबालने के लिए पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। जहां तक संभव हो कारागारों में जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आर ओ लगे होने चाहिए।

बंदियों की निगरानी

972. आरम्भिक अवस्था में ही बीमारियों की पहचान के लिए बंदियों की सामान्य स्थिति की ध्यानपूर्वक निगरानी की जाएगी। पूर्वाभासी लक्षणों से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को उपचार के लिए फौरन अलग कर दिया जाएगा। कारापाल/मुख्य कारापाल को बीमारी के संकेत पाते ही फौरन इसकी सूचना देने की आवश्यकता होगी। एक बंदी जो सामान्य से अधिक बार शौच जा रहा है, वह निगरानी के दायरे में रखा जाएगा।

अस्पताल के फर्श का प्रशोधन

973. अलग किये गए अस्पताल के फर्श पर 2 प्रतिशत साबुन युक्त क्रेसोल या आइज़ल लोशन का उदारतापूर्वक छिड़कावहोगा या उससे उसे धोया जाएगा।

विष्ठा का निपटान

974. विष्ठा को दो घंटे तक एक बंद ढक्कन वाले पात्र, जिसमें समान परिमाण में 4प्रतिशत क्रेसोल या आइज़ल लोशन होंगे, में रखा जाएगा और इसके बाद उसे गाड़ दिया जाएगा। विष्ठा को बुरादे, धान की भूसी या केरोसीन के साथ जलाया भी जा सकता है।

बंदियों की स्वच्छता

975. बंदियों की स्वच्छता एवं कपड़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। धुलाई में प्रयुक्त पानी को कारागार की दीवारों के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा।

कपड़ों एवं बिस्तर का प्रशोधन

976. एक संक्रमित वॉर्ड के बंदियों के कपड़े एवं बिस्तर या तो 30 मिनट तक उबलते हुए पानी में निमज्जित किये जाएंगे या कार्बोलिक अथवा क्रेसोल के 20 प्रतिशत विलयन में रखे जाएंगे, फिर सुखाए जाएंगे तथा नहाने के बाद उनको लौटा दिये जाएंगे। संक्रमित बंदियों द्वारा प्रयोग किये गए अस्पताल के कपड़े एवं बिस्तर जला दिये जाएंगे।

संक्रमित शव का निपटान

977. संक्रमित बीमारी से मृत व्यक्ति का शरीर 2प्रतिशत कार्बोलिक या क्रेसोल लोशन से संतृप्त एक शीट में लपेटा जाएगा एवं जितनी कम देरी संभव हो उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा/भू–समाधि दे दी जाएगी।

महानिरीक्षक को सूचना

978. हैजे या किसी अन्य बीमारी का पहला मामला तुरंत महानिरीक्षक को रिपोर्ट किया जाएगा, तत्पश्चात उसी दिन

मामले की परिस्थितियों एवं बीमारी फैलने से रोकने के कदमों का उल्लेख करती हुई एक रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।

979. अगले दो मामले भी महानिरीक्षक को इसी प्रकार रिपोर्ट किये जाएंगे। दूसरा मामला सामने आने पर अधीक्षक यह उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट जमा कराएगा कि क्या वह कारागार परिसर में बड़े स्तर पर बंदियों का पृथक्करण प्रस्तावित करता है। यदि वह ऐसा करता है तो इसके लिए उठाए जा रहे कदमों का वर्णन करेगा। यदि वह पृथक्करण की योजना नहीं बनाता है तो उसके कारण भी दर्ज करेगा। यदि महानिरीक्षक मुख्यालय में अनुपस्थित है तो यह रिपोर्ट तीव्रतम साधनों का प्रयोग कर उस तक पहुंचाई जाएगी।

जब किसी बीमारी को महामारी माना जाए

980. यदि पहला मामला सामने आने के एक सप्ताह के भीतर तीन या अधिक मामले सामने आते हैं तो इस निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया है।

महामारी के लिए सामान्य तौर पर लागू नियम

981. पृथक्करण से संबंधित उपरोक्त नियम अन्य बीमारियों जैसे छोटी चेचक एवं प्लेग पर भी लागू होंगे। इन मामलों में पृथक्करण की आवश्यकता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। आंत्रज्वर के मामले में जलापूर्ति में परिवर्तन प्रथमतः महत्वपूर्ण होगा।

महामारी के दौरान दैनिक रिपोर्ट

982. कारागार में किसी महामारी के फैलने पर प्रतिदिन एक रिपोर्ट महानिरीक्षक को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में चिकित्सा अधिकारी संक्षेप में महामारी के प्रसार, इसकी रोकथाम के लिए उठाये जाने वाले कदम एवं कोई अन्य जानकारी जो वह

महत्वपूर्ण समझता हो, दर्ज करेगा। इस रिपोर्ट की एक प्रति निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को भी भेजी जाएगी।

महामारी–विज्ञान की दृष्टि से विशेष जांच

983. महानिरीक्षक स्वास्थ्य सेवा निदेशक से परामर्श कर जब भी उसको उपयुक्त लगे महामारी विज्ञान की दृष्टि से एक जांच करवा सकता है या स्थानिक चिकित्सा अधिकारी से एक रिपोर्ट तैयार करवा सकता है। ऐसी जांच रिपोर्ट की एक प्रति स्वास्थ्य सेवा निदेशक, भारत सरकार, नई दिल्ली के पास जमा की जाएगी।

भूख हड़ताल

भूख हड़ताल के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

984. जो बंदी भूख हड़ताल पर जाते हैं उनको यह चेतावनी दी जाएगी कि जब तक वह भूख हड़ताल जारी रखते हैं, उनकी किसी भी शिकायत में लगाये आरोपों का कोई निवारण नहीं किया जाएगा एवं वह कारागार की किसी भी सज़ा के भागी होंगे अथवा दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 47 के अंतर्गत मुकदमा चलाए जाने के पात्र होंगे।

985. पर्याप्त चेतावनी के पश्चात तथा भोजन ग्रहण न करने पर बंदियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से पहले एवं अन्य किसी भी प्रकार के दण्ड से उन पर असर होने की संभावना मुश्किल प्रतीत होने पर उनके विरुद्ध दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 47 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे बंदियों से मुलाकातों एवं चिट्ठी पत्री कीसामान्य रियायत केवल क़ानूनी विषयों से जुड़े सदस्यों तक ही सीमित होगी। यदि ऐसा बंदी क़ानूनी पेशे से संबंधित किसी सदस्य को स्वयं के प्रतिनिधित्व हेतु प्रस्तावित करता है तो बंदियों द्वारा क़ानून के नुमाइंदे के पक्ष में एक वकालतनामा

हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं इस संबंध में केवल उसी सदस्य को बंदी से मुलाक़ात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

986. बंदियों के सामूहिक भूख हड़ताल पर चले जाने की स्थिति में अधीक्षक वाजिब संख्या में क़ानूनी पेशे से जुड़े सदस्यों को बंदियों से मुलाकात करने की अनुमति देंगे। सुगम पहचान के लिये क़ानूनी पेशे से जुड़े सदस्यों को अपनी औपचारिक वकीलों वाली पोशाक में होना चाहिये एवं अपने लेटर हेड पर मुलाक़ात का अधियाचन करना चाहिए। यदि एक सामूहिक भूख हड़ताल विद्रोह का रूप धारण कर ले तो जहां तक संभव हो बंदियों को एक दूसरे से, एवं अन्य बंदियों से अलग कर दिया जाएगा।

987. जब दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 47 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए तो कार्यवाही कारागार में ही कराई जानी चाहिए एवं जितनी कम देरी हो पाए उस अवधि में शुरू एवं पूर्ण की जानी चाहिए।

भूख हड़ताल पर गए बंदियों को बलपूर्वक भोजन कराना

988. यह कारागार के प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि वेबंदियों को तंदुरुस्त बनाए रखने एवं मृत्यु से बचाने के लिए यथोचित कार्य करें। इसलिए यदि लगातार भोजन ग्रहण न करने से किसी बंदी के स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बनने की संभावना है तो चिकित्सा अधिकारी यह आदेश दे सकता है कि उसको जीवित रखने के लिए जबरन भोजन करवाया जाए। बलपूर्वक भोजन का अनावश्यक हिंसा के साथ प्रयास नहीं किया जाएगा। किंतु यह स्थिति आने तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वीकृत भोजन नियमित रूप से भूख हड़ताल पर गए बंदी के पास उसके सेवन के लिये रखा जाएगा।

सरकार को दैनिक रिपोर्ट

989. चिकित्सा अधिकारी भूख हड़ताल पर गए बंदी के स्वास्थ्य पर अपनी दैनिक रिपोर्ट अधीक्षक को सौंपेगा। बदले में वह महानिरीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट को सरकार को अग्रसारित करेगा।

अत्यधिक भीड़भाड़

अत्यधिक भीड़भाड़ की जानकारी महानिरीक्षक को दी जाएगी

990. यदि एक कारागार में अधिक भीड़भाड़ हो जाती है तो अधीक्षक सभी बंदियों को यथायोग्य समायोजित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा, महानिरीक्षक को उन परिस्थितियों की जानकारी देगा जो अत्यधिक भीड़भाड़ के लिए उत्तरदायी हैं। कोई अन्य मामला जो अत्यधिक भीड़भाड़ से संबंधित हो वह महानिरीक्षक के आदेश प्राप्त करने के लिए हमेशा उसके समक्ष रखा जाएगा।

भीड़भाड़ कम करने के उपाय

991. जैसे ही किसी कारागार या अस्पताल में उपलब्ध स्थान से अधिक बंदी प्राप्त किये जाते हैं, अधीक्षक महानिरीक्षक के समक्ष अतिप्रजन कम करने के स्वयं द्वारा प्रस्तावित कदमों का उल्लेख करती हुई एक रिपोर्ट जमा कराएगा, एवं वह अस्थायी इंतज़ाम, जो उसकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं, उक्त कार्य हेतु अपना लिए जाने चाहिए।

बंदियों को शेड या तंबू में रखना

992. एक अस्थायी कदम के तौर पर उपलब्ध स्थान से अधिक संख्या में बंदी कार्य स्थल या बरामदे में छह माह से अधिक नहीं रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त उनको शेड एवं तंबू में भी रखा जा सकता है। उक्त शेड अथवा तंबू का क्षेत्रफल बंदियो के निवास से संबंधित अध्याय में उल्लिखित क्षेत्रफल के

अनुरूप होगा। जब भी इस संबंध में खर्च की आवश्यकता होगी अधीक्षक हमेशा पूर्व अनुमति लेंगे एवं प्रत्येक विषय में मितव्ययता बरतना सुनिश्चित करेंगे।

भूकम्प

993. **भूकम्प आने की सूरत में निम्न कदम उठाये जाएंगे:**

i. बंदियों से कवर लेने के लिए कहा जाएगा (घुटनों के बल झुक कर बैठना एवं सर को भुजाओं से कवर करना)।
ii. बाद में आने वाले झटकों के मद्देनज़र बंदियों से इसी अवस्था में कुछ मिनटों तक बने रहने के लिये कहा जाएगा।
iii. बंदी खिड़कियों, आईनों, चिमनियों, किताबों की अलमारियों, फर्नीचर, पुरानी एवं ऊंची इमारतों, स्तंभों, पेड़ों एवं बिजली के तारों से न्यूनतम 14 फीट दूरी पर रखे जाएंगे।
iv. बंदियों से शांतचित्त होकर एक खुले स्थान की ओर चलने के लिए कहा जाएगा।
v. निकासी टीम के निर्देशों पर निकासी एवं बचाव कार्य चलाए जाने चाहिए एवं प्रभावित स्थल पर अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं होने दी जानी चाहिए।

अन्य आपात स्थिति

994. आपात स्थिति के मामलों में भी आवश्यकता के अनुरूप समुचित कदम उठाए जाएंगे। अधीक्षक परिस्थितियों की रिपोर्ट महानिरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक कारागार में आपात स्थिति जैसे हमले या मिलती जुलती घटनाओं से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार रखी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने दौरों/निरीक्षण के दौरान ऐसी आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए।

995. **मारपीट या उपद्रव/अशांति की रिपोर्ट–**

(1) बंदी द्वारा कारागार के किसी अधिकारी के साथ मारपीट के प्रत्येक गंभीर मामले की एवं बंदियों के मध्य गम्भीर सामूहिक गड़बड़ी की पूर्ण रिपोर्ट महानिरीक्षक के पास जमा की जाएगी।

(2) वेबंदी जो रुष्ट, चिड़चिड़े अथवा हिंसक स्वभाव वाले हैं उनको चाकू या ऐसा कोई औजार जिसका अपराध में प्रयोग हो सकता है, नहीं दिया जाना चाहिए।

(3) कारागार में इस्तेमाल सभी तालों का परीक्षण प्रतिदिन किया जाना चाहिए एवं किसी ताले में गड़बड़ी पाने पर इसको उप अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाना चाहिए जो इसको दुरुस्त ताले से बदल देगा।

(4) जब पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किया जाने वाला संज्ञेय अपराध हुआ हो एवं तदनंतर जिसको आपराधिक मुक़दमे में रूपांतरित होना है तब भी अधीक्षक तुरंत जांच करेगा एवं कारागार अनुशासन के पहलुओं तथा मामले में नियमों के अनुपालन पर महानिरीक्षक को रिपोर्ट सौंपेगा एवं यदि वह कुछ कार्मिकों को उत्तरदायी ठहराता है तो उसको यह बताना चाहिए कि उनके बारे में वह क्या प्रस्तावित कर रहा है।

बंदी की सुरक्षित अभिरक्षा एवं सुरक्षा

996. **उन मामलों का रिकॉर्ड जिनमें हथकड़ियां लगाई गई हैं**– हर वह मामला जिसमें बंदी को किसी भी प्रकार की हथकड़ियां लगाई गई हैं, इस कार्य हेतु प्रयुक्त पंजिकाओं में यह तथ्य दर्ज किया जाना चाहिए कि हथकड़ियां लगाई गई हैं साथ ही क्रमशः लगाए जाने व हटाए जाने का समय भी दर्ज किया जाएगा।

997. **बेड़ियों की समीक्षा होगी**– उप अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी बंदी पर लगाई गई हथकड़ियां एवं बेड़ियां अधिनियम की धारा 55 एवं धारा 56 के प्रावधानों के अनुरूप हैं एवं उनका बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

998. **इन मामलों में हथकड़ियां एवं** बेड़ियों**का लगाया जाना निषिद्ध है:**

(क) महिला बंदी

(ख) शिष्ट बंदी, एवं

(ग) उम्रदराज बंदी, शारीरिक रूप से अशक्त या गंभीर रूप से बीमार

999. **हथकड़ियों का लगाना**– (1) हथकड़ियां दिन में या रात को कलाई के अग्रभाग में, एक बार में बारह घंटे की अवधि तक एवं इससे अधिक नहीं लगाई जा सकती हैं, साथ ही हर बार हथकड़ी लगाए जाने का अंतराल 12 घंटे से कम नहीं होना चाहिए एवं एकसाथ चार दिन या रातों से अधिक बार हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए। वह अवधि जिसमें हथकड़ी लगाई जानी है न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

1000. **अनपेक्षित स्थितियां**– अनपेक्षित स्थितियों में अधीक्षक हथकड़ियों एवं/अथवा बेड़ियों के इस्तेमाल के लिखित में कारण दर्ज कर एवं उपयोग के चौबीस घंटे के अंदर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचना देकर किसी बंदी की सुरक्षा के लिए इनका उपयोग कर सकता है।

1001. **बेड़ियों में रखे गए बंदियों पर वार्षिक वक्तव्य**– अधीक्षक (कारागार) द्वारा वर्ष के दौरान बेड़ी के इस्तेमाल वाले मामलों के विवरण पर अनुवर्ती वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पूर्व महानिरीक्षक के समक्ष एक वार्षिक वक्तव्य प्रस्तुत किया जाएगा।

1002. **बेड़ी हटाना**– अधीक्षक द्वारा सुरक्षा के लिए लगाए गई बेड़ी न्यायालय के निर्देशानुसार हटाए जाएगी :

बशर्ते अनपेक्षित स्थितियों में जब एक बंदी बीमार है एवं चिकित्सा अधिकारी के विचार में वह बेड़ियों में रखे जाने योग्य नहीं है, अधीक्षक न्यायालय को सूचना देकर तुरंत उसकीबेड़ी हटा देगा।

1003. **बलवा एवं इसका प्रयास**– कारागार का कोई भी अधिकारी किसी सामूहिक बलवे या बाहरी द्वार या कारागार के प्रागंण की दीवार तोड़ने के किसी प्रयास में सम्मिलित किसी भी बंदी के विरुद्ध बल का प्रयोग कर सकता है एवं इस बल का तब तक इस्तेमाल करता रह सकता है जब तक कि ऐसा सामूहिक बलवा या प्रयास नाकाम नहीं कर दिया जाए।

1004. **किसी अधिकारी पर हिंसा**– कारागार का कोई भी अधिकारी, कारागार के किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा करने वाले किसी बंदी के विरुद्ध न्यूनतम बलप्रयोग करेगा:
परन्तु यह उपबंधित है कि उस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का वाजिब कारण है कि कारागार का अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जीवन या अपने शरीर के किसी भाग पर ख़तरे का सामना कर रहा है अथवा उसको कष्टपूर्ण ढंग से घायल किये जाने की संभावना है।

1005. **चेतावनी देना**– किसी बंदी के विरुद्ध बलप्रयोग करने से पूर्व कारागार का अधिकारी बंदी को चेतावनी देगा कि वह उसके विरुद्ध बलप्रयोग करने जा रहा है।

1006. **वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश**– कारागार का कोई भी अधिकारी बलवा होने या भागने की सूरत में अपने वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में किसी बंदी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि वरिष्ठ अधिकारी ने यह आदेश न दिया हो।

1007. **कारागार के अधिकारियों में अन्य बलों एवं सेवाओं के अधिकारी सम्मिलित होंगे**–

(1) 'कारागार के अधिकारी' पद में बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा में कारागार प्रशासन की सहायता के लिये

परिनियोजित अन्य बलों एवं सेवाओं के अधिकारी भी शामिल होंगे।

(2) कारागार की रक्षा एवं किसी भी तरह की आक्रामकता या आपदा से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल का प्रावधान होगा। आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए यह दल वाहन, अत्याधुनिक हथियारों एवं बुलेटप्रूफ जैकेट से सुसज्जित होना चाहिए।

(3) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कारागार परिसर में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रवेश बिंदु हैं। यह प्रवेश बिंदु आगंतुकों एवं अन्य लोगों के प्रवेश का नियमन करने के लिए चौबीस घंटे अर्द्धसैनिक बलों द्वारा रक्षित होने चाहिए।

(4) बंदियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न गतिविधियों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित सामानों का पता लगाने के लिए एक्स–रे बैगेज स्कैनर्स, दरवाजे में लगाया जाने वाला मेटल डिटेक्टर, हस्तचालित मेटल डिटेक्टर, सुरक्षा छड़ इत्यादि कारागार के दरवाजे समेत सभी प्रवेश बिंदुओं पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) कारागार में बंदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग की संभावना ख़त्म करने के लिए कारागार में मोबाइल फोन जैमर्स एवं मोबाइल का पता लगाने वाले उपकरणों का प्रावधान होगा।

1008 **भागने की कोशिश करने वाले आदतनबंदियों की अलग पहचान** – भागने की कोशिश करने वाले प्रत्येक आदतन बंदी के लिए आमतौर पर निदेशक/महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनना आवश्यक होगा।

अध्याय –14
बंदियों की शिक्षा

1009. बंदियों के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से उनकी सोच, आदतें और जीवन के प्रति उनका समूचा दृष्टिकोण बदला जा सकता है और उन्हें नए सिरे से जीवन–यापन करने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलता है। शिक्षा प्राप्त करने पर अपराध करने की प्रवृत्ति बदल जाती है। अर्थात् फिर अपराध कम हो जाएंगे, अपराध–पीड़ितों की संख्या कम होगी, बंदी कम रह जाएंगे, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी लोगों की संख्या बढ़ेगी और आपराधिक न्याय तथा कानून लागू करने पर होने वाला खर्च कम रह जाएगा।

1010. मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। यह ऐसा साधन है जिसकी मदद से बंदी की बुद्धि, उसके चरित्र तथा आचरण–व्यवहार को ढाला जा सकता है। शिक्षा प्राप्त होने पर बंदी स्वयं को सामाजिक परिवेश के अनुरूप बना सकता है और फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकता है।

1011. कारावास में जीवन एकाकी और विद्रोही हो जाता है। बंदियों की शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराना ज़रूरी है ताकि वे रिहा होने के बाद कानून का पालन करने वाले और आत्मनिर्भर शहरी के रूप में जीवनयापन कर सकें। यह समझ लेना ज़रूरी है कि अपराधियों को कारागार में बंद रखना और उनके सुधार की कोई कोशिश न करना सरासर अनुत्पादक प्रयास है।

उद्देश्य

1012. कारागारों में बंदियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य उनकी ऊर्जा और क्षमताओं को रचनात्मक मोड़ देना और उनमें विश्वास का भाव जाग्रत करना तथा उनमें सामाजिक दायित्व और जागरूकता पैदा करना और साथ ही आपराधिक जीवन की निरर्थकता समझने का भाव जगाकर

उनका नैतिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से उत्थान करना है।

1013. कारागार में व्यापक शिक्षण कार्यक्रम के ये उद्देश्य हो सकते हैं :–

I. अनपढ़ बंदियों को ऐसा अवसर देना कि वह कम से कम न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्राप्त कर लें;
II. साक्षर बंदियों को अपना शिक्षा–स्तर बढ़ाने या उठाने के लिए सुविधाएं देना;
III. उनमें नागरिक के कर्तव्यों और दायित्वों की बेहतर समझ विकसित करना;
IV. बंदियों की समाज के प्रति सोच सुधारना और अच्छे नागरिक की तरह जीने की इच्छा पैदा करना;
V. अच्छी सामाजिक और नैतिक आदतें और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना ताकि बंदी रिहा होने के बाद अपने जीवन में बेहतर सामंजस्य रख सकें;
VI. सामाजिक जीवन और भविष्य की योजना बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशों से उनके व्यक्तित्व का विकास करके उन्हें समाज के अनुरूप ढालने की क्षमता विकसित करना;
VII. बंदियों में ऐसी सोच विकसित करना कि वे आपराधिक जीवन को बेकार और गलत समझने लगें और उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के फायदे से अवगत कराना;
VIII. उनमें अपना जीवन सुधारने के प्रति रुचि पैदा करना और उस दिशा में प्रयासरत होने की इच्छा जगाना और
IX. सामाजिक चेतना और सामाजिक दायित्व तथा कर्तव्यों के प्रति भाव जाग्रत करना।

योजना

1014. बंदियों की शिक्षण योजना ऐसी होगी कि :–

I. शिक्षा का उद्देश्य बंदियों में बदलाव और सुधार लाकर उन्हें समाज से फिर जोड़ा जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित

अध्यापनकर्मी और कक्षा के लिए कमरे और पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाएं हर कारागार में उपलब्ध होनी चहिए;

II. निरक्षर लोगों को शिक्षित करना अनिवार्य होगा। सुधारात्मक सेवाएं शिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देंगी;

III. बंदियों के बौद्धिक स्तर और उनकी रुचि में अंतर होने के कारण ज़रूरी है कि बड़े समूहों की आवश्यकता के हिसाब से विविध शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं;

IV. शिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे विषय शामिल किए जाएं जिनसे बंदी को सभ्य समाज का उपयोगी नागरिक बनने में मदद मिले;

V. कारागार में चलाए जाने वाले कार्यक्रम बंदियों की संख्या और उनकी श्रेणियों तथा कार्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि के हिसाब से तय होने चाहिए। समूचे कार्यक्रम के अनुरूप ही शिक्षण गतिविधियां भी तैयार की जानी चाहिए।

VI. जहां तक हो सके, बंदियों की शिक्षा और राज्य के शिक्षा कार्यक्रमों में तालमेल होना चाहिए। ये कार्यक्रम रिहाई के बाद की देखभाल से भी जुड़े होने चाहिए;

VII. शिक्षा नीति इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि यह सामाजिक परिवेश से मेल खाए और बंदी को फिर से समाज में रहने योग्य बनाने में सहायक हो। शिक्षा तीन स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए :–

    क) निरक्षर बंदियों के लिए
    ख) कुछ पढ़े–लिखे बंदियों के लिए
    ग) उच्च शिक्षा के लिए

VIII. शिक्षा देने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अच्छी तरह समझा देना चाहिए कि जहां तक हो सुधारात्मक नीतियां, कार्यक्रम और तरीके अपनाए जाएं;

IX. शिक्षा कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप

1015. शिक्षण कार्यक्रम में नीचे दी बातें शामिल होनी चाहिए :—

I. शारीरिक शिक्षा जैसे योग और स्वास्थ्य/साफ—सफाई की शिक्षा

II. पाठ्यक्रम से जुड़ी शिक्षा

III. सामाजिक शिक्षा

IV. व्यावसायिक शिक्षा

V. नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा

VI. सांस्कृतिक शिक्षा

VII. कम्प्यूटर शिक्षा

VIII. कानूनी शिक्षा/जागरूकता

1016. पाठ्यक्रम से जुड़ी यानी किताबी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि :—

I. हर अनपढ़ बंदी को साक्षर बनाया जाए, और

II. बंदियों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाई जाए।

बंदियों का वर्गीकरण

1017. बंदियों का वर्गीकरण कारागार में आते समय उनकी अकादमिक शिक्षा या शैक्षिक योग्यता तथा आगे पढ़ने की उनकी अभिरुचि के आधार पर किया जाना चहिए। हर बंदी को उसकी योग्यता के अनुरूप शिक्षण कक्षा में दिन में कम से कम दो घंटे और हो सके तो सवेरे के वक्त बैठना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

1018. वर्गीकरण समिति और शिक्षा—कर्मियों को मिल कर तय करना चाहिए कि अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और काम के लिए प्रत्येक बंदी के लिए कितनी अवधि निर्धारित करनी है। चूंकि बंदियों का शिक्षा स्तर, बौद्धिक क्षमता और रुचियां अलग—अलग होंगी, इसलिए बंदियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग—अलग शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।

शिक्षित बंदियों की सहायता

1019. शिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में नियमित अध्यापकों और स्वैच्छिक संगठनों की मदद लेने के साथ ही शिक्षित बंदियों की भी भरपूर मदद ली जानी चाहिए।

भाषा की कक्षाएं

1020. भाषा कक्षाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन कक्षाओं का संचालन शिक्षित कैदी, नियमित अध्यापक और स्वैच्छिक संगठन कर सकते हैं। इससे कारागार–प्रशासन को विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बंदियों के बीच बेहतर समन्वय रखने में मदद मिलेगी और कारागार की अनुशासन व्यवस्था में भी सुधार आएगा।

1021. बंदियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तिका तैयार की जानी चाहिए, जिसमें कारागार के भीतर चलाए जाने वाले विविध शिक्षण कार्यक्रमों का विवरण शामिल रहे।

युवा अपराधियों के लिए स्कूल

1022. प्रत्येक कारागार में एक नियमित स्कूल होना चाहिए जिसमें युवा अपराधी शिफ्टों में कक्षाओं में पढ़ सकें। यह स्कूल किसी सरकारी संगठन की शाखा हो सकता है और युवा अपराधियों की शिक्षा के लिए अध्यापक, साज़–सामान, उपकरण तथा पाठ्य सामग्री शिक्षा विभाग उपलब्ध कराए। इस स्कूल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हर युवा अपराधी के लिए कक्षाओं में जाना अनिवार्य होना चाहिए। बंदियों की रुचि स्कूल जाने में बढ़ाने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।

1023. विभिन्न परीक्षाएं पास करने वाले बंदियों को उस तरह प्रमाण–पत्र दिए जाने चाहिए, जिस तरह नियमित रूप से स्कूल में पढने वाले विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। ध्यान रखना होगा कि इन प्रमाण–पत्रों पर उस युवा के कारागार में बंद होने का उल्लेख न आने पाए।

लघु अवधि बंदियों के लिए शिक्षा

1024. विचाराधीन बंदियों और थोड़े समय की सज़ा पाने वाले बंदियों के लिए उसी यार्ड/प्रांगण में कक्षाएं लगाई जा सकती हैं,

जिसमें वे बंद किए गए हों। इससे उन बंदियों के लिए नियमित कक्षाओं की बेहतर व्यवस्था की जा सकेगी, जिन्हें अल्पावधि, मध्यावधि या दीर्घावधि शिक्षण कार्यक्रमों की जरूरत हो।

कर्मचारी और उपकरण

1025. बंदियों के शिक्षण कार्यक्रमों के लिए नीचे दिए गए कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए :–

I. कारागारों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए अध्यापक उपलब्ध हों। शिक्षा विभाग से तबादले या प्रति–नियुक्ति आधार पर शिक्षक कारागारों में भेजे जा सकते हैं। जो बंदी शिक्षित हैं और जिनका आचरण भी अच्छा है उन्हें अन्य बंदियों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाना चहिए। ये प्रशिक्षण–प्राप्त बंदी विविध शिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में नियमित अध्यापकों की मदद कर सकते हैं। स्वैच्छिक संगठनों के सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं भी इन शिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में ली जा सकती हैं;

II. शिक्षण के लिए ज़रूरी किताब–कापी, लेखन सामग्री, स्टेशनरी, फर्नीचर वगैरह सरकारी खर्च पर मिलना चाहिए। हर कारागार में अलग से एक इमारत या तो निश्चित की जाए या बनाई जाए, जहां शिक्षण गतिविधियां चलाई जा सकती हों। इमारतों और शिक्षण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित क्षेत्र शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार होने चाहिए;

III. प्रत्येक केंद्रीय जिला कारागार में नेशनल ओपन स्कूल/इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनीवर्सिटी के अध्ययन/परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बंदियों की संख्या और आयोजित किए जाने वाले शिक्षण कार्यक्रमों के अनुपात में ही शिक्षकों की संख्या तय की जानी चहिए;

IV. जो शिक्षित बंदी शिक्षण कार्यक्रम चलाने में कारागार प्रशासन की मदद करते हैं, उन्हें कारागार अधिकारियों

(प्राधिकरण) की ओर से वेतन/मानदेय दिया जाना चाहिए;

V. शैक्षणिक उद्दे"यों के लिए दृ"य–श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

VI. बंदियों को शिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप रहने का स्थान दिया जाना चाहिए ताकि बैरक/सेल में ऐसा माहौल बन सके कि वे अध्यापकों से मिला कार्य पूरा कर सकें।

पाठ्यक्रम

1026. पाठ्यक्रम बंदियों के प्रत्येक समूह की ज़रूरत को ध्यान में रख कर बनाया जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण कार्यक्रम के मुताबिक होना चाहिए। इसकी योजना इस तरह बनाई जाए कि बंदियों की सज़ा की अवधि से समन्वय बना रहे। शिक्षण कार्यक्रम और समय सारिणी कारागार के समग्र कार्यक्रम को ध्यान में रख कर बनाई जानी चाहिए।

जांच एवं परीक्षाएं

1027. बंदियों को उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए ये छूट दी जाएंगी :

I. प्रत्येक परियोजना की समाप्ति पर बंदियों को टैस्ट और परीक्षा देनी होगी। ये टैस्ट/परीक्षाएं शिक्षा विभाग/नेशनल ओपन स्कूल/इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनीवर्सिटी आदि की ओर से कारागार के भीतर ही ली जाएंगी।

II. विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले बंदियों से परीक्षा फीस या कोई अन्य फीस नहीं ली जा सकती। कुशाग्र विद्यार्थियों के नाम शिक्षा विभाग और अन्य एजेंसियों के पास छात्रवृत्ति दिलाने के लिए भेजे जाने चाहिए।

संपर्क

1028. शिक्षण सामग्री और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थान को शिक्षा विभाग/एनओएस/इग्नू और अन्य मान्य शिक्षा संस्थानों से संपर्क रखना चाहिए।

पुस्तकालय

1029. कारागार के पुस्तकालय में नीचे दी गई सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए :–

I. विभिन्न शिक्षण मानकों, बौद्धिक आवश्यकताएं पूरी करने और बंदियों का ज्ञान विकसित करने जैसी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पुस्तकें पुस्तकालय में होनी चाहिए;

II. कारागार के पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र होने चाहिए। ये बंदियों को पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। बंदियों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए;

III. पुस्तकें और अन्य पाठन सामग्री के प्रबंधन के लिए लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी चाहिए। पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए लाइब्रेरियन की देखरेख में शिक्षित बंदियों की मदद भी ली जा सकती है। लाइब्रेरियन बंदियों की जरूरतें पूरी करने के वास्ते विभिन्न विषयों की पुस्तकों की व्यवस्था करके, उन्हें उपलब्ध कराएंगे। बंदियों के इस्तेमाल और कारागार अधीक्षक की सूचना हेतु पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं का विषय/नाम के क्रम से विवरण रखेंगे;

IV. स्वैच्छिक संगठनों को पुस्तकें दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए उनका स्वागत होना चाहिए। पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों को कारागारों के भीतर बंदियों के लिए शिक्षण कार्यक्रमों का जिम्मा लेने के लिए बढ़ावा दिया जाना चहिए;

V. जहां तक हो सके, डिजिटिकृत पुस्तकालय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें ई–लर्निंग की सामग्री भी उपलब्ध हो।

टिप्पणी : कारागार के पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाने वाली पुस्तकों और पठन–सामग्री की अधीक्षक जांच करेंगे ताकि शिक्षा, सामाजिक मुद्दों, नैतिकता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास/उत्थान से जुड़ी सामग्री ही

बंदियों तक पहुंचे। इस बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश कारागारों के पुलिस महानिरीक्षक जारी करेंगे।

सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा

1030. समग्र उपचार के लिए ध्यान थिरेपी इस्तेमाल की जानी चाहिए।

कारागार प्रकाशन

1031. बंदियों के बीच जानकारी पहुंचाने के लिए मासिक/त्रैमासिक प्रकाशन होना चाहिए। इन प्रकाशनों में बंदियों द्वारा लिखे लेख, कविताएं या लघु–लेख इत्यादि शामिल किए जाने चाहिए और शिक्षा, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में बंदियों की उपलब्धियों का विवरण दिया जाना चाहिए। संपादकीय मंडल में भी बंदियों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रकाशन में छपने वाली सामग्री की समीक्षा के लिए स्वतंत्र स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए जिसकी अध्यक्षता जहां तक संभव हो, पत्रकारिता में अनुभवी व्यक्ति को सौंपी जाए।

जवाबदेही

1032. कारागार में शिक्षा कार्यक्रम को सही भावना से संचालित कराने का मुख्य ज़िम्मा कारागार निरीक्षक और अन्य कारागार कर्मियों का होगा। इन अधिकारियों की कार्यक्षमता का आकलन शिक्षा कार्यक्रम की सफलता–असफलता और वहां आयोजित शिक्षण गतिविधियों की संख्या के आधार पर होना चाहिए।

शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करने वाले बंदियों को प्रोत्साहन और सज़ा–माफी

1033. महानिरीक्षक (कारागार) कारागार में शिक्षा प्राप्त करने वाले बंदियों के विशेष उपलब्धियां अर्जित करने पर उनके लिए सज़ा–माफी, पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना को कार्यरूप दे सकते हैं।

अध्याय –15

व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम

कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य

1034. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम कारागार में सुधारात्मक कार्यक्रमों के अनिवार्य अंग समझे जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिएः–

I. बंदियों में अनुशासन और कार्य संस्कृति विकसित करना;

II. श्रम और श्रम के सम्मान के प्रति सही सोच विकसित करना;

III. इन्हें बढ़ावा देना :
क) बंदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य;
ख) समझदारी वाले शारीरिक श्रम से मस्तिष्क का उचित विकास;
ग) साथ में और सहयोग से रहने की भावना; और
घ) अच्छा तालमेल रखने की भावना।

IV. लगातार कड़ा श्रम करने की क्षमता विकसित करना;

V. लगन से लगातार और नियमित रूप से सही प्रकार काम करना;

VI. श्रम–कौशल देना और उसे सुधारना;

VII. बंदियों में आत्मविश्वास और आत्म–निर्भरता के भाव जगाना;

VIII. बंदियों को प्रशिक्षण देकर समाज से फिर तालमेल बनाकर नए सिरे से जीवन शुरू करने के वास्ते तैयार करना;

IX. व्यावसायिक दर्जा देकर बंदियों में आर्थिक सुरक्षा की भावना पैदा करना;

X. बंदियों को सार्थक और उत्पादक कार्यों में उपयुक्त रोजगार में संलग्न रखना;

XI. बंदियों को खाली बैठने, अनुशासनहीन बनने और अव्यवस्थित होने से रोकना;

XII. उनमें अच्छे नैतिक भाव विकसित करना तथा उनमें स्व–अनुशासन और संस्थागत अनुशासन का भाव जगाना।

सरकार की नीति

1035. कारागार में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से आने वाले बंदियों की जरूरतों के हिसाब से रोज़गार और उत्पादन नीति तैयार की जानी चाहिए। कौशल विकास में इस पर ज़ोर दिया जाना चाहिए कि बंदी कारागार से रिहा होने के बाद रोज़गार या स्व–रोज़गार निश्चित रूप से पा लेगा।

1036. महानिरीक्षक कारागार की अध्यक्षता में कारागार मुख्यालय में ''कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड'' का गठन या ऐसा ही कोई अन्य उपाय किया जाना चाहिए, जिससे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। इस बोर्ड के निम्नांकित कार्य होंगेः

I. कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बना कर उसे लागू करना;

II. इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए धन जुटाना;

III. उत्पादन–नीति तय करना;

IV. कौशल विकास कार्यक्रमों के आर्थिक पहलुओं की जांच करना;

V. कारागार के कौशल विकास कार्यक्रमों को ठोस व्यावसायिक आधार प्रदान करना;

VI. सभी स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित करना;

VII. प्रत्येक कारागार के कौशल विकास कार्यक्रम की प्रगति का आकलन करना;

VIII. उत्पादन–प्रबंधन की आधुनिक कार्य प्रणालियां अपनाना;

IX. संस्थागत कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े सभी मामलों में दिशा–निर्देश, देख–रेख, निर्देशन और नियंत्रण रखना;

X. रिहा होने वाले बंदियों के लिए रिहाई के बाद देखभाल के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना; और

XI. कारागार उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन देना।

1037. भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सलाह से पता लगा सकती है कि कौन से खास ट्रेड्स में बंदियों को प्रशिक्षित करना उपयोगी रहेगा ताकि वे रिहा होने के बाद लाभकारी रोज़गार पा सकें।

1038. सरकारी विभागों, अर्द्ध–सरकारी विभागों, सहकारी समितियों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अपनी जरूरतों के हिसाब से कारागार और सुधारात्मक सेवा विभाग से कारागार उद्योगों में बने सामान खरीदने चाहिए।

1039. सरकार को समय–समय पर कच्ची सामग्री, उपभोक्ता वस्तुएं, औज़ारों और उपकरणों की खरीद के बारे में स्पष्ट दिशा–निर्देश तय करते रहना चाहिए ताकि हेराफेरी या बर्बादी की गुंजाइश न रहे।

1040. ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि पूरे ध्यान से चुने गए बंदियों को रिहा होने के बाद सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, राज्य के सहकारी फार्मों में और सहकारी क्षेत्र के कृषि–आधारित उद्योगों में रोज़गार/नौकरी मिल सके।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

1041. रोज़गार पा सकने वाले बंदियों के लिए हर केंद्रीय और जिला कारागार में स्व–रोज़गार ट्रेड्स और व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

I. विचारधीन बंदियों की व्यावसायिक योग्यता परखने के बाद इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के इच्छुक बंदियों को शामिल किया जाना चाहिए।

II. बड़ी कारागारों में जहां संभव हो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाए और जहां संभव न हो, वहां स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों की मदद ली जाए ताकि इच्छुक बंदी प्रशिक्षण पा सकें।

III. विभिन्न प्रशिक्षण परियोजनाओं के कुशल संचालन के लिए कारागार में पर्याप्त स्टॉफ

(कर्मचारी) होने चाहिए। बंदियों की प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतों के मुताबिक बहुआयामी परियोजनाएं चलाने और उनके लिए कक्षा लगाने के कमरे तथा पर्याप्त प्रशिक्षण उपकरण कारागार में होने चाहिए।

IV. कारागार में प्रशिक्षण परियोजनाओं का उपयुक्त सुस्पष्ट संगठन होना चाहिए, जो समानता वाले समूहों के गठन और परियोजनाओं का कार्यक्रम और समय निर्धारित करे।

V. प्रशिक्षण परियोजनाओं की लागत, स्टॉफ, उपकरण और सामग्री पर होने वाला खर्च अपराधियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास की दृष्टि से आवश्यक निवेश समझे जाने चाहिए।

VI. युवा अपराधियों, छोटे वयस्क अपराधियों और प्रशिक्षण परियोजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक अन्य बंदियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

1042. कारागार अधिकारियों को प्रत्येक उत्पादन यूनिट और व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संख्या में सुयोग्य तकनीकी व्यक्ति रखने के समुचित उपाय करने चाहिए।

1043. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम थोड़े मध्यम और लंबे समय के लिए कारागार आने वाले बंदियों की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करने चाहिए।

1044. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योग (कुटर उद्योग सहित) निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और ऐसे ही अन्य संस्थानों तथा मान्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ सक्रिय समन्वय और सम्पर्क रखना ज़रूरी है।

1045. व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर सम्बद्ध विभाग बंदियों का इम्तहान लेगा, जिसमें पास होने पर विभाग उन्हें नियमित प्रमाणपत्र / डिप्लोमा प्रदान करेगा।

1046. प्रोत्साहन के तौर पर खुली कारागार के बंदी कौशल विकास कार्यक्रकों में अच्छी प्रगति दिखाएंगे और उन्हें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और अन्य सरकारी उद्योग देखने जाने की अनुमति दी जाएगी।

1047. कारागार उद्योग को विभिन्न औद्योगिक/उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए सरकार की अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

1048. कार्यकारी और सुपरवाइजरी अधिकारियों को प्रबंधन की आधुनिक प्रणालियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

1049. कौशल विकास कार्यक्रमों में विविधता लाने की मास्टर प्लान बनाते समय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविधता लाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बंदियों के लिए रोजगार

1050. दोषी पाए गए अपराधियों के साथ विचाराधीन बंदियों और काम करने के इच्छुक अन्य बंदियों को भी कौशल विकास कार्यक्रम में लगाया जा सकता है और उन्हें उनकी कोठरी में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कारागार उद्योग या खेतीबाड़ी में लगे विचाराधीन बंदियों को भी दोषी पाए गए अपराधियों के लिए निर्धारित वेतनमान के बराबर मेहनताना दिया जाना चाहिए।

1051. सश्रम कारावास की सज़ा वाले किसी बंदी या अपनी इच्छा से श्रम कर रहे बंदी या श्रम कर रहे विचाराधीन बंदी से अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा श्रम नहीं कराया जाएगा।

1052. चिकित्सा अधिकारी श्रम कर रहे बंदियों की जांच करेंगे और कम से कम पखवाड़े में एक बार उनका वजन कराके उनके हिस्ट्री टिकट में लिखेंगे।

1053. यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी भी प्रकार के श्रम रोज़गार के कारण बंदी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो उसे उस काम पर नहीं लगाया जाएगा, जो चिकित्सा अधिकारी के विचार से बंदी के लिए उपयुक्त न हो।

1054. मध्यावधि और लंबी अवधि की सज़ा काट रहे बंदियों को कई प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे कारागार के बाहर वाले श्रम बाजार की स्पर्धा में टिक सकें।

1055. बंदियों के रोज़गार की योजना बनाते समय कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करते वक्त नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखें :–

I. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य;
II. सुरक्षा, हिरासत और अनुशासन संबंधी नियम और शर्तें;
III. आयु;
IV. सज़ा की अवधि;
V. बंदी का कौशल और उसकी योग्यता तथा कुशलता प्राप्त करने की उसकी क्षमता;
VI. बंदी की शहरी या ग्रामीण पृष्ठभूमि।

1056. एक वर्ष से कम की सज़ा वाले बंदियों को कारागार की रख–रखाव सेवाओं, माली के काम, श्रम केंद्रों और श्रम शिविरों के रख–रखाव पर लगाया जाना चहिए और उन्हें उनके काम की उचित मज़दूरी भी दी जानी चाहिए।

1057. एक वर्ष या ज्यादा की सज़ा वाले बंदियों को कारागारो की उत्पादन यूनिटों में काम पर रखा जाना चाहिए।

कारागार उद्योग एवं कौशल विकास कार्यक्रम

1058. कारागार उद्योग व्यापार–सह–व्यवसाय आधार पर चलाए जाने चाहिए। विभिन्न सरकारी विभागों को कार्यालय में इस्तेमाल की वस्तुएं खरीदते समय कारागार में बने उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

1059. कौशल विकास कार्यक्रमों में पाकशाला, साफ–सफाई और स्वच्छता, कारागार अस्पताल और अन्य कारागार सेवाओं, मरम्मत और रख–रखाव सेवाओं जैसी आवश्यक संस्थागत रख–रखाव सेवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। बंदियों को कारागार की इमारतों के रख–रखाव और निर्माण कार्य में भी लगाया जा सकता है जिसके लिए उन्हें नियमानुसार पर्याप्त मेहनताना भी दिया जाएगा।

1060. कारागार कौशल विकास कार्यक्रमों में समुदाय की दृष्टि से आवश्यक सेवाएं शामिल की जानी चाहिए, जैसे निर्माण कार्य, राजगीरी, बढ़ईगीरी, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, टेलरिंग, सिलेसिलाए वस्त्रों की फैब्रिकेशन, चमड़े का काम, ड्राइविंग, कारागार सेवा, कृषि, बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, इंजनों का रख–रखाव, इंजनों का रख–रखाव, ट्रैक्टर की मरम्मत, मोटरगाड़ियों की सर्विसिंग और मरम्मत, बेंत का काम, टोकरी बनाना, पॉटरी, बुक बाइंडिंग (जिल्द बांधना), टाइपिंग, कम्प्यूटर चलाना, हस्तकला, स्टेनोग्राफी, कपड़ों की छपाई, एम्ब्रॉयडरी, होज़री, बेकरी, नमकीन बनाना, प्रिंटिंग, बुनकरी, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई मशीन की मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, बिक्री और मार्केटिंग, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इत्यादि। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग/संस्थान/पीएसयू/एनजीओ वगैरह भी कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं।

1061. हर बंदी को पहली बार किसी नए काम पर लगाते समय आवश्यक कुशलता विकसित करने के लिए उचित समय दिया जाएगा ताकि वह काम सही ढंग से करने लगे। उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता भी ध्यान में रखी जाएगी। उसके लिए कुछ दिनों का या तीन–चार महीने का समय दिया जा सकता है। नया काम सौंपते समय अधीक्षक या उनके नियंत्रण में फैक्ट्री मैनेजर या उप–अधीक्षक नोट करेंगे कि बंदी ने काम कब शुरू किया और फिर बाद की उसकी प्रगति का विवरण उसकी हिस्ट्री टिकट में दर्ज करेंगे।

1062. प्रत्येक बंदी को विभिन्न सेवाओं, कार्यों और उत्पादन यूनिटों में काम आने वाले हाथ के औजारों के इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी।

1063. साधारण कैद की सज़ा वाले हर उस बंदी को जो श्रम करने का विकल्प चुनेगा, सामान्य रूप से उसके लिए सबसे उपयुक्त कड़े श्रम वाले काम पर लगाया जाएगा, जिसे वह फिलहाल कर पाने की हालत में हो। कड़ा श्रम करने के लिए सक्षम बंदी को मध्यम श्रम वाला काम नहीं दिया जाएगा या

जब तक वह कड़ा या मध्यम श्रम करने लायक हो, उसे हल्का काम नहीं दिया जाएगा।

1064. कड़ी सज़ा काट रहे किसी बंदी को जब भी कोई काम सौंपा जाएगा, उसकी क्वालिटी या स्वरूप में किसी तरह की लाभ या सहूलियत की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे सिर्फ बंदी की फिटनेस के हिसाब से तय किया जाएगा और कारागार के नियम कानूनों के मुताबिक काम ही दिया जाएगा।

1065. प्रत्येक उत्पादन यूनिट में हर वक्त जो उपकरण, औजार, स्पेयर पार्ट होने चाहिए, उनकी मानक सूची बना कर हमेशा अपडेट की जानी चाहिए।

1066. प्रत्येक संस्थान में मशीनों और उपकरणों की समय पर मरम्मत करने, ब्रेकडाउन रोकने के अलग से उपयुक्त वर्कशॉप होने चाहिए जिसमें हर जरूरी साज़–सामान हो।

1067. कारागार उद्योगों में तैयार किए जाने वाले उत्पादों में बाज़ार के रुझान और मांग के मुताबिक बदलाव होते रहना चाहिए।

1068. खातों और सामान सूची आधुनिक व्यापार तरीके से तैयार होनी चाहिए।

उत्पादों का मानकीकरण

1069. कारागार उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का मानकीकरण किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभिन्न उत्पादन यूनिटों की मैन्यूफैक्चरिंग प्रक्रिया और मानकीकरण के विवरण वाली हैंडबुक तैयार की जानी चाहिए।

1070. कारागार उद्योगों के मानकीकृत उत्पादों के कैटेलॉग (सूची) बनाई जानी चाए ताकि बाज़ार से विभिन्न यूनिटों के लिए ऑर्डर लेने में आसानी रहे।

1071. बाज़ार की स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सुपरविज़न में सुधार करके हर चरण पर क्वालिटी कंट्रोल (गुणवत्ता–नियंत्रण) लागू होना चाहिए। कारागार उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए।

1072. कारागार उत्पादों की लागत राष्ट्रीय स्तर पर तय की जानी चाहिए और उसमें कारागार की सीमित सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1073. कारागार के गेट के बाहर और अन्य स्थानो पर शोरूम बनाए जाएं ताकि कारागार उद्योग के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिले। लोगों की सुविधा के लिए ब्रोशर भी रखा जाना चाहिए जिसमें उपलब्ध वस्तुओं के नाम और दाम शामिल हों। कारागार प्राधिकरण को इन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के भी प्रयास करने चाहिए।

1074. रिहा होने वाले जो बंदी उपयुक्त पाए जाएं उन्हें शोरूम या कारागार उत्पादों के बिक्री केंद्रों में नौकरी पर रखा जा सकता है।

कारागार उद्योगों के लिए उत्पादन–लक्ष्य

1075. प्रत्येक यूनिट का आने वाले वर्ष का उत्पादन लक्ष्य काम कर सकने वाले बंदियों की संख्या और यूनिट की उत्पादन क्षमता के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

1076. इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना कारागार अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी।

1077. उत्पादन यूनिटों के कार्मिक–प्रभारी को हर बंदी की टॉस्कशीट (कार्यविवरण) ठीक–ठाक रखना होगा।

मज़दूरी

1078. मजदूरी उचित और समानता पर आधारित होनी चाहिए न कि नाममात्र की। मजदूरी की दरें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से मानकीकृत होनी चाहिए।

1079. कारागारों में मज़दूरी–व्यवस्था को स्वतंत्र समुदाय के अनुरूप रखने के लिए हर तीन वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ज़रूरी होने पर इनमें संशोधन भी किया जाना चाहिए।

1080. बंदियों की मज़दूरी का एक भाग कारागार में उनके रहने पर आने वाले खर्च (भोजन, कपड़े और बिस्तर आदि) के लिए काट लिया जाना चाहिए और दोषी करार दिए अपराधियों के मामले में एक भाग पीड़ित मुआवज़ा कोष के लिए और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित राशियों के लिए जमा किया जाना चाहिए।

1081. मज़दूरी की राशि बंदी के बचत बैंक खाते में हर महीने की निर्धारित तिथि को जमा की जानी चाहिए और पासबुक खुद बंदी के पास रहेगी।

कार्य पर लगाए गए बंदियों के लिए सुरक्षा

1082. श्रम शैड में बंदियों के काम या श्रम करने के अन्य स्थानों में नीचे बतायी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चहिए :–

I. गर्मी, सर्दी, बारिश, धूल, धुएं, भाप, गैसों और रसायनों से सुरक्षा
II. पानी के रिसाब और नमी से बचाव
III. सुरक्षित पेयजल
IV. थूकने की जगह, मूत्रालय और शौचालय
V. नहाने–धोने की सुविधा
VI. फर्स्ट–एड या प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था
VII. अग्निशमन यंत्र और आग बुझाने के अन्य उपकरण
VIII. हवा और रोशनी की समुचित व्यवस्था
IX. सुरक्षा उपकरण और दुर्घटनारोधक उपाय।

टिप्पणी: इस उद्देश्य के लिए बाहरी फैक्ट्रियों में अपनाए जाने वाले मानक कारागार की फैक्ट्रियों में भी अपनाए जाने चाहिए। ये मानक फैक्ट्रियों के मुख्य निरीक्षक की सलाह से तय होने चाहिए।

1083. व्यावसायिक रोगों के खतरों वाली उत्पादन यूनिटों में काम करने वाले बंदियों की समय–समय पर स्वास्थ्य जांच की जानी चहिए।

1084. उन बंदियों को चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, जिन्हें दुर्घटनाओं के कारण शारीरिक या मानसिक विकलांगता, गंभीर चोट, मृत्यु या फिर व्यवसाय जन्य रोगों के कारण स्वास्थ्य हानि झेलनी पड़ती है।

1085. हर समूह के बंदियों के लिए कार्य के घंटे प्रत्येक संस्थान के कार्यक्रम के आधार पर तय किए जाने चाहिए और एक दिन में कुल 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता।

1086. प्रत्येक संस्थान की दैनिक समय सारिणी तैयार की जानी चाहिए।

1087. जब तक नितांत आवश्यक न हो, बंदियों को उत्पादन यूनिट में निर्धारित समय के बाद काम न करने दिया जाए।

महिला बंदियों और युवा अपराधियों से लिए जाने वाले कार्य

1088. महिलाओं और युवा अपराधियों से लिए जाने वाले कार्य किसी भी हाल में कड़ी और मद्धम श्रम की सज़ा वाले बंदियों की सज़ा के दो–तिहाई से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो वयस्क पुरुष दोषियों के लिए निर्धारित की गई हो।

महिला बंदी महिलाओं के घेरे से बाहर काम नहीं करेंगी

1089. महिला बंदियों को विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई खुली कारागारों में भी काम पर लगाया जा सकता है। बशर्ते कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं और वहां कोई पुरुष कर्मचारी तैनात न किये जाएं।

निजी कार्य के लिए किसी भी बंदी को नहीं लगाया जाएगा

1090. कारागार का कोई भी अधिकारी कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय किसी बंदी को किसी भी निजी कार्य या सेवा पर नहीं लगा सकता।

बाहरी एजेंसियों के लिए निष्पादन कार्य

1091. प्राइवेट पार्टियों/औद्योगिक इकाइयों को बंदी श्रमिकों द्वारा किए गए अपने विनिर्माण कार्यको देखने अथवा उत्पाद हासिल करने के लिए कारागार के भीतर जाने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे विनिर्माण कार्य के लिए क्षमता एवं जानकारी वहां उपलब्ध हो।यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उचित मजदूरी एवं अन्य खर्च का भुगतान संबंधित प्राइवेट पार्टी एवं औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाना चाहिए।

खातोंका वार्षिक अंकेक्षण

1092. विनिर्माण/कार्य इकाई के खातों की व्यवस्थित लेखा परीक्षा हर वित्त वर्ष में सरकारी लेखा–परीक्षक करेंगे। ज़रूरी होने पर महानिरीक्षक कारागार उद्योगों के उत्पादन के लिए उपलब्ध संसाधनों की मदद से खातों की आंतरिक जांच कराने का निर्देश दे सकते हैं।

कृषि

1093. यदि जिला अधिकारी कृषि गतिविधियां कराने की सोचते हैं तो बंदियों को कृषि संबंधी ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी :–

I. सुधारात्मक संस्थानों में कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण के नियोजित विकास में कृषि, कृषि आधारित उद्योगों अन्य सम्बद्ध गतिविधियों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

II. संस्थान में उपलब्ध ज़मीन का मृदा विश्लेषण, उपलब्धता, उर्वरकता (उर्वरता), खारेपन और नालियां बनाने की ज़रूरत के हिसाब से व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि ज़मीन का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस काम में खंड विकास अधिकारी, राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों और अन्य सम्बद्ध एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए।

III. ग्रामीण क्षेत्रों में हर नई कारागार में इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध ज़मीन के चारो ओर बाड़ लगा देनी चाहिए।

IV. सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कृषि भूमि पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

V. हर खेत में जरूरत इमारती ढांचा बना लिया जाए और भीतरी सड़कें भी बना लेनी चाहिए।

VI. हर खेत में आवश्यक कृषि उपकरण और हिस्से–पुर्जे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बड़े खेतों में रख–रखाव वर्कशॉप भी बनाना चाहिए।

VII. खेतों में श्रम के लिए चुने गए बंदियों के समूह बना कर उन्हें खेत में अलग–अलग जगहों पर लगाना चाहिए और हर समूह का नेता भी नामित किया जाना चाहिए।

VIII. खुले खेतों में कृषि कार्य के लिए लगाए जाने वाले बंदियों के पात्रता मानदंड संबंधी दिशानिर्देश कारागार मुख्यालय द्वारा जारी किए जाने चाहिए।

IX. उर्वरक, उपकरण (साज़–सामान) और बिजली खरीदने पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी कारागार के खेतों को भी दी जानी चहिए।

X. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों को विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए और उसका लेखा–जोखा अलग से रखा जाना चाहिए।

XI. प्रत्येक कृषि यूनिट में जरूरी सुरक्षाकर्मी रखने चाहिए और उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी स्पष्ट निर्धारित होनी चाहिए।

XII. इन खेतों के उत्पादन पहले कारागार में ही इस्तेमाल किए जाएं और शेष बचे उत्पादन सरकारी विभागों को या खुले बाजार में बेचे जा सकते हैं।

XIII. निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाने के आधार पर प्रत्येक यूनिट की कार्य कुशलता का वार्षिक आकलन किया जाना चाहिए।

XIV. बंद कारागारों में काम पर रखे गए बंदियों की संख्या जिला प्राधिकरण द्वारा ज़रूरत के मुताबिक तय की जानी चाहिए।

XV. कारागार कर्मियों को कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

XVI. कारागार के खेतों में बायोगैस संयंत्र, पवन चक्की और सौर कुकिंग आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

XVII. कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य निर्धारण बिल्कुल व्यावसायिक आधार पर किया जाना चाहिए।

XVIII. खुले कृषि संस्थानों और संलग्न कृषि फार्मों वाले संस्थानों को फसल योजना के अनुसार विकास कार्यक्रम अपनाने चाहिए जिनमें मिश्रित फसलें, सिंचित फसलें, बारानी खेती आदि शामिल हैं। कुछ खुली कारागारों में मजदूरों को कृषि गतिविधि, औद्योगिक यूनिटों और कृषि आधारित उत्पादन यूनिटों में बांटा जा सकता है।

XIX. जहां संभव हो, बागवानी, फूलों की खेती, औषधीय पौधों की खेती एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियोंको बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

डेयरीएवं मुर्गीपालन

1094. खुले कारागार खेतों में समुचित तकनीकी देखरेख के अंतर्गत डेयरियां विकसित की जानी चाहिए। उन्हें बंद कारागारों में नहीं चलाना चाहिए।

1095. खुले फार्मों में मुर्गीपालन फार्म बनाए जाने चाहिए।इन्हें उपयुक्त तकनीकी देखरेख में व्यापारिक आधार पर चलाया जाना चाहिए।

अध्याय –16
कानूनी सहायता

कानूनी सहायता की भूमिका

1096. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 'ए' के अंतर्गत समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य पर कानून के सामने सभी को समान समझने की पक्की व्यवस्था करना और सभी को समान अवसर देने के आधार पर बढ़ावा देने का दायित्व है। इसी उद्देश्य से संसद ने समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया।

1097. निगरानी एवं कार्यान्वयन के आकलन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है।

1098. हर राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और हर उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनाई गई है। नालसा की नीतियों एवं निर्देशों को प्रभावी तौर पर लागू करने तथा लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने और राज्य में लोक अदालत चलाने के उद्देश्य से जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

1099. भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सम्बद्ध विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रशासन के लिए सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है।

1100. भारत के प्रधान न्यायाधीश नालसा के प्रमुख संरक्षक और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को नालसा का सदस्य सचिव नियुक्त किया है।

1101. इसी तरह राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक और वरिष्ठतम

न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में एक–एक सदस्य–सचिव भी होता है।

1102. जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव होते हैं।

विधिक सेवा संस्थानों की कार्य प्रणाली

1103. एन.ए.एल.एस.ए (नालसा) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नीतियों, सिद्धांतों एवं दिशा–निर्देशों का निर्धारण करता है और प्रभावी एवं लाभप्रद योजनाएं तैयार करता है ताकि उन्हें देश भर में लागू किया जा सके।

1104. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :–

I. पात्रता वाले व्यक्तियों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना;
II. विवादों का आपसी सहमति से निपटारा कराने के लिए लोक अदालतें आयोजित करना;
III. कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना; और
IV. कार्यनीतिक और निवारक विधि सेवाएं कार्यक्रम के ज़रिए एन.ए.एल.एस.ए की योजनाओं और नीति–निर्देशों को लागू करना।

1105. मुफ्त कानूनी सेवाओं में निम्नलिखितशामिल होंगे :–

क) उपयुक्त मामलों में न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस), प्रोसेस फीस और किसी भी कानूनी कार्यवाही के सिलसिले में देय अथवा दिए गए अन्य सभी शुल्कों का भुगतान;
ख) कानूनी कार्यवाहियों में वकीलों की सेवाएं दिलाना;
ग) न्यायालय के आदेशों और कानूनी कार्यवाहियों से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिलाना; और
घ) कानूनी कार्यवाहियों के लिए अपील (याचिका) और दस्तावेज़ों के मुद्रण और अनुवाद सहित उनकी पुस्तिका तैयार करना।

1106. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने की पात्रता निम्नांकित लोगों की है :–

- महिलाएं और बच्चे;
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग;
- औद्योगिक मज़दूर;
- जन आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूचाल या औद्योगिक संकट से पीड़ित लोग;
- दिव्यांगजन;
- **हिरासत में रखे गए लोग;**
- एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग (सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में यह सीमा 1,25,000 रुपये वार्षिक है);
- मानव तस्करी के शिकार लोग अथवा भिखारी;
- किन्नर

कारागारका दौरा करने वाले वकीलों की नियुक्ति

1107. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे वकीलों का पैनल बनाया है, जो गरीबों और बेसहारा बंदियों की मदद के लिए सप्ताह के निर्धारित दिनों में कारागार में नियमित रूप से ऐसे लोगों से मिलने जाएंगे। कोई भी बंदी उनसे कानूनी मदद और सलाह ले सकता है और इनकी सहायता से जमानत/पैरोल की अर्जी और अपील वगैरह दायर कर सकता है।

नोट : कारागार में आने वाले अधिवक्ताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए पृथक रजिस्टर की व्यवस्था की जाएगी और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां नियमित रूप से की जाएंगी।

प्रत्येक कारागार में विधिक सहायता प्रकोष्ठ/क्लिनिक

1108. हर कारागार में कानूनी सहायता प्रकोष्ठ/क्लिनिक बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के पैनल से पर्याप्त संख्या में वकील और अर्द्ध–कानूनी वालंटियर (स्वयंसेवक) शामिल रहेंगे, जो हर कार्य दिवस को जरूरतमंद बंदियों की सहायता करेंगे। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण कुछ बंदियों को भी अर्द्ध–कानूनी स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित कर सकता है ताकि वे कारागारों में बने कानूनी सहायता प्रकोष्ठ/क्लिनिक को सहयोग कर सकें।

कारागारोंमें विधिक साक्षरता कक्षाएं

1109. बंदियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी कराने और उनके लिए उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। बंदियों की कानूनी सहायता संबंधी ज़रूरतों का पता लगाने के लिए कानून के विद्यार्थियों, अर्द्ध–कानूनी स्वयंसेवकों और कानूनी सहायता वकीलों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

विचाराधीन बंदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम समय–सीमा

1110. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–क के अनुसार जो विचाराधीन बंदी अपने अपराध के लिए कानून में निर्धारित अधिकतम सज़ा की आधी अवधि कारागार में रह चुके हैं (मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास की सज़ा को छोड़कर) उन्हें जमानत या बिना ज़मानत के निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि छानबीन, पूछताछ, जांच या सुनवाई होने तक किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की आधी अवधि से ज्यादा समय कारागार में नहीं रखा जा सकता। लेकिन विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए लिखित में दर्ज करते हुए न्यायालय कारागार में हिरासत की अवधि बढ़ा सकता है या जमानत पर या जमानत के निजी मुचलके पर रिहा कर सकता है।

विचाराधीन मामलों की समीक्षा समिति

1111. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जा सकती है, जो पता लगाएगी कि कितने बंदी अपने अपराध के लिए कानून में निर्धारित अधिकतम सज़ा की आधी से ज्यादा सज़ा काट चुके हैं। किसी विचाराधीन बंदी पर कई मुकदमें चल रहे हों तो छोटे अपराध की आधी सज़ा पूरी हो जाने पर समीक्षा की जा सकती है। समिति जमानती अपराधों में विचाराधीन बंदियों के मामलों की भी समीक्षा कर सकती है, जो जमानत न भर पाने के कारण हिरासत में हैं।

1112. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल में शामिल वकीलों को हिदायत दे सकता है कि वे ऐसे बंदियों से फौरन मिलें और यदि उनकी किसी अन्य उद्देश्य के लिए जरूरत नहीं है, तो सम्बद्ध न्यायालय में उनकी ओर से याचिका दायर करें।

मामलेजो संयोजनीय हों

1113. दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मामले आपस में जोड़े जा सकते हैं, उन्हें जोड़ने के उपयुक्त उपाय किए जाएं और जहां मामले आपस में जोड़े नहीं जा सकते उन्हें तेजी से निपटाने के प्रयास किए जाने चाहिए या फिर हिरासत में रखे बंदियों को जल्दी से जल्दी रिहा कराने के प्रयास तो होने ही चाहिए।

मुफ्त वकील अथवा कानूनी सहायता का अधिकार

1114. संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को वकील के जरिए मुकदमा लड़ने का अधिकार है। हर बंदी/गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि सुनवाई के विभिन्न चरणों में उसे वकील और कानूनी सहायता मुहैया हो। मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि अभियुक्त के पेश होने के समय से ही उसे यह सुविधा दिलाई जाए, चाहे उसने इसके लिए आवेदन भी न किया हो या हो सकता है अभियुक्त को अपने इस अधिकार का ज्ञान ही न हो।

1115. यदि अभियुक्त वकील दिए जाने को नहीं कहता या खामोश रहता है, तो भी न्यायलय का संवैधानिक कर्तव्य है कि सुनवाई शुरू करने से पहले उसे वकील उपलब्ध कराए। सुनवाई शुरू होने से पहले अभियुक्त को वकील उपलब्ध कराना न्यायालय का पूर्ण दायित्व है और ऐसा न होने की स्थिति में सुनवाई और उसके बाद दोषी ठहराए जाने की कार्रवाई या उसे दी गई सज़ा निरस्त मानी जाएगी।

1116. गिरफ्तार लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की पक्की व्यवस्था करने के लिए आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले सभी न्यायलयों में पैनल में शामिल वकीलों को रिमांड/ड्यूटी वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे वकील अवकाश के दिनों में भी न्यायालय में उपलब्ध रहते हैं। यदि अदालत

में पेश होते समय अभियुक्त के पास कोई वकील नहीं होता तो, अदालत उसे मुफ्त वकील उपलब्ध कराएगी।

1117. अधीक्षक को बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने के इस अधिकार के बारे में बताना चाहिए।

1118. बंदी को मुकदमें की कार्यवाही पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो ऑनलाइन उपलब्ध होती है और यदि यह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो नोडल एजेंसी यानी ''डेलसा'' या सम्बद्ध न्यायालय से इसकी प्रति प्राप्त करके बंदी को कार्रवाई की तारीख के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय–17
बंदियों का कल्याण

कल्याणकारी कार्यक्रम के आधारभूत तत्व

1119. कारागारों में कल्याणकारी कार्यक्रम के उद्देश्य :

(i) संस्थान में आरामदायक, सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण विकसित करना;

(ii) बंदियों के साथ व्यक्तिगत संबंध आपसी भरोसे और विश्वास के आधार पर सुनिश्चित करना;

(iii) बंदियों की देखभाल सुनिश्चित करना;

(iv) सकारात्मक और दृढ़ अनुशासन सुनिश्चित करना;

(v) बंदियों की तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करना;

(vi) बंदियों की दीर्घकालिक जरूरतें पूरा करना;

(vii) कारागार से बाहर समाज और उनके परिवार के साथ बंदियों के नियमित संपर्क में मदद करना;

(viii) स्वःअनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी प्रणाली सुनिश्चित करना, इसमें छूट, अर्द्ध–मुक्त (सेमी ओपन), मुक्त (ओपन), संस्थान में स्थानांतरण और समय से पहले रिहाई शामिल है।

(ix) व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना;

(x) सामूहिक गतिविधियों, सामूहिक मार्गदर्शन, सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना;

(xi) बंदियों में उचित आदतें, भाव और दृष्टिकोण विकसित करना और बंदियों को सामान्य सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना;

(xii) मनोचिकित्सा सहित सहायक उपचार प्रदान करना।

1120. बंदियों का आरंभिक वर्गीकरण और प्रत्येक बंदी का अध्ययन सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों का मूल बिन्दु होना चाहिए। कल्याणकारी कार्यक्रमों में बंदियों का दोबारा वर्गीकरण और सुधार की समय समय पर हुए समीक्षा, सजा और समय से पहले रिहाई की समीक्षा रिहाई की कार्य योजना, रिहाई से पहले और रिहाई के बाद की तैयारियां शामिल हैं। इस प्रक्रिया में संस्थान के अधिकारियों का सकारात्मक प्रभाव

महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी कार्यक्रमों में समाज की भागीदारी एक महत्वपूर्ण अंग होगा।

परामर्श

1121. बंदियों को निम्नलिखित परामर्श सुविधाएं दी जानी चाहिए :

(i) कारागार में दाखिल होते समय बंदियों के वर्गीकरण से पहले उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए।मानसिक रूप से बीमार प्रमाणित किए गए बंदियों को कारागार में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उचित नियमों के अनुसार सही कदम उठाते हुए उन्हें विशेष संस्थानों में भेजा जाना चाहिए।

(ii) बंदियों को परामर्श देने के लिए कारागार विभाग को व्यावसायिक रूप से योग्य परामर्शदाता की सेवाएं लेनी चाहिए। इनमें विशेष रूप से मादक पदार्थों के व्यसन विकार और दुर्व्यवहार से पीड़ित बंदियों को सेवाएं दी जानी चाहिए।

(iii) कारागार विभाग द्वारा अपेक्षित मनो–सामाजिक सेवाएं देने के लिए बंदी के मानसिक स्वास्थ्य का उचित और नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(iv) गंभीर रूप से मानसिक विकारों के लिए उचित मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता होगी और इसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 अथवा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए।

मनोचिकित्सा

1122. कारागारों में मनोचिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इन चिकित्सा सेवाओं को मानसिक विकार से पीड़ित बंदियों के इलाज के लिए प्रभावी माना गया है।

मार्गदर्शन

1123. एक बंदी के अधिकार, कर्तव्यों, पात्रता, अनुशासन और रोजाना की दिनचर्या को पर्चे पर छाप कर वितरित किया जाए ताकि बंदी ये जान सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं

करना है। साथ ही अपनी सजा के दौरान वो अनुशासन बनाए रखे।

1124. उपरोक्त पर्चों को कारागार के पुस्तकालयों में भी रखा जाना चाहिए और जो बंदी इन्हें पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ने के लिए देना चाहिए।

1125. कारागार के कर्मचारी निरक्षर बंदियों को उपरोक्त जानकारी दे सकते हैं या शैक्षिक कार्यक्रमों में लगे बंदियों की मदद से इन्हें जानकारी प्रदान की जा सकती है।

मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, फिल्म एवं पुस्तकालय

1126. बंदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी कारागारों में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। ये गतिविधियां बंदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम का मूलभूत अंग हैं। इन्हें कारागारों की प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए।

1127. स्थान की उपलब्धता, जलवायु और मौसम, बंदियों की संरचना, सुरक्षा के इंतजाम के आधार पर मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होनी चाहिए :

(i) खुले में खेले जाने वाले खेल जैसे क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वालीबॉल, बैडमिंटन, फुटबाल और बॉस्केटबॉल आदि।

(ii) जिम्नास्टिक

(iii) शतरंज, लूडो और कैरम जैसे इंडोर खेल,

(iv) फिल्म शो : ऐतिहासिक, देशभक्तिपूर्ण, जीवनी, वैज्ञानिक और शैक्षिक फिल्में, यात्रा वृत्त–चित्र, न्यूजरील, सामाजिक विषयों से सरोकार रखने वाली फिल्में दिखाई जानी चाहिए। अपराध, अश्लील, हिंसा, संदेह, और इसी प्रकार के अन्य विषयों से संबंधित फिल्में बंदियों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं अतः इस प्रकार की फिल्में नहीं दिखाई जानी चाहिए। प्रत्येक कारागार में बंदियों को फिल्म दिखाने से जुड़ी सुविधाएं होनी चाहिए। कारागार महानिरीक्षक के मुख्यालय में अच्छी फिल्मों की एक लाइब्रेरी

विकसित की जानी चाहिए औरइन फिल्मों को विभिन्न कारागारों में वितरित किया जाना चाहिए। कारागार विभाग और फिल्म प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिल्म और टेलीविजन संस्थान, फिल्म सोसायटी और अन्य संगठनों के बीच आपस में तालमेल होना चाहिए। यह संस्थान/विभाग बंदियों के लिए अच्छी फिल्मों की आपूर्ति कर सकते हैं।

(v) **संगीत** : कारागार के प्रतिबंधित वातावरण में संगीत का विशेष महत्व है। इससे अकेले, परेशान और दुखी बंदियों को राहत मिल सकती है। इससे उदासी दूर हो सकती है और यह कारागार के कार्यक्रमों में रुचि को बढ़ावा देता है। संगीत कार्यक्रमों में रेडियो संगीत, रिकॉर्ड किया गया संगीत, समूह गायन, लोक संगीत, वाद्य संगीत और आर्केस्ट्रा शामिल हो सकते हैं।

(vi) **सामुदायिक और लोक संगीत**– समूह और लोक संगीत से जुड़े कार्यक्रमों को त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

(vii) **नाटक (ड्रामा) :नाटक प्रदर्शन**, सामाजिक समस्याओं पर आधारित नाटक, तमाशा, नाट्य संगीत, झांकी, भाषण, संवाद, रेडियो नाटक, हास्य प्रहसन आदि के जरिए उपयोगी सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के मॉडल को बंदियों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। बंदियों को इन गतिविधियों में भाग लेने और आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

(viii) **कला और शिल्प** : कला और शिल्प बंदियों में उपयोगी गुण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बंदी इन गतिविधियों के जरिए अपने व्यक्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ऐसी गतिविधियां कारागार के नीरस जीवन में सहायक चिकित्सा के रूप में काम कर सकती हैं।

(ix) **हस्तशिल्प और कला कार्य** : बंदियों को मिट्टी के बर्तन, टोकरी बनाना, लकड़ी की नक्काशी, बढ़ईगिरी,

लकड़ी की छत बनाना, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, घर की सजावट, लैम्पशेड, धातुशिल्प, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, सजावटी फूल बनाना, सींग से विभिन्न आकृतियां बनाना, पायदान बनाना, बुनाई, कढ़ाई, क्रोशिया से काढ़ने का काम आदि के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

(x) **पढ़ना** : बंदियों को समाचार पत्र, किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। समूह और मार्गदर्शन में पढ़ना उनके लिए लाभदायक हो सकता है।

(xi) **टेलीविजन** : बंदियों के लिए टेलीविजन मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। दिखाए जाने वाले चैनल और उनके समय का चयन कारागार अधीक्षक को बहुत सावधानी से करना चाहिए।

1128. प्रत्येक कारागार में खेलकूद/सांस्कृतिक कार्यक्रम का वार्षिक आयोजन किया जाना चाहिए। अन्य कारागारों के बंदियों के लिए खेल कूद स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। बंदियों के साथ विभिन्न खेल खेलने के लिए बाहर से खिलाड़ी और सांस्कृतिक समूहों को आमंत्रित किया जा सकता है।

1129. योग और ध्यान का रोजाना अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए। ध्यान केंद्र खोले जा सकते हैं और इसके लिए गैर–सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ध्यान सत्र के दौरान प्रवचन धर्म निरपेक्ष हों।

1130. बंदियों को प्रेरित करने के लिए कला, खेल, साहित्य, संस्कृति और संगीत के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों को विशेष/विभिन्न अवसरों पर मेहमान के रूप में आमंत्रित करना चाहिए। ये हस्तियां बंदियों के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं।

1131. प्रत्येक कारागार में एक खेल का मैदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सामुदासयिक हाल होना चाहिए।

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

1132. मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों को खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के आयोजन में शामिल किया जाना चाहिए।

1133. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कल्याणकारी एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कारागारों के कार्यक्रमों में सहयोग देने वाले गैर–सरकारी संगठन या कल्याणकारी एजेंसियां मान्यता प्राप्त हों और उन्हें ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए। यह संगठन या एजेंसियां अपने समर्पण और निःस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हों।

1134. कल्याणकारी एजेंसी या गैर–सरकारी संगठन के आपराधिक रिकॉर्ड वाले सदस्य को कारागार की गतिविधियों या कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी/एनजीओ को जिम्मेदारी लेनी होगी।

1135. कल्याणकारी संगठनों और एनजीओ द्वारा कारागारों में किए गए अच्छे कार्य की सार्वजनिक रूप से सराहना की जानी चाहिए।

बंदियों की पंचायत

1136. प्रत्येक कारागार और उससे जुड़े संस्थानों में बंदियों की पंचायत होनी चाहिए। इन पंचायतों में बंदियों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसे बंदियों का चुनाव करना चाहिए, जिनका आचरण अच्छा हो, और जिनके पास गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करने की सामर्थ्य और क्षमता हो। ये पंचायतें बंदियों के लिए दैनिक मनोरंजन कार्यक्रमों की योजना बना कर उन्हें लागू करे। इससे बंदियों में कारागार के कार्यक्रमों में भाग लेने की भावना बढ़ेगी और यह किसी भी कल्याणकारी और सुधासर नीति के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। इन पंचायतों के जरिए बंदियों को अपनी परेशानियों/समस्याओं को बताने और उन्हें हल करने का अवसर मिलना चाहिए।

1137. कारागार प्रशासन को इन पंचायतों के कामकाज की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। कारागार अधीक्षक या कारागार

उप–अधीक्षक को, जहां तक संभव हो सके, इन पंचायतों की बैठक में शामिल होना चाहिए।

1138. बंदियों की समस्याओं के निवारण और उनके सुझावों को लागू करने के लिए कम से कम चार महीने में एक बार कारागार अधीक्षक की उपस्थिति में सभी पंचायतों की बैठक बुलानी चाहिए। विभिन्न कारागारों में समय समय पर ऐसी महापंचायतों में महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक, और उप–महानिरीक्षक को भी भाग लेना चाहिए।

उत्सवों का आयोजन

1139. बंदियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए प्रत्येक कारागार में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती मनानी चाहिए। ऐसे अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं और बंदियों को विशेष भोजन भी दिया जा सकता है।

1140. सभी धर्मों के मुख्य त्योहार मनाए जाने चाहिए। इन त्योहारों में हर बंदी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी विशेष जाति या धर्म के बंदियों के समूह को किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं देने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। धर्म या जाति के संबंध में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप नहीं होगा।

आध्यात्मिक विकास

1141. बंदियों के नैतिक उत्थान के लिए सभी धर्मों की जानीमानी हस्तियों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस संबंध में मान्यता प्राप्त एनजीओ और कल्याणकारी एजेंसियों से सहायता ली जा सकती है। यह पहले से ही सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्याख्यान का विषय और अर्थ दूसरे धर्म के लोगों के बीच नाराजगी का कारण नहीं बने।

1142. प्रत्येक बंदी को पूजा अर्चना शांत और व्यवस्थित तरीके से करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बंदियों को उनके वार्ड में एकत्र होकर अपने धार्मिक समारोह का आयोजन करने की अनुमति देनी चाहिए। बंदियों को उनके धर्म के अनुसार उपवास रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अगर चिकित्सा अधिकारी का मानना हो कि ऐसे बंदी द्वारा व्रत रखना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या खतरनाक

हो सकता है तो वह व्रत रखने के लिए मना करने का आदेश दे सकता है।

अगर अधीक्षक का मानना है कि इस प्रकार बंदी द्वारा उपवास रखने से कारागार के अनुशासन का उल्लंघन होता है तो वह इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

नोट : उपवास रखने के इच्छुक बंदियों को उनके धर्म की मान्यताओं के अनुसार उचित समय पर भोजन दिया जा सकता है।

कल्याणकारी गतिविधियों को लागू करना

1143. कारागार में कल्याणकारी गतिविधियों को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से लागू करवाने के लिए अधीक्षक उत्तरदायी होगा।

1144. अधीक्षक अपनी कारागार में चलाई जा रही कल्याणकारी गतिविधियों/कार्यक्रमों के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट डीआईजी के माध्यम से कारागार महानिरीक्षक के पास जमा कराएगा।

1145. कारागार प्रशासन, बंदियों और कारागार कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन के लिए कार्पोरेट समाजिक उत्तरदायित्व के तहत फंड प्राप्त करने पर विचार कर सकता है।

बंदियों के लिए कैंटीन

1146. प्रत्येक कारागार में एक कैंटीन होनी चाहिए। प्रत्येक कैंटीन में खाने पीने का सामान, पेय पदार्थ, किराने, कागज कलम आदि सामान मिलना चाहिए। कारागार महानिरीक्षक समय समय पर कैंटीन में मिलने वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय कर सकते हैं।

1147. कैंटीन संचालन बंदियों के कल्याण कोष से किया जाएगा और कमाया गया लाभ कार्यकारी समिति की मंजूरी से बंदियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। कार्यकारी समिति के सदस्यों की नियुक्ति समय समय पर कारागार महानिरीक्षक के लिखत आदेश के जरिए होगी।

कैंटीन का प्रबंधन

1148. कैंटीन का प्रबंधन/रख–रखाव निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :

(i) कैंटीन के सुगम और कुशल संचालन के लिए अधीक्षक जिम्मेदार होगा। इस कार्य में उप अधीक्षक और सहायक अधीक्षक उनकी मदद करेंगे।

(ii) अधीक्षक कैंटीन का संचालन विभागीय रूप से या बंदियों के जरिए कर सकते हैं।

(iii) बंदियों के बीच कैंटीन के कार्य का बंटवारा कारागारअधीक्षक द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

(iv) अधीक्षक कैंटीन के सामान की गुणवत्ता और उचित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करेंगे।

कैंटीन का समय

1149. कारागारअधीक्षक कैंटीन के खुलने और बंद होने का समय, कैंटीन में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुएं और मूल्य को तय करेगा।

पात्रता

1150. ऐसे बंदी जिन्हें सज़ा के तौर पर प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें छोड़कर कोई भी बंदी कैंटीन से सामान खरीद सकता है।

बंदियों द्वारा कैंटीन से समान खरीदने का तौर–तरीका

1151. महानिरीक्षक समय समय पर बंदियों द्वारा कैंटीन से खरीददारी करने के बारे में आदेश देंगे।

दैनिक बिक्री खाता

1152. रोजाना कैंटीन बंद होने के बाद सहायक अधीक्षक बिक्री का लेखा जोखा एवं उचित रिकॉर्ड रखेगा। महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप खातों का वार्षिक लेखा–परीक्षण किया जाएगा।

दुरुपयोग को रोकना

1153. कैंटीन सेवा के दुरुपयोग को इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे बायोमैट्रिक या स्मॉर्ट कार्ड आधारित कैंटीन प्रबंधन प्रणाली के जरिए रोका जाएगा।

मोबाइल कैंटीन

1154. जहां तक संभव हो सके, कारागार अधीक्षक यह प्रयास करेगा कि बंदी मोबाइल कैंटीन के जरिए अपने वार्ड में खरीददारी कर सके।

कैंटीन के लिए स्टॉक

1155. अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन में विभिन्न वस्तुओं का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

रजिस्टरों का रख–रखाव

1156. महानिरीक्षक कैंटीन में रखे जाने वाले रजिस्टरों के संबंध में निर्देश देंगे। इन रजिस्टरों में अन्य जानकारी के साथ साथ, वस्तुओं की खरीद, दैनिक बिक्री, लाभांश आदि के रजिस्टर होंगे। महानिरीक्षक कैंटीन से संबंधित कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड के रख–रखाव के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

सामान की जांच

1157. कारागार में प्रतिबंधित वस्तुओं को लाने से रोकने के उद्देश्य से अधीक्षक कैंटीन में बाहर से लाई गई वस्तुओं की संपूर्ण जांच कर सकता है।

शिकायत

1158. कैंटीन की कार्य प्रणाली से जुड़ी बंदियों की सभी शिकायतों को अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा। अधीक्षक इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएगा। अगर ऐसी शिकायतें बनी रहती हैं तो इन्हें महानिरीक्षक के समक्ष उठाया जाएगा।

कैंटीन का लेखा परीक्षण

1159. कारागार अधीक्षक कम से कम 6 महीने में एक बार कैंटीन का आंतरिक लेखा परीक्षा कराने का आदेश देगा और खाते का विवरण उप–महानिरीक्षक के पास जमा करेगा।

बंदी कल्याण कोष

बंदी कल्याण कोष

1160. प्रत्येक कारागार के लिए बंदी कल्याण निधि गठित की जाएगी।

निधि का उद्देश्य

1161. इस निधि का उद्देश्य बंदियों की शिक्षा, मनोरंजन, व्यावसायिक शिक्षा, सांस्कृतिक और खेल आदि जैसी सामूहिक गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराना है।

निधि का स्रोत

1162. निधि की स्थापना निम्न रूप से की जाएगी :

i. कैंटीन से प्राप्त लाभ
ii. लोगों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व से प्राप्त दान। हालांकि बंदियों और उनके परिवार से दान स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
iii. सरकार द्वारा स्वीकृत कोई अन्य स्रोत।

सामान्य निर्देश

1163. महानिरीक्षक निधि से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे।

निधि का प्रबंधन

1164. निधि का प्रबंधन निम्न लिखित रूप से किया जाएगा :

1) प्रत्येक कारागार में निधि का प्रबंधन निम्नलिखित सदस्यों वाली अधि"ाषी समिति करेगी:

क.	अधीक्षक	अध्यक्ष
ख.	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
ग.	उप–अधीक्षक	सदस्य सचिव
घ.	सहायक अधीक्षक (कैंटीन)	कोषाध्यक्ष
ङ.	मुख्य प्रमुख वार्डर	सदस्य
च.	बंदियों के दो प्रतिनिधि अधीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाएंगे	सदस्य

2) बंदियों के प्रतिनिधियों के कार्यकाल की अवधि एक वर्ष होगी।

3) प्रतिनिधि बनने के लिए सिद्ध दोषबंदी नामांकन की तिथि तक कम से कम एक वर्ष की सजा पूरी कर चुका हो और नामांकन की तिथि पर उसकी एक वर्ष की सजा शेष हो। साथ ही बंदी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो।

4) नामांकन के योग्य बनने के लिए, विचाराधीन बंदी नामांकन की तिथि तक अच्छे रिकॉर्ड के साथ कम से कम छह माह की सजा पूरी कर चुका हो।

5) नामांकित दोषी और विचाराधीन बंदियों का आचरण लगातार अच्छा होना चाहिए।

कार्य समिति की बैठकें

1165. कार्य समिति की बैठकें इस प्रकार से होंगी :

1) कार्य समिति महीने में एक बार बैठक करेगी। पर्याप्त कारण होने पर अध्यक्ष की इच्छा से यह बैठक पहले भी बुलाई जा सकती है।
2) समिति के सदस्यों की संख्या के दो तिहाई सदस्यों का कोरम होगा।
3) बैठक के कार्यवृत्त को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

संग्रह और लेखांकन का तरीका

1166. संग्रह और लेखांकन की विधि इस प्रकार होगी :

1) सदस्य सचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा प्राप्त राशि को खाते में दर्ज किया जाएगा। राशि देने वाले व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी।
2) कोषाध्यक्ष प्राप्ति और खर्च का उचित लेखा जोखा तैयार करेगा और सचिव उसकी जांच करेगा। लेखा जोखा में कैश बुक, खाते, रसीद पुस्तिका, आकस्मिक रजिस्टर, रसीद और कार्यवृत्त पुस्तक शामिल होंगे।
3) प्राप्ति और खर्च के लेनदेन का विवरण उचित रजिस्टर में तुरंत दर्ज किया जाएगा।
4) वर्ष के दौरान किए गए भुगतान की रसीद पर क्रमांक संख्या दर्ज की जाएगी, इसके लिए एक अलग फाइल रखी जाएगी।
5) नकद पुस्तिका की विस्तृत जांच की जाएगी और ताजा प्रविष्टि दर्ज होने पर सदस्य सचिव हस्ताक्षर करेंगे।
6) प्रत्येक महीने के अंतिम दिन अध्यक्ष स्वयं नकदी और शेष राशि पास बुक में सत्यापित करेगा। वह रसीदों की भी जांच करेगा और कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए खातों की सत्यता सुनिश्चित करेगा। सही रजिस्टर में जांच किए जाने की कार्यवाही दर्ज कर प्रमाणित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा।

निधि का लेखा परीक्षण

1167. निधि कोष के खातों का लेखा परीक्षण किया जाएगा। खाते वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाए जाएंगे।

छमाही रिपोर्ट जमा करना

1168. अधीक्षक (अप्रैल से सितंबर और अक्तूबर से मार्च तक की) छमाही रिपोर्ट उप महानिरीक्षक को देगा। इसमें निधि में प्रारंभिक शेष राशि, खर्चों का ब्यौरा और शेष राशि का विवरण शामिल होगा। उप महानिरीक्षक रिपोर्ट की जांच कर उसे महानिरीक्षक को सौंपेंगे।

अध्याय–18

छूट

1169. भारतीय संविधान की धारा 72 के तहत प्रावधानों और संहिता की धारा 432 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिल्ली कारागार अधिनियम 2000 के प्रावधान के तहत अपेक्षित शर्तें पूरी करने वाले सभी बंदियों को सजा मेंछूटदी जा सकती है। परन्तु, छूटबंदी के लिए एक सुविधा है, इसके अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

1170. सज़ा से छूट एक रियायत है, जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारियों द्वारा मंजूर की जा सकती है, सरकार के पास किसी भी बंदी या बंदियों की श्रेणी को इस रियायत से वंचित करने/इसे वापस लेने का अधिकार है। बंदी के कारागार में अपराध करने पर या सज़ा छूट के संबद्ध आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार छूट वापस ली जा सकती है या समाप्त की जा सकती है।

उद्देश्य

1171. छूट की स्वीकृति कारागार में रहने के दौरान बंदी के अच्छे आचरण, हिरासत में काम करने की उसकी इच्छा, और कारागार प्रशासन से सहयोग और सहायता तथा विभिन्न संस्थागत गतिविधियों में उसकी भागीदारी के आधार पर दी जानी चाहिए।

टिप्पणी:यदि विधान या अदालत सजा के आदेश में बंदी को छूट से वंचित करती हो, और वंचित की जाने वाली छूट के प्रकार को स्पष्ट न किया गया हो, तो बंदी को सभी प्रकार की छूट से वंचित किया जाएगा।

1172. **इस अध्याय के संदर्भ में :**

I. ''बंदी'' की परिभाषा में सिद्ध दोष बंदी, शांति बनाए रखने या अच्छे आचरण के लिए जमानत न देने वाले बंदी और सैन्य अदालत से दोषी ठहराए गए बंदी भी शामिल हैं।

II. ''सज़ा'' का अर्थ अपील या पुनर्विचार या अन्य किसी प्रकार से अंतिम रूप से तय की गई सज़ा है, और इसमें एक से अधिक सज़ा और शांति बनाए रखने या

अच्छे आचरण के लिए बांड न देने के कारण कैद का आदेश भी शामिल है।

छूट के प्रकार

1173. छूट इन प्रकारों की होगी :

क) सामान्य छूट

ख) अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक छूट

ग) विशेष छूट

घ) सरकार द्वारा छूट

सामान्य छूट

1174. **सामान्य छूट की मंजूरी के लिए अधिकार** : कारागार अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा अपने स्थान पर नामित अधिकारी/उप–अधीक्षक–1 सामान्य छूट की मंजूरी के लिए अधिकृत है।

1175. पात्रता : निम्न प्रकारों के सिद्धदोष बंदी सामान्य छूट के लिए पात्र होंगे :

I. 2 महीने या अधिक की सज़ा काट चुके बंदी ,

II. 2 महीने या अधिक के लिए साधारण कारागार की सज़ा पाने वाले बंदी, जो सहर्ष काम करने के लिए आगे आते हैं,

III. वैसे बंदी, जिन्हें सफाई और खाना पकाने जैसी कारागार प्रबंधन सेवाओं में लगाया गया है तथा रविवार और अन्य अवकाशों पर भी काम लिया जाता है, चाहे वे किसी भी अवधि की साधारण या सश्रम कारावास की सज़ा काट रहे हों,

IV. कम से कम 3 महीने की सज़ा काटने के बाद जुर्माना न चुकाने के लिए दी गई अतिरिक्त सज़ा काट रहे बंदी।

टिप्पणी:सभी पात्र बंदियों को काम मुहैया कराना, कारागार प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। यदि किसी कारण से कारागार प्रशासन ऐसा करने में विफल रहता है, तो कारागार महानिरीक्षक के आदेश के तहत इस आधार पर छूट के लिए पात्र बंदियों को सज़ा से छूट दी जानी चाहिए।

1176. **गैर–पात्रता** : ये बंदी सामान्य छूट के लिए पात्र नहीं होंगे :

I. 2 महीने से कम की सज़ा पाने वाले बंदी
II. केवल जुर्माना न भरने के कारण सज़ा पाने वाले बंदी
III. जिन बंदियों की सज़ा 2 महीने से कम कर दी गई हो, (इन मामलों में यदि बंदी को पहले से छूट मिल चुकी हो, तो उसे रद्द माना जाएगा)।
IV. ऐसे बंदियों को, जिन्हें कारागार में आने के बाद आईपीसी की धारा 147/148/152/224/302/304/304ए/306/307/308/323/324/ 325/326/332/333/352/353/376 या 377 के तहत अपराधों के लिएया कारागार में आने के बाद कारागार वार्डर या अन्य अधिकारी पर हमला करने या पैरोल/फर्लो की रियायत का दुरुपयोग करने के लिए किसी अन्य कानून के तहत दोषी ठहराया गया हो।
V. निर्दिष्ट कारागार अपराधों के लिए दंड के रूप में सज़ा मेंछूट से वंचित किए जाने वाले बंदी।
VI. सरकार या कारागार महानिरीक्षक या किसी कानून या विधान के तहत सज़ा में छूट से विशेष रूप से वंचित कर दिए गए बंदी।
VII. मादक पदार्थ, नशीली दवाओं और दिमाग पर असर डालने वाले पदार्थों से संबंधित अधिनियम एनडीपीएस के तहत आने वाले मामलों में सज़ा काट रहे बंदी, यदि वे 29 मई 1989 के बाद दोष सिद्ध ठहराए गए हों।
VIII. बाहर रहने की अवधि, जो सज़ा के तौर पर न मानी जाती हो, (जमानत के दौरान बाहर रहने की अवधि, कारागार से पलायन या अन्य समय अवधि, जिसे बाहर रहने की अवधि माना जाता हो, और सरकार की ओर से जारी विशेष आदेश के तहत सज़ा न माना जाता हो)।

1177. सज़ा छूट की अवधि : इन बंदियों को निम्नांकित अवधि की सामान्य छूट मंजूर की जा सकती है :

I. अच्छे आचरण, अनुशासन और संस्थागत गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रत्येक माह में 3 दिन।
II. निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य प्रदर्शन के लिए प्रत्येक महीने में 3 दिन।
III. साफ–सफाई और खाना बनाने जैसे कारागार प्रबंधन सेवाओं में लगाए गए बंदियों, जिनसे रविवार और अवकाश के दिन भी काम लिया जाता हो, के लिए एक महीने में दो दिन।
IV. बंदियों के लिए खुले और अर्द्ध खुले कारागार में एक महीने के लिए एक दिन।

अच्छे आचरण पर वार्षिक छूट

1178. सामान्य छूट के लिए पात्र किसी भी बंदी को, जिसने अपनी सज़ा की तिथि से एक वर्ष की अवधि में या कारागार में अपराध के लिए आखिरी बार मिली सज़ा की तिथि से (चेतावनी को छोड़कर) कारागार में कोई अपराध न किया हो, कारागार के अधीक्षक द्वारा, किसी अन्य छूट के अलावा अच्छे आचरण के लिए 30 दिन की वार्षिक छूट दी जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के तहतउन कारागार अपराधों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनमें दंड के तौर पर सिर्फ चेतावनी दी गई हो।

विशेष छूट

1179. **विशेष छूट की मंजूरी के लिए अधिकृत अधिकारी** : छूट समिति की सिफारिश पर महानिरीक्षक (कारागार) विशेष छूट की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

1180. **विशेष छूट की मंजूरी के लिए आधार** : बंदियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक छूट के अलावाउनके उत्कृष्ट कार्यों को भी विशेष छूट की मंजूरी से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सामान्य छूट के लिए पात्र बंदियों को इन आधार पर ऐसी विशेष छूट दी जा सकती है :

I. किसी सरकारी अधिकारी, मुलाकाती या किसी बंदी की जान बचाने के लिए।

II. किसी सरकारी कर्मचारी या मुलाकाती या बंदी को हिंसा या किसी खतरे से बचाने के लिए।
III. बंदियों को भागने से रोकने या रोकने में मदद के लिए, भागने की कोशिश कर रहे बंदियों को पकड़ने या उनकी साजिश या कोशिश के बारे में जानकारी देने के लिए।
IV. आग, दंगे भड़कने और हड़ताल जैसी आपात स्थितियों से निपटने में कारागार अधिकारियों की मदद के लिए।
V. कारागार नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामलों की खबर देने, रोकथाम या रोकथाम में मदद के लिए।
VI. सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान या शिक्षा या अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (डिग्री या डिप्लोमा) हासिल करने या साथी बंदियों को कला और शिल्प तथा विशेष कौशल प्रशिक्षण के लिए।
VII. उद्योग, कृषि या किसी अन्य कौशल विकास कार्यक्रम या व्यावसायिक प्रशिक्षण में विशेष रूप से उत्कृष्ट कार्य के लिए।

1181. **विशेष छूट के लिए आधार** : उपरोक्त किसी एक या अधिक स्थितियों को पूरा करने पर कारागार में एक वर्ष की सज़ा काट चुके बंदियों को, जो सामान्य छूट के लिए पात्र हैं,कारागार अधीक्षक या क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक की अनुशंसा पर कारागार महानिरीक्षक 30 दिन तक की विशेष छूट दे सकते हैं।

छूट समिति

1182. कारागार अधिकारियों द्वारा सजा से छूट के लिए छूट समिति–

प्रत्येक संस्थान की छूट समिति में ये अधिकारी होंगे :

I. कारागार के प्रभारी अधीक्षक – अध्यक्ष,
II. उपाधीक्षक या संस्थान में उपलब्ध वरिष्ठतम कारागार अधिकारी
III. छूट विभाग के प्रभारी सहायक अधीक्षक/उप–कारागार/सहायक कारागार

IV. उद्योग/व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी

छूट समिति के कार्य

1183. इस समिति के कार्य हैं :

I. सजा में छूट से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार।

II. इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप विशेष छूट की मंजूरी के लिए बंदियों के मामलों की कारागार विभाग प्रमुख से सिफारिश करना।

प्रक्रिया

1184. समिति के सदस्यों को छूट दिए जाने से संबंधित सभी मुद्दों पर अधीक्षक को सहयोग देना चाहिए। किसी बंदी की सजा में छूट के लिए अनुशंसा करने में अधीक्षक का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए। छूट समिति की प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में सोमवार को या जब भी आवश्यक हो बैठक होनी चाहिए। यदि सोमवार को कोई कारागार अवकाश हो, तो बैठक अगले कार्यदिवस को होगी।

सामान्य नियमों का अनुपालन

I. छूट के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि समिति की बैठक निर्धारित दिन हो, ताकि समय पर सज़ा में छूट की मंजूरी मिल सके। विशेष छूट की अनुमति बंदी की रिहाई से कम से कम 7 दिन पहले दी जानी चाहिए।

II. छूट की मंजूरी मिलते ही छूट पंजिका और बंदी के हिस्ट्री टिकट में अधीक्षक के समुचित अभिप्रमाणन के साथ छूट से संबंधित प्रविष्टियां की जानी चाहिए।

III. 2 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा वाले बंदियों के लिए प्रत्येक महीने, जबकि 5 वर्ष से अधिक (आजीवन कारावास) की सज़ा वाले बंदियों के लिए 3 महीने में एक बार छूट की मंजूरी होनी चाहिए।

IV. सामान्य छूट की गणना पूरे महीने के आधार पर होनी चाहिए, न कि महीने के कुछ दिनों के आधार पर।

V. विशेष छूट एक वर्ष के किसी भी खंड के आधार पर मंजूर की जा सकती है।

VI. सामान्य, अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक छूट और विशेष छूट की अधिकतम सीमा बंदी की सज़ा (दोषसिद्ध किए जाने की तिथि से गणना की जाएगी) के एक चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार से छूट, बंदी द्वारा अर्जित सामान्य और विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

VII. कोर्टमार्शल से दंडित बंदी के लिए छूट की मंजूरी अन्य बंदियों के लिए व्यवहार्य सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

VIII. सामान्य छूट की मंजूरी से पहले छूट समिति बंदी के हिस्ट्री टिकट पर विचार करेगी, जिसमें बंदी के कार्य और कारागार में किए गए उसके प्रत्येक अपराध के लिए दंड का सतर्क विवरण दर्ज होना चाहिए।

IX. यदि कोई बंदी एक तिमाही के दौरान, औपचारिक चेतावनी के अलावा, दंडित नहीं किया जाता है तो उसे उस तिमाही के लिए पूरी सामान्य छूट दी जाएगी। लेकिन, यदि कोई बंदी तिमाही के दौरान औपचारिक चेतावनी के अलावा दंडित किया गया है, तो उसे उस तिमाही के लिए सामान्य छूट नहीं मिलेगी।

सरकार द्वारा छूट

1185. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और इन नियमों के तहत सरकार द्वारा मंजूर की गई छूट सरकार से प्राप्त छूट कहा जाएगा। सरकार से छूट राष्ट्रीय महत्व या जन उल्लास के अवसरों पर मंजूर की जा सकती है।

टिप्पणी–

1. इस प्रकार की छूट की मंजूरी के लिए सरकार से छूट के नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते।
2. सरकार से छूट इन सभी नियमों के तहत स्वीकृत छूटकी अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होनी चाहिए।

पात्रता

1186. सरकार से छूट, उन बंदियों या बंदियों की श्रेणियों के लिए मंजूर की जाएगी, जिनके बारे में सरकार ने निर्णय किया हो।

1187. ऐसे बंदियों के लिए, जो सरकार से छूट की मंजूरी के समय अस्थायी रूप से या आपात स्थिति में रिहा किए गए हों, जो उनकी सज़ा का हिस्सा नहीं है, सरकारी छूट के बारे में सरकार की ओर से विशेष आदेश जरूरी है।

1188. राज्य प्रमुख के निर्णय के अनुरूप छूट की मंजूरी के आधार या अवधि का फैसला किया जा सकता है।

आजीवन कारावास की सजा पाए बंदी

1189. सजा छूट की गणना के लिए आजीवन कारावासकी सजा 20 साल की कारागार सजा मानी जाएगी (भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 57 में दिए गए तर्क के अनुरूप)। एक से अधिक आजीवन कारावासकी सजा काट रहे बंदी को छूट की गणना के लिए उसकी सभी सजाएं कुल 20 वर्ष की मानी जाएंगी। आजीवन कारावासकी सजा पाए बंदी के लिए सजा छूट की मंजूरी का अर्थ उसकी सजा में वास्तविक छूट नहीं है। समय से पूर्व रिहाई के लिए समीक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे बंदी के मामले पर विचार के समय उसकी सजा छूट एक आधार होगी, जिस पर उसकी सजा पर पुनर्विचार किया जाएगा।

विविध नियम

1190. लागू होने वाले विविध नियम इस प्रकार हैं:

I. कोर्ट मार्शल से दंडित बंदियों को उस अवधि की सामान्य सजा छूट मंजूर की जाएगी, जितनी अवधि वे कारागार में रखे जाने से पहले ट्रांजिट रिमांड या सैन्य हिरासत में बिता चुके हैं।

II. एक कारागार से दूसरी कारागार में भेजे जाने वाले बंदियों के मामले में छूट के लिए पहले कारागार में बिताई गई अवधि की गणना, विचाराधीन बंदी के रूप में बिताई गई अवधि को छोड़कर, दूसरी कारागार में बिताई गई अवधि के साथ की जाएगी।

III. सामान्य छूट की गणना बंदी की सजा की तिथि के बाद महीने के पहले दिन से की जाएगी। सामान्य छूट की मंजूरी एक महीने की अलग अलग अवधि के लिए नहीं होगी। जब तक किसी बंदी की सजा किसी

महीने के पहले दिन से शुरू नहीं होती, उसे उस महीने के लिए छूट की मंजूरी नहीं मिलेगी।

IV. किसी भी बंदी को उस महीने के लिए सामान्य छूट नहीं मिलेगी, जिसमें वह रिहा होने जा रहा हो।

V. छूट की गणना के लिए विचाराधीन अवधि को सजा का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

VI. बंदी की रिहाई की संभावित तिथि तय करने में उसके द्वारा अर्जित छूट के दिन, प्रत्येक महीने के लिए 30 दिन के हिसाब से, महीने और दिनों में बदले जाएंगे।

VII. 3 साल या अधिक की सजा पाए बंदी के मामले में उसके द्वारा अर्जित छूट के कुल दिन जोड़े जाएंगे और इनके उसकी सजा अवधि के आधे (1/2) होने से पहले उसकी रिहाई की संभावित तिथि तय की जाएगी। 3 साल से कम की सजा पाए बंदी के मामले में उसकी रिहाई की संभावित तिथि मासिक आधार पर तय की जाएगी।

VIII. इन सभी नियमों के तहत छूट की गणना दोषी ठहराए जाने पर बंदी के कारागार में आने की तारीख के बाद के महीने के पहले दिन से की जाएगी।

IX. कारागार के बाहर बिताई गई अवधि को, जैसे फर्लो/पैरोल पर रिहाई, जो सज़ा के हिस्से के रूप में शामिल हैं, खंडित अवधि नहीं माना जाएगा। इस अवधि के दौरान भी बंदी सामान्य छूट अर्जित करने का पात्र होगा। कारागार से बाहर बिताई गई ऐसी अवधि, जो सज़ा में शामिल नहीं है, जैसे (पैरोल/फर्लो/जमानत/आपात रिहाई/कारागार से भागने और प्रत्यर्पण इत्यादि) के लिए बंदीछूट अर्जित करने का पात्र नहीं होगा। ऐसे मामलों में बंदी को कारागार में फिर आने की तिथि के बाद के महीने के पहले दिन से छूट अर्जित करने का पात्रमाना जाना चाहिए।

x. उपचार के लिए या बीमारी के बाद अथवा अनजाने में घायल हो जाने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए एक महीने से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती बंदी। ऐसे कारणों से एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती बंदी केवल अच्छे आचरण के आधार पर सजा छूट के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी : इन सभी मामलों में अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक छूट के लिए पात्रता की तिथि बढ़ा दी जाएगी। जमानत पर रिहा बंदी या ऐसे बंदी, जिनकी सजा अस्थायी रूप से रोकी गई है, कारागार में वापस आने पर, जमानत पर रिहा होने के पहले या सजा निलंबित होने से पहले की अर्जित छूट के पात्र होंगे। उन्हे उनकी कारागार वापसी के बाद के महीने के पहले दिन से छूट प्रणाली के तहत फिर से लाया जाएगा।

बंदी की सजा छूट रद्द किया जाना या हटाया जाना

1191. कारागार महानिरीक्षक कारागार अधीक्षक की सिफारिश पर किसी भी बंदी को कारागार में अपराध के लिए 6 महीने के लिए सजा छूट प्रणाली से हटा सकते हैं। इसी प्रकार कारागार अधीक्षक 3 महीने के लिए बंदी को सजा छूट से हटा सकता है, हालांकि 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कारागार महानिरीक्षक की मंजूरी जरूरी होगी।

1192. कारागार महानिरीक्षक की पूर्व मंजूरी से कारागार अधीक्षक किसी भी बंदी को निर्धारित अवधि खत्म होने से पहले प्रणाली से हटाए गए बंदी को इसमें वापस ले सकता है। छूट प्रणाली में फिर से लाए गए बंदी अपनी वापसी के बाद के महीने से इन नियमों के तहत छूट अर्जित करेंगे।

छूट खत्म किए जाने की स्थितियां

1193. कारागार महानिरीक्षक एक बंदी द्वारा अर्जित छूटकारागार अधीक्षक की सिफारिश पर समाप्त कर सकते हैं।

i. यदि बंदी कारागार में लाए जाने के बाद किसी कारागार अधिकारी, मुलाकाती, बंदी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी या पैरोल/फर्लो पर अस्थायी रिहाई नियम के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की

धारा 147, 148, 152, 224, 302, 304, 304ए, 306, 307, 308, 232, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 352, 353, 376 या 377 के तहत दोषी ठहराया गया हो। बंदी द्वारा ये अपराध किए जाने तक, नियमों के तहत अर्जित सभी सामान्य और विशेष छूट, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, आंशिक रूप से या पूरी तरह खत्म की जा सकती हैं।

ii. कारागार में अपराधों के लिए कारागार अधीक्षक को एक अपराध के लिए 30 दिन तक की अर्जित छूट खत्म करने का अधिकार होगा। 30 दिन से अधिक की अर्जित छूटकारागार महानिरीक्षक की मंजूरी से खत्म की जा सकती है।

टिप्पणी :सजा छूट खत्म किएजाने के बारे में सभी प्रविष्टियां बंदी के हिस्ट्री टिकट या छूट पत्र और छूट पंजिका या किसी अन्य संबधित दस्तावेज/रिकॉर्ड में दाखिल की जानी चाहिए।

सज़ा छूट का रिकॉर्ड

1194. कारागार प्राधिकरण सज़ा छूट प्रणाली के संदर्भ में ये रिपोर्ट रखेगा :

I. सजा छूट कार्य के प्रभारी सहायक अधीक्षक (बंदी कार्यालय) छूट पत्र/पंजिका में सजा छूट की प्रविष्टि करने से पहले बंदी की हिस्ट्री टिकट और दंड पंजिका (संख्या 5) देखेंगे, जिसमें बंदी के कार्य और दंड का रिकॉर्ड रखा गया है।

II. छूट अर्जित करने के पात्र सभी बंदियों के सजा छूट पत्र/पंजिका निर्धारित प्रपत्र में रखे जाएं, जिसमें छूट की मंजूरी और इसे रोके जाने के बारे में सहायक अधीक्षक (बंदी कार्यालय) द्वारा नियमित रूप से दर्ज और उपाधीक्षक से अभिप्रमाणित सभी प्रविष्टियां हों।

III. छूट पत्र/पंजिका में प्रविष्टियां प्रत्येक तिमाही के अंत में दर्ज की जानी चाहिए। यदि कोई बंदी एक तिमाही पूरी होने से पहले रिहा होने

वाला हो, तो ये प्रविष्टियां सम्बद्ध महीनों के दौरान की जाएं और उसके अनुरूप उसकी रिहाई के बारे में कार्रवाई की जाए।

IV. प्रत्येक तिमाही के अंत में बंदियों को तिमाही के दौरान उनकी अर्जित छूट तथा उस तिथि तक अर्जित कुल छूट के बारे में बता दिया जाना चाहिए और बंदियों के हिस्ट्री टिकट में भी इसकी प्रविष्टि होनी चाहिए।

V. कार्यालय में एक सजा छूट पंजिका रखी जाएगी, जिसमें सभी बंदियों के छूट पत्र की सभी प्रविष्टियां समयबद्ध रूप से दर्ज की जाएंगी।

VI. कारागार अधीक्षक/उपाधीक्षक सजा छूट पंजिका/पत्रों तथा अन्य रिकॉर्ड की तिमाही आधार पर जांच करेंगे।

VII. सजा छूट से संबंधित दस्तावेज तक बंदियों की पहुंच नहीं होगी।

VIII. बंदियों को ऐसी तिथियों पर रिहा किया जाना चाहिए, जिनसे उन्हें मंजूर अर्जित छूट का लाभ मिल सके।

1195. अन्य कारागारों में स्थानांतरित बंदियों का सजा छूट रिकॉर्ड

(क) यदि किसी बंदी को अन्य कारागार में स्थानांतरित किया जाता है, तो सहायक अधीक्षक और उपाधीक्षक से उसके स्थानांतरण की तिथि तक अर्जित कुल सजा छूट के साथ अभिप्रमाणित सजा छूट पत्र बंदी के साथ भेजा जाना होगा।

(ख) यदि कोई बंदी दूसरे कारागार में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसके पहले महीने के अंत तक उसके द्वारा अर्जित कुल छूट का उल्लेख उसके वारंट पर होना चाहिए और उसके हिस्ट्री टिकट में इसकी प्रविष्टि होनी चाहिए। ये सभी प्रविष्टियां सहायक कारागार अधीक्षक और उपाधीक्षक से हस्ताक्षरित हों।

(ग) बंदी को बाद में लेने वाला कारागार इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उसे सभी जानकारी हासिल हो गई है। प्रत्येक कारागार को, जिसमें बंदी ने अपनी सजा का एक भाग काटा है, उस कारागा़र में अर्जित छूट की सही गणना के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

1196. यदि किसी बंदी को उसे मंजूर की गई छूट को लेकर शिकायत है, तो वह दौरा करने वाले कारागार जिला और सत्र न्यायाधीश से इसकी रिपोर्ट कर सकता है। शिकायत निपटान प्रणाली की प्रक्रिया के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय – 19
पैरोल और फरलो

1197 बंदी को पैरोल और फरलो पर भेजना सुधारात्मक सेवाओं के प्रगतिशील उपाय हैं। पैरोल पर बंदी को रिहा करना न केवल उसे कारागार की बुराइयों से बचाता है अपितु उसे अपने परिवार और समुदाय से सामाजिक संबंध बनाए रखने में समर्थ बनाता है। इससे उसे आत्मविश्वास की भावना विकसित करने और बनाए रखने में भी मदद मिलती है। परिवार और समुदाय से निरंतर संपर्क से उसमें जीवन की उम्मीद बनी रहती है। फरलो पर बंदी को रिहा करना उसे कारागार में अनुशासित रहने और अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

1198 पैरोल का अभिप्रायः है छोटी अवधि के लिए बंदी की अस्थायी रिहाई ताकि वह अपने, परिवार और समाज संबंधी बाधाओं व दायित्वों को पूरा करने में अपने परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक संबंध बनाए रख सके। यह बंदी के लिए बाहरी जगत के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने का एक अवसर है ताकि वह समाज की अद्यतन गतिविधियों से स्वयं को अवगत रख सके। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक सज़ा का संबंध है, पैरोल पर बंदी द्वारा कारागार से बिताई गई अवधि किसी भी रूप में कोई रियायत नहीं है। पैरोल पर बंदी द्वारा कारागार से बाहर बिताई गई अवधि के लिए उसे कारागार में अतिरिक्त समय बिताना होगा।

1199 फरलो का अभिप्रायः है कारागार में अनुशासित रहने और अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप कारागार की निश्चित वर्षों की अर्हक अवधि के बाद, छोटी अवधि के लिए बंदी को रिहा करना। यह कारागार में अच्छे आचरण के लिए पूरी तरह एक प्रोत्साहन है। अतः बंदी द्वारा फरलो पर कारागार से बाहर बिताई गई अवधि को उसकी सजा में गिना जाएगा।

1200 पैरोल और फरलो पर बंदी को रिहा करने के उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

I. बंदी अपने परिवार के साथ निरंतरता बनाए रख सके और परिवार से जुड़े व सामाजिक मामलों को निपटा सके।
II. वह आत्मविश्वास विकसित कर सके और उसे बनाए रख सके।
III. वह जीवन में सक्रिय रुचि और रचनात्मक उम्मीद विकसित कर सके।
IV. उसे बाहरी जगत में होने वाले कार्यकलापों में बने रहने में मदद मिले।
V. उसे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिल सके।
VI. वह कारागार के बुरे प्रभावों और दबाव से उभरने/काबू पाने में समर्थ रहे और
VII. कारागार में अनुशासन और अच्छा आचरण करने के लिए प्रोत्साहित हो।

1201. इस अध्याय के लिए बंदी के परिवार की परिभाषा में दादा–दादी, माता–पिता, भाई, बहन, पति/पत्नी, बच्चे और पोती–पोते शामिल हैं।

1202. पैरोल दो प्रकार के होंगे, जिनके लिए बंदी पात्र होगा :–
(i) हिरासत पैरोल और
(ii) नियमित पैरोल

हिरासत पैरोल

1203 ''हिरासत पैरोल'' निम्नलिखित स्थितियों में, बंदी को कारागार अधीक्षक द्वारा जारी किए गए और विचाराधीन बंदियों को अभियोग चलाने से संबद्धअदालत द्वारा जारी किए गए, लिखित रूप में आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए दिया जा सकता है, जो 6 घंटे से अधिक न हो और जिसमें गंतव्य स्थान तक पहुंचने व कारागार लौटने में लगा समय शामिल नहीं होगा :–
I. परिवार सदस्य का निधन
II. परिवार सदस्य का विवाह

III. परिवार सदस्य की गंभीर बीमारी अथवा किसी अन्य आपात स्थिति में कारागार के उपमहानिरीक्षक (रेंज) के अनुमोदन से।

नोट : जो बंदी अभियोग अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, वे कारागार प्राधिकारियों से हिरासत पैरोल का फायदा ले सकते हैं। भले ही उनकी अपील उच्चतर अदालत के समक्ष विचाराधीन हो।

1204 कारागार अधीक्षक इस आशय का आवेदन/अनुरोध प्राप्त होते ही तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन से उपर्युक्त पैरा 1203 में उल्लिखित परिस्थितियों के होने का सत्यापन करेंगे।

1205. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर परंतु भारत की प्रादेशिक सीमाओं के अंदर किसी स्थान पर जाने के लिए कारागार महानिरीक्षक द्वारा उचित संचालन व्यवस्था और सुरक्षा बाध्यताओं के आधार पर हिरासत पैरोल दिया जा सकता है। बंदी और पुलिस के परिवहन का खर्च बंदी द्वारा वहन कियाजाएगा, तथापि कारागार महानिरीक्षक अपवादात्मक स्थितियों में ऐसे बंदियों के परिवहन के खर्च की छूट दे सकते हैं, जो उस खर्च को वहन न कर सके।

1206. बंदी की सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करने के लिए बंदी को गंतव्य स्थान और वहां से लौटने तक सुरक्षा में रखा जाएगा और यह अवधि कारागार में बिताई गई अवधि भी मानी जाएगी।

नियमित पैरोल

1207. नियम 1211 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़ कर, नियमित पैरोल देने या बढ़ाने के मामलों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी, जिसे उपराज्यपाल द्वारा इस बारे में अधिकार का प्रत्यायोजन किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी हैं। तथापि, नियम 1211 के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए सक्षम प्राधिकारी सरकार अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल होंगे।

1208. नीचे नियम 1210 में निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर, निम्नानुसार आधारों पर पैरोल के आवेदनों पर विचार करना सक्षम अधिकारी पर निर्भर रहेगा :–

I. परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी;
II. परिवार के किसी सदस्य का निधन या दुर्घटना के कारण परिवार में नाजुक हालात;
III. बंदी के परिवार के किसी सदस्य का विवाह;
IV. बंदी की कानूनी विवाहित पत्नी द्वारा शिशु को जन्म देना;
V. प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हुए नुकसान सहित सिद्ध दोष व्यक्ति के परिवार के जीवन या संपत्ति को गंभीर नुकसान;
VI. फसल की बुआई और कटाई;
VII. पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का रखरखाव
VIII. उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने अथवा सिद्ध दोष कायम रखने, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में दिए गए निर्णय के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने से संबंधित कार्रवाई करना।

1209. विचाराधीन बंदी नियमित पैरोल और फरलो के लिए पात्र नहीं हैं, तथापि हिरासत पैरोल पर रिहा किए जा सकते हैं, वह भी संबंधित ट्रायल कोर्टके आदेश द्वारा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि दोष–सिद्धि के खिलाफ दोषी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचारारधीन हो, तो नियमित पैरोल नहीं दिया जाएगा, दोषी उच्च न्यायालय से उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकता है।

1210. उपर्युक्त नियम के अनुसार पैरोल पर रिहा होने के लिए पात्र होने के उद्देश्य से :–

I. बंदी ने कारागार में, विचाराधीन अवधि और माफी के अंतर्गत कोई अवधि सहित कम से कम एक वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो।
II. जिस बंदी को किसी कारागार अपराध के लिए बड़ा दंड दिया गया हो उसका आचरण आवेदन की तारीख

से पिछले दो वर्ष के लिए निरन्तर अच्छा रहा हो तथा जिस बंदी को कारागार में किसी अपराध के लिए मामुली दंड दिया गया हो या कोई दंड नहीं दिया गया हो, उसका आचरण आवेदन की तारीख से पिछले एक वर्ष के लिए निरंतर अच्छा रहा हो।

III. पैरोल या फरलो पर रिहाई की अवधि के दौरान, यदि रिहाई पहले हुई हो, बंदी ने कोई अपराध नहीं किया हो।

IV. बंदी ने पहले दिए गए पैरोल या फरलो की शर्तों का उल्लंघन न किया हो।

V. पिछले पैरोल की समाप्ति पर लौट आने की तारीख से कम से कम 6 महीने बीत जाने चाहिए। आपात स्थिति में, पैरोल पर विचार किया जा सकता है, भले ही पिछले पैरोल की समाप्ति की तारीख से न्यूनतम 6 महीने की अवधि समाप्त न हुई हो। आपात स्थिति के अंतर्गत बंदी की पत्नी द्वारा शिशु को जन्म देना, परिवार के किसी सदस्य का निधन, संतान का विवाह, परिवार के किसी सदस्य की लंबी बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं।

1211. निम्नलिखित मामलों में, केवल ऐसी स्थिति को छोड़ कर कि सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार पैरोल देने के लिए विशेष परिस्थिति है, पैरोल नहीं दिया जाएगा :—

I. देशद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया गया बंदी।

II. ऐसे बंदी, जिसकी समाज में तत्काल उपस्थिति खतरनाक समझी जाए या अन्यथा जन शांति के लिए हानिकारक हो तथा उसके गृह विभाग के जिला मजिस्ट्रेट का आदेश हो या कोई अन्य उचित आधार हो, जैसे कि गंभीर अपराध में लिप्त होने के मामले में जांच लंबित हो।

III. जो बंदी खतरनाक समझे जाते हैं या हमले जैसी गंभीर कारागार हिंसा, दंगा फैलाने, विद्रोह या भागने में लिप्त रहे हैं, या जो पैरोल या फरलो पर रिहाई के

समय फरार हुए व पुनः गिरफ्तार किए गए या जो अपनी वार्षिक आचरण रिपोर्टमें सूचित किए अनुसार कारागार अनुशासन का गंभीर उल्लंघन करते पाए गए हैं।

IV. गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के आधार पर दोषी विदेशी, जिन्हें भारत में रहने की वैध अनुमति हो।

V. मानसिक रोग से पीड़ित बंदी, यदि उसका ठीक हो जाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित न हो।

VI. यदि बंदी बलात्कार के बाद हत्या का दोषी है।

VII. यदि बंदी पोक्सो के अधीन दोषी है।

VIII. यदि बंदी एक मामले या कई मामलों में कई हत्याओं के लिए दोषी है।

IX. यदि बंदी हत्या सहित डकैती का दोषी है।

X. यदि बंदी फिरौती के लिए अपहरण करने के बाद हत्या का दोषी है।

XI. यदि बंदी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी हो।

XII. यदि मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरा या केन्द्रीय एजेंसी द्वारा की गई हो।

1212 (1) एक बंदी को कारावास के एक वर्ष में न्यूनतम दो बारी में अधिकतम आठ सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा। तथापि, एक बारी में रिहाई की अविध चार सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती। पैरोल और पिछले लिए गए फरलो के बीच एक माह का अंतराल होना चाहिए और इसकी विपरीत स्थिति में भी ऐसा हो।

नोट : (1) यदि दोषी ने मूल पैरोल से लौटने के बाद समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया है या जब उसके मूल पैरोल पर रहने के बाद लौटने पर उसे पैरोल के लिए आवेदन पर निर्णय लंबित है तो उसका मामला नए मामले के रूप में लिया जाएगा।

(2) सामान्यतया सह–अभियुक्त के साथ पैरोल की अनुमति नहीं है तथापि असाधारण परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी

सह–अभियुक्तों को, जो एक ही परिवार के सदस्य हों, पैरोल देने के लिए लिखित कारण दर्ज करते हुए, विचार कर सकता है।

आवेदन के निपटान की प्रक्रिया

1213. पैरोल के आवेदन पर विचार करते समय और उसके बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :–

i. बंदी या परिवार के सदस्यों द्वारा पैरोल देने का आवेदन कारागार अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाए;

ii. आवेदन में निम्नलिखित ब्यौरे होने चाहिए :

1. आवेदक का नाम;
2. आवेदक के पिता का नाम;
3. आवेदक का पता;
4. यदि आवेदन परिवार सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो बंदी के साथ रिश्ते का ब्यौरा;
5. क्या बंदी का कोई अन्य आवेदन पैरोल या फरलो के लिए लंबित है;
6. बंदी का अंतिम पुष्ट पता; और
7. पैरोल मांगने के कारण।
8. प्रस्तावित पता जहां बंदी पैरोल के दौरान ठहरना चाहता है।

iii. कारागार अधीक्षक द्वारा एक पैरोल रजिस्टर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर, कारागार अधीक्षक तुरंत रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा। अधीक्षक बंदी के साथ मौखिक साक्षात्कार करके आवेदन में उल्लिखित कारणों को सत्यापित करेगा और अभिहित भूमिका में बंदी द्वारा बताए गए कारणों के संबंध में विशिष्ट सिफारिश देगा।

iv. इसके बाद कारागार अधीक्षक संबद्ध पुलिस स्टेशन, जहां एफआईआर दर्ज हुई, अंतिम ज्ञात पते और जहां बंदी ठहरना चाहता है, वहां के संबंधित पुलिस स्टेशन तथा मामले की जांच कर रही एजेंसी, यदि कोई हो, को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए आवेदन की प्रति अग्रेषित करेगा।

v. उपर्युक्त पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसी से रिपोर्ट निष्पक्ष जांच पर आधारित होगी।

vi. पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट (यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में) संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप में, पुलिस स्टेशन में उक्त आवेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

vii. यदि संबंधित पुलिस स्टेशन से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्राप्त न हो, तो कारागार अधीक्षक संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त को लिखित रूप में पत्र भेजेगा और उसकी एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन को यह अपेक्षा करते हुए भेजी जाएगी कि पत्र की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

viii. यदि किसी अन्य राज्य की पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट अपेक्षित हो तो संबंधित जिले ` संबंधित पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यह रिपोर्ट मांगी जाए। उक्त रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी द्वाा अनुसूची में निर्धारित फार्म के अनुसार पैरोल के लिए आवेदन की प्रति प्राप्त होने से दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

ix. यदि जिले के पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित पुलिस स्टेशन से दो सप्ताह के अंदर प्राप्त न हो, तो कारागार अधीक्षक पत्र प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक को लिखित रूप में पत्र भेजेगा।

x. यदि ऊपर उल्लिखित अवधि के अंदर कारागार अधीक्षक को कोई रिपोर्ट प्राप्त न हो तो यह समझ लिया जाएगा कि संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को यह पैरोल देने में कोई आपत्ति नहीं है।

xi. इसके बाद आवेदन गृह उप सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस आशय के अग्रेषण नोट के साथ तत्काल भेजा जाएगा कि चूंकि संबंधित पुलिस

प्राधिकारियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, यह समझा जाता है कि उन्हें पैरोल देने से कोई आपत्ति नहीं है और आवेदन पात्रता के आधार पर निपटाया जाए।

परन्तु यह उपबंधित है कि पैरोल के लिए आवेदन अग्रेषित करने से पहले, अधीक्षक यह सुनिश्चित करे कि यदि बंदी फरलो के लिए पात्र है तो पैरोल के लिए उसका आवदेन भेजने से पहले, फरलो पर उसकी रिहाई पर विचार किया जाए और इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ प्रमाणपत्र लगाया जाए।

1214. कारागार अधीक्षक के पास एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें यह दर्ज करने के लिए प्रविष्टियां होंगी, जहां विनिर्दिष्ट समय के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन या एसएसपी/डीसीपी, यथास्थिति से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। कारागार अधीक्षक द्वारा ऐसी प्रविष्टियों के ब्यौरे कारागार महानिरीक्षक के माध्यम से मासिक आधार पर गृह विभाग को भेजे जाएंगे ताकि यह यथास्थिति, पुलिस आयुक्त, दिल्ली अथवा संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक को आगे सूचित किया जा सके।

1215. कारागार अधीक्षक निम्नलिखित दस्तावेज के दो सैट गृह उप–सचिव को अग्रेषित करेंगे :–

I. दोषी का आवेदन;
II. पुलिस रिपोर्ट, यदि कोई हो; यदि ऊपर निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर कोई पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो पुलिस प्राधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार की प्रतियां;
III. कारागार अधीक्षक की विशेष अनुशंसा;
IV. यदि बंदी नियम 1211 के अंतर्गत आते हैं, तो अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से महानिरीक्षक (कारागार) और परिवीक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्टें व अभिमत भी प्रस्तुत करेंगे।
V. सिद्ध दोष बंदी का सामान्य विवरण जैसा कि परिशिष्ट–15 में दिया गया है;

VI. पैरोल चिकित्सा आधार पर मांगे जाने की स्थिति में दोषी की चिकित्सा रिपोर्ट;

VII. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

1216. उप सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आवेदन पत्रों की प्राप्ति और आवेदनों के अन्य ब्यौरे सहित रिकॉर्ड रखेगा।

1217. सरकार 4 (चार) सप्ताह के अंदर पैरोल के आवेदन पर निर्णय करेगी। निर्णय से कारागार अधीक्षक को सूचित किया जाएगा, जो इसे बंदी को सूचित करेगा। साथ ही, कारागार अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि आदेश की एक प्रति बंदी को दी जाती है।

1218. पैरोल स्वीकृत करने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बंदी की रिहाई के लिए आदेश कर सकता है :

I. यह कि बंदी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि की नकद जमानत देगा और एक निजी बांड निष्पादित करेगा, अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देश के अनुसार एक या अधिक प्रतिभू के साथ बांड निष्पादित करेगा।

II. यह कि बंदी सक्षम अधिकारी द्वारा अभिहित स्थान पर रहेगा और विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा।

III. यह कि बंदी अच्छा आचरण रखेगा और रिहाई की अवधि के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा।

IV. कि बंदी रिहाई की अवधि के दौरान उसके ठहरने के क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

V. कि बंदी बुरे लोगों के साथ नहीं रहेगा और न ही दुराचारी जीवन बिताएगा।

VI. कि यदि बंदी किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे कारागार में तत्काल वापस बुलाया जा सकता है।

VII. कि बंदी दी गई रिहाई अवधि समाप्त होने पर, या वापस बुलाए जाने पर कारागार अधीक्षक के समक्ष स्वयं उपस्थित हो जाएगा।

VIII. कोई अन्य शर्त, जो उचित समझी जाए।

1219. यदि दोषी आदेश की प्रति देने से चार सप्ताह के अंदर जमानतदार प्रस्तुत करने में समर्थ नही है, तो अधीक्षक, यदि दोषी द्वारा आवेदन किया गया हो, पैरोल पर पहली बार दोषी की रिहाई होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी को पैरोल की शर्त में छूट देने की सिफारिश कर सकता है अथवा यदि यह परवर्ती पैरोल आवेदन पत्र है तब अधीक्षक, व्यक्तिगत बांड और किसी अन्य उचित शर्त पर दोषी की रिहाई करेगा, परन्तु यह उपबंधित है कि दोषी ने पहले दिए गए पैरोल या फरलो की किसी शर्त का उल्लंघन नकिया हो।

फरलो

1220. एक बंदी, जिसे 5 साल या अधिक के कठोर कारावास की सज़ा मिली है और दोषसिद्धि के बाद बेदाग रिकॉर्ड के साथ 3 वर्ष का कारावास पूरा कर लिया है, वह फरलो देने के लिए पात्र हो जाता है।

1221. एक बंदी को, जैसा कि ऊपर वर्णित है, कारागार के एक साल में तीन बारी में 7 सप्ताह का फरलो दिया जा सकता है, जो एक बारी में अधिकतम तीन सप्ताह का हो सकता है।

नोट : प्रत्येक पात्र दोषी व्यक्ति को, उसके द्वारा कोई आवेदन न किए जाने के बावजूद, उसके जन्मदिन के महीने में फरलो के एक स्पेल की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वह अन्य शर्ते पूरी करता हो। यदि बंदी इस फरलो का लाभ नहीं उठाना चाहता, तो उससे इस बारे में लिखित घोषणा लेनी चाहिए।

1222. यदि बंदी जब फरलो पर रिहा है उस अवधि के दौरान अपराध करता है तब उस अवधि को बिताई गई सज़ा के रूप में नहीं गिना जाएगा।

1223. फरलो प्राप्त करने के लिए पात्र होने की दृष्टि से, बंदी को निम्नलिखित मानदंड अवश्य पूरे करने चाहिए :

I. कारगार में अच्छा आचरण और अच्छे आचरण से संबंधित पिछली 3 वार्षिक रिपोर्टों में पुरस्कार अर्जित किया हो और अच्छा आचरण बनाए रखे हुए है;

II. बंदी को आभ्यासिक अपराधी नहीं होना चाहिए;

III. बंदी भारत का नागरिक होना चाहिए।

1224. निम्नलिखित श्रेणियो के बंदी फरलो पर रिहाई के लिए पात्र नहीं होंगे :

i. देशद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया गया बंदी।

ii. ऐसे बंदी, जिसकी समाज में तत्काल उपस्थिति खतरनाक समझी जाए या अन्यथा जन शांति के लिए हानिकारक हो तथा उसके गृह विभाग के जिला मजिस्ट्रेट का आदेश हो या कोई अन्य उचित आधार हो, जैसे कि गंभीर अपराध में लिप्त होने के मामले में जांच लंबित हो।

iii. जो बंदी खतरनाक समझे जाते हैं या हमले जैसी गंभीर कारागार हिंसा, दंगा फैलाने, विद्रोह या भागने में लिप्त रहे हैं, या जो पैरोल या फरलो पर रिहाई के समय फरार हुए व पुनः गिरफ्तार किए गए या जो उसके आचरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किए अनुसार कारागार अनुशासन का गंभीर उल्लंघन करते पाए गए हैं।

iv. दोषी ठहराए गए विदेशी।

v. मानसिक रोग से पीड़ित बंदी, यदि उसका ठीक हो जाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित न हो।

नोट : (1) सह–अभियुक्त सिद्ध दोषियों को साधारणतया साथ–साथ फरलो की अनुमति नहीं है। परन्तु, यदि सह–अभियुक्त बंदी एक ही परिवार के सदस्य हों, तो केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में साथ–साथ रिहाई पर विचार किया जा सकता है।

(2) यदि उच्च न्यायालय के समक्ष दोषी की अपील विचारधीन है, या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, फरलो नहीं दिया जाएगा और यह दोषी की इच्छा पर होगा कि न्यायालय से उचित निर्देश प्राप्त करे।

1225. यह कि जो बंदी पोक्सो अधिनियम के अधीन, बलात्कार के बाद हत्या का दोषी है, एक मामले या कई मामलों में कई हत्याओं के लिए, हत्या के साथ डकैती और फिरौती के लिए अपहरण के बाद हत्या का दोषी है, ऐसे बंदी पर सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नांकित मानदंड के आधार पर विचार किया जा सकता है :–

(i) कारागार उपमहानिरीक्षक (रेंज) उक्त मामले पर विचार करने के लिए विशिष्ट सिफारिश करेगा।

(ii) ऐसे फरलो आवेदन पर निर्णय लेते समय समाज कल्याण/परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट/सिफारिश पर विचार किया जाएगा।

(iii) ऊपर पैरा 1221 से 1223 में उल्लिखित शर्तों/नियमों के आधार पर ऐसी श्रेणी के लिए फरलो की बारी (स्पैल) निम्नानुसार होगी :

(क) पात्रताओं के पहले वर्ष में 3 सप्ताह की केवल एक बारी।

(ख) पात्रता के लिए दूसरे कारावास वर्ष में फरलो की केवल दो बारी, एक 3 सप्ताह के लिए और दूसरी 2 सप्ताह के लिए।

(ग) परवर्ती वर्षों में अन्य सभी दोषियों की तरह फरलो की तीन बारी।

आवेदनपत्रों के निपटान की प्रक्रिया

1226 फरलो के आवेदन पर कार्रवाई करते समय और उसके बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :

i. फरलो की अनुमति के लिए आवेदनपत्र बंदी या परिवार सदस्यों द्वारा कारागार अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाए;

ii. आवेदनपत्र में निम्नलिखित ब्यौरे होने चाहिए :

1. आवेदक का नाम;
2. आवेदक के पिता का नाम;
3. आवेदक का पता;
4. यदि आवेदन परिवार सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो दोषी के साथ रिश्ते का ब्यौरा;

5. क्या दोषी का कोई अन्य आवेदन पैरोल या फरलो के लिए लंबित है;
6. दोषी का अंतिम पुष्ट पता; और
7. फरलो मांगने के कारण।
8. प्रस्तावित पता जहां दोषी फरलो के दौरान ठहरना चाहता है।

iii. कारागार अधीक्षक द्वारा एक फरलो रजिस्टर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर, कारागार अधीक्षक तुरंत रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा। अधीक्षक बंदी के साथ मौखिक साक्षात्कार करके आवेदन में उल्लिखित कारणों को सत्यापित करेगा औरनोमिनल रोलमें बंदी द्वारा बताए गए कारणों के संबंध में विशिष्ट सिफारिश देगा।

iv. कारागार अधीक्षक तब उस संबंधित पुलिस स्टेशन को, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, अंतिम ज्ञात पते और जहां वह ठहरना चाहता है, वहां के संबंधित पुलिस स्टेशन तथा मामले की जांच एजेंसी को, यदि हो, अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए आवेदन की प्रति अग्रेषित करेगा।

v. उपर्युक्त पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसी से रिपोर्ट निष्पक्ष जांच पर आधारित होगी।

vi. पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट (यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में) संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट फार्मेट में, पुलिस स्टेशन में उक्त आवेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

vii. यदि संबंधित पुलिस स्टेशन से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्राप्त न हो, तो कारागार अधीक्षक संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त को लिखित रूप में पत्र भेजेगा और उसकी एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन को यह अपेक्षा करते हुए भेजी जाएगी कि पत्र की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

viii. यदि किसी अन्य राज्य की पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट अपेक्षित हो तो संबंधित जिले ` संबंधित पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यह रिपोर्ट मांगी जाए। उक्त रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी द्वाा अनुसूची में निर्धारित फार्म के अनुसार फरलो के लिए आवेदन की प्रति प्राप्त होने से दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

ix. यदि जिले के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित स्टेशनों से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट प्राप्त न हो, तो कारागार अधीक्षक पत्र प्राप्त होने की तारीख से 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधितराज्यों के पुलिस महानिदेशक को लिखित रूप में पत्र भेजेगा।

x. यदि ऊपर उल्लिखित अवधि के अंदर कारागार अधीक्षक को कोई रिपोर्ट प्राप्त न हो तो यह समझ लिया जाएगा कि संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को यह फरलो देने में कोई आपत्ति नहीं है।

xi. इसके बाद आवेदन इस आशय के अग्रेषण नोट के साथ तत्काल सक्षम प्राधिकरण को भेजा जाएगा कि चूंकि संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, यह समझा जाता है कि उन्हें फरलो देने में कोई आपत्ति नहीं है और आवेदन गुण–दोष आधार पर निपटाया जाए।

1227 कारागार अधीक्षक सक्षम अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज दो सैट में अग्रेषित करेंगे :

i. दोषी का आवेदन;

ii. पुलिस रिपोर्ट, यदि कोई हो; यदि ऊपर निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर कोई पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो पुलिस प्राधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार की प्रतियां;

iii. कारागार अधीक्षक की विशिष्ट सिफारिश;

iv. यदि दोषी नियम 1225 के अंतर्गत आते हैं, तो अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से

उप–महानिरीक्षक (कारागार) और परिवीक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्टें व अभिमत भी प्रस्तुत करेंगे।

v. बंदी का सामान्य विवरण जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है;

vi. कोई अन्य अपेक्षित दस्तावेज।

1228. फरलो के लिए सक्षम अधिकारी कारागार महानिरीक्षक होंगे और गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को तिमाही सूचना भेजी जाएगी।

1229. कारागार अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि फरलो के लिए आवेदन पत्र सभी चैनलों से 4 (चार) सप्ताह के अंदर निपटाया जाता है। कारागार अधीक्षक द्वारा निर्णय आदेश की प्रति के साथ दोषी को सूचित किया जाएगा।

1230. फरलो स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बंदी की रिहाई के लिए आदेश कर सकता है :

i. यह कि बंदी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि की नकद जमानत देगा और एक व्यक्तिगत बांड निष्पादित करेगा, अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देश के अनुसार एक या अधिक जमानतदार के साथ बांड निष्पादित करेगा।

ii. यह कि बंदी सक्षम अधिकारी द्वारा नामित स्थान पर रहेगा और विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा।

iii. यह कि बंदी अच्छा आचरण करेगा और रिहाई की अवधि के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. यह कि बंदी रिहाई की अवधि के दौरान उसके ठहरने के क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

v. यह कि बंदी न तो बुरे लोगों से जुड़ेगा और न ही भ्रष्ट आचरण करेगा।

vi. यह कि यदि बंदी किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे कारागार में तत्काल बुलाया जा सकता है।

vii. कि बंदी दी गई रिपोर्ट अवधि समाप्त होने पर, या वापस बुलाए जाने पर कारागार अधीक्षक के समक्ष स्वयं उपस्थित हो जाएगा।

viii. कोई अन्य शर्त जो उचित समझी जाए।

1231. यदि दोषी आदेश की प्रति देने से चार सप्ताह के अंदर जमानतदार प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है, तो अधीक्षक, यदि दोषी द्वारा आवेदन किया गया हो, फरलो पर पहली बार दोषी की रिहाई होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी को फरलो की शर्त में छूट देने की सिफारिश कर सकता है। अथवा यदि यह परवर्ती फरलो आवेदन पत्र है तब अधीक्षक व्यक्तिगत बांड और किसी अन्य उचित शर्त पर दोषी की रिहाई करेगा।

1232. फरलो पर रिहा किया जा रहा बंदी यदि किसी अन्य राज्य से संबंध रखता है तो उस राज्य के स्थानीय पुलिस स्टेशन को ऐसे रिहा किए गए बंदी की निगरानी रखने का अनुरोध किया जाएगा।

1233. महानिरीक्षक पैरोल/फरलो देने के सभी मामलों/आवेदनपत्रों पर कार्रवाई के संबंध में कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस रखने के प्रयास करेंगे।

विविध

1234. पैरोल/फरलो को स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश में किए जाने वाले कारणों के लिए, सक्षम अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण–दोषों के आधार पर रिहाई की अवधि का निर्णय करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होना पैरोल या फरलो आवेदनपत्र की अस्वीकृति का आधार नहीं रहेगा।

1235. पैरोल या फरलो के आवेदन का निपटान करते समय, सक्षम अधिकारी एक ओर तो दोषी का व्यवहार व विश्वसनीयता देखेगा और साथ ही यह भी विचार करेगा कि पैरोल या फरलो दिए जाने पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकारी निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा और यदि आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है तो कारण बताएगा।

1236. सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर, कारागार अधीक्षक की अपेक्षा के अनुसार बंदी द्वारा आवश्यक बांड निष्पादित किए जाने और रिहाई की शर्तों पर हस्ताक्षर करने के बाद बंदी को पैरोल या फरलो पर रिहा किया जा कता है। रिहा करते समय

बंदी को एक पहचानपत्र और पैरोल या फरलो पर रिहाई का प्रमाणपत्र दिया जाए।

1237. कारागार में निर्धारित फार्म में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें पैरोल या फरलो पर बंदियों की रिहाई से संबंधित सभी ब्यौरे रखे जाएंगे। जहां भी रिकॉड का कम्प्यूटरीकरण हो गया है, यह रिकॉर्ड कम्प्यूटर में भी रखा जाएगा। बंदी का रिकॉर्ड अद्यतन करके नियमित आधाार पर बंदियो को पैरोल या फरलो पर रिहाई के संबंध में उनकी पात्रता व अधिकार से अवगत रखा जाएगा।

1238. कारागार से पैरोल/फरलो पर बंदी की रिहाई के बाद, उसके ठहरने के स्थान तक जाने और वापस आने के खर्च सहित पूरा खर्च बंदी वहन करेगा।

1239. पैरोल या फरलो पर अवधि से अधिक ठहरने के लिए बंदी को दंडित किया जाएगा चूंकि पैरोल या फरलो पर अवधि से अधिक ठहरना बंदी की ओर से कदाचार माना जाएगा और पैरोल व फरलो नियमों की शर्तों के उल्लंघन के लिए कारावास अपराध समझा जाएगा तथा कारा़गार अनुशासन के अध्याय में प्रावधान के अनुसार कारावास अपराध के लिए दंडित किया जाएगा और बंदी को धारा 224 आईपीसी के अधीन अपराध किया समझा जाएगा व सरकार की स्वीकृति से मुकदमा भी चलाया जाएगा। फरलो के अवधि से अधिक ठहरने के प्रत्येक मामले में कारगार अधीक्षक प्रत्येक ऐसा तथ्य मूल्यांकन की दृष्टि से महानिरीक्षक (कारागार) की जानकारी में लाएंगे। बिताई गई अवधि, शर्तों का उल्लंघन होने पर, सज़ा के हिस्से के रूप में नहीं गिनी जाएगी।

1240. बंदी को दोषी के रूप में प्रवेश देने के समय, बंदी को एक पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें वर्तमान नियम होंगे। उक्त पुस्तिका अंग्रेजी/हिंदी दोनो भाषाओं में उपलब्ध होगी। यदि दोषी न अंग्रेजी जानता हो न हिंदी तो विषयवस्तु को स्पष्ट करने के लिए उचित सहायता दी जाएगी।

1241. महानिरीक्षकऐसे दोषियो के सभी मामले, जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरे कैलेंडर वर्ष में पैरोल या फरलो नहीं लिया है, सरकार के विचारार्थ भेजेगा। सरकार उन मामलों में

पैरोल देने पर विचार कर सकती है, जिनमें वे पात्रता मानदंड पूरे करते हों।

1242. साधारणतया, सभी पात्रता शर्तें पूरी करने वाले दोषी को एक कारागार वर्ष में 15 सप्ताह के पैरोल/फरलो से अधिक का लाभ लेने की अनुमति न दी जाए और कारागार अधीक्षक इसे सुनिश्चित करेगा।

1243. कारागार प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि पैरोल या फरलो से संबंधित सभी पत्राचार ई–आफिस के माध्यम से किया जाएगा।

अध्याय – 20
समय–पूर्व रिहाई

1244 अवधि पूरी होने से पहले रिहा करने के पीछे प्रमुख लक्ष्य अपराधियों का सुधार और पुनर्वास करना तथा उन्हें समाज के साथ एकीकृत करना है। परंतु, साथ ही आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। ये दोनों पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं और इन दोनों के साथ कारागार में रहते हुए कैदियों का आचरण, व्यवहार और कार्य निष्पादन भी जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें कैदियों की पुनर्वास क्षमता पर असर डालती हैं और माफी के कारण उनकी रिहाई की संभावना बनती है अथवा किसी आदेश के जरिए उनकी समय पूर्व रिहाई को मंजूरी दी जाती है। कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि वे अब कोई हानि पहुंचाने वाले नहीं रह गए हैं और अब वे सभ्य समाज का उपयोगी सदस्य बनने के पात्र बन गए हैं।

1245 कैदियों की समय पूर्व रिहाई निम्नांकित 4 प्रकार की हो सकती है :–

- I. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 के अंतर्गत सरकार द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों अथवा अन्य दोषियों की सज़ा का लघूकरण।
- II दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी बंदी की सज़ा में छूट।
- III भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 अथवा अनुच्छेद 161, जो भी लागू हो, के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सज़ा माफी का आदेश पारित किया जाना।
- IV सरकार द्वारा अधिनियमित किसी विशेष कानून के प्रावधान के तहत अच्छे आचरण वाले कैदियों को सज़ा की अवधि का एक हिस्सा पूरा करने के बाद समय पूर्व रिहा किया जाना।

1246. आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में इस अध्याय में उपरोक्त 1245(i) और (ii) के अंतर्गत निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जा सकता है।

सज़ा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) का गठन

1247. सरकार एक सज़ा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) का गठन करेगी, जो आजीवन कारावास की सज़ा पाए दोषियों की समय पूर्व रिहायी की अनुशंसा करेगा। यह अनुशंसा एक निकाय द्वारा की जाएगी, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे और जिसे समय–समय पर सरकार द्वारा पुनर्गठित किया जा सकता है :–

क) कारागार का प्रभारी मंत्री – अध्यक्ष

ख) प्रधान सचिव (गृह), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार – सदस्य

ग) प्रधान सचिव, विधि न्याय और विधायी कार्य, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार – सदस्य

घ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली – सदस्य

ङ) कारागार महानिरीक्षक, दिल्ली – सदस्य सचिव

च) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मुख्य परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के साथ समाज कल्याण विभाग का निदेशक– सदस्य

छ) पुलिसआयुक्त द्वारा नामित पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी जो विशेष पुलिस आयुक्त के रैंक से कम न हो – सदस्य

यदि कारागार का प्रभारी मंत्री उपलब्ध न हो, तो प्रधान सचिव (गृह) अध्यक्ष होगा।

कोरम

1248. बोर्ड का एक या अधिक सदस्य बैठक में शामिल न हो पाने अथवा बोर्ड में कोई पद रिक्त होने की स्थिति में भीसज़ा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) के समक्ष लाए गए मामलों पर विचार किया जाएगा। कोरम में अध्यक्ष सहित चार सदस्य शामिल होंगे और सज़ा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) कोरम पूरा न होने की स्थिति में कोई निर्णय नहीं करेगा। परन्तु, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम प्रधान सचिव (विधि) अथवा दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरम में अवश्य शामिल हों।

एसआरबी की बैठकों की आवधिकता

1249. सज़ा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक अधिसूचित स्थान पर 3 महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी, जिसकी तारीख की सूचना सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को कम से कम 10 दिन अग्रिम दी जाएगी। बोर्ड की बैठक के नोटिस के साथ पूर्ण कार्यसूची दस्तावेज भेजे जाएंगे।

1250. परंतु, एसआरबी का अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर अधिक संख्या में और संक्षिप्त नोटिस पर बोर्ड की बैठकें बुला सकता है।

समय–पूर्व रिहाई के लिए पात्रता

1251 आजीवन कारावास की सज़ा से गुजर रहा कोई भी सिद्ध दोषबंदी चाहे वह पुरुष हो या महिला, और जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433–ए के प्रावधानों के अंतर्गत आता हो, अपनी वास्तविक सज़ा अर्थात् छूट रहित सज़ा के 14 वर्ष पूरे करने पर पूर्व समय–पूर्व मुक्त किए जाने के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा। परंतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि कारागार में 14 वर्ष की अवधि पूरे करने मात्र से कोई दोषी स्वतः कारागार से मुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा और सज़ा समीक्षा बोर्ड को यह अनुशंसा करने का विवेकाधिकार होगा कि वह सभी मामलों में उन परिस्थितियों, जिनमें अपराध किया गया था, और निम्नांकित तरह के अन्य सम्बद्ध घटकों पर विचार करते हुए उचित समय पर ऐसे बंदी को समय–पूर्व मुक्त करने की अनुशंसा करे :–

क) क्या 14 वर्ष के कारावास के दौरान दोषी व्यक्ति समग्र आचरण पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति समाप्त हो गई है।

ख) अपराधी में सुधार के जरिए समाज का उपयोगी सदस्य बनने की कितनी संभावना है, और

ग) अपराधी के परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति।

1252 आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोष सिद्ध कैदियों की कुछ श्रेणियां जो छूट की अवधि सहित 20 वर्ष की सज़ा काट रही हों, को समय पूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने की पात्र समझा जाएगा, परंतु उन्होंने वास्तविक कारावास के कम से कम 14 वर्ष पूरे कर लिए हों। इस सिलसिले में निम्नांकित श्रेणियां उल्लेखनीय हैं :–

क) ऐसे अपराधी जिन्हें बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध के साथ हत्या, दहेज के लिए हत्या, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हत्या, एक से अधिक संख्या में हत्याएं, दोष सिद्धि के बाद कारावास में हत्या, पैरोल या फरलो के दौरान हत्या, किसी आतंकी घटना में हत्या, तस्करी के अभियान के दौरान हत्या, ड्यूटी पर तैनात किसी लोक सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई हो।

ख) गैंगस्टर्स, कांट्रेक्ट किलर्स, तस्कर, मादक पदार्थों के तस्कर, रैकेटियर्स, और पूर्व निश्चय और असाधारण हिंसा या विकृति के साथ हत्या करने वाले और हत्याओं के लिए उकसाने जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास के सज़ायाफ्ता।

ग) ऐसे दोषी, जिनकी मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया हो।

1253 अन्य सभी दोषी पुरुष बंदी, जो सीआरपीसी की धारा 433ए में कवर न होते हों, और आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हों, वे समय–पूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने के पात्र

तभी समझे जाएंगे, जब उन्होंनेछूट की अवधि सहित कम से कम 14 वर्ष की सजा पूरीकर ली हो परंतु, उन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब उन्होंने बिना छूट के 10 वर्ष का वास्तविक कारावास पूरा कर लिया हो।

1254 महिला बंदी जो सीआरपीसी की धारा 433ए में कवर न होती हों, और आजीवन कारावास की सज़ा काट रही हों, वे समय–पूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने की पात्र तभी समझी जाएंगी, जब उन्होंनेछूट की अवधि सहित कम से कम 10 वर्ष की सजा पूरीकर ली हो परंतु, उन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब उन्होंने बिना छूट के 7 वर्ष का वास्तविक कारावास पूरा कर लिया हो।

1255 आजीवन कारावास की सज़ा काट रहेव्यक्तियों के मामले, जिनमें 14 वर्ष के वास्तविक कारावास की सज़ा पूरी न की गई हो, बीमारी के अंतिम दौर या वृद्धावस्था आदि के आधार पर समय पूर्व रिहाई हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के प्रावधानों के तहत विचार किए जा सकते हैं।

कार्य विधि

1256 आजीवन कारावास के सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के सभी ऐसे मामलों में, जो इन नियमों के तहत एसआरबी द्वारा विचार किए जाने के पात्र हों, निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः–

I. आजीवन कारावास की सज़ा पाए कैदियों की समय पूर्व रिहाई की पात्रता के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार किसी बंदी के समय पूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने का पात्र बनने से कम से कम तीन महीने पहले कारागार का प्रभारी अधीक्षक उसके मामले की शुरुआत करेगा।

II. कारागार अधीक्षक प्रत्येक बंदी के बारे में एक व्यापक नोट तैयार करेगा, जिसमें मामले के रिकॉर्ड के अनुसार उसके परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया और सज़ा दी गई तथा परिस्थितियां, जिनमें अपराध किया गया, का वर्णन होगा। अधीक्षक कारावास की अवधि के दौरान कारागार में और परिवीक्षा/अवकाश पर उसकी रिहाई

के दौरान बंदी के आचरण और व्यवहार, उसके व्यवहार में बदलाव की प्रवृत्तियों और उसके द्वारा कारावास के दौरान किए गए अपराधों की स्थिति, यदि कोई हो, और ऐसे अपराधों के लिए उसे दी गई सज़ा जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालेगा। उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य या कोई गंभीर बीमारी, जिससे बंदी पीड़ित हो, और जो उसे एक विशेष मामले के रूप में समय पूर्व रिहाई का पात्र बनाती हो, के बारे में एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। तत्संबंधी नोट में अधीक्षक की अनुशंसा अवश्य शामिल होनी चाहिए कि वह बंदी की समय पूर्व रिहाई के पक्ष में है अथवा नहीं। किसी भी स्थिति में ऐसी अनुशंसा के समर्थन में पर्याप्त कारण दिए जाने चाहिए।

III. कारागार अधीक्षक उस जिले के पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक को एक रेफ्रेंस भेजेगा, जहां उस अपराध को अंजाम देने के समय बंदी सामान्य रूप से निवासी रहा हो, जिसके लिए उसे दोषी सिद्ध किया गया और सज़ा दी गई, अथवा जहां उसके कारागार से रिहा होने के बाद बसने की संभावना हो। परतु, अपराध को अंजाम देते समय बंदी का सामान्य निवास यदि अपराध को अंजाम देने के स्थान से भिन्न होगा, तो यह रेफ्रेंस उस जिले के पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा, जहां अपराध को अंजाम दिया गया हो। दोनों ही स्थितियों में वह अपने द्वारा तैयार किए गए उस नोट की एक प्रति भी पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक को भेजेगा, जिसमें बंदी को समय पूर्व रिहा करने की वांछनीयता के बारे में उसके विचार व्यक्त किए गए हों।

IV. रेफ्रेंस प्राप्त होने पर, सम्बद्ध पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक समुचित रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से मामले की जांच कराएगा और स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगा।

सिफारिशें करते समय पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक मैकेनिकली काम नहीं करेगा, और अपुष्ट और परिकल्पित कारणों/आशंकाओं के आधार पर बंदी की समय पूर्व रिहाई का विरोध नहीं करेगा। यदि सम्बद्ध पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक बंदी की समय पूर्व रिहाई के पक्ष में न हो, तो वह अकाट्य कारणों और सामग्री के आधार पर अपने विचार को न्यायोचित ठहराएगा। वह सम्बद्ध कारागार अधीक्षक के रेफ्रेंस को उसके प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 30 दिन के भीतर लौटाएगा।

V. कारागार अधीक्षक मुख्य प्रोबेशन अधिकारी को भी रेफ्रेंस भेजेगा और अपने नोट की प्रति अग्रसारित करेगा। रेफ्रेंस प्राप्त होने पर मुख्य प्रोबेशन अधिकारी बंदी की समय पूर्व रिहाई की वांछनीयता के बारे में जांच करेगा अथवा किसी प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से जांच कराएगा, जिसमें बंदी के परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके परिवार के सदस्यों और समाज द्वारा उसकी स्वीकार्यता, बंदी के पुनर्वास और एक अच्छे नागरिक के रूप में सार्थक जीवन जीने की संभावनाओं जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। वह मैकेनिकली काम नहीं करेगा और समय पूर्व रिहाई के बारे में प्रत्येक और हर एक संभावना के बारे में अनुशंसा करेगा। किसी भी स्थिति में उसे अपनी अनुशंसा को महत्वपूर्ण कारणों के आधार पर न्यायोचित ठहराना चहिए। मुख्य परिवीक्षा अधिकारी रेफ्रेंस प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 30 दिन के भीतर अनुशंसाओं के साथ अपनी रिपोर्ट को कारागार अधीक्षक को लौटाएगा।

VI. पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक और मुख्य प्रोबेशन अधिकारी की अनुशंसाओं की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कारागार अधीक्षक सज़ा समीक्षा बोर्ड की प्रस्तावित बैठक से कम से कम एक महीना पहले मामले को महानिरीक्षक के समक्ष पेश करेगा। महानिरीक्षक मामले

की पड़ताल करेगा और ऐसा करते समय वह कारागार अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक और मुख्य प्रोबेशन अधिकारी की अनुशंसा रिपोर्टों को ध्यान में रखेगा। वह सज़ा समीक्षा बोर्ड के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य या विशेष दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बंदी की समय पूर्व रिहाई के बारे में अपनी अनुशंसाएं देगा। वह कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए मानदंडों और दिशा–निर्देशों पर भी विचार करेगा।

1257 मामलों की समीक्षा करते समय और सक्षम प्राधिकारी को अपनी अनुशंसाएं करते समय बोर्ड निम्नांकित प्रक्रिया और दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेगा :

क) महानिरीक्षक, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के साथ सज़ा समीक्षा बोर्ड की बैठक बुलाएगा, जिसकी तारीख और समय की अग्रिम सूचना अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को निर्धारित बैठक से कम से कम 10 दिन पहले दी जाएगी और सूचना के साथ सभी कार्यसूची दस्तावेज भेजे जाएंगे, जैसे कारागार अधीक्षक का नोट, पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, मुख्य प्रोबेशन अधिकारी और कारागार महानिरीक्षक की अनुशंसाएं, दस्तावेज की प्रतियां, यदि कोई हों।

ख) बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और यदि किसी कारणवश वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव (गृह) द्वारा की जाएगी। सदस्य सचिव (कारागार महानिरीक्षक) सजा समीक्षा बोर्ड के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक बंदी के मामले को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड मामले पर विचार करेगा और निर्णय करेगा। जहां तक व्यवहार्य हो, सज़ा समीक्षा बोर्ड सर्वसम्मत सिफारिश का प्रयास करेगा। परंतु, असहमति होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय माना जाएगा और उसे बोर्ड का निर्णय समझा जाएगा। यदि प्रस्ताव के पक्ष–विपक्ष में

बोर्ड के सदस्यों की समान संख्या हो, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। परन्तु विरोध करने वाले सदस्यों के विचार रिकॉर्ड किए जाने चाहिए।

ग) किसी बंदी विशेष के समय पूर्व रिहा करने के मामले पर विचार करते समय बोर्ड सरकार या अदालतों द्वारा आम माफी/सज़ा कम करने के बारे में निर्धारित सामान्य सिद्धांतो और इस मामले में पूर्ववर्ती उदाहरणों को ध्यान में रखेगा। सज़ा समीक्षा बोर्ड के समक्ष प्रमुख लक्ष्य बंदी और बृहत्त समाज का कल्याण होगा। बोर्ड सामान्यतः किसी बंदी को समय पूर्व रिहा करने से मात्र इस आधार पर इन्कार नहीं करेगा, कि पुलिस ने उसे रिहा करने की अनुशंसा नहीं की है। बोर्ड उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनमें बंदी ने अपराध को अंजाम दिया और यह भी देखेगा कि क्या उसकी प्रवृत्ति समान या अन्य अपराध फिर से करने की है।

घ) समय पूर्व रिहा करने के किसी बंदी के मामले को सज़ा समीक्षा बोर्ड द्वारा एक या अधिक बार ठुकराए जाने को उसके मामले को फिर से विचार करने के मार्ग में रुकावट नहीं समझा जाएगा। परंतु, किसी दोषी के पहले रद्द किए गए मामले पर पुनर्विचार, उसके पिछली बार विचार किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाएगा। यह निर्धारित किया गया है कि किसी दोषी व्यक्ति के समय पूर्व रिहा करने के मामले का निर्णय लिखित आदेश के रूप में पढ़ कर सुनाया जाए।

ङ) सज़ा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश अविलंब सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ रखी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी सज़ा समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या निर्दिष्ट आधारों पर रद्द कर सकता है अथवा किसी खास मामले में एसआरबी को फिर से विचार करने को कह सकता है। सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की जानकारी सम्बद्ध बंदी को दी जाएगी और

यदि सक्षम प्राधिकारी ने सज़ा में छूट मंजूर करने का आदेश दिया हो, और उसे समय पूर्व रिहा करने का आदेश दिया हो, तो बंदी को तत्काल बिना शर्त अथवा सशर्त रिहा कर दिया जाएगा।

शर्तों का उल्लंघन

1258 यदि कोई दोषी व्यक्ति किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, तो उससे निम्नांकित तरीके से निपटा जाएगा :–

I. एसआरबी द्वारा अनुशंसा किए जाने और सरकार द्वारा रिहा किए जाने की मंजूरी के बकाया रहते, यदि कोई दोषी कारागार से रिहा किए जाने से पहले कारागार में कोई अपराध करता है अथवा तत्समय प्रचलित किसी कानून के तहत कोई अपराध करता है, तो उसके मामले को सरकार से वापस लेने के लिए एसआरबी की अगली बैठक में फिर से विचार किया जाएगा, अथवा यदि सरकार द्वारा उसके मामले का अनुमोदन कर दिया गया होगा, तो एसआरबी की अगली बैठक में उसके मामले पर विचार केवल सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

II. यदि कैद से रिहा किया जा रहा कोई दोषी व्यक्ति रिहा किए जाने की किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत अपराध करता है, तो उसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मूल सज़ा भुगतने के लिए फिर से कारागार भेज दिया जाएगा।

मामलों की निगरानी

1259 कारागारों में सज़ा काट रहे सभी कैदियों का कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि उनके मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके और ऐसा करना प्रत्येक कारागार और कारागार मुख्यालयों तथा सरकार के गृह अथवा कारागार विभाग के लिए अत्यंत वांछनीय होगा। निगरानी प्रणाली निम्नांकित दिशा–निर्देशों पर आधारित होनी चाहिए :

I. प्रत्येक बंदी के मामले में एकल फाइल प्रणाली होनी चाहिए। ऐसी फाइलों का रख–रखाव कारागार संस्थान में किया जाएगा।

II. इस फाइल में किसी बंदी की किसी भी आधार पर समय पूर्व रिहाई के बारे में पिछली बार किए गए विचार और मामले के पुनर्विचार की तारीख का उल्लेख होना चाहिए।

III. प्रत्येक बंदी की समय पूर्व रिहाई के चरण के बारे में सूचना का पूरा रिकॉर्ड कम्प्यूटरों में और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रजिस्टर में रखा जाएगा।

IV. सभी मामलों की निगरानी कारागार के स्तर पर हर महीने और कारागार मुख्यालय के स्तर पर हर तीन महीने बाद की जाएगी।

अध्याय 21
कारागार अनुशासन

1260 कारागार अनुशासन उस गतिशील एवं पारस्परिक मानवीय प्रणाली की मूल प्रेरक शक्ति है जिसे सुधार प्रक्रिया कहा जाता है। कोई अपराधी इस प्रकिया से गुजर कर ही सुधरता है और कानून का पालन करने वाले और प्रतिष्ठितनागरिक का गौरव प्राप्त करता है। इस तरह रिहाई के बाद वह आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्यधारा में सही स्थान प्राप्त कर सकता है।

1261 बंदीको छूटने के बाद समाज से आम तौर पर उदासीनता और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इस तरह के तिरस्कार और घृणा से अपराधी और समाज के बीच की खाई और भी गहरी हो जाती है। इससे अपराधी वापस अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है और वहां से फिर हिरासत का वही दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है। बार–बार अपराध करने की यही प्रक्रिया है। सुधार कार्य का उद्देश्य अपराधी और समाज की मुख्य धारा के बीच की खाई को पाटना है।

1262 कारागार का अनुशासन सुधारात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए न कि प्रतिशोधात्मक और दमनात्मक। यह इस भावना से किया जाना चाहिए कि इससे अपराधी में जीवन और मानवता के बुनियादी जीवन–मूल्यों और सद्गुणों का विकास हो।

1263 कारागार अनुशासन सभी कारागार कर्मियों की साझा जिम्मेदारी है जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपराधी को सुधार की दिशा में ले जाएंगे।

1264 कारागार अनुशासन के तहत कारागार में त्रुटिहीन सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि बंदियों की हिफाजत और कुशलता को कोई नुकसान न होने पाए।

1265 कारागार अनुशासन के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है कि परिसर में साफ–सुथरा माहौल रहे जो संस्कृति, साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य के लिए अनुकूल होता है।

1266 कारागार अनुशासन को मजबूत किया जाना चाहिए औरनिम्नांकित के जरिए उसके मानवीय पक्ष को उजागर किया जाना चाहिए:

1. बंदियों की मुसीबतों की सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण समझ के साथ–साथ ऐसा फालो अप दिशानिर्देश एवं परामर्श जो उनका भावनात्मक सहारा बन सके। परामर्श बंदी के मन में निराशा की भावना की रोकथाम का काम भी करता है।

2.सुपात्र बंदियों के लिए प्रोत्साहनों और पुरस्कारों की ऐसी प्रणाली शुरू करना जिससे वे सुधार के मार्ग पर तेजी से प्रगति करें।

3. अधीक्षक, उपाधीक्षक और अन्य कारागार कर्मियों का ऐसा अनुकरणीय आचरण जिससे बंदियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का व्यापक प्रोत्साहन मिले और समूचे समाज को भविष्य के लिए बेहतर स्थान बन सके।

क्षेत्र विस्तार

1267 कारागार अनुशासन में बंदी जीवन के तमाम पहलू शामिल होंगे, जैसे :

1. अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुशासन,
2. कार्य का अनुशासन,
3. उचित व्यवहार का अनुशासन,
4. शिक्षा और सीखने का अनुशासन, और
5. जीवन के सुन्दर पक्षों में रुचि का अनुशासन।

प्रतिबंधित वस्तुएं

1268 वे सभी वस्तुएंजो यहां इसके बाद दी जा रही सूची में, किसी भी विवरण में,निर्दिष्ट अथवा शामिल हों, अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत प्रतिबंधित होंगी:

(क) तम्बाकू से बनी तमाम वस्तुएं, जैसे पान मसाला आदि;

(ख) स्पोर्ट्स शूज।(टखने तक के जिनमें स्पंज की पैडिंग हो जिन्हें प्रतिबंधित वस्तुएं छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो);

(ग) हर प्रकार की मदिरा, नशा पैदा करने वाली और खतरनाक किस्म की सभी दवाएं, जहरीले पदार्थ और तरल

अथवा ठोस रूप में किसी भी प्रकार के रसायन या वस्तुएं जैसे गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थ।

(घ) सभी प्रकार के विस्फोटक, हथियार, गोली–बारूद और औजार, चाकू तथा काटने में काम आने वाले हर प्रकार के औजार और ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग किसी भी तरह के हथियार के रूप में किया जा सकता हो।;

(ङ) सभी प्रकार की बहुमूल्य धातुएं, सिक्के, धातु, आभूषण, गहने, गॉगल्स, करेंसी नोट, प्रतिभूतियां और किसी भी प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं;

(च) डोरी, रस्सी, चेन, बैल्ट और तमाम वस्तुएं जिनको डोरियों या रस्सियों या किसी भी प्रकार की चेन का रूप दिया जा जा सकें;

(छ) लैपटाप, डैस्क टाप, आई–पैड, टेब्लेस्ट्स,/फैब्लेट्स, सैल फोन, चार्जर बैटरी, सिम–कार्ड, डेटा कार्ड, वायरलैस या दूरसंचार का कोई अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, जबतक कि पुलिस महानिरक्षक (पी) ने सरकारी काम के लिए इसकी इजाजत न दी हो।

(ज) ताश के पत्ते या जुआ खेलने के अन्य साधन;

(झ) टेप रिकार्डर, टाइपराइटर और अन्य उपकरण जिनका दुरपयोग करने की आशंका हो;

(ञ) पहनने के वस्त्र जो डेनिम या इसी तरह के मोटे/भारी कपड़े के बने हों;

(ट) किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन;

(ठ) किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु जो कारागार प्रशासन द्वारा न जारी किया गया हो या अधीक्षक ने जिसे कारागार में रखने अनुमति न दी हो;

(ड) महानिरीक्षक द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित कोई भी अन्य वस्तु/चीज।

लेकिन प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महानिरीक्षक या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकार प्रदत्त कोई भी अन्य अधिकारी, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप

में दर्ज हों, किसी वस्तु के बारे में इन बातों की इजाजत दे सकता है:

(अ) किसी कारागार में लाने;

(आ) किसी कारागार से हटाने।

इस नियम के प्रावधान, नियमों में विशेष रूप से उपबंधित के सिवाय, बंदियों, कारागार अधिकारियों, आगन्तुकों और कारागार में प्रवेश करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति सहित, सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

कारागार के अपराध और सजा

1269 बंदियों के ये कृत्य कारागार अपराध माने जाएंगे;

1. जानबूझकर या लापरवाही से किये गये किसी कृत्य से कारागार की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरे में डालना जिसमें कारागार की दीवारों, भवन, सींखचों, तालों और चाबियों, लैम्प या लाइटों, या किसी भी अन्य सुरक्षा और हिफाजत के उपाय के साथ छेड़छाड़ शामिल है।
2. कोई भी ऐसा कार्य जो अन्य बंदियों के मन में अनावश्यक रूप से खतरे का संकेत उत्पन्न करने के इरादे से किया गया हो।
3. अपने आप को बीमार, जख्मी या अक्षम करने के इरादे से किया गया कोई कृत्य या एसे कृत्य को करने से चूक जाना।
4. किसी भी कारागार अपराध को करने की सूचना देने में चूक जाना।
5. कानून और व्यवस्था तथा कारागार का अनुशासन भंग करना।
6. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कारागार अपराध को करने की साजिश रचना, ऐसा करने को प्रेरित करना और इसमें बढ़ावा देना।
7. व्यवहार के मानदंडों, कायदे–कानून और न्यायोचित निर्देशों व आदेशों को मानने से इनकार करना या चूक करना।

8. कारागार अनुशासन बनाए रखने में मदद न करना।
9. कारागार कर्मचारियों के कहने पर भी उन्हें मदद न करना।
10. कारागार कर्मचारियों के खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निराधार लिखित या मौखिक शिकायतें करना।
11. बखेड़ा खड़ा करना या शरारत करना।
12. अन्य बंदियो के साथ झगड़ना।
13. दूसरों पर प्रहार करना, हमला करना और उन्हें जख्मी करना।
14. दंगे या बलवे में हिस्सा लेना, दूसरे बंदियों को भी ऐसा ही करने को उकसाना।
15. कारागार या न्यायिक हिरासत से भागना या भागने का प्रयास करना या बंदियो के भागने की साजिश के बारे में जानकारी कारागार अधिकारियों को सूचना न देना।
16. निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तुओं को रखना, छिपाना, तस्करी करना, तस्करी का प्रयास करना, प्राप्त करना और उनका लेन–देन करना।
17. निषिद्ध और प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में जानकारी कारागार अधिकारियों को न देना।
18. किसी सरकारी संपत्ति या दूसरे बंदियों के सामान और संपत्ति को चुराना/नुकसान पहुंचाना/बिगाड़ना/दुर्विनियोग करना।
19. कारागार की संपत्ति या साज–सामान के नुकसान/टूट–फूट या बंदी के दुर्घटनावश घायल होने की तत्काल जानकारी न देना।
20. पहचान पत्र, रिकार्ड या दस्तावेज के साथ छेड़–छाड़ करना या उन्हें विकृत करना।
21. छुट्टी और आपात रिहाई की शर्तों का उल्लंघन करना।
22. अनशन करना या भूख हड़ताल पर जाना।
23. किसी और के खाने को खाना या बांटना या दूसरे बंदी के खाने में से लेना या उसको देना।

24. जानबूझकर या लापरवाही से खाने को बरबाद करना या खराब करना या बिना आदेश के उसे फैंक देना।
25. खाने–पीने की चीजों में कोई ऐसी चीज मिला देना जिससे वह अरुचिकर, अपौष्टिक या इनसानों के खाने के अयोग्य हो जाए।
26. अनधिकृत तरीके से खाना पकाना।
27. कैंटीन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बनाए गये नियमों और विनियमों का उल्लंघन करना।
28. कैंटीन के सामान का लेन–देन करना।
29. काम करने में आलसी, लापरवाह या बेपरवाह होना, काम करने से इनकार करना, बीमारी का बहाना बनाना, दूसरे बंदियों को काम के दौरान या बैरक में परेशान करना।
30. कारागार अधिकारियों की जानकारी या अनुमति के बिना कोई चीज बनाना।
31. किसी दूसरे बंदी को आबंटित कार्य के किसी हिस्से को करना या अपने कार्य को करने में किसी दूसरे बंदी की अनधिकृत तरीके से मदद लेना।
32. अपने काम को किसी अन्य बंदी को करने को देना।
33. काम के सिलसिले में दी गयी सामग्री में बाहरी पदार्थ मिलाना या जोड़ना।
34. श्रम से बचने के लिए अपने आप को जनबूझकर निर्योग्य कर लेना।
35. किसी बंदी काधर्म बदलना या इसका प्रयास करना।
36. जानबूझकर दूसरों की धार्मिक भावनाओं, विश्वास और आस्थाओं को चोट पहुंचाना।
37. जाति या धार्मिक पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य करना या उकसाना।
38. किसी बाहरी व्यक्ति, विचाराधानी बंदी, निरुद्ध व्यक्ति, दीवानी मामले के बंदी और मुखबिर से लिखित में या बोलकर या सांकेतिक भाषा में कोई संवाद करना।
39. चोरी–छिपे लिखित या मौखिक संदेश भेजना।

40. जुआ और सट्टा लगाने जैसी अनधिकृत गतिविधियों में लिप्त रहना या उनका आयोजन करना।
41. अभद्र, गाली–गलौज वाली, धृष्टतापूर्ण, धमकी वाली या अनुचित भाषा का इस्तेमाल करना; बदतमीजी करना, गंदी या अश्लील हरकत या इशारे करना।
42. किसी स्थान या वस्तु को गंदा करना।
43. आवारागर्दी या मटरगश्ती करना, अपने निर्धारित क्षेत्र या कामकाजी साथियों के समूह से बिना अनुमति अलग होना।
44. हिंसा, हमले, दंगे, बलवे, आक्रमण, जबरदस्त व्यक्तिगत हिंसा या इसी तरह की आपात स्थिति में हालात से निपटने में मदद न करना या अन्य व्यक्तियों को कारागार अधिकारियों की मदद करने से रोकना।
45. कोई प्रतिबंधित वस्तु को छिपा कर रखना।
46. कारागार में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते वक्त कतार बांधकर चलने से इनकार करना या कतार को छोड़ देना।
47. कारागार की निर्धारित पोशाक को न पहनना या पहनने से इनकार करना या किसी कपड़े को दूसरे बंदी के कपड़े के साथ बदल कर पहनना, या पोशाक को खो देना, या फैंक देना, नुकसान पहुंचाना या इसके किसी हिस्से में फेरबदल करना।
48. किसी व्यक्ति की पोशाक में बने पहचान चिह्न या उससे जुड़े बिल्ले आदि को हटाना, मिटाना या उसमें फेरबदल करना।
49. अपने आप को साफ–सुथरा न रखना या ऐसा करने से इनकार करना या बाल अथवा नाखून कटवाने के आदेश को न मानना।
50. अपनी पोशाक, बिस्तर या बरतन साफ न रखना या ऐसा करने से इनकार करना या इस तरह की चीजों को तरतीब से रखने या संभालने के आदेश को न मानना।

51. फर्श, दरवाजे, कुंए या कारागार भवन अथवा उसकी किसी वस्तु पर थूकना या उसे खराब करना।

52. अपने आप को अन्य बंदियों की नजर से छिपाने वाले पर्दे या कपड़े लटकाना।

53. कारागार से लाते–ले जाते समय या न्यायिक हिरासत में बंदियों द्वारा किये जाने वाले अपराध – एक कारागार से दूसरे में या अस्पताल या अदालत या न्यायिक हिरासत या किसी अन्य स्थान को ले जाते समय अधिनियम में उल्लिखित कोई भी अपराध करने और उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने को कारागार–अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अधीक्षक द्वारा, इस संबंध में एस्कोर्ट कर रहे प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर, सजा दी जा सकती है।

54. निम्नलिखित अपराधों के मामले में अधीक्षक स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करेगा ताकि संहिता के अनुसार कार्रवाई की जा सके :

(क) स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराध;

(ख) भारतीय दंड संहित समेत निम्ननलिखित धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध :

(1) धारा 147 – दंगा करना;

(2) धारा 223 – लोक सेवक की लापरवाही से परिरक्षा से निकल भागना;

(3) धारा 224 – किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या विधिसम्मत अभिरक्षा से भाग निकलना या भाग निकलने का प्रयास करना।

(4) धारा 304 क –उतावली या लापरवाही से किया गया कृत्य जो मौत का कारण बने।

(5) धारा 309 – आत्महत्या का प्रयास करना।

(ग) कोई भी अपराध जिसकी सुनवाई केवल सत्र न्यायालय में संभव हो।

सभी श्रेणियों के बंदियों के लिए सजाएं

1270 न्यायिक मूल्यांकन के बिना कोई भी सजा नहीं दी जाएगी या विशेषाधिकारों और सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, या सजा के तौर पर किसी दूसरे कारागार में भेजने जैसी कार्रवाई की जाएगी।

1271 कोई भी कारागार–अपराध करने पर अधीक्षक बंदी को निम्नलिखित सजा(एं) दे सकते हैं। इनको छोटी और बड़ी सजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(क) छोटी सजा

1. औपचारिक चेतावनी जिसमें अधीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बंदी को संबोधित किया जाएगा और दंड पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा;
2. बंदी को हिरासत में दिये गये विशेष अधिकारों से अधिकतम एक महीने के लिए वंचित करना;
3. अर्जित छूट की अवधि में 10 दिन तक की कटौती;

(ख) बड़ी सजा

1. एक बार में 30 दिन तक की, सजा में छूट की अवधि को रद्द करना या महानिरीक्षक की स्वीकृति से किसी बंदी को सजा छूट प्रणाली से छह महीने के लिए हटा लेना, बशर्ते महानिरीक्षक को, सरकार की ओर से मिली छूट के अलावा मिली अन्य सभी अर्जित छूट को रद्द करने या किसी बंदी को उसके कारावास की समूची अवधि के लिए सजा में छूट रद्द करने का अधिकार होगा;
2. मनोरंजन सुविधाओं को एक महीने के लिए या कैंटीन सुविधाओं को एक महीने के लिए या मुलाकात की सुविधा को तीन महीने तक के लिए बंद करना;
3. पेरोल अथवा फरलो पर रिहाई की शर्तों में व्यवधान या उनका उल्लंघन होने पर उक्त अवधि को कारावास की अवधि में शामिल न करना;

4. तीन महीने की अवधि तक पृथक्करण और महानिरीक्षक की स्वीकृति से 6 महीने तक पृथक रखना।
5. पहरे और सुरक्षा के अंतर्गत निगरानी;
6. सरकार की संपत्ति को नुकसान के मामले में उचित जांच के बाद और न्यायिक मूल्यांकन से इस तरह के नुकसान की वसूली।
7. बंदियों से संबंधित कॉलिंग सिस्टम को एक महीने के लिए रोकना,
8. बरामद किये गये/वसूल किये गये पैसे की जब्ती।

सजा देने की प्रकिया

1272. बड़ी सजा देने के लिए बंदी को लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए और कारागार के नियमों के कथित उल्लंघन के संदर्भ में उसका जवाब तलब किया जाना चाहिए। सजा की अवधि के बारे में भी संबंधित बंदी को सूचित किया जाना चाहिए।

1273. अधीक्षक को किसी बंदी द्वारा कारागार में किये गये या कथित रूप से किये गये प्रत्येक अपराध की जांच अर्ध–न्यायिक तरीके से करनी चाहिए जिसमें सभी संबद्ध गवाहों के बयान दर्ज किये जाने चाहिए। अपराधी को अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अपराधी का इकबालिया बयान दो गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। अधीक्षक को कानून में बताए गए तरीके से अपने विवके का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से जांच के निष्कर्षों और सजा का बंदी के हिस्ट्री टिकट पर उल्लेख कर देना चाहिए। औपचारिक चेतावनी को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जांच की पूरी फाइल, जांच के निष्कर्ष और दी गयी सजा के विवरण को जिला और सत्र न्यायाधीश को न्यायिक समीक्षा के लिए भेज देना चाहिए। जहां ऐसी सूचना आपात कारणों से देना मुश्किल हो, वहा इस निष्कर्ष के 2 दिन के भीतर दे दी जानी चाहिए। अधीक्षक को अपने आप को इस

बात से आश्वस्त कर लेना चाहिए कि इस तरह से दी गयी प्रत्येक सजा पर कानून के अनुसार अमल होः

परन्तु, यह उपबंधित है कि अगर अधीक्षक इस तरह का रिकार्ड तैयार करने में किसी भी वक्त भौतिक रूप से विवश हो तो उसे अपने निर्देशन और उपस्थिति में इसे तैयार कराना चाहिए।

1274. बंदी द्वारा किये गये किसी ऐसे अपराध के मामले में जिसमें मौजूदा आपराधिक कानूनों और कारागार कानून दोनों में दंड देने का विधान है, अधीक्षक को कारागार अपराध की सजा सुनानी चाहिए और अपराधी के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई की जानी चाहिए।

1275. किसी भी बंदी को एक ही अपराध के लिए एक प्राधिकारी द्वारा दो सजाएं नहीं दी जानी चाहिए।

दंड पुस्तिका में प्रविष्टियां

1276. अधिनियम के अनुच्छेद 12 में निर्धारित दंड पुस्तिका में बंदी को दी गयी प्रत्येक सजा को दर्ज किया जाएगा।

1277. प्रत्येक गंभीर कारागार अपराध के मामले में अधीक्षक को अपराध को साबित करने वाले गवाहों के नाम और निष्कर्षों को कारणों समेत दर्ज करना चाहिए।

1278. प्रत्येक दंड से संबंधित प्रविष्टि के सामने उपाध्यीक्षक और अधीक्षक अपने नाम के आद्याक्षर प्रविष्टियों की शुद्धता के प्रमाण के तौर पर दर्ज करेंगे।

गंभीर/फिर से अपराध करने पर प्रक्रिया

1279. अगर कोई बंदी कारागार के अनुशासन के खिलाफ किसी अपराध का इसलिए दोषी हो क्योंकि उसने ये अपराध बार–बार या अन्यथा, इस तरीके से किये हों कि अधीक्षक की राय में उक्त सजा, अधिनियम के तहत उसे दंडित करने को पर्याप्त नहो, तो अधीक्षक बंदी के अपराध के इस विवरण को उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह आता हो, भिजवा सकता है, और संबंधित मजिस्ट्रेट इसके बाद जांच करके बंदी के खिलाफ लगाए गए आरोप में मुकदमा दायर कर सकता है

और सजा होने पर कारावास के दंड को, जो बंदी द्वारा काटी जा रही कैद की सजा के अलावा एक साल तक का हो सकता है, इसी अवधि के लिए बढ़ा सकता हैया उसे अधिनियम धारा 47 में बताई गयीकोई सजा दे सकता है।

बंदियों के दायित्व

1280. प्रवेश के समय बंदियों को कारागार के अंदर उनके दायित्वों को बतलाने वाला मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध कराना चाहिए। मोटे तौर पर ये दायित्व इस प्रकार हैं:

1. कारागार के सभी अधिकारियों (क्लर्क, मेडिकल और तकनीकी स्टाफ) और बंदी अधिकारी के आदेशों का पालन करनो।
2. हमेशा अपने ग्रुप के साथ निर्धारित क्षेत्र में रहना, जबतक कि सक्षम अधिकारी जगह छोड़ने को न कहे।
3. ताला खोलते समय या शौचालय व स्नानागार का उपयोग करने कतार में खड़े रहने के दौरान या परेड आदि के समय या कारागार के अधिकारी द्वारा मना किये जाने पर बातचीत न करना। गाली–गलौज करने, गाना गाने, लड़ाई–झगड़े, जोर–जोर से हंसने और बातचीत करने तथा कभी भी अभद्र आचरण से भी परहेज करना।
4. बाहरी व्यक्तियों, महिलाओं, दीवानी मामलों के या विचाराधीन बदियों या अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी के बंदियों, या गार्डों आदि से बेहद जरूरी बातचीत के अलावा और कोई बात न करें।
5. गांजा या अन्य मादक पदार्थ, पैसा या गहने या खाने का कोई सामान या नियमों में वर्जित कपड़े, किताबें, कागज, किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री, रस्सी, चाकू, या कोई अन्य औजार (केवल काम के घंटों के दौरान के उस समय को छोड़कर जब काम करने के लिए औजार जरूरी हो) इन चीजों को प्राप्त न करें और न अपने पास रखें। अगर इनमें से कोई चीज कारागार में मिलें या किसी अन्य बंदी के पास इनके

होने का पता चले तो इसकी सूचना उपाधीक्षक या वार्डर को दी जानी चाहिए।

6. किसी साजिश या षड्यंत्र और भागने के किसी प्रयास या किसी बंदी अथवा कारागार के अधिकारी पर योजनाबद्ध तरीके से हमले की साजिश की जानकारी दें।
7. कारागार के किसी अधिकारी पर हमला होने पर उसकी मदद करें।
8. अपने कपड़े, कंबल, बिस्तर और बरतनों को साफ–सुथरा और सुव्यवस्थित तरीके से रखें।
9. अपने आप को साफ–सुथरा रखें।
10. खुद को सौंपे गये कार्यों को मनोयोग से और सावधानीपूर्वक करें और किसी भी काम के लिए मिली सरकारी संपत्ति की समुचित देखभाल करें।
11. अपने व्यवहार में व्यवस्थित रहें।; कारागार में या आगंतुक स्थल के पास चलते–फिरते समय सावधान मुद्रा में हाथ नीचे करके चलें और संकेत मिलने पर अभिवादन करें।
12. बिना आदेश के रसोई से या भोजन देने की जगह से वस्तुएं न ले जाएं; या खाने–पीने की कोई चीज वार्ड या कोठरी में छुपाकर न रखें।
13. खाना खाने की जगह से बचा हुआ खाना न ले जाएं।
14. सोते वक्त, खाना खाते समय या काम करते समय अपने निर्धारित बिस्तर, वार्ड, यार्ड और सीट पर ही रहें।
15. दरवाजा खुलने पर यार्ड/वार्ड में फालतू न घूमें। नहाते समय निर्धारित घंटों के बाद न नहाएं।
16. कोई बखेड़ा खड़ा न करें या कारागार के किसी ऐसे स्थान पर मूत्रत्याग न करें जो इसके लिए निर्धारित नहीं है। कारागार के किसी हिस्से या किसी वस्तु को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं।
17. सभी अधिकारियों का सम्मान करें। किसी भी अधिकारी या बंदी पर प्रहार या हमला न करें और न धमकी दें।

18. कारागार के भीतर जुआ न खेलें और न सामान का लेन–देन करें (जबतक कि अधीक्षक से इसकी अनुमति न मिली हो); अपने पास कोई जानवर, चिड़िया या कोई अन्य पालतू जीव भी न रखें।
19. कारागार से मिले कपड़े ही पहनें और कारागार से मिले कपड़ों या अन्य सामान की दूसरे बंदियों के साथ अदला–बदली न करें।
20. कोई आंदोलन, संगठित विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल न करें।

शिकायत समाधान प्रणाली (Grievance Redressal System (GRS))

1281. नाराजगी जाहिर करना/शिकायत करना मूल मानवीय प्रवृत्ति है। अगर इसे दबाया जाता है तो इससे पथभ्रष्टता की मानसिकता पैदा हो सकती है जो शरीर और मन के स्वाभाविक और स्वस्थ विकास में बाधक है।

1. इसलिए हर कारागार में एक सक्रिय शिकायत समाधान प्रणाली(जी.आर.एस.) होगी जो प्रत्येक बंदी को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के वाजिब अवसर उपलब्ध कराएगी।
2. यह प्रणाली दबी हुई शिकायतों की यकायक आक्रामक अभिव्यक्तिकी आशंका के खिलाफ एक सेफ्टी वाल्व का कार्य करेगी।
3. प्रत्येक कारागार के मध्य स्थान पर या सुविधाजनक स्थान पर शिकायत पेटी लगायी जाएगी ताकि बंदी अपने सुझावों और शिकायतों को अधीक्षक तक आसानी से पहुंचा सकें।
4. कारागार के अंतःवासी अपनी शिकायतों को अधीक्षक को संबोधित लिखित याचिकाओं के रूप में प्रेषित कर सकते हैं।
5. शिकायत पेटी में ताला लगा रहेगा और इसकी चाभी अधीक्षक के पास होगी जो इसे अधीक्षक द्वारा स्वीकृत और निर्धारित दिनों में सप्ताह में कम से कम दो बार अवश्य खोलेगा।

6. शिकायत पेटी कारागार की शाम की तालाबंदी से पहले निर्धारित समय पर खोली जाएगी।
7. अधीक्षक जी.आर..एस की स्थायी कमेटी का गठन करेगा जिसमें उसके साथ–साथ उपाधीक्षक (अगर कारागार में एक से अधिक उपाधीक्षक तैनात हों तो सबसे वरिष्ठ उपाधीक्षक), चिकित्सा अधिकारी, कल्याण अधिकारी और अगर कारागार में महिला बदियों के लिए अलग से व्यवस्था है तो एक उपयुक्त रैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी भी कमेटी में शामिल रहेगी।
8. कमेटी की बैठकें जब भी जरूरी होगा आयोजित की जा सकती है मगर ये सप्ताह में दो बार अवश्य होगी ताकि सभी शिकायतों की जल्द से जल्द सुनवाई की जा सके।
9. अधीक्षक कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो सभी शिकायतों की जल्द से जल्द सुनवाई करेगी।
9. कमेटी के निर्णय पर तत्काल अमल होगा।
11. अगर बंदी उसकी शिकायत पर अधीक्षक द्वारा की गयी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी शिकायत के समाधान के लिए उच्चतर अधिकारियो से संपर्क करने की इजाजत दी जानी चाहिए।
12. उच्च अधिकारियों को संबोधित शिकायतें अधीक्षक की टिप्पणियों के साथ अविलंब उनके प्राप्तकर्ताओं को भेज दी जाएंगी।
13. कारागार का दौरा करने वाले जिला एवं सत्र न्यायाधीश और कारागार महानिरीक्षक तक बदियों की शिकायतें और सुझाव पहुंचाने के लिए आसान पहुंच वाले किसी मध्यस्थान पर अलग–अलग शिकायत पेटियां लगायी जानी चाहिए।
14. सरकार, न्यायपालिका, कारागार महानिरीक्षक या अन्य उच्च अधिकारियों को संबोधित बंदियों के पत्रों को अधीक्षक को तत्काल संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित कर देना चाहिए। प्राप्त करने वाले अधिकारी उनपर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

15. जिला न्यायाधीश को आगंतुक बोर्ड (Board of Visitors) के अध्याय के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक कारागार का दौरा करना चाहिए और कारागार अधिकारियों की अनुपस्थिति में सभी बंदियोंकोअपनी शिकायतें या अनुरोध, अगर वे चाहें तो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह जिला न्यायाधीश का सांविधिक कार्य होना चाहिए।
16. आगंतुक बोर्ड (Board of Visitors) को बंदियों की शिकायतें और परिवेदनाएं प्राप्त कर उनकी जांच करनी चाहिए और अपने सुझाव उपयुक्त अधिकारियों को भेजने चाहिए।

बंदियों की सामान्य शिकायतें

1282. हरेक बंदी को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कारागार अधिकारियों से प्रतिवेदन या शिकायत करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) बंदी किसी भी समय अपने व्यक्तिगत परिवाद (शिकायत/हमला/दुर्व्यवहार) या कोई भी सामान्य मामला (अस्वस्थकर हालत, साफ–सफाई आदि) वार्डर/हैड वार्डर/सहायक अधीक्षक के संज्ञान में ला सकता है। हैड वार्डर/सहायक अधीक्षक तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएगा। अगर शिकायत का समाधान उनकी सक्षमता के दायरे से बाहर हो तो इसे जल्द–से–जल्द उपाधीक्षक या अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

(ख) बंदियां को उपाधीक्षक या अधीक्षक के निरीक्षण/ दौरे के समय अपनी किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को उनके संज्ञान में लाने का अवसर दिया जाएगा।

महानिरीक्षक की मोबाइल याचिका पेटी

1283. एक मोबाइल याचिका पेटी होगा जिसमें बंदी महानिरीक्षक को संबोधित शिकायतें या सुझाव आदि डाल सकते हैं।

1284. महानिरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि मोबाइल याचिका पेटी रोजाना सभी बंदियों के पास ले जाई जाए ताकि अगर बंदी चाहें तो अपनी शिकायतें आदि भेज सकें।

1285. मोबाइल याचिका पेटी हमेशा तालाबंद रहेगी और इसकी चाबियां महानिरीक्षक के पास रहेंगी।

1286. महानिरीक्षक मोबाइल याचिका पेटी को रोजाना अपनी उपस्थिति में खुलवाएंगे।

||||||

अध्याय–22
परवर्ती–देखभाल और पुनर्वास

1287. सजा पूरी हाने वाले अपराधी की परवर्ती–देखभाल और उसका पुनर्वास संस्थागत देखभाल तथा उपचार का अभिन्न अंग है। इन दोनों को कभी एक–दूसरे से अलग नहीं किया जाना चाहिए। बंदी की परवर्ती–देखभाल संस्थागत उपचार कार्यक्रम का ही एक विस्तार है इसलिए इन कार्यक्रमों पर अमल करने वाले प्रशासनिक तंत्र को कारागार विभाग के साथ प्रभावी तरीके से समन्वित किया जाना चाहिए।

1288. यह बात तो स्पष्ट है कि कारागार छोड़ने वाले प्रत्येक बंदी को देखभाल और फॉलो अप की जरूरत नहीं होती।ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि तथा व्यापारिक समुदायों के कई बंदियों को आम तौर पर उनके परिवारों में स्वीकार कर लिया जाता है। वे बिना अधिक परेशानी के अपने सामाजिक परिवेश में फिर से मिल जाते हैं। उन्हें अपने संबंधियों से केवल लगातार संपर्क और रिहाई से पहले के परामर्श की आवश्यकता होती है ताकि कारागार तथा मुक्त समाज मे उनके जीवन में आया अंतराल समाप्त हो जाए।

1289. कुछ अन्य प्रकार के बंदी फॉलो अप कार्रवाई का विरोध करते हैं क्योंकि वे इसे खुफिया निगरानी की तरह मानते हैं। मगर ज्यादातर बंदी ऐसे कार्यक्रम का स्वागत ही करेंगे जिससे उन्हें रिहाई के बाद समाज में व्यवस्थित होने और पुनर्वास में मदद मिले ताकि उनके अपराध जगत में वापसी की आशंका खत्म हो जाए।

1290. परवर्ती–देखभाल सेवाओं का उद्‌देश्य :

1. रिहा हुए सभी बंदियों को, जब भी आवश्यक हो, मदद, मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता और संरक्षण प्रदान करना।
2. रिहा हुए व्यक्ति को उसकी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से उबरने में मदद देना।
3. कारागार में रहने के कारण किसी बंदी या उसके परिवार पर लगे सामाजिक कलंक से निपटने में मदद देना।
4. ऐसे व्यक्ति को इस बात का अहसास कराना कि उसे अपनी आदतों, सोच, तौर–तरीकों और जीवन मूल्यों में समायोजन

करते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों तथा दायित्वों और सामुदायिक जीवन की जरूरतों में तर्कसंगत तरीके से समझने की आवश्कता है।

5. व्यक्ति को अपने परिवार, पड़ोस, सहकर्मियों और समुदाय के साथ संतोषजनक तरीके से पुनर्संयोजन में मदद करना।
6. रिहाई के बाद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी पुनर्संयोजन तथा अंततः पुनर्वास में सहायता करना।

प्रकिया

1291. परवर्ती देखभाल की सेवाएं सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को छूटने के बाद सशर्त, बिना शर्त या स्वीकृति के साथ उपलब्ध करायी जानी चाहिए। वैसे तो देखभाल की सेवाएं सभी जरूरतमंद बंदियों को रिहा होने के बाद दी जानी चाहिए, मगर पांच साल का न्यूनतम कारावास काट चुके जरूरतमंद बंदियों को तो आवश्यक रूप से ये सेवाएं मिलनी चाहिए।

1292. किसी व्यक्ति की परवर्ती–देखभालकी समस्याओं को समग्रता में देखा जाना चाहिए न कि अलग–थलग करके। सिर्फ व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सम्पूर्ण सामाजिक स्थिति से एक साथ निबटा जाना चाहिए।

1293. परवर्ती–देखभालके कार्य को मोटे तौर पर इस तरह चरणबद्ध किया जाना चाहिए:

1. जब व्यक्ति कारागार में है तो उस समय उसकी देखरेख और उपचार।
2. कारागार से रिहा होने के तुरंत बाद।
3. रिहाई के बाद की अवधि।

1294. सुधार सेवाओं और परवर्ती–देखभाल की सेवाओं में पूरा तालमेल होना चाहिए।

1295. सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह रिहा किए गए सिद्धदोष बंदियों के पुनर्वास की योजना बनाए और उसके लिए उपयुक्त प्रणाली का विकास करे। इसके लिए 'रिहा बंदियों की परवर्ती देखभाल और पुनर्वास कमेटी' गठित की जाएगी। इस तरह की कमेटियां रिहा हुए लोगों के लिए अन्य बातों के अलावा उनके पुनर्वास और देखभाल में सहायता देने

वालीप्रणाली बनाएगी। इस तरह की प्रणाली तैयार करते समय और मदद देते समय बच्चों, किशोरों, महिलाओं, बीमार, बूढ़े, कमजोर और विकलांग व्यक्तियों के संरक्षण और रिहाई के बाद देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आदतन अपराध करने वाले मांग करें तो उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

नियोजन

1296. परवर्ती देखभाल की योजना बंदी के कारागार में दाखिला लेते ही बना ली जानी चाहिए।

1297. परवर्ती देखभाल व्यक्ति के हित में होनी चाहिए और उसकी आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। रिहाई के बाद की सहायता की योजना बनाते वक्त बंदी के व्यक्तित्व, उसकी कमजोरियों और मजबूतियां, सीमाओं और क्षमताओं तथा उसकी पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। रिहाई के बाद की मदद के लिए बंदी की इच्छाओं का भी व्यावहारिक और यथार्थवादी आधार पर ध्यान रखा जाना चाहिए।

1298. बंदी को बताया जाना चाहिए कि किस तरह की सहायता से उसकी जरूरतें बेहतरीन तरीके से पूरी होंगी। उसे रिहाई के बाद के अपने जीवन की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उसे रिहाई के बाद के जीवन की योजना को स्वच्छा से स्वीकार करने में मदद मिलेगी।

1299. किसी बंदी के कारागार में प्रवेश के समय से लेकर रिहाई के बाद की उसकी आवश्यकताओं पर गौर किया जाना चाहिए और उसे ऐसे संबंध (संस्था के बाहर के व्यक्तियों और एजेंसियों के साथ) बनाए रखने या स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनसे उसके परिवार के बेहतरीन हितों और उसके अपने सामाजिक पुनर्वास को बढ़ावा मिले। बंदी और उसके परिवार के बीच ऐसे संबंधों को बनाए रखने और उनमें सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो दोनों के के लिए सर्वाधिक वांछनीय हों।

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी का काम

1300. परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी को दाखिले के दौरान क्वारंटाइन अवधि में बंदी से संपर्क करना चाहिए। इस तरह के प्रारंभिक संपर्क से बंदी और उसके परिवार के लिए समग्र सहायता की योजना बनाने में मदद मिलेगी। कल्याण अधिकारी को कारावास की समूची अवधि के दौरान बंदी के साथ महीने में कम से कम एक बार मुलाकात करनी चाहिए।

1301. परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी को बंदी के अपने परिवार, नियोक्ता और समुदाय के साथ लगातार संबंधों को बनाए रखने में हर संभव मदद देनी चाहिए। अपराधी के परिवार के सदस्यों और आश्रितों के साथ–साथ पीड़ितों के कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

1302. परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी को मुख्यालय स्तर पर बंदी के कल्याण की सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए।

गैर–सरकारी संगठनों/उद्योग संघों की भूमिका

1303. मान्यताप्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।पुनर्वास परियोजनाओं में सरकार की मदद करने के इच्छुक स्वयं–सेवी संगठनों को आवश्यक वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जानी चाहिए। महानिरीक्षक (कारागार) को उनकी सेवाओं को पूरा महत्व देना चाहिए।

1304. जनता को पूर्व बंदियों के पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में प्रिंट और दृश्य–श्रव्य मीडिया के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए।

1305. ऐसी एजेंसियों/व्यक्तियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाना चाहिए जो रिहा किये गये बंदियों को रोजगार देने को तैयार हों।

1306. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों पर अपने शुद्ध मुनाफे का 2 प्रतिशत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (यानी कंपनियों के सामाजिक दायित्व) को पूरा करने में खर्च करने का दायित्व होता है उन्हें बंदियों के पुनर्वास के लिए अंशदान करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत इस कार्य

के लिए चंदा देने पर करों में छूट देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

रिहाई के बाद सहायता का दायरा

1307. रिहाई के बाद बंदी को दी जाने वाली सहायता को उसके कारागार से छूटने से काफी पहले ही तैयार रखा जाना चाहिए ताकि उसे किसी तरह की असुविधा न हो। बंदी कल्याण समिति इस सहायता के बारे में फैसला करेगी। इसमें निम्नलिखित बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए:

1. गुजारा राशि रिहाई के बाद तब तक के शुरुआती खर्च के लिए होगी जबतक रिहा व्यक्ति अपने परिवार के पास नहीं पहुंच जाता या उसे रोजगार नहीं मिल जाता;
2. खाने–पीने की व्यवस्था;
3. रहने की व्यवस्था होने तक अस्थायी आवास;
4. जहां भी उपलब्ध हों वहां जिला आश्रय/रिहाई के बाद के हॉस्टल/राज्य आश्रय स्थल में निवास;
5. शहरी इलाकों में आवास प्राप्त करने में सहायता;
6. कार्यशाला/तकनीकी संस्थान/उद्योग/व्यापार में प्रशिक्षुता प्राप्त करने के लिए सहायता;
7. दस्तकार के औजारों या व्यावसायिक उपकरणों की आपूर्ति;
8. छोटे से स्टॉल में कुटीर उद्योग या कोई छोटा–मोटा व्यापार शुरू करने में सहायता
9. रोजगार हासिल करने में सहायता;
10. खेती करने के इच्छुक कैदियों को जमीन, बीज, कृषि उपकरण, दुधारू या भारवाही पशु खरीदने में सहायता;
11. छोटी डेरी, मुर्गी, बत्तख या भेड़ पालने का फार्म लगाने, सुअर पालन, सब्जियां उगाने, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन का काम शुरू करने में सहायता;
12. जेल की सजा की अवधि के दौरान बंदी के परिवार के साथ संपर्क और उसे सहायता उपलब्ध कराना;
13. परिवार, पड़ोस, नियोक्ता और समुदाय के साथ बंदी के संबंधों की निरंतरता बनाए रखने में मदद;
14. रिहाई के बाद बंदी को स्वीकार करने के लिए परिवार, नियोक्ता और पड़ोसियों को तैयार करना;

15. विवाह करने और घर बसाने तथा जिन्दगी बसर करने के लिए सलाह;
16. स्थानीय पुलिस के साथ सहायता ताकि उसे अनावश्यक रूप से परेशाान न किया जाए;
17. पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित/प्रख्यापित तमाम कार्यक्रम; बंदियों को रिहाई के बाद की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

परिवार और वैवाहिक समायोजन

1308. निम्नलिखित समायोजन आवश्यक होंगे :

1. पुलिस को व्यक्ति की पृष्ठभूमि और समस्याओ की जानकारी देना और पुनर्वास प्रक्रिया में पुलिस की सहायता और सहयोग प्राप्त करना।
2. पंचायत/समुदाय विकास अधिकारियों को रिहा हुए व्यक्ति की पृष्ठभूमि, समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देना। बंदी के पुनर्वास के बारे में पंचायत, सामुदाय विकास अधिकारी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यकर्ता और ग्राम सेवक से सहयोग और मदद प्राप्त करना।
3. बंदी को रिहाई के बाद जहां बसना है उस के आस–पड़ोस के सामाजिक सेवा संगठनों को जानकारी देना।
4. शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जारी रखने में मदद।
5. शिक्षा और अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। उन्हें अपने कौशल प्राप्त करने और उनमें सुधार, स्वस्थ मनोरंजन और फुर्सत के वक्त के रचनात्मक उपयोग के लिए प्रेरित करना।
6. अच्छी आदतें डालने के लिए प्रोत्साहन।
7. अपना बजट बनाने और उसमें संतुलन कायम करने में मदद देना।
8. मितव्ययिता और बचत को बढ़ावा देना। फिजूलखर्ची की आदतों को छोड़ने को प्रेरित करना।
9. तपेदिक, यौन रोगों, कुष्ठरोग और कैंसर के लंबे इलाज के लिए बाहरी अस्पताल में भेजना।
10. रिहा हुए व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार के सुपुर्द करना जिसकी उसके कल्याण और पुनर्वास में दिलचस्पी हो।

11. समाज विरोधी गिरोहों, नैतिक जोखिम वाली एजेंसियों (जैसे, जुए व दारूबाजी के अड्डों और जिस्मफरोशी के ठिकानों) तथा हताश व निराश लोगों से जा मिलने से बचाव हो। भरोसेमंद पड़ोसियों, साथ रहने वालों और सहकर्मियों से मेलजोल और परिचय बढ़ाने और दोस्ती करने में मदद मिले।

कानूनी सहायता और संरक्षण

1309. निम्नलिखित सहायता और संरक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है:

1. रिहा हुए व्यक्ति के पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित तमाम मामलों में सहायता।
2. परवर्ती देखभाल करने वाली एजेंसी को बंदी की देखरेख के कार्यक्रम की योजना बनाने से घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

1310. बंदी की परवर्ती देखभाल की योजना में ऐसे बदलाव किये जाने चाहिए जो इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

1311. परिवीक्षा/कल्याण/पुनर्वास अधिकारी को रिहाई से पहले की अवधि के दौरान अपने कार्य की पहचान कर लेनी चाहिए। उसे अधीक्षक के निर्देश से सभी निर्धारित रिकार्ड तैयार रखने चाहिए।

1312. संस्था से छूटने के बाद बंदी के हर मामले का आवश्यकता अनुसार तथा बंदी की सहमति से एक साल से पांच साल तक के लिए परवर्ती अध्ययन किया जाना चाहिए।

1313. परिवीक्षा/कल्याण/पुनर्वास अधिकारी इंटरव्यू या पत्राचार से परवर्ती अध्ययन करेगा।

1314. रिहा हुए व्यक्ति के समायोजन और पुनर्वास के बारे में छहमाही रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसकी प्रतियां उन कारागारों को भेजी जानी चाहिए जहां बंदी ने सजा काटी है। इसके अलावा इसकी प्रति संगठन मुख्यालय में रिकार्ड शाखा को भी भेजी जानी चाहिए।

1315. मुख्यालय की अभिलेख शाखा को बंदियों के मामलों से संबंधित तमाम फाइलों और परवर्ती रिपोर्टों को सेंट्रल इंडेक्सिंग सिस्टम के अनुसार रखना चाहिए।

रोजगार कार्यक्रम बनाना

1316. सरकार के उद्योग विभाग को रिहा हुए बंदियों को लघु औद्योगिक इकाइयों में रोजगार देने के बारे में कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।

1317. कारागार के मुख्यालय के स्तर से बड़े औद्योगिक घरानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे बंदियों के पुनर्वास और सामाजिक समायोजन की खातिर रिहा हुए बंदियों को नौकरियों में प्राथमिकता दें।

अध्याय – 23
अर्ध मुक्त और मुक्त कारागार

1318. ''चयन समिति'' का अर्थ है, महानिरीक्षक द्वारा उप महानिरीक्षक (मुख्यालाय) की अध्यक्षता में गठित वह समिति, जो बंदियों को मुक्त या अर्ध मुक्त कारागार में रखने का फैसला करेगी।

चयन समिति की बैठकें कितने समय बाद हों

1319. चयन समिति की बैठक चार महीने में कम से कम एक बार कारागार मुख्यालय में होगी और सदस्य सचिव सदस्यों को कम से कम दस दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। बैठक की सूचना के साथ ही विचाराधीन विषयों की सूची भी होनी चाहिए। लेकिन, चयन समिति के अध्यक्ष जरूरी समझें तो थोड़े समय का नोटिस देकर और जल्दी भी बैठक बुला सकते हैं।

अर्ध मुक्त कारागार

अर्ध मुक्त कारागार के लिए चयन समिति

1320 किसी भी अर्ध मुक्त कारागार में रखे जाने वाले बंदियों के चयन के लिए चयन समिति होगी, जिसमें शामिल होंगे :

(क) उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) – अध्यक्ष
(ख) सम्बद्ध कारागार के अधीक्षक – सदस्य
(ग) रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, तिहाड़ – सदस्य
(घ) कल्याण अधिकारी (मुख्यालय) – सदस्य
(ङ) विधि अधिकारी (मुख्यालय) – सदस्य
(च) अर्ध मुक्त कारागार के इंचार्ज – सदस्य सचिव

चयन समिति इन नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उन सभी बंदियों की सूची तैयार करेगी, जिनके नाम की सिफारिश की गई है, चाहे उनका चयन हो या न हो, और यह सूची स्वीकृति के लिए कारागारों के महानिरीक्षक के पास भेजी जाएगी।

1321. चयन मानदंड

I. नीचे बताए बंदियों को अर्ध मुक्त कारागार में रखने के लिए चुना जा सकता है :

(क) जिन्हें तीन वर्ष की सजा मिली हो और जो सजा मिलने की तारीख के बाद कम से कम एक वर्ष बंदी की तरह बंद कारागार में काट चुके हों, पर इसमें छूट की अवधि शामिल नहीं की जाएगी या

(ख) जिन्हें 3 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक की सजा मिली हो और जो सजा सुनाए जाने की तारीख के बाद कम से कम 2 वर्ष की सजा सिद्ध दोष व्यक्ति के तौर पर असल में भुगत चुके हों पर इसमें बंद कारागार में रहने के दौरान मिली छूट की अवधि नहीं जोड़ी जाएगी या

(ग) जिन्हें 5 वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष तक की सजा मिली हो और उन्होंने सजा सुनाए जाने की तारीख के बाद असल में तीन वर्ष की सजा काट ली हो, पर इसमें बंद कारागार में मिली छूट की अवधि शामिल नहीं होगी, या

(घ) जिन्हें 10 वर्ष से ज्यादा पर 14 वर्ष तक की **या** आजीवन कारावास की सजा मिली हो और जहां 14 वर्ष की असल कैद काटने के बाद मामला समयपूर्व रिहाई व्यवस्था या सजा पुनर्विचार बोर्ड के पास भेजा जाए और अपराधी बंद कारागार से मिली छूट की अवधि को छोड़ कर, दोषी करार दिए जाने की तारीख के बाद पांच वर्ष की सजा काट चुका हो, या

(ङ) जिन्हें 14 वर्ष से ज्यादा की या आजीवन कारावास की सजा मिली हो और छूट की अवधि सहित 20 वर्ष बाद जिनका मामला समय–पूर्व रिहाई के लिए भेजा गया हो और जो सजा सुनाने की तारीख के बाद 7 साल की सजा असल में काट चुके हों, इसमें बंद कारागार में मिली छूट की सजा शामिल नहीं रहेगी।

परन्तु यह उपबंधित है कि उपरोक्त श्रेणियों के अपराधियों ने सुनवाई के दौरान कारागार में रहने की अवधि मिला करअपनी कुल सजा की कम से कम दो–तिहाई सजा,छूट की अवधि छोड़कर, काट ली हो।

II. बंदी का कारागार में बंद रहने के दौरान बहुत बढ़िया आचरण रहा हो और उसने अपनी मिली मजदूरी पूरी निष्ठा और लगन से पूरी की हो; ऐसे बंदियों को

पात्रता की तारीख से कम से कम तीन साल की अवधि में किसी अपराध का कोई दंड न दिया गया हो;

III. कारागार से पैरोल/फरलो पर अस्थायी रूप से छोड़े जाने की अवधि में उसके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और

IV. दिल्ली में या भारत में कहीं अन्य स्थान में उसके खिलाफ न्यायालय में कोई अपील/बकाया मामला नहीं होना चाहिए।

1322. नीचे बताए बंदियों को अर्ध मुक्त कारागार में नहीं भेजा जाएगा :

I. जिसे चयन समिति खतरनाक माने या जो मारपीट, कारागार तोड़ कर भागने, दंगे, विद्रोह या भाग निकलने जैसी गंभीर हिंसक घटनाओं में शामिल रहा हो या जो अन्य बंदियों को कारागार अनुशासन तोड़ने के लिए उकसाते पाए गए हों;

II. जो आईपीसी की धारा 363–ए से 373 के तहत डकैती, आतंकवाद, अपहरण, तस्करी, एनडीपीएस कानून के अंतर्गत कवर होने वाले अपराधों, विदेशियों या संगठित अपराधी गिरोह से जुड़े हों;

III. आदतन अपराधी (बार बार अपराध करने वाला);

IV. जिसे कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग हो या कोई गंभीर बीमारी हो या या कोई संक्रामक रोग हो, या उसे जीवन को जोखिम में डालने वाली कोई बीमारी हो, या वह गंभीर मानसिक रोगी रहा हो;

V. ऐसे बंदियों को अर्ध मुक्त कारागार में भेजने पर विचार नहीं किया जायेगा जिन्हें दिल्ली कारागार अधिनियम, नियमों या समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की वजह से अर्ध–मुक्त या मुक्त कारागार से बंद कारागार में भेजा गया हो;

VI. अन्य किसी श्रेणी के बंदी, जिन्हें कारागारों के महानिरीक्षक अर्ध मुक्त कारागार में भेजने के लायक न समझते हों।

नोट : यदि कोई बंदी चयन मानदंड के अनुसार अन्यथा पात्र हो और उसके खिलाफ अन्य मामले बकाया हों, जिनमें उसे सक्षम अदालत द्वारा जमानत मिली हो, तो ऐसे बंदी को बंद कारागार से अर्ध–मुक्त या मुक्त कारागार में भेजने पर फिर भी विचार किया जा सकता है। इस तथ्य का उसके मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है।

1323. चयन प्रक्रिया

I. कारागार अधीक्षक चयन मानदंड के अनुसार पात्र बंदियों की सूची तैयार करेंगे, जो अर्ध मुक्त कारागार में रहना चाहते हों;

II. अधीक्षक उक्त परिशिष्ट–13 में दिए गए फार्म में ऐसे बंदियों की केस हिस्ट्री तैयार करेंगे और फिर केस हिस्ट्री के साथ ऐसे बंदियों की सूची चयन समिति के पास भेजेंगे;

III. चयन समिति इन सूचियों और कारागार मुख्यालय के बंदियों की फाइलों और केस हिस्ट्री की जांच करेगी।

IV. प्रत्येक बंदी के मामले पर नीचे दिए पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा :

(क) अर्ध मुक्त कारागार में रहने के लिए शरीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और काम कर सकने की समुचित क्षमता;

(ख) कारागार में व्यवहार और आचरण और दर्शायी गई जिम्मेदारी की भावना;

(ग) काम में हुई प्रगति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और अन्य ऐसे ही मुद्दों पर हुई प्रगति;

(घ) समूह में तालमेल से रहने की क्षमता;

(ङ) चरित्र और आत्मसंयम (स्व–अनुशासन)

(च) संस्थागत प्रभाव का विस्तार (क्या प्रशिक्षण और व्यवहार के उच्च शिखर तक पहुंचे);

(छ) क्या उस पर इतना भरोसा किया जा सकता है कि उसे अर्ध मुक्त कारागार में रहने दिया जाए।

v. चयन समिति चयन मानदंड के अनुसार ऐसे बंदियों को छांटेगी, जिन्हें अर्ध मुक्त कारागार में रखा जा सकता है और चुने गए बंदियों की सूची कारागारों के महानिरीक्षक की स्वीकृति के लिए उनके पास भेजेगी। सूची मंजूर होने के बाद इन चुने हुए बंदियों को जल्दी से जल्दी अर्ध मुक्त कारागार में रहने के लिए भेजा जाएगा।

vi. पूरा रिकॉर्ड और सभी फाइलें रिकॉर्ड या संदर्भ के लिए अर्ध मुक्त कारागार के इंचार्ज संभाल कर रखेंगे।

VII. ऐसे बंदी को, जिसका नाम चयन मानदंड पूरे करने के कारण सूची में शामिल किया गया था, परन्तु जिसे अर्ध मुक्त कारागार में स्थानांतरित नहीं किया गया, उसे इस बात का कारण बताया जाएगा कि अर्ध मुक्त या मुक्त कारागार में भेजने के उसके मामले को क्यों रद्द किया गया। इसके अतिरिक्त किसी मामले को रद्द करने से पहले बंदी को सुनवायी/प्रतिवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, बशर्ते उसका मामला 1322 के अंतर्गत कवर न हुआ हो।

मुक्त कारागार

1324. **चयन समिति** : किसी भी मुक्त कारागार में रखे जा सकने वाले बंदियों को चुनने के लिए चयन समिति बनाई जाएगी, जिसमें शामिल रहेंगे :

(क) कारागारो के उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) – अध्यक्ष

(ख) अर्ध मुक्त कारागार के इंचार्ज – सदस्य

(ग) रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, तिहाड़ – सदस्य

(घ) कल्याण अधिकारी (मुख्यालय) – सदस्य

(ङ) विधि अधिकारी (मुख्यालय) – सदस्य

(च) मुक्त कारागार के इंचार्ज
– सदस्य सचिव

1325. चयन के मापदंड

नीचे बताए उन बंदियो को मुक्त कारागार में रहने के लिए चुना जा सकता है :

(क) जो सही व्यवहार करते हैं और शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से चुस्त हैं;

(ख) जिन्होंने अर्ध मुक्त कारागार में बंद होने के दौरान शानदार आचरण रखा और उन्हें जो मजदूरी दी गई उसे निष्ठा और लगन से उन्होंने पूरा किया, और

(i) वे अपराधी जिन्हें तीन साल से ज्यादा और पांच साल तक की सजा मिली और वे उसमें एक वर्ष की सजा अर्ध मुक्त कारागार में काट चुके हैं

(ii) जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी और वे एक वर्ष की सजा अर्ध मुक्त कारागार में काट चुके हैं।

बशर्ते कि अपराधी ने सुनवाई के दौरान कारागार में रहने की अवधि मिला कर कुल मिली सजा में से तीन चौथाई सजा भुगत ली हो, जिसमें छूट की अवधि भी जोड़ी जाएगी।

(ग) जिनका चरित्र अच्छा है और जो आत्म संयम से रहते हैं।

(घ) जिनमें समूह से तालमेल रखने और जिम्मेदारी की भावना हो।

1326. चयन प्रक्रिया

I. कारागार अधीक्षक नियम 1325 के तहत आने वाले ऐसे बंदियों की सूची तैयार करेंगे, जो मुक्त कारागार में रहना चाहते हों;

II. अधीक्षक उक्त नियम के फार्म–1 में ऐसे बंदियों की केस हिस्ट्री तैयार करके चयन समिति के पास भेजेंगे;

III. चयन समिति इन सूचियों और कारागार मुख्यालय के बंदियों की फाइलों और केस हिस्ट्री की जांच करेगी।

IV. प्रत्येक बंदी के मामले पर नीचे दिए पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा :

(क) मुक्त कारागा़र में रहने के लिए शरीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और काम कर सकने की समुचित क्षमता;

(ख) अर्ध मुक्त कारागा़र में व्यवहार और आचरण और दर्शायी गई जिम्मेदारी की भावना;

(ग) काम में हुई प्रगति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और अन्य ऐसे ही मुद्दों पर हुई प्रगति;

(घ) चरित्र और आत्मसंयम (स्व–अनुशासन)

(ङ) क्या उस पर मुक्त कारागा़र में रखने का भरोसा किया जा सकता है;

(च) उचित और तर्कसंगत लगने वाला कोई अन्य पहलू।

V. चयन समिति ऐसे बंदियों की सूची बना कर अपनी सिफारिश के साथ कारागा़रों के महानिरीक्षक की स्वीकृति के लिए उनके पास भेजेगी, चाहे उनको चुना जाए या नहीं। सूची स्वीकृत होने पर चुने गए बंदियों को जितनी जल्दी हो मुक्त कारागा़र में रहने भेजा जाएगा और उन पर महानिरीक्षक (कारागा़र) द्वारा समय समय पर बनाई नियम शर्तें लागू होंगी।

अर्ध मुक्त कारागा़र और मुक्त कारागा़र के सामान्य प्रावधान

अर्ध मुक्त और मुक्त कारागा़रों के बंदियो को बंद कारागा़रों में हस्तांतरित करना

1327. यदि अर्ध मुक्त या मुक्त कारागा़र का कोई बंदीकारागा़र संबंधी अपराध या भारतीय दंड संहिता के तहत या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध करता है तो उसे बंद कारागा़र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और यह कार्रवाई उसे कारागा़रों के महानिरीक्षक द्वारा दी जाने वाली सजा के अतिरिक्त होगी।

अर्ध मुक्त और मुक्त कारागा़र में ट्रांसफर किए बंदियों के काम और उनकी उपयुक्तता की समीक्षा

1328. अर्ध–मुक्त और मुक्त कारागार में स्थानांतरित प्रत्येक बंदी का मामला द्विवार्षिक आधार पर चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा, जो बंदी के आचरण और कार्यनिष्पादन का व्यापक वि"लेषण करेगी। अगर समिति अनु"ाासनहीनता या असंतोषजनक कार्य अथवा किसी अन्य उपयुक्त और पर्याप्त कारण से यह पाती है कि कोई बंदी मुक्त या अर्ध–मुक्त कारागार में रखे जाने के अनुपयुक्त है तो उसे महानिरीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के बाद बंद कारागार में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और बंदियों के अनु"ाासन संबंधी अध्याय में वर्णित नियमों के अनुसार या महानिरीक्षक द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली आचरण संहिता के तहत सजा भी दी जा सकती है।

कार्य का आबंटन

1329. अर्ध खुली कारागार में रखे गए कैदियों को जेल परिसरों के भीतर लोक निर्माण विभाग के कार्य अलॉट किए जा सकते हैं या बागवानी कार्य अथवा ठेके का कोई भी काम सौंपा जा सकता है, जिसे करने पर उस कैदी को समय समय पर निर्धारित दर से मजदूरी दी जाएगी। लेकिन खुली जेलों के कैदियों को दिल्ली की प्रादेशिक सीमा के भीतर के तिहाड़ केंद्रों में काम पर रखा जा सकता है।

1330. खुली जेलों में रखे गए कैदियों को दिल्ली की प्रादेशिक सीमाओं मे तिहाड़ आउटलेट्स पर कार्य आबंटित किया जा सकता है, परन्तु, कारागार प्राधिकारी या सरकार खुली जेल में रखे गए किसी कैदी के लिए रोजगार तलाश करने हेतु बाध्य नहीं होंगे।

जमानती बांड भरना

1331. चुने हुए दोषी कैदियों को इस आशय का जमानती बांड भर कर देना होगा कि वे काम करने के दौरान अच्छा आचरण करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, कार्य संहिता का पालन करेंगे और समय पर आएंगे–जाएंगे।यदि दोषी आदेश की प्रति देने से चार सप्ताह के अंदर जमानतदार प्रस्तुत करने में समर्थ नही है, तो अधीक्षक, यदि दोषी द्वारा आवेदन किया

गया हो, जमानतदार प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है और उसे व्यक्तिगत बांड पर रिहा कर सकता है।

कार्य क्षेत्र

1332 महानिरीक्षक (कारागार) जेल परिसर के भीतर उन क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे, जिन्हें आधी खुली जेल में रखे कैदी पार नहीं करेंगे और ऐसे क्षेत्रों का भी निर्धारण करेंगे, जिन्हें खुली जेल के कैदियों को काम के सिलसिले में भी पार करने की अनुमति नहीं होगी। आधी खुली और खुली जेल में व्यवहार और आचरण के मानक बनाए रखे जाने चाहिए और अनुकरणीय होने चाहिए। जिम्मेदारी की भावना और आत्म संयम की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।

रोजगार की संभावनाओं का आकलन

1333. महानिरीक्षक (जेल) समय समय पर रोजगार के ऐसे अवसर अधिसूचित करेंगे जहां आधी खुली जेल और खुली जेलों में रखे कैदी काम पर लगाए जा सकते हैं। विभिन्न एजेंसियों में उपलब्ध रोजगार अवसर आधी खुली जेल और खुली जेलों के कैदियों के लि ए वर्गीकृत किए जाएंगे। काम पर रखे जाने वाले सभी कैदियों को मेहनताना या मजदूरी दी जाएगी।

यदि जेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई एजेंसी कैदियों को काम पर रखती है, तो वह एजेंसी ही उन्हें मजदूरी का भुगतान करेगी जो कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी।

प्राइवेट काम पर रोक

1334 कोई भी जेल अधिकारी किसी भी कैदी से निजी काम नहीं कराएंगे और न ही किसी कैदी से कोई दासोचित्त काम कराएंगे। किसी भी स्थिति में कैदी से घरेलू नौकर की तरह काम नहीं लिया जाएगा।

सुरक्षा मापदंड और अन्य सुविधाएं

1335 महानिरीक्षक (जेल) भीतर आने और बाहर जाने का समय और सुरक्षा मापदंड तय करने के बारे में विस्तृत स्थायी आदेश जारी करेंगे। परंतु, भोजन, रहने के स्थान वगैरह जैसी अन्य सुविधाएं आधी खुली जेल और खुली जेल में भी

बिल्कुल वैसी होंगी, जैसी बंद जेलों के अन्य दोषी कैदियों के लिए होती हैं।

अध्याय 24
विचाराधीन बंदी

विचाराधीन बंदियों का वर्गीकरण

1336 विचाराधीन बंदियों का सुरक्षा, अनुशासन और संस्थागत कार्यक्रम के आधार पर वर्गीकरण करना चाहिए। बंदी की सामाजिक हैसियत के हिसाब से वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। भोजन, कपड़ा, बिछावन और इंटरव्यू जैसी सुविधाएं अन्य श्रेणियों के बंदियों की तरह ही मिलेगी। पहली बार अपराध करने वाले बंदियों को बार बार या आभ्यासिक अपराध करने वाले बंदियों से अलग रखा जाएगा।

नोट– पहली बार अपराध करने वालों के लिये सरकार को अलग से कारागार की व्यवस्था करनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 28 और 29 के प्रावधानों के तहत बंदियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा।

क. ऐसे बंदी जो संक्रामक और संचारी रोग से पीड़ित हो जैसे कुष्ठ रोग या तपेदिक आदि।

ख. मानसिक रोग से ग्रसित होने की आशंका वाले बंदी।

ग. ऐसे बंदी जिनमें खुदकुशी करने की प्रवृत्ति हो।

1337 उपरोक्त प्रावधानों के अलावा कारागार अधीक्षक, पुलिस या जांच एजेंसियों से निम्नांकित श्रेणियों से संबद्ध बंदियों के बारे में लिखित में जानकारी मिलने के बाद, कारागार की सुरक्षा, संरक्षा और अनुशासन के लिए बंदियों को पृथक रखने का आदेश दे सकता है:

(प) श्रेणी–1 (एस 1–रेड) : कट्टरपंथियों, नक्सलियों, अतिवादियों और आतंकियों या दूसरे शख्स जिन्हें कारागार में निरुद्ध करना हो।

(पप) श्रेणी–2 (एस2– ब्लू) : गैंगेस्टर, भाड़े के हत्यारे, डकैत, सीरियल किलर्स/ बलात्कारी/हिंसक डकैत या ड्रग्स अपराधी, आभ्यासिक गंभीर अपराध करने वाले/ सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने वाले और जिनके भाग जाने की उच्च आशंका हो/जो कारागार से फरार हो चुके हों/पुलिस पर हमला करने वाले और अन्य खतरनाक अपराधी/आत्मघाती प्रवृत्ति वाले अपराधियों

सहित/सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे की आशंका वाले अपराधी, जिन्हें कारागार में बंद रखने की जरूरत हो।

(पपप) श्रेणी–3 (एस3–येलो) : ऐसे बंदी जो रिहाई के बाद समाज के लिए किसी रूप में खतरनाक न हों, जैसे ऐसे बंदी जिसने व्यक्तिगत वजहों से किसी की हत्या की हो शारीरिक चोट पहुंचाई हो, चोरी या संपत्ति संबंधित अपराध, अन्य विशेष या स्थानीय कानून, रेलवे से संबंधित अपराध और दूसरे छोटे–छोटे अपराध।

नोट

(i) यदि कारागार अधीक्षक के पास पर्याप्त कारण हो कि कोई बंदी ऊपरलिखित श्रेणी में आता है और उस संबंध में पुलिस की तरफ से किसी तरह की जानकारी नहीं मिली हो तो कारागार अधीक्षक ऊपरलिखित नियमों के आधार पर फैसला लेगा।

(ii) ऐसे बंदी जिनकी वजह से कारागार की सुरक्षा के लिए खतरा हो या उनके व्यवहार से कारागार परिसर में अव्यवस्था फैलने की आशंकाहो तो वैसे बंदियों को उच्च श्रेणी खतरा वाले बंदियों के रूप में चिन्हित कर सकने के साथ अलग रखा जा सकता है। इस संबंध में कारागार महानिरीक्षक की पूर्व अनुमति से वह ऐसे बंदियों को अलग रख सकता है।

(iii) मानसिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों और युवा अपराधियों को अलग रखा जाएगा।

(iv) अदालत उन विचाराधीन बंदियों के बारे में कारागार प्रशासन को सूचना देगा जो सरकारी गवाह बन चुके हैं या अपनी गलती मान चुके हैं उन बंदियों को कारागार में अलग रखा जाएगा

(v) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के धारा 122(2) के तहत हिरासत में रखे अभियुक्त को तब तक विचाराधीन बंदी के तौर पर माना जाएगा जब तक कि उसके संबंध में सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय फैसला न करे।

प्रवेश

1338 हिरासत प्रबंधन अध्याय में लिखित व्यवस्था के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा।

1339 बच्चे– विचाराधीन महिला बंदी के बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष तक हो और यदि बाहर उनकी उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है तो उनका दाखिला किया जा सकता है।

1340 भोजन– यदि कोई विचाराधीन बंदी कारागार में पहले नहीं रह चुका हो तो यह पुलिस, सैन्य अनुरक्षण अधिकारी को देखना होगा कि कारागार में लाए जाने से पहले उसे भोजन दिया गया है या नहीं अगर बंदी कारागार में उस समय पहुंचता है जब कारागार में भोजन देने का समय खत्म हो चुका हो। यदि पुलिस या सैन्य अधिकारी इस बात की जानकारी देता है कि विचाराधीन बंदी को भोजन नहीं दिया गया है तो कारागार प्रशासन को उसके भोजन के संबंध में आवश्यक कदम उठाना चाहिए। अगर विचाराधीन बंदी कारागार में भोजन के समय के बाद दाखिल होता है तो उसे उस वक्त उपलब्ध भोजन को दिया जाना चाहिए।

1341 **प्रवेश का समय**

प्रवेश के घंटे हिरासत प्रबंधन अध्याय में लिखित उपबंधों के तहत अधिशासित होंगे।

गवाह

1342 जब कोई विचाराधीन बंदी, अदालत के द्वारा गवाह या बयान देने वाले शख्स के रूप में चिन्हित होता है तो उसे उसी मामले में दूसरे विचाराधीन बंदियों से अलग रखना चाहिए। जहां, विचाराधीन बंदियों के लिए पृथक सेल या कंपार्टमेंट हो तो वहां गवाह को रखा जाना चाहिए। अगर किसी कारागार में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे बंदी को दिन में अलग सेल में और रात में अलग सेल में रखा जा सकता है लेकिन अकेले में नहीं रखना चाहिए।

1343 अगर विचाराधीन बंदी के संबंध में न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट उसे अलग रखने का आदेश देते हैं तो उस आदेश का पालन होना चाहिए। ऐसा करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर उसी मामले में या किसी दूसरे मामले में उनसे संवाद स्थापित न कर सके।

अदालती कार्यों के लिए पहचान

1344 विचाराधीन बंदी अपनी मूंछे और दाढ़ी को नहीं कटवाएगा, या अपने रूप में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा, ताकि उसकी पहचान में मुश्किल न आए। हालांकि काराग़ार या उप–कारागार में पहचान के लिए अथवा सुनवाई के लिए अदालत भेजते समय उसे कपड़े बदलने से नहीं रोका जाएगा बशर्ते उसकी पहचान में कोई उल्लेखनीय बदलाव न आए।

1345 अगर किसी विचाराधीन बंदी की पहचान की जानी हो तो पुलिस, काराग़ार के अधिकारियों को बंदी के बारे मे पूरी जानकारी जैसे बालों का बढ़ना, मूंछ और दाढ़ी के बारे में जानकारी देनी होगी जिस समय बंदी की गिरफ्तारी हुई थी।

1346 पहचान परीक्षण इस संबंध में बनाए गए नियमों के तहत होना चाहिए।

पुलिस पूछताछ

1347 न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट की तरफ जिन पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए अनमुति मिली हो उन्हीं अधिकारियों को विचाराधीन बंदी से पूछताछ में शामिल होना चाहिए। विचाराधीन बंदी से पूछताछ काराग़ार अधिकारी की मौजूदगी में होना चाहिए।

1348 पुलिस अधिकारी वर्दी में हो–किसी भी पुलिस अधिकारी को बिना वैध पहचान पत्र (अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित) और वर्दी के काराग़ार में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सुविधाएं

1349सभी विचाराधीन बंदियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जानी चाहिए :–

(क) कानूनी सुरक्षा

(ख) कानूनी मकसद से पारिवारिक सदस्यों और वकीलों से बातचीत

नोट– काराग़ार अधीक्षक अच्छा व्यवहार करने वाले बंदियों की सावधानी पूर्वक पहचान करेगा ताकि सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए उन्हें उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की अनुमति दी जा सके।

(ग) वकालतनामा पर दस्तखत

(घ) पॉवर ऑफ एटॉर्नी सौंपना
(ड) वसीयत संबंधी कार्य
(च) नियमों के मुताबिक धार्मिक आवश्यकता
(छ) नियमों के मुताबिक सरकारी खर्च पर कानूनी मदद के लिए अदालत में अर्जी
(ज) अदालत के सामने रखने के लिए अन्य प्रार्थनापत्र
(झ) निःशुल्क कानूनी मदद के लिए लीगल एड सोसाइटी को प्रार्थनापत्र
(ञ) सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को विचाराधीन बंदी को उपलब्ध कराना।

भोजन, मुलाकात और कैंटीन

1350 बंदियों के रखरखाव संबंधी अध्याय के मुताबिक विचाराधीन बंदियों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह मुलाकात और कैंटीन के संबंध में बाहरी दुनिया से संपर्क वाले अध्याय में लिखित प्रावधानों के तहत बंदी के कल्याण के लिए सुविधा मुहैया करायी जाएगी।

वस्त्र

1351 सामान्य तौर पर विचाराधीन बंदी को सामान्य जरूरत के हिसाब से व्यक्तिगत कपड़ों की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसे कपड़े जो कारागार की सुरक्षा को प्रभावित करें उसे पहनने की इजात नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई विचाराधीन बंदी अपने खर्च पर कपड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो सरकारी खर्च पर उसे कपड़े दिये जाने चाहिए। रिहाई के बाद भी विचाराधीन बंदी उन कपड़ों को अपने पास रख सकता है। बंदी उस तरह के कपड़ों को न तो रख सकता है न ही पहन सकता है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो या पुलिस या सेना के कपड़ों से समानता रखते हों। इस तरह के कपड़ों को इजाजत न तो विचाराधीन बंदी और न ही सजायाप्ता बंदी को दी जाएगी।

पत्र

1352 कारागार में बंदी के प्रवेश के समय सरकारी खर्च पर प्रिंटेड कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिये बंदी के परिवार को जानकारी दी जानी चाहिए। इस कार्ड पर सभी आवश्यक

जानकारी विभिन्न बिंदुओं के साथ, बंदी की संस्थागत संख्या एवं पता, पत्र, साक्षात्कार से संबंधित नियमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए।

1353 विचाराधीन बंदी को प्रत्येक महीने सरकारी खर्च पर चार पत्र लिखने की इजाजत होगी।

1354 कानूनी प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त पत्र जैसे रक्षा, जमानत और सुरक्षा व्यवस्था बंदी के अपने खर्च पर उपलब्ध कराई सकती है।

1355 विचाराधीन बंदी को कारागा़र की कैंटीन से सामान खरीदने की इजाजत दी जा सकती है। इस संबंध में उचित मात्रा में स्टेशनरी और लिखने वाले सामान को कारागा़र प्रशासन द्वारा क्रम से अंकित होना चाहिए।

न्यायालय के सामने पेशी

1356 विचाराधीन बंदी को तय तारीख को अदालत के सामने सशरीर पेश करना होगा। हालांकि हिरासत की अवधि को बढ़ाने के संबंध में बंदी को व्यक्तिगत या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे की वीडियो लिंकेज के जरिये पेश किया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट डायरी बनाई जाएगी जिसमें सभी जानकारियों को दर्ज कर अलग–अलग अदालतों में पेश किया जाएगा। इन जानकारियों को संबंधित अधिकारी द्वारा रोजना भरा जाना चाहिए और इसका नियमित परीक्षण विचाराधीन बंदियों के प्रभारीं द्वारा किया जाना चाहिए।

अनुरक्षक के लिए प्रार्थना पत्र

1357 कोर्ट डायरी के आधार पर पुलिस अनुरक्षक के लिए अग्रिम जानकारी भेजी जानी चाहिए। अनुरक्षक के लिए आग्रह करते समय महिला, बाल अपराधी, विचाराधीन बंदी के अलावा कुख्यात, हिंसक, खतरनाक बंदियों के बारे में जानकारी जहां तक संभव हो सके, पुलिस, प्रशासन को दी जानी चाहिए।

बीमार बंदी

1358 यदि कोई विचाराधीन बंदी बीमार हो और मेडिकल ऑफिसर प्रमाणित करता है कि बंदी अदालत में नहीं आ सकता है तो उसे अदालत के सामने नहीं पेश किया जाना चाहिए। उस

हालात में चिकित्सीय प्रमाणपत्र अदालत को भेजा जाना चाहिए।

भोजन

1359 विचाराधीन बंदियों को अदालत भेजे जाने से पहले सामान्य तौर पर सुबह का भोजन दिया जाना चाहिए।

अदालत जाते समय सामान ले जाने की अनुमति

1360 अदालत ले जाए जाने के दौरान विचाराधीन बंदी को उसे दी गई कारागार के सभी सामानों को वापस कर देना चाहिए। कपड़ों और उसके मुकदमे से संबंधित कागजातों के अतिरिक्त विचाराधीन बंदी को कोई अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अगर विचाराधीन बंदी कानूनी कार्यवाही के लिए नकदी ले जाना चाहता है तो उसे पुलिस अनुरक्षक के जरिये अदालत को सुपुर्द कर देना चाहिए। इस नकदी का उपयोग विचाराधीन बंदी अदालत के आदेश के बाद अपने बचाव में या दूसरे कागजातों को बनवाने में खर्च कर सकता है। इस संबंध में व्यय की जाने वाली रकम को पुलिस और कारागार प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के सभी कॉलम में दर्ज होना चाहिए। किसी भी हालात में विचाराधीन कैजी को नकदी या अन्य कीमती सामानों को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी।

तलाशी

1361 अदालत भेजे जाने और फिर कारागार लाए जाने के बाद बंदी की पूरी तरह तलाशी ली जाएगी।

यातायात

1362 अदालत तक जाने के लिए यातायात सुविधा :–

(1) बंदी को अदालत में पेशी के लिए निर्धारित वारंट की तिथि को अथवा आदेश मिलने के बाद बंदी को अदालत तक ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा।

(2) अदालत के आदेश के बाद ही हथकड़ी लगाई जाएगी।

(3) महिला बंदियों और युवा अपराधियों को अलग से ले जाया जाएगा। अगर अलग से वाहन सुविधा न हो तो अलग–अलग कंपार्टमेंट में ले जाया जाएगा।

(4) ऐसे बंदी जिनकी जान को खतरा हो, उन्हें अलग से ले जाया जाएगा।

(5) ऐसे बंदियों को अदालत परिसर में अलग हिरासत कक्ष में रखा जाएगा।

(6) अदालत ले जाने से पहले सभी बंदियों की पूरी तरह जांच की जाएगी।

(7) अनुरक्षक प्रभारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत तक ले जाने के दौरान किसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए या अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की किसी कार्य के होने पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई के लिए अधीक्षक को बताया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर बंदी कारागार तक जाने के दौरान किसी तरह की हरकत करता है तो उसे कारागार के अंदर होने वाले अपराध के तौर पर समझा जाना चाहिए।

हथकड़ी

1363 यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बंदी को भागने से रोकने के लिए कोई अन्य उपयुक्त विकल्प न हो तो उसे हथकड़ी लगाई जानी चाहिए।

1364 अदालत की अनुमति और लिखित कारणों के साथ निम्नलिखित श्रेणियों के विचाराधीन बंदियों के हाथों में हथकड़ी लगाई जा सकती है:—

(क) गंभीर या हिंसक अपराधों में संलिप्त बंदी

(ख) ऐसे बंदी जिनका इतिहास कुख्यात और खतरनाक हो,

(ग) हिंसक, उग्र व्यवहार वाले बंदी

(घ) ऐसे बंदी जो कारागार से पहले भाग चुके हों।

1365 अदालत के निर्देश के बाद विचाराधीन बंदी के हाथों में कारागार परिसर के अंदर हथकड़ी लगाई जा सकती है।

अदालत परिसर

1366 पुलिस अनुरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अदालत परिसर या अदालत और कारागार के बीच यात्रा के दौरान बंदी को अपने पास प्रतिबंधित वस्तुएं रखने की इजाजत नहीं होगी।

1367 अदालत परिसर में ले जाए जाने से पहले विचाराधीन बंदी की गहन जांच होनी चाहिए।

कारागार में वापसी

1368 अदालती कार्रवाई पूरी होने के बाद अगर विचाराधीन बंदी को रिमांड पर भेजने का आदेश हो तो उसे तत्काल कारागार वापस लाना चाहिए।

1369 विचाराधीन बंदी के अदालत से कारागार द्वार तक वापसी के दौरान, यदि उसके पास कोई अनधिकृत वस्तुएं पायी जाये या कोई असामान्य परिस्थिति अथवा अनियमितता देखी जाए तो ड्यूटी पर तैनात कारागार अधिकारी इसकी सूचना तत्काल ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी को या आवश्यक होने पर कार्रवाई हेतु पुलिस उपायुक्त को जानकारी दी जाएगी। अदालत से कारागार लाए जाने के दौरान अगर बंदी के पास नकदी हो तो विचाराधीन बंदी को बताकर उसे कारागार कार्यलाय में जमा कराया जाना चाहिए।

विचाराधीन बंदियों को दूसरे राज्यों में पेश किए जाने के संदर्भ में

1370 किसी दूसरे राज्य द्वारा प्रोडक्शन वारंट मिलने के बाद सीएमएम दिल्ली का आदेश लेना अनिवार्य होगा। अगर इस संबंध में आदेश ठुकरा दिया जाता है या प्राप्त नहीं होती है तो पेशी न होने के संदर्भ में संबंधित अदालत को या राज्य को सूचना दी जाएगी।

1371 अगर विचाराधीन बंदी को अगले दिन पेशी के समय उपलब्ध नहीं है और उसके खिलाफ दिल्ली या दूसरे राज्यों में मामला न हो उसे बिना न्यायिक रिमांड के स्वतः रिहा नही किया जाएगा। हर हाल में कोशिश की जानी की चाहिए उसके मामले के निपटारे के लिए पेशी के संदर्भ में अगली तारीख मिले।

दीवानी मुकदमों में सुनवाई के दौरान अदालत में बंदी की पेशी

1372 संबंधित न्यायाधीश द्वारा जब तक बंदी को व्यक्तिगत पेशी का आदेश न हो तो तब तक दीवानी मामलों में सुनवाई के लिए

विचाराधीन बंदी को अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा।

अनावश्यक हिरासत से रोक

1373 किसी विचाराधीन बंदी का मामला यदि मैजिस्ट्रेट के सामने हो तो उसे रिमांड की अवधि के दौरान प्रत्येक 15 दिनों में कम से कम एक बार मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।

1374 **लंबे समय तक हिरासत के संबंध में सावधानियां**

कारागार अधीक्षक हर महीने विचाराधीन बंदियों की एक सूची जिला एवं सत्र न्यायाधीश और गृह विभाग को देगा।

(क) ऐसे बंदी जिनकी हिरासत की अवधि उस अपराध/अपराधों के मामले में कानूनी तौर पर अधिकतम सजा के बराबर हो।

(ख) ऐसे बंदी जिनकी अपराध/अपराधों से संबंधित हिरासत की अवधि उस मामले में अधिकतम सजा अवधि की आधी हो।

(ग) ऐसे बंदी जिन्होंने जमानत आदेश मिलने के बाद दो महीने तक मुचलके की राशि जमा न कराई हों।

(घ) ऐसे बंदी जिन्होंने हिरासत की अवधि को ध्यान में देते हुए बगैर जमानती अपराध या अपराधों में मुचलके की राशि भरने में नाकाम रहे हों।

अतिरिक्त मामले

1375 जब किसी बंदी के खिलाफ अतिरिक्त मामला/मामले विचाराधीन हों तो निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए :–

(क) अतिरिक्त मामलों को विचाराधीन पुस्तिका में रिमांड वारंट के उचित कॉलम में लाल स्याही में दर्ज किया जाना चाहिए और अदालत डायरी बनाई जानी चाहिए।

(ख) बंदी के जमानत या जमानत न होने के संदर्भ में संबंधित अदालत या अदालतों को मामलों की सूचना दी जानी चाहिए।

(ग) अभिरक्षा में तैनातपुलिस को निर्धारित प्रारूप में जानकारी दी जानी चाहिए।

1376 जब विचाराधीन बंदी किसी अन्य मामले में जमानत पर नहीं हो तो संबंधित अदालत अलग से रिमांड वारंट्स जारी करेगी। दूसरे मामले या मामलों में जमानत मिलने पर अदालत द्वारा कारागार प्रशासन को जानकारी दी जाएगी।

1377 जब विचाराधीन बंदी को किसी अन्य मामले में कारागार या उप–कारागार में रखा गया हो और किसी दूसरे मामले में उसे जमानत मिली हो तो संबंधित अदालत कारागार अधिकारियों को सूचित करेगी।

1378 अगर विचाराधीन बंदी के खिलाफ दो मामले लंबित हों और वो जमानत पर नहीं हो, तो हर बार अदालत भेजे जाने के दौरान लाल स्याही में इस बात को लिखा जाना चाहिए कि वह अदालत भेजा गया है।

No convicted prisoner shall be kept in the same area in which under trial prisoners are kept or be allowed to have contact with under trial prisoners except prisoners working in essential prison services like conservancy etc. As soon as the work is over, these prisoners should be withdrawn from the yard or block. In all matters where under trial prisoners are concerned, no convicted prisoner shall be used for supervision or similar purpose. All such matters should be handled by staff membe

अनुशासन

1379 किसी भी दोष सिद्ध बंदी को, सफाई–व्यवस्था जैसी अनिवार्य कारागार सेवाओं को छोड़कर, विचाराधीन बंदियों के साथ नहीं रखा जाएगा अथवा दोष सिद्ध बंदी के साथ मेलजोल की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद बंदियों को उस यॉर्ड या ब्लॉक से हटा दिया जाना चाहिए। विचाराधीन बंदियों से जुड़े मामले में किसी भी दोष सिद्ध बंदी को पर्यवेक्षण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन कार्यों को कारागार स्टाफ की निगरानी में किया जाना चाहिए।

कार्य

1380 विचाराधीन बंदी अपने यार्ड, बैरक और सेल की सफाई करेंगे। विचाराधीन बंदियों को कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए। उन कार्यों को समूह के आधार पर बांटा जा सकता है ताकि सभी बंदियों के संयुक्त कार्यों से यार्ड, बैरक और सेल साफ सुथरा रहे। इसके साथ ही सभी विचाराधीन बंदियों को अपने कपड़ों, बिस्तर और दूसरे सामनों की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा।

1381 यदि कोई विचाराधीन बंदी स्वेच्छा से कोई कार्य करना चाहता है तो उसे, यथा संभव उचित कार्य दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा तय मानकों के हिसाब से बंदी को भत्तों इत्यादि का भुगतान किया जा सकता है। विचाराधीन बंदियों को कारागार के बाहर किसी तरह का रोजगार देने की सख्त मनाही है। सामान्यतः विचाराधीन बंदियों को उनके अहातों के बाहर कार्य करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए अथवा उन कार्य–स्थलों और क्षेत्रों में रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए, जहां सिद्ध दोष बंदीकार्य कर रहे हों।

स्थानांतरण

1382 आपात स्थिति के दौरान या प्रशासनिक आधार पर कारागार महानिरीक्षक विचाराधीन बंदी को दिल्ली क्षेत्र की सीमा में एक कारागार से दूसरे कारागार में स्थांतरित करने के लिए अधिकृत है। बंदी को निर्धारित तारीख पर अदालत के सामने पेश करना होगा।

गंभीर बीमारी

1383 जब विचाराधीन बंदी गंभीर तौर से बीमार हो तो कारागार अधीक्षक उस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट संबंधित आदेश के साथ अदालत को भेजेगा। यदि कानून अनुमति देता हो और अदालत की नजर में बंदी का पक्ष मजबूत हो तो उसे बेल पर रिहा किया जा सकता है।

गंभीर बीमारी या मृत्यु की दशा में पारिवारिक सदस्यों को जानकारी देना

1384जब कभी किसी विचाराधीन बंदी को गंभीर बीमारी हो या उसकी मौत हो जाए तो कारागार अधीक्षक जितनी जल्दी हो

सके उपलब्ध साधनों से संबंधित थाने के जरिए बंदी के परिवार को जानकारी देगा।

बाहरी अस्पतालों में स्थानांतरण

1385 जब कारागार का चिकित्साधिकारी विचाराधीन बंदी के स्वास्थ्य के संबंध में कारागार के अस्पताल से बाहर भेजने की संस्तुति करता है तो कारागार प्रशासन को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

मृत्यु

1386 अगर किसी विचाराधीन बंदी की मृत्यु हो जाती है तो उस संबंध में अदालत एवं अन्य संबद्ध एजेंसियों को तत्काल जानकारी देनी चाहिए।

दोषी करार देना

1387 किसी विचाराधीन बंदी का दोष सिद्ध होने पर, विचाराधीन बंदियों के प्रभारी अधिकारी को उससे संबंधित सभी कागजात और रिकॉर्ड तथा नकदी एवं अन्य व्यक्तिगत सामान, यदि कोई हो, दाखिला देने वाले प्रभारी अधिकारी को सुपुर्द कर देने चाहिए। दोष सिद्ध होने पर विचाराधीन बंदी को नए दोष सिद्ध बंदियों से संबंधित प्रांगण में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

रिहाई

अदालत से रिहाई

1388 किसी विचाराधीन बंदी के अदालत से आरोपमुक्त या रिहा किए जाने की स्थिति में, अदालत द्वारा इस आशय की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में की जाएगी।यह जानकारी प्राप्त होने पर तत्संबंधी उल्लेख विचाराधीन बंदियों के रजिस्टर के उचित कॉलम में किया जाना चाहिए। अगर यह जानकारी रिहाई के दिन प्राप्त नहीं होती है तो कारागार अधीक्षक अविवलंब अदालत का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट करेगा।

1389 अगर विचाराधीन बंदी को अदालत रिहा कर देता है, तो बंदी को अपने व्यक्गित वस्तुओं के संबंध में तीन महीने के अंदर प्राप्त करने के लिए दावा करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कारागार प्रशासन, कारागार महानिरीक्षक की अनुमति के बाद बंदी के सामान को जब्त कर नीलामी के जरिए बेच देगा।

नीलामी के बाद जो नकदी या किसी अन्य रूप में हासिल होगी उसे सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा।

कारागार से रिहाई

1390 रिहाई का आदेश और बेल बॉन्ड डाक या अदालत के कर्मचारी द्वारा भेजा जाएगा। अगर कोई गैर सरकारी शख्स उन दस्तावेजों को लाता है तो उसे कारागार के कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

1391 बेल बॉन्ड या रिहाई के आदेश के बाद कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। केंद्रीय कारागार या जिला कारागार में बंद विचाराधीन बंदी को बेल बॉन्ड या रिहाई के आदेश के बाद उसी दिन रिहा कर देना चाहिए।

बाहर के अस्पताल से रिहाई

1392 यदि कोई विचाराधीन बंदी, जिसका इलाज अस्पताल में हो रहा हो और उसकी रिहाई या जमानत का आदेश अदालत ने दिया हो तो दिल्ली सशस्त्र पुलिस के कर्मी, बंदी को हिरासत में रखने वाले प्रभारी को बंदी की जमानत के बारे में जानकारी दी जाएगी और तय कार्यवाही को पूरी करने के बाद बंदी को दी जाने वाली सुरक्षा हटा ली जाएगी। संबंधित अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक इस तरह की जानकारी मिलने के बाद बंदी के स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे सकता है।

रिहाई की विधि

1393 विचाराधीन बंदी की रिहाई के समय प्रभारी अधिकारी को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए :—

(क) बेल बॉन्ड और रिहाई के आदेश को मूल दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का परीक्षण करेगा।

(ख) यह भी सुनिश्चित करेगा कि विचाराधीन बंदी के खिलाफ कहीं दूसरे मामले लंबित तो नहीं है।

(ग) विचाराधीन बंदी की पहचान की जांच करेगा।

(घ) विचाराधीन बंदी को नकदी या अन्य सामानों को सौंपेगा।

1394 रिहाई के पहले विचाराधीन बंदी को बेल बॉन्ड में लिखी बातों को बताया जाना चाहिए।

1395 यदि विचाराधीन बंदी के पास पर्याप्त पैसे न हो तो उसे यात्रा वारंट के तौर पर धन दिया जा सकता है और यदि बंदी को घर जाने में 12 घंटे से ज्यादा समय लगता है तो निर्वाह धन भी दिया जा सकता है।

1396 रिहाई के बाद बेल बॉन्ड को रिहाई के प्रमाण पत्र के साथ संबंधित अदालत को लौटाया जाना चाहिए।

(क) **रिहाई आदेश और वारंट में मतभिन्नता** – यदि रिहाई के आदेश में लिखित बातों और हिरासत वारंट में किसी तरह की गड़बड़ी है और कारागार अधीक्षक को बंदी की रिहाई में किसी तरह का जोखिम नजर आता है तो वह अगले दिन रिहाई आदेश में त्रुटि को ठीक करने के संबंध में अदालत को जानकारी देगा। अगर कोई गड़बड़ी किसी त्रुटि की वजह से थी तो रिहाई वारंट में सुधार के बाद विचाराधीन बंदी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

(ख) **गड़बड़ी की वजह से हिरासत की अवधि बढ़ना**–अधीक्षक ऐसे सभी विचाराधीन बंदियों के मामले हर महीने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संज्ञान में लाएगा, जिनकी हिरासत की अवधि अदालत के कर्मचारियों की लापरवाही या ढिलाई के कारण हुई त्रुटि की वजी से बढ़ी हो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस संबंध में जांच कराने या उचित कार्रवाई करने के आदेश दे सकता है।

महिला विचाराधीन बंदी

1397 महिला विचाराधीन बंदी को महिला पुलिस का अनुरक्षण मिलेगा, जहां तक व्यावहारिक और संभव हो सके विचाराधीन महिला बंदियों के लिए अलग से परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए।

1398 विचाराधीन महिला बंदियों के लिए महिला स्टॉफ सदस्य प्रभारी होंगी। एक महिला सहायक अधीक्षक या विशेष मैट्रन को विचाराधीन महिला बंदी के कारागार में आने और रिहाई के दौरान मौजूद होना चाहिए। महिला विचाराधीन बंदियों के काम के दौरान उन्हें मौजूद होना चाहिए।

विचाराधीन विदेशी बंदी

1399 विचाराधीन बंदी अगर विदेशी हो या वो भारतीय नागरिक नहीं हो तो उसे विएना घोषणा पत्र के तहत वकील रखने की इजाजत होगी।

1400 उसे पारिवारिक सदस्यों से मिलने आदि की सुविधाएं, बाहरी दुनिया से सम्पर्क के अध्याय में वर्णित नियमों के मुताबिक मिलेगी। सुरक्षा के मद्देनजर फोन पर होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की सुविधा कारागार महानिरीक्षक के लिखित आदेश पर हटाया जा सकता है। अदालत द्वारा रिहाई या दोषमुक्त किये जाने के बाद विचाराधीन बंदी को देश से बाहर करने के लिए एफआरआरओ को सौंप दिया जाएगा।

विचाराधीन बंदियों के लिए दिनचर्या एवं कार्यक्रम

1401 स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नियमित दिनचर्या का निर्धारण होना चाहिए।

1. **सवेरे**

- शौच एवं ध्यान
- बैरक खोलने की तैयारी
- दृष्यता की स्थितियों के अनुसार बंदियों को अनलॉक करना (यानी बैरक या सेल से बाहर लाना)
- गिनती
- सर्च/खोज अर्थात् भौतिक विद्यमानता
- बैरक या सेल को छोड़ना

2. **सुबह**

- शौच
- प्रार्थना
- पीटी ड्रिल और योग
- सुबह का हल्का भोजन,
- बैरक, यार्ड और खुली जगहों की सफाई
- औजारों की सफाई
- स्वैच्छिक आधार पर कार्य

- शैक्षणिक कक्षाएं, कपड़ों की सफाई और स्नान, भोजन और आराम

3. दोपहर

- समाचार पत्र, पुस्तकालय से पुस्तकें
- शैक्षणिक कक्षाएं
- सामाजिक शिक्षा
- शौच
- संस्थागत सुविधाओं के अनुसार एक घंटे के लिए खेल एवं क्रीड़ाएं

4. शाम होने से पहले

- साफ सफाई, भोजन
- बैरक में जाने की प्रक्रिया
- गिनती
- खोज
- गोधुलि के समय लॉक–अप

5. शाम

- समाचार पत्र, पुस्तकालय
- टीवी या रेडियो म्यूजिक, ध्यान और सोने के लिए जाना

हालांकि कारागार महानिरीक्षक समय समय पर इसमें आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।

नोट : बैरक, कोठरी, खुली जगहों और औजार की सामान्य सफाई हफ्ते में एक बार की जाएगी।

अध्याय –25
उच्च जोखिम (High Risk) वाले बंदी एवं नज़रबंदी

1402 उच्च जोखिम वाले बंदियों को कारागारों के भीतर उच्च सुरक्षा दायरे के रूप में सीमांकित अलग भागों में रखा जाएगा। यदि संभव हो तो अलग से उच्च सुरक्षा कारागारों का निर्माण भी किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में उच्च सुरक्षा वाले मुजरिमों को अन्य विचाराधीन एवं दोषसिद्ध बंदियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए।

1403 **उच्च जोखिम वाले क़ैदी**:–(1)नज़रबंदियों समेत उच्च जोखिम वाले बंदी वह बंदी हैं जिनके बारे में दिल्ली पुलिस या किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि बंदी निम्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत हैः–

I. **श्रेणी– 1 (एस 1– लाल)**: कट्टरपंथी, नक्सलवादी, अतिवादी एवं आतंकवादी अथवा कोई अन्य विशिष्ट प्रकार जिसमें कारावास न्यायसंगत हो ।

II. **श्रेणी–2 (एस 2– नीला)** : डाकुओं कागिरोह, धन के एवज में हत्या करने वाले, डकैत, सिलसिलवार हत्याएं करने वाले/बलात्कारी/हिंसक लुटेरे, मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले अपराधी, आभ्यासिक गंभीर अपराधी/आत्मघाती प्रवृत्ति वाले अपराधियों समेत/सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा पैदा करने वाले बंदी जिन्हें कारागारमें रखना अनिवार्य हो।

इस स्थिति में अधीक्षक उक्त बंदियों को विशेष रूप से सुरक्षित वॉर्ड में कड़ी निगरानी में रखेगा।

2. यदि अधीक्षक के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हों कि व्यक्ति उपरोक्त श्रेणियों में से है एवं पुलिस की ओर से

ऐसा नहीं बताया गया है तब अधीक्षक कारागार महानिरीक्षक की संस्तुति से उपनियम (1) के अनुसार कार्रवाई करेगा।

इमारत की संरचना

1404 कारागार की मौजूदा संरचना के अतिरिक्त भविष्य में उच्च सुरक्षा वाले दायरे/कारागारों के निर्माण के लिए निम्न मानदण्ड विचारित किये जाने चाहिए :–

1405 उच्च सुरक्षा दायरे/कारागारमें कम से कम बीस फीट ऊंची एक मोटी चुनी हुई बाहरी दीवार होनी चाहिए, जिसके सभी कोनों में निगरानी टॉवर लगे हों एवं परिसर के अंदर एक केंद्रीय टॉवर लगा हो। दायरे/कारागार में सुरंगरोधी शिलाखंड लगे होने चाहिए एवं आकाश की ओर खुले सभी स्थानों को लोहे की जाली से ढकदिया जाना चाहिए।

1406यदि उच्च सुरक्षा दायरा/कारागार अनेक कमरों वाली जगह है तो वहां न्यूनतम 10'×9′ क्षेत्रफल के स्थान में अंतर्निहित शौचालय, स्नानागार एवं एक मज़बूत विभाजक दीवार होनी चाहिए। सेल काअग्रभागलोहे की जाली से निर्मित होना चाहिए, फर्श आरसीसी के शिलाखंडों से बना होना चाहिये, खिड़कियों के स्थान पर ऊंचे वायु–प्रवाहक (high ventilators) उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इमारत में अलग से एक प्रवेश लॉबी होनी चाहिये जिसके एक ओर आगंतुकों का कमरा, चिकित्सा परीक्षण कक्ष, एवं भोजन वितरण कक्ष स्थित हो।

1407 यदि उच्च सुरक्षा दायरे/कारागार में एक कमरे वाला स्थान (सेलुलर एवं सहायक बैरक) है तो यह जगह 16′ × 9′ आकार की हो सकती है जहां एक या अधिक बंदी एक समय में बंद किये जा सकते हैं। बैरकों में अधिकतम 10 से 15 बंदियों को रखने की क्षमता होनी चाहिए। इनमें एक

अंतर्निहित शौचालय एवं स्नानागार भी होना चाहिए। एक बैरक का आकार 27′ × 10′ हो सकता है। इस सुरक्षा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रसोई हो सकती है। सुरक्षा क्षेत्र में अलग से एक प्रवेश लॉबी होगी; आकाश की ओर खुली जगह लोहे की जालियों से ढकी होनी चाहिए।

1408 इमारत का आकार अण्डाकार एवं सभी दिशाओं से वॉच टॉवर से घिरा होना चाहिए। इस क्षेत्र में पहली बार आतंकवादी और उग्रवादी अपराधों को अंजाम देने वाले दोषसिद्ध एवं विचाराधीन, दोनों प्रकार के बंदी, जिनके भागने की आशंका कम हो, रखे जा सकते हैं।

स्टाफ पैटर्न

1409उच्च सुरक्षा दायरों में देखरेख के लिए सुप्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना चाहिए। इन स्थानों का प्रभारी सहायक अधीक्षक से कम ओहदे वाला अधिकारी नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रावधान बनाये जाने चाहिए कि कोई भी कर्मचारी ड्यूटी की आवश्यकताओं को छोड़कर इन बंदियों के सीधे सम्पर्क में न आए।

सुविधाएं (मुलाकात, पत्र एवं संवाद)

1410उच्च जोखिम वाले अपराधियों को केवल वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो कारागार महानिरीक्षक के प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत अनुमत हैं, किंतु मुलाकात एक अधिकारी की उपस्थिति में ही होगी। मुलाकात हेतु बने कमरों में निगरानी के लिए आवाज़ रिकॉर्ड करने की सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरेलगाये हुए होने चाहिए। इतना ही नहीं कमरा प्रवेश लॉबी के निकट होना चाहिए। केवल रक्त संबंधियों, जीवनसाथी एवं स्वीकृत अधिवक्ताओं के साथ ही मुलाकातों की अनुमति दी जानी चाहिए।सभी चिट्ठियां समुचित ढंग से सेंसर (censored)की जानी चाहिए।

खानपान, शौचालय, वस्त्र एवं बिस्तर

1411 उच्च जोखिम वाले मुजरिमों के लिये बाहर से किसी खाद्य सामग्री की अनुमति नहीं होनी चाहिए। किसी भी बंदी को स्वयं के लिए भोजन पकाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। किसी अन्य विचाराधीन क़ैदी, नज़रबंदी अथवा दोषसिद्ध को उच्च सुरक्षा दायरे में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शौचकर्म हेतु बने स्थान, कपड़े एवं बिस्तर वही होंगे जो अन्य विचाराधीन एवं दोषसिद्ध बंदियों को दिये जाते हैं।

चिकित्सकीय देखरेख

1412 चिकित्सकीय देखरेख अन्य बंदियों जैसी ही, किंतु परिसर में ही निर्मित चिकित्सा परीक्षण कक्ष में, होनी चाहिए। किसी आपातिक स्थिति के आने पर अधीक्षक की अनुमति से उनको उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, किंतु यथायोग्य पुलिस के सुरक्षा घेरे एवं रक्षकों के साथ।

खेलकूद, क्रीड़ा एवं मनोविनोद

1413 कारागार सुरक्षा एवं अनुशासन के अधीन उच्च सुरक्षा कारागार में बंद बंदियों को किताबें, समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जब भी आवश्यक हो लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि संभव हो तो सेल से बाहर सुरक्षा के दृष्टिकोण एवं जेल के आचरण के हिसाब से आवश्यकबंधनों समेत टीवी/रेडियो सेट भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। सेल के अंदर नियमित योग एवं शारीरिक व्यायाम की अनुमति प्रदान की जा सकती है। शाम को बंद किये जाने से पूर्व बंदियों को ब्लॉक के भीतर बनी जगह में घूमने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। यह

सुविधाएं विशेष रूप से प्रदान अधिकार हैं एवं इनकी स्वाधिकार स्वरूपप्राप्ति का दावा नहीं किया जा सकता एवं बंदियों की संरक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से कारागार प्राधिकरण द्वारा इन सुविधाओं को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

1414 इसी प्रकार सुरक्षा वर्ग श्रेणी–2 में बंद बंदियों को उनकी बैरक में रेडियो व टीवी, अंदर रहकर खेले जाने वाले खेल जैसे कैरम एवं शतरंज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उनको लेखन सामग्री समेत किताबें, अखबार, पत्र एवं पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जेल संबंधी आचार के आधार पर उनके व्यवहार के अनुरूप बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति भी प्रदान की जा सकती है। यह सुविधाएं विशेष रूप से प्रदान अधिकार हैं एवं इनकी स्वाधिकार स्वरूप प्राप्ति का दावा नहीं किया जा सकता एवं बंदियों की संरक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से कारागार प्राधिकारियों द्वारा इन सुविधाओं को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

कैंटीन की सुविधा

1415 उच्च ख़तरे वाले मुजरिमों को कैंटीन की सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब उनका प्रतिकूल व्यवहार रोकने के लिये पर्याप्त सुरक्षा पूर्वोपाय किये गए हों ।

सुधार एवं उपचार हेतु कार्यक्रम

1416सुधार एवं उपचार के कार्यक्रमों को सुरक्षा क्षेत्र में रखे गए बंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम का एक आवश्यक भाग होनी चाहिए। यह गतिविधियां एवं कार्यक्रम केवल इसी दायरे के भीतर आयोजित किये जाने चाहिए। इन बंदियों को अन्य बंदियों के साथ मिलने–जुलने के लिये बाहर नहीं ले जाया जाएगा ।

सुरक्षा

1417सभी सुरक्षा दायरों में सुरक्षा का एक दोहरा घेरा उपलब्ध कराया जाएगा। दायरों के अंदरूनी भाग की सुरक्षा में कारागार के उच्च प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किये जाने चाहिये, जबकि वॉच टॉवर एवं सुरक्षा दीवार समेत बाहरी सुरक्षा का उत्तरदायित्व विशेष शस्त्रधारी प्रहरी का होना चाहिए।

1418परिसर वॉक–टॉकी, अलार्म, मोबाइल जैमर एवं अवरोधन एवं व्यवधान की सुविधा वाली आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली से सुसज्जित होने चाहिए।

i. आईडी मशीनें, हस्तचालित व दरवाज़े में लगने वाले मेटल डिटेक्टर एवं सभी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
ii. कारागार का शस्त्रागार सभी प्रकार के आधुनिकतम एवं स्वचालित हथियारों से सुसज्जित होना चाहिए।
iii. प्रत्येक बैरक एवं सेल में, विशेषकर मुलाकात के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगा होना चाहिए।
iv. वॉच टॉवर पर तैनात संतरियों को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए।
v. उच्च सुरक्षा दायरों के निकट किसी की आवाजाही से मुक्त क्षेत्र की तय किया जाना चाहिये जिसमें ड्यूटी पर निर्धारित कर्मचारियों को छोड़ कर कारागार के किसी स्टाफ एवं बंदी की पहुंच नहीं होनी चाहिए।
vi. प्रतिदिन बैरक, सेल एवं बंदियों की जांच होनी चाहिए। उच्च सुरक्षा वाले बंदियों की एक दिन में दो बार जांच होनी चाहिए।
vii. ताला लगाने एवं खोलने की प्रक्रिया प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न कराई जानी चाहिये एवं रात्रिकाल के दौरान कोई भी बैरक कारागार अधीक्षक अथवा ड्यूटी पर

तैनात प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति के सिवाय नहीं खोली जानी चाहिए।

viii. तालों का निरीक्षण करने के अलावा चिटखनियों, जालियों, भोजनशाला, वायु प्रवाहक, फर्श, बैरक/सेल की दीवारें, इसकी छत का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए।

ix. दायरों के अहातों में तैनात प्रहरियों को एक दूसरे से अपनी ड्यूटी के लिए आवश्यक होने से अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। अहाते का प्रवेश द्वार अंदर से हमेशा बंद होना चाहिए।

x. सेल/बैरक के दरवाज़ों में लगे तालों की चाबियां केवल उनके पास होनी चाहिये जिनकी ड्यूटी इस कार्य हेतु नियत की गई है। किसी भी परिस्थिति में यह किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए।

xi. सेल एवं बैरक में अंधेरेयुक्त स्थानों एवं अंदरूनी कोनों में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होना चाहिए।

xii. प्रवेश करते एवं बाहर आते समय ड्यूटी पर तैनात प्रहरी की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। इन बंदियों से खाद्य सामग्री, धूम्रपान हेतु सामान, यहां तक कि पानी भी स्वीकार न करने के लिए उसको समय समय पर पर्याप्त रूप से बताया जाना चाहिए।

xiii. उच्च सुरक्षा दायरों वाले बंदियों की ताला लगाते एवं खोलते समय गिनती के अतिरिक्त एक दिन में न्यूनतम दो बार गिनती की जानी चाहिए।

xiv. कारागार अनुशासन के उल्लंघन की जांच के लिए श्वास विश्लेषक जैसे उपकरणों की खरीद और उनका उपयोग भी किया जा सकता है।

नोटः— समय—समय पर जांच एवं अन्य सुरक्षा उपायों के लिए कारागार महानिरीक्षक दिशानिर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर सकते हैं।

अदालती सुनवाई

1419 इन उच्च सुरक्षा दायरों में वीडियो लिंकेज मुहैया कराए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में किसी विचाराधीन क़ैदी, दोषसिद्ध अथवा नज़रबंदी को इन परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आवश्यक न होने पर कारागार के नियमित या पैरामेडिकल स्टाफ की इन परिसरों में पहुंच नहीं होगी।

सश्रम कारावास के लिए सिद्धदोषी

1420 उच्च जोखिम (High risk) वाले अपराधी जो सश्रम कारावास भुगत रहे हैं वे सुरक्षा दायरे के भीतर नियत किया गया सभी प्रकार का कार्य करेंगे।

दण्ड

1421 इन नियमों में कारागार अनुशासन के अध्याय में बताये अनुसार कारागार के अनुशासन एवं सुरक्षा का उल्लंघन होने पर अधीक्षक सभी उच्च जोखिम (High risk) वाले अपराधियों को दण्ड दे सकता है। अधीक्षक ऐसे बंदियों के विरुद्ध यथोचित क़ानूनी कार्रवाई कर सकता है एवं यदि कोई अधिक जोखिम वाला अपराधी वह अपराध करता है जो कारागार का अपराध होने के अतिरिक्त किसी क़ानून के अंतर्गत दण्ड योग्य भी है तो स्थानीय पुलिस थाने की सहायता सेउपयुक्त आपराधिक प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। कारागार अनुशासन के अध्याय में बताये गए बड़े एवं छोटे अपराधों के अतिरिक्त :–

i. यदि कोई उच्च जोखिम (High risk) अपराधी लगातार उल्लंघन करता है तो अधीक्षक कारागार महानिरीक्षक से किसी अन्य कारागार में उसके स्थानांतरण की अनुशंसा कर सकता है ।

ii. सुविधाएं जैसे मुलाकातें/पत्र व्यवहार/कैंटीन की सुविधा आदि किसी सीमित समय के लिए या अन्य रूप में वापस ली जा सकती हैं।

iii. अर्जित छूट की वापसी एवं निरीक्षक द्वारा निर्धारित कोई अन्य दण्ड भी लगाया जा सकता है।

नज़रबंदी

हिरासत के बारे में हिरासत अधिकारी को सूचना

1422 यदि कोई नज़रबंदी कारागार में आता है तो अधीक्षक तुरंत हिरासत प्राधिकारी को संचार के तीव्रतम साधनों का प्रयोग कर इस हिरासत की सूचना देंगे।

संसद या विधानसभा को सूचना

1423 यदि कारागार में कोई संसद, विधानसभा या विधानपरिषद सदस्य हिरासत के लिए लाया जाता है तो अधीक्षक तुरंत स्पीकर या इन विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त सदस्य की कारागार में हिरासत के बारे में सूचना देंगे।

नज़रबंदी को अलग रखना

1424 नजरबंदियों को अन्य बंदियों से अलग रखा जाएगा और मामले के अनुसार उन्हें एक अलग वॉर्ड या अहाते या कक्ष में बंद किया जाएगा।

भोजन, बिस्तर, कपड़े एवं ज़रूरत के अन्य सामान –

1425 नज़रबंदी को भोजन, बिस्तर, कपड़े, एवं अन्य विचाराधीन बंदियों के लिए ज़रूरत के अन्य सामान दिये जाएंगे ।

मुलाकात एवं संवाद

1426 नज़रबंदी को अन्य बंदियों के समान ही मुलाकातों एवं संचार की सुविधाओं के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

नज़रबंदी का अभ्यावेदन

1427 नज़रबंदी के अभ्यावेदनको निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा :–

(1) किसी नज़रबंदी के अभ्यावेदनको अधीक्षक तीव्रतम साधनों का प्रयोग कर नज़बंद करने वाली संस्था के पास पहुंचाएगा एवं इसकी एक प्रति स्वयं के पास रखेगा।

(2) यदि नज़रबंदी से संबंधित आधिकारिक पत्र व्यवहार प्राप्त हुआ है तो नज़रबंदी तक पहुंचाने से पहले एक पावती प्राप्त कर ली जाएगी।

(3) नज़रबंदी से संबंधित आधिकारिक पत्र व्यवहार अधीक्षक स्वयं के पास रखेगा।

(4) निजी पत्र व्यवहार में ऐसी सामग्री शामिल है जो राज्य की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह, अनुशासन के विरुद्ध, अथवा परिदृश्य या सार्वजनिक व्यवस्था पर हानिकर प्रभाव डालने वाली है वह अधीक्षक के विवेकानुसार उक्त संवाद में रोक ली या मिटा दी जाएगी।

(5) सभी संचार या सामग्री जो अभियोगात्मक है वह फौरन पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) अथवा संबंधित ज़िले के उपायुक्त को बता दी जाएगी।

नज़रबंदी का सरकार या केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा परीक्षण

1428 अधीक्षक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में अनुरोध–पत्र प्राप्त होने पर सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी को उसकी आधिकारिक दायित्व या तत्समय प्रचलित किसी क़ानून द्वारा या क़ानून के अंतर्गत उस पर प्रदत्त किसी शक्ति के पालन–स्वरूपकिसी नज़रबंदी का

परीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। नज़रबंदी के परीक्षण का स्थान, समय एवं अवधि महानिरीक्षक द्वारा उल्लिखित होगी।

सामान्य अनुशासन

1429 नज़रबंदी के मामले में भी अन्य बंदियों के लिए समान अनुशासन लागू होगा।

रिकॉर्ड एवं रजिस्टर

1430 नज़रबंदी के रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखे जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक अभ्यावेदन संबंधित प्राधिकरण तक तेज़ी से पहुंच जाए।

अध्याय–26
महिला बंदी

1431 महिला बंदियों की सुरक्षा सुनि"चत करने तथा किसी भी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए, एक अलग महिला कारागार की स्थापना करना वांछनीय है। आपात स्थिति में पुरुष व महिला दोनों ही बंदियों को एक ही कारागार में रखा जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि महिला बंदियों को कारागार परिसर के अंदर ही किसी पृथक महिला वार्ड में रखा जाए। कारागार के वर्तमान वार्डों को इस तरह पुनर्निमित किया जाना चाहिए कि महिला बंदी आने–जाने के दौरान पुरुष बंदियों के संपर्क में न आएं। महिला वार्ड को जहां तक संभव हो सके अन्य वार्डों से अलग निर्मित किया जाना चाहिए। इन वार्डों में ताला बंद करने की दो प्रणाली होनी चाहिए – एक बाहर और एक अंदर। अंदर वाले तालों की चाबियां वार्ड के अंदर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी के पास होनी चाहिए।

1432. महिला बंदियों को रखे जाने वाले वार्ड/परिसर में उनकी जरूरतों के अनुसार सभी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे सुरक्षा, गर्भावस्था, ि"ा"ु का जन्म और परिवार की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास आदि।

1433. महिला बंदियों के किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। उनकी वि"ोष आव"यकताओं को ध्यान में रखते हुए महिला बंदियों को कार्य सौंपा जाना चाहिए। महिला बंदियों को भी पुरुष बंदियों के समान कार्य करने, प्रि"ाक्षण व ि"ाक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

वर्गीकरण और पृथककरण

1434. महिला बंदियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा और पृथक रखा जाएगा :

I. विचाराधीन बंदियों को सज़ा प्राप्त बंदियों से पूरी तरह अलग रखा जाएगा, उस स्थिति में भी जब उनकी संख्या बहुत कम हो।

II. बार–बार अपराध करने वालों को आकस्मिक अपराधियों से अलग रखा जाएगा।

III. सेक्स वर्करों और वे"यालय चलाने वालों को अलग रखा जाएगा।

IV. युवा महिला बंदियों को किसी भी स्थिति में वयस्क महिला बंदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। कम उम्र और प्रकृति को देखते हुए युवा महिला बंदियों को अलग वार्ड में रखा जाएगा और पुनर्वास के लिए उनकी वि"ोष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार किया जाएगा तथा उन्हें प्र"िाक्षण दिया जाएगा।

V. रक्षात्मक प्रावधानों के साथ दीवानी मामलों अथवा हिरासत से संबंधित बंदियों को जहां तक संभव हो सके, सज़ा प्राप्त, विचाराधीन तथा अन्य बंदियों से पृथक रखा जाएगा।

VI. अहिंसक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों के राजनीतिक बंदियों तथा गिरफ्तारी देने वाले बंदियों को कारागार में अन्य बंदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। इन्हें अहिंसक आंदोलनकारियों में पृथक कारागार शिविर में रखा जाएगा, जहां पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हों।

नोटः

I. मानसिक रूप से अस्थिर किसी भी आपराधिक या दीवानी बंदी को कारागार में नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति कारागार में हो तो उसे तुरंत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

II. सामाजिक व आर्थिक स्थिति, जाति या वर्ग के आधार पर बंदियों के वर्गीकारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रजिस्टर

1435 कारागार के प्रत्येक स्थान पर एक रजिस्टर (इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है) रखा जाएगा। रजिस्टर के पन्नों पर क्रम संख्या लिखी होनी चाहिए। इस रजिस्टर में महिला बंदियों के निम्न विवरण लिखे जाएंगे।

i. उनकी पहचान से संबंधित जानकारी।

ii. उनको कैद किए जाने के कारण तथा जिस प्राधिकरण ने उनकी गिरफ्तारी का आदे"ा दिया है, प्राधिकरण तथा आदे"ा दोनों का पूर्ण विवरण।

iii. कारागार में उनके दाखिल होने तथा कारागार से छूटने के दिन और समय।

iv. बंदी के बच्चों, यदि कोई हो, का विवरण जैसे नाम, उम्र, निवास और हिरासत की स्थिति।

1436 बंदी के बच्चों, यदि कोई हो, का विवरण जैसे नाम, उम्र, निवास और हिरासत की स्थिति से संबंधित जानकारी रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएगी। बच्चों की पहचान से संबंधित जानकारी को सख्ती के साथ गोपनीय रखा जाएगा और केवल माता की अनुमति से ही इस जानकारी को साझा किया जाएगा।

नोटः वैध प्रतिबद्धता आदे"ा की अनुपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

महिला बंदियों पर प्रतिबंध

1437 किसी भी महिला बंदी को न्यायालय से रिहा होने, स्थानांतरण होने, कोर्ट में उपस्थिति देने या अन्य वैध उद्दे"य के लिए अधीक्षक के आदे"ा के अलावा किसी भी स्थिति में महिला वार्ड से छोड़ा या निकाला नहीं जाएगा।

1438 प्रत्येक महिला बंदी जो अपना वार्ड छोड़ने के लिए प्राधिकृत है, सामान्य स्थिति में ऐसी महिला बंदी के वार्ड छोड़ने तथा वार्ड में वापस आने तक एक महिला सुरक्षा कर्मी उसके साथ रहेगी।

पुरुशों को अलग रखना

1439 किसी भी पुरुष को कारागार के किसी भी महिला वार्ड में किसी भी समय प्रवे"ा की अनुमति नहीं होगी, यदि उसे वहां कानूनी रूप से कोई ड्यूटी नहीं करनी है। आपातस्थिति को छोड़ कर कोई भी वयस्क पुरुष रात में महिला वार्ड में प्रवे"ा नहीं कर सकेगा। आपातस्थिति में भी महिला कारागार अधिकारी के साथ ही वह महिला वार्ड में जा सकता है। वह

अपनी रिपोर्ट पुस्तिका में अपने जाने के कारण और समय का स्पष्ट उल्लेख करेगा।

1440 कारागा़र में महिला आगंतुकों तथा अधिकारियों के साथ जाने वाले पुरुष कारापाल और पुरुष अधिकारी भी महिला वार्ड के बाहर ही रहेंगे।

1441 यदि कोई पुरुष कारागार अधिकारी या कारापाल या कोई बंदी बिना औपचारिक आदे"ा के महिला बंदियों के लिए आरक्षित वार्ड में प्रवे"ा करता है या प्रवे"ा करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तुरंत उप–अधीक्षक को दी जाएगी। यदि कोई पुरुष अधिकारी या पुरुष आगंतुक महिला वार्ड में जाता है तो रजिस्टर में अधिकारी या आगंतुक का नाम, दिन व समय का उल्लेख किया जाएगा।

स्त्री–पुरुष भेद के प्रति संवेदनशीलता के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण

1442 महिला बंदियों के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों को महिलाओं की विशेष जरूरतों और यौन दुर्व्यवहार एवं भेदभाव सहित महिलाओं के मानवाअधिकारों से संबंधित प्रि"ाक्षण दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को उन स्थितियों से भी अवगत कराया जाएगा, जब महिलाएं व्यथित महसूस करती हैं ताकि वे उनकी स्थिति के प्रति संवेदन"ाील हो सकें और महिलाओं को उचित सहयोग प्रदान कर सकें।

1443 यदि महिला बंदियों के साथ उनके बच्चों को रखने की अनुमति दी जाती है तो कारागा़र कर्मचारियों को बाल विकास और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल का प्राथमिक प्रि"ाक्षण दिया जायेगा ताकि जरूरत व आपात के समय वे उचित कार्य कर सकें।

महिला वार्डो के ताले

1444 महिला वार्ड या बैरक में प्रयोग किए जाने वाले ताले कारागा़र के अन्य भागों में प्रयोग किए जाने वाले तालों से अलग होंगे, ताकि महिला बंदियों के लिए आरक्षित वार्ड के तालों को खोलने के लिए चाबियों का गलत इस्तेमाल न किया जा सके।

1445 आपातस्थिति में बैरक को खोलने में होने वाले विलंब को कम से कम करने के लिए उचित कदम (अलार्म घंटी का प्रावधान) उठाए जाने चाहिए।

फोटोग्राफी और फिंगरप्रिंट

1446 महिला बंदियों की फोटो, पैर के नि"ाान, उंगलियों के नि"ाान और माप का कार्य महिला कारागार अधिकारियों की उपस्थिति तथा उनके सहयोग से पूरा किया जाएगा।

निरीक्षण

1447 महिला कारागार अधिकारी व कर्मचारी सभी महिला बैरकों और वार्डों में प्रतिदिन दौरा करेंगी तथा महिला बंदियों के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी समस्याओं पर वि"ोष ध्यान देंगी।

1448 महिला अधिकारी रात्रि में निरीक्षण दौरा करेंगी। रात्रि निरीक्षण के पूरे होने पर इससे संबंधित जानकारी तुरंत रिपोर्ट पुस्तिका में दर्ज की जाएंगी।

महिला वार्ड की अभिरक्षा

1449 महिला वार्ड में 24 घंटे मुख्य मेट्रन एवं अन्य मेट्रनों की ड्यूटी रहेगी।

विचाराधीन और सज़ा प्राप्त बंदियों का प्रवेश

1450 कारागार मैनुअल में विचाराधीन और सज़ा प्राप्त बंदियों के प्रवे"ा से संबंधित नियम विचाराधीन व सज़ा प्राप्त महिला बंदियों पर भी लागू होंगे।

प्रवेश के दौरान महिला बंदियों की तलाशी

1451 गोपनीयता और शालीनता को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षाकर्मी/अधिकारी की उपस्थिति में महिला सुरक्षाकर्मी महिला बंदियों की तला"ाी लेंगी। तला"ाी लेने का कार्य किसी पुरुष की उपस्थिति में नहीं किया जाएगा।

कारागार में प्रवेश के बाद पृथक करना एवं चिकित्सा सहायता

1452 कारागार में प्रवे"ा के बाद महिला बंदियों की चिकित्सा–जांच की जाएगी और परीक्षण करने वाली महिला चिकित्सा अधिकारी यह आव"यक समझती है तो उसे चिकित्सीय आधारों पर महिला वार्ड में महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनु"ांसा की गई समयावधि के लिए पृथक रखा जाएगा।

1453 कारागार में प्रवे"ा के बाद सभी महिला बंदियों को जितनी जल्दी संभव हो सके अपने आपको तथा अपने वस्त्रों को साफ करने के लिए कहा जाएगा। उनके व्यक्तिगत कपड़ों को रखे जाने से पूर्व कीटाणु रहित बनाया जाएगा।

1454 महिला बंदियों के कारागार में प्रवे"ा के बाद कारागार की महिला चिकित्सा अधिकारी महिला बंदियों की चिकित्सीय परीक्षण करेंगी। कारागार में रहने के दौरान महिला बंदियों के स्वास्थ्य देखभाल केवल महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।

1455 प्रत्येक महिला बंदी की जांच महिला चिकित्सा अधिकारी करेंगी। महिला बंदी की ऐसी जांच बेल, पैरोल, अवका"ा आदि के बाद पुनः प्रवे"ा के दौरान भी की जाएगी।

गर्भावस्था

1456 जब किसी महिला बंदी को कारागार में लाया जाता है, तो महिला चिकित्सा अधिकारी को उसकी बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए कारागार में प्रवेश के दौरान और एक महीने बाद गर्भावस्था परीक्षण करना होगा। इसके बाद अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपनी होगी। उसके स्वास्थ्य, गर्भावस्था, गर्भावस्था की अवधि और डिलिवरी की संभावित तारीख की जानकारी के लिए कारावास के अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण की जल्द से जल्द व्यवस्था करनी होगी। सभी विवरण इकट्ठा करने के बाद कारावास महानिरीक्षक को एक विस्तृत मासिक रिपोर्ट भेजनी होगी।

1457 महिला बंदी के स्त्री रोग संबंधी परीक्षण कारागार के अस्पताल में कराए जाएंगे। योग्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के आधार पर बंदी को प्रसव पूर्व और प्रसव बाद उचित देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी।

1458 गर्भवती महिलाओं, नवजातों, बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण से युक्त उचित और समय से भोजन, स्वस्थ वातावरण और नियमित व्यायाम के अवसर मुहैया कराए जाएंगे।

कारावास में बच्चे का जन्म

1459 जहां तक संभवहो (बंदी को उचित विकल्प मुहैया कराया जाए)एक बंदी को कारागार से बाहर किसी अस्पताल में प्रसव के लिए अस्थायी रिहाई (या हालातवश अपराधी बनने की स्थिति में सजा का निलंबन) की व्यवस्था की जाए। किसी विशेष महिला बंदी के मामले में अथवा सिर्फ भारी सुरक्षा जोखिम होने की स्थिति में कारागार के बाहर प्रसवकी सुविधा देने से इनकार किया जाएगा।

1460 कारागार में होने वाले बच्चों के जन्म का जन्म पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत कराया जाएगा। हालांकि कारावास को बच्चे के जन्म स्थान के तौर पर दर्ज नहीं किया जाएगा। सिर्फ इलाके के पते का ही इस्तेमाल किया जाएगा। परिस्थितियों के आधार पर कारावास में बच्चे के जन्म पर नाम देने का अधिकार माता के पास ही होगा।

महिला बंदियों की संपत्ति

1461 बंदी के धन आदि को जमा करने का तरीका बंदी की संपत्ति के रखने के लिए तय सामान्य नियमों पर आधारित होगा।

महिला बंदियों को चुनिंदा गहने पहनने की अनुमति

1462 महिला बंदियों को मंगल सूत्र (बिना सोने का), प्लास्टिक की चूड़ियां और नथनी जैसे कम कीमत के चुनिंदा गहने पहनने की अनुमति होगी। हालांकि अधीक्षक अपने विवेक से किसी विशेष मामले में अनुशासन/सुरक्षा कारणों से इन गहनों के पहनने पर रोक लगा सकता है।

महिला बंदियों के बच्चे

1463 यदि किसी रिश्तेदार या अन्य के यहां रखने की व्यवस्था नहीं है तो छह साल तक की उम्र के बच्चों को उनकी माता के

साथ कारागार में रखा जा सकता है। कारागार में पैदा होने वाले बच्चे छह साल की उम्र तक अपनी मां के साथ वहीं पर रह सकते हैं, बशर्ते उनके लिए कोई अन्य उपयुक्त स्थान न हो। इस प्रावधान के उद्देश्य से कारागार में पैदा नहीं होने वाले बच्चों की उम्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा तय की जाएगी।

1464 अगर बच्चे की उम्र छह साल से ज्यादा हो गई है तो उसे कारागार में नहीं रखा जाएगा। अधीक्षक को इस उम्र के हर बच्चे के बारे में समाज कल्याण निदेशालय को सूचित करना होगा, जिससे उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे आवास में रखा जा सके। ऐसे बच्चों को उनकी माता के रिहा होने तक या उनकी आजीविका के लायक उम्र होने तक सुरक्षात्मक निगरानी में रखा जाएगा।

1465 समाज कल्याण विभाग के आवास में सुरक्षात्मक निगरानी में रहने वाले बच्चों को एक सप्ताह में दो बार अपनी माता से मिलने की अनुमति होगी। निदेशक, समाज कल्याण विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कारावास अधीक्षक द्वारा इस उद्देश्य से तय तारीख ऐसे बच्चों को कारावास तक लाया जाए।

महिला बंदियों के बच्चों का कल्याण

1466कारागार प्रशासन को कारागार में बंद बंदियों के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना चाहिए। जहां तक संभव हो, कारावास प्रशासन को बच्चों के विकास के लिए उचित माहौल विकसित करना होगा, जो काफी हद तक कारागार के बाहर रहने वाले बच्चों के समान हो। आगंतुक बोर्ड नियमित अंतराल पर इन सुविधाओं की जांच करेगा।

शिक्षा

1467 कारागार में रहने वाले महिला बंदियों के बच्चों को पर्याप्त शिक्षा और मनोरंजन के अवसर देने होंगे। महिला कारावास के समीप एक क्रेच और एक नर्सरी स्कूल की स्थापना होगी, जहां महिला बंदियों के बच्चे को तब रखा जाएगा जब माताएं काम कर रही हों। तीन साल से कम उम्र के बच्चों को क्रेच में रखने की अनुमति होगी और तीन से छह साल के बीच की उम्र के बच्चों की देखरेख नर्सरी स्कूल में की जाएगी। ये सुविधाएं वार्डर और अन्य महिला कारावास के कर्मचारियों के बच्चों को भी दी जा सकती हैं।

1468 कारागार प्रशासन द्वारा एनजीओ या राज्य कल्याण सेवाओं के सहयोग से क्रेच और नर्सरी स्कूल को कारागार के बाहर चलाया जाएगा। कारावास प्रशासन द्वारा क्रेच चलाना मुश्किल होने की स्थिति में बच्चों को उचित सुरक्षा के बीच निजी क्रेज में भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में बच्चों को भेजने पर आने वाले खर्च और क्रेच शुल्क का वहन कारावास प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

1469 कारावास में मौजूद बच्चों को स्थानीय वातावरण की जरूरतों के अनुकूल पर्याप्त कपड़े मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार को उचित मानक तय करने होंगे। महिला बंदियों को डायपर्स और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो अपने नवजात बच्चों की देखरेख में लगी हुई हैं।

1470 सामान्य जरूरतों के अलावा बच्चों के साथ रह रहीं महिला बंदियों को 150–150 ग्राम के साबुन/डिटर्जेंट उपलब्ध कराए जाएंगे।

खुराक/भोजनः

1471 चिकित्सा मानकों और मौसम के आधार पर बढ़ते बच्चों की कैलोरी की जरूरतों को देखते हुए बच्चों की खुराक तय की जाएगी। हर महिला बंदी को बच्चों को खाना खिलाने के लिए उचित आकार के अलग बर्तन और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1472 बच्चों के साथ रह रहीं महिला बंदियों के बीमार पड़ने की स्थिति में कारागार कर्मचारियों द्वारा बच्चों की देखरेख के लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल

1473 महिला बंदियों (सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग से) के बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शारीरिक विकास की निगरानी के लिए एक महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चों की नियमित तौर पर जांच की जाएगी, जिनको पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों से संबंधित टीके समय पर लगाए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी की लिखित सलाह पर ऐसे बच्चों को अतिरिक्त कपड़े और खुराक भी उपलब्ध कराई जाएगी।

खुराक और भोजन

1474 महिला कारागारों में जाति और धर्म के आधार पर रसोई और भोजन पकाने का प्रबंधन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

1475 गर्भवती महिला बंदियों और बच्चों के पालन में लगी महिला बंदियों को विशेष खुराक का सुझाव दिया जाना चाहिए।

1476 चिकित्सा अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि खाना पकाने की जगह स्वच्छ हो और खाना पोषण युक्त है।

1477 महिलाओं और बच्चों के लिए खाना/दूध गर्म करने की विशेष व्यवस्था होगी।

1478 गर्भवती और बच्चों के पालन में लगी महिला बंदियों को विशेष खुराक का सुझाव दिया जाना चाहिए।

1479 चिकित्सा अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि खाना पकाने की जगह स्वच्छ हो और खाना पोषण युक्त है।

1480 कुछ महिला कर्मचारियों को खुराक और रसोई के प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों को महिला कारागारों में रसोई और खाना पकाने की निगरानी करनी चाहिए।

1481 अधीक्षक सहित कारागार अधिकारियों को कारागार की खानपान व्यवस्था के हर पहलू, जैसे–राशन जारी करना, रसोई का प्रबंधन और खाने का वितरण आदि की निगरानी करनी चाहिए।

1482 महिला बंदियों के लिए एक अलग रसोई होनी चाहिए।

1483 महिला बंदियों को कारागार बैरक के अंदर व्यक्तिगत छोटी रसोई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आहार का पैमाना

1484 आहार का पैमाना बंदियों के रखरखाव के अध्याय के अनुसार प्रचलित आहार प्राथमिकताओं के अनुसार होगा।

चिकित्सा आधार पर विशेश अतिरिक्त आहार

1485 जब महिला चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य कारणों से यह मानती है कि किसी महिला बंदी और उसके बच्चे के लिए निर्धारित आहार की मात्रा अनुपयुक्त अथवा अपर्याप्त है, तो वह एक वि”ोष अवधि के लिए वि”ोष आहार अथवा अतिरिक्त आहार का लिखित आदे”ा दे सकती है। गर्भवती/नर्सिंग बंदियों के लिए इस संदर्भ में वि”ोष विचार किया जाएगा।

1486 वि”ोष चिकित्सा सलाह वाली महिलाएं जो गर्भवती हों, नर्सिंग माताओं, ि”ा”ुओं और बच्चों से संबंधित बंदियों के आहार से संबंधित नियमों पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा।

परिधान

1487 महिला बंदियों को तीन साड़ी, तीन पेटिकोट, तीन ब्लाऊज और कपड़े के अन्य तीन सैट, दो तौलिये और परम्परागत अंग वस्त्रों के चार सैट दिये जाने चाहिए।

1488 उपरोक्त परिधान आव"यकताओं को मौजूदा जलवायु और सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार तय किया जा सकता है।

1489 स्थानीय परिस्थितियों और मौसम में परिवर्तन के अनुसार पर्याप्त गर्म परिधान भी दिये जाएंगे।

1490 महिला बंदियों के साथ रहने की अनुमति दिये जाने वाले बच्चों को स्थानीय समुदाय में आमतौर पर बच्चों के समान ही उपयोग किये जाने वाले परिधान दिये जाने चाहिए।

1491 प्रत्येक महिला कारावास में एक सिलाई–कढ़ाई इकाई होनी चाहिए, जहां बंदियों के फटे हुए परिधानों को ठीक किया जा सकें।

1492 महिला बंदियों को उनकी आव"यकताओं के अनुसार संक्रमण रहित सेनेटरी पैड दिये जाने चाहिए।

1493 दो महीने में एक बार सरकारी लागत पर बंदियों के परिधान को ड्राइक्लीन किया जाना चाहिए। बंदियों को अपने परिधान खुद की लागत पर कारागार लॉन्ड्री के जरिये धुलवाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

1494 सभी परिधान स्वच्छ किये जाएंगे और इन्हें उचित स्थिति में रखा जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए आव"यकतानुसार अंग वस्त्रों को बदला और धोया जाना चाहिए।

बिस्तर

1495 बंदियों के रखरखाव के अध्याय में दिए गए नियमों के मुताबिक प्रत्येक महिला बंदी को पर्याप्त बिस्तर प्रदान किया जाएगा।

1496 दिये गये नियमों के अनुसार महिला बंदियों को तकिये के कवर के साथ एक तकिया और कंबल प्रदान किये जाएंगे।

1497 परिधान और बिस्तर दिये जाते वक्त साफ–सुथरा होगा और अच्छी स्थिति में रखा जाएगा।

1498 बंदियों के बिस्तर, परिधान और अन्य उपकरणों के सभी सामान का सप्ताह में कम से कम एक बार महिला अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनि"चत किया जा सके कि उचित मानकों का पालन किया जा रहा है।

आवास

1499 हिरासत प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार आवास प्रदान किया जाएगा।

1500 महिला बंदियों को प्रदान किये जाने वाले सभी आवास और वि”ोष रूप से सभी शयन आवास, स्वास्थ्य की बुनियादी आव”यकताओं को पूरा करेंगे। जलवायु परिस्थितियों, वायु की घन मात्रा, न्यूनतम फ”ार्—स्थान, प्रका”ा और वेंटिले”ान पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए।

1501 शयन कारावासों में रखे गये बंदियों का ध्यानपूर्वक चयन किया जाएगा, ताकि वे इन परिस्थितियों में एक—दूसरे के साथ समायोजन बना सकें। कारावास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रात्रि में नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

1502 महिला बैरकों में शयन के लिए बिस्तर महिला बंदियों की आसान पहुंच से अधिक ऊंचाई के नहीं होंगे।

1503 शौचालयों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए और इन्हें स्वच्छ तथा अच्छी स्थिति में बनाये रखना चाहिए।

1504 जहां महिला बंदियों को रहने अथवा कार्य करने की आव”यकता होती है, वहां खिड़कियां काफी बड़ी होगी, ताकि बंदी प्राकृतिक प्रका”ा में पढ़ने अथवा काम करने में सक्षम हो सकें। ताजी हवा आने के लिए स्थल को पर्याप्त रूप से हवादार होना चाहिए।

1505 बंदियों को पढ़ने अथवा कार्य करने के लिए पर्याप्त कृत्रिम प्रका”ा की व्यवस्था की जाएगी।

1506 मौसम और जलवायु के अनुसार सामान्य स्वच्छता को बनाये रखने के लिए प्रत्येक बंदी को स्नानागार प्रदान किये जाएंगे, ताकि जितनी बार आव”यक हो, प्रत्येक बंदी जलवायु के एक उपयुक्त तापमान पर स्नान कर सके।

1507 बंदियों के द्वारा नियमित रूप से उपयोग किये जाने वाले कारागार के सभी भागों की उचित रूप से देखभाल की जाएगी और इन्हें हर वक्त स्वच्छ रखा जाएगा।

महिला प्रांगण की स्वच्छता

1508 कारावास में महिलाओं के प्रांगण के सभी क्षेत्रों की उचित रूप से देखभाल की जाएगी और इन्हें हर वक्त स्वच्छ रखा जाएगा।

व्यक्तिगत स्वच्छता

1509 महिला बंदियों को अपने आपको स्वच्छ बनाये रखने की आव"यकता होगी और इसके लिए उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाये रखने के लिए आव"यक शौचालय उपयोग से जुड़ी वस्तुओं के साथ सेनेटरी तौलिया भी उपलब्ध कराया जाएगा। महिला बंदियों और उनके बच्चों, वि"ोष रूप से खाना बनाने का कार्य करने वाली, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं अथवा मासिक धर्म वाली बंदी महिलाओं को उपयोग के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1510 महिला बंदी के बालों को उसकी अनुमति के बिना नहीं काटा जाएगा, हालांकि जूं और गंदगी होने पर महिला चिकित्सा अधिकारी उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के आधार पर बालों को काटने का अनुमान लगा सकती है, फिर भी इसे आव"यकतानुसार बहुत अधिक कम नहीं किया जाएगा।

सुविधाएं

1511 हिरासत में रहने वाली महिला से सभी मूल्यवान गहनों को उतार लिया जाना चाहिए और इन्हें सुरक्षित रूप से जमा कर देना चाहिए। उन्हें मंगलसूत्र, प्लास्टिक की चूड़ियां और बिछिया पहने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

1512 सर्दियों के मौसम में महिलाओं को प्रदान किये जाने वाले परिधानों और लिनन के कपड़ों में अंग वस्त्रों, ऊपरी व अन्य वस्त्रों, तौलियों और जुराबों को शामिल किया जाना चाहिए। उनको पर्याप्त मात्रा में नहाने और कपड़े धोने के साबुन भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। महिला बंदियों को साप्ताहिक आधार पर शैंपू का एक पाउच भी दिया जा सकता है।

1513 प्रत्येक युवा महिला बंदी को मासिक धर्म के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त संख्या में सेनेटरी नैपकिन प्रदान किये जाएंगे।

1514 महिला बंदियों को उनके रिवाजों के अनुसार कुमकुम, उपयुक्त मात्रा में सिर में लगाने वाला तेल और एक कंघा प्रदान किया जाएगा।

1515 उनके बैरकों में उचित मात्रा में दर्पण भी होने चाहिए। एक बैरक में कम से कम (1.6 फीट ×3.0 फीटका) एक आईना लगाया जाना चाहिए।

साक्षात्कार

1516 महिलाओं के मामले में अभियुक्तों और विचाराधीन बंदियों के साक्षात्कारों की संख्या को उदारीकृत किया जाना चाहिए। महिला बंदियों का अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपने बच्चों के संरक्षकों और कानूनी प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क को प्रोत्साहन दिया जाएगा और सभी तर्कसंगत माध्यमों के द्वारा इन्हें सुसाध्य बनाया जाएगा, जहां तक संभव हो अपने घरों से दूर स्थित कारागारों में हिरासत में ली गई महिला बंदियों के द्वारा सामना किये जाने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उपाय किये जाएंगे।

1517. प्रत्येक महिला बंदी को कारावास की अवधि के दौरान सप्ताह में दो बार अपने संबंधियों/पड़ोसियों को एक पत्र लिखने और उनसे मुलाकात करने की अनुमति, सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियमानुसार साक्षात्कार की अनुमति देने के लिए एक वरिष्ठ महिला अधिकारी (साक्षात्कार प्रभारी) को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला बंदी से उचित रूप से यह विचार–विम"र्श किया जाएगा कि वह किन व्यक्तियों से मिलने की अनुमति चाहती है।

1518 बच्चों से मुलाकात एक ऐसे वातावरण में होनी चाहिए, जो उन्हें सकारात्मक अनुभव प्रदान करे, जिसमें कर्मचारियों का व्यवहार भी शामिल है। माता व बच्चे के बीच स्वतंत्र मुलाकात को अनुमति दी जानी चाहिए। जहां तक संभव हो, बच्चों के साथ होने वाली मुलाकातों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1519निर्धारित नियमों के अनुसार कारागार में रहने वाले बंदियों को मुलाकातों, टेलीफोन सम्पर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार सम्पर्क, वीडियो कांफ्रेंसिंग और पत्राचार के माध्यम से कारागार के भीतर अपने परिवार से सम्पर्क के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

1520 महिला बंदियों के लिए आने वाले पत्रों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

1521 निरक्षर और अर्द्धसाक्षर बंदियों को पत्र लिखने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

1522 प्रत्येक कारावास में आगन्तुकों के लिए महिला बंदी से मिलने के लिए एक प्रतीक्षा कक्ष होना चाहिए।

1523 प्रत्येक नई महिला बंदी को अपनी जमानत के लिए अथवा अपील में सं"ाोधन अथवा एक अपील तैयार करने की दृष्टि से अपने परिजनों/मित्रों/कानूनी सलाहकारों के साथ सम्पर्क बनाने के लिए सुविधाओं को स्वीकृति दी जाएगी। यदि अधीक्षक इसे आव"यक मानते हैं, तो उसे अपने परिजनों के साथ अक्सर मिलने अथवा पत्र लिखने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वह अपनी सम्पत्ति एवं अन्य पारिवारिक मामलों के प्रबंधन की व्यवस्था कर सकें।

1524 यदि किसी मामले में, महिलाओं के परिजन उसी कारावास में हिरासत में है, तो उप–अधीक्षक के द्वारा सप्ताह में एक बार उप–अधीक्षक/सहायक अधीक्षक की उपस्थिति में उन दोनों की मुलाकात दो दरवाजों के बीच में कराई जाएगी।

पुस्तकें

1525 प्रत्येक महिला कारावास में महिलाओं के लिए मनोरंजक और निर्दे"ाात्मक दोनों तरह की पुस्तकों के लिए एक पृथक पुस्कालय और पठन कक्ष होगा। बंदियों को इन सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

धार्मिक पुस्तकें और चित्र

1526 एक महिला बंदी को एक समय में अपने साथ अधिकतम पांच पुस्तकें रखने की अनुमति दी जाएगी। पुस्तकों की संख्या पर प्रतिबंध (प्रत्येक बंदी की जगह पर विचार के अनुरूप) केवल प्र"ाासनिक सुविधा के कारण ही लगाया जाएगा और इसका अन्य कोई कारण नहीं है। उन्हें धार्मिक चित्र रखने की भी अनुमति होगी।

शिक्षा

1527 प्रत्येक महिला बंदी को उसकी रोजगार संभावना में सुधार को देखते हुए कारावास में उसके प्रवास के दौरान एक उपयुक्त

शैक्षिक कार्यक्रम की पे"ाक"ा की जानी चाहिए। कारावासों में ि"ाक्षा प्रत्येक दिन कम से कम एक घंटे के लिए अनिवार्य गतिविधि होगी। इसका उद्दे"य कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए होगा। प्रत्येक कारावास में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वयस्क ि"ाक्षा, सामाजिक, नैतिक और स्वास्थ्य ि"ाक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम की ि"ाक्षा के साथ विभिन्न कौ"ालों में प्रि"ाक्षण देना चाहिए। इच्छुक महिला बंदियों को औपचारिक और उन्नत ि"ाक्षा के लिए उपयुक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी।

मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

1528 महिला बंदियों के लिए मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें सामान्य आउटडोर गेम, भजन, संगीत, लोकनृत्य, ड्रामा, टीवी, रेडियो और फिल्म शो को शामिल किया जा सकता हैं। महिला बंदियों को तनाव मुक्त करने और उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ध्यान और योग की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी।

व्यावसायिक प्रि"ाक्षण

1529 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अल्प, मध्यम और लंबे समय के लिए कारावास की सजा काट रहे बंदियों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। महिला बंदियों के लिए जहां तक संभव होगा, उन्हें उनकी योग्यता और पृष्ठभूमि के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनें। व्यावसायिक कार्यक्रमों का चयन उत्पाद की विपणन योग्यता और लाभप्रदता को देखते हुए तथा रिहाई के बाद बंदी की आजीविका अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।

1530 महिला बंदियों द्वारा अर्जित आय महिला बंदियों के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए। बंदियों को एक सामान्य कार्यदिवस के लिए सक्रिय तौर पर कार्यरत बनाए रखने के लिए पर्याप्त कार्य या व्यावसायिक ट्रेड्स उपलब्ध कराई जाएंगी।

1531 बंदियों को उनके कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और लिंग के आधार पर पारिश्रमिक देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

1532 इस व्यवस्था के अंतर्गत बंदियों को अपनी आमदनी का कम से कम एक हिस्सा अपने इस्तेमाल की स्वीकृत वस्तुओं पर खर्च करने और अपने परिवार को एक हिस्सा भेजने की अनुमति दी जाएगी।

1533 अगर चिकत्सकीय परामर्श नहीं दिया गया है या नियम कार्य से अलग रहने की बात नहीं कहते हैं, तो सभी बंदियों को कामकाज और कारागार की गतिविधियों से जुड़ना होगा जिसके लिए उन्हें उचित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

स्वास्थ्य/चिकित्सा सुविधाएं

1534 प्रत्येक महिला कारागार में अलग से 10 बिस्तरों वाला महिलाओं का अस्पताल होगा। महिलाओं की हर कारागार में उपचार कार्यक्रमों की उचित योजना तैयार और विकसित जानी चाहिए। कम से कम एक या अधिक स्त्री रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक उपलब्ध कराए जाएंगे। एक्स–रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

1535. महिला बंदियों की स्वास्थ्य जांच के नियमों के क्रम में स्वास्थ्य जांच के बाद जरूरी होने पर विवरण दर्ज किया जाना प्राथमिक उपचार की जरूरतों के हिसाब से व्यापक जांच भी की जाएगी और इसमें शामिल होगाः

(क) यौनजनित बीमारियों या रक्त जनित बीमारियों का होना; जोखिम के आधार पर महिला बंदियों को पूर्व और बाद में परामर्श के साथ एचआईवी परीक्षण की भी पेशकश की जा सकती है;

(ख) दर्दनाक तनाव विकार के बाद और खुदकुशी व खुद को नुकसान के जोखिम सहित मानसिक स्वास्थ्य उपचार की जरूरत

(ग) मौजूदा या हाल में हुए गर्भधारण, बच्चे के जन्म और किसी प्रजनन संबंधी समस्याओं सहित महिला बंदी के प्रजनन स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि;

(घ) नशे का आदी होना;

(ङ) भर्ती होने से पहले यौन शोषण और अन्य प्रकार की हिंसा की शिकार तो नहीं थी।

1536यौनशोषण की शिकार और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित महिला बंदी जो मनोचिकित्सा या मनोवैज्ञानिक विकारों से जूझ रही हों, उन्हें पर्याप्त परामर्श और चिकित्सीय उपचार दिए जाने चाहिए।

1537महिला बंदियों के विशेष रूप से जानकारी साझा नहीं करने और उनके प्रजनन इतिहास के संबंध में जांच नहीं करने के चिकित्सा गोपनीयता के अधिकार का हर समय सम्मान किया जाएगा।

1538महिला बंदियों को एचआईवी और यौनजनित बीमारियों और अन्य रक्तजनित बीमारियों से बचाव संबंधी स्वास्थ्य उपायों के साथ ही लिंग आधारित स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में शिक्षा एवं जानकारी दी जाएगी।

कानूनी सहायता

1539सभी को न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरतमंद बंदियों के लिए सरकारी खर्च पर समय से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कारागार प्रशासन को इस उद्देश्य के लिए राज्य/जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा कारावासों/अदालतों के लिए नियुक्त वकीलों के पैनल के माध्यम से सहयोग दिया जाना चाहिए।

1540इस उद्देश्य के लिए हर संस्थान में निर्धारित विधि स्कूल, समाज कार्य से जुड़े स्कूल या एक गैर सरकारी स्वैच्छिक एजेंसी के स्वयंसेवकों द्वारा प्रबंधित एक सामाजिक–विधि परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकोष्ठ में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को उनसे शैक्षणिक कार्यक्रम में श्रेय दिया जाएगा और यह विद्यार्थी के पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा।

1541जिला विधि सहायता समिति की महिला सदस्यों का सहयोग महिला बंदियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें प्रक्रिया संबंधी और कानूनी समस्याओं में मदद मिल सके।

1542हर पखवाड़े या साप्ताहिक तौर पर होने वाली नारीबंदी सभाओं (महिला बंदियों का परिषद) का इस्तेमाल बंदियों से परामर्श के साथ उनके अनुकूलन के साधन और कारावास में भागीदारीपूर्ण जीवन के प्रशिक्षण के तौर पर किया जाएगा।

1543हिरासत में लेने से पहले यौन शोषण या अन्य प्रकार की हिंसा जैसे मामले सामने आने पर महिला बंदी को उनके न्याय हासिल करने के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। महिला बंदी को इससे जुड़ी प्रक्रियाओं और कदमों के बारे में पूरी तरह अवगत कराया जाएगा। यदि महिला बंदी कानूनी कार्रवाई के लिए सहमत होती है तो उचित स्टाफ को सूचित किया जाएगा और मामले को जांच के लिए उचित विभाग को सौंपा जाना चाहिए। कारागार के अधिकारी ऐसी महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मदद करेंगे।

1544ऐसे मामलों में भले ही महिला कानूनी कार्रवाई का विकल्प नहीं चुने, कारागार अधिकारियों को विशेष मनोवैज्ञानिक सहयोग या परामर्श तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

1545अन्य नियम जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, ऊपर कानूनी सहायता के अध्याय के समान ही रहेंगे।

विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं

1546ऐसी महिला बंदियों जो विदेशी नागरिक हैं, को अपने राजनयिक और दूतावास प्रतिनिधियों से संवाद करने की उचित सुविधा दी जाएगी। जो शरणार्थी हैं, उनको किसी भी एजेंसी के साथ संवाद की सुविधा दी जाएगी जिसका काम ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करना है।

समय से पहले रिहाई

1547स्त्री–पुरुष भेद के प्रति संवेदनशील प्रबंधन नीति के अनुरूप, विशेषकर एक मात्र कमाई करने वाली सदस्य होने या महिला बंदियों के आश्रितों की देखभाल के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं होने की स्थिति में महिला बंदियों की समय पूर्व रिहाई की अनुमति देने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जहां तक संभव हो गर्भवती महिलाओं को सजा के निलंबन पर रिहा किया जा सकता है या कारागार में बच्चे के जन्म से बचा जा सकता है।

महिला बंदियों की रिहाई

1548गलत रास्ते पर चलने के कारण महिला बंदी को उसके किसी भी संबंधी द्वारा लेने के लिए न आने की स्थिति में यदि वह चाहे तो उसे अनुरक्षण दिया जाना चाहिए और उसे एक महिला आरक्षी या इस उद्देश्य से नियुक्त एक सम्मानित महिला के साथ उसके घर भेजा जाना चाहिए। यदि अनुरक्षी दिया

जाना जरूरी नहीं लगता है तो सामान्य तरीके से बंदी को रिहा कर दिया जाएगा।

1549 सिद्ध दोष महिला बंदी को रिहा करने से पहले उप–अधीक्षक को उसे लेने आए व्यक्ति या संबंधी की विश्वसनीयता और वास्तविकता का भरोसा दिलाना होगा। अगर उप–अधीक्षक व्यक्ति या संबंधी की विश्वसनीयता या वास्तविकता पर वाजिब संदेह हो तो सुनिश्चित करना होगा कि महिला बंदी को अनुरक्षी या एक सम्मानित महिला के साथ भेजा जाए। कारागार अधिकारियों को महिला बंदियों को सुरक्षित भेजने के वास्ते गैर सरकारी संगठनों को सहयोग के लिए सूचीबद्ध करना होगा।

1550 यदि महिला बंदी को कोई भी लेने नहीं आता है और जाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं हो तो उसे सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष गृह में भेजा जा सकता है।

बाद की देखभाल, पुनर्वास और निगरानी

1551 महिला बंदियों की कारागार से मुक्ति आसान बनाने, उन्हें लांछन से बचानेऔर साथ ही शुरुआती अवस्था में परिवारों से संपर्क बनाए रखने के अवसर प्रदान के लिए कारागार प्राधिकारियों को घर जाने की छुट्टी, मुक्त कारागारों, हाफवे हाउस और समुदाय आधारित कार्यक्रमों व सेवाओं जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए।

1552 कारागार अधिकारियों को परिवीक्षा और/या समाज कल्याण सेवाओं, स्थानीय सामुदायिक समूहों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग में रिहाई–पूर्व और बाद में एकीकरण कार्यक्रम बनाने चाहिए और लागू करने चाहिए, जिसमें महिला केंद्रित आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। देखभाल सेवाओं/कार्यक्रमों को हर तरह की सहायता में शामिल करना

चाहिए, जिससे महिला बंदियों को रिहाई के बाद समाज में समायोजित होने में मदद मिल सके।

1553 रिहाई के बाद विवाह करने की इच्छुक महिला बंदियों को एनजीओ और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हर संभव सहायता दी जानी चाहिए।

1554 रिहाई के बाद बंदियों की सहायता देने के लिए कम से कम एक स्वैच्छिक संगठन को नियुक्त किया जा सकता है।

1555 ऐसी एजेंसियों के स्वीकृत प्रतिनिधियों को संस्थानों और महिला बंदियों तक जरूरी पहुंच मुहैया करानी होगी और सजा की शुरुआत के साथ ही उन्हें भरोसे में लेना होगा।

1556 उनकी सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल के क्रम में ऐसी एजेंसियों की गतिविधियों की केंद्रीय स्तर पर निगरानी और समन्वय अपरिहार्य है।

1557 समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय में कारागार विभाग के मुख्यालयों में बाद की देखभाल एवं सहायता के लिए यूनिट्स की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य रिहाई के बाद महिला बंदियों की जरूरतों का आकलन करना है।

1558 कारागार विभागों में बाद की देखभाल एवं सहायता इकाइयों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

1559 बाद की देखभाल एवं सहायता कार्य की प्रभारी महिला परिवीक्षा अधिकारी होनी चाहिए।

1560 बाद की देखभाल एवं सहायता इकाई का उद्देश्य रिहाई के बाद महिला बंदियों की जरूरतों का आकलन करना होना चाहिए।

1561 चुनिंदा मामलों में नियमों में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से सरकारी या सरकारी सेवा उपक्रमों में कारागारों से रिहा महिलाओं को रोजगार देने पर प्रतिबंध संबंधी शर्त को हटाने पर विचार किया जाना चाहिए।

बाह्य कल्याणकारी एजेंसियों से संपर्क

1562 सरकार द्वारा निजी उपक्रमों और गैर–लाभकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से कारागार सुधारों को हासिल किया जा सकता है, जो मिलकर कारागार उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली कई प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं को लागू कर सकते हैं। राज्य के अन्य जिलों और अन्य कारागारों के प्रतिनिधियों, उद्योग के प्रतिनिधि, एनजीओ के प्रतिनिधि को प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए कारागार उद्योग बोर्ड के सदस्य बनाने पर विचार किया जा सकता है।

1563 कारागार अधीक्षक सामाजिक कार्यकर्ताओं/एनजीओ के चुनिंदा समूह के साथ कामकाजी संबंध और सहयोग संबंध स्थापित करना होगा, जिससे सामान्य और महिला अपराधियों की समस्याओं को सामने लाया जा सके। इससे कारावास प्रशासन और एनजीओ हिरासत में रहने वाली महिलाओं के साथ जुड़े कलंक को धोने की दिशा में काम कर सकेंगे। यह लड़ाई क्षेत्र की तुलना में दिमाग में चलती है, इसलिए महिला अपराधियों की रिहाई के बाद पुनर्वास की जरूरत को सामने लाने के लिए नियमित तौर पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों में उनके बीच सकारात्मक राय कायम होगी।

1564 सामाजिक कार्यकर्ताओं/एनजीओ के इन समूहों को महिला बंदियों के प्रति समाज में मौजूद घृणा को दूर करने के लिए महिला अपराधियों और उनके परिवारों को व्यापक, गहन और निरंतर परामर्श देना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में

हिरासत से छूटने वाली महिलाओं का उचित पुनर्वास का उद्देश्य अधूरा रह सकता है।

1565 परामर्श कार्यक्रमों को महिला बंदियों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर केन्द्रित होना चाहिए, खासतौर पर उनके लिए जो घरेलू हिंसा, यौन शोषण और ऐसे अन्य शोषण से पीड़ित हैं।

1566 परामर्श कार्यक्रमों को करना चाहिए:

i. उन मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने में सहायता करना चाहिए जिनसे वह पीड़ित हो सकती है और इनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां सुझाई जानी चाहिए।

ii. कारागार से रिहा होने के बाद समाज में उसे फिर से स्थान दिलाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।

iii. इन महिला बंदियों पर कारागार में रहने के दौरान किसी तरह के दवाब को हटाने में सहायता करना चाहिए और आत्मबल, आत्मनिर्भरता और प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करनी चाहिए।

1567 आपराधिक बर्ताव को बढ़ाने वाले कारकों को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जैसे व्यसन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अलग से विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

1568 महिला अपराधियों के लिए साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण इस तरह से आयोजित किया जाएगा:

i. महिला बंदियों की पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए और एक या एक से अधिक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाना चाहिए। इन्हें व्यवसायिक क्षेत्रों से जोड़ना चाहिए ताकि कारागार से रिहा होने के बादवे एक आत्मनिर्भर और अच्छी जिंदगी जा सकें;

ii. गरीबी और अपराध के गठजोड़ को खत्म करना चाहिए;

iii. महिलाओं को शिक्षा, सहायता और वसूली के संदर्भ में महिलाओं को सकारात्मक जीवनशैली में परिवर्तन हेतु सशक्त

बनाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार महिला बंदियों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों के जरिए कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना चाहिए और स्वास्थ्य देखभाल के उपायों के बारे में जानकारी प्रसारित करना चाहिए, जिसमें एचआईवी, यौन संक्रमित बीमारियों और अन्य रक्त संबंधित बीमारियों के साथ–साथ विशेष तौर पर महिला स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दिया जाना चाहिए।

महिला बंदियों द्वारा बनाए गये सामानों की सार्वजनिक प्रदर्शन की व्यवस्था करना चाहिए जिससे उनके मनोबल को बढ़ावा मिलेगा, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, और जीवन के प्रति उम्मीद पैदा होगी। इससे कारागार में रहने वाली महिलाओं के बीच आवश्यक सामाजिक जागरूकता, सहायता और सहानुभूति भी पनपेंगी।

मानसिक बीमारी से पीड़ित बंदी

1569मानसिक बीमारी से पीड़ित महिला बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य के अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाया जाएगा।

कारागार में अनुशासन

1570 अनुशासन और व्यवस्था को दृढ़ता से बनाए रखा जाएगा, परन्तु सुरक्षित अभिरक्षा एवं सुव्यवस्थित संस्थागत जीवन के लिए अपेक्षित से अधिक प्रतिबंध नहीं होंगे।

1571कारागार में किसी भी महिला बंदी को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचित न किया गया हो और उसे अपने बचाव में दलील पेश करने का उचित अवसर न दिया गया हो। दंड देने से पहले सक्षम प्राधिकारी मामले की पूरी तरह जांच करेगा।

1572 कारागारमें घटित अपराधों और अनुशासनहीनता के मामलों को निम्नांकित शर्तों के अधीन,कारागार अनुशासन के अध्याय में दिए गए तरीके से निपटाया जाएगा :

i. कारागार में परिरोध अथवा अनुशासनात्मक अलगाव द्वारा सजा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के साथ वाली महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर लागू नहीं होगी।
ii. महिला बंदियों के लिए अनुशासनात्मक प्रतिबंधों में परिवार के साथ विशेष रूप से बच्चों के साथ संपर्क पर रोक नहीं होगा।
iii. प्रसव के दौरान, जन्म के समय और जन्म के तुरंत बाद महिलाओं पर नियंत्रण के उपकरणों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा।

अनुरोध और शिकायतें

1573 साप्ताहिक परेड के दौरान, प्रत्येक महिला बंदी को अधीक्षक से अनुरोध/शिकायत करने का अवसर मिलेगा, जो इस तरह की शिकायतों/अनुरोधों को तुरंत निपटाएंगे।

1574 नियमों के तहत एक शिकायत पेटिका कारागार में महिला बंदियों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें मिलने वाली प्रत्येक शिकायत या अनुरोध को पहले पंजीकृत किया जाएगा और फिर उचित तरीके से बिना किसी देरी के समुचित उत्तर के साथ निपटाया जाएगा। ऐसी सभी प्राप्त शिकायतों की बिना किसी पक्षपात के जांच की जाएगी तथा इस दौरान शिकायतकर्ता का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। इस तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत करने वाली महिला बंदियों को तत्काल सुरक्षा, विश्वास और परामर्श प्रदान किया जाएगा और गोपनीयता बरतते हुए सक्षम और स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा

उनकी शिकायत की जांच की जाएगी। सुरक्षा उपायों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।

1575महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति के सामने प्रत्येक महिला बंदी को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए सही मार्गदर्शन और सहायता दी जानी चाहिए।

1576आगंतुकों की समिति, विशेष रूप से महिला बंदियों के हिरासत और उपचार की शर्तों की निगरानी करेगा।

महिलाकर्मी

1577महिला बंदियों के कारागार में, एक महिला अधीक्षक का एक पद अवश्य होगा।

1578उप–कारागारों और कारागारों के संबद्ध महिला वार्डो की प्रभारी कोई महिला उप–सहायक अधीक्षक ही होंगे। उन्हें मैट्रन प्रमुख और मैट्रन द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

1579. प्रत्येककारागार में महिलाओं के लिए समय–समय पर अपेक्षित संख्या मेअधिकारी तैनात किए जांएगा।

मुख्यालय में महिला डीआईजी

1580. महिला कारागार, महिला कारागार कर्मचारियों और महिला बंदियों की देखभाल के लिए कारागार विभाग के मुख्यालय में महिला डीआईजी का एक पद अवश्य होना चाहिए। महिला बंदियों से संबंधित पूछताछ/जांच महिला डीआईजी द्वारा ही की जाएगी, एवं वह अपनी रिपोर्ट कारागार महानिरीक्षक को संबंधित सुधारों के साथ सौपेंगी।

सेवा एवं प्रशिक्षण की शर्तें

1581 महिला कारापाल और अन्य सभी महिला कारागार अधिकारियों को उनके काम के क्षेत्र में समकालीन जानकारियां रखने के लिए बुनियादी प्रारंभिक प्रशिक्षण, सेवा के दौरान प्रशिक्षण और संबंधित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे।

1582 कारागार के प्रत्येक महिला कर्मचारी को मानवाधिकारों और सुधार कार्यों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

1583 प्रत्यक्ष भर्ती के लिए शारीरिक तंदुरूस्ती और मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक शर्तें होनी चाहिए।

1584 सभी नव–नियुक्त कर्मचारी को बुनियादी प्रारंभिक सेवा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अल्पकालिक अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के माध्यम से जानकारी दिया जाना चाहिए।

1585 कारागार सेवा के प्रत्येक कैडर के कर्मचारियों/अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

1586 विभिन्न संस्थानों को सभी कर्मियों के लिए बुनियादी प्रारंभिक प्रशिक्षण, सेवा के दौरान प्रशिक्षण, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

महिला कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं

1587 वरिष्ठ महिला अधिकारियों की अध्ययन टीमों को देश के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों के कारागार संस्थानों में समय–समय पर भेजा जाना चाहिए।

1588कर्मचारियों की बैठक और सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए।

1589एक कल्याण कोष की स्थापना की जानी चाहिए।

1590महिला कारागार कर्मचारियों को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संस्थागत और राज्य स्तर पर उचित मंच प्रदान किया जाना चाहिए।

1591महिला कारागार कर्मियों द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को सही तरीके से प्रचारित किया जाना चाहिए और मीडिया के माध्यम से इसे प्रसारित किया जाना चाहिए।

1592महिला कारागार कर्मियों को यथासंभव आवासीय सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए।

1593कर्मियों के लिए मानदंड बनाते समय पर्याप्त आरक्षित अवकाश मुहैया कराए जाने चाहिए।

1594सप्ताह में एक बार, प्रत्येक महिला कर्मचारी को एक दिन के अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

1595महिला कारागार कर्मियों को कारागार विभाग में समकक्ष कर्मियों के बराबर वेतन और भत्ते का भुगतान करना चाहिए।

1596महिला कारागार कर्मियों को उनकी समस्याएं के लिए कारागार स्तर और राज्य स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं सामान्य हो जाएं।

कर्मचारियों के लिए क्रेच एवं कैंटीन की सुविधा

1597 कारागार में नियुक्त महिला कर्मचारियों को कैंटीन के प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को कैंटीन की देखरेख का प्रभारी भी बनाया जाना चाहिए।

1598 महिला कर्मचारियों को कार्य पर रहते हुए अपने बच्चों की उचित देखभाल के लिए क्रेच की सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

1599 कैंटीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1600 महिला कारागार कर्मचारियों को समय–समय पर महानिरीक्षक (आईजी) द्वारा तय की गई अन्य सुविधाएं भी दी जा सकती है।

महिला बंदियों का अनुरक्षण

1601 मैट्रन/महिला मुख्य कारापाल प्रत्येक महिला बंदी का अनुरक्षण करेगी और बंदी के साथ तब तक रहेगी जब तक बंदी पुनः घेरे में वापस न आ जाए। वह स्थानांतरण के समय भी महिला बंदी के साथ जाएगी। जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा के लिहाज से महिला पुलिस की सेवाओं का उपयोग भी अनुरक्षण ड्यूटी के लिए किया जाएगा।

1602 महिला बंदियों को अनुरक्षण के लिए अलग से अनुरक्षण वैन (अनुरक्षण वाहन) उपलब्ध कराया जाएगा।

मैट्रन या महिला कारापाल पुरुषों को महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देंगी।

1603 मैट्रॉन किसी भी पुरुष कारागार अधिकारी या पुरुष बंदी को उचित अधिकार के बिना महिलाओं के घेरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। यदि कोई भी पुरुष कारागार अधिकारी/कारापाल/बंदी, उचित प्राधिकारी के बिना, महिलाओं के लिए आरक्षित कारागार क्षेत्र में किसी भी समय

प्रवेश करने या प्रवेश करने का प्रयास, भी करते पाया गया तो मैट्रन/कारापाल इसकी शिकायत उप–कारागार अधीक्षक या कारागार अधीक्षक को तुरंत करेगा।

मैट्रन या प्रमुख मैट्रन पुरुष बंदियों के साथ संवाद नहीं करेंगे

1604 कोई भी मैट्रन/महिला हेड वार्डर किसी भी समय और किसी भी मुद्दे पर, पुरूष बंदियों से किसी भी तरह का साक्षात्कार या किसी भी तरह से बातचीत नहीं कर सकता, किसी भी पुरुष बंदी के साथ या पुरुष बंदियों द्वारा आवंटित, आरक्षित, या कब्जे वाले कारागार के किसी भी हिस्से पर तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में न जाना हो।

महिला वार्ड की चाबी

1605 हेड मैट्रन/मैट्रन के पास ही महिला बंदियों को रखने संबंधित जगहों की चाबियां होंगी। महिला बंदियों को अपने वार्डों में बंद करने के बाद चाबियों को वे महिला कर्मी संबंधित महिला उप–सहायक अधीक्षक को सौंप देंगी जिसे अधीक्षक संबंधित चाबियों के स्थल पर रखेंगी। सुबह में महिला बंदियों को वार्डों से बाहर निकालने के लिए महिला उप–सहायक अधीक्षक ये चाबियां फिर से हेड मैट्रन/मैट्रन को सौंप देंगी।

अध्याय–27
युवा अपराधी

मार्गदर्शक सिद्धांत

1606 युवा वय काफी संवेदनशील उम्र होती है और इसमें किसी बात की छाप व्यक्ति पर बहुत जल्द पड़ती है। आज का एक युवा अपराधी कल बड़ा होकर गंभीर अपराधों में लिप्त कुख्यात अपराधी बन सकता है। ऐसे अपराधियों को देश का उपयोगी नागरिक बनाया जा सकता है और समाज के लिए उपयोगी दिशा में उन्हें फिर से ढाला जा सकता है। ऐसे अपराधियों को अगर बंदी जीवन के कड़वे और हानिकर अनुभवों से बचाया जाना है, तो उनके लिए वैज्ञानिक और प्रगतिशील रवैये की जरूरत है।

1607 जहां तक संभव हो सके, युवा अपराधियों को वयस्कों और आभ्यासिक अपराधियों के लिए निर्धारित स्थलों में नहीं रखा जाना चाहिए।

1608 युवा अपराधियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान विशेष प्रकार के होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक वर्ग के लिए अनुकूल विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम सुविधाजनक ढंग से चलाए जा सकें।

प्रशिक्षण और उपचार

1609 प्रत्येक अपराधी के व्यक्तित्व के आकलन तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल प्रशिक्षण और उपचारात्मक कार्यक्रम की सतर्क योजना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों में शिक्षण, कार्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां, अनुशासन, उनके मामले के अनुरूप कार्य, सामूहिक कार्य गतिविधियां, सामूहिक मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, परामर्श, चरित्र निर्माण, आवधिक समीक्षा, रिहाई की योजना, समय पूर्व रिहाई, व्यापक रूप से रिहाई के बाद की निगरानी और बाद की गतिविधियों का अध्ययन शामिल होना चाहिए। कारागार के सदस्यों का व्यक्तिगत प्रभाव इन युवा अपराधियों को सुधारने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

1610 यदि छानबीन और सुनवाई के दौरान युवा अपराधियों को एक उप–कारागार में रखा जाना आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित

किया जाना चाहिए कि वे वहां वयस्क अपराधियों के संपर्क में न आएं।

स्वागत केंद्र/स्वागत इकाइयां

1611 युवा अपराधियों को जेल में लाने से पहले उनके लिए अलग संस्थान होना चाहिए, जिसे स्वागत केंद्र कहा जाए। युवा उम्र की महिला अपराधियों के लिए अलग स्वागत केंद्र होना चाहिए।

1612 सज़ा सुनाए गए युवा अपराधियों को स्वागत केंद्र/स्वागत इकाइयों में लिया जाना चाहिए।

1613 स्वागत केंद्र/स्वागत इकाई के कार्यक्रमों में निम्नांकित बातों का समावेश होना चाहिए :

क. प्रवेश, निरोधात्मक उपाय और प्रवृत्ति में बदलाव के प्रयास।

ख. प्रत्येक अपराधी के व्यक्तित्व का अध्ययन और आकलन।

टिप्पणी : स्वागत केंद्रों में आए युवा कैदियों का अध्ययन सुधारात्मक प्रशासकों, समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और अपराध से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा किया जाना चाहिए। आवश्यक होने पर कैदी को किसी मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जा सकता है।

ग. आरंभिक वर्गीकरण

1614 आरंभिक वर्गीकरण पूरा हो जाने के बाद कैदियों को एक समुचित संस्थान में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। स्वागत केंद्र/स्वागत इकाई के प्रभारी अधीक्षक केवल प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम के बारे में इंगित करेंगे। स्वागत केंद्र से दिए गए सुझावों को किस तरह लागू किया जाए और उनमें आवश्यक सुधारों का निर्णय उस संस्थान के प्रभारी के पास होगा, जिसमें कैदी को भेजा गया है।

युवा अपराधियों के लिए अलग स्थान

1615 प्रत्येक केंद्रीय/जिला कारागार में युवा अपराधियों के लिए एक उपभवन होना चाहिए। 6 महीने तक की कारागार की सजा पाने वाले युवा अपराधियों को सजा की कम अवधि के

कारण स्वागत केंद्रों की बजाय इस उपभवनमें रखा जाना चाहिए।

स्वागत केंद्र

1616 स्वागत केंद्र का संचालन कारागार प्रशासन करेगा और यहां उल्लिखित समस्त सुविधाएं युवा अपराधियों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

1617 स्वागत केंद्र में युवा अपराधियों को निम्न उपचार–उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए :

I. प्रारंभिक प्रवेश

II. समुचित हिरासत तथा सकारात्मक, रचनात्मक और कठोर अनुशासन की प्रणाली।

III. कैदियों की देखभाल और कल्याण।

IV. आवश्यकता अनुरूप शुरुआती आधार पर कैदियों को अलग अलग किया जाना।

V. कैदियों की तात्कालिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान।

VI. प्रत्येक अपराधी का अध्ययन–पृष्ठभूमि मालूम करना, अपराध दर्ज करना, परीक्षण और निगरानी।

VII. संस्थान के माहौल से अनुकूलन।

VIII. वैज्ञानिक वर्गीकरण

IX. कैदियों की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी दीर्घावधि आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

X. केंद्र में प्रवेश के समय और उसके बाद कैदियों का नियमित रूप से समुचित आकलन किया जाना चाहिए। इस आकलन का उद्देश्य विशेष रूप से उनमें अपराध के कारणों का पता लगाना और रिहाई के बाद उन्हें कानून सम्मत रचनात्मक सामाजिक जीवन जीने में मदद करना है।

XI. मार्गदर्शन, परामर्श और सहयोग

XII. रिहाई की योजना।

XIII. बाद की देखभाल।

XIV. रिहाई के बाद की निगरानी और उपचारात्मक उपाय

1618 युवा कैदियों को इस प्रकार का उपचार उपलब्ध कराने में सामुदायिक और बाहरी एजेंसियों के संसाधनों की मदद ली जानी चाहिए।

कर्मचारी संगठन

1619 युवा अपराधियों की समस्याओं से निपटने के लिए कारागार और सुधारात्मक सेवा विभाग के मुख्यालयों पर सुधार सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के तहत अलग शाखा बनाई जानी चाहिए। जहां तक युवा अपराधियों के उपचार और प्रशिक्षण कार्यों का सवाल है, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। हालांकि विभाग की अन्य शाखाओं के साथ समन्वय और एकीकरण के उद्देश्य से वह कारागार अधीक्षक के नियंत्रण में होगा।

1620 युवा अपराधियों के संस्थानों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मचारी जेल अधीक्षक के नियंत्रण और निगरानी में होंगे। ये निम्नांकित प्रकार के होंगे :

क. प्रधानाचार्य

ख. उप–प्रधानाचार्य

ग. शिक्षक

घ. निरीक्षक

ङ. मनोवैज्ञानिक

च. मनोविज्ञानी सामाजिक कार्यकर्ता/मामले से संबधित कार्यकर्ता

छ. शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण और कृषि प्रशिक्षण के लिए समुचित कर्मचारी।

ज. चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक देखभाल के लिए कर्मचारी

झ. मंत्रालयों और लेखा संबंधी तथा अन्य कर्मचारी

ञ सुरक्षाकर्मी

शिक्षण

1621 युवा अपराधियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं समुचित ढंग से पूरी होनी चाहिए। इसके लिए कारागार अधिकारी युवा अपराधियों के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से मुक्त विद्यालयों का सहयोग ले सकते हैं। युवा

अपराधियों की शिक्षा में निम्नांकित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :

क. शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षण

ख. सामाजिक और नैतिक शिक्षण

ग. साक्षरता संबंधी शिक्षण

घ. व्यावसायिक शिक्षण

ङ. कला और हस्तशिल्प शिक्षण

1622 युवा के समग्र शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं संस्थानों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिक्षण कार्यक्रम इस तरह से तैयार होने चाहिए कि विभिन्न आयु वर्ग और बुद्धिमता स्तर के युवा अपराधी उनका लाभ उठा सकें। निरक्षर और शैक्षणिक रूप से पिछड़े युवा अपराधियों के लिए विशेष शिक्षण कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए।

1623 संस्थानों में युवा अपराधियों के स्व–शिक्षण के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राज्य शिक्षा विभाग या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से संचालित परीक्षा में बैठने के इच्छुक युवा अपराधियों को इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

कार्य और रोजगार

1624 युवा अपराधियों को ऐसे हस्तशिल्प, कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए, जो रिहाई के बाद उनके लिए उपयोगी साबित हो सकें।

1625 युवा अपराधियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी, रसोईघर और कैंटीन, धुलाई और नलसाज़ी सेवाओं जैसे संस्थान की जरूरी सेवाओं के संचालन में बारी बारी से सहायक के रूप में रोजगार के तौर पर लगाया जाना चाहिए। ऐसे कामों में लगाए जाने का उद्देश्य कैदियों को इन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

1626 समाज मे पुनर्वास के लिए समुचित व्यवसायों में युवा अपराधियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक गतिविधियां

1627 युवा अपराधियों के सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मनोरंजक कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां इस तरह से नियोजित की जानी चाहिए कि वे युवा अपराधियों के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए निम्नांकित गतिविधियां चुनी जा सकती हैं : इन्डोर और आउट डोर खेल, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स, फिल्म, संगीत, सामुदायिक और लोक नृत्य, नाकट, कला और शिल्प, पठन, लेखन, वाद–विवाद, क्विज़ कार्यक्रम, खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्थानीय प्रतियोगिताओं और मैचों में भागीदारी, भ्रमण और शिविर, स्काउटिंग, डाक टिकट संग्रह और बागवानी।

भोजन

1628 युवा वय वृद्धि और विकास की आयु होती है। युवा कैदियों को संतुलित भोजन दिए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अनुशासन

1629 युवा अपराधियों के अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, छोटे मोटे अपराधों के लिए रियायत में कटौती का दंड देना चाहिए। जब यह उपाय विफल हो जाए, तो अन्य प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं।

पूर्व रिहाई और रिहाई

1630 युवा अपराधियों की पूर्व रिहाई और रिहाई की तैयारियों के लिए समय से पहले रिहाई के प्रावधान लागू होंगे।

1631 रिहाई से कम से कम एक पखवाड़े पहले युवा अपराधी के रिश्तेदार/मित्रों को रिहाई तिथि की सूचना देते हुए और रिहाई के बाद कैदी को लेने के लिए उपस्थित रहने का आग्रह करते हुए पत्र भेजा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, युवा अपराधियों को रिहाई के बाद उनके रिश्तेदारों, मित्रों या मान्यता प्राप्त देखभाल एजेंसी को ही सौंपा जाना चाहिए। यदि कारागार अधीक्षक आवश्यक समझते हों, तो युवा अपराधी को रिहाई के बाद जेल सुरक्षाकर्मी या एक निरीक्षक की निगरानी में उसके घर या किसी देखभाल एजेंसी में भेजा जा सकता है।

रिहाई बाद की देखभाल और पुनर्वास

1632 पुनर्वास और रिहाई बाद की देखभाल अध्याय के प्रावधानों के अनुसार युवा कैदियों को रिहाई के बाद देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। युवा कैदियों की देखभाल के सभी पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम और दिनचर्या

1633 कार्यक्रम और दिनचर्या में निम्न बातों का समावेश होना चाहिए:

(क)

- तड़के सुबह खोले जाने की तैयारी
- दृश्यता स्थितियों के अनुसार मुक्त करना
- गिनती और तलाशी
- बैरक या कोठरी छोड़ना
- शौचालय
- सामूहिक प्रार्थना और ध्यान
- व्यायाम, व्यक्तिगत और सामूहिक व्यायाम, हल्के योगासन इत्यादि
- सुबह का हल्का भोजन
- शैक्षणिक कक्षाएं। व्यावसायिक प्रशिक्षण
- स्नान
- भोजन और आराम

(ख)

- दोपहर का कार्य
- प्रसाधन गृह
- आउटडोर खेल या जिमनास्टिक

(ग)

- संध्या
- हाथ मुंह धोना
- शाम का भोजन

- सामाजिक शिक्षा
- समाचार पत्र, पुस्तकें, रेडियो, टेलीविजन
- समूह संगीत, नाटक, शैक्षणिक फिल्म और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां, प्रत्येक
  ग्रुप के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुरूप।
- सामूहिक प्रार्थना
- लॉक–अप की तैयारी
- तलाशी और गिनती
- लॉक–अप

टिप्पणी : कृषि कार्य सुबह किए जाने चाहिए। कृषि कार्यों में लगाए गए कैदियों को दोपहर में शिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षाओं में शामिल होना चाहिए। कार्य और शिक्षा–समय का निर्धारण प्रत्येक कारागार में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।

रविवार और जेल अवकाश के दिनों के कार्यक्रम

(क)

- सुबह
- शौचालय
- सामूहिक प्रार्थना
- सुबह का हलका भोजन
- बैरक, कोठारी और खुले स्थानों की सफाई, संयंत्रों की सफाई
- कपड़े धोना
- स्नान
- उपकरणों का निरीक्षण
- भोजन और विश्राम

(ख)

- दोपहर
- शैक्षणिक फिल्म

- सामूहिक संगीत, लोक नृत्य, नाटक, समाचार पत्र, किताबें, रेडियो, टेलीविजन और
  खेलकूद, प्रसाधन गृह,

(ग)

- शाम को मुंह हाथ धोना
- शाम का भोजन
- लॉक अप की तैयारी
- तलाशी और गिनती
- लॉक अप

टिप्पणी : कारागार महानिरीक्षक की अनुमति के आधार पर जेल अधीक्षक संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप दिनचर्या/कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं।

अध्याय – 28
कारागारों का निरीक्षण

1634 कारागार बंदियों और कर्मचारियों की कार्य–स्थितियों के सुधार में निरीक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण है। निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, कि कारागार कर्मी निर्धारित संचालन नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, बंदियों से संबंधित मामलों के रिकॉर्ड संबंधित नियमों के अनुरूप रखे जा रहे हैं और उन्हें अद्यतन किया जा रहा है। निरीक्षण दो प्रकार के होते हैं :

(क) **अनौपचारिक निरीक्षण** : कारागार विभाग के महानिरीक्षक (कारागार) या इसके ऊपर के प्रत्येक अधिकारी अपनी सरकारी ड्यूटी के तहत कारागारों का दौरा करेंगे और अनौपचारिक निरीक्षण करेंगे। ये अधिकारी अनौपचारिक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिनमें ये बातें शामिल होंगी :

I. सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था
II. भोजनालय और कैंटीन सुविधा
III. कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्थिति
IV. चिकित्सा सुविधाएं
V. बंदियों की संख्या
VI. कारागार इमारतें
VII. बंदियों के साथ मुलाकात
VIII. कारागार कर्मियों की शिकायतें
IX. कारागार मुख्यालयों में लंबित मामले
X. महिला बंदी और शिशु
XI. बंदी प्रबंधन सॉफ्टवेयर/वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा
XII. अन्य प्रशासनिक मुद्दे

ख. **औपचारिक निरीक्षण** : सरकार द्वारा कराए जाने वाले औपचारिक निरीक्षण के दौरान इन दिशा निर्देशों पर ध्यान देना होगा। औपचारिक निरीक्षण सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारी द्वारा विस्तार से किया जाएगा। निरीक्षण अधिकारी लगातार या अन्य रूप से दो दिन और दो रात कारागार का दौरा और निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण अधिकारी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिनमें इन बातों का ब्यौरा होगा :

I. पूर्व निरीक्षण पर कारागार महानिरीक्षक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन पर टिप्पणी
II. कारागार की अधिकृत कैदी संख्या और वास्तविक कैदी संख्या
III. कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्थिति

IV. दिन और रात के समय सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था/जेनेरेटर सेट
V. कारागार की अलार्म प्रणाली
VI. भोजनालय और कैंटीन सुविधाएं
VII. बंदियों के साथ मुलाकात की सुविधाएं
VIII. भंडारगृह
IX. बंदियों का रिकॉर्ड रखा जाना
X. पैरोल, फर्लो, माफी और समयपूर्व रिहाई इत्यादि से संबधित रिकॉर्ड
XI. महिला बंदी और शिशु
XII. चिकित्सा सुविधाएं
XIII. कारागार में कार्य अवसर
XIV. माफी की व्यवस्था
XV. बंदियों को पारिश्रमिक
XVI. पुस्तकालय
XVII. बैरक में पानी और जल निकासी सुविधाओं सहित स्वास्थ्य संबंधी स्थिति
XVIII. मनोरंजन सुविधाएं/खेलकूद/धार्मिक गतिविधियां/आध्यात्मिक गतिविधियां
XIX. कारागार कृषि
XX. कारागार फैक्टरी/कार्यशाला
XXI. कारागार पंचायत
XXII. उच्च सुरक्षा वार्ड
XXIII. अधिक जोखिम वाले कैदी
XXIV. कम्प्यूटरीकरण/वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा/सीसीटीवी इत्यादि
XXV. कारागार कर्मचारी कॉलोनी
XXVI. कारागार कर्मियों से मुलाकात
XXVII. कारागार, बंदियों और कर्मचारियों से संबंधित अन्य प्रशासनिक मुद्दे

कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)

1. शिकायत निपटान बैठक, यदि कोई हो।
2. कैंटीन प्रबंधन

आंतरिक निरीक्षण तंत्र

1635 प्रत्येक केंद्रीय कारागार, जिला कारागार और उप कारागार/अन्य कारागार (महिला) का निरीक्षण वर्ष में दो बार कारागार महानिरीक्षक द्वारा होना चाहिए। पहला निरीक्षण जनवरी/फरवरी के महीने में पिछले वर्ष पहली जुलाई से 31 दिसंबर तक की अवधि में कारागार के

कामों के बारे में होगा। इसके बाद जुलाई महीने में किया जाने वाला निरीक्षण मौजूदा वर्ष की पहली जनवरी से 30 जून की अवधि के लिए होगा। पहले निरीक्षण की रिपोर्ट प्रति वर्ष 28 फरवरी तक और दूसरे निरीक्षण की रिपोर्ट 31 जुलाई तक सरकार को समुचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए सौंप दी जानी चाहिए।

1636 कारागार महानिरीक्षक, निरीक्षण रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों के अनुपालन के लिए संबंधित कारागार अधीक्षक को दिशा निर्देश जारी करेंगे। संबंधित कारागार अधीक्षक को निरीक्षण टिप्पणी पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट अगले निरीक्षण से पहले सौंपनी होगी। निरीक्षण अधिकारी अपनी रिपोर्ट में अनुपालन/उठाए गए मुद्दों पर कारागार अधीक्षक की प्रतिक्रिया/पिछली निरीक्षण रिपोर्ट की टिप्पणी के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे।

1637 कारागार मुख्यालयों से उप महानिरीक्षक या इससे ऊपर के प्रत्येक अधिकारी प्रतिवर्ष कम से कम 25 प्रतिशत कारागारों का निरीक्षण करेंगे। कारागार महानिरीक्षक प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक निरीक्षण किए जाने वाली कारागारों की सूची भी प्रस्तावित करेंगे।

अध्याय –29

आगंतुक बोर्ड

1638. कारागार के लिए आगंतुकों की दो श्रेणी यानी राज्य स्तरीय आगंतुक और आगंतुक बोर्ड, होंगी। निम्नलिखित सरकारी अधिकारी कारागार के लिए राज्य स्तरीय आगंतुक होंगेः–

क) प्रधान सचिव, गृह विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
ख)प्रधान सचिव, विधि विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
ग)पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस
घ) मंडल आयुक्त, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

1639. सरकार अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक कारागार के लिए आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्यों की मौजूदगी वाले आगंतुक बोर्ड का गठन करेगी। हालांकि, एक ही आगंतुक बोर्ड की नियुक्ति एक से अधिक कारागारों के लिए की जा सकती है।

1640.आगंतुक बोर्ड के कार्य निम्नांकित प्रकार के होंगेः–

क) कारागार में प्रशिक्षण की स्थिति एवं गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे/सुविधाओं की प्रभावकारिता पर विशेष ध्यान देते हुए कारागार में सुधार कार्यों की निगरानी।
ख) सुधारक कार्य को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके सुझाना।
ग) कैदियों की व्यक्तिगत अथवा सामूहिक शिकायतों पर गौर करना और कारागार अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद उनका समाधान निकालना।

1641. प्रत्येक कारागार के आगंतुक बोर्ड में निम्नलिखित सरकारी अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें आधिकारिक सदस्य के तौर पर जाना जाएगाः

क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महिला कारागार के मामले में महिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्राथमिकता दी जाएगी।
ख) जिलाधिकारी, महिला कारागार के मामले में महिला जिलाधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।
ग) दिल्ली के पुलिस उपायुक्त।
घ) शिक्षा निदेशक अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी, जो उप–निदेशक रैंक से नीचे का न हो।
ङ) स्वास्थ्य सेवा निदेशक अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो।
च) समाज कल्याण निदेशक या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी, जो उप–निदेशक रैंक से नीचे का न हो।

1642. प्रत्येक कारागार के आगंतुक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य भी शामिल होंगे जो सरकारी अधिकारी नहीं होंगे और उन्हें गैर–आधिकारिक सदस्य के दौर पर जाना जाएगाः–

क) महिला कारागार के मामले में विधानसभा की दो महिला सदस्य और पुरुष कारागार के मामले में विधानसभा के दो सदस्य (पुरुष या महिला) को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक मनोनीत सदस्य।
ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, के क्षेत्र में रहने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता। उनमें से एक विधि पृष्ठभूमि का हो और उसकी कारागार प्रशासन एवं कैदियों के कल्याण में दिलचस्पी हो। दो सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक महिला होनी चाहिए।
घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, के क्षेत्र में रहने वाले दो चिकित्सक जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।
ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, के क्षेत्र में रहने वाले एक मनोचिकित्सक।

1643. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगंतुक बोर्ड के चेयरमैन और जिलाधिकारी वाइस चेयरमैन होंगे। गैर–आधिकारिक आगंतुकों को नियुक्ति के बाद उनके कर्तव्यों, भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों

के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

1644. बोर्ड को इस उद्देश्य से प्रति तिमाही कम से कम एक बार कारागार का भ्रमण करना चाहिए, कोरम बनाए रखने के लिए इसमें तीन सदस्यों (एक आधिकारिक आगंतुक और दो गैर–आधिकारिक आगंतुक) और चेयरमैन की मौजूदगी जरूरी है।

1645. आगंतुक बोर्ड की प्रत्येक बैठक का विवरण विजिटर्स मिनट बुक यानी आगंतुक पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और इसे अधीक्षक की टिप्पणी के साथ कारागार महानिरीक्षक के पास भेजा जाएगा। मिनट की प्रति आगंतुक बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी। कारागार महानिरीक्षक आगंतुक बोर्ड की पिछली बैठक/बैठकों के मिनट की एक प्रति राज्य सलाहकार बोर्ड या सरकार के समक्ष रखेंगे।

1646. जब आगंतुक बोर्ड का कोई गैर–आधिकारिक सदस्य कारावास का भ्रमण करेगा तो उसके साथ कम से कम एक एक और सदस्य (आधिकारिक या गैर–आधिकारिक) होगा/होगी। आगंतुक बोर्ड के चेयरमैन कारागार में सदस्यों के भ्रमण के लिए अधीक्षक से विचार–विमर्श के बाद एक मासिक रोस्टर तैयार करेंगे और वह सदस्यों को भेजेंगे।

1647. रोस्टर इस तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि प्रत्येक सदस्य के हिस्से में हर महीने कम से कम एक भ्रमण अवश्य आए।

1648. आगंतुक बोर्ड के प्रत्येक गैर–आधिकारिक सदस्य से उम्मीद की जाती है कि वह कैदियों की देखभाल और कारागार भ्रमण में दिलचस्पी दिखाए जहां वह महीने में एक बार अथवा संभव हो तो अधिक बार भ्रमण करते हों।

1649. भ्रमण के दौरान किसी आगंतुक (आगंतुक बोर्ड के सदस्य) को गोपनीय और अलग से किसी भी बंदी से बात करने का अधिकार होगा जो उनसे बात करना चाहता हो। हालांकि आगंतुक और बंदी के बीच ऐसी बातचीत कारागारकी दीवारों के भीतर ही होनी चाहिए। इस प्रकार की बातचीत कारागार अधिकारी की नजर में होनी चाहिए और उस दौरान कोई अन्य आगंतुक भी मौजूद होना चाहिए। ऐसी बातचीत के तुरंत बाद आगंतुक बोर्ड के चेयरमैन को इस संबंध में लिखितसूचना दी जानी चाहिए कि बंदी के साथ बातचीत में क्या बातें सामने आईं। चेयरमैन को यदि आवश्यक लगे तो वह मामले को कारागार अधीक्षक के सामने उठा सकते हैं।

1650. आगंतुकों की मिनट बुक में बोर्ड के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों/टिप्पणियों की जानकारी अधीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणियों के साथ तत्काल कारागार महानिरीक्षक को दी जाएगी। इसकी एक प्रति संबंधित आगंतुक और आगंतुक बोर्ड के चेयरमैन को भी भेजी जाएगी।

1651. आगंतुक बोर्ड के सदस्यों को विशेष तौर पर कैदियों की खुराक की मात्रा एवं गुणवत्ता, रसोई एवं अस्पताल की स्थिति, दवाइयों की उपलब्धता, अस्पताल प्रबंधन, कैदियों की चिकित्सा व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण के पहलुओं, साक्षरता कार्यक्रम और कैदियों के लिए पुस्तकालय सुविधा पर ध्यान देना होगा।

1652. यदि आगंतुक बोर्ड का कोई सदस्य मांग करता है तो अधीक्षक को आगंतुक सदस्य/सदस्यों के सामने सुधारात्मक कार्य, कैदियों के मनोरंजन और प्रशिक्षण, कैदियों की खुराक/दवाएं, कैदियों की शिकायतों और ऐसी शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कागजात/दस्तावेज पेश करने होंगे।

1653. कारागार महानिरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना अधीक्षक आगंतुक बोर्ड के सदस्य के सामने वित्तीय खातों से जुड़े

रजिस्टर/दस्तावेज/कागजात पेश करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

1654. अधीक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि भ्रमण पर आए आगंतुक बोर्ड के सदस्य/सदस्यों के सामने शिकायत दर्ज कराने वाले कैदियों के खिलाफ आरोपी या कारागार कर्मियों द्वारा बदले की भावना से कार्य नहीं किया जाए।

1655.आगंतुक बोर्ड के सदस्य/सदस्यों के ऐसे किसी भी भ्रमण के बारे में अधीक्षक को भ्रमण के बारे में कारागार महानिरीक्षक को सूचित करना होगा।

1656. आगंतुक बोर्ड के एक गैर–आधिकारिक सदस्य का कार्यकाल बोर्ड में नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि तक के लिए होगा और उनकी पुनः नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि, गैर–आधिकारिक सदस्य की दो से ज्यादा बार नियुक्ति नहीं की जाएगी।

1657. नियुक्ति अधिकारी किसी भी गैर–आधिकारिक आगंतुक की नियुक्ति को रद्द कर सकता है, लेकिन उसके लिए लिखित में वजह बतानी होगी। गैर–आधिकारिक आगंतुक को हटाने का फैसला एकपक्षीय न हो और वह उचित तर्कों के आधार पर होना चाहिए। किसी को हटाने का फैसला विशेष रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

1658.आगंतुक बोर्ड के गैर–आधिकारिक सदस्यों को आगंतुक बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृति के आधार पर भत्ते मिलेंगे।

आगंतुकों के कर्तव्य

1659.प्रत्येक दौरे के दौरान सभी आधिकारिक और गैर–आधिकारिक आगंतुकों को निम्नलिखित कार्य करने होंगेः–

क) पकाए गए भोजन की जांच करना।

ख) सामान्य तौर पर कारागार के बैरकों, वार्डों, कार्यस्थलों एवं अन्य इमारतों का निरीक्षण करना।

ग) स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए देखना चाहिए कि हर क्षेत्र में उचित प्रबंधन एवं अनुशासन का कितना ध्यान रखा गया है। कहीं कारागार में किसी को अवैध रूप से तो नहीं रखा गया है अथवा जांच के इंतजार में किसी को ज्यादा समय तक हिरासत में तो नहीं रखा गया।

घ) गोपनीय अभिलेखों और लेखा विभाग से जुड़े अभिलेखों को छोड़कर कारागार के अन्य रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच करना।

ङ) कैदियों द्वारा अथवा उनकी ओर से दायर सभी याचिकाओं और प्रस्तुतियों को सुनना और उनमें भाग लेना।

च) यदि आवश्यक लगे तो ऐसी किसी प्रस्तुति अथवा याचिका सरकार को प्रेषित करने का निर्देश देना।

छ) सुधारात्मक कार्यों को बेहतर बनाने के लए नए क्षेत्रों का सुझाव देना।

नोटः आगंतुकों के कर्तव्यों की सूची की एक प्रति मुख्य द्वार पर रखी जाएगी और कारागार भ्रमण के अवसर पर आगंतुक को सौंप दी जाएगी। प्रत्येक गैर–आधिकारिक आगंतुक की नियुक्ति पर उन्हें इसकी एक प्रति भेजी जाएगी।

आगंतुक बोर्ड को अपनी टिप्पणी दर्ज करनी होगी

1660. आगंतुक बोर्ड को प्रत्येक भ्रमण के बाद आगंतुक पुस्तिका में अपनी टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए। इन टिप्पणियों की एक प्रति महानिरीक्षक को प्रेषित की जाएगी। आवश्यक लगने पर उन्हें ऐसे आदेश जारी करने चाहिए। महानिरीक्षक के आदेश की एक प्रति संबंधित आगंतुक को भेजी जानी चाहिए।

आगंतुकों को मिलनी वाली सुविधाएं

1661 चेयरमैन द्वारा तैयार रोस्टर के तहत आगंतुकों के बोर्ड या आगंतुक के कारागार की स्थिति और प्रबंधन का जायजा लेने आने पर हर जरूरी सुविधा दी जाएगी। साथ ही नियमों के तहत उन्हें कारागार के प्रत्येक हिस्से और प्रत्येक बंदी तक पहुंचने का मौका दिया जाएगा। वे सामान्य तौर पर कारागार महानिरीक्षक की अनुमति मिले बिना उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों का भ्रमण नहीं कर सकेंगे।

1662. आगंतुक बोर्ड को कारागार में किसी भी बहीखाते अथवा अन्य अभिलेख को मांगने और उसकी जांच करने का अधिकार है। इसी प्रकार, प्रत्येक आगंतुक को किसी भी बंदी को देखने और कारागार अधिकारी की सुनवाई से इतर कोई भी सवाल पूछने का अधिकार मिलना चाहिए।

1663.रात में और कारागार में अवकाश की स्थिति में सामान्य तौर पर आगंतुक कारागार का भ्रमण नहीं करेंगे।

आगंतुकों को सम्मान–

1664. आधिकारिक एवं गैर–आधिकारिक आगंतुकों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए और सूचना के लिए उनके अनुरोध को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधीक्षक जरूरत पड़ने पर आगंतुक के साथ जाने के लिए किसी भी अधिकारी को कभी भी नामित कर सकते हैं। आगंतुक को बिना किसी अनुरक्षक के कारागार के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि आगंतुक की मांग पर प्रहरी को श्रवण–सीमा से दूर रहना चाहिए ताकि गोपनीयता बनी रहे।

उच्च सुरक्षा वाले कारागार का भ्रमण

1665. उच्च सुरक्षा वाले एवं अन्य कारागारों का भ्रमण करना जिला एवं सत्र न्यायाधीश का दायित्व होगा ताकि वह आश्वस्त हो सकें कि सभी नियमों, दिशानिर्देशों एवं जारी किए गए आदेशों का पूरी तरह अनुपालन हो रहा है।

निरीक्षण का रिकॉर्ड

1666. प्रत्येक भ्रमण एवं निरीक्षण के परिणाम से जुड़े ब्योरे को अधीक्षक द्वारा एक विशेष पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए संवाद

1667. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तरफ से होने वाला कोई भी संवाद महानिरीक्षक (कारागार) को संबोधित होना चाहिए जिसकीप्रति गृह विभाग एवं संबंधित कारागार अधीक्षक आदि को भी भेजी जाएगी।

भ्रमण की तारीख दर्ज की जाएगी और टिप्पणियों की एक प्रति कुछ अधिकारियों को भेजी जाएगी

1668. प्रत्येक आगंतुक को कारागार का भ्रमण पूरा करने के बाद आगंतुक पुस्तिका में भ्रमण की तिथि एवं घंटे दर्ज करने होंगे। यदि वह कोई टिप्पणी या सुझाव देना चाहें तो उसे भी दर्ज किए जा सकते हैं।

1669. प्रत्येक आगंतुक द्वारा की गई टिप्पणियों की एक प्रति, साथ में अधीक्षक का उत्तर अथवा अधीक्षक द्वारा उस पर उठाए गए कदमों की जानकारी सहित महानिरीक्षक को सूचित किया जाएगा। किसी विचाराधीन बंदी को लंबे समय तक हिरासत में रखने के मामले में टिप्पणी की एक प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी भेजी जाएगी।

आगंतुक द्वारा की गई टिप्णियों का निस्तारण

1670. आगंतुक द्वारा इन नियमों के अंतर्गत की गई किसी भी टिप्पणी को महज एक बयान अथवा वास्तविक तथ्यों के आकलन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यदि उनके संज्ञान में ऐसा कोई सुझाव आए तो वह अधीक्षक अथवा महानिरीक्षक से उस पर गौर करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। कारागार के सामान्य प्रशासन एवं प्रबंधन के संबंधित पहलुओं की आगंतुक की राय में आवश्यक सुधार की पुष्टि उनकी टिप्पणी में होनी चाहिए। साथ ही यदि आगंतुक किसी कारागार अधिकारी के अच्छे या खराब कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो उसे कारागार महानिरीक्षक को संबोधित एक गोपनीय पत्र के माध्यम से ऐसा करना चाहिए।

1671. कारागार महानिरीक्षक आगंतुक की किसी भी टिप्पणी पर आदेश जारी कर सकता है और यदि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार से आदेश लेने की जरूरत हो तो उसे सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

1672.यदि किसी आगंतुक की टिप्पणी पर महानिरीक्षक या सरकार द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो कारागार अधीक्षक के माध्यम से उसकी सूचना संबंधित आगंतुक को दी जाएगी।

अध्याय– 30
कर्मचारी विकास

1673 कर्मचारी विकास के प्रति दृढ़ प्रयास का रवैया कारागारों के नियमन संबंधी कानूनी प्रारूप का अभिन्न अंग होना चाहिए। सुधारात्मक कार्य विशेषज्ञता क्षेत्र है, और समाज सेवा का बहुत महत्व है, इसलिए कारागार विभाग और कारागार स्तर पर सुधारात्मक सेवाओं के सभी पद, सहायक स्टॉफ की ज़रूरत को छोड़कर, की व्यवस्था कारागार विभाग के लोगों को ही करनी चाहिए और सरकारी नियमों और नीतियों का पालन होना चाहिए।

कारागार संवर्ग

1674 कारागार कर्मियों में ये स्टॉफ काडर शामिल होने चाहिए :

i.कार्यकारी अधिकारी (एग्जिक्यूटिव)

ii. हिरासत/सुरक्षाकर्मी

iii.तकनीकी : कारागार प्रशासन के अंतर्गत तकनीकी सुपरवाइज़र और प्रशिक्षक

iv. मंत्रालय संबंधी : प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निम्न श्रेणी लिपिक तक

v. चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी : सरकार के मापदंड के अनुसार

1675 विभिन्न श्रेणियों के कॉडर में शामिल कर्मचारियों की संख्या विभाग की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए। इसका निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्राप्त रहें। इसे ध्यान में रखते हुए ही कॉडर के कर्मचारियों की संख्या और विभिन्न पदों का अनुपात नीचे दिए अनुसार तय किया जाना चाहिए :

i) वार्डर, हैड वार्डर और चीफ वार्डर का अनुपात 25 : 5 : 1 होना चाहिए।

ii) चीफ हैड वार्डरों और सहायक अधीक्षकों का अनुपात 1 : 1 होना चाहिए,

iii) सहायक अधीक्षक, उप अधीक्षक–II का अनुपात 3 : 1 हो।

iv) उप अधीक्षक–I/अतिरिक्त अधीक्षक, अधीक्षक और उप महानिरीक्षक कारागार का अनुपात 9 : 3 : 1 रखा जाना चाहिए।

v) वार्डर और बंदियों की संख्या 1 : 6 के अनुपात में होनी चाहिए।

परन्तु यह उपबंधित है कि यदि इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नए पद सृजित करने या संवर्ग पुनर्गठन करने की आवश्यकता होगी और उक्त प्रयोजन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग/सेवाएं विभाग/वित्त विभाग/आयोजना विभाग की सहमति/परामर्श की आवश्कता होगी तो ये प्रावधान तभी लागू होंगे जब संबद्ध विभाग से सहमति/परामर्श प्राप्त हो जाएगा।

भर्ती और चयन

1676 सरकार अधिसूचना के जरिए कारागारो में पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति करेगी जो आईएएस/आईपीएस से होंगे और दिल्ली की सभी कारागारों के प्रबंधन और प्रशासन के इंचार्ज होंगे।

1677 सरकार अधिसूचना जारी करके उतनी संख्या में अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक कारागार महानिरीक्षक भी नियुक्त कर सकती है जो वह इस अधिनियम के अंतर्गत कारागार महानिरीक्षक को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए उपयुक्त या उचित समझती है।

1678 जन शक्ति की ज़रूरतों का पता लगाने के उद्देश्य से कारागार विभाग की एक इन–बिल्ट व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस दिशा में लगातार सिलसिलेवार अध्ययन किया जा सके और सुयोग्य और प्रशिक्षित अधिकारी विभाग को मिलते रहें।

1679 कारागार कर्मचारियों में उत्साह, अनुशासन और दक्षता बनाए रखने की दृष्टि से कारागार विभाग के विभिन्न पदों पर सिर्फ ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए जाएं जिनमें इन कार्यो के प्रति रुचि और निष्ठा हो।

1680 गैर–राजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति डीएसएसएसबी या सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकृत किसी अन्य बोर्ड के जरिए होनी चहिए। राजपत्रित पदो को अधिसूचित भर्ती नियमो के प्रावधानों के तहत भरा जाएगा।

1681 सुधारात्मक कर्मचारियों की भर्ती के लिए बुनियादी शर्तें नीचे लिए अनुसार होनी चाहिए:

क) शारीरिक फिटनेस,

ख) सहने और कड़ी मेहनत करने की क्षमता,

ग) साहस, नेतृत्व और विश्वास योग्यता,

घ) संतुलित व्यक्तित्व,

ङ) जन प्रबंधन की क्षमता,

च) रचनात्मक और कड़ा अनुशासन कायम करने और उसे विकसित करने की क्षमता,

छ) मानव कल्याण में रुचि, बंदियों को मदद करने और उनका मार्गदर्शन करने में रुचि, सुधारात्मक व्यवहार के सिद्धांत में विश्वास।

1682. दो स्तरों पर कारागार सेवा में सीधी भर्ती सीमित की जानी चाहिए। ये हैं :

क) वार्डर/मैट्रन

ख) सहायक अधीक्षक

1683. उपरोक्त दोनों स्तरों पर सीधी नियुक्ति में शारीरिक फिटनेस और मनोवैज्ञानिक टैस्ट अनिवार्य पूर्व शर्त होनी चाहिए।

1684. सहायक निरीक्षक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने चाहिए।

1685. सीधे नियुक्त हुए वार्डर/मैट्रन/अधिकारी की निर्धारित बुनियादी शुरुआती प्रशिक्षण पूरा किए बिना काम पर तैनात न किया जाए।

1686. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता/मुकदमा कर्मचारी और सुधारात्मक कर्मचारी भी सम्बद्ध विभाग द्वारा सीधे भर्ती किए जाने चाहिए।

नोट :

i) सीधी भर्ती और पदोन्नति में कोटे की सिफारिश की गई है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा में हर स्तर पर

सुयोग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी और पेशेवर (प्रोफेशनल) क्षेत्र में काम कर चुके लोग उपलब्ध हों।

ii) सहायक अधीक्षक पद के लिए पदोन्नति अधिसूचित भर्ती नियमो के प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।

iii) इसी तरह कारागार उप अधीक्षक ॥, अतिरिक्त कारागार अधीक्षक/उप कारागार अधीक्षक । और अधीक्षक के पद भी अधिसूचित भर्ती नियमों के प्रावधानों के आधार पर भरे जाएंगे।

iv) विभिन्न श्रेणियो के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता प्रत्येक पद की कार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भर्ती नियमों के आधार पर तय की जाएंगी।

v) अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र की नई गतिविधियो की जानकारी कराते रहने के बुनियादी आरंभिक प्रशिक्षण, इन–सर्विस ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स में प्राथमिकता दी जाएगी।

vi) पात्र विभागीय प्रत्याशियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के बारे में राज्य सरकार की निर्धारित सामान्य नीति अपनाई जाएगी।

सेवा स्थितियां

1687 सुधारात्मक प्रशासन की प्रभावी प्रणाली में अधिकारियों/कर्मचारियों का सर्वाधिक महत्व होता है। कारागार विभाग की सेवा शर्तें ऐसी हों कि सबसे उपयुक्त अधिकारी वहां काम करने को आकर्षित हों।

1688 दूसरे, सुधारात्मक संस्थानों की कार्यकुशलता और उपयोगिता एक बड़ी हद तक सेवा में कार्यरत अधिकारी में संतोष के भाव पर निर्भर होगी। संतुष्ट कर्मचारी सुधारात्मक नीतियां सही भावना में लागू करेंगे। बेहतर सेवा परिवेश में कर्मचारी भी बेहतर होंगे, जो कुल मिला कर संस्थान को भी बेहतर बना देंगे।

वेतन और भत्ते

1689 वेतन और अन्य सेवा–लाभ मनमाने ढंग से तय नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि इन्हें आधुनिक सुधारात्मक प्रणाली में किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप रखा जाना चाहिए, क्योंकि

कारागार का काम जटिल और दुष्कर होता है और यह महत्वपूर्ण समाज सेवा जैसा होता है।

यूनिफॉर्म

1690 कारागार महानिरीक्षक सहित हिरासत और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म तय की जानी चाहिए। कारागार सेवा के सभी यूनिफॉर्म्ड काडरों के लिए पुलिस सेवा बैज (बिल्ले) होने चाहिए।

सेवा बोर्ड

1691 सरकार को गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सेवा बोर्ड गठित करना चाहिए, जो कारागार स्टॉफ की सेवा शर्तों से जुड़े सभी मामलों की समय–समय पर समीक्षा करे।

प्रोबेशन अवधि

1692 कारागार सेवा में किसी भी पद पर सीधे नियुक्ति होने वाले अधिकारी दो वर्ष तक प्रोबेशन पर रहेंगे। जहां ज़रूरी होगा, नियुक्ति करने वाले अधिकारी प्रोबेशन की अवधि बढ़ा सकते हैं।

1693 चयन हो जाने पर प्रत्येक प्रत्याशी को निर्धारित फॉर्म में निष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर करने होगे।

1694 संस्थान संबंधी और व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि और वह अवधि, जिसमें प्रोबेशनर को दायित्व निभाने और फैसला लेने की क्षमता दर्शाने को कहा जाएगा, उसकी प्रोबेशन अवधि में गिनी जाएगी।

1695 प्रोबेशन के दौरान और अवधि पूरी होने के बाद प्रोबेशनरों का नीचे दी गई बातों के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए :

- क) शारीरिक फिटनेस और सहने तथा कड़ी मेहनत करने की क्षमता;
- ख) सहाय और नेतृत्व;
- ग) कार्य में रुचि;
- घ) कार्यकुशलता;
- ङ) जनता, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों, मातहत कर्मचारियों और बंदियों के प्रति रवैया;
- च) सुधारात्मक कार्य करने की क्षमता;

छ) चरित्र और निष्ठा।

डयूटी करते समय मिलने वाली सुविधाएं

1696 डयूटी पर तैनात अधिकारियों को नीचे बताई सुविधाएं मिलनी चाहिए :

I ड्यूटी की अवधि के बीच संस्थान में प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए पलंग और बिस्तरे।

II स्टॉफ कैंटीन

III बाथरूम और शौचालय

IV लॉकर

V फर्स्ट एड बॉक्स जिनमें आवश्यक उपकरण/औषधियां हो जो दूर–दराज के ड्यूटी स्थानों/कारागार फार्मों/बाहरी चौकियों पर तैनाती के दौरान ज़रूरत के वक्त काम आ सकें।

VI रात्रि ड्यूटी करने वालों के लिए टॉर्च और बूट।

VII रेनकोट (बरसाती कोट), छाते, ओवरकोट, गमबूट वगैरह।

अवकाश दिवस

1697 सरकार द्वारा घोषित अवकाश दिवस में ही अवकाश रहेगा।

1698 अवकाश के दिनों में काम करने वालों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अतिरिक्त ऑफ–डे दिया जाए या छुट्टी के दिन काम करने की एवज में अतिरिक्त वेतन दिया जाए।

आवास

1699 सभी कारागार कर्मचारियों को कारागार परिसर में ही भाड़े के बिना रहने का मकान दिया जाए।

1700 कारागार कर्मचारियों के मकान आधुनिक रूप से विकसित हों और उनके लिए पर्याप्त सामुदायिक सेवाएं और सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएं।

1701 प्रत्येक कारागार परिसर में दौरे पर आने वाले अधिकारियों, अतिथियों और अन्य आगंतुको के ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए।

1702 जिन पुलिसकर्मियों की मुफ्त आवास लेने की पात्रता है, पर उन्हें मकान नहीं दिया जा सकता है, उन्हें अन्य विभागों के

सरकारी कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए।

1703 स्टॉफ क्वार्टरो और परिसर में ये सुविधाएं भी दी जानी चाहिए :

I. समय–समय पर डिसइन्फेक्शन

II. स्टॉफ क्वार्टरों में साफ–सफाई की सुविधाएं

III. परिसर के पार्कों और अन्य सुविधाओं की देखरेख।

चिकित्सा सुविधाएं

1704 कारागार कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिल्ली सरकार के अन्य कर्मचारियों जैसी ही चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए।

विविध सुविधाएं

1705 यदि संस्थान शहर या कस्बे से दूरी पर हो तो प्रशासन स्टॉफ के सदस्यों के लिए कारागार परिसर में ही जरूरी आवास सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

1706 मेडिकल इमरजेंसी या बीमारी की हालत में कारागार अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए।

1707 अविवाहित और स्वैच्छिक कर्मचारियों के लिए मेस (भोजनालय)।

पुरस्कार

1708 जिन कारागार अधिकारियों/कर्मचारियों को वीरता और शानदार तथा विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने पदक प्रदान किए हैं, उन्हें मीडिया में प्रकाशित करके जनता और स्टॉफ के बीच विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

1709 महानिरीक्षक कारागार या उप महानिरीक्षक कारागार (रेंज) अधीक्षक की सिफारिश पर योग्य और पात्र कर्मचारियों को भगोड़े बंदियों को पकड़ने, उच्च प्रकार का साहस दिखाने, निष्ठा और विश्वास दिखाने और कर्तव्य के प्रति समर्पण तथा आपात स्थिति में विशेष पहल करने तथा अन्य उल्लेखनीय सेवा जैसी विशेष उपलब्धियां प्रापत करने वालो को उपयुक्त नकद पुरस्कार भी स्वीकृत कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए विभाग के वार्षिक बजट में समुचित राशि रखी जा सकती है।

वित्तीय सहायता और मुआवज़ा

1710 कारागार कर्मचारियों के ड्यूटी करते वक्त ज़ख्मी या दुर्घटना का शिकार होने की हालत में पुलिस महानिरीक्षक 10,000 रुपये तक की तत्काल सहायता मंजूर कर सकते हैं और जिन विशेष मामलो मे इससे ज्यादा राशि देना उचित लगे तो यह मामला सरकार के पास भेज सकते हैं।

1711 कानून के अनुसार ड्यूटी करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की हालत में उनके परिवार में उनके जीवित आश्रितों को सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे के अलावा भी उपयुक्त मुआवज़ा दिया जा सकता है।

धमकियों और खतरों से सुरक्षा

1712 यदि किसी कर्मचारी को ड्यूटी करने के दौरान किसी बंदी से या कहीं ओर से कोई धमकी मिलती है, तो मामले की सूचना महानिरीक्षक कारागार को भेजी जाए जो उस कारागार कर्मचारी के लिए सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करेंगे और मामले में जारी कार्रवाई भी करेंगे।

1713 सरकारी ड्यूटी करने के दौरान किए गए किसी कृत्य की बाबत यदि आपराधिक मुकदमा या दीवानी मुकदमा आ जाता है तो कर्मचारियों को बचाव के लिए सरकारी खर्च पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उचित कारण से हुई देरी, फैसला गलत हो जाने या झूठे आरोप लगने के कारण हुई वसूली जैसे मामलों में कर्मचारियों को जायज संरक्षण दिया जाएगा।

पेंशन

1714 कारागार अधिकारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले ही पेंशन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जानी चाहिए। हर हालत में, पेंशन के कागज़ात भेजने में देरी नहीं होने देनी चाहिए।

स्टॉफ मीटिंग

1715 अधीक्षक हर महीने कारागार कर्मचारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य होगा :

i. संस्थान की गतिविधियों (कार्यकलापों) में समन्वय;
ii. काम करने के तरीके सुधारना;

iii. स्टॉफ को सरकारी नीतियां समझाना;

iv. बंदियो के अनुशासन, बंदियों से व्यवहार और संस्थान के प्रबंधन के बारे में

नई प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों के बारे में समझाना;

v. राज्य की पुलिस लाइन में कार्मिक प्रबंधन, स्टॉफ अनुशासन और उनके मनोबल से जुड़ी नीतियों की व्याख्या करना।

vi. कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा तैयार कल्याण कार्यक्रमो के बारे में समझाना;

vii. स्टॉफ के लोगों को उनकी सामान्य समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर देना;

viii. जब भी ज़रूरी हो, अच्छा करने वालों की सराहना करना;

ix. जब भी मौका आए स्टॉफ के सदस्यों को पुरस्कृत किया जाए।

1716 बैठक की कार्यवाही अभिलेखित की जाए और इसकी प्रति महानिरीक्षक और उप निरीक्षक कारागार (रेंज) को अधीक्षक की टिप्पणी के साथ अग्रेषित की जाए।

सम्मेलन

1717 विभागीय कर्मचारियो का हर वर्ष सम्मेलन होना चाहिए। इन सम्मेलनों का उद्देश्य होना चाहिए कि :

क) उपलब्धियों का ब्यौरा जानना;

ख) संगठन की मौजूदा प्रक्रियाओं, तौर–तरीकों और कार्य प्रणाली का आकलन करना;

ग) विभाग के भावी विकास की योजना तैयार करना;

घ) स्टॉफ की समस्याओं और आकांक्षाओं को समझना;

ङ) हिरासत प्रबंधन के सर्वोच्च तरीकों को बढ़ावा देना।

1718 सम्मेलनों की कार्यवाही अभिलेखित की जाएगी और महानिरीक्षक इसे अपने सुझावों और उपयुक्त प्रस्तावों के

साथ सरकार के पास भेजेंगे। इन कार्यवाहियों पर होने वाली कार्रवाई और उस पर सुझाव संस्थान के कर्मचारी जिला मुख्यालय में भेजेंगे।

स्टॉफ ट्रेनिंग

1719 सुधारात्मक प्रशासन लगातार कर्मचारियों के मस्तिष्क में ये भाव जगाने के प्रयास करेगा कि सुधारात्मक कार्य बहुत महत्वपूर्ण समाज सेवा है और इस उद्देश्य के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनाए जाएं।

1720 सुधारात्मक कार्य विशेषज्ञ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुधारकर्मियों का मुख्य कार्य अपराधियों को समाज शिक्षा देना है। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान में अनुशासन और व्यवहार (उपचार) का प्रभाव सुधारकर्मियों की दक्षता पर निर्भर होगा। बिना ट्रेनिंग और हिदायतें लिए आने वाले कर्मचारी अप्रभावी तो होते ही हैं, कई बार सुधार नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा भी पहुंचाते हैं। इसीलिए सुधारकर्मियों को प्रशिक्षण देना किसी भी सुधारात्मक व्यवस्था में बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए :

I. सुधारकर्मियों को सुधारात्मक प्रशासन के वैज्ञानिक तरीकों और नवीनतम जानकारी से अवगत कराना;

II. उन्हें उनके दायित्व के प्रति जागरूक बनाना, और कल्याणकारी राज्य में उनकी जिम्मेदारियों और अपेक्षित भूमिका से उन्हें अवगत कराना।

III. उनकी सांस्कृतिक और व्यावसायिक अभिरुचि का विस्तार करना, उनकी योग्यता और कुशलता निखारना, प्रशासनिक कार्य करने की उनकी क्षमता बढ़ाना और उन्हें विभाग में उच्च पदों का दायित्व संभालने योग्य बनाने के लिए अनुभव प्रदान करना।

IV. सुधारकर्मियों में सहयोग और समन्वय की भावना जगाना।

1721 कारागारकर्मियों को सुधारात्मक कार्य के सिद्धांत और व्यवहार की उपयुक्त ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सेवा में आने के बाद और अपने करियर के दौरान कर्मचारी अपना ज्ञान और पेशेवर क्षमता बनाए रखने और सुधार करेंगे और इसके

लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अपने स्तर पर भी प्रयास करेंगे।

1722 सुधार कर्मियों को पी.टी., ड्रिल (व्यायाम), बिना हथियारों के लड़ाई, केन ड्रिल और भीड़ को तितर–बितर करने आदि की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे उत्तेजित बंदियों को सम्बद्ध नियम–कानूनों के तहत काबू करने का तरीका समझ जाएं। कारागार कर्मियों को हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर हथियार प्रयोग करने से जुड़े कानून बताए जाएंगे।

1723 प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। ट्रेनिंग स्कूल में दी जाने वाली शुरुआती ट्रेनिंग सुधारात्मक संस्थानों में भी जारी रहनी चाहिए। संस्थान के कर्मचारियों का मौजूदा विकास से अवगत कराते रहने के लिए भी उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

1724 प्रशिक्षण प्रक्रिया में सबकी व्यक्तिगत क्षमता पता चलेगी। इस तरह हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जा सकेगा। इससे असल में मानव संसाधनों का समुचित उपयोग होगा।

1725 सुधार कर्मियों के प्रशिक्षण से संस्थागत प्रबंधन और सुधारात्मक प्रक्रियाओं की स्वस्थ परंपराएं और तौर तरीके स्थापित करने में मदद मिलेगी। सही ढंग से प्रशिक्षित स्टॉफ कारागार सुधार लागू करने में बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की योग्यता और उनकी सोच में भी सुधार आएगा। स्टॉफ ट्रेनिंग के खर्च से विभाग को तो फायदा होगा ही बेहतर संस्थागत प्रभाव और अपराधियों के पुनर्वास की दृष्टि से सामाजिक फायदा भी होगा।

1726 कारागार विभाग में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को, चाहे वे सुरक्षा, हिरासत, प्रशासनिक उपचार (व्यवहार) या निगरानी से जुड़े हों, उनके कार्य की ज़रूरत के मुताबिक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

1727 अन्य विभागों से प्रति नियुक्ति पर लिए जाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कारागार विभाग के काकाज

के बारे में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण देना चाहिए।

1728 कोई भी कारागा़रकर्मी बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किए बिना ड्यूटी शुरू नहीं करेगा। कारागा़र और सुधारात्मक सेवा के हर कॉडर में पर्याप्त ट्रेनिंग रिजर्व उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके लिए इन–सर्विस ट्रेनिंग आयोजित की जा सके।

प्रशिक्षण संस्थान

1729 **स्टॉफ की ट्रेनिंग :–**

1. सरकार को कार्यकारी सुरक्षा और मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलने चाहिए। इन स्कूलों में जरूरी सूपरवाइजरी स्टॉफ और अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। इस स्कूल को कारागा़र विभाग के लिए अनुसंधान एवं विकास विंग भी बनाना होगा।
2. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग बंदियों और मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों की देखभाल के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

कार्य

1730. प्रशिक्षण स्कूल के कार्य होंगे :

क) प्रशिक्षण
ख) अनुसंधान
ग) संगठन और तौर तरीकों का अध्ययन और
घ) पैम्फलेट, हैंडबुक, पर्चे और सुधारा सेवाओं की पत्रिका निकालना।

1731 इन संस्थानों में केवल योग्य और प्रशिक्षण तथा अध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्ति ही भेजे जाएं।

1732 प्रशिक्षण संस्थानों में दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों के स्थायी अध्यापन कर्मियों को भी सुधारात्मक कार्यों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण संबंधी जरूरी बातें समझाई जानी चाहिए। अन्य राज्यों के प्रशिक्षण विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (सामाजिक विज्ञान विद्यालयों) की शिक्षण सुविधाओं और शिक्षकों का भी प्रशिक्षण कार्य में सहयोग लिया जाना

चाहिए। आगंतुक लेक्चरर्स को उपयुक्त मानदेय और यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए।

1733 पाठ्यक्रम, कोर्स की सामग्री, परीक्षा विधि और सर्टिफिकेट/डिप्लोमा देने के तौर तरीके प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तय किए जाने चाहिए। इन सबकी तीन वर्ष बाद समीक्षा होनी चाहिए।

1734 कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के वास्ते उपयुक्त सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1735 सुधार सेवाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित होने चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों में नीचे दिए प्रशिक्षण पाठ्क्रम आयोजित किए जाने चाहिए :

I. सहायक सुपरिंटेंडेंटों को बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कराया जाना चाहिए, जिसका आयोजन निम्नांकित चरणों में किया जाएगा :—

क) ट्रेनिंग स्कूल में एक वर्ष का प्रारंभिक बुनियादी पाठ्यक्रम।

ख) बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रशिक्षु अधिकारियों को छह महीने के लिए केन्द्रीय कारागार में संस्थागत प्रबंधन की विभिन्न शाखाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।

ग) इस व्यावहारिक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रशिक्षु अधिकारियों को उन पदों का स्वतंत्र भार सौंप दिया जाए जिनके लिए उन्हें भर्ती किया गया है।

II. जिन कार्यरत अधिकारियों को उपनियम (क) के अनुरूप प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिल पाया, वे तीन महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करेंगे। इन अधिकारियों के लिए उपनियम (ख) और (ग) में निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना और स्वतंत्र प्रभार संभालना जरूरी नहीं होगा।

III. कार्यरत अधीक्षक, उप–अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और सभी ग्रेडो के अन्य सुधार अधिकारियों को हर पांच वर्ष में एक बार एक महीने का रिफ्रेशर कोर्स करना होगा।

IV. कारागार अधिकारियों के लिए वर्टिकल इंटरएक्शन कोर्सिसेज (विषयपरक)

V. सुधारात्मक प्रशासन और अपराधियों के प्रति व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के बारे में अल्पावधि पाठ्यक्रम।

VI. सभी नए भर्ती और अप्रशिक्षित कार्यरत वार्डरों को छह महीने का आरंभिक बुनियादी प्रशिक्षण लेना होगा। इस अवधि में उन्हें संस्थागत प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

VII. हिरासत/सुरक्षाकर्मियों के लिए दो महीने का रिफ्रेशर कोर्स। इन लोगों के लिए पांच साल में एक बार यह कोर्स करना अनिवार्य होगा।

VIII. कारागार और सुधार सेवाओं के महानिरीक्षक को देश में और विदेशों में सम्मेलन और विशेष ट्रेनिंग कोर्सों की विशेष योग्यता और क्षमता वाले अधिकारियों का पैनल तैयार करना चाहिए।

IX. कारागार स्टॉफ और वरिष्ठ अधिकारियों के अध्ययन दल देश के अन्य राज्यों के दौरे पर भेजे जाने चाहिए। ये दल उन देशों में भी भेजे जा सकते हैं, जहां नए सुधार कार्यक्रम और प्रणालियां सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। ऐसे दौरों पर भेजते समय विभाग के विशेष उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रशिक्षण के दौरान सुविधाएं

1736 प्रशिक्षण पा रहे अधिकारियों को ये सुविधाएं दी जानी चाहिए :

1) नए भर्ती कर्मियों को पूरा वेतन
2) सेवारत कर्मियों को सामान्य इन–सर्विस कुल वेतन
3) सेवारत कर्मियों को प्रशिक्षण–भत्ता
4) बिना किराए का क्वार्टर
5) भोजन के लिए मैस की व्यवस्था
6) मुफ्त चिकित्सा सहायता

7) प्रशिक्षण के सिलसिले में आने जाने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता।

8) पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान

9) प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की हालत में, या किसी अन्य राज्य में जाने पर अध्ययन अवकाश।

10) प्रशिक्षण की अवधि हर प्रकार से सेवाकाल में गिनी जाएगी।

अनुशासन

1737 कारागारों के महानिरीक्षक संस्थान प्रमुख की सलाह से अनुशासन के बारे में जरूरी कानून तैयार करेंगे और अनुशासन का उल्लंघन करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का उन्हें अधिकार होगा।

1738 प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को निर्धारित यूनीफार्म पहननी होगी।

टैस्ट और परीक्षा

1739 प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख परीक्षाओं और टैस्टों का विवरण तय करेंगे। सभी कॉडरों के प्रशिक्षुओं को निर्धारित टैस्ट और परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि कोई प्रशिक्षु ट्रेनिंग कोर्स में निर्धारित न्यूनतम स्तर तक पहीं पहुंच सकेंगे, तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उचित कार्रवाई हेतु पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट भेज देंगे। परीक्षा पास न कर पाने और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संतोषजनक ढंग से पूरा न कर पाने पर प्रशिक्षु पर ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी, जो कि महानिरीक्षक सही समझेंगे। नए भर्ती कर्मियों के मामले में ऐसा होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

1740 प्रशिक्षु का आकलन सभी टैस्टों और परीक्षाओं में उसके कुल प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अन्य बातों के अलावा नीचे दी गई बातों के आधार पर ही प्रशिक्षुओं का आकलन किया जाएगा :

क) उपस्थिति और अनुशासन

ख) कड़ी मेहनत करने और शारीरिक कष्ट झेलने की क्षमता

ग) हर टैस्ट और परीक्षा में प्रदर्शन

घ) प्रशिक्षण के दौरान दर्शायी विशेष क्षमताएं

ङ) नेतृत्व

च) आचरण, निष्ठा और विश्वसनीयता

पुस्तकालय–पत्रिकाएं–मनोरंजन सुविधाएं

1741. ट्रेनिंग स्कूलों में अच्छे पुस्तकालय और वाचन कक्ष की सुविधाएं होंगी। पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएं खरीदने की व्यवस्था संस्थान के वार्षिक बजट में होनी चाहिए।

1742. ट्रेनिंग स्कूलों को सुधार सेवा पत्रिका भी निकालनी चाहिए।

1743. मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

1744. ट्रेनिंग स्कूलों में जिला प्रशासन और संस्थागत प्रबंधन के अन्य पहलुओं का ऐतिहासिक विकास दर्शाने के लिए संग्रहालय बनाना चाहिए।

कार्यस्थल में प्रशिक्षण जारी रखना

1745. संस्थानों में नीचे बताई प्रशिक्षण सुविधाएं होनी चाहिए :

1) मुख्यालय पर आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की नीति संबंधी व्याख्या।
2) स्टाफ के सदस्यों के लिए पुस्तकालय और वाचनालय की सुविधा।
3) सुधारात्मक कार्यों के बारे में विश्वविद्यालयों और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ के प्रोफेसरों के लेक्चर।
4) सुधार उपायों के बारे में अधीक्षक या किसी अन्य अधिकारी की पाक्षिक वार्ता।
5) संस्था के कर्मचारियों द्वारा प्रपत्र, केस हिस्ट्री वगैरह पढ़ा जाना।
6) संगठन की प्रशासनिक प्रणालियो और तौर तरीकों में सुधार के बारे में मासिक चर्चा।

1746. अधिकारियों और कर्मचारियों को चुस्त रखने के उद्देश्य से संस्थान में भी ट्रेनिंग स्कूल जैसी ड्रिल, परेड, निहत्थे लड़ने, बेंत ड्रिल और भीड़ को तितर बितर करने जैसे अभ्यास जारी रखे जाने चाहिए। खेल–कूद पर खास ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षण में नई चीजें और नए तरीके शामिल करके कर्मियों में पहल करने, स्वतंत्र निर्णय लेने और संपर्क बढ़ाने

की क्षमता विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

1747. कारागारों के महानिरीक्षक की ओर से जारी सामान्य और विशेष आदेशों के आधार पर प्रशिक्षण कोर्स में शारीरिक व्यायाम, स्क्वैड ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, बेनट से लड़ने की तकनीक, सेरेमोनियल (समारोह) परेड, बिना हथियारों के लड़ना, बैटन और केन ड्रिल, भीड़ को तितर बितर करना, बाधाा पार करने का अभ्यास, गार्ड और संतरी ड्यूटियों का निरीक्षण, सैल्यूट करना, किट निरीक्षण और इमरजेंसी ड्रिल शामिल होंगे।

1748. अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को हर छह महीने में एक बार बंदूक अभ्यास करना होगा। इन मौतों पर सुरक्षा के सभी उपाय किए जाएंगे। इस तरह के प्रशिक्षण का इंचार्ज उस अधिकारी को बनया जाएगा, जिसे इन सभी बातों की बहुत अच्छी जानकारी और अनुभव हो। जहां जरूरी हो, स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकती है।

1749. सहायक अधीक्षक सप्ताह में कम से कम दो बार शारीरिक ट्रेनिंग और ड्रिल करेंगे। वे साप्ताहिक परेड में भी हिस्सा लेंगे।

1750. सुरक्षा कर्मियों के लिए नीचे दिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं :

क) सप्ताह में चार दिन, रोज चार घंटे शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी)।

ख) सहायक अधीक्षक या किसी वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी की ओर से सप्ताह में एक बार नियम प्रक्रियाओं के बारे में हिदायतें।

ग) महीने में एक बार इमरजेंसी स्थिति को रोकने और उसपर काबू पाने का अभ्यास।

घ) हर संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के हिसाब से क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबाल, बास्केटबॉल जैसे खेलों का आयोजन।

1751. अधीक्षक निम्नलिखित रिपोर्टें कारागारों के महानिरीक्षक को भेजेंगे :

क) पीटी, ड्रिल, लैक्चर, चर्चाएं, इमरजेंसी अभ्यास, आदि की मासिक रिपोर्ट।

ख) बंदूक अभ्यास की छमाही रिपोर्ट

कर्मचारी कल्याण समिति

1752. हर कारागार में कल्याण समिति होगी, जिसमें कार्यकारी, तकनीकी, मंत्रालयों के और गार्ड/हिरासत कर्मियों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। अधीक्षक इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। कल्याण समिति की महीने में एक बार बैठक होगी। इस बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

1753. महानिरीक्षक के कार्यकाल में केंद्रीय कल्याण समिति भी होगी, जिसके अध्यक्ष कारागारों के महानिरीक्षक होंगे और इसके अन्य सदस्य होंगे :

1) अतिरिक्त महानिदेशक – उपाध्यक्ष।

2) सभी रेंज उप महानिरीक्षक।

3) प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख और जिला अधिकारी ट्रेनिंग स्कूल के प्रमुख।

4) जिला मुख्यालय में स्थित कारागार के अधीक्षक।

5) टी ई डब्ल्यू ए के अध्यक्ष।

कामकाज (कार्य)

1734 कल्याण समिति के कार्य होंगे :

1) कर्मचारियों के कल्याण के कार्यक्रम तैयार करना।

2) कल्याण कोष बनाना।

3) कल्याण कोष इस्तेमाल करने के लिए वार्षिक बजट तैयार करना।

4) स्टॉफ कैंटीन चलाना।

5) संस्थान के कर्मचारियों के लिए सहकारी ऋण समिति और बहुउद्देशीय सहकारी दुकान चलाना।

6) कर्मचारियों को डाक घर बचत, लघु बचत योजना, डाकघर बीमा, जनता बीमा पॉलिसी आदि की आवश्यकता समझाना।

7) कल्याण कोष के लेखे जोखे की निगारनी इसके खातों की पड़ताल और उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा करना।

8) कल्याण कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

9) केंद्रीय समिति को कोष के इस्तेमाल के बारे में सलाह देना।

कल्याण कोष

1755 स्टॉफ के सदस्यों और उनके परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल्याण कोष बनाया जाएगा। इस कोष का विकास नीचे दिए संसासधनों से किया जाएगा :

1. स्टॉफ के सदस्यों से मासिक अंशदान।
2. सरकार के नियमों के अनुसार स्वैच्छिक चंदा।
3. निवेशों पर मिलने वाला ब्याज।
4. कलाकारों, थिएटर पार्टियों, सिनेमा वगैरह से होने वाला लाभ।
5. सहकारी ऋण समिति से मिलने वाला चंदा।
6. सहाकरी दुकान से होने वाला मुनाफा।
7. सरकारी सब्सिडी।

कल्याण यूनिट

1756 बड़े संस्थानों में एक अलग स्टॉफ यूनिट होगी, जो स्टॉफ कैंटीन और सहकारी समिति जैसी संस्थाओं के कल्याण कार्यों के सभी पहलुओं पर ध्यान देगी।

कल्याण कोष के फायदे

1757 कर्मचारियों को कल्याण कोष से ये फायदे मिलेंगे :

1) अचानक बीमारी होने पर राहत।

2) जिन मामलों में सामान्य चिकित्सा सहायता से ज्यादा चिकित्सा सुविधा की जरूरत हो और जो कि उस कर्मचारी की आर्थिक क्षमता से बाहर हो।

3) कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता।

4) स्टॉफ के परिवारजनों को सिलाई, कताई, माचिस बनाने जैसे कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग चलाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना।

5) स्टॉफ के सदस्यों के बच्चों के लिए होस्टलों और शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित करना।

6) स्टॉफ कैंटीन।

7) मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधियां।

8) स्टॉफ क्लब।

9) स्टॉफ लायब्रेरी।

10) स्टॉफ के लिए खेल कूद, संस्थागत और अंतर–संस्थान प्रतियोगिताएं, आदि का आयोजन।

1758 कारागार कर्मियों की समूचे कॉडर/कारागार सेवा से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करने और उनके समाधान के लिए सार्थक चर्चा करने का जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर उपयुक्त मंच उपलब्ध कराना। इस बारे में विस्तृ दिशा निर्देश कारागारो के महानिरीक्षक सरकार की अनुमति से जारी करेंगे।

———————————————

अध्याय–31
कारागार रिकार्ड और कम्प्यूटरीकरण

रजिस्टर, विवरणी,लेखा और कार्यालय कार्यविधि
अधीक्षक द्वारा रिकार्ड रखा जाना

1759 अधीक्षक निम्न रिकार्ड रखेगा या रखे जाने का प्रयोजनः

1 भर्ती किए गए बंदी का एक रजिस्टर,

2 बंदी को कब रिहा किया जाना है, इसे द"र्ाने वाली एक पुस्तिका,

3 कारागार अपराधों के लिए बंदी को दी गई सज़ा को द"र्ाने के लिए सज़ा पुस्तिका,

4 कारागार प्र"ाासन से संबद्ध किसी मुद्दे के बारे में आगंतुकों द्वारा की गई टीका–टिप्पणी की प्रविष्टि के लिए एक आगंतुक पुस्तिका,

5 बंदी से ली गई धनरा"ि और अन्य वस्तुओं का रिकार्ड और अधिनियम की धारा 60 के तहत निर्धारित अन्य सभी रिकार्ड,

6 परि"िाष्ट 15 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप बंदियों की नामावली।

भर्ती किए गए बंदियों का रजिस्टर और संपत्ति का रिकार्ड

1760 भर्ती किए गए बंदियों का रजिस्टर निम्न तीन भागों में बनाया जाएगाः–

1 विचाराधीन बंदियों का रजिस्टर,

2 सिद्ध दोष बंदियों का रजिस्टर,

3 दीवानी बंदी या नज़रबंदियों का रजिस्टर

नोटः– बंदी से ली गई धनरा"ि और अन्य संपत्ति का विवरण, बंदी संपत्ति खाते के अलावा ऊपर बताए गए रजिस्टरों के समुचित कॉलम में रखा जाएगा।

रजिस्टरों की सूची

1761 प्रत्येक कारागार में निम्न रजिस्टर बनाए जाएंगेः–

क्र.स.	रजिस्टर का विवरण
1	विचाराधीन बंदियों की भर्ती और रिहाई का रजिस्टर
2	सभी बंदियों की चिकित्सा जांच का रजिस्टर
3	दोषी करार बंदियों (भर्ती और रिहाई) का रजिस्टर
4	दीवानी बंदियों का रजिस्टर (भर्ती और रिहाई)
5	नज़रबंद बंदियों का रजिस्टर (भर्ती और रिहाई)
6	दोषियों और दीवानी बंदियों की रिहाई की संभावित तिथि का रजिस्टर (रिहाई डायरी)
7	कारागारा अपराध करने वाले बंदियों को दी गई सज़ा का रजिस्टर
8	आगंतुकों की टिप्पणियों/अभियुक्तियां का रजिस्टर
9	मुलाकात/इंटरव्यू के लिए सभी आगंतुकों के नाम की प्रविष्टि के लिए रजिस्टर
10	चिकित्सा अधिकारी का रोज़नामचा
11	अधीक्षक का रोज़नामचा
12	उपाधीक्षक रिर्पोट पुस्तिका
13	अस्पताल रजिस्टर
14	बंदियों के लॉक–अप और लॉक आउट का रजिस्टर
15	द्वार के अंदर–बाहर आने–जाने वाले लोगों का रजिस्टर
16	द्वार के अंदर–बाहर लाई–ले जाई गई वस्तुओं का रजिस्टर
17	दोषी करार और विचाराधीन बंदियों का अलग–अलग वर्णक्रमानुसार रजिस्टर
18	श्रम आबंटन का रजिस्टर
19	प्राप्त पत्रों का रजिस्टर
20	प्रेषित पत्रों का रजिस्टर
21	अस्पताल में दैनिक ओपीडीका रजिस्टर
22	रोगी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी दैनिक आहार का रजिस्टर
23	दैनिक आहार रजिस्टर
24	वस्त्र गोदाम भंडार पुस्तिका
25	विविध संपत्ति सूची
26	गोलाबारूद का रजिस्टर
27	कच्चे माल की प्राप्ति और जारी का रजिस्टर

28 विनिर्माण की प्रकिया में कच्चे माल के भंडार का रजिस्टर
29 विनिर्माण की प्रकिया में कच्चे माल को द"ॉाने वाला रजिस्टर
30 विनिर्मित वस्तुओं के भंडार का रजिस्टर
31 विनिर्मित वस्तुओं की भंडार और बिक्री पुस्तिका
32 मैन्युफैक्टरी आर्डर बुक
33 इंडेक्स्ड बिल बुक
34 बकाया शेष द"ॉाने वाला रजिस्टर
35 माल भंडारण का रजिस्टर
36 लैजर (फैक्टरी)
37 बिक्री दिवस पुस्तिका
38 रोज़नामचा (फैक्टरी)
39 खरीद आर्डर बुक
40 दैनिक प्राप्ति का रजिस्टर
41 स्टोर लैजर
42 वार्डर की दिन की ड्यूटी का रजिस्टर
43 वार्डर की रात्रि ड्यूटी का रजिस्टर
44 ड्यूटीअधिकारी की रिकार्ड पुस्तिका
45 बाहरी रोगियों का रजिस्टर
46 बंदियों की दैनिक भर्ती और रिहाई का रजिस्टर
47 बंदियों की अदालत में पे"ाी का रजिस्टर
48 बैरक बंदी का रजिस्टरयूटी और सीटी कार्यालय की कोर्ट
49 पैरोल/गैर हाजिरी की छुट्टी और अंतरिम जमानत पर बंदी की रिहाई का रजिस्टर
50 अर्दली कक्ष का रजिस्टर
51 मजदूरों की हाजिरी का रजिस्टर
52 मुख्य द्वार परकारागार के बाहर बंदियों की आवाजाही का रजिस्टर
53 नियंत्रण कक्ष में नियंत्रण रजिस्टर
54 अर्द्ध खुली/खुलीकारागार भर्ती का रजिस्टर
55 पीडब्ल्यूडी "िाकायत रजिस्टर
56 उपकरण और इलेक्ट्रानिक उपकरण (कार्य"ाील/गैर कार्य"ाील
57 मृत्यु रजिस्टर

58 पैरोल/अंतरिम जमानत जम्प रजिस्टर
59 चाबी रजिस्टर
60 केंद्रीय डाक और प्रेषण रजिस्टर
61 यूटी और सीटी कार्यालय में अलग–अलग डाक और प्रेषण का रजिस्टर
62 पैरोल रजिस्टर
63 गैर हाजिरी की छुट्टी का रजिस्टर
64 परिपक्वतापूर्व रिहाई रजिस्टर
65 अर्ध खुली/खुली कारागार प्रवेश रजिस्टर

नोट :–सभी रजिस्टर लेखा परीक्षण पूरा होने तक रखे जाएं चाहे इन्हें रखने की अवधि पूरी हो चुकी हो।

रजिस्टरों का प्रकार

1762 कुछ रजिस्टरों में दर्ज किए जाने वाले विवरण और प्रारूपों को, पालन किए जाने वाले पूर्ववर्ती नियमों में निर्दिष्ट किया गया है। अन्य रजिस्टरों के प्रारूपों और विवरण को महानिरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

1763 सभी रजिस्टरों के प्रारूपों, विवरण और अवधि के बारे में समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा जांच, निर्धारण और निर्दिष्टिकरण किया जाएगा।

1764 परन्तु यह उपबंधित है कि वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा प्रत्येक रजिस्टर उसी प्रारूप में तब तक बना रहेगा जब तक कि महानिरीक्षक इसके स्थान पर इसी नियम के तहत इसका अधिक्रमण नहीं करता।

1765 ये रजिस्टर रखने के लिए महानिरीक्षक विस्तृत निर्दे"ा जारी करेगा।

1766 महानिरीक्षक उपरोक्त रजिस्टरों के अलावा और रजिस्टर बनाने का निर्दे"ा किसी भी समय दे सकता है।

विवरणी और रिपोर्ट

1767 सरकार आदे"ा के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कारागार प्र"ाासन को सरकार को कौन सी विवरणी और रिपोर्टें भेजनी हैं। सरकार इसके लिए अवधि और प्राधिकार के बारे में भी जानकारी दे सकती है।

1768 महानिरीक्षक उपरोक्त के अलावा कारागार द्वारा भेजी जाने वाली विवरणी और रिर्पोट के बारे में आदे"ा द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है और इसकी अवधि के बारे में भी सूचना दे सकता है।

विवरणी और रिपोर्ट भेजने का समय

1769 बंदियों के बारे में विवरणियां और रिर्पोटें समय पर भेजना सुनि"चत करना अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी।

1770 सरकार को विवरणियां और रिर्पोटें समय पर भेजना महानिरीक्षक की जिम्मेदारी होगी ।

लखा और कार्यालय प्रक्रिया

1771 इन नियमों में जिन विषयों पर कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं उनमें सरकारी विभाग में लागू होने वाले नियम और निर्दे"ा लागू होंगे।

1772 वित्त और लेखा से संबंधित विषयों में, सामान्य वित्तीय नियमों, राजकोष नियमों के प्रावधान और समय– समय पर जारी किए जाने वाले निर्दे"ा लागू होंगे।

1773 कार्यालय प्रकिया से संबंधित विषयों में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में दिए गए प्रावधान और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्दे"ा लागू होंगे।

1774 कारागार के कु"ाल कार्यसंचालन और प्रबंधन के लिए महानिरीक्षक, कार्यालय प्रक्रिया के बारे में सरकार के निर्दे"ाों के अनुरूप समय–समय पर निर्दे"ा जारी कर सकता है।

चिकित्सा प्रशासन

1775 चिकित्सा प्र"ाासन के मामले में नियम और निर्दे"ा, सरकारी अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में लागू नियमों और निर्दे"ाों के अनुरूप होंगें

निर्देश जारी करने के संबंध में महानिरीक्षक के अधिकार

1776 महानिरीक्षक कारागार का कामकाज और प्रबंधन कु"ालतापूर्वक चलाने के लिए समय–समय पर सरकार के नियमों और निर्दे"ाों के अनुरूप निर्दे"ा जारी करेगा।

1777 समूचा कारागार प्र"ाासन कम्प्यूटरीकृत होगा ताकि डाटाबेस का आसानी से और अधिक कु"ालतापूर्वक प्रबंधन किया जा

सके। यह कारागारों, अदालतों और थानों को आपस में जोड़ने वाली समंवित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीआईएस) के अधिदे"ा का भाग है। इससे पुलिस और अदालतों के बीच आंकड़ों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा जिससे अपराधियों का पकड़ने और उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगीं। कारागारों की प्रक्रिया से कई पक्ष जुड़े हैं। इनमें पुलिस, अदालतें तथा अस्पताल चिकित्सा प्राधिकरण जैसी बाहरी एजेंसियां शामिल हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समुचित इंटरफेस का विकास किया जाए ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के सहज आदान–प्रदान में मदद मिल सके ।

नोट–1 कारागार प्रशासन वर्तमान में उसे सौंपे गए कार्यों को प्रभावी रूप से और पूरी दक्षता से करने में मुख्य तौर पर निम्न चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- केंद्रीय स्तर पर वास्तविक समय जानकारी की अनुपलब्धता,
- बंदियों के प्रतिस्थापन की गैर–केंद्रीकृत जानकारी, बंदियों की गतिविधियों का अनुचित तरीके से पता लगाना और विभिन्न संबद्ध एजेंसियों के साथ अपर्याप्त संवाद,
- आंकड़ों का अनुचित आंकलन,
- अधिकतर कारागारों में केवल मल्टीपल स्टैंडअलॉन आई टी सिस्टम होना,
- पैरोल / फरलोपर कारागार से बाहर आए बंदियों की अपर्याप्त छानबीन,
- 436 / 436ए के तहत विचाराधीन बंदियों के मामले में दक्ष अलार्म सिस्टम का अभाव,
- एक बार सज़ा पूरी होने पर बंदी की रिहाई से संबंधित अपर्याप्त जानकारी,

नोट–2 कारागार विभाग में बंदियों के लिए निम्न सुविधाओं के वास्ते कम्प्यूटरकरण किया जाना ताकि एकोकृत डाटा आदान–प्रदान प्लेटफार्म उपलब्ध हो सके:

क. अदालतों और थानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक व्यापक वैब आधारित कारागार सॉफ्टवेयर,

ख. परिशिष्ट–13 में दिए गए अस्थाई मैट्रिक्स के अनुरूप अदालतों और पुलिस के बीच एकीकृत डाटा आदान–प्रदान,

ग. व्यापक वीडियो कांफ्रेन्स सुविधा,

घ. अंदर–बाहर आने जाने वालों के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली,

ङ प्रेरण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं,

च बंदियों के मामलों के ब्यौरे की जानकारी के लिए कारागारों में टच सक्रीन क्योस्क।

नोट–3 कारागार कम्प्यूटरीकरण के सफल कार्यान्वयन के बाद निम्न नतीजे अपेक्षित हैं:

- जानकारी का निर्बाध और समावेशी प्रवाह, सभी कारागारों और पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय तक करना ताकि वे रीयल टाईम जानकारी हासिल कर सकें जो बंदियों के कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस से उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें और त्वरित सुधार कर सकें।
- रिहाई की संभावित तारीख, कारागार अभिभोग, पैरोल/गैर हाजिरी की छुट्टी पर गए बंदियों इत्यादि की जानकारी के साथ डैशबोर्ड/सांख्यिकीय रिर्पोटें/एमआईएस रिर्पोटें वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- ज़मानत, कारागार से भागने, दंड भुगतान, घटना सज़ा, बंदी की आय, अदालत अपीलें, अदालत में पेशी, माफी, रिमांड, वेतन, कार्य आबंटन, रिहाई और स्थानांतरण जैसी बंदी की गतिविधियों का पूरा ब्यौरा।
- पैरोल/फरलोजैसी प्रक्रियाओं का अनुमोदन और प्रणाली के अंतर्गत उसका वास्तविक समय प्रकटीकरण के लिए कार्य–प्रगति आधारित समाधान।
- नियमावली वैधीकरण की आवश्यकता के बिना बंदियों की रिहाई में देरी नहीं होना सुनिश्चित करने के लिए रिहाई की संभावित तिथि की स्वचलित गणना।
- बेहतर आगंतुक प्रबंधन प्रक्रिया ताकि आगंतुकों, बंदी विशेष के लिए आगंतुकों की संख्या पर नज़र रखने, आगंतुकों की

बारम्बारता इत्यादि के प्रबंधन में अधिकारियों की मदद की जा सके।

- केंद्रीकृत बंदी रजिस्ट्री बनाना ताकि रिकार्ड के डाटा डिजटीकरण के ज़रिए व्यक्तियों की पुष्टि और वैधीकरण के लिए पुलिस विभाग और अधिनियम लागू करने वाली अन्य प्रमुख एजेंसियों इसका इस्तेमाल कर सकें।

अध्याय–32
बंदियों की रिहाई

अनधिकृत नजरबंदी नहीं

1778 अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बंदी को अदालत के आदेश के तहत सुनाई गई सज़ा से अधिक अवधि तक नज़रबंद नहीं रखा जाए।

वारंटों की जांचः

1779 सभी दोषियों के वारंट की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी रिहाई के महीने से पहले के माह की 15 तारीख को उनकी जांच की जाएगी ।

1780 रिहा किए जाने वालेबंदियों के साथ निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगीः

1)सभी बंदियों की रिहाई उपाधीक्षक द्वारा की जाएगी।

2) दोषी करार दिए गए बंदी की रिहाई के समय उपाधीक्षक द्वारा माफी दिए जाने से पहले माफीनामे पर अधीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिएं।

3) रिहाई के दिन दोषी करार बंदी के स्वास्थ्य की स्थिति और वज़न , दोषियों के रजिस्टर में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा और उपाधीक्षक, दोषी की पहचान के निशान की पुष्टि करेगा।

4) उपाधीक्षक वारंट की प्रविष्टियों का मिलान रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों से करेगा और अपने को संतुष्ट करेगा कि बंदी को सुनाई गई सज़ा पर अमल किया गया है। सज़ा पर अमल और रिहाई की तारीख को प्रमाणित करते हुए वह दोषी रजिस्टर के समुचित कॉलम में तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा। सज़ा लागू किए जाने के तरीके के बारे में संबंधित न्यायालय को अधिसूचित किया जाएगा। रिहाई के बाद दाषी जहां रहना चाहता है उपाधीक्षक उस पते का रिकार्ड रखेगा।

5) उपाधीक्षक रिहाई वारंट की सच्चाई के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए रिहाई वारंट के विवरण का मिलान भर्ती रजिस्टर/हिरासत वारंट से करेगा। रिहाई से पहले अदालत की सील और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों की जांच अवश्य की जानी चाहिए। रिहाई आदेश और ज़मानती बॉण्ड

अदालत को डाक से या चपरासी के हाथ भेजा जाएगा। यदि ऐसे दस्तावेज किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा लाए जाते हैं तो इसे जेल कार्यालय में प्राप्त नहीं किया जाएगा। ज़मानती बॉण्ड सा रिहाई आदे"ा प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। विचाराधीनबंदियों को ज़मानती बॉण्ड या रिहाई आदे"ा प्राप्ति के दिन ही रिहा कर दिया जाना चाहिए।

6)अपील पर रिहाई के मामले में, जिसमें अदालत का आदे"ा सुनाए जाने के तुरंत बाद बंदी को कानूनी नज़रबंदी में रखने का अधिकार समाप्त हो जाता है, जुर्माने के भुगतान और ज़मानती को प्रस्तुत करने के तुरंब बाद उपाधीक्षक उसे रिहाकर देगा।

7) किसी भी बंदी की रिहाई में बिना वजह देरी के मामले में अधीक्षक, महानिरीक्षक को रिर्पोट देंगे। ऐसे प्रत्येक मामले की जांच की जाएगी और बंदी को अधिक समय जेल में रखने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह सुनि"चत किया जाना चाहिए कि बंदी की व्यक्तिगत आजादी का सम्मान किया जाए और इसके उलंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

स्थानांतरित बंदियों के रिहाई वारंट

1781 दिल्ली से बाहर स्थनांतरित किए जा चुके बंदी की रिहाई का वारंट प्राप्त होने के बाद ये वारंट संबंधित अदालत को लौटा दिए जाएंगे, इनके साथ उस जेल का ब्यौरा भी होगा जिसमें बंदी को स्थानांतरित किया गया है।

कैदियों की रिहाई का समय

1782 बंदियों की रिहाई का समय निम्न प्रकार होगाः–

क रात्रि के लिए ताले बंद (Lock-in) होने के बाद और दिन में ताले खुलने(Lock-out) से पहले किसी भी बंदी की रिहाई नहीं की जाएगी।

ख कोई सक्षम अदालत जिस दिन बंदी की रिहाई का आदे"ा देती है उसे उसी दिन रिहा किया जाएगा।

ग कोई सक्षम अदालत जिस दिन बंदी की रिहाई का आदे"ा देती है और यह आदे"ा सायं 7 बजे तक प्राप्त किया जाता है तो उसे उसी दिन रिहा किया जाएगा।

घ यदि यह आदे"ा सायं 7 बजे के बाद मिलता है तो बंदी को अगले दिन ताले खुलने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, रिहा किया जाएगा।

बंदी को जेल की ओर से मिली सभी वस्तुएं रिहाई के समय लौटानी होंगी।

1783 प्रत्येक बंदी को उसे दिए गए कपड़े, बिस्तर और अन्य वस्तुएं रिहाई के समय लौटानी होंगी।

रिहाई की तारीख जेल अवकाश के दिन पड़ने पर

1784 अगर बंदी की रिहाई की तारीख जेल अवका"ा के दिन पड़ती है तो बंदी को एक दिन पहले रिहा कर दिया जाएगा , लेकिन यह नियम निम्न पर लागू नहीं होगाः

क) दीवानी बंदियों,

ख) दो दिन की सज़ा पाएबंदियों,

ग) जुर्माने का भुगतान नहीं करने के लिए सज़ा भुगत रहे बंदियों,

घ) लगातार दो या अधिक दिन का अवका"ा होने की स्थिति में ऐसे बंदियों को केवल एक दिन के अवका"ा का लाभ दिया जाएगा।

प्रमाणित जानकारी पर रिहाई

1785 किसी भी बंदी को तार, ई–मेल या फैक्स संदे"ा पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे संबंधित अदालत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित न किया जाए या इसकी पुनः पुष्टि सरकारी वायरलैस नैटवर्क के ज़रिए न की जाए।

बंदी को रिहाई पर प्रमाण–पत्र दिया जाएगा

1786 बंदी को उसके अनुरोध पर रिहाई के समय उपाधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण–पत्र दिया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि उसने अपनी जेल की सज़ा पूरी कर ली है और माफी की अवधि अगर कोई हो तो उसका भी ज़िक्र उसमें होगा। जेल में उसके आचरण और जेल के किसी उद्योग में हासिल की गई प्रवीणता का भी इस प्रमाण–पत्र में उल्लेख होगा। इसी तरह का प्रमाण–पत्र अन्य बंदियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें भी जारी किया जा सकता है।

1787 रिहाई के समय बंदी को उसकी संपत्ति लौटानाः–

1 बंदी की रिहाई के समय अधीक्षक उसे उसकी पूरी धनरा"ा और अगर कोई अन्य संपत्ति हो तो वह भी उसे देंगे या दिलवाएंगे।बंदी अगर लिखना जानता है तो इसकी प्राप्ति की रसीद भर्ती रजिस्टर में उससे लिखवा कर ली जाएगी। यदि बंदी लिखना नहीं जानता तो उसे बुलाकर यह बयान देने को कहा जाएगा कि उसने अपनी धनरा"ा और संपत्ति वापस ले ली है और अगर उसे नहीं मिली है तो वे कौन सी वस्तुएं हैं और उनकी कीमत कितनी है। अगर बंदी को अपनी धनरा"ा या अन्य संपत्ति में से कुछ नहीं मिला है तो उसे वारंट के साथ संलग्न सूची में उस वस्तु के सामने दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामले में अधीक्षक फैसला करेंगे कि क्या इसके लिए कोई मुआवजा दिया जाना है या नहीं और अगर दिया जाना है तो कितना दिया जाएगा । इसी के अनुसार वे इसका भुगतान करेंगे या करवाएंगे।

2 जेल के किसी भी अधिकारी के कब्जे में बंदी की धनरा"ा या संपत्ति खो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी।

किन परिस्थितियों में बंदी को कपड़ों की आपूर्ति की जाएगी

1788 यदि किसी बंदी के कपड़े फट गए हैं या स्वास्थ्य या मर्यादा की दृष्टि से ठीक नहीं हैं तो अधीक्षक जिस तरह जरूरी और उचित समझेंगे उसी के अनुरूप बंदी को रिहाई के समय सरकारी खर्च पर कपड़े उपलब्ध कराएंगे।

गुज़ारा भत्ता और यात्रा भत्ता

1789 गुज़ारा भत्ता और यात्रा भत्ता निम्न प्रकार होगा:

1 यदि किसी दोषी का आवास रिहाई की जेल से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है और उसके पास 10 रुपये से अधिक नहीं हैं तो उसे रिहाई के समय प्रति दिन या एक दिन की कुछ यात्रा, रेलगाड़ी या मैट्रो या बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधन से उसके आवास तक करने के लिए गुजारा भत्ता दिया जाएगा जिसकी रा"ा का फैसला जेल महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

.2 ऐसा प्रत्येक बंदी जिसका आवास किसी रेलवे स्टे"ान के पास है और जिस जेल से उसे रिहा किया गया है या निकटतम

रेलवे स्टे”ान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है वह निम्न सुविधाओं का पात्र होगाः

क) उसके आवास के निकटतम रेलवे स्टे”ान तक सामान्य श्रेणी का नि”ुल्क रेलवे पास,

ख) आवास तक पहुंचने के लिए यात्रा भत्ता जो कि बस/मैट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधन के वास्तविक किराए के बराबर होगा,

ग) इस नियम के तहत बंदी को रिहाई के समय सभी भत्ते अधीक्षक की उपस्थिति में दिए जाएंगे।

घ) अगर उसके आवास तक रेल और बस या किसी अन्य परिवहन के साधन से जाया जा सकता है तो उसके घर के सबसे नजदीक के स्टे”ान तक के वास्तविक किराए का उसे भुगतान किया जाएगा।

नोटः—उन विचाराधीन बंदियों को उक्त सुविधाएं दी जा सकती हैं जिनके पास अपने आवास तक पहुंचने के लिए यात्रा—व्यय या धनरा”ि नहीं हैं।

अदालत के निर्देश पर रिहाई

1790 अदालत के वारंट में यदि निर्दे”ा दिया जाता है कि बंदी को ज़मानत पर या या उसके स्वयं के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाएगा और लिखित में यह जानकारी दी गई कि ज़मानत और बॉण्ड प्रस्तुत कर दिया गया है तो ऐसे बंदियों को जेल के नियमों के अनुसार रिहा कर दिया जाएगा।

1791 अदालत द्वारा अमल के लिए जिन बंदियों के व्यक्तिगत मुचलके जेल प्राधिकरण को भेजे गए हैं, इन पर बंदियों द्वारा अमल किया जाएगा और इसे उपाधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद जेल प्राधिकरण द्वार बंदी को रिहा कर दिया जाएगा और व्यक्तिगत मुचलका रिकार्ड के लिए संबंधित अदालत को वापस भेज दिया जाएगा।

1792 अदालत अगर निर्दे”ा दे देती है कि बंदी को जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर बॉण्ड या ज़मानत प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाएगा। बॉण्ड और जमानत अधीक्षक के कार्यालय के पक्ष में होना चाहिए और इसे अधीक्षक द्वारा स्वीकार किया

जाना चाहिए। व्यक्तिगत मुचलका और जमानत संबंधित अदालत को वापस भेज दिए जाएंगे।

1793 दो से अधिक वारंट होने की स्थिति में वारंट को वापस लौटाना और कार्यवाहीः—

1 सज़ा समाप्त होने या ज़मानत पर बंदी की रिहाई पर उसका वारंट उस अदालत (बिना नाम के अधिकारी को) को लौटा दिया जाएगा जिसने इसे जारी किया था, इसके साथ रिहाई की तारीख, कारण और वारंट लौटाने की तारीख द"र्ाने वाले सबूत भी होने चाहिएं।

2 जेल में बंदी की मृत्यु होने पर उसका वारंट संबंधित अदालत को वापस भेज दिया जाएगा।

3 किसी बंदी को अलग—अलग वारंट के तहत दो या अधिक सज़ाएं दी जानी हैं तो जैसे ही किसी सज़ा पर अमल कर लिया जाएगा उससे जुड़ा वारंट वापस भेज दिया जाएगा।

4 कोर्ट मा"र्ल दारा सज़ा पाए बंदियों के गिरफ्तारी वारंट, सज़ा पर अमल के बाद कमान यूनिट के अधिकारी को भेजे जाने चाहिएं

5 जेल से भागे वाले वे बंदी जो फिर से नहीं पकड़े गए हैं, उनके गिरफ्तारी वारंट, जेल से भागने की तारीख से दस वर्ष बाद दोषी करार देने वाली अदालत को वापस लौटा दिए जाएंगे।

ज़मानत मंजूर होने पर बंदी के वारंट को लौटाना

1794 यदि बंदी की अपील सुनवाई के लिए लंबित होने के कारण उसकी जमानत मंजूर कर ली गई है तो जेल प्राधिकरण उसका मूल गिरफ्तारी वारंट , इसे जारी करने वाली अदालत को, इसे अपीलीय अदालत को भेजने के अनुरोध के साथ लौटा देगा ।

1795 ऐसे किसी मामले में जिसमें अपील पर सज़ा उलट दी गई है उसमें अपीलीय अदालत मूल वारंट को अपने आदे"ा की प्रति के साथ उस अदालत को भेजेगी जिसने आरोपी की जमानत, उसे रिहा करने के निर्दे"ा के साथ मंजूर की है।

1796 ऐसे किसी मामले में जिसमें अपील पर सज़ा उलट दी गई है, उसमें अपीलीय अदालत नया वारंट(निम्न नियम में निर्धारित

प्रपत्र पर) तैयार करेगी और इसे मूल वारंट और आदे"ा की प्रति के साथ उस अदालत को भेजेगी जिसने आरोपी की ज़मानत मंजूर की है, साथ ही यह निर्दे"ा देगी कि बदले गए वारंट पर उसका समर्पण और गिरफ्तारी सुनि"चत करने के उपाय करे।

1797 ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें अपील पर सजा मिलना पक्का है, उसमें अपीलीय अदालत मूल वारंट और आदे"ा की प्रति के साथ उस अदालत को भेजेगी जिसने आरोपी की ज़मानत मंजूर की है, साथ ही यह निर्दे"ा देगी कि मूल वारंट पर उसका समर्पण और गिरफ्तारी सुनि"चत करने के उपाय करे।

1798 उपरोक्त उल्लिखित अंतिम मामले में उस अदालत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वारंट पर रिहाई और उसके बाद आत्मसमर्पण की तारीख की पुष्टि करे जिस पर आरोपी ने जमानत के लिए समर्पण किया है।

जमानत के लिए समर्पण पर कार्रवाई

1799 आरोपी यदि ज़मानत के लिए अपीलीय अदालत में समर्पण करता है तो ये अदालत अपील पर बदली गई सजा के मामले में उसे रिहा कर देगी और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें सजा बदली गई है या अपील पर सज़ा मिलना पक्का है तो अदालत आरोपी को पुलिस अधिकारी को सौंपेगी। साथ ही मुख्य मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट को बदले गए या मूल वारंट के साथ उसे गिरफ्तार कर हिरासत में रखने का निर्दे"ा दिया जाएगा।

अदालत द्वारा बंदी की रिहाई के निर्देश पर कार्रवाई

1800 अदालत के निर्दे"ा पर रिहा किया जाने वाला आरोपी बंदी , अन्य बातों के साथ–साथ , दोषमुक्त किए जाने पर या रिहा किए जाने पर या अपील पर सज़ा बदले जाने पर या काटी जा चुकी सज़ा की अवधि कम किए जाने पर बंदी को सामान्यतः जेल द्वार से रिहा कर दिया जाता है। ब"ार्ते अदालत का यह आदे"ा न हो कि आरोपी को अदालत से रिहा किया जाएगा, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

रिहाई के समय यदि बंदी बीमार हो तो

1801 यदि बंदी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो इन नियमों के नियम 1803 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बीमार बंदी का मरणासन्न स्थिति में पहुंचना

1802 बंदी का इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी को जब पता चलता है कि बंदी मरणासन्न रूप से बीमार है तो वह पूरे ब्यौरे के साथ मामले को आगे की कार्रवाई के लिए अधीक्षक के पास भेजेगा जो इसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तुरंत महानिरीक्षक को अपनी सिफारि"ाों के साथ देगा ताकि इसे आव"यक कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजा जा सके।

विचाराधीन बंदी के गंभीर रूप से बीमार होने पर

1803 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अगर कभी लगता है कि कोई विचाराधीन बंदी गंभीर रूप से बीमार है और यह बीमारी बंदी के स्वयं की वजह से नहीं हुई है या उसकी वजह से नहीं बढ़ी है और उसके हिरासत में रहने से बीमारी बढ़ सकती है तथा बंदी को रिहा करने से उसके ठीक होने के काफी आसार हैं तो अधीक्षक यह बात संबंधित अदालत के ध्यान में लाएंगे, अगर कानून इसकी इजाज़त देगा और अदालत इसे उचित समझेगी तो बंदी को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

स्थानीय अदालत द्वारा विचाराधीन बंदियों की रिहाई को आदेश के मामले में कार्रवाई

1804 स्थानीय अदालत द्वारा यदि किसी विचाराधीन बंदी की रिहाई का आदे"ा दिया जाता है लेकिन अधीक्षक को उसकी पे"ाी का वारंट किसी बाहरी अदालत से मिलता है तो अधीक्षक, मुख्य मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट से मंजूरी मिलने के बाद विचाराधीन बंदी को उस अदालत में पे"ा कराएंगे, लेकिन अगर दिल्ली में किसी अदालत में तारीख या संबद्ध अदालत की जानकारी से चिकित्सा जैसे विभिन्न कारणों से बंदी को बाहरी अदालत में नहीं पे"ा किये जा सकने की वजह से वारंट निष्क्रिय हो जाए तो उसे पे"ा करने के लिए मुख्य मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेंगे।

1805 जिन बंदियों की रिहाई के आदे"ा हो चुके हैं और वे दो महीने से अधिक समय तक जमानत नहीं दे पाते तो

अधीक्षक इनके मामले की समीक्षा और आव"यक आदे"ा देने के लिए जिला और सत्र न्यायधी"ा के पास भेजेगा।

1806 अदालत के आदे"ा के बावजूद अगर रिहाई वारंट में विवरण सही न होने के कारण बंदी को जेल से रिहा नहीं किया जाता तो मामला आव"यक स्पष्टीकरण के लिए एक बार संबंधित अदालत को भेजा जाना चाहिए। ऐसे मामलों का मासिक विवरण दिल्ली के जिला और सत्र न्यायधी"ा को भेजा जाना चाहिए, ताकि उनकी ओर से आव"यक निर्दे"ा जारी किए जा सकें।

अध्याय–33
दीवानी बंदी

दीवानी बंदियों का कारावास

1807 सामान्य तौर पर दीवानी बंदियों को कारागार के अलग वार्ड/बैरक में रखा जाएगा। एकांतवास के उद्दे”य से उनके लिए अलग श्रेणी होगी, जिससे उन्हें विचाराधीन तथा दोषी करार बंदियों से अलग रखा जा सकेगा।

वस्तुओं की जांच

1808 दीवानी बंदियों को इस्तेमाल के लिए कभी भी दी जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई वस्तु उपाधीक्षक या अधीक्षक के निमित उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाएगी और बंदी को दिए जाने से पहले इसकी जांच की जाएगी। अधीक्षक ऐसी कोई भी वस्तु, किसी उचित कारण से बंदी को देने से रोक सकता है।

फर्नीचर और उपकरणों की आपूर्ति

1809 कारागार प्र”ाासन, दीवानी बंदियों को इस्तेमाल के लिए आव”यक फर्नीचर और उपकरण उपलब्ध कराएगा।

चिकित्सा आधार पर अतिरिक्त आहार

1810 दीवानी बंदियों के लिए यदि चिकित्सा अधिकारी आहार में किसी अतिरिक्त वस्तु की सलाह देता है तो कारागार प्र”ाासन चिकित्सा आधार पर इसे उपलब्ध कराएगा।

बीमारी के आधार पर रिहाई

1811 यदि दीवानी बंदी देनदारी के दंड के कारण कारागार में डाला गया है तो संक्रामक या संचारी रोग फैलने के आधार पर सरकार द्वारा उसे रिहा किया जा सकता है।

1812 इस धारा के तहत रिहा किए गए देनदारी के दंड के कारण कारागार में डाले गए बंदी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन कारागार में उसकी नज़रबंदी की अवधि कुल मिलाकर, दीवानी प्रक्रिया, संहिता 1908 की धारा 58 के तहत निर्दिष्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दीवानी बंदियों के लिए रोजगार

1813 किसी भी दीवानी बंदी को श्रम के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

1814 दीवानी बंदी अधीक्षक की अनुमति से कारागार में उपलब्ध कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी धंधा या पे"ाा अपना सकते हैं ब"ार्ते कि अधीक्षक ने कारागार में ऐसे कोई प्रतिबंध न लगाए हों।

1815 जो बंदी स्वयं की सामग्री और उन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है जिनका रखरखाव कारागार के खर्च पर नहीं किया जाता है उसे अपनी समूची कमाई लेने की अनुमति होगी लेकिन जो बंदी कारागार की या उस सामग्री का इस्तेमाल करता है जिसका रखरखाव कारागार के खर्च पर किया जाता है, तो उसकी कमाई में से कटौती की जाएगी, जिसका निर्धारण अधीक्षक द्वारा वस्तुओं के इस्तेमाल और रखरखाव की लागत के आधार पर किया जाएगा।

आगंतुक

1816 आपराधिक बंदियों के कारागार के लिए किसी भी जगह कारागार प्रतिष्ठान में नियुक्त आगंतुकों को दीवानी बंदियों के लिए आगंतुक माना जाएगा।

दीवानी बंदियों के लिए सुविधाएं

1817 दीवानी बंदियों को अन्य बंदियों की तरह मनोरंजन, मुलाकात, कैंटीन, पुस्तकालय, और नैतिक, आध्यात्मिक तथा अन्य कल्याण गतिविधियों संबंधी सुविधाएं दी जाएंगी।

कारागार अनुशासन

1818 अनु"ाासन के संबंध में दीवानी बंदियों पर भी वही नियम लागू होंगे जोकि अन्य बंदियों पर लागू होते हैं।

गुज़ारा भत्ता

1819 देनदारी के दंड के कारण कारागार में डाले गए बंदियों के लिए सरकार दीवानी प्रकिया, संहिता 1908 की धारा 58 के तहत निर्दिष्ट मासिक भत्ता निर्धारित कर सकती है।

अदालत द्वारा निर्धारित मासिक भत्ते का भुगतान किन्हें किया जाएगा

1820 अदालत के हुक्म पर, देनदारी के दंड के कारण दीवानी कारागार में डाले गए बंदियों के लिए अदालत मासिक गुजारा भत्ता तय करेगी। यह आपराधिक प्रकिया संहिता 1908 की

धारा 57 के तहत निर्दिष्ट सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप होगा। जहां ऐसा स्तर निर्धारित नहीं होगा वहां यह रा"ा उतनी होगी जितनी उसकी श्रेणी के अनुरूप पर्याप्त समझी जाएगी (सीपीसी 1908 के नियम 39 का आदे"ा 21 देखें)।

1821 अदालत द्वारा तय मासिक भत्ते का भुगतान उस पक्ष द्वारा किया जाएगा जिसके आवेदन पर देनदारी के दंड के कारण दीवानी कारागार में डाले गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसे हर महीने की पहली तारीख से पहले अग्रिम रूप से मासिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

1822 पहला भुगतान अदालत के उचित अधिकारी को चालू महीने की अवधि के लिए किया जाएगा क्योंकि देनदारी के दंड के कारण दीवानी कारागार में डाले जाने से पहले इसकी अवधि समाप्त नहीं होती और बाद का अगर कोई भुगतान हो तो उसे कारागार के प्रभारी अधिकारी को किया जाएगा।

1823 देनदारी के दंड के कारण दीवानी कारागार में डाले गए बंदी के गुजारा भत्ते के लिए देनदार द्वारा दी गई रा"ा मुकदमे की फीस मानी जाएगी।

नोट 1: प्राप्त किया गया मासिक भत्ता सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा और इसे बकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

नोट 2: यदि जजमेंट ऋणदाता भत्ते के भुगतान में चूक जाता है तो बंदी को उस दिन रिहा कर दिया जाएगा जिस दिन का कोई भत्ता नहीं बनाया जाता ।

अध्याय–34
दिव्यांग बंदी

1824 इस अध्याय के लिए दिव्यांगता से निम्नांकित अभिप्राय है :
1. दृष्टि बाधित
2. अल्प दृष्टि
3 श्रवण बाधितता
4. गति संबंधी बाधितता
5. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य अक्षमता

1825 दिव्यांग बंदी से मतलब है कि ऐसा दिव्यांग व्यक्ति जिसे किसी अपराध का दोषी करार दिया गया है या विचाराधीन बंदी है या दीवानी बंदी है या नज़रबंद है या बंदी की किसी अन्य श्रेणी का है और कारागार में बंद है।

भर्ती और रिकार्ड का रखरखाव

1826 भर्ती के समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बंदी की अपंगता की जांच करेगा और उसके रहन–सहन की स्थितियों और सोने की व्यवस्था संबंधी या अन्य कोई सहायता , सहायक , उसकी आव"यकतानुसार दवाओं इत्यादि के बारे में सुझाव देगा या तय करेगा।

1827 अधीक्षक दिव्यांग बंदी का रिकार्ड रखेंगे और उसकी अपंगता के बारे में सभी आव"यक जानकारी उसकी हिस्ट्री टिकट में दर्ज करेंगे। बंदी को किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित करने की स्थिति में इससे मदद मिलेगी।

सुविधाएं और सुरक्षा

1828 अधीक्षक यह सुनि"चत करेंगे कि दिव्यांग बंदी को उपलब्ध कराई जा रही शयन तथा शौचालय संबंधी या अन्य सुविधाएं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिएं।

1829 अधीक्षक दिव्यांग बंदियों को उत्पीड़न, क्रूरता, अमानवीयता या अपमान से बचाने के सभी उपाय करेंगे।

1830 अधीक्षक दिव्यांग बंदियों को सभी प्रकार की हिंसा, शोषण तथा दुर्व्यवहार से बचाने के उपाय करेंगे और निम्न कदम उठाएंगे–

क) दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेकर आव"यक कार्रवाई करेंगे,

ख) ऐसी घटनाएं रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे,

ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के उपाय करना,

घ) कारागार कर्मियों और बंदियों में जागरूकता पैदा करना,

च) यदि आव"यकता हो तो दिव्यांग बंदियों को सुरक्षित हिरासत उपलब्ध कराने पर विचार करना।

1831 कोई बंदी या वार्डर या कारागार के अंदर कोई व्यक्ति या पंजीकृत संगठन या कोई व्यक्ति या बंदी के परिवार का सदसय या संबंधी जिसके पास यह मानने का कोई कारण है कि किसी दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण की घटना हुई है या हो रही है या हो सकती है तो वह ऐसी घटना के बारे में कारागार अधीक्षक को तुरंत जानकारी देगा।

शिक्षा, मनोरंजन और कौशल विकास

1832 अधीक्षक बिना किसी भेदभाव के अन्य के समान मनोरंजन की गतिधियां और "िक्षा तथा खेलों के अवसर उपलब्ध कराएंगे।

1833 अधीक्षक, आव"यक व्यक्तिगत सहायता या पूर्ण समावे"ान के लक्ष्य के साथ अधिकतम शैक्षिक और सामाजिक विकास के अनुरूप माहौल उपलब्ध कराएंगे ।

1834 अधीक्षक यह सुनि"चत करेंगे कि दृष्टिहीन, बधिर या दोनों प्रकार से दिव्याग बंदियों को सबसे उपयुक्त भाषा, पद्धति और संवाद माध्यमों का इस्तेमाल कर "िक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1835 संवाद या भाषा संबंधी अक्षमता वाले बंदियों की दैनिक संवाद आव"यकताओं को पूरा करने और उन्हें समुदाय तथा समाज में भागीदारी करने तथा योगदान देने योग्य बनाने के लिए अधीक्षक को संकेत भाषा और ब्रेल में प्र"ाक्षित कर्मी और पे"ावर दिए जाएंगे।

1836 अधीक्षक ऐसे बंदियों को कौ"ाल विकास और व्यवसायिक प्र"ाक्षण उपलब्ध कराएंगे ताकि वे रिहाई के बाद स्व रोजगार कर सकें।

1837 अधीक्षक द्वारा उनके लिए योजनाएुं तथा कार्यक्रम और मुख्यधारा की सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यवसायिक तथा कौ"ाल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम सुलभ कराए जाएंगे।

1838 अधीक्षक यह सुनि"चत करेंगे कि दिव्यांग बंदियों को पर्याप्त सहायता, उपकरण और वि"ाष्ट प्र"ाक्षण प्राप्ति की सुविधाएं उपलब्ध हों।

1839 अधीक्षक, विकास तथा बुद्धि संबंधी , बहुविकलांगता और स्वालीनता जैसी विकलांगता वाले बंदियों के लिए , बाज़ार के साथ सक्रिय संबंध वाले वि"ाष कौ"ाल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे

पुस्तकालय

1840 विकलांग बंदिया की "ाक्षा और अध्ययन के लिए कारागार के पुस्तकालय में पुस्तकें, ब्रेल में मुद्रित सामग्री, बड़े प्रिंट और श्रव्य सामग्री होनी चाहिए।

शिकायत निपटान

1841 यदि कोई बंदी या उसका परिवार या संबंधी उक्त नियमो का अनुपालन न किए जाने के कारण असंतुष्ट है तो वह "ाकायत निपटान व्यवस्था के तहत "ाकायत कर सकता है।

अध्याय–35
मानसिक स्वास्थ्य और संक्रामकरोग

1842 मानसिक अस्वस्थता को मनोविकार या मानसिक रोगकहा जा सकता है, जिसमें निम्नांकित स्थितियां शामिल हैं :–

1 मनोविकृति या

2 मंद बुद्धि (आई क्यू 70 से नीचे) या

3 मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सा में प्र"िाक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित तंत्रिका संबंधी गंभीर अक्षमता,

4 अल्कोहल और मादक पदार्थों की लत से संबंधित मानसिक स्थिति,

5 सोच, मनोद"ाा, अवधारणा, अभिविन्यास या स्मृति जो समझ को क्षीण करती है, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य जरूरतें पूरी करने की योग्यता क्षीण होना ।

1843 मानसिक अस्वस्थबंदी का मतलब है मानसिक रूप से बीमार ऐसा व्यक्ति जो विचाराधीन बंदी है या किसी अपराध का दोषी करार दिया गया है और कारागार में नजरबंद है,

1844 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल हैं–बंदी की मानसिक स्थिति का आंकलन तथा रोग की पहचान और इलाज के साथ–साथ मानसिक बीमारी या इस बीमारी के संदेह वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल और उसका पुनर्वास,

1845 मानसिक स्वास्थ्य ईकाई का अर्थ है ऐसा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान जो पूरी तरह या अं"ातः कारागार परिसर में स्थित है, मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए है, समुचित सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण, न्यास , निजी या सार्वजनिक निगम, सहकारी समिति, संगठन या कोई अन्य कंपनी, जहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को देखभाल, इलाज, स्वास्थ्य लाभ तथा पुनर्वास के लिए अस्थाई रूप से या अन्य रूप से भर्ती किया गया है या रखा गया है और सरकार द्वारा स्थापित/रखरखाव वाले सामान्य पुनर्वास केंद्र शामिल हैं।

1846 प्रत्येक कारागार में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड को गठन किया जाएगा जिसमें ये अधिकारी होंगेः–

1 कारागा़र का अधीक्षक
2 आरएमओ द्वारा नामित कारागा़र अस्पताल का एक मनोचिकित्सक
3. कारागा़र का एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

1847 मनोचिकित्सक का मतलब है वि”वविद्यालय अनुदान आयोग कानून 1956 के तहत या स्थापित वि”वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त और चिकित्सा परिषद कानून, 1956 या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, भारतीय चिकित्सा परिषद कानून के तहत गठित वि”वविद्यालय द्वारा मनोचिकित्सा में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमाधारी चिकित्सक, और किसी राज्य के संबंध में, कोई चिकित्सा अधिकारी जिसे मनोचिकित्सा का ज्ञान तथा अनुभव हो उसे इस कानून के उद्दे”य से राज्य सरकार द्वारा मनोचिकित्सक घोषित किया गया हो ।

1848 नैदानिक मनोवैज्ञानिक का मतलब है ऐसा व्यक्ति :

1) भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, 1992 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में मान्यता प्राप्त योग्यता

या

2) मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान या अप्लाइड मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992 द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्वीकृत और वि”वविद्यालय अनुदान आयोग कानून 1956 के तहत स्थापित वि”वविद्यालय अनुदान आयोग कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वि”वविद्यालय से संचालित नैदानिक प्र”ाक्षण सहित दो वर्ष के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद हासिल नैदानिक मनोविज्ञान या चिकित्सा और सामाजिक मनोविज्ञान में एम फिल या कोई अन्य निर्धारित मान्यता प्राप्त योग्यता ।

भर्ती की प्रकिया

1849 मानसिक बीमारी वाले कैदियों को कैसे कैद में रखा जाएः

1) यदि ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से बीमार बंदी खतरनाक है, शोर मचाता है या बहुत ही खराब आदतों वाला है तो उसे कड़ी और निरंतर निगरानी में कोठरी में बंद रखा जाएगा।

2) उक्त उप–नियम (1) के संदर्भ में, पागल हो चुके को छोड़कर मानसिक रूप से बीमार बंदी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के फैसले के अनुसार कारागार अस्पताल या वार्ड में नज़रबंद किए जाएंगे।

3) अधीक्षक, मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और कारागार मनोचिकित्सक के सलाह म"ाविरे से व्यवहार चिकित्सा कार्यक्रम की योजना बनाएगा।

1850 मानसिक रूप से बीमार विचाराधीन कैदियों की भर्ती की प्रकिया :

1) यदि विचाराधीन बंदी को संहिता की धारा 330 के तहत कारागार में नजरबंद किया जाता है तो अधीक्षक उसे दिल्ली के मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान–आईएचबीएएस (IHBAS) या अन्य सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए प्राप्ति के वास्ते संबद्ध अदालत में आवेदन देगा

2) जिस बंदी को आईएचबीएएस (IHBAS) या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में भेजा गया है उसकी व्यापक चिकित्सा जांच आईएचबीएएस या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में की जाएगी और संबद्ध अदालत को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

3) अधीक्षक यह सुनि"चत करेंगे कि ऐसे बंदी की चिकित्सा रिपोर्ट हर महीने संबद्ध न्यायालय को भेजी जाए।

1851 मानसिक रोग से ग्रस्तबंदी पर रिर्पोट

यदि कोई दोषी करार बंदी मानसिक रोग का ि"ाकार हो जाता है तो उसके मामले में महानिरीक्षक को रिर्पोट भेजी जाएगी ताकि उसे मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में भेजने के लिए सरकार का आदे"ा प्राप्त किया जा सके । इस रिर्पोट के साथ निम्न दस्तावेज़ भेजे जाएंगेः–

क) <u>बंदी के विवरण का रजिस्टर</u> ,

ख) चिकित्सा प्रमाण–पत्र

यदि आव"यक हो तो दोषी करार बंदी को अधीक्षक की मंजूरी से आईएचबीएएस सहित किसी संबंधित सरकारी अस्पताल में ओपीडी चिकित्सा के लिए भेजा जा सकता है ।

1852 अस्पताल में स्थानांतरण –मानसिक रूप से बीमार दोषी करार बंदी को वहां से भेजने का सरकार से आदे"ा प्राप्त होने पर अधीक्षक उसे निम्न दस्तावेजों के साथ आईएचबीएएस या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में भेजेंगे।

क) स्थानांतरण के निर्दे"ा संबंधी सरकारी आदे"ा,

ख)बंदी के विवरण का रजिस्टर ,

ग) चिकित्सा प्रमाण–पत्र,

घ) संपत्ति यदि कोई है तो ,

1853 स्थानांतरण के लिए स्थितियां– मानसिक रूप से बीमार किसी भी बंदी को तब तक कारागार से मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान या अन्य सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उसे भेजने से ठीक पहले यह प्रमाणित नहीं करता कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वह यात्रा करने लायक है।

1854 मासिक विवरण– अधीक्षक संहिता की धारा 330 और 335 के तहत कारागार में डाले गए कैदियों की रिर्पोट हर महीने की पहली तारीख को महानिरीक्षक को भेजेंगे।

1855 मानसिक रूप से बीमार कैदियों का अनु"ाासन और दंड–मानसिक रूप से बीमार बंदी को कारागार में उसके द्वारा की गई किसी भी हरकत के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन स्वयं को या किसी दूसरी को असुविधा या चोट पहुंचाने से रोकने के लिए उस पर आव"यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

1856 तत्काल मामलों में प्रत्या"ाा में स्थानांतरण– ऐसे मामलों में जब मानसिक रूप से बीमार बंदी खतरनाक हो जाए, शोर मचाने लगे या गंदी आदतों का "िाकार हो जाए तो मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान या अन्य सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की पिछली सहमति से ऐसे कैदियो को अदालत या सरकारी मंजूरी की प्रत्या"ाा में

संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है । ऐसे मामलों में इन दस्तावेजों की आव"यकता होगी–क) उसके स्थानांतरण के निर्दे"ा वाला सरकारी आदे"ा ख) बंदी का विवरण रजिस्टर ग) चिकित्सा प्रमाण पत्र ग) अगर कोई संपत्ति हो तो वह भी बंदी के साथ भेजी जाएगी। सरकारी या अदालती आदे"ा प्राप्ति पर तुरंत प्रेषित किया जाना चाहिए।

1857 सज़ा जब पूरी होने वाली हो तो प्रक्रियाः– यदि सज़ा पूरी होने से ठीक पहले बंदी मानसिक रूप से बीमार हो जाता है तो उसे सज़ा पूरी होने पर उसे उसके संबंधियों या मि.त्रों को सौंपा जाएगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में उस बंदी को इलाज के लिए मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान या अन्य सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाएगा।

1858 अस्पताल में बिताया गया समय सज़ा के तौर पर माना जाएगा– मानसिक रूप से बीमार बंदी जितना समय मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान या अन्य सरकारी अस्पताल में रहेगा, उसे सज़ा काटने के तौर पर माना जाएगा।

1859 मानसिक रूप से बीमार बंदी की इलाज के बाद कारागार में वापसी– यदि बंदी मानसिक बीमारी के इलाज के बाद ठीक होकर वापस कारागार में लौटता है तो उसे उतनी छूट के साथ किसी श्रम में लगाया जाएगा जितनी चिकित्सा अधिकारी उचित समझेगा।

मानसिक स्वास्थ्य इकाई में सुविधाएं

1860 मानसिक स्वास्थ्य इकाई के लिए न्यूनतम आव"यकताएं निम्न प्रकार हैं–

1) 10 बिस्तरों की सुविधा

क) एक पूर्णकालिक मनोचिकित्सक/मनोरोग चिकित्सा के प्र"ाक्षण के साथ चिकित्सा अधिकारी,

ख) एक नैदानिकी मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता,

2) सहायता सुविधाएंः न्यूनतम सहायता सुविधाएं निम्न प्रकार उपलब्ध कराई जानी चाहिएंः–

क) आपात स्थिति में मनोचिकित्सा के लिए आपात देखभाल का प्रावधान,

ख) पूरी तरह उपकरणों से लैस इलैक्ट्रिक आक्षेपिक थैरेपी,

ग) मनोरोग की पहचान की सुविधाएं।

मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के अधिकार और कार्य

1861 बोर्ड के कार्य निम्न प्रकार हैं–

क) किसी चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का प्रभारी मानसिक स्वास्थ्य पे"ोवर के फैसले के खिलाफ अगर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति से आवेदन प्राप्त कर उस पर फैसला इन नियमों के तहत किया जाएगा,

ख) मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में देखभाल और सेवाओं में किसी प्रकार की कमी पाए जाने की ि"ाकायतों पर निर्णय लेने के लिए,

ग) कारागारों के दौरे तथा निरीक्षण और इनमें स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के लिए,

घ) यदि बोर्ड को पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान मानसिक रोगियों के अधिकारों का हनन कर रहा है तो बोर्ड निरीक्षण और जांच कराकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है।

जेल वार्ड में सुविधाएं

1862 मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए आहार, वस्त्र और बिस्तर की व्यवस्था निम्न प्रकार से होगीः–

1 मानसिक रूप से बीमार सभी कैदियों को इस नियमावली के अनुरूप आहार दिया जाएगा, और शारीरिक रोग की स्थिति में वि"ोष आहार की आव"यकता वाली नियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

2 सभी कैदियों को नियमानुसार वस्त्र और बिस्तर उपलब्ध कराया जाएगा लेकिन कारागार महानिरीक्षक इस बारे में कोई ढील दे सकते हैं।

1863 पुनर्वास, मनोरंजन और अन्य थैरेपी निम्न प्रकार होंगी–

1 मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास केंद्र कैदियों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

2 मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए सलाह सेवाएं, व्यवहार थैरेपी और व्यावसायिक थैरेपी उपलब्ध कराई जाएगी।

संक्रामक और संचारी रोग

रोगों का रिकार्ड

1864 अगर कोई बंदी किसी संचारी या संक्रामक रोग से पीड़ित पाया जाता है तो चिकित्सा अधिकारी उसकी हिस्ट्री शीट में इसे दर्ज करेगा।

अलगाव और विसंक्रमण की प्रकिया

1865 चिकित्सा अधिकारी को अगर पता चलता है कि बंदी किसी संचारी या संक्रामक रोग से पीड़ित है और उसे अन्य कैदियों से अलग रखना आव"यक है तो अधीक्षक तुरंत उस बंदी को अन्य कैदियों से अलग कर देंगे। ऐसा करने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कारागार में संचारी या संक्रामक रोग के बंदी को वार्ड में इस तरह रखा जाए कि यह कालकोठरी की सजा न हो जाए।

1866 जिस कोठरी या अन्य स्थान पर संचारी या संक्रामक रोग से पीड़ित कोई बंदी रह चुका हो उसमें किसी और बंदी को रखने से पहले उसे पूरी तरह संक्रमणमुक्त किया जाएगा।

1867 ऐसे कैदियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्त्र और बिस्तर को समुचित तरीके से संक्रमणमुक्त किया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा।

1868 अधीक्षक इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे कि कारागार अस्पताल या वार्ड में भर्ती संचारी या संक्रामक रोगों से पीड़ित कैदियों के प्रभाव से अन्य कैदियों को बचाया जा सके।

औषधि वितरण और चिकित्सा कर्मियों की अन्य ड्यूटियां

1869 चिकित्सा अधिकारी यह सुनि"चत करेगा कि संचारी या संक्रामक रोगों से पीड़ित कैदियों को दिन प्रतिदिन के नुस्खे के अनुसार दवाएं बकायदा दी जा रही हैं

1870 इस बात का हमे"ाा ध्यान रखा जाएगा कि अस्पताल में दवाओं का पर्याप्त भंडार हो।

1871 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हर महीने की 5 तारीख तक संचारी या संक्रामक रोगों से पीड़ित उन कैदियों की सूची अधीक्षक और रेज़ीडेंट चिकित्सा अधिकारी को भेजेगा जिनका इलाज

किया जा रहा है। इसके लिए महानिरीक्षक आवासीय चिकित्सा अधिकारी के सलाह म”ाविरे से एक प्रपत्र तैयार करेगा। इसके बाद रेज़ीडेंट चिकित्सा अधिकारी हर महीने की 10 तारीख तक महानिरीक्षक को इस संबध में विवरणिका भेजेगा।

1872 चिकित्सा अधिकारी इस बात की पूरी एहतिआत बरतेगा कि कारागार के अन्य कैदियों के बीच संचारी या संक्रामक रोग को फैलने से रोका जाए।

अदालत को जानकारी देना

1873 संचारी या संक्रामक रोगों से पीड़ित कैदियों के बारे में अधीक्षक द्वारा संबंधित अदालत को जानकारी दी जाएगी।

अध्याय–36
अन्य

विकास योजनाओं में कारागारों का समावेशन

1874 चूंकि स्वीकृत सामाजिक नियमों से पथभ्रष्ट हो चुके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से कारागार प्र"ाासन का सीधा संबंध है इसलिए कारागारों का विकास राष्ट्रीय विकास योजनाओं के एकीकृत भाग के रूप में किया जाएगा तो कारागारों पर निवे"ा से, अपराधियों का सुधार और पुनर्वास होने से न केवल वे कानून का पालन करने वाले नागरिक बन सकेंगे बल्कि अपराधों का ि"ाकार होने वाले लोगों की सुरक्षा भी हो सकेगी, इसीलिए सरकार को कारागारों के संपूर्ण विकास की योजनाएं बनाने के कदम उठाने चाहिएं। ये योजनाएं न केवल कारागार कार्यक्रमों के सुधार के बारे में होनी चाहिएं बल्कि कारागार कर्मियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी होनी चाहिएं क्योंकि ये सुधारकारी प्र"ाासन का प्रमुख अंग हैं।

राज्य सलाहकार बोर्ड

1875 कारागारों में सुधारात्मक कार्य, कैदियों के पुनर्वास और कैदियों की ि"ाकायतों के समाधान से संबंधित मुद्दों पर सरकार और कारागार प्र"ाासन को सलाह देने के लिए एक राज्य सलाहकार बोर्ड होगा।

1876 विभागों के बीच प्रभावी सहयोग और समन्वय के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड, कारागार, कानून तथा न्याय, पुलिस, ि"ाक्षा, तकनीकी ि"ाक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक कार्य विभागों के प्रमुखों का बैठक स्थल भी होगा।

1877 राज्य सलाहकार बोर्ड, जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने और अपराधियों के पुनर्वास की आव"यकता पर जोर देते हुए मत निर्माता की भूमिका भी निभएगा।

1878 राज्य सलाहकार बोर्ड में राज्य के निम्न अधिकारी होंगेः

क) कारागार प्रभारी मंत्री– अध्यक्ष

ख) कारागार प्रभारी सचिव–उपाध्यक्ष
ग) िशक्षा सचिव या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो।
घ) स्वास्थ्य सेवा या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो।
ड.) ऊर्जा सचिव या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो।
च) विधि सचिव या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो।
छ) वित्त सचिव या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो।
ज) कारागार महानिरीक्षक–सदस्य सचिव
झ) पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो **संयुक्त** पुलिस आयुक्त से नीचे के रैंक का न हो।
ञ) नगर परिषद, आयुक्त या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो मंडल आयुक्त से नीचे के रैंक का न हो।
ट) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीजेबी या उसके द्वारा नामित कोई ऐसा अधिकारी जो अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो।
ठ) िशक्षा, निदेशक
ड) तकनीकी िशक्षा, निदेशक
ढ) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
ण) उद्योग आयुक्त या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य
त) निदेशक, समाज कल्याण विभाग

1879 आगंतुक बोर्ड के किन्हीं पांच गैर–सरकारी सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में की जाएगी।

1880 राज्य सलाहकार बोर्ड एक कैलेण्डर वर्ष में कम– से– कम एक बैठक करेगा।

1881 किसी असाधारण स्थिति के मद्देनज़र सदस्य सचिव, सदस्यों को इस प्रकार की बैठक की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की विशेष बैठक बुलाने के लिए अधिकृत है।

1882 राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्रवाई, मिनट बुक में दर्ज की जाएगी और इसकी एक प्रति कारागार प्रभारी मंत्री और कारागार विभाग के मुख्य सचिव/सचिच को भेजी जाएगी।

1883 राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य किसी भी कारागार का दौरा कर सकते हैं।

1884 राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य हालांकि शाम को ताले बंद करने से लेकर सवेरे ताले खुलने तक की अवधि के दौरान किसी जेल का दौरा नहीं करेंगे।

1885 राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य/ आगंतुक सदस्य द्वारा सुधार कार्य, मनोरंजन, कैदियों के प्रशिक्षण, कैदी के आहार, कैदी की स्वास्थ्य देखभाल, कैदियों की शिकायतों और उनके समाधान के बारे में कोई कागज/दस्तावेज़ मांगा जाता है तो अधीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी इसे उनके सामने पेश करेगा।

1886 राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए छह सदस्यों से कोरम पूरा होगा जिनमें कम से कम दो सरकारी और दो गैर सरकारी सदस्य होंगे।

1887 यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का एक गैर सरकारी सदस्य पूर्व सूचना और नोटिस के बावजूद लगातार तीन बार बोर्ड की बैठक में भाग नहीं ले पाता तो उसकी सलाहकार बोर्ड की सदस्यता स्वतः रद्द हो जाएगी और बोर्ड का सदस्य सचिव उसके स्थान पर एक नया गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने के लिए सरकार से कहेगा।

1888 राज्य सलाहकार बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य बोर्ड में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक इस पद पर रहेगा और उसकी पुनः नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

1889 राज्य सलाहकार बोर्ड के किसी गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति किसी भी समय रद्द करने का अधिकार सरकार के पास आरक्षित है।

1890 बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित भत्ता मिलेगा।

नियोजन, अनुसंधान और विकास तंत्र

1891 निगरानी, अध्ययन वि"लेषण तथा शोध के जरिए कारागारों के उद्दे"यों तथा लक्ष्यों को हासिल करने और इस क्षेत्र में विकास और नई प्रवृत्ति के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखने में कारागारों की प्रभावोत्पादकता और सुधार सेवाओं पर आव"यक फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक व्यवस्था बनाएगी। इस तंत्र को कार्यात्मक नवीनीकरण तथा कारागार भवनों का पुनर्निर्माण, सुधारात्मक संस्थानों का बहूरूपीकरण, कारागारों का वर्गीकरण, कारागार उद्योगों के विविधिकरण, कारागार कार्यक्रमों की सुधारात्मक विषयवस्तु, कारागार कर्मियों की भर्ती तथा प्र"िक्षण और आपराधिक न्याय प्रणाली की अन्य शाखाओं के साथ समन्वय के तौर–तरीकों के संदर्भ में, न केवल संगठन बल्कि व्यक्तिगत संस्थानों के लिए विनिर्दिष्ट उद्दे"यों तथा लक्ष्यों की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। इसे, पुनर्वास किए गए कैदियों की संख्या, पूर्व मुजरिमों की संख्या, "िाक्षित किए गए कैदियों की संख्या, कैदियों की उत्पादकता में वृद्धि, कारागार में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि, अभिनव बैंकिंग योजनाओं और अन्य स्रोतों इत्यादि के तहत कैदियों/पूर्व कैदियों को दिए गए कर्ज़ की रा"ाि इत्यादि की सुधार व्यवस्था के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। संगठनात्मक और संस्थागत लक्ष्यों की वर्ष में कम– से– कम एक बार विभाग द्वारा समीक्षा की प्रकिया बनाई जानी चाहिए।

कारागार विकास बोर्ड

1892 कारागारों में सुधार और बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कारागार विकास बोर्ड बनाया जाना चाहिए ताकि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था तैयार हो सके जिससे तेजी से फैसले लेने, आधुनिक टैक्नालाजी का पूरा लाभ उठाने और प्रबंधन संबंधी कार्यों में सहायता मिल सके।

1893बोर्ड में निम्न सदस्य होंगे

क) मुख्यमंत्री

अध्यक्ष

ख) कारागार मंत्री
उपाध्यक्ष
ग) उच्च न्यायालय का महा पंजीयक
पदेन निदे"ाक
घ) गृह विभाग का मुख्य सचिव
पदेन निदे"ाक
च) वित्त विभाग का मुख्य सचिव
पदेन निदे"ाक
छ) राजस्व विभाग का मुख्य सचिव
पदेन निदे"ाक
ज) विधि विभाग का मुख्य सचिव
पदेन निदे"ाक
झ) पुलिस आयुक्त
पदेन निदे"ाक
ण) अभियोजन निदे"ाक
पदेन निदे"ाक
त) सरकार द्वार नामित दो व्यक्ति जिनमें से एक महिला ,
सदस्य
गैर सरकारी में से वह जिन्होंने कारागार प्र"ाासन के क्षेत्र या कारागार सुधार या कैदियों में सेवा या मानवाधिकार के क्षेत्र में वि"ाष्टता हासिल की हो
थ) कारागार महानिरीक्षक
पदेन प्रबंध निदे"ाक

1894बोर्ड के अन्य कार्य होंगें:

क) सभी कारागारों में वि"ाषकर कैदियों की मूलभूत आव"यकताओं के अनुरूप और उन्हें गरिमामय मानव जीवन जीने लायक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में उनकी परिस्थितियों की जांच करना।

ख) जिन कारागारों की हालत संतोषजनक नहीं है और उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती वहां नई कारागारों का निर्माण करना।

ग) कारागारों को सुधार केंद्रों के रूप में विकसित करने की दृष्टि से कैदियों के लिए शोध, ि"ाक्षा, व्यवसायिक प्र"ाक्षण और

कौ"ाल विकास सहित विकास कार्यकमों के लिए उपाय सुझाना और समीक्षा करना।

घ) कारागारों में आधुनिक टेक्नालॉजी, पद्धतियां और सामग्री का इस्तेमाल कर पूरी दक्षता से इनका प्रबंधन करना।

ड.) उक्त उद्‌दे"यों के लिए सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कारपपोरेट हाउस के साथ सहयोग।

1895 बोर्ड को कारागार विकास निधि की तरह अपनी स्वयं की निधि रखनी होगी जो निम्न से प्राप्त होगी:

क) बोर्ड को राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान, कर्ज़, अग्रिम इत्यादि के रूप में मिलने वाली पूरी धनरा"ि।

ख) ऋण या ऋण–पत्रों के रूप में बोर्ड द्वारा उधार ली गई पूरी धनरा"ि।

ग) कैदियों द्वारा खेती, बागवानी, औद्योगिक या विनिर्माण गतिविधियों से कमाई गई पूरी धनरा"ि।

घ) बोर्ड को प्राप्त होने वाली सभी फीस, प्रभार और लाभ।

ड.) भूमि, भवनों और अन्य चल या अचल संपत्ति का निपटान कर बोर्ड को प्राप्त होने वाली पूरी धनरा"ि।

च) बोर्ड को किराए या लाभ या किसी और तरीके या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली पूरी धनरा"ि।

वार्शिक रिपोर्ट का प्रकाशन

1896 सरकार, कारागारों की कार्य पद्धति, कारागार विभाग की प्रगति और सुधारात्मक सेवाओं के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रका"ित करेगी जिसे विधायिका के समक्ष पे"ा किया जाएगा।

विशेशज्ञता आदान–प्रदान

1897 सरकार, अन्य राज्यों के साथ तकनीकी जानकारी और व्यवसायिक वि"ोषज्ञता के आदान–प्रदान को बढ़ावा देगी ताकि दे"ा के विभिन्न भागों में कारागारों के प्र"ाासन और सुधार सेवाओं में सर्वोत्तम तरीकों को, स्वयं की पहल पर या केंद्र सरकार की सहायता से अपनाया जा सके।

सूचना का अधिकार

1898 सभी कैदियों के फायदे के लिए कारागार कानून तथा अन्य संबद्ध कानून, लागू नियम, िनियम और राज्य कारागार नियमावली को कारागार के पुस्तकालय में रखा जाएगा।

1899 राज्य में कारागार प्र”ाासन, सूचना के अधिकार कानून, 2005 में निहित अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन करेगा।

विभिन्न विभागों का अनुमोदन

1900 इन नियमों के प्रावधानों के तहत यदि नए पदों के सृजन या कैडर पुनर्गठन और प्र”ाासनिक सुधार विभाग/सेवा विभाग/नियोजन विभाग की सहमति/सलाह मर्”ाविरे की आव”यकता होगी तब ये प्रावधान केवल संबंधित विभाग की सहमति/सलाह मर्”ाविरे के बाद ही लागू किए जाएंगे।

1901 इन नियमों के किसी प्रावधान से यदि राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है तो इन्हें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग और योजन विभाग की सहमति/सलाह मर्”ाविरे के बाद लागू किया जाएगा।

1902 **निरसन और अपवादः** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिस दिन ये नियम लागू होंगे, दिल्ली कारागार नियम, 1988 और जारी तथा लागू की गई अन्य सभी अधिसूचनाएं निरस्त हो जाएंगीः

परंतु इनके निरस्त होने से निम्न प्रभावित नहीं होंगेः—

(क) निरस्त किए गए नियमों के तहत पहले की जा चुकी कार्यवाही या यथोचित कुछ भी किया गया हो या नुकसान हुआ हो या

(ख) उक्त नियम के तहत हासिल, प्रोदूभत या दिया गया कोई अधिकार, वि”ोषाधिकार, आभार या दायित्व या

(ग) निरस्त किए गए नियमों के खिलाफ किसी अपराध के लिए दिया गया कोई दंड, जुर्माना या सज़ा या

(घ) उक्त के अनुसार किसी अधिकार, वि”ोषाधिकार, आभार, दायित्व, दंड, जुर्माना या सज़ा के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्रवाई या सुधार का उपाय।

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्रवाई या सुधार का उपाय ”ाुरु किया जाए, जारी रखा जाए या लागू किया जाए, तो यह समझ कर कि ये नियम निरस्त ही नहीं किए गए हैं, ऐसा दंड, जुर्माना या सज़ा दी जा सकती है।

परिशिष्ट—1

कैदी की पुस्तिका

प्रवेश

कैदी के जेल में जाने के समय जरूरी है कि :–

- नम्रता से बात की जाए।
- उसकी जामा तलाशी ली जाए।
- यदि कैदी विदेशी हो तो उसकी पहचान, परिवारजनों, निकट संबधियों, मित्रों, कानूनी प्रतिनिधियों (वकीलों) और राजनयिक मिशन के बारे में विवरण दर्ज किया जाए ताकि उसे जेल में भेजने या ट्रांसफर किए जाने की सूचना उन्हें दी जा सके।
- कैदी उन लोगों की सूची दे, जो उसका इंटरव्यू लेने आ सकते हैं।
- उसकी निजी संपत्ति जेल अधिकारियों के पास जमा करा दी जाए, जो जेल के रिकॉर्ड में दर्ज होगी और रिहाई के वक्त उसे सौंप दी जाएगी।
- उसे जेल के नियम–कानूनों, उसके अधिकारों और दायित्वों तथा जेल में उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए।
- उसको उसकी श्रेणी के अनुसार अलग रखने की व्यवस्था की जाए, जैसे कि वह विचाराधीन है, हिरासत में है, सिविल केस में बंद है, दोषी पाया जा चुका है, महिला है, आदतन अपराधी है या बहुत खतरनाक कैदी है, इत्यादि।

श्रेणीकरण और चिकित्सा जांच

जेल में जाने के बाद कैदी को कुछ समय उसकी श्रेणी के हिसाब से अलग ही रिसेप्शन वार्ड में रखा जाएगा, जहां :

- उसकी चिकित्सा जांच और परीक्षण होगा।
- यदि उसे कोई चोट लगी है या वह ज़ख्मी है, तो उसकी जांच की जाएगी।
- उसकी मैडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें वह अपने चिकित्सा इतिहास की पूरी और सही जानकारी देगा, जिसमें अपने ब्लड ग्रुप और एलर्जी आदि के बारे में भी खुल कर बताएगा।

- जरूरी होने पर उसे टीका लगाया जाएगा।

रहने की जगह

- हर कैदी को पर्याप्त हवादार, साफ और समुचित रहने की जगह दी जाएगी, जिसमें रोशनी की भी अच्छी व्यवस्था होगी।
- उसे श्रेणी और सामाजिक स्थिति के हिसाब से अलग जगह में रखा जाएगा।

स्वच्छता और साफ–सफाई

कोई भी कैदी निम्नांकित बातों का ध्यान रखेगा :–

- कैदी को हर समय खुद को और आसपास की जगह साफ स्वच्छ रखनी होगी।
- कैदी को अपने कपड़े, कम्बल, बिस्तर, बर्तन और आसपास की जगह साफ और व्यवस्थित रखनी होगी।
- पक्का ध्यान रखना होगा कि वह या उसके साथी कैदी अपने रहने की जगह साफ सुथरी रखेंगे और आसपास थूकेंगे नहीं।
- शौच और मूत्रालय जाने के लिए अलग अलग लाइनें लगाएंगे।
- लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे।
- इसका भी ध्यान रखेंगे, पहले इस्तेमाल के लिए गया कैदी शौच या पेशाब करने के बाद फलश चलाए और वह खुद भी ऐसा करे।
- बाथरूम में जरूरत से ज्यादा समय न लगाए, क्योंकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि और भी बाहर लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं।
- आसपास कूड़ा–कर्कट न डालें।
- अपने नाखून काटें और उन्हें साफ रखें।
- भोजन पकाने की जगह (पाकशाला) में जाने या खाने की चीजें छूने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं।
- रोज नहाएं और अपने कपड़े भी धोएं।

- उसे नहाने धोने के लिए पर्याप्त पानी मिले और टॉयलेट तथा नालियों की समुचित व्यवस्था हो, और इनकी समय समय पर मरम्मत और रख–रखाव भी होना चाहिए।
- सरकारी खर्चे से उन्हें शेव करने और नहाने का साबुन दिया जाए।
- शेव या हजामत के लिए नाई भी मुफ्त दिया जाए।

कपड़े और बिस्तर

- कैदी को मौसम के मुताबिक पर्याप्त, उपयुक्त और साफ–सुथरे कपड़े और बिस्तर दिए जाएंगे।
- विचाराधीन कैदी और साधारण कारावास वाले कैदी अपने खुद के कपड़े पहन सकते हैं। उनके पास पर्याप्त कपड़े या बिस्तर नहीं होंगे तो सरकारी खर्च से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जेल से बाहर जाने की अनुमति मिलने पर कैदी खुद के कपड़े पहन सकता है।
- कैदी खुद को मिले जेल के कपड़े पहनेगा और कपड़े या किट में मिली कोई भी चीज किसी अन्य कैदी से नहीं बदलेगा।
- उसे कपड़े या बिस्तर धोने, सुखाने और समय समय पर कीटनाशक लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जेल में प्रवेश के समय सभी कैदियों को एक टूथपेस्ट, एक टूथ ब्रश, कपड़े धोने का एक साबुन, नहाने का एक साबुन, तेल, शैम्पू, कच्छे–बनियान के दो सैट, कपड़ों का एक सैट, एक स्लीपर चप्पल और एक तौलिया, एक कंघा दिया जाएगा, चाहे वह दोषी करार दिया जा चुका हो या विचाराधीन हो तथा इनकी कीमत उसे दी जाने वाली मजदूरी में से काट ली जाएगी।

भोजन

कैदी को –

- निर्धारित खुराक के मुताबिक दिन में तीन बार भोजन मिलेगा।

- समय पर, साफ स्वच्छ, पोषक और अच्छी क्वालिटी का खाना पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा।
- सही ढंग से जांचा हुआ और उपयुक्त बर्तनों में पका हुआ भोजन दिया जाएगा।
- खाद्य सामग्री साफ करके, ठीक से छान कर अच्छी और पूरी साफ हालत में रखी जाएगी।
- सब्जियां ताजा होंगी।
- पीने योग्य और पर्याप्त मात्रा में पेयजल हर समय आसानी से उपलब्ध रहेगा।
- कैदी बीमार हो तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताई विशेष खुराक दी जाएगी।
- बच्चों को पालने वाली या गर्भवती महिला कैदियों को अधिक पोषक भोजन दिया जाएगा।
- चिकित्सा अधिकारी के परामर्श पर ही भोजन की अधिक या कम मात्रा दी जाएगी।
- धार्मिक उत्सवों और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में विशेष भोजन दिया जाएगा।
- उपवास या रोजा रखने वाले कैदी को अवसर के अनुकूल भोजन दिया जाएगा।
- लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से फिट न होने वाले कैदी को व्रत रोजा रखने की इजाज़त नहीं होगी।
- व्रत–रोजा रखने वाले कैदी को शाम के वक्त दिन भर का राशन एक साथ दे दिया जाएगा। उसे यह भोजन अपने कैरक या कोठरी में ले जाने और इसे रात में या अगली सवेरे खाने की इजाज़त भी दी जाएगी। यदि भोजन अपर्याप्त या घटिया क्वालिटी का हो तो कैदी किचन इंचार्ज सहायक अधीक्षक से शिकायत कर सकता है, जो तत्काल जांच करके तथ्यों की रिपोर्ट अधीक्षक के पास भेज देंगे।

स्वास्थ्य देखभाल

हर कैदी को अधिकार है –

- उपयुक्त और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल का, जिसमें विशेषज्ञ और दांतों के डॉक्टर का इलाज भी शामिल है।
- दूसरे डॉक्टर की सलाह लेने और अपने बारे में पूरी चिकित्सा जानकारी प्राप्त करने का।
- अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दैनिक शारीरिक व्यायाम के लिए जगह और उपकरण प्राप्त करने का।।

श्रम और मजदूरी

- जो कैदी मेडिकल हिसाब से फिट है, उसे रिहाई के बाद फिर बसने की दृष्टि से कुशलता विकसित करने के लिए मेहनत करनी होगी।
- किसी कैदी को मजदूरी करने को बाध्य नहीं किया जा सकता।
- जो विचाराधीन हो या साधारण कारावास में हो, उसे
- कोई भी कैदी एक दिन के निर्धारित समय से ज्यादा काम पर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि कोई इमरजेंसी न हो और इसके लिए अधीक्षक की लिखित अनुमति ली गई हो।
- यदि कैदी को जेल अधिकारी या कर्मचारी अपने मकान में या पास के बगीचे में किसी निजी काम पर लगाते हैं तो उसे विरोध करने और शिकायत करने का अधिकार है।
- हर कैदी को साप्ताहिक अवकाश लेने का अधिकार है। रविवार और जेल के अवकाश के अन्य दिनों में छोटे–मोटे या जरूरी कामों के अलावा कैदी से कोई और काम नहीं लिया जा सकता।
- उसे काम करते वक्त मौसम की मार से बचाने की व्यवस्था की जाएगी।
- जो कैदी मेहनत का काम करेगा उसे निर्धारित मजदूरी दी जाएगी, बशर्ते कि वह अपने दैनिक कोटे का काम जेल अधिकारियों की संतुष्टि के हिसाब से पूरा कर ले।

- मजदूरी का एक हिस्सा कैदी खर्च कर सकता है और एक हिस्सा अपने परिवार को भेज सकता है।
- रिहाई के समय कुल बचत राशि उसे दे दी जाएगी।

सुविधाएं और सहूलियतें

- कैदी अपनी आमदनी में से पोस्टकार्ड, लिफाफे, पुस्तकें या अन्य स्वीकृत वस्तुएं खरीद सकता है या जुर्माने अथवा अन्य कानूनी जिम्मेदादियां पूरी करने पर खर्च कर सकता है।
- खाने का सामान, साबुन, टूथ पेस्ट, तेल, कंघा, चाय–कॉफी, दूध, स्टेशनरी वगैरह खरीदने के लिए उसे कैंटीन सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- वह मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों, योग कक्षाओं और समय–समय पर होने वाली खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले सकता है।
- वह पोस्टकार्ड आकार में अपने परिवार का फोटो रख सकता है।

शिक्षा

हर कैदी को –

- शिक्षा पाने का अधिकार है।
- साक्षरता कक्षाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी।
- उच्च शिक्षा जारी रखने का अधिकार है।
- उस राज्य के स्तर और सामग्री की शिक्षा पाने का अधिकार है, जहां जेल स्थित है।
- जेल पुस्तकालय में जाने का अधिकार है।
- उच्च शिक्षा के इच्छुक या वैसे ही शौकिया पढने वाले कैदी को अधीक्षक की अनुमति से चाहे जितनी किताबें, रखने का अधिकार है।

धर्म

- कैदी को अपने धर्म के सिद्धांत (उपदेश) मानने, धार्मिक समारोहों में शामिल होने या अपने धर्म के प्रतिनिधियों से मिलने का अधिकार है।
- कैदी अपने पास धार्मिक पुस्तकें और चित्र रख सकता है।
- उसे पूजा करने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

अपील, याचिका और कानूनी सहायता

- जो कैदी अपील करना चाहे, उसे उपयुक्त सुनवाई अदालत में अपील दायर करने की सभी सुविधाएं दी जाती हैं।
- कैदी अपनी पसंद की कानूनी सहायता मुफ्त ले सकता है।
- हर कैदी को कानूनी बचाव के लिए कानून के प्रावधानों के अंतर्गत अपील और याचिका दायर करने का अधिकार है।
- कैदी संपत्ति, जमीन, दीवानी मुकद्दमों, कारोबार वगैरह के बारे में पॉवर ऑफ अटार्नी दे सकता है और अपनी ''विल'' या अंतिम इच्छा भी तैयार करा सकता है।
- कैदी को अपीलों, हमलों या बुरे बर्ताव के मामलों में शिकायत लिखकर अधीक्षक को जेल का मुआयना करने के लिए आने पर सौंपने का अधिकार है।

बाहरी दुनिया से सम्पर्क

कैदी को फोन, पत्र और मुलाकात के जरिए बाहरी दुनिया से सम्पर्क करने का अधिकार है। वह कानूनी परामर्शदाताओं, राजनयिकों (विदेशियों के मामले में), अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों से नियमों के अनुसार सम्पर्क रख सकता है और अकेले में मुलाकात कर सकता है।

पत्र

एक कैदी :

- सरकारी खर्च पर पत्र लिख सकता है।
- केवल अपने निकट संबंधियों और मित्रों को पत्र लिख सकता है।
- नियमों के अनुसार हर महीने अधिसूचित संख्या में पत्र लिखे जा सकते हैं।

- पत्र प्राप्त करने की संख्या असीमित है।
- जेल अधीक्षक के निर्णय पर कानूनी उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त पत्र लिखने की अनुमति दी जा सकती है।
- समुचित मामलों में अपने खर्च पर टेलीग्राम या रजिस्टर्ड पत्र भेजने की सुविधा दी जा सकती है।
- अन्य कारागारों के कैदियों से सम्पर्क नहीं कर सकता। जेल अधीक्षक की अनुमति से केवल अपने निकट संबंधियों को पत्र लिख सकता है।
- सुरक्षा और अनुशासन कारणों से या आपात स्थिति के कारण पत्र लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
- किसी मुलाकात के बदले पत्र या पत्र के बदले मुलाकात की अनुमति अधीक्षक द्वारा दी जा सकेगी।
- व्यक्तिगत या निजी मामलों के बारे में ही सम्पर्क की अनुमति होगी।
- पत्र में किसी भी ऐसे विषय को शामिल करने पर पाबंदी होगी, जो राजनीतिक प्रचार बन सकता हो या कारागार प्रशासन के बारे में नकारात्मक हो।
- जेल नियमों के अनुसार आने वाले और भेजे जाने वाले सभी पत्रों को सेंसर किया जाएगा और कैदी के हिस्ट्री टिकट में दर्ज किया जाएगा। किसी भी आपत्तिजनक या संदिग्ध विषयवस्तु वाले पत्र कैदी को सूचित कर रोक लिए जाएंगे। लेकिन वह सेंसर किए पत्रों को बिना विलम्ब के ले सकेगा।

मुलाकात

केवल निकट संबंधियों, मित्रों और कानूनी परामर्शदाता के साथ मुलाकात की मंजूरी कारागार अधिकारियों और कैदी की सहमति से होगी :

- प्रत्येक विचाराधीन या दोषसिद्ध कैदी अपील की अवधि के दौरान अधीक्षक की अनुमति से अपने रिश्तेदारों या मित्रों या कानूनी सलाहकारों से मिल सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क कर सकेगा, ताकि वह अपील की तैयारी कर सके, जमानत या बांड भरने या जुर्माने के भुगतान की

व्यवस्था कर सके और अपनी संपत्ति तथा अन्य पारिवारिक मामलों का प्रबंध कर सके।

- मुलाकात के दौरान मुलाकाती और कैदी की तलाशी ली जाएगी और कड़ी सतर्कता बरती जाएगी।
- कैदियों के बीच मुलाकात की अनुमति तभी होगी, यदि वे परिवार के सदस्य हों। पति–पत्नी, बच्चे, पिता, माता और बहन के बीच ही मुलाकात की अनुमति होगी।
- सामान्य रूप से कार्य दिवसों पर और कारागार द्वार, मुलाकाती प्रतीक्षा कक्ष और पूछताछ कार्यालय पर सूचित घंटों के दौरान ही मुलाकात की मंजूरी दी जाएगी।
- अपवाद स्थितियों में रविवार और कारागार अवकाश दिवसों पर मुलाकात की मंजूरी जेल अधीक्षक की अनुमति से दी जाएगी।
- आमतौर पर मुलाकात की अवधि निर्धारित समय सीमा से अधिक नहीं हो।
- पिता, माता, बच्चे, पत्नी, बहन, भाई से मुलाकात या मित्रों और रिश्तेदारों से संयुक्त रूप से मुलाकात केवल तीन व्यक्तियों तक के लिए सीमित होगी।
- एक कैदी को प्रत्येक माह केवल निर्धारित संख्या में मुलाकातों की अनुमति है।
- भूख हडताल पर बैठे किसी कैदी को मुलाकात तथा अन्य सुविधाओं की मंजूरी नहीं मिलेगी।
- मुलाकात के दौरान किसी भी राजनीतिक मामले पर चर्चा नहीं होगी।
- यदि वहां मौजूद कारागार अधिकारी को लगता है कि मुलाकात रोकने के पर्याप्त कारण हैं, तो मुलाकात किसी भी क्षण रोकी जा सकेगी।

मीडिया

एक कैदी –

- पुस्तकों, समाचारपत्रों, टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से खबरों तक पहुंच बनाए रख सकता है।

- अपने खर्च पर सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी समाचारपत्र या आवधिक पत्र–पत्रिकाएं जेल अधीक्षक की अनुमति से ले सकेगा।
- कारागार पुस्तकालय में स्वीकृत समाचारपत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- मुलाकात, पत्र या पढ़ने की सुविधा और अन्य सुविधाएं केवल कैदी के अच्छे आचरण पर निर्भर करेंगी। जेल अधीक्षक किसी भी कैदी की सुविधाएं उसके आचारण से संतुष्ट न होने पर वापस ले सकता है या स्थगित कर सकता है या इन सुविधाओं का उपयोग अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार के तौर पर कर सकता है।

सुरक्षा

- कैदियों को अन्य लोगों को उनसे खतरों की आशंका के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा और इसी अनुसार रखा जाएगा।
- वे सतर्कता के तौर (i) स्थानांतरित किए जाने के दौरान फरार होने की आशंका, (ii) संपत्ति या अन्य किसी व्यक्ति या खुद का नुकसान पहुंचाने की कोशिश और (iii) चिकित्सा कारणों की स्थितियों में विशेष निगरानी के तहत होंगे।
- कैदियों को अन्य कैदियों से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

कर्तव्य और दायित्व

एक कैदी को –

- अनुशासन बनाए रखना होगा और कारागार के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
- हर समय अनिवार्य रूप से शांति बनाए रखनी होगी, केवल किसी पूछताछ या काम के संबंध में निर्देश देने की जरूरत को छोड़ कर।
- अपने पास कोई भी प्रतिबंधित वस्तु रखने की मनाही होगी।
- किसी भी प्रतिनिधित्व के लिए अपना काम छोड़ने या अपनी पंक्ति से हटने की अनुमति नहीं होगी।

- कारागार की कोठरी के किसी भी उपकरण, कारागार भवन या जेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
- किसी भी योजना या साज़िश, जेल से फरार होने की कोशिश या फरार होने की तैयारी या किसी कैदी या जेल अधिकारी पर हमले के बारे में रिपोर्ट करनी होगी।
- सौंपे गए कार्य इच्छा पूर्वक और सतर्कता पूर्वक करने होंगे तथा इस उद्देश्य के लिए सौंपी गई सरकारी संपत्ति का समुचित ध्यान रखना होगा।
- कोठरी का दरवाजा खोले जाने के बाद वार्ड के बाहर या वार्ड के अंदर गंदगी फैलाने से बचना होगा। गैर–जरूरी समय पर नहाने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
- कारागार में या कारागार के किसी भी हिस्से में उपद्रव नहीं करेगाया किसी वस्तु को गंदा नहीं करेगा।
- कारागार में जुआ खेलने या किसी प्रकार के वस्तु विनिमय की अनुमति नहीं होगी।
- उन्हें अनिवार्य रूप से अपने समूह में और अपने जेल परिसर में ही रहना होगा, जब तक समुचित प्राधिकरण से इसे छोड़ने का आदेश न मिले।
- कैदी को अनिवार्य रूप से नियमित परेड में शामिल होना होगा और काम पर नहीं जाने को दर्ज कराना होगा।
- सभी जेल अधिकारियों से सम्मानपूर्वक पेश आना होगा और उन्हें या किसी भी कैदी को चोट पहुंचाने, हमला करने या धमकी देने से बचना होगा।
- किसी भी जेल अधिकारी पर हमला होने की स्थिति में उनकी मदद करनी होगी।
- गाली–गलौज़, लड़ाई–झगड़े, जोर से हंसने या बातचीत करने और अशोभनीय आचरण पर अंकुश लगाना होगा।
- कानून सम्मत नियमों का पालन करने से इंकार करने पर कैदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और उसे दंडित किया जा सकता है। हालांकि उसे अपने

अपराध की जानकारी दंडित किए जाने से पहले दी जाएगी और अपना पक्ष रखने और उच्च अधिकारियों से अपील करने का अवसर दिया जाएगा।

जेल अपराध

जेल परिसर में इन गतिविधियों को अपराध माना जाएगा। इनमें से किसी भी अपराध में शामिल कैदी को दंडित किया जाएगा :

- कारागार नियमों का पालन न करना।
- किसी पर हमला या अनुचित बल प्रयोग।
- अपमानजनक या गाली गलौज़ की भाषा का प्रयोग।
- काम करने से अनिच्छा जाहिर करना।
- असभ्य या अनैतिक आचरण।
- जानबूझ कर काम से इंकार करना।
- हथकड़ी या बेड़ियां तोड़ने की कोशिश।
- सश्रम कारावास की सजा काट रहे कैदियों द्वारा काम करने से इंकार करना या अनिच्छा जाहिर करना।
- जानबूझ कर कारागार संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना।
- हिस्ट्री टिकट को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना।
- कोई प्रतिबंधित वस्तु पास में रखना।
- बीमारी का बहाना बनाना।
- किसी भी जेल अपराध की साजिश करना या उकसाना।
- जेल परिसर में आग लगने या भागने की कोशिश या भागने की तैयारी या किसी कैदी या जेल अधिकारी पर हमले की योजना या साज़िश की रिपोर्ट करने में विफल रहना।
- कोई भी अन्य कार्य या गतिविधि, जो जेल नियमों के तहत अपराध माना जाए।

जेल पंचायत

सभी कैदियों को जेल पंचायत में शामिल होना होगा, चाहे कहीं भी इसका आयोजन किया जाए। पंचायत का उद्देश्य जेल प्रशासन की मदद करना है।

- समुचित साफ–सफाई, स्वास्थ्यपरक स्वच्छता बनाए रखना।
- खाना पकाने की समुचित सेवा और खाने पीने की चीजों के वितरण का प्रबंध करना।
- कैदियों तक चिकित्सा सहायता जैसी अन्य सुविधाएं पहुंचाना
- मनोरंजन के लिए गतिविधियों की व्यवस्था करना।
- बैरक और कार्यशालाओं में कैदियों के बीच अच्छा व्यवहार बनाए रखना।
- जेल प्रशासन की उन सभी मामलों में मदद करना, जो कारागार में अच्छा माहौल बनाए रखने में सहायक हों।

अवकाश : पैरोल/फर्लो

- प्रत्येक कैदी को नियमों के अनुसार पैरोल/फर्लो जैसे अवकाश का अधिकार है।
- सामान्य रूप से विशेष अवकाश या पूर्व के अवकाश से वापस लौटने के 6 महीने के अंदर कैदी को छुटटी की अनुमति नहीं दी जाती।
- अवकाश पर रिहा किए गए कैदी को आने जाने की यात्रा का खर्च वहन करना होगा। यदि वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है और अवकाश मंजूर करने वाला अधिकरण ऐसा करने का निर्देश देता है, तो कुल खर्च का एक हिस्सा सरकार वहन कर सकती है।
- अवकाश पर रिहा किया गया कैदी जैसे ही जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करता है, उसी क्षण से उसकी रिहाई के आदेश अप्रभावी हो जाते हैं। यदि अवकाश पर रिहा कैदी ने अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है, और आवेदन मंजूर होने से पहले वह जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण कर देता है, तो अनुमति देने वाले अधिकरण से नया आदेश प्राप्त किए बिना उसे रिहा नहीं किया जाएगा।
- कुछ निश्चित नियमों के तहत अवकाश की अवधि की गणना सजा माफी के रूप में होगी।

- किसी भी कैदी को अवकाश पर रिहाई का दावा करने का अधिकार नहीं है।
- कैदी को गंभीर बीमारी, परिवार के किसी सदस्य या निकटतम संबंधी के निधन, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अवकाश मंजूर किया जाएगा।
- गंभीर अपराधों के लिए दोषसिद्ध कैदी को अवकाश की अनुमति दिए जाने के बाद नियमित रूप से अपने निकटतम स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी होगी।
- कैदी को जमानत देने या निजी मुचलका भरने और सभी शर्तों का पालन करने पर, जो भी लागू हों, अवकाश मंजूर किया जाएगा।
- अवकाश के लिए जरूरी शर्तों को तोड़ने वाले या रियायत का दुरुपयोग करने वाले कैदी को दंडित किया जाएगा।
- कैदी को उसके स्वयं के आवेदन या रिश्तेदार या मित्रों या कानूनी परामर्शदाता के आवेदन पर अवकाश मंजूर किया जाएगा।

सज़ा माफी

- सज़ा माफी अच्छे आचरण और कार्य पर कैदी के लिए एक प्रोत्साहन है।
- सामान्य सजा माफी नियमों और अच्छे आचरण के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा दिए गए काम को अच्छे ढंग से निपटाने पर मंजूर की जाती है।
- सजा के पूरे एक वर्ष के दौरान कोई भी जेल अपराध न करने वाला कैदी उसे स्वीकृत किसी अन्य सजा माफी के अलावा अच्छे आचरण पर वार्षिक सजा माफी का पात्र होगा।
- विशेष सजा माफी इन सेवाओ के लिए किसी कैदी को दी जा सकती है, जैसे – जेल अधिकारियों, मुलाकातियों या कैदियों को हमले से बचाना और उनके जीवन की रक्षा करना, फरार होने की कोशिश की रोकथाम तथा आग लगने,

दंगा भड़कने और हड़ताल जैसी स्थितियों में जेलकर्मियों की मदद के लिए।

- समय समय पर विशेष अवसरों पर सरकार की ओर से सजा माफी भी घोषित की जा सकती है।
- सरकारी सजा माफी सहित किसी कैदी को स्वीकृत सामान्य और विशेष सजा माफी की कुल अवधि उसे मिली सजा के एक चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सजा माफी कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक रियायत है, जो स्वीकृत या वापस ली जा सकती है।

शिकायत निपटान प्रणाली

- कारागार में एक समुचित निपटान प्रणाली होती है, जिसमें कैदी अपनी शिकायतें और समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचा सकता है।
- वह किसी भी कार्य दिवस पर कारागार अधिकारियों से किसी बात के लिए अनुरोध कर सकता है या शिकायत कर सकता है। आमतौर पर ऐसा जेल में रखी शिकायत और सुझाव पेटिका के जरिए किया जाता है।
- वह नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म और मूल्य इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए जाने पर शिकायत कर सकता है।
- वह किसी भी व्यक्तिगत या संस्थागत शिकायत के बारे में टिप्पणी या जेल में सुधारों के बारे में सुझाव शिकायत पेटिका में रख सकता है। मनगढ़त या बेबुनियाद शिकायतों को छोड़कर सभी शिकायतों पर विचार किया जाएगा।
- निश्चित समय सीमा के भीतर उसकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा और उसके सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा।
- उसे समुचित फार्म में अपनी शिकायत या अनुरोध समुचित माध्यम से केंद्रीय कारागार प्रशासन, न्यायिक अधिकरणों और अन्य समुचित अधिकरणों को को देने की अनुमति है। इसे सेंसर नहीं किया जाएगा।

- कैदी जेल निरीक्षण के दौरान व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने वाले अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकता है और शिकायत या अनुरोध कर सकता है।
- जेल प्रशासन कैदियों के समूह द्वारा दी गई संयुक्त याचिका या शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

महिला कैदी

- महिला कैदियों को कारागार या पृथक कारागार में अलग स्थान पर रखा जाएगा।
- आदतन अपराध करने वाली महिला कैदियों को अन्य महिला बंदियों से अलग रखा जाएगा।
- केवल महिला कर्मचारी ही उन पर निगरानी रखेंगी और उनकी तलाशी लेंगी।
- प्रत्येक महिला कैदी का स्वास्थ्य परीक्षण महिला जेल अधिकारी/मैटर्न की उपस्थिति में चिकित्साा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।जमानत, पैरोल या अवकाश के बाद फिर जेल में आने पर भी ऐसे परीक्षण किए जाएंगे।
- गर्भावस्था, शिशु जन्म और देखभाल जैसी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी और महिला चिकित्सक उनकी जांच करेंगीं।
- गर्भवती माताओं की डिलिवरी कारागार से बाहर के प्रसूतिगृह में कराई जाएगी। यदि संयोगवश शिशु का जन्म कारागार में हो जाता है, तो बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा।
- महिला कैदी को स्वयं पर निर्भर शिशु की देखभाल के लिए उसे जेल में साथ रखने की अनुमति है। वह बच्चे को 6 वर्ष का होने तक अपने साथ रख सकती है। वह ऐसे बच्चे को भी साथ रख सकती है, जिसकी देखभाल का जिम्मा लेने वाला कोई मित्र या रिश्तेदार नहीं हो, या बच्चे का जन्म कारागार में हुआ हो।

- महिला कैदियों को, जब भी वे स्वयं अपने बच्चे की देखभाल करने में समर्थ न हों, नर्सरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- उन्हें शैम्पू, साबुन और अन्य प्रसाधन सामग्री नियमों के अनुसार दी जाएगी।
- वे माथे पर सिंदूर लगा सकती हैं और नोज़पिन या बेसर पहन सकती हैं।
- उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा के उद्‌देश्य से समुचित वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी महिला कैदी को कारागार से दिए जाने वाले सैनिटरी नेपकिन के अलावा अपने खर्च पर अतिरिक्त नैपकिन खरीदने की अनुमति होगी।
- उनके लिए साक्षरता तथा अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था होगी।
- उन्हें मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चे

- कारागार में अपनी माताओं के साथ रहने वाले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विशेष शिशु देखभाल गृह की सुविधा के पात्र होंगे, जहां प्रशिक्षित आया उनकी देखभाल करेंगी।
- ऐसे शिशु देखभाल गृह जेल परिसर के अंदर लेकिन कारागार की चारदीवारी से बाहर होंगे।
- ये शिशु अपनी माताओं के काम पर होने के दौरान शिशु देखभाल गृह में रहेंगे।
- मां का दूध पीने वाले शिशुओं को समुचित समय पर उनकी माताओं के पास ले जाया जाएगा। यदि ऐसा संभव न हो, तो माताओं को शिशु को दुग्धपान कराने के समय पर क्रेच में आने की अनुमति होगी।
- महिला कैदियों के साथ आने वाले बच्चों को शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

- यदि आवश्यक हो, तो उन्हें कारागार के बाहर के विद्यालय भेजने का प्रावधान किया जाएगा।
- स्कूल जाने वाले बच्चों को किताबें, स्कूल बैग और यूनिफार्म उपलब्ध कराई जाएगी।
- नन्हें बच्चों के लिए क्रेच में प्ले–स्कूल की व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जाते हैं।
- इन बच्चों की अनिवार्य टीकाकरण सहित समय समय पर नियमित चिकित्सा जांच कराई जाएगी।
- इन बच्चों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसित विशेष संतुलित भोजन दिया जाएगा।
- इन बच्चों को समुचित सुरक्षा और संरक्षण पाने का अधिकार है।

विचाराधीन कैदी

- विचाराधीन कैदी अलग रहने की व्यवस्था के पात्र हैं।
- उन्हें जमानत, शीघ्र अदालती सुनवाई, अपना बचाव पक्ष रखने की तैयारी के लिए वकील और मित्रों से संपर्क करने तथा कपड़े, काम और मुलाकात संबंधी अधिकार हैं।
- उन्हें अपने स्वयं के वस्त्र रखने की अनुमति है और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। विचाराधीन कैदियों के वस्त्र दोषसिद्ध कैदियों से अलग होंगे।
- जब तक वे स्वयं इच्छा न रखें, उन्हें काम नहीं दिया जाएगा।

उच्च सुरक्षा वाले कैदी

- समाज और देश के लिए खतरनाक कैदियों को जेल के अन्य वार्डों से अलग विशेष उच्च सुरक्षा वाले स्थान पर रखा जाएगा।
- उन्हें खाना बंटने के समय को छोड़कर अपनी कोठरी से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

- खाना लेने के लिए एक बार में केवल एक कैदी को बाहर लाया जाएगा और खाना दिए जाने के तुरंत बाद उसे बंद कर दिया जाएगा।
- साधारण कैद की सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली सुविधाएं और अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाएगा।

टिप्पणी : किसी अन्य मुद्दे या विवाद का समाधान जेल नियमावली और कारागार नियमों के संदर्भ के अनुरूप किया जाएगा। यहां सुविधाजनक शीर्षक के तहत अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसे एक औसत कैदी आसानी से समझ सकता है।

परिशिश्ट–2

जेल में भर्ती के दौरान कैदियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रपत्र

(देखें अध्याय–5)

केस सं.————————————————————————

नाम——————————आयु————लिंग——————अंगूठे का नि”ाान—————

पिता/पति का नाम ——————————————व्यवसाय——————————

जेल में भर्ती की तारीख और समय——————————————————

पहचान का नि”ाान——————————————————————

पूर्व की बीमारी का विवरण

क्या आप किसी बीमारी से पीड़त हैं? हां/नहीं

यदि हां तो बीमारी का नामः

क्या आप उस बीमारी के लिए अभी दवा ले रहे हैं? हां/नहीं

यदि हो तो दवा का विवरण दें

क्या आपको खांसी है जो पिछले तीन सप्ताह या अधिक समय से है हां/नहीं

मादक पदार्थों के सेवन के बारे में ब्यौरा, यदि कोई हो :

और कोई जानकारी जो कैदी देना चाहता है

भाारीरिक जांचः

कद———सें.मी., वजन————कि.ग्रा., पिछले मासिकधर्म की अवधि——————

1 पाल्लेरः हां/नहीं 2 लिंफ मोड वृद्धिः हां/नहीं

3 क्लबिंगः हां/नहीं 4 सिआनासिसः हां/नहीं

5 इक्टेरस हां/नहीं 6 चोट,यदि कोई हो तो———————

7 एचआईवी सहित एसटीडी/हेपटाईटिस के लिए खून की जांच–कानून के अनुसार जब भी आव”यक हो कैदी की सूचित सहमति से।

8 अन्य——————————————————————————

दैहिक जांच

1 तंत्रिका तंत्र
2 कार्डियो वस्कुलर सिस्टम
3 श्वास प्रणाली
4 आंख, ईएनटी
5 पाचन तंत्र, पेट
6 दांत और मसूड़े
7 मूत्र प्रणाली

कैदी को यह स्पष्ट करने के बाद कि वह जिस रोग से ग्रस्त है उसका पता लगाकर इलाज करना जरुरी है, उसकी सहमति से उसकी चिकित्सा जांच और निरीक्षण किया गया।
चिकित्सा जांच शुरु करने की तारीख

चिकित्सा जांच पूरी करने की तारीख

चिकित्सा अधिकारी

परिशिष्ट–3
बहिरंग रोगियों के लिए रजिस्टर
(अध्याय VII देखें)

कारागार में अस्पताल

बहिरंग रोगियों का नामिक रजिस्टर

सिलसिलेवार संख्या	तहत रजिस्टर	नाम	लिंग	जो कार्य दिया गया है	महीना											छुट्टी की तारीख	उपचारित	भर्ती किया गया	डिस्चार्ज किया गया	अन्यथा	साप्ताहिक निरीक्षण के संकेत के रुप में चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
					तरीख																
					कुल अवैध गिरोह																
					कुल बहिरंग रोगी																
					कुल उपस्थिति																
					रोग	भर्ती की तारीख और बहिरंग रोगी के रुप में हाजिरी															

परिशिश्ट–4

अंतरंग रोगियों का रजिस्टर

(अध्याय–-VIIदेखें)

अंतरंग रोगियों का रजिस्टर

क्रम संख्या	रजिस्टर सं0	नाम	श्रेणी	लिंग	आयु	ब्लॉक, वार्ड, या सैल	सजा का आदे"ा	सजा की तारीख,, कारागार भेजने का आदेश	काटी जा चुकी कैद की अवधि	जिस रोजगार में लगाया गया है	रोग (दर्ज करने के लिए शुरुआत और चिकित्सा अधिकारी द्वारा अद्याशरित	निगरानी में लाए जाने की तारीख	अस्पताल में दाखिल करने की तारीख	नतीजा–क्या छुट्टी दी गई, रोग मुक्त किया गया , अमान्य गैंग में रखा गया	जिस तारीख को अस्पताल से छुट्टी दी गई	यदि मृत्यु हुई है तो उसकी तारीख	अस्पताल केस बुक के पृश्ठ का संदर्भ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

परिशिष्ट –5

बीमार बंदियों की

अस्पताल नियमावली

(देखेंअध्याय एफ VII)

अस्पताल में बीमार							निगरानी में हिरासती			अस्पताल कर्मचारी						अस्पताल आहार की श्रेणी												खराब होने वाली वस्तुएं																											
				अचेता कैदी	कुल											श्रेणी क						श्रेणी ख						अंडे	आलूबुखारा	ज़ूस	चाँदी या ग्ग	मक्खन	स्वाद	स्वल्लोरी	नारियल तेल	कॉफ़	अंडे	मछली	चैनल मछली	आटा	घी	जैतूनली ऑयल	मकोय	नींबू	बिस्किटग्लास	दूध	मटन	चावल	ग्लूकोज या मिश्री	साबूदाना	मलाई	चीनी	चाय	चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
ए म	ए फ	ए म	ए फ		ए म	ए फ	ए म	ए फ		रसोइया	शौचालय	सफाईकर्मी	अर्दली	चिकित्सा का सहायक	कुल	चपाती	दूध	आधा	मिश्रित	पूरा	कुलयोग	चपाती	दूध	आधा	मिश्रित	पूरा	कुलयोग	ग्राम	किलोग्राम	ग्राम	ग्राम	ग्राम	ग्राम	किलोग्राम	ग्राम	ग्राम	सं.	ग्राम	किलोग्राम	ग्राम	ग्राम	ग्राम	सं.	सं.	सं.	लीटर	किलोग्राम	किलोग्राम	ग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	

परिशिश्ट–6

केस भीट

(देखें अध्याय–7)

रजिस्टर सं. के साथ कैदी की श्रेणी **इलाज के लिए**
पहली बार लाए
और नाम **जाने की तारीख**
पता **अस्पताल में प्रवेश की**
तारीख
आयु **अस्पताल से छुट्‌टी**
की तारीख
रोग

महीना और तारीख	मामले का विवरण और किया गया इलाज	आहार और अतिरिक्त आदे"ा

परिशिश्ट–7

केस बुक

(देखें अध्याय–7)

रजिस्टर सं. और रोगी का नाम –

वर्तमान में बीमारी	यदि दोषी करार दिया गया है तो सज़ा का प्रकार और अवधि। जेल में भर्ती के समय स्वास्थ्य की स्थिति। जेल में भर्ती के समय वज़न। अस्पताल में भर्ती के समय वज़न। यदि पिछली बार बाह्य रोगी था तो केस बुक के अंतिम पृष्ठ पर दर्ज करें। **निर्देश**:–मृत्यु की स्थिति में, अंतिम प्रविष्टियों में अधिनियम के अनुच्छेद 15 के तहत आव"यक विवरण का रिकार्ड चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए।
महीना और तारीख	रोगी के पूर्व के स्वास्थ्य, भर्ती के समय स्थिति, इलाज और आहार, प्रतिदिन चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ।

परिशिश्ट–8

प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया
(अध्याय 10 देखें)

देश प्रत्यावर्तन अनुरोधों को प्रोसेस करने की प्रक्रिया संक्षेप में नीचे दी गई है और विस्तार से इसका वर्णन 10 अगस्त, 2015 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में देखा जा सकता है।

क) स्थानांतरण का अनुरोध कैदी द्वारा अथवा उसकी ओर से स्वेच्छा से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

ख) तत्संबंधी अनुरोध कारागार प्राधिकारियों द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को अग्रसारित किया जाना चाहिए, जो उसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजेगी ताकि वह सम्बद्ध देश, जहां से कैदी का प्रत्यावर्तन किया जाना है, को भेजा जा सके।

ग) कैदी किसी ऐसे अपराध के लिए विधि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सज़ा काट रहा हो, जो दोनों देशों अर्थात् अंतरणकर्ता देश और प्राप्तकर्ता देश, दोनों में ही अपराध हो।

घ) ऐसा अनुरोध करते समय कैदी के खिलाफ किसी अन्य अदालत में कोई मामला बकाया नहीं होना चाहिए और किसी जांच एजेंसी को किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

ङ) ऐसा अनुरोध करते समय उसकी सज़ा की अवधि के कम से कम 6 महीने बकाया हों।

स्थानांतरण होने पर कैदी या तो अपनी सजा की शेष अवधि पूरी करेगा या फिर उसकी सजा की शेष अवधि प्राप्तकर्ता देश में प्रचलित कानून के प्रावधानों के अनुसार रूपांतरित की जाएगी, परंतु सज़ा की अवधि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस तरह रूपांतरित की गई सज़ा की अवधि उस देश की अदालत के कानून के अनुरूप होनी चाहिए, जहां दोष सिद्ध किया गया था और इसे प्राप्तकर्ता देश में समान प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।

नोट : यदि गृह मंत्रालय इस विषय में और परामर्श जारी करता है, तो पूर्ववर्ती की बजाए उक्त परामर्श प्रभावी माना जाएगा।

परिशिश्ट–9

मौत की सजा पाए कैदी के लिए भीट

(देखें अध्याय–12)

सत्र न्यायधी"ा द्वारा फांसी की सजा की तारीख

1 रजिस्टर न0
2 नाम
3 गर्दन का माप
4 वज़न
5 चिकित्सा जांच का नतीजा, वि"ोष बिंदू, इत्यादि
6 सत्र अदालत द्वारा सज़ा की तारीख
7 दिल्ली में न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय में अपील की तारीख
8 उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख
9 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए वि"ोष अवका"ा के वास्ते याचिका की तारीख
10 उच्चतम न्यायालय में अपील की तारीख
11 उच्चतम न्यायालय के फैसले की तारीख
12 क्षमा याचिका दाखिल करने की तारीख
13 दया याचिका पर नतीजे की तारीख
14 फांसी की अंतिम तारीख
15 लटकन की आव"यक लंबाई

परिशिश्ट–10

दोशी करार अपराधी के मुकद्दमें का पूरा विवरण

(देखें अध्याय–12)

1 नाम
2 संख्या
3 आयु
4 सज़ा
5 धारा
6 आदतन या आकस्मिक
7 कैदी के मौजूदा और यदि कोई हो तो पिछले, अपराध का कानूनी इतिहास और विवरण
8 सामाजिक इतिहास
(क) बचपन
(ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि
(ग) स्वास्थ्य संबंधी विवरण
(घ) आस–पड़ोस
(ङ) शैक्षिक पृष्ठभूमि
(च) कि”ाोरावस्था
(छ) आर्थिक पृष्ठभूमि
(ज) रोजगार संबंधी विवरण
(झ) सहयोगी, साथी इत्यादि
(ञ) आदतें, रुझान इत्यादि
9 व्यक्तित्व–केवल सामान्य धारणा के अनुसार
10 आपराधिक व्यवहार के क्रम में प्रमाण

केस हिस्ट्री तैयार करने की तारीख——————————————————————

जेल——————————————————————————————

परिशिश्ट—11

फांसी की रिपोर्ट

(देखें अध्याय—12)

मैं इसके माध्यम से प्रमाणित करता हूं कि सत्र अदालत द्वारा ——————————को सुनाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई फांसी की सज़ा विधिवत——————————तारीख को——————————बजे निष्पादित की गई है और ————————की गर्दन को तब तक फंदे से लटकाया गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।

(हस्ताक्षर)

चिकित्सा अधिकारी

(हस्ताक्षर)

अधीक्षक

(हस्ताक्षर)

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट

परिशिष्ट.12

माफी रजिस्टर

(देखें अध्याय 18)

कैदी का नाम————————————

कारागार————————————

सज़ा————————————

कैदी संख्यां———————————— प्रारंभ होने की

तारीख ————————————

रिहाई की तरीख

————————————

महीना	साधरण छूट	सफाई कार्यों के लिए छूट	अच्छेआचरण के लिए छूट	विशेश छूट	राज्य सरकार द्वारा छूट	प्रतिपादन की तारीख	दंड	भोश	आद्याक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

परिरिशिष्ट–13

(कृपया अध्याय 23 देखें)
मुक्त और अर्ध–खुलीकारागारों का केसहिस्ट्री फार्म

1. कैदीकानाम
2.आयु
3.सजा
4.मामलेकाविवरण
5.आपराधिकपूर्ववृतांतऔरवर्तमान एवंपिछलेअपराधोंकाब्यौरा, यदिकोईहो
6.कल्याणअधिकारी की सामाजिकजांचरिपोर्ट
7. व्यक्तित्व (सामान्य) काप्रभाव
8. उसकीसमायोजन क्षमता
9. उसकी खामियांऔरकमजोरियां
10. उसकेसद्‌गुण
11. उसे अर्ध–खुलीऔर खुलीजेलमें रखेजाने के बारेमेंअनुकूलऔरप्रतिकूलबातें
12. नोमिनलरोल

अनुशंसाऔरहस्ताक्षर
अधीक्षक कारागार

दिनांक.........................

परिशिश्ट –14
एकीकृत आपराधिक न्याय न्यायिक प्रणाली में कानून के अनुसारर आदान प्रदान किए जाने वाले अनिवार्य डाटा सैटों का मैटिस

सं0	पुलिस	अदालतें	जेलें	अभियोजन	एफएसएल
		• एफआईआर विवरण(आईआईएफ–I) एफ आईआर की प्रति के साथ गिरफ्तारी विवरण (आईआईएफ–3)– गिरफ्तारी मीमो आरोपी का ब्यौरा (आईआईएफ 1–और 3) • पीड़ित का ब्यौरा (आईआईएफ1और 5) • अपराधी से संबद्ध संपत्ति (आईआईएफ1और 4) • संपत्ति ज़ब्ती का ब्यौरा (आईआईएफ 5) गवाहों का ब्यौरा (आईआईएफ 5) •गवाहों की पुष्टि का ब्यौरा • आरोप पत्र/अंतिम रिर्पोट (आईआईएफ 5) • पूरक आरोप पत्र –पुलिस के ब्यौरे द्वारा जमानत	• जेल का वर्गीकरण • गिरफ्तारी हिस्ट्री • क्या भागने की आ”ांका है • पुलिस रक्षण दल का ब्यौरा, वाहन सं0, एफआईआर की प्रति के साथ • पैरोल/फरलो संबंधी पुलिस रिर्पोट • पुलिस हिरासत से भागने की को”ि”ा का ब्यौरा • आरोपी की फोटो और उंगलियों के नि”ाान • पुलिस हिरासत और ट्रांज़िट रिमांड आदे”ा • पोस्ट मार्टम रिर्पोट, अनुरोध पर –जेल की हिरासत के दौरान मरने वाले कैदियों के लिए	● कानूनी राय और परम”ार्ग मसौदा आरोप पत्र, इस जांच में उठाए गए बिंदुओं के अनुपालन हेतु सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ ● मामले से संबद्ध दस्तावेज ● सभी सबूत ● पुलिस हिरासत अनुरोध पत्र, स्थिति रिर्पोट तथा जांच की प्रगति ●	● जांच के लिए नमूने की सील के साथ संपत्ति का नमूना ● पूछताछ के लिए आव”यक और जानकारी ● नियत्रण आव”यक ताएं अपराध रिर्पोट का दृ”य ● मामले में आव”यक और कोई जांच ● झूठ पकड़ने के लिए जांच संबंधी जानकारी

		• पहले यदि दोषी करार दिया गया हो ता उसके समेत आरोपी का आपराधिक ब्यौरा • अन्यमामलों में हिरासत का ब्यौरा और ट्रांज़िट रिमांड का ब्यौरा यदि कोई हो तो • जांच विवरण • अन्य मामलों में आरोपी के खिलाफ नोटिस/वारंट/सम्मन • जमानत अर्जी का जवाब • केस संपत्ति निपटान प्रपत्र • निवारक कार्यवाही (कलंदर) • व्यक्तिगत तला"ाी का ब्यौरा • केस संपत्ति रिहाइ और व्यक्तिगत तला"ा रिहाइ			

		● आरोपी और केस संपत्ति के टीआईपी के लिए दिया गया आवेदन ● एफएसएल रिर्पोट ● एफएसएल रिर्पोट के साथ 39 शस्त्र कानून की अनुमति ● अन्य आवेदनों / प्र"नों पर रिर्पोट / जवाब			
अदालतें	▪ केस विवरण ▪ अदालत के उन्मूलन / गठन के कारण एक से दूसरी अदालत में मामले के स्थानांतरण या अन्य कारण से ▪ यदि एफआईआर / आरोप पत्र और तय आरापों से अलग हो तो मामले की प्रकृति और धाराएं ▪ एफआईआर / आरोप पत्र और तय किए गए आरोप ▪ सम्मन / नोटिस / वारंट ▪ अभियोजन / बचाव / अदालत पे"ा गवाह ▪ साक्ष्य के		▪ अदालत के रिकार्ड के अनुसार कैदी का विवरण ▪ —सजा के साथ दोष का विवरण —(अदालत के रिकार्ड के अनुसार), मामले की प्रकृति के साथ कानून और धारा के तहत भुगती जा चुकी और लगाए	▪ केस विवरण ▪ अदालत के उन्मूलन / गठन या अन्य कारण से एक से दूसरी अदालत में मामले के स्थानांतरण ▪ यदि एफआईआर / आरोप पत्र और तय आरापों से अलग हो तो मामले की प्रकृति और धाराएं ▪ एफआईआर / आरोप	▪ वि"ोषज्ञ गवाही की तारीख ▪ मामलों की वरीयता (विचाराधीन, वरिष्ठ नागरिक इत्यादि ▪ जिन मामलों में वि"ोषज्ञों से पूछताछ की गई उनके फैसलों की सूचना ▪ सुनाए गए फैसले की सूचना

	लिए अभियोजन/बचाव/अदालत पेश गवाह ▪ अदालत द्वारा मांगी गई रिपोर्टें–कार्रवाई का ब्यौरा–दैनिक आदेश/फैसलों का विवरण ▪ जमानत राशि के ब्यौरे के साथ जमानत की स्थिति		गए आरोप –कैदी की हाजिरी के साथ सुनवाई का विवरण –रिहाई आदेश –जेल से प्रश्नों के जवाब में नोटिस/प्रश्न और उत्तर –जमानत ब्यौरे के साथ जमानत की स्थिति –अदालत में कैदी द्वारा की गई शिकायत का विवरण –पीड़ित का विवरण(मुआवजें की प्राप्ति के लिए)	पत्र और तय किए गए आरोप ▪ सम्मन/नोटिस/वारंट ▪ कार्रवाई का ब्यौरा(दैनिक आदेश) अगली तारीख,अभियोजन/बचाव/अदालत पेश गवाह ,साक्ष्य के लिए अभियोजन/बचाव/अदालत में पेश किए जाने वाले गवाहों के साथ ▪ जमानत राशि के ब्यौरे के साथ जमानत की स्थिति ▪ अदालत द्वारा मांगी गई रिपोर्टें–कार्रवाई का ब्यौरा–दै	

				निक आदे"ा/ फैसलों का विवरण	
कारागार	▪ आरोपी कैदी का ब्यौरा ▪ जमानत/पैरोल/फरलो पर रिहाई और प्रतिवेदन विवरण ▪ भागना/बदचलनी/जेल में अपराध ▪ एफआईआर दर्ज कराने के लिए विवरण ▪ अंतिम रिहाई के स्थानांतरण का ब्यौरा ▪ परिवहन के लिए अनुरोध ▪	▪ उस जेल का ब्यौरा जिसमे कैदी को रखा गया है या स्थानांतरित किया गया है ▪ कैदी को पे"ा नहीं किए जाने का कारण ▪ आरोपी को दोषी करार देने संबंधी अन्य विवरण ▪ किसी वि"ोष मामले में हिरासत की अवधि ▪ आरोपी के अन्य मामलों में पे"ाी/सुनवाई की भावी तारीखें ▪ अन्य आवेदनों/प्र"नों पर निर्पोट/जवाब			
● अभियोजन	▪ केस पर जांच रिर्पोट/पराम"र्ा ▪ अभियोजक मामले की कार्रवाई के विरण का ब्यौरा ▪ ऊंची अदालत में मामले की स्थिति	▪ अभियोजन के गवाहों की वर्तमान स्थिति ▪ गवाहों पर प्रक्रियाओं की सेवाएं ▪ सरकारी गवाहों की अन्य ▪ अदालतों में पहले से तय मौजूदगी का विवरण	▪ ऊंची अदालत में मामले की स्थिति		
एफएसएल	▪ नमूने की जांच रिर्पोट ▪	▪ एफएसएल रिर्पोटें ▪ एफएसएल वि"ोषज्ञों की अन्यअदालतों में पहले से तय मौजूदगी का विवरण ▪ संबंधित प्रयोग"ाालाओं में उपलब्ध वि"ोषज्ञता		▪ एफएसएल रिर्पोटें ▪ वि"ोषज्ञ विवरण	

परिशिश्ट–15

नोमिनल रोल

01.	नाम	:		:	माता/पिता का नाम	:		:	आयु
02.	आवास का पता			:					
03.	सूची भेजने के कारण			:					
04.	केस का ब्यौरा			:	एफ आई आर	धारा के तहत			थाना
05.	दोषी करार देने वाली अदालत			:					
06.	सज़ा की तारीख			:					
07.	सज़ा की मात्रा			:					
08.	अपील की स्थिति			:					
09.	न्यायिक हिरासत की अवधि का ब्यौरा								

	अवधि		:	वर्ष	महीने	दिन
	से	तक				
विचाराधीन			:			
दोषी			:			
10. मामला विचाराधीन होने की अवधि सहित काटी जा चुकी सज़ा			:			
11. कुल अर्जित माफी			:			
12. बची हुई सजा की अवधि			:			

<table>
<tr><td>13.</td><td colspan="2">शारीरिक स्थिति और ओपीडी में उपचार का ब्यौरा, यदि कोई हो</td><td>:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>आबंटित श्रम</td><td>कार्य रिर्पोट</td><td>:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">दिल्ली जेल नियमों का उल्लंघन– सज़ा टिकट की प्रति संलग्न</td><td>:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="2">पिछले एक वर्ष में जेल में आचरण</td><td>:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="3">ली गई जमानत/पैरोल/फर्लो का विवरण</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="3">अंतरिम जमानत/पैरोल/फर्लो यदि कोई हो तो, के दौरान दुराचार की रिर्पोट</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="3">लंबित मामला कोई हो तो उसका विवरण</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>20.</td><td colspan="3">दोषी करार देने के मामला यदि हो तो उसका विवरण</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>21.</td><td colspan="3">सह आरोपियों का विवरण</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">उक्त जानकारी की जांच जेल रिकार्ड से की गई है और इसे सही पाया गया है।
सहायक अधीक्षक केंद्रीय जेल सं0——— दिल्ली

उपाधीक्षक केंद्रीय जेल सं0——— दिल्ली</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="5">जेल अधीक्षक की सिफारि”ों, यदि कोई हों तो
अधीक्षक केंद्रीय जेल सं0——— दिल्ली</td></tr>
<tr><td>दिनांक</td><td>:</td><td colspan="3" rowspan="2">नई दिल्ली</td></tr>
<tr><td>स्थान</td><td>:</td></tr>
</table>